



शानमरण्डल ग्रन्थमालाका ग्यारहवाँ ग्रन्थ

# जापानकी राजनीतिक प्रगति

(संवत् १९२४—१९६६तक)

लेखक

डॉक्टर जार्ज एत्सुजीरो उयेहारा,  
बी. ए. (वाशिंगटन) डी. एस-सी (लण्ठन)

अंगरेजीसे भाषान्तरकार  
पं० लक्ष्मण नारायण गर्दे

काशी  
शानमरण्डल कार्यालय

१९७८ प्रकारकी बुस्तके मिलोका पत्र :-  
५२ बड़ा मुनाफ़ा सुफ़त,  
१९२१ हिन्दी साहित्य मान्दर, बनारस

मकालुक—  
रामदास शौक प्रम. ए.  
व्यवस्थापक कानूनीकार्यालय, काशी  
[१ नं २०००-१६७८]  
[कूल लिखित ३॥२]

लोकाविकार इति

१०२७६

उद्धव  
गणपति छम्भ मुर्जर  
श्रीरामसीनारायण प्रेल, काशी

## सम्पादकीय वक्तव्य

ज़ुहूपानी विद्वान् डाकूर उयेहाराने छाकूरी डिगरीके  
लिए लन्दन विश्वविद्यालयमें जापानके राजनीतिक  
विकासपर एक विद्वत्तापूर्ण निबन्ध पढ़ा था। वह सं० १९६७  
दिनमें पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। ज्ञानमण्डलके संचालक  
श्रीमान् बाबू शिवप्रसाद गुप्तके आदेशसे इस अन्ध-रक्षका  
हमारे मित्र पं० लक्ष्मण नारायण गर्देने जो अब दैनिक भारत-  
मित्रके सम्पादक हैं—अंग्रेजीसे उल्था किया। जब ज्ञानमण्डल-  
स प्रेस न था तभी इसका छपना अन्यत्र आरम्भ हो  
गा था, पर अनेक विद्व वाधाओंके कारण पुस्तक एक खंड  
प्रकर रुक गयी थी। अब यह पूरी की गयी है। “देर आयद  
दुरुस्त आयद” की कहावतके अनुसार पाठकोंको पुस्तक  
पसन्द आयी तो मण्डल सारा परिधम और व्यय सुफल  
समझेगा।

इसके पहले खराडके सम्पादनका श्रेय श्रीयुत श्रीप्रकाश-  
तथा श्रीमान् पं० पद्मसिंह शर्माको ही है शेषके सम्पादन  
कार्यमें, प्रूफ संशोधनादिमें हमें पं० जयदेवजी विद्यालङ्कारसे  
बराबर सहायता मिली है, जिसके सिए हम इन मित्रोंके  
कृतश हैं।

श्रीकाशी । }  
१ मेर १९७८ }

रामदास गौड़  
सम्पादक





जापानपर इन संस्कृति निर्गाह

[ ले • रामदास गौड़ ]

### १—भूगोल

झृष्णचीन जम्बूद्वीपके और आजकलके एशिया महाद्वीपके अत्यन्त पूर्वमें जापानका साम्राज्य है। कमचटका-के दक्षिणी सिरेसे लेकर फिलिपाइन द्वीपसमूहके उत्तर सौ मीलकी दूरीतक प्रशान्त महासागरमें कुछ टेहे मेहे घेडौल दापू परस्पर मिले जुले हैं जिन्हें जापान द्वीपपुङ्ग कहते हैं। इसके पश्चिमोत्तरमें अखोट्स्क समुद्र, जापान समुद्र और पूर्वी समुद्र है और दक्षिण-पूर्वमें प्रशान्त महासागर है। उत्तरमें कुरील द्वीपपुङ्ग है। दक्षिण पश्चिममें शाखालीन द्वीपमाला है जिसको जापान द्वीपमालासे केवल परुष नामक जलडस्तमध्य अलग करता है। जापान द्वीपमालामें चार द्वीप मुख्य हैं—येज़ो (वा होकायदो) हाँदो (वा निष्पन), शिकोकु और किउशिड़। किउशिड़से दक्षिण लिउकिऊ वा लूचू टापू हैं जो अपना सिलस्तिला फारमोसा द्वीपतक पहुँचाते हैं। यह फारमोसा द्वीप भी लं० १६५२में चीनदें जापानके साम्राज्यमें आ गया है। जापानका दिस्तार लगभग पौने दो लाख मीलके हैं जो हमारे बड़ाल और विहारके दरवार होता है। मुल्क ऊबड़ सावड़ और पहाड़ी है। जागते और सोते ज्वालामुखी पर्वतोंसे भरा है। बारमवार भूकम्प हुश्वा

( ६ )

कहता है। भूकम्पोंसे इनकर कोई हिस्सा प्रायः वसा रहता है तो वह उत्तरीय भाग है। इन्हीं भूकम्पोंके दरसे वहाँ मकान लफटाईके बनाये जाते हैं जो दो मंजिलसे ज्यादा ऊँचे प्रायः नहीं होते। कई पर्वत दस वारह हजार कुट ऊँचे हैं। टापुले किनारे इन्हें देखे मेहे और असम हैं कि समुद्रका किनारा लगभग अठारह हजार मीलके मिल जाता है। नदियाँ छोटी हैं पर अत्यन्त वेगवानी हैं। गरमियोंमें वरफूक्के गलने और पानी उखलनेसे बड़ी तीव्र वाफवाली धारा वहने लगती है। इनसे लियार्द अच्छी होती है पर इनमें जहाज़ नहीं चलते। कित-कम, दोनों, शिनानों, किसी और इशिंकारी प्रधान “गव” शर्यांत् नदियाँ हैं। हाँदोंमें जापानकी सबसे बड़ी झील है जिसे “कीवा” कहते हैं।

ऋगुजोंमें बड़ा अन्तर है। मुख्य टापुओंमें जाड़ा इतना कड़ा पड़ता है कि कभी कभी पारातक जम जाता है। गरमी अनुस्यके स्तरकी गरमीतक पहुँच जाती है। ४० इंचसे लेकर ५५० इंचतक वर्षा भी हो जाया करती है। सबसे अधिक गरमी अलाङ्क सावन और भादोंमें पड़ती है। दक्षिण पूरब-के सारे किनारोंसे लगी हुई उत्तरी प्रशान्त महासागरकी एक धारा पहती है जिसे कुरोशिवा (कृष्ण धारा) कहते हैं। इसी लिए दक्षिण-पूर्वी भाग पश्चिमोत्तरकी अपेक्षा अधिक गरम रहते हैं। गरमीमें बड़ी भयानक बदंदरों और बग्लौवाली जाँधी उठा करती है जो शरद ऋगुके आते आते बहुत हानिकारक हो जाती है। यहाँ पाताल और जम्बूद्वीप (अमेरिका और एशिया) दोनोंके अन्तु पाये जाते हैं जिससे तिक्ष्य होता है कि किसी दुगमें जम्बूद्वीप और पाताल दोनोंसे ये टापु लिये तुप थे। यन्त्रपतियोंका भी पही शाल है। जापानी प्रायः

( ७ )

मछुली भात खाता है। चायकी भी बड़ी चाल है। चायकी खेती भी यहुतादससे होती है।

## २-समाज

शहरोंके रहनेवाले खासे चिलायती हो गये हैं। पश्चिमी सभ्यताकी कोई चीज़ नहीं जिसका वहाँ प्रचार न हो। वही चटक मटक, वही तूमतड़ाक, वही शान, वही आनंदान। नागरिक जापानी फिरसियोंकी पूरी नक़ल करता है और अपनी प्राचीन सभ्यताको प्रायः खो देता है। पर गाँववाले अभी बहुत कुछ पुरानी सभ्यताको सँभाले हुए हैं। जापानकी भौगोलिक दृष्टि भी उसकी प्राचीन सभ्यताका रक्षक है। घरोंमें चटाइयोंके सिवा कुर्सी मेज़की चाल नहीं है। जापानी अपनी थाली अपने सामने चटाईपर रखकर भोजन करता है। अधिकांश गरम हम्मामोंमें नहाते हैं जो मैदानमें बने हुए उबलते जलाशय हैं। जापानियोंमें बड़े कुटुम्बोंकी प्रथा नहीं है। बड़ेसे बड़ा कुटुम्ब प्रायः पाँच छः प्राणियोंका होता है। जापानियोंमें बड़ी जातियोंके लोग प्रायः गोरे कुछ पीलापन लिये होते हैं, चेहरे लम्बोतरे, आँखें कानकी तरफ़ तिरछी चढ़ी हुई और मुँहका घेरा छोटा होता है। कदमें जापानी लम्बा नहीं होता। ऊँचाई प्रायः सबा पाँच फुटसे अधिक नहीं होती। शारीरिक अवस्था उनकी अच्छी नहीं होती। प्रायः डुयले और कमज़ोर होते हैं। छोटी जातियोंके लोग कुछ साँचले होते हैं, आँखें सीधी होती हैं और शरीरकी बनावटमें मङ्गवृत होते हैं। जापानियोंका सिर प्रायः कुछ बड़ा होता है।

मर्द रेशमी या सूती कुर्ता और किमोगो (जापानी चोला)

पहुँचते हैं। जमरमें रेशमी कमरवन्द याँधा रहता है। शीत-  
कालमें कई किसोनो एक दूसरेके ऊपर पहन लेते हैं। और  
उनसे उपर 'काजामा' या हार्सी (जापानी कोट) पहना  
जाता है। वह बड़ा कोट घरमें रहनेके समय उतार देते हैं।  
दियाँ अच्छे एक चोला पहनती हैं, ऊपरसे 'किमोनो' पहन  
लेती है और कमरमें डेहुँ फुट चौड़ा कमरवन्द (शोधी) किमोनो  
के भी ऊपर बाँद लिबा जाता है। औरतें बालोंमें खूब तेल  
दागकर दुगड़ीदार लम्बी सूझीसे आरने वालोंको बढ़ी शर्क्को  
नहटते स्थँबार लेती हैं। एक धार बालोंको गूँथकर सातवे  
दिन खोलती हैं। केशपाशको ढीला न होने देनेके लिए गर्दन  
में मापड़ी एक छुड़ी दुर्द लकड़ीकी पट्टी लगा लेती है।

जापानी लोग सभावसे ही खुले दिल, प्रसन्न, विचारवान्  
सहिष्णु और दड़े मिठवयी होते हैं। जापानमें लोग प्रतिका  
शन समझी जाती है।

जापानकी जातादी १९५४ विं में लगभग पौने छुः फरोड़  
थी। ती फुकारोंकी संख्या आद: बराबर ही समझना चाहिए।

### ३—शिक्षा

जापानमें ६ से १४ वर्षकी अवस्थावालक प्रारम्भिक शिक्षा  
आवश्यक समझी जाती है। १९७२-७३ विं में प्रारम्भिक  
पाठशालाएँ १५,१७८, शिल्प विद्यालय ७६२४, दालोवान् ६६४,  
मध्यविद्यालयके विद्यालय ३२८, कम्यापाठशालाएँ १६६, नार्मल-  
स्कूल ८२, प्रसाल्य स्कूल २१५, उच्च कक्षाजे विद्यालय ३,  
दिव्यविद्यालय ३, और धर्मी श्रौत यूनियनके स्कूल ७१ थे।

प्रारम्भिक विद्यालयोंमें आचारशिक्षा, मातृभाषा, गणित,  
इतिज्ञाह, भूगोल, शारीरिक व्यायामको शिक्षा दो जातो है।

( ६ )

मध्य विद्यालयोंमें पूर्वोक्त विद्याओंके अतिरिक्त चीनी, शंग्रेजी, फरांसीस्ती, जर्मन भाषाएँ तथा उच्च गणित, पदार्थ विद्यान्, अर्थशास्त्र आदि पाठ-विधिमें रखे गये हैं। तोकियो, कियोतो, नोहोकु और किउशिडमें राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित हैं जिनसे बहुतसे धर्मशास्त्र, चिकित्सा, साहित्य, विद्यान्, शिल्प, हापि आदि विद्याओंके महाविद्यालयोंका सम्बन्ध है। इन चारों विश्वविद्यालयोंके उपाध्यायों और महोपाध्यायोंकी संख्या वि० १९७२-७३ में ८५५ थी। और भी बहुतसे ऐसे स्कूल हैं जो सरकारकी और सर्वसाधारणके चान्दे की सहायतासे चलते हैं।

१९७२-७३ वि०में जापानमें ६०० पुस्तकालय थे। इसी वर्षमें २८५; समाचारपत्र, मासिक, साप्ताहिक और वैनिक पत्र प्रकाशित होते थे।

#### ४—धर्म

आजकल जापानका राज्य-धर्म कुछ भी नहीं है। सभी सम्प्रदायोंको स्वतन्त्रता है। शितोधर्म और बुद्धधर्म ये दोनों मुख्य हैं। शितोधर्मकी १४ और बुद्धधर्मकी १२ शाखाएँ हैं। १९४८ वि०में वहाँ इसाइयोंका गिरजा भी स्थापित हो गया था। १९७१ वि०में जापानमें छोटे बड़े सब शितोमन्दिर १,२६,२६६, बुद्ध मन्दिर ७१५३ और १३१६ गिरजे थे। शितोधर्म जापानका अपना धर्म है। बुद्धधर्मके प्रचारक छठी शताब्दी के अन्त और लातवीं शताब्दीके प्रारम्भमें चीनसे आये थे। शितोधर्ममें नैसर्गिक देवताओंकी उपासना तथा पितरोंकी पूजा मुख्य है। मुख्य देवता अमेताराष्ट्र ( खर्यंदेव ) ही जापानके सप्ताद् भिन्नाडोका आदि वंशकर्ता हुआ है।

( १० )

अर्थात् जागन सम्राट् अपनेको सूर्यवंशी कहता है। उसके नीचे और भी बहुतसे गौण देवता हैं जो पर्वतों नदियों और अन्य भौतिक रचनाओंके अधिष्ठाता हैं बहुतेरे त्योहार तो पितृोंके ही नाम माने जाते हैं। शिन्होधर्मके मन्दिर बुद्ध मन्दिरोंकी प्रपेक्षा बहुत सादे होते हैं और पूजाविधि भी बहुत शानते नहीं होती। उच्च श्रेणीके बहुतसे लोग प्राप्त धर्मको मानते हैं।

#### ५.—उद्योग-धन्ये

अधिक उद्योग-धन्ये वही हैं जिनका सम्बन्ध खेती, बानबानी, जंगलान और मछुआटीके साथ है। सबसे मुख्य धन्या खेतीवारी है जो बहुत प्राचीनकालसे चली आ रही है। चैकड़ा पीहे लाठ आदमी खेतीवारीमें ही लगे रहते हैं। देशका बहुतसा भाग पहाड़ी द्वीपोंसे वेवन्ना पड़ा है तोभी वसे हुए भागोंपे भी उपजके मालको बाजारमें हो लानेके लिये बड़ी रुचितात्मा होती हैं। वहाँकी मुख्य उपजें, धान, जौ, गेहूँ और लद्द हैं। वहाँके किसानों और जमीनदारोंके निरन्तर परिवारसे जापानसे इधिक फसल होती है। एक वर्षमें एक ही खेतसे तीन लीन प्लाट लेते हैं। बाजरा, लेम, मटर, गेहूँ, आलू, नई, गरमाय, नील और चाय आदि पदार्थ प्रायः सब जगह ऐदा होते हैं। रेशमी कीड़ोंके पालनेके लिए शहरोंके बाया भी जगह जगह लगे रुप हैं। तम्बाकूपर जापानी सरकारजा उीका है। रेशमी फसल जापानकी मुख्य पैदावार है। जापानसे १९७६ चिठ्ठीमें क्षमा रेशम पौने चौरानवे फरोड़

( ११ )

रुपयेका, रेशमी माल, १५ करोड़ रुपयाका, और रेशमी ककरा ३० करोड़ रुपयेका विदेशमें गया।

जापानमें घोड़ा, सूअर, भेड़, बकरी, गाय बैल आदि पशु भी बहुत पाले जाते हैं। लगभग अठारह करोड़ एकड़ भूमिमें याँस; बड़े केले, सारगोन, खजूर, लाख, कपूर, मोम आदिके बृक्षोंके जंगल हैं। किउशिउ और येजोके प्रान्तोंमें कोयलेकी खानें हैं। चाँदी, ताँबा, रसांजन, सोना, गन्धक, लोहा, ग्रेफाइट् और चीनी मिट्टी भी मिलती है। और खानें भी मध्य होन्दो और येजोमें कहीं कहीं हैं। जापानमें मजूरी सत्ती है। रुई, सूतके माल रेशमी और टसरी माल, पीतलके वर्तन, चटाइयाँ, दरियाँ, चीनीके वर्तन, टोकरियाँ, बाँस और वेंतकी कारीगरी, दीयासलाई, शीशेका सामान, फलालैन, पंखे तथा लोहेके वर्तन कैची, चाकू आदि सामान अधिक विक्री है।

नागासाकीमें जहाज बनानेका एक बड़ा कारबाना है। बाकामात्सुमें लोहे और फौलादके कारबाने हैं। इसके सिवा सौमें पाँच आदमी मछुलीका ही रोज़गार करते हैं।

१९७५में जापानमें सरकारी रेलें और कम्पनीकी रेलें मिलाकर लगभग १८२४ मीलोंपर फैली हैं। एक नियत चौड़ाईकी रेलकी पटरी बिछानेकी आयोजना की गयी है जिसका सवा दो अरब रुपयेका बजट कूता गया है। यह कार्य वि० १९६०में समाप्त होगा। एक सुरक्ष १९७७ वि०में ही खुदना प्रारम्भ हो गया है जो १९८५ वि०में समाप्त हो जायगा। इस ७ मीलकी सुरक्षसे किउशिउ द्वीपसे होनेशू द्वीपमें सुगमतासे लोग आ जा सकेंगे।

जापानमें १६४१ मीलोंपर (वि० १९७५) बिजलीसे चलने वाली द्वामकी पटरी बिछ गयी है।

( १२ )

विदेशीय व्यापारके लिये जापानी सरकारने व्यापारों  
कर्मनियोंको नियुक्त किया है। ४ मुख्य जहाजी मार्ग खुले  
हुए हैं। १. उत्तर अमरीकाकी ओर, २. दक्षिण अमरीकाकी  
ओर ३. यूरोपी ओर, ४. आस्ट्रेलियाकी, ओर । कोरिया,  
उत्तरी चीन और चंगसीकियांगके बन्दरोंपर भी जापानी  
जहाजोंके मार्ग खुले हुए हैं।

फलतः जापानकी अपनी स्थिति सभ्य संसारमें किसी  
यूरोपी राष्ट्रसे कम नहीं रही। संसारकी सबसे बड़ी राज्य-  
सत्ताओंमें जापान भी एक गिना जाता है।

#### ६.—इतिहास

जापानी पुराणोंके अनुसार जापानी द्वीयोंको खूर्च्येवता-  
ने बनाया था। उन्होंके बंशमें जापानी राजवंशके मूलपुरुष  
जिम्मूने ६०३ विं पूर्वमें अपना राज्य स्थापित किया था।  
एक प्रसिद्ध दूनकायाके अनुसार राजी दिगोने २७६ विं में  
कोरियाकी विजय की थी। नमीसे कोरियाकी सभ्यताका  
जापानपर प्रभाव पड़ना प्रारम्भ हुआ। छठी शतांच्चीके  
प्रारम्भमें दौद्धर्वनी फैला। बहुराजा द्वालानजी हत्याके पीछे  
रानी त्वाक्जोने दौद्धर्वनीलो दर्ढी टड़तासे फैलाया। चीनके  
साथ दड़ी गाड़ी भिनता हो गयी और चीनी सभ्यता पहुत  
शीघ्र अपनाली गयी। रानी त्वाक्जो सोगायश की थी।  
बहु बंश उन्न लगद प्रदान हो गया था परन्तु कोन्दोक्षु बंशकी  
रानीमें शान्तनु (६४—७०) जोगायंशका यौवन छल हुका  
था। इसके पीछे राजा कोन्दोक्षु गद्दीपर पैठा। इसके बाद  
राजपाटका काम राजनीतिक भानातारीके हाथमें आया। यही

चतुर व्यक्ति प्रसिद्ध फूजिवारा वंशका संस्थापक हुआ । ५ शताब्दियोंतक इस वंशकी प्रबलता रही तो भी महाराजा की पदधी प्राप्त न थी । वंशपरम्परागत राजप्रतिनिधि पदसे ही सन्तुष्ट थे । इन्हींके शासनकालमें जापानकी शासन शक्ति और सभ्यताकी बड़ी वृद्धि हुई ।

वीं शताब्दीमें एक धर्मव्यवस्था-पुस्तक तथ्यार हुई । राजाका ज्ञार यहुत कुछ घट गया और फूजिवारा वंशका वल-बहुत बढ़ गया । एक कानून ऐसा बन गया कि महाराजाके हरेक शासनसम्बन्धी कामपर राजप्रतिनिधिका नियन्त्रण आवश्यक हो गया । इसी कालमें धार्मिक संस्था और सेना-विभागका भी बहुत बल बढ़ा । १२ वीं शताब्दीतक जापान बड़ा ही सुखी और समृद्ध रहा । इसके पीछे मिनोमोती और तायरा दो सम्प्रदायोंमें बड़ा विरोध हो गया । यह कियोतो-की राजगद्दीके लिए था । होते होते इस झगड़ेने ऐसा भया-नक रुप धारण किया कि पाँच शताब्दियोंतक युद्ध चलता रहा । फूजिवारा वंश दोनोंके लिए समान था । फूजिवारा वंशके अधिकारी उसीके सिरपर राजमुकुट रखते थे जो संभाल सकता था । १२१६ विं में तायरा और मिनोमोती दोनों दलोंके हो प्रबल नेता गद्दीके लिए उठ खड़े हुए । तायरा दलकी विजय हुई । नीजोंको राजगद्दी दी गयी । दूसरे दलका नेता योशितोमो मार डाला गया और उसका पुश्योरीतोमो भाग गया । कुछ काल पीछे योरीतोमोने तायरा दलके विरोधमें बड़ी सेना इकट्ठी करके और अपने भाई योशितसुतेकी सहायतासे तायरा दलको परास्त किया और शासनकी दागडोर अपने हाथमें करके जापानका शासक बन बैठा । मिकादो अब केवल नाम मात्रका राजा रह गया ।

शोगून फ्रेग्ल नाम माझके लिए किकादोक्तो फर भेळ देता था । अलहमें वागलोट शोगूनदे द्वारमें थी । योरितोमोने अपने शासनफा केन्द्र फामाकुरा स्थानपट बनाया । और छावनियोंजा विशेष रूपसे द्वारपत्र फरके शासन किया । चि० १२५५में वह मर गया । उसके पछात् उसका श्वसुर होजो नोकित्साला सद कारणारफा मालिक बना और उसके बंशज भी शिकेन वा शोगूनोंके व्यवस्थापक्के नामसे प्रसिद्ध हुए ।

होजो बंशजोंका बल इतना अधिक वढ़ चुका था कि उनका बल घटानेके लिए कियोतोके राजाने १२६८ चि०में सेना भेजी । होजोके बंशजोंने उसका पूरा मुकाबला किया । और राजाको गहरीसे उत्तार कर देशसे निकाल दिया । फलतः होजोके बंशजोंमें श्रगले सौ वर्षोंके लिए बरादर ज़ोर बना ही रहा । वे शपने शिकेनके पदपर बरादर जमे रहे और शोगूनार्ह और राजगहीका मान नाममात्रको रह गया । इन्हींके शासनमें मंगोल लोगोंका बड़ा भारी आक्रमण हुआ । १३३१ चि०में पहला धावा रोका गया । मंगोल लाचार द्वोकर चीनकी ओर लौट गये । मंगोल विजेता छुबला खँने अपना राजदूत फर उगाहनेको भेजा, इसपर विशेष ध्यान न देकर जापान सरकारने राजदूतोंको भरषा डाला । इसपर याक़ा बड़ा भारी लड़ाउ देढ़ा १३३८ चि०में जापान समुद्रमें दिसार्ह पड़ा । शशुको लितनी ही पहँची सेना रही हो पर जापान द्वीपपर पैर रखनेकी इमत न थी । जापानियोंने इस अवसरपर धनेक जाम घड़ी धीरत्ताके किये । अन्तमें चीनी देढ़ा यापसे आप तूफानसे छितरा गया । हुछ एक ही पचास तासा टापूमें पहुँचे । घट्ठा भी उन जभागोंको शरण न मिली । जापानी उनपर छूट पड़े और उनका फाम तसाम फर दिया ।

( १५ )

१३ वीं शताब्दीके अन्तमें मिकादोने शिकेन लोगोंकी डुर्गाईका अन्त कर देना चाहा । पर वह असफल रहा, यद्यपि उलटे उसे ही कारावासका दरड़ मिला । तो भी इस समय मिकादोके पक्षमें सेनापति नित्ता, योशिदा, आशिकागा तकाऊजी आदि बड़े बड़े समर्थ पुरुष थे । उन्होंने होजो वंशजोंको लोहेके चना चबवाए । होजो लोगोंको परास्त किया और उन्हें देशसे बाहर निकालकर पुनः गोदायगोंको ही राजसिंहासनपर बैठाया (१३६०२ विं) ।

गोदायगो राजगद्वीपर बैठकर भी कोई बड़े अधिकार न पा सका क्योंकि विं १३६३में ही आशिकागा तकाऊजीकी शोगूनाई प्रबल हो गयी । उसका विरोध करनेपर गोदायगो-को गद्वीसे उतार दिया गया और नया मिकादो गद्वीपर बैठाया गया । ५० सालतक दो विरोधी राजवंश गद्वीके लिए खड़े होते रहे, एक जापानके दक्षिणी भागमें और दूसरे उत्तरी भागमें । ये दोनों दल योशिमित्सुकी शोगूनाई शासनमें गोकोमात्सुके राज्यकालमें (१६३० विं) परस्पर मिल गये । १५ वीं शताब्दीमें शोगूनाईका पद सर्वथा निर्वल पड़ गया । सारा देश भीतरी युद्धोंसे जर्जरित हो गया और जागीरदारों और ताल्लुकेदारोंमें बरावर लाठी तत्त्वारं चलती रहीं ।

हिदेयोशी इयेयासु और नावूनागा इन तीन सेनापतियोंके प्रबल प्रयत्नसे इस घोर अराजकताका अन्त हुआ । इनमें नावूनागा जापानके इतिहासका एक प्रसिद्ध व्यक्ति है । उसने एचिजन, और अन्य पाँच प्रान्तोंका शासन अपने हाथमें लिया । आशिकागा योशिश्राकाको अपना शोगून बनाया और मिकादोके नामपर सारा शासनका कार्य चलाना प्रारम्भ किया । विं १६३६ में उसका बात किया गया । इसके बाद सेनापति

( १६ )

हिंदेयोशीने देशमें व्यवस्था बनाये रखनेका कार्य अपने इधर से लिया । राजासे उतरकर दूसरे नम्ररपर यही था । उसने कियोतो और ओसाका नगरपर किलावन्दीको और बहुतसे संशोधन किये और पोर्टुगीज लोगोंको ईसाई मत कैलानेसे रोका । उसके मरे पीछे १६५४ विं में उसके छाते तोकूगावा इयेयास्ते प्रधान बल पकड़ा । ईसाइयोंको उसने खूब दबाया । साथ ही हिंदेयोशीके छोटे बेटेको शोगुन्ना बनाकर विरोधमें खड़ा होनेवाले सर्दारों और जागीर-दारोंको (१६५७ विं) दबाया । १६६० विं में उसने सारे जापानको अपने अधिकारमें करके स्वतः शोगून बन गया । १६७२ विं में ओसाका स्वानपर ईसाइयोंका पराजय ही जापान भरके लिए उस समय बड़े महत्वकी घटना थी । इयेयास्ते ताल्लुकेदारी राज चलाया जिसको उसके पोते इयेयास्तुने और भी ढूँढ़ कर दिया । इसकी चलायी तोकूगावा सरकार १६५४ विं तक बनी रही । इनकी शोगुनाईमें जापानकी शान्ति सुखसमृद्धि खूब बढ़ी । १६१० विं तक जापानसे विदेशी निकाल बाहर कर दिये गये । इसके पीछे अमरीका वर्तानिया, रूस, आदि देशोंसे व्यापारी सन्धि की गयी । और देशी व्यापारियोंके लिए भी कई यन्दरगाहोंके रास्ते खोल दिये गये ।

शोगून पदका बल बहुत घट गया । विदेशियोंके चरण पड़ते ही जागीरदारों और ताल्लुकेदारोंका शासन टूट गया । अन्तिम शोगूनका १६२४ तक राज्य रहा इसके बाद शोगून इल और राजदलमें संग्राम छिड़ गया और १६२५ विं में राजपदकी ही विजय हुई । इसके बाद मिकादोने अपनी राजधानी तोकियो बनायी । फूजिधारा वंशके शासनमें जबले

( १७ )

मिकादोकी श्रपनी मानमर्यादा नामभाष रह गयी थी तबसे अवतक यह प्रथम अवसर था कि पदचीधारी मिकादो अब जापानका संघा शासक बन गया । ताणुकेदारी शासनका लोप हो गया । वौद्धधर्मपर शिन्तोधर्मने विजय पायी । जल थल दोनों सेनाओंका सङ्घठन किया गया । रेल और डाकका प्रबन्ध किया गया । और भी बहुतसे सुधार एप । १९२६ वि०में तोक्योमें भयंकर आग लगी । सारा नगर जलकर भस्म हो गया । नगर नये सिरेसे बनाया गया । लकड़ीके मकानोंकी जगह पत्थरकी इमारतें खड़ी की गयीं । तबसे ही गुलामी भी जापानसे लदाके लिए विदा हो गयी ।

१९३१ वि०में जापानके एक भागमें कोरियापर आक्रमण करनेको बड़ा उत्थान प्रारम्भ हुआ जो शीघ्र ही शान्त हो गया । इसी वर्ष फार्मोसा टापूमें कुछ जहाजियोंका एक दल भेजा गया । पर वहाँके ज़फ़्ली लोगोंने कुछ जहाजियोंको मार डाला । उस समय फार्मोसापर चीनका शोसन था । इसी प्रसङ्गमें चीनसे फार्मोसाके लिए तकरार छिड़ गयी । और फलतः चीनको लगभग २२ लाख रुपये की क्षतिपूर्ति करनी पड़ी । १९३४ वि०में सातसुमामें दोह हैदा हुआ जो शीघ्र ही दवा दिया गया । सायगो आदि अनेक नेता इसमें स्वतः या अपने मित्रोंके हाथसे ही मारे गये । वि० १९३५में डाकका प्रबन्ध बढ़ाया गया । १९३६ वि०में लुचू द्वीपमाला-को अधिकारमें किया गया । वि० १९४५में मिकादोका नवराज्य-सङ्घठन-विधयक प्रतिशापन प्रकाशित हुआ और अगले सर्व ही शिक्षाको आवश्यक कर दिया गया । १९४६ वि०में नव-शासनपद्धतिकी स्थापना हुई और स्वको धर्मविषयक स्वतन्त्रता ही गयी । आमलीका आदि देशोंसे फिरसे सन्धियाँ

( १८ )

की गयीं । विदेशियोंसे विशेष विभेदका भाव मिटा दिया गया ।

कोरियाके लिए १९५१ विं में चीनसे लड़ाई छिड़ी और अन्तमें वह सन्धि की गयी कि चीन कोरिया प्रान्तमें बिना मिकादोको सूचना दिये अपनी सेना न लावे । परन्तु चीनने इस सन्धिके विपरीत मनस्तानी की और अपनी सेनाएँ कोरियामें भेजीं । इसपर जापानने युद्ध की धमक्की दी । चीनने अन्तकी की कुछ परवान की और १९५१ विंके शावण मास में लड़ाई लिये गयी । आसानके पहले लुहाल्लरेमें चीनकी लुही हार हुई । छुच योछे कोरिया और जापानमें सन्धि हो गयी । लूहके बाद जापानने ली-इन-चांग, तीउ-चांग आदि स्थानमें विजय पायी और ओयामाने रोट्ट-आर्थरकी बड़ी प्रसिद्ध विजय की । चीन भी कई जगह बराबर हारता गया और जापानकी विजय ही विजय हुई । १९५२ विंमें सन्धि हो गयी जिससे जापानके चीयोपार्जित देश जापानके हाथमें रहे जिसमें फार्मोसिस तियाओ और ऐस्कार्डस आदि स्थान भी समिलित थे । कोरियाको स्वतन्त्र कर दिया । चीनको हजारों देना पड़ा और कई बन्दरगाह भी विदेशी व्यापारियों-के लिये खोल देने पड़े । जापानने एक बार फिर कोरियालर प्रभुताकी आवाज़ उठायी और ज़ज़ फिर छिड़ी गयी । अद्दके बर्तनिया और अमरीकावाले भी अपनी टाँग छड़ाये थे । आजिर सन्धियाँ की गयीं । १९५४में जापानकी अंग्रेज़ोंसे मित्रता हो गयी ।

### ७—खस-जापानका युद्ध

मानचूरियामें खस बराबर बढ़ता चला आ रहा था । खसी-से जापान और खसमें मनमुदाव पैदा हो गया । खसकी साँदा

जोरियापर थी । जापानसे न सहा गया । १९५४ में शुद्ध छिड़ गया । रूसने अपनी जहाज़ी सेना पोर्ट-आर्थर ब्लेडिवोस्के और अन्य कई बन्दरोंपर स्थापित की थी । जापानियोंने इन्हीं स्थानोंपर यूरोपसे नयी सहायता पहुँचनेके पूर्व ही धावा बोलनेकी सोची ।

सेनापति नोगीने निःशङ्क होकर पोर्ट आर्थरपर धावा किया और कपान कुरोकीकी थल-सेनाने कोरियावालोंसे सन्धि करके लेसियोंको बड़ी बीरतासे निकाल बाहर किया । बादमें रुसी सेनापति मकराफका बेड़ा आया परन्तु जापानी पनडुब्बे गोलोंकी भपेटमें आकर स्वतः रसातलमें ढूब गया । द्यैत्रमें रुसी जनरल कुरोपाटकिनने लियोंयांगको केन्द्र बनाकर सफलता पानी चाही परन्तु जापानियोंके प्रवल बेग और नीतिके सामने उनकी सारी बीरता हरन हो गयी । पोर्ट आर्थरपर दोनों पक्षोंका बड़ा आग्रह रहा पर विजयधी जापान-के हाथ आयी । रूसको पीछे हटना पड़ा ।

चीनमें लघके समाज व्यापारिक अधिकारके विषयमें १९६२में जापानकी अंग्रेज़ोंसे सन्धि हुई । १९६६में कोरियाजी सीमाके विषयमें चीनसे सन्धि हुई । १९६९में मिकादो मुत्सु-हितोने शरीरके साथ राज्य छोड़ा और योपितो मिकादोके राज्यासनपर विराजे जो वर्तमान जापानी सभ्राट हैं ।

#### —उपलंघ्यार

हमने जापानपर एक सरसरी निगाह डाली है । उसका भूगोल, उसका समाज, उसका व्यापार, उसकी शिक्षा और उसका इतिहास स्थूल विष्ये देखा । पाठक एक बार अरा पुरानी दुनियाके नक्शोंको अपने सामने फैलाकर देखें—हम

( २० )

जिले पुरानी दुनियाँ कहते हैं उसका नकशा नहीं बिल्कु जिसे पच्छाहीं पुरानी दुनिया कहते आये हैं उसका । फिर अग्रियोंकी पुरानी दुनियाँके पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर भाग दोनों ही सहालागरोंसे बिरे हैं । पच्छममें अटलांटिक और पूर्वमें प्रशान्त महासागर है । दोनोंमें एक ही हंगकी द्वीपमाला पड़ती है—एक और वर्तानिया दूसरी और जापान । कोई दिन था कि वर्तानियाने फ्रांसका एक बड़ा भाग हड्डप रखा था । आज कोरियाको जापान दबाये बैठा है । वर्तानियाने पश्चिमी समुद्रोंको घेर लिया है और जापानने पूर्वी समुद्रोंको । वर्तानियाँका अधिकार कई लौ वरस्से फैल रहा है । रस्से लड़कर जापानने अपनी धाक बिठा ली, वर्तानियाकी धाक मुहूर्तसे बैठी हुर्द है । जापानने अपनी शानशैकृत अपना दबदवा अपनी शक्ति युरोपके हंगोंको अपनाकर इतनी बढ़ायी कि अब उसको भारी शक्तियोंकी पंचायतमें और शक्तियाँ लाचार होकर शरीक करती हैं । पच्छममें वर्तानियाँने जैसे निर्णायिक पदका द्वारा कर रखा है पूर्वमें जापानने भी एशिया-भाष्य-विधाता बननेका हौसला मुहूर्तसे कर रखा है । युरोपके किली झगड़ेके अवसरपर जापान अपना रोब जमानेमें आजतक नहीं चूका । आज भी अमरीकाकी निगाहोंमें वर्तानियाँका उतना डर नहीं है जितना जापानका और आये दिन दोनोंमें छिड़ जानेका खटका इना हुआ है ।

जब युरोपवाले लड़ाईमें भिड़े हुए थे अमरीका और अत्याधिकारी लड़ाईकी पूरी तव्यातीमें थे । फल यह हुआ कि आठ संसार इन्हीं दो देशोंके व्यापारका खिलौना हो रहा है । परन्तु जापान कई दातांमें अमरीकासे फिर भी चढ़ा बढ़ा है और अमरीकाकी ईर्षा बेदुनियाद नहीं है ।

जापानकी इतनी समृद्धि किन कारणोंसे हुई ? भारतफे  
लिए यह समृद्धि कहाँतक स्पृहरायी है ? जापानको देखकर  
हमारे मनमें स्वभावसे ही यह प्रश्न उठते हैं। हमने जापानपर  
जो सरसरी निगाह डाली है उससे साफ़ जाहिर है कि  
जापानने अपनी भौगोलिक स्थितिसे, युरोपीय सभ्यताको  
नकल करके पूरा फायदा उठाया है। जापानकी असली सभ्यता  
शुद्ध एशियाई सभ्यता है। परन्तु उसने कुछ ही वरसोंमें  
अपना रंग बदल दिया। अपनी सभ्यता खासी युरोपकी सी  
कर ली। उसने भी पैसोंको ही अपना परमेश्वर बना डाला।  
पशुबलको ही अपनी शक्तिका स्थान दिया। धर्मको सभ्यताके  
पीछे ढकेल दिया। वीस वरससे अधिक हुए बड़ा शोर था  
कि जापान अपना महत्व बढ़ानेके लिए ईस्टाई मतको राज-  
धर्म बनाना चाहता है और युरोपीय राष्ट्रोंसे वैवाहिक  
सम्बन्ध करनेवाला है। यह बात भी प्रसिद्ध है कि हर्बर्ट  
स्पैसरने पिछली बातका विरोध किया था। निदान जापानको  
कोई निजी चीज़ इतनी प्यारी न थी कि युरोपीय शैतानी  
सभ्यताके बदले बेचनेको तथ्यार न होता और आज भी  
उसका जो कुछ रूप है उससे उसकी पेसी अनिष्ट प्रवृत्ति  
उत्तरोत्तर बढ़ती ही दीखती है। जापान यांत्रिक सभ्यताका  
दास हो रहा है। उसका शासनयंत्र भी आज युरोपका ही है।

जापानकी ऋसपर विजय, जापानकी दौलत, जापानकी  
इतनी जल्दी उन्नति देखकर हम भारतीय सुख्य हैं। बात यांते  
में उसका उदाहरण देना, उसे अपना आदर्श ठहराना फैशन  
हो गया है। हमारे अनेक भाई तो उस पर जी जानसे निछुआवर  
हैं, समझते हैं कि वह हमारासाही देश है और कितने ही इतने  
दिलदादः थे कि समझते थे कि जापानका राज भारतपर हो

जाय तो हमारा भला होगा । परन्तु वह इन सब घातोंमें ग़लेप  
नतीजे, भासक परिणाम, निकालते हैं । दोनों देशोंकी भौगो-  
लिक अवस्था एक दम भिन्न है । जापानमें स्वराज नहीं है ।  
पूर्वी सम्यता जापानियोंके हवयमें शायद ऐसी मजबूतीसे  
नहीं गड़ी थी जितनी भारतवर्षमें । जापानमें आज युरोपीय  
सभ्यताका राज है, पश्चिमी पञ्चतिका शालन है, और पश्चि-  
मीय पञ्चति, विशेषतः जैसी वर्तानियाकी है, वस्तुतः स्वराज्य  
नहीं है । भारतवर्ष जिस तरह पश्चिमीय पञ्चतिके कोल्हमें  
यत्तानियाँ डारा बिल रहा है, कोरियाके साथ जापानका  
वर्ताव उससे कम कठोर और पाश्विक नहीं है । वर्तानिया  
आज जितनी घरेलू विपत्तियाँ भेल रहा है । जापान उनसे—  
यदि अपना रुख न बदले—वच नहीं सकता । भारतवर्षकी  
रक्षा उसके धर्मकी रक्षामें है, न कि “भयावह परथर्म” के  
प्रहरण करने में ।

डाक्टर उयेहाराने जापानके राजनैतिक विकासका विस्तार-  
से दिग्दर्शन किया है । यह अन्धरक्ष पाठकोंको इस विषयसे भैंट  
ऐ कि वह जापानकी दशापर स्वतन्त्र रूपसे विचार करें और  
देशकी दशापर ध्यान कर देखें कि हम किस ढंगसे अपने  
विकासमें सफल हो सकते हैं । क्या जापान हमारे लिए  
अनुकरणीय हो सकता है ? क्या उसके आदर्शपर चलना  
हमारे लिए थेवस्क होगा ? क्या किसी दिन जापान हमारे  
लिए हानिकर न होगा ? वह क्या सूरतें हैं जिनसे कोई भी  
विदेशी राज्य हमें हानि न पहुँचा सके ? यहो प्रश्न हैं जिनपर  
चिन्नार करना पाठकोंका कर्तव्य है ।

इति

## ग्रन्थकारकी भूमिका

हमारे शासन-पद्धति-सम्बन्धी आन्दोलनसे प्रतिनिधिक शासन-पद्धति तथा अन्य प्रतिनिधिक संस्था प्रदृष्ट हुई हैं। इस ग्रन्थमें इसी पद्धतिकी खोज करनेका प्रयत्न किया गया है।

ग्रन्थके प्रारम्भमें लगी विषय-सूची और घटनाक्रमसे इसके केज़ और शैलीका पूरा पता लग जाता है। इस अवसरमें मैं उन सज्जनोंको धन्यवाद देतां हूँ जिन्होंने इस ग्रन्थके निर्माणमें विशेष सामग्री दी और अपनी आलोचना और विशेष विधियाँ दर्शाकर पढ़ी सहायता की है।

संघसे प्रथम मैं मिठा ग्रहम वालेस (अर्थशास्त्रके अध्यापक लण्डन) का, विशेषरूपसे झरणी हूँ। आपने न केवल इस ग्रन्थकी रचनाकी प्रथम प्रेरणा ही की थी प्रत्युत इसके सामग्री संचयके कार्यमें भी बहुत बड़ी सहायता दी और मेरे हस्त-लिखित ग्रन्थको भी स्वतः सादृश्यता पढ़नेकी कृपा की।

मैं प्रतिनिधि परिपद्धके प्रधान मन्त्री मिठा कामेतारो हाया शिदाका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुतसी घटनाएँ और मूल्यवान विशेष वाले घटलाकर मेरा बड़ा उपकार किया। मैं मिठा शिगेयोशी कूदोके प्रति अपनेको आभारी लिखनेमें भी बड़ा हर्ष अनुभव करता हूँ। आपके बनाये “तेज्ज्ञोऽग्नि गिक्काईशी” और “गिक्काईशिको” दोनों ग्रन्थोंसे मुझे बहुत अधिक सहायता मिली है।

अन्त में मैं श्रीमती पड़वर्ड्स् और श्रीमती वालेसको तथा अन्य मित्रों और सहायकोंको भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।



## विषय-सूची

### भूमिका

### प्रथम परिच्छेद

#### जापान और उसके राजनीतिक संस्कार

जातिविषयक समस्या	...	...	...	४
राष्ट्रकी जातीय विशेषताओं पर देशकी नैसर्गिक परिस्थितिक प्रभाव	...	...	...	५
जागीरदारों के शासन कालमें जापानकी आर्थिक अवस्थाएँ	...	...	...	१०
सामाजिक दशाएँ	...	...	...	१२
पुराने जापानमें क्रमधन्द व्यवस्थाग्रन्थका अभाव	...	...	...	१८
जापानकी वर्तमान प्रगतिमें मुख्य जारण सब भाषा से अधिक आत्मरक्षाका भाव	...	...	...	२२
जनताके विचारोंमें एकता	...	...	...	२५

---

### द्वितीय परिच्छेद

#### जापान और उसके राजनीतिक संस्कार

समाजका दैवी अधिकार और उसका राजनीतिक आदर	२६		
विवेशी धर्म दर्शन, शाचारवादों और राजनीतिक सिद्धान्तोंका मन्द प्रभाव	...	...	३०

( २६ )

प्रजाके प्रति राजाका पितृभाष्य	...	...	३१
लम्भाद्वेषप्रति जनताका भाव	...	...	३२
कर्ह शताव्दियोंतक सम्माद्वी वैयक्तिक शासनसचाका अभाव	...	...	३४
द्वार्चिर्वाँ और सैनिक अधिकारियोंका शासन	...	...	३६
स्वैरशासन सर्वसाधारण सत्ताका क्रियात्मक मिश्रण	...	३७	
शासकोंके प्रति जापानियोंका भाव	...	४०-४१	
जापानी राष्ट्रजी सामाजिक प्रवृत्ति	...	४२	
पाश्चात्य सभ्यता और जापानी सभ्यताकी तुलना	...	४५	
जापानकी अवस्थाका निरन्तर परिवर्तन	...	४७	

## प्रथम भाग

### पुनः स्थापना तथा संघटनान्वोलन

#### प्रथम परिच्छेद

##### सं० १९२४, पुनः स्थापना

###### १. पुनः स्थापनाके पूर्वकी राजनीतिक अवस्था

स्वमूलक राष्ट्रीय नीति	...	...	५३
ताल्युकेदारी शासनका अभ्युदय	...	...	५७
तोक्गावा सरकारकी शासनपद्धति	...	...	५९

###### २. पुनः स्थापना

शिक्षा और शिन्तोधर्मका पुनरभ्युदय	...	...	६२
लेनापति पेरीका आगमन	...	...	६४

( २७ )

पार्थिव देशोंके साथ की गयी सन्धिका परिणाम	...	६९
लम्बाट्को पुनः अधिकारदान	...	७०
विदेश सम्पर्क विरोधियोंकी भड़क	...	७१
सुवर्णके सिद्धके की समस्या	...	७२
शौगून केकीका पदत्याग	...	७२
हेरीपार्कसका शोगूनसे पञ्च व्यवहार	...	७४
पुनः स्थापना कालमें राजनीतिक गड़बड़	...	७६
पुनः स्थापनाके भावी लक्षण	...	७७
शासनपद्धतिका नवीनसंगठन	...	७८
पुरानी रीतियाँ और दर्वारकी कार्यवाहीको गुप्त रखने-की प्रथाका मूलोच्छेद	...	८०
विदेशी राष्ट्रोंके प्रति नवीन संघटनकी नीति	...	८०
राजधानीका परिवर्तन	...	८२
सिद्धान्तपञ्चकका शपथपञ्च	...	८३
कोणिशो नामक सभाकी स्थापना	...	८३
पूर्व और पश्चिम ग्रान्तोंके दाइमियोंमें परस्पर विरोध ताल्लुके दारी शासनका अन्त	...	८६

### द्वितीय परिच्छेद

राष्ट्रसङ्घटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था	...	...	...	...	...	५१
योरोपके अनुकरणके विचारसे पुनः स्थापनाकी स्कीमका अवश्यस्माची परिणाम, जापानमें राष्ट्रसङ्घटनका उद्योग	...	...	...	...	...	५३
प्रतिष्ठापनका अर्थ	...	...	...	...	...	५३

( २८ )

भासूल सुधारवादी नेताशौके चित्तमें प्रतिनिधिक राज्यपद्धतिके विचारोंका उद्य ... ...	६६
भठारहवीं सदीके पाष्ठात्य राजनैतिक अर्थशालाका प्रभाव ... ... ... ...	१००
कोसियाके प्रभापर प्रमुख राजनीतिशोंका उम्र मतभेद ...	१०९
इतागाकी और उसके मिश्रोंका आवेदनपत्र ....	११२
आवेदनपत्रका सरकारी उत्तर ... ...	११५
आवेदनपत्रके विरोधमें डा० केतो ... ...	११६
आन्तीय शासकोंकी परिपद्ध स्थापित करनेकी और सरकारी घोषणा ... ... ...	१२०
ओसाका सम्मेलन ... ... ...	१२०
उदार मतवादियोंका आन्दोलन ... ...	१२१
सातसुमामें गदर... ... ...	१२२
राष्ट्रीय सभा स्थापनार्थ संयुक्तसमाज विषयक प्रार्थनापत्र ... ... ...	१२४
ओकुमाका उपाय ... ... ...	१२५
कुरोदाकी भारी भूल ... ... ...	१२७
वि० १९३८ के अधिन भासमें राजघोषणा ...	१२७

### तृतीय परिच्छेद

#### सङ्घटनान्दोलनका द्वितीय अभिनव

उदार दल और उसका कार्यक्रम ... ...	१२६
सङ्घटना सुधारवादी दल और उसका कार्यक्रम ...	१३२
सङ्घटनात्मक साम्राज्यवादी दल और उसका कार्यक्रम	१३४

( २६ )

साम्राज्यके आधिपत्यके मुख्य प्रश्नपर घादविवाद ...	१३६
प्रेस्ट-कानून और सभासमाज कानून ... ...	१४०
उदार दल और प्रागतिक दलमें परस्पर त. त. में में ...	१४१
गुप्त यन्त्रणा और राज्यद्रोह ... ...	१४२
सरकारी प्रतिष्ठाका पुनः स्थापन ... ...	१४७
मन्त्रिमण्डलकी काया पलट ... ...	१४८
सरकारी ओहदोंके लिए उचित परीक्षा ... ...	१४९
प्रबल एकतावादी दलका सङ्गठन ... ...	१५१
शान्तिरक्षा कानून ... ...	१५३
तोकतन्त्र शासन प्रणालीका प्रवर्तन ... ...	१५५
प्रथम सार्वजनिक निर्वाचन कालमें राजनीतिक दशा	१५६

---

## द्वितीय भाग

### सङ्घटनके सिद्धान्तोंपर विचार

#### प्रथम परिच्छेद

##### सदृश्यकी सीमामें सम्भाद

शासनपद्धतिके घटक तात्त्विक सिद्धान्त... ...	१७६
सम्भादका धर्मविवाहका अधिकार ... ...	१८१
“ शासनाधिकार ... ...	१८६
जल और धर्म सेनामोंपर सम्भादका पूर्ण आधिपत्य... ...	१८७
सन्धिविप्रह कर्तव्यका सम्भादको अधिकार ... ...	१८७
सम्भादका न्यायसंस्कर्त्वा अधिकार ... ...	१८८

( ३० )

अमरीकाके संयुक्त राष्ट्रोंकी शासनपद्धतिके निर्मा-						
ताओंके सदृश जापानी शासनपद्धतिके निर्मा-						
ताओंकी भी न्याय-विभागके खतन्त्र रहने-						
विषयक धारणा ... ... ... ...						१८६
संयुक्त राष्ट्रके प्रधान अथवा ज़िला न्यायालयोंकी...						
जापानके न्यायालयोंसे तुलना ... ... ...						१८७
शासनप्रबन्धसम्बन्धी न्यायालय या न्यायमन्दिर ...						१८०
शासनपद्धतिका संशोधनसम्बन्धी अंश ...						१८१
जापानमें राजसिंहासनाधिकारकी इंगिलिस्तानकी पद्धति-						
से तुलना ... ... ...						१८५

---

### द्वितीय परिच्छेद

#### मन्त्रिमण्डल और मन्त्रपरिषद्

वर्तमानमन्त्रिमण्डल पद्धतिका प्रादुर्भाव और विकास	१८७
जापानी मन्त्रिमण्डलके मन्त्रियोंकी इंगिलिस्तानके मन्त्रि-	
योंमें तुलना... ... ...	१८८
मन्त्रिमण्डलके अधिकार ... ... ...	२००
मन्त्रिमण्डल और राष्ट्रीय सभामें सम्बन्ध ...	२०१
राष्ट्रके आयव्यवपर राष्ट्रीयसभाका अधिकार ...	२०३
मर्यादासे अधिक व्यवपर सभाका अपर्याप्त नियन्त्रण	२०५

#### सन्त्रपरिषद्

मन्त्रपरिषद्का सङ्गठन ... ... ...	२०७
मन्त्रपरिषद्के कार्य ... ... ...	२०८
मन्त्रिमण्डल और मन्त्रपरिषद्में सम्बन्ध ...	२०९

( ३१ )

## तृतीय परिच्छेद

### राष्ट्रीय सभा

राष्ट्रीय सभाकी दो परिपदोंका सङ्गठन ...	...	२१२
प्रार्थनापञ्च स्वीकार करनेका अधिकार ...	...	२१३
ग्रथ करनेका अधिकार ...	...	२१४
सम्बाट्की सेवामें शावेदवपञ्च भेजनेका अधिकार ...	...	२१७
सभाके इस अधिकारका विचित्र उपयोग ...	...	२१९
प्रतिनिधि सभाद्वारा निवेदनपञ्च भेजनेका अधिकार ...		२२०
अन्य गौण अधिकार और खत्त ...	...	२२४
जापानकी सभाद्वयपञ्चतिका इंगिलस्तान, फ्रांस और संयुक्त-प्रान्त अमरीकाकी सभाद्वयपञ्चतियाँसे तुलना २२५		
राष्ट्रीय सभाके दोनों परिपदोंका मन्त्रिमण्डलसे सम्बन्ध २२६		

## चतुर्थ परिच्छेद

### निर्वाचनपञ्चति

निर्वाचकोंकी संख्यामें परिवर्तन होनेसे इंगिलस्तानके सङ्गठनमें अधिकारविप्रमता ...	...	२३३
निर्वाचन कानूनका भस्त्रविदा ...	...	२३४
निर्वाचक और उम्मेदवारोंकी शर्तें ...	...	२३५
पुरानी निर्वाचन पञ्चतिके मुख्य दोष ...	...	२३६
प्रकट मत देनेकी शैलीके गुण और दोष ...	...	२३७
१९५२ विं का निर्वाचन सुधार विल ...	...	२४०
१९५५ का इतोका सुधार विल ...	...	२४०

( ३२ )

यामागाता भन्त्रिमरणलक्ष के निर्वाचन सुधार विल ...	२४२
नये निर्वाचन कानून के अनुसार निर्वाचन पद्धति ...	२४५

---

### पञ्चम परिच्छेद

जापानी प्रजाजगोंके स्वत्व और अधिकार वैयक्तिक स्वतन्त्रताके सम्बन्धमें सङ्घटनके निर्माताओंके	
विचार ... ... ... ...	२४७
सङ्घटनके अनुसार विशिष्ट स्वत्व ... ...	२४८
सम्पत्ति-सम्यन्त्री स्वत्व ... ...	२४९
सब प्रकारके स्वत्वोंका समान आधार ... ...	२४९
अनुच्छरदायी शासनके दोपाँको हटानेके उपायका अभाव	२५०

---

### तृतीय भाग

#### सङ्घटनकी कार्य-प्रणाली

### प्रथम परिच्छेद

#### सङ्घटनात्मक राज्यसत्त्वा

जापानी जनताके सम्राट्के प्रतिभाव ...	२५६
राजसत्ताका जनतापर प्रभाव ...	२६१
जापान सम्राट्की जर्मनीके राजाले तुलना ...	२६२
जापान सम्राट्के अधिकारोंको इंग्लिस्तानके राजाके अधिकारोंसे तुलना ... ... ...	२६४
सम्राट् और भन्त्रिमरणका धार्तविक सम्बन्ध ...	२६५

( ३३ )

व्यवस्थापन कार्यमें सभाटका प्रभाव ... ...	2५६
परम्परागत देशधर्मके ऊपर जापान राजसिंहासनकी	
शुष्कता ... ... ... ...	२७१

### द्वितीय परिच्छेद

#### सरदार सभाकी अधिकार मर्यादा

शासन निर्माणकी सत्तापर म० हर्यट्ट्सपेन्सरकी	
आलोचना... ... ... ...	२७४
जापान और इंग्लिस्तानकी सरदार सभाओंकी तुलना	२१४
सरदार सभाकी सं० प्रा० अमरीकाकी सिनेट सभासे	
तुलना ... ... ... ...	२७६
मन्त्रिमण्डलसे सरदार सभाका सम्बन्ध	२८०
सरदार सभाकी कमज़ोरियाँ ... ...	२८८
जापान स्थानिक प्रश्नोंपर कलह, धार्मिक विवाद,	
और पक्षाभिमानका प्रभाव ... ...	२८६
सरदारसभामें घड़प्पनका भाव ... ...	२८६

### तृतीय परिच्छेद

#### मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल

जापानके मन्त्रिमण्डलकी इंग्लिस्तानके मन्त्रिमण्डलसे	
तुलना ... ... ... ...	२८६
१. ऐतिहासिक घटना क्रम	
राजनीतिक दलोंमें परस्पर विवाद ... ...	२८१

परिषद्का पहला निर्वाचन ...	...	...	२६४
प्रथम अधिवेशनमें ही मन्त्रिमण्डल और सार्वजनिक दलोंका परस्पर विरोध ...	...	...	२६५
दूसरे अधिवेशनमें सभा भड़ ...	...	...	२६६
निर्वाचनमें सरकारी दखल ...	...	...	२६८
प्रतिनिधि सभाका मन्त्रिमण्डलके हस्ताक्षेप। विरोधक प्रत्याव ...	...	...	२६९
मात्सुकाता मन्त्रिमण्डलका पद त्याग और नया मन्त्रि मण्डल ...	...	...	३००
प्रतिनिधि सभाके विरोधको दबानेके लिए सम्राट्का सूचनापत्र ...	...	...	३०१
प्रतिनिधि सभाके सभापतिकी पदच्युति ...	...	...	३०२
इतोका भाषण और मन्त्रपरिषद्की सम्राट्की सलाह	...	३०३	
सं० १६५० के पाँचवें अधिवेशनमें सभाभड़ ...	...	३०४	
सं० १६५१ के छठे अधिवेशनमें सभाभड़ ...	...	३०५	
चीन और जापानका परस्पर सन्धिविग्रह ...	...	३०६	
मन्त्रिमण्डलका अधिकारिवर्गके स्वैरतन्त्रीतिका त्याग और इतो मन्त्रिमण्डलका उदार दलोंसे मेल	...	३०७	
मात्सुकाता ओडुमा मन्त्रिमण्डलका सङ्घठन ...	...	३११	
शासनपद्धतिके कार्यक्रममें भेद ...	...	३१३	
१६५५ खि० में इतोके नवीन मन्त्रिमण्डलकी रचना ...	...	३१३	
मन्त्रिमण्डलका घोर विरोध और १२ वें अधिवेशनका भड़ ...	...	३१५	
अग्रगत्य नेताओंकी विचार समिति ...	...	३१६	
मन्त्रिमण्डलके नये सदस्योंका निर्वाचन ...	...	३१७	
मन्त्रिमण्डलकी समाप्ति ...	...	३२०	

( ३५ )

दलभूतक लरकारका अन्त ...	...	...	३२१
यामागाताकी प्रधानतामें मन्त्रिमण्डलका नवीन गठन	...	३२२	
यामागाता मन्त्रिमण्डलका उदार मतवादियोंसे मेल	...	३२३	
मेल का भज्ज ...	...	...	३२४
इतोके नेतृत्वमें 'सेइकाई' दलकी रचना ...	...	३२५	
'सेइकाई' के सदस्योंका नया मन्त्रिमण्डल	...	३२६	
मन्त्रिमण्डलका सरदार परिषद्से विरोध	...	३२७	
कात्सुरा की प्रधानतामें मन्त्रिमण्डलका नवीन सङ्गठन	...	३२८	
कात्सुरा मन्त्रिमण्डलसे इतोका पराजय ...	...	३२९	
लेयुकाई दलसे इतोका सम्बन्ध त्याग ...	...	३३०	
मन्त्रिमण्डलका अन्य दलोंसे झगड़ा ...	...	३३१	
सायोनजी मन्त्रिमण्डल ...	...	३३२	
माल्कोस कात्सुरा और मारकिस सायोनजीका विशेष	...	३३३	
सम्बन्ध ...	...	३३४	
<b>हाल की एक घटना</b>			
नित्योलिकेन या खारेडके फारखानों का कलङ्क	...	३४०	
पालियामेरटपर कलङ्क	...	३४५	
माल्कोका आर्थिक रूप	...	३४७	

### चतुर्थ परिच्छेद

#### निर्वाचन

विदांचनकी प्रवृत्ति	...	...	...	३४८
श्वरीकाके निर्वाचन विवादकी इंगलिस्तानके				
निर्णाचन विवादसे तुलना	...	...	३५०	

( ३६ )

जापानी शिवायितांसे वैयस्तिक पिशेषता...	...	३५३
शिवायितमें फलक और उसके कारण ...	...	३५५
उदानीतिक दख और निष्ठाचिन ...	...	३५६
उद्मेद्वान ...	...	३५७
प्रियोचन कालमें लेजों और भाषणोंके सम्बन्धमें		
जापानी इंगलित्तान और अमरीकासे तुरन्ता...	३६०	
शिवायित देश ...	...	३६०
उद्मेद्वारका निष्ठाचिन पर व्यय	...	३६३
परिशिष्ट	...	३६४
उच्छ्वासुकमणी	...	३६५
परिभाषिक शब्दफोष	...	३६५
		३६६

### जापानके सम्बन्धमें उपयोगी ग्रन्थ

जापानके सम्बन्धमें विशेष भाज समादान करने के लिए संकेपमें पाठकोंके लिये एक घट्यर्थी नाम नीते दिये जाते हैं।

'जापान' (१२ स्कृष्ट) कापान शिक्षे कृत।

'जापानी वस्त्रयो' श, पच, चेम्मलेन कृत।

'जापानका डिलास' उच्च्यू, जी, प्रसन्न कृत।

'जापान' सफलाद्यो एर्न कृत।

'नये जापानके पनास वर्ष' (२. त्रय) कापान शुभा ग्रन्थ, उत्तराधापद्मनारा नामान गी, दूर्दा कृत।

## चित्रोंकी सूची ।

---

		छुट संख्या
१—जापान और फारमोसा के मानचित्र		५०
२—राजधानी तोकियोका दृश्य सिनजा बाजार		५६
३—तोकियोमें राजमहलका दृश्य	...	५८
४—कोरियामें राज्य चिप्लब	...	११०
५—काउण्ट लोकुमा	...	१२४
६—प्रधान मंदी इतो	...	२१६
●—वीर जनरल नोगी	...	२६४
८—वीर पड़मिरल तोगो	...	२६६

---



( ३७ )

## घटना क्रम

### पुनः स्थापनाके पूर्वकार काल

- संघर १९१०-सेनापति चेरिका आगमन (२४ आषाढ़) कियोतोके दरयारमें कूर्मीलू औन्सिलकी दैटक जोश्तो, और, काईको कूतो, दो दलों (वर्ष लोगोंका निर्वासिक दल और देशका द्वार-उद्घाटक दल) का उत्थान।  
शोगून इयेयाशीकी मृत्यु और इयेसादाफा  
शोगून पदपर आगा (भाष्टपद)  
सेनापति पेरिका लौटना (१ फाल्गुन)  
संयुक्तप्रान्त शमरीकासे प्रधम सन्धि (१० चैत्र)  
सं० १९११-सरलाज स्टर्लिंगका आगमण, शैंगेज़ी सरकारसे सन्धि (२६ आश्विन)  
योशीदा और शिवूकी और उनके भाष्यापक्षको चिदेशमें जानेके प्रयत्न क्षस्तेतर कैदकी रज़ा।  
रसके लाय सन्धि। (२५ माघ)  
सं० १९१२-दालोगहके साथ सन्धि (१७ माघ)।  
सं० १९१३-टानसेन्ड हेरिसनका आगमन (श्रावण)।  
सं० १९१४-शोगूनकी हेरिससे भेट (२६ मार्च)।  
येदोंमें दाइमियों लोगोंका खग्मेलन (माघ)।  
शमरीकाके साथ व्यापार और सेलिप्रयक सन्धि-का राजदरबारकी ओरसे इनकार, साइकामोन-नोकामिकी राष्ट्रमन्त्र-पदपर नियुक्ति (ताप्रतो)।  
सं० १९१५-हेरिसकी सन्धिका परिस्थाम (१३ ध्रावण)।

( ३८ )

अंग्रेज सरकार, फ्रांस और दूसरे भी उसी प्रकार की सन्धि ।

मितोके दाइमियोके नेतृत्वमें विदेश सम्पर्क और शोगुनाईके विरोधमें प्रबल आन्दोलन ।

शोगुन इयेसादाकी मृत्यु और इयेमोचीका पदारोहण

सं० १६१६-राष्ट्रमन्त्री आई और विदेशसम्पर्क विरोधी दल ।

शोगुन विरोधी दलोंका घोर मतभेद ।

राष्ट्रमन्त्री आईकी हत्या (फालगुन) ।

हालैएड और प्रशियाकी सन्धिका परिणाम ।

सं० १६१७-विदेश सम्पर्क विरोधियोंका अमरीकन राजदूत पहकेनपर दोषारोपण (माघ) ।

सं० १६१८-अंग्रेजी राजदूतपर आक्रमण (थ्रावण) ।

प्रथम जापानी राजदूतका दसमें जाना (माघ) ।

१६१९-अंग्रेजी राजदूतपर दूसरा आक्रमण (२२ आषाढ़)

रिचर्ड्सनका दल (आश्विन)

सम्राट्की इच्छाके अनुकूल दाइमियों लोगोंका सम्मेलन, कियोतो राजदर्वारके शोगुनशालनमें हस्तक्षेपका प्रारम्भ ।

सं० १६२०-योशिउद्दलका अमरीकाके व्यापारी, फ्रांसीली

लड़ाऊ जहाज और डच् जहाजपर आक्रमण (आषाढ़ थ्रावण)

सैनापति कुपेरका कागाशिमापर आक्रमण (२६ थ्रावण) ।

जप्तीली लोगोंको देशसे बाहर निकाल ऐनेटे सम्बन्धमें सरकारी आशापन्न ।

( ३६ )

शोगून हयेमोचीका कियोतोमें आगमन ।

सं० १६२१-शोगून हयेमोचीका कियोतो राजदर्वारमें दूसरी  
बार आगमन ।

अंग्रेज़, हालेण्ड, फ्रांस और अमरीकाके संयुक्त  
वेडेका शिमानसेकीपर आक्रमण ।

सं० १६२२-शोगून सरकार और चौशिंडके दाइमियोंमें पर-  
स्पर लड़ाई भगड़े ।

सर हेरीपारकेसका आगमन ।

सं० १६२३-शोगून हयेमोचीकी मृत्यु (आश्विन) ।  
फेकीकी शोगून पदपर नियुक्ति ।

हियोगोका सम्बन्ध-बन्दरके रूपमें खुलना ।  
सम्बाट्कोमीका सर्वग्रास ।

राजपुत्र मित्सुहीतोका राज्याभिषेक ।  
सम्बाट्को पुनः शासनाधिकार प्रदानके सम्बन्धमें

तोसाके दाइमियोका शोगूनके प्रति कथन ।

सं० १६२४-शोगूनका त्यागपञ्च (२२ आश्विन) ।  
पुनः स्थापना (२३ कार्तिक) ।

सेजीकाल

सं० १६२५-शासनपञ्चतिका पुनः सह्वट्ठन ।

सात्सुमा और चौशिंडल और पड़जु और कुवान  
दलोंमें परस्पर युद्ध (माघ) ।

विदेशी राष्ट्रोंके प्रति नियत नीतिका प्रारम्भ  
(फालगुन) ।

जापानके साथ पञ्चव्यवहार करनेमें कोरियाकी  
आनाकामी ।

सम्बाट्के साथ सर हेरीपार्कसकी भैट (चैत्र)

( ४० )

सिद्धान्तपञ्चकका शपथदङ्ग (१३ वैत्र) ।

सं० १८२४-सम्भाटके राजपक्षकी सेनाओं और तोक्षगावा  
दलके पुरुषोंमें झगड़े (श्रावण) ।  
राजदर्दरका कियोतोसे उठकर तोकियो आना  
(मानो) ।

तारोंका प्रवन्ध ।

सरकारी नज़ाटका प्रथम प्रजाप्रित होना (चैत्र) ।

सं० १८२६-सोगिशो सभाकी स्थापना (धैशान्व) ।  
उत्तरीय प्रदेशोंमें द्रोहियोंपर सरकारी सेनाओंका  
पूर्ण विजय (आषाढ़) ।

दाइसियो लोगोंका मध्यस्थ यन्ता ।

सं० १८२७-कोगिशोका अधिवेशन भफ़ (फार्सिक) ।  
रेल मार्गोंका निर्माण ।

सं० १८२८-तातुकेदारी शासनपद्धतिका अन्त (आषाढ़) ।  
शासनपद्धतिका नवीन सङ्गठन ।

पता-अन्त्यजोंका उद्धार ।

तलवार लगानेकी प्रथाका अन्त ।

सन्धिपर पुनर्विचार करनेके निमित्त इवाकुरा  
दलका अमरीका और योरोपको प्रस्थान ।

सं० १८२९-तोकियो और योकोहामाके घीच रेल मार्गका  
पूरी तरह बन जाना ।

इसाइयोंके विरुद्ध घोपणाओंकी पुनर्वोपण  
शास्त्रीयपरिपद्में कोरियाके साथ युद्धके प्रश्नपर  
जादृधिवाद (श्रावण) ।

इवाकुरा दलका विदेशसे प्रत्यागमन (श्राविन) ।

सं० १८३०-सेनामें घलपूर्वक भर्ती करनेकी रीतिका अनुसरण ।

( ४१ )

त्रेगरीके तिथिपत्रको अपनाना (आषाढ़) ।

सच्चाटनात्मक शासनपद्धतिकी स्थापनाके सम्बन्ध-  
में किदोका आवेदनपत्र ।

कोरियाके प्रश्नपर राष्ट्रसभामें भतभेद (कार्तिक) ।  
इतागाकी और उसके मित्रोंकी ओरसे आवेदन-  
पत्र (४ भाग) ।

सागाका बहवा (फाल्गुन) ।

सं० १९३१-किदोका त्यागपत्र (वैशाख) ।

जहाजियोंका फार्मेंसिको प्रस्थान (ज्येष्ठ) ।

प्रन्तीय शासक सभाश्रौतोंकी स्थापनाके निमित्त  
सच्चाटका आशापत्र (१६ वैशाख) ।  
ओसाका सम्मेलन ।

सं० १९३२-शिष्टसभा (सिनेट) और प्रधान न्यायमन्दिरकी  
स्थापनाके लिए सच्चाटका आशापत्र (१ वैशाख) ।

प्रन्तीय शासक सभाकी प्रथम बैठक (जून २०) ।

नया दमनकारी प्रेस कानून (१४ आषाढ़) ।

आपाली जङ्गी जहाजपर कोरियाधातोंका आक्रमण  
(आश्विन) ।

कोरियाके साथ सैन्यी और व्यापारके सम्बन्धमें  
संलिंग (१४ फाल्गुन) ।

राष्ट्रसभासे इतागाकीका त्यागपत्र । ।

सं० १९३३ कुमारोंतों और चोशिऊमें बलवे (कार्तिक) ।

सं० १९३४ सातमुमाके राजद्रोह (३३ वि० के फाल्गुनसे आश्विन  
तक) निर्वाचित राष्ट्रीय सभाकी स्थापनाके सम्बन्ध-  
में रिशीशाका प्रार्थनापत्र ।

क्षतिपय राजनीतिक दलोंका उत्थान ।

( ४२ )

किदोकी मृत्यु (ज्येष्ठ) ।

सं० १९३५ ओकुवाकी हत्या (ज्येष्ठ) ।

प्रात्तीय सभाओंकी स्थापना (४ शावण) ।

सं० १९३६ राष्ट्रसभाकी स्थापनाके लिए ओकायामाके प्रान्ता-  
ध्याक्षके समीप जनताका प्रार्थनापत्र (पौष) ।

ओसाकामें आहकोकुशा सम्मेलन ।

सन्धिपत्रपर पुनर्विचार और राष्ट्रीय सभाकी  
स्थापनाके लिए किंव आइशाका आवेदनपत्र (माघ) ।  
ओसाकामें राष्ट्रीय सभाकी स्थापनाके संयुक्त  
सङ्गठनके लिए राजाशा (चैत्र) ।

सभासम्मेलनोंका कानून बनना (२२ चैत्र) ।

सं० १९३७ नयो व्यवस्था पुस्तक और फौजदारी कानूनकी  
पोथीका प्रकाशित होना (श्रावण) ।

सं० १९३८ ओकुमाका कार्यक्रम ।

होकायदोके कतिपय कारखानोंकी विक्रीके सम्बन्धमें  
कुरोदाकी नीति ।

मन्त्रिमण्डलमें दलबन्दी (कार्त्तिक) ।

सं० १९४७ में राष्ट्रसभा स्थापनाके सम्बन्धमें सम्माट-  
का आशापत्र (कार्त्तिक) ।

उदारदलका सङ्गठन (१३ कार्त्तिक) ।

पश्चिमीय देशोंमें राजनैतिक सङ्गठनोंके अनुशीलनके  
निमित्त इतोका योरोपको प्रस्तान (फालगुन) ।

प्रागतिक दलका सङ्गठन (१ चैत्र) ।

शासन पद्धतिमें राजपक्षका उत्थान (४ चैत्र) ।

सं० १९३९-इतागाकीकी हत्याका उल्लेख (वैशाख) ।

( ४३ )

सार्वजनिक सभाओं और समेलनोंके सम्बन्धमें  
कानूनपर पुनर्विचार (२० ज्येष्ठ) ।

‘मनुष्यके अधिकार विषयक नवीन स्थापना’ नामक  
डा० कातोके मन्थका प्रकाशन ।

रसोके ‘सोशल कन्ट्राट्, का अनुबाद ।

इतागांकी और गोनोकी हरिवर्द यात्रा (मार्गो) ।

उदार और प्रागतिक दलोंमें परस्पर कलह ।

खं० १९४०-प्रेस कानून और दमनकारी कानूनपर पुनर्विचार  
( ३ शैशाख ) ।

एवाकुराकी मृत्यु ।

राजनीतिक दलोंमें परस्पर फूट (आश्विन कार्तिक) ।

फूकूशिमाका मामला ।

इतोका विदेशसे प्रत्यागमन (आश्विन) ।

खं० १९४१-ताल्लुके दारोंका पुनरविकार लाभ ।

कावायामाका मामला (आश्विन) ।

जापान और चीनके प्रमुख दलोंका कोरियामें

कलह (१९३६-१९४१) ।

सियोलकी सन्धि ।

खं० १९४२-तेन्त्रसिनकी सन्धि (५ शाख) ।

ओसाकाका मामला (मार्गो) ।

केविनट पद्धतिका पुनः सङ्गठन (पौष) ।

इतोके प्रथम मन्त्रिमण्डलका सङ्गठन ।

खं० १९४३-जापानी राष्ट्रके विलायती ढाँचेपर ढालनेका सर-  
कारी संविधान ।

सन्धिपर पुनर्विचारके लिए पञ्चव्यष्ठार (ज्येष्ठ)

( ४४ )

सं० १९७४-सन्धिपर पुनर्विचारके कार्यमें इतोयीक्षी कार्यविफलता ।

दैदेशिक विभागके मन्त्री इतोयीक्षा त्वारणपत्र (३ थार्चण) ।

शान्तिरक्षा कानून (१० पौष) ।

तोकियोमें भयद्वार हत्याकाएड ।

दैदेशिक मामलोंके लिए ओक्सामाका मन्त्रिपदपर सारामन (फाल्गुन) ।

सं० १९७५-मन्त्रपरियद्वाको स्वापना (१५ वैशाख) ।

कुरोदाका मन्त्रिमण्डल (वैशाख) ।

सहटनाका प्रबर्तन (२२ माघ) ।

मन्त्रिमण्डलकी रखतन्त्रताके खम्बन्धमें इतोक्षालिदान्त (फाल्गुन) ।

सन्धिपर पुनर्विचार कार्यमें ओक्सामाकी विफलता ।

सं० १९७६-ओक्सामाको हत्या करनेका उद्योग (कार्तिक यामागाता मन्त्रिमण्डल (पौष) ।

सं० १९७७-दीचानी और व्यापारसम्बन्धी कानून पोधियोंजा निर्माण (धैशालासे कार्तिकतक) ।

प्रथम सार्वजनिक चुनाव (१७ अपाढ़) ।

राष्ट्रसभाका प्रथम अधिवेशन (८ मार्गे०ले २५ फाल्गुन तक) ।

सं० १९७८-मात्सुकाताका प्रथम मन्त्रिमण्डल (ज्येष्ठ) ।

राष्ट्रसभाका द्वितीय अधिवेशन (५ मार्च ले १० पौष) ।

प्रतिनिधि सभाका भद्र (फाल्गुन) ।

दूसरा सार्वजनिक निर्वाचन ।

( ४५ )

सं० १९५९-राष्ट्रसभाका सूतीय अधिवेशन ( १६ वैशाखसे  
३१ ज्येष्ठ)।

निर्वाचनमें सरकारी हस्तक्षेप होनेसे सार्वजनिक  
सभाका सरकारसे विरोध ( ३१ वैशाख)।  
आयव्यय पत्रपर राष्ट्रसभाकी दोनों परिषदोंके  
अधिकारके सम्बन्धमें मन्त्रपरिषदका निर्णय  
( ३१ ज्येष्ठ )।

इतोका द्वितीय मन्त्रमण्डल (भाद्र)।

राष्ट्रीयदल (कौकुमीव किशोकाई) का विश्वासगण  
शिमागांवा द्वारा सङ्गठन।

राष्ट्रसभाका चतुर्थ अधिवेशन ( ६ मार्गे० ले  
५० फालगुन )।

आयव्यय पत्रपर प्रतिनिधि परिषद् और सरकारका  
विरोध।

प्रभावशाली भाषण ( १० माघ )।

राजकीय घोषणाका प्रकाशन ( २८ माघ )।

सं० १९५०-राष्ट्रीय सभाका पाँचवा अधिवेशन ( १५ पौषतक )।

प्रतिनिधि परिषद् सभापति होशीका पदच्छुत  
करना।

गवर्नमैटकी आलोचनामें परिषद्का भाषण  
( १८ मार्गे० )।

इतोका प्रत्यक्षर ( १६ मार्गे० )।

मन्त्रपरिषद्का भाषण ( ६ पौष )।

पी० एरड ओ० कम्पनीपर हरजानेका मुकदमा।

परिषद्का भङ्ग ( १५ पौष )।

तीसरा सार्वजनिक निर्वाचन ( चैत्र )

( ४६ )

सं० १९५१-राष्ट्रीय सभाका छुटा अधिवेशन (२८ वै० १९ ज्येष्ठ)।

परिपद्मे सरकारकी फड़ी आलोचना, परिपद्मका भद्र ।

चीन जापान युद्धका प्रारम्भ (श्रावण)।

चतुर्थ सार्वजनिक सम्मेलन (श्रावण)।

हिरोशिमामें राष्ट्रीय सभाके ७ वें अधिवेशनका आयोजना (२६ आश्विनसे ३ कातिंक)

अंग्रेजोंसे नयी सन्धिका प्राप्ति (श्रावण)

राष्ट्रसभाका आठवाँ अधिवेशन (७ पौषसे १० देहू)

सं० १९५२-राजकीय व्यवस्था द्वारा शिकारसमझी कानूनके पुनर्विचारपर वादविवाद।

निर्वाचन सुधार विल।

चीनके साथ शान्ति सन्धि (श्राश्विन)।

कियोमेज़ प्रायः छीपका चीनको लौटा देना (कातिंक)।

कोरियाके दरवारमें लस और जापानके प्रसुक दलोंका परस्पर विवाद।

उदार मतवादियोंका सरकारसे कलह।

राष्ट्रसभाका नवाँ अधिवेशन (१० पौषसे १४ देहू)।

प्रागतिक दलका अभियोगात्मक शावेदनपत्र (साक्ष)।

सं० १९५३-लस और जापानका परस्पर समझौता (ज्येष्ठ)।

मात्सुकाता ओकुमा मन्त्रिमण्डल या द्वितीय

मात्सुकाता मन्त्रिमण्डल (श्राश्विन)।

राष्ट्रीय सभाका १०वाँ अधिवेशन (७ पौषसे १० देहू)।

मात्सुकाता और ओकुमामें परस्पर संघर्ष

सं० १९५४-ओकुमाका त्यागपत्र (२० कातिंक)

राष्ट्रसभाका ११वाँ अधिवेशन (६ पौषसे १० पौष)

( ४७ )

सरकारपर विभासं न रहनेके लम्बन्धमें प्रस्ताव ।

सभा भङ्ग

मात्सुकाता मन्त्रिमण्डलका पद त्याग ।

इतोका तृतीय मन्त्रिमण्डल (३० पौष) ।

पाँचदाँ सार्वजनिक निर्वाचन (१ चैत्र)

खं १९५५-राष्ट्रसभाका १२ वाँ अधिवेशन (३१ दिसंबरसे २७ ज्येष्ठतक) ।

इतोका निर्वाचन सुधार विल ।

१९६४ दिं का शान्तिरक्षा कानूनका रद्द करना  
भौमिक कर वृद्धि कानूनके रद्द करनेपर सभाका  
भङ्ग (२७ ज्येष्ठ) ।

उदार दल और प्रागतिक दलका संघटनात्मक  
दलसे मिल जाना (६ आश्विन) ।

मन्त्रपरिषद्में इतो और यामागाताके बीच विवाद  
(१० अषाढ़) ।

संघटनात्मक दलके सदस्योदारा नवे मन्त्र-  
मण्डलका संगठन (१६ अषाढ़) ।

छुटा सार्वजनिक निर्वाचन ।

संघटनात्मक दलका भङ्ग ।

ओकुमा-इतागाकी मन्त्रिमण्डलका अधःपात ।

द्वितीय यामागाता मन्त्रिमण्डल (२२ कार्तिक) ।

राष्ट्रसभाका १३ वाँ अधिवेशन (२१ कार्तिकसे २७ फाल्गुन तक) ।

यामागाता मन्त्रिमण्डलका पुराने उदार दलसे  
मैत्री भाव ।

भौमिक कर वृद्धि कानूनका पास होना निर्बाचन

( ४८ )

सुधार कानूनपर दोनों परिषदोंमें विवाद, मन्त्रिमण्डल और उदार दलमें परस्पर मैत्रीभाव-पर कोप ।

खं० १९५६-नयी सन्धियाँ करना ।

राष्ट्रसभा का १४ बाँ अधिवेशन ।

दोषारोपक आघेदन पत्रका प्रतिवाद (२९ मार्ग) ।

खं० १९५७-दोनों परिषदोंमें निर्वाचन सुधार 'विलक्षी स्वीकृति' ।

उदार दलोंका मन्त्रिमण्डलके साथ मैत्रीभङ्ग ।

'सेक्युरिटी' सभाका सङ्गठन (६ भाद्र) ।

यामागाता मन्त्रिमण्डल का पद त्याग ।

सेक्युरिटी सभाके सदस्योंका नया मन्त्रिमण्डल या इतोंका पाँचवाँ मन्त्रिमण्डल ।

यत्र व्यवहारके मन्त्री ।

होशीका पद त्याग (६ पौष) ।

राष्ट्र सभाका १५ बाँ अधिवेशन (७ पौषसे १० चैत्र तक) ।

आयव्यय पश्चपर सरकार और सरदार परिषद् का विवाद ।

आयव्यय पत्रके सम्बन्धमें राजकीय निषेदनपत्र ।

दुर्व्यवहार कानून की स्वीकृति ।

खं० १९५८-सरकारकी आथिक नीदिपर खद्दस्योंका मतभेद (वैशाख) ।

केविनद के मन्त्रियोंका पद त्याग (ज्येष्ठ) ।

कल्सूराका प्रथम मन्त्रिमण्डल (१९ ज्येष्ठ) ।

होशीका प्राणदान ।

( ४६ )

राष्ट्र सभाका १६ वाँ अधिवेशन (२१ मार्गसे २६ फाल्गुन) ।

अंग्रेज सरकारसे सन्धि (१६ माघ) ।

सं० १९५६-सातवाँ सार्वजनिक निर्वाचन (भाद्र) ।

राष्ट्रकी आर्थिक नीतिके सम्बन्धमें इतो और ओक्सफोर्ड परस्पर परामर्श (१७ मार्ग) ।

भौमिक कर बृद्धिके कानूनको रद्दकर देनेपर सभाभङ्ग ।

आठवाँ सार्वजनिक निर्वाचन ।

सं० १९६०-राष्ट्रीय सभाका १८ वाँ अधिवेशन (२५ वैशाखसे २२ ज्येष्ठ तक) ।

दोपारोपक भाषण और उसका प्रत्युत्तर (१३ ज्येष्ठ) सेयुकाई लभासे इतोका पद त्याग ।

राष्ट्रीय सभाका १९ वाँ अधिवेशन (१६ मार्ग से २४ मार्ग तक) ।

परिषद्की प्रारम्भिक भाषणके समयकी बट्टा परिषद्का भङ्ग ।

जल जापानका युद्ध प्रारम्भ (२६ माघ) ।

६ वाँ साधारण निर्वाचन (चैत्र) ।

राष्ट्रीय सभाका बीसवाँ अधिवेशन (४ चैत्रसे १६ चैत्र तक) ।

सं० १९६१-राष्ट्रीय सभाका २१ वाँ अधिवेशन (१२ मार्ग से १६ फाल्गुन तक) ।

पोर्टस माउथकी सन्धि (२० भाद्र) ।

अंग्रेजी सरकारसे शान्तिसम्बन्धी नयी सन्धि (२२ आवण) ।

( ५० )

कोरियासे सन्धि (१ मार्ग०) ।

चीनसे सन्धि (७ पौष) ।

आगाही कानून ।

आगाही कानूनका विरोध (१३ मार्ग०) ।

राष्ट्रीय सभाका २२ वाँ अधिवेशन (१० पौषसे १३ चैत्र तक) ।

लं० १६६२-कत्सुरा मन्त्रिमरणडलका पदत्याग ।

सायोनजी मन्त्रिमरणडल (२४ पौष) ।

राष्ट्रीय रेलोंका प्रस्ताव पाल ।

लं० १६६३-राष्ट्रीय सभाका २३ वाँ अधिवेशन (१० पौषसे १३ चैत्र तक) ।

लं० १६६४-फ्रांस और जापानका समझौता (३ आपाह) ।

स्लू जापानका समझौता (३० श्रावण) ।

राष्ट्रीय सभाका ३४ वाँ अधिवेशन (१० पौषसे १२ चैत्र तक) ।

राष्ट्रीय आय व्यय सम्बन्धी सरकारी नीतिपर कैविनटके सदस्योंसे मतभेद होनेसे आयव्ययके मन्त्रीका पदत्याग (माघ) ।

लं० १६६५-१० वाँ सार्वजनिक निर्वाचन (ज्येष्ठ) ।


सायोनजी मन्त्रिमरणडलका पदत्याग ।

कत्सुराका द्वितीय मन्त्रिमरणडल ।

राष्ट्रीय सभाका २५वाँ अधिवेशन (७ पौषसे १० चैत्र) ।

लं० १६६६-खांडकी कस्पनीके कारण बदनामी (बैशाख) ।





# जापान की राजनीतिक प्रगति

( संवत् १६२४ से १६६६ तक )

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार

किसी देशकी राजनीतिक संस्थाओंका स्वरूप और उनके कार्य करनेकी रीतिको ठीक ठीक समझनेके लिये इस बातकी आवश्यकता है कि हम पहले उस देशकी मनो-वृत्ति और उसके राजनीतिक संस्कारोंको जान लें। सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिये कि किसी राष्ट्रको बनाना विगड़ना उसकी सरकारके हाथमें नहीं होता, प्रत्युत राष्ट्र की सरकारका विधाता होता है। किसी सरकारका परामर्शदाता तथा शासनकौशल उसके स्वरूप व सङ्गठनपर उतना ही निर्भर करता जितना कि सर्वसाधारणके सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक चारित्र्यपर। किसी अंगरेज़के कानोंमें जब यह ध्वनि पड़ती है कि, “ईश्वर महाराजको चिरायु करे” तो उसके हृदयमें कैसे कैसे भाष उत्पन्न होने लगते हैं इसकी भी कल्पना कीजिये। उनके देशकी मनोवृत्ति ही ऐसी है और इसे कोई रोक नहीं सकता। उनकी इसी

भावभक्ति, परम्परागत प्रेम, श्रद्धा और पुराणप्रियताके कारण आजके इंग्लिस्तानमें राजतन्त्र राज्य बना हुआ है और फेवल यही नहीं, उसमें वह शक्ति भी विद्यमान है जिससे शासमयन्त्रकी गतिमें कोई वाधा नहीं पड़ने पाती। यद्यपि इस शासनपद्धतिपर कई तर्कचिरुद्ध (वेसिरपैरके) आक्षेप किये जाते हैं तौभी उसकी शक्ति देखकर बड़े बड़े फ़राँसिसी राजसत्ताविरोधियोंको दाँतों उंगली दबाकर ही रह जाना पड़ता है। 'बैजट' महाशयने क्या ही सिद्धान्त-फी बात कही है कि, "इंग्लिस्तानमें मन्त्रि-मण्डल द्वारा शासन होसकनेका कारण यह है कि अंगरेज़ लोग ही विनय-शील होते हैं।"

अतएव जापानकी प्रातिनिधिक संस्थाओंकी गति-प्रगति-का अनुसन्धान करनेके पूर्व यह आवश्यक है कि हम जापान-राष्ट्र और जापानराष्ट्रके राजनीतिक संस्कारोंकी संक्षेपमें आलोचना करें।

किसी राष्ट्र या उस राष्ट्रके संस्कारोंका चर्णन करनेमें पहले ही जो सबसे बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है वह वंशनिर्णयकी है। इसलिये पहले ही इस सम्बन्धकी दो चार बातें कह देना हम आवश्यक समझते हैं।

जापानी राष्ट्रके मूल पुरुष कौन थे, इस सम्बन्धमें वंश-वेत्ताओंकी एक राय नहीं है। परन्तु ऐसा मतविरोध है जैसा कि ख्यात मानवजातिके मूलके सम्बन्धमें है। 'राइन' और 'धार्पल्ज' प्रभृति विद्वानोंका कहना है कि जापानी लोग विशुद्ध मोगल (मंगोली) घंशके हैं यद्यपि उनमें 'आइनो'<sup>१</sup> जातिका

<sup>१</sup>. आइनी या आद्वे शर्धाद्व जापानके आदिम निवासी।

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार ३

रक्त भी कुछ आया हुआ जान पड़ता है। देहरचनासम्बन्धी वारीक भेदोंका निरीक्षण कर उन्होंने यह सिद्धान्त किया है। परन्तु और दूसरे लोगोंने 'कोजिकी'<sup>१</sup> और 'निहौंगी' नामक प्राचीन जापानी गाथाओंको पढ़कर यह मान लिया है कि 'कोरिनी' (कोरियन), 'चीनी' और 'भालयचीनी' इन तीन जातियोंके सम्मिश्रणसे ही जापानियोंकी उत्पत्ति है। इस सम्बन्धमें एक और मत है और वह वड़ा चिचित्र है। कुछ लोगोंपर यह भी एक दृढ़ संस्कार हो गया है कि राजनीतिक कार्य करनेकी योग्यता एक आर्यवंशचालकोंमें ही हो सकती है, औरोंमें नहीं। इसलिये जब उन्होंने देखा कि जापान बड़ी तरकी कर रहा है तब जापानको भी उन्होंने आर्यवंशचालकोंमें नहीं। इसलिये जब उन्होंने देखा कि जापानियोंकी उष्ट्रतिका और कोई कारण ही समझमें न आता था। उनका यह कहना है कि बहुत प्राचीन समयमें हिन्दुस्थानसे कुछ लोग जापानमें आये होंगे और उन्होंसे वर्तमान जापानियोंकी, कमसे कम उनके शासकवर्गकी, उत्पत्ति हुई है। मनुष्यजातिके मूलका प्रश्न अध्यात्मशास्त्रान्तर्गत 'एक और उनके' के प्रश्नके समान कभी हल न होगा<sup>२</sup>। जड़ और

१. कोजिकी=पुरातन चातोंकी चर्चा। निहौंगी=जापानकी कहानी। जापानकी इतिहाससम्बन्धी सबसे पुरातन पुस्तकें ये ही हैं। कोजिकी संवद ७६८ और निहौंगी संवद ७७७में लिखा गया है। इन घन्थोंके वर्णन द्वारे पुराणग्रन्थोंसे मिलते जुलते हैं।

२. 'हकेल' आदि परिदितोंका यह सिद्धान्त है कि जड़से ही बढ़ते बढ़ते आत्मा व चैतन्य उत्पन्न हुआ है, परन्तु 'कैट' आदि परिदितोंका कहना यह है कि हमें सृष्टिका जी शान प्राप्त होता है वह आत्माके एकीकरण-व्यापारका कल है और इसलिये आत्माको सृष्टिसे स्वतन्त्र मानना ही पड़ता है। यह

चैतन्यके रहस्यके सम्बन्धमें अध्यापक 'विलियम जेम्स' कहते हैं, "चाहे जड़से चैतन्य उत्पन्न हुआ हो या चैतन्यसे जड़का आविर्भाव हुआ हो हमारे लिये दोनों चातें बराबर हैं"। जापानियोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें हम भी यही बात कह सकते हैं कि चाहे जापानी तुर्किस्तानसे आये हों चाहे तिब्बत, हिन्दुस्थान, मलयद्वीप, कुशद्वीप, अथवा और कहीं-से आये हों या जापानीके रहनेवाले हों, जापान राष्ट्रकी प्रगतिमें इससे कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता।

जापान-सम्राट् 'जिम्मू'के नायकत्वमें, जापानने अपने राष्ट्रीय जीवनका बीज बोया था और तबसे इन पञ्चीस शताब्दियोंमें जापानकी सरकार कभी नहीं बदली। उसी एक सरकारके अधीन रहते हुए जापानियोंने अपनी जाति और देशको अखण्ड रखा है। देशभरमें उनकी एक भाषा है, एकसे आचारविचार और एक ही पूर्वपरम्परा है, और एकहीसी रहनसहन है। व्यक्तिगत कितनी ही भिन्नता होनेपर भी उनके विचारों और भावोंमें कुछ एक ऐसी समता विशेषता है जो उनके राष्ट्रीय जीवनके प्रत्येक कार्यमें स्पष्ट दिखायी देती है। उनके देशकी प्राकृतिक रचनामें जैसी निराली ही छुट्टा है वैसे ही उनके जातीय लक्षण एक दम निराले हैं जो जापानियोंमें ही मिलते हैं और जो जापानियोंकी खास पहचान हैं।

चीनियों और जापानियोंके बीच बड़ा अन्तर है। यद्यपि दोनोंका रंग एकसा है और कई शताब्दियोंतक दोनोंकी सम्यता

मानना कि वह सृष्टिसे ही उत्पन्न दुश्मा है यही माननेके बराबर है कि हम अपने कन्धेपर बैठ सकते हैं।

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार ५

भी एकहीसी रही है तथापि दोनोंमें इतना शारीरिक और मानसिक भेद है कि शायद उतना युरोपके 'व्यूटन'<sup>१</sup> और 'लैटिन'<sup>२</sup> जातियोंमें भी नहीं है। कसान 'व्रिक्कले' महाशय कहते हैं, "एक बातमें, जापानकी कथा और सब देशोंसे निराली है। उसके राष्ट्रीय जीवनका धाराप्रवाह एकसा चला जाता है। उस प्रवाहमें कभी परदेशियोंके आकरणसे या विदेशियोंके उस देशमें बुस आनेसे बाधा नहीं पड़ी। यह सही है कि विदेशियोंके प्रभावसे उसके नीतिनियमों और समाज-संस्थाओंमें समय समयपर परिवर्तन हुआ है। पर इसके साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि जापानियोंने बाहरसे जो कुछ भी ग्रहण किया है उसपर भी उन्होंने अपने जापानत्व-की छाप लगायी है, और आज पच्चीस शताब्दियोंसे निर्विघ्नता और शान्तिके साथ अपना जीवन-निर्वाह करते हुए उन्होंने अपनी कुछ विशेषताएँ बना ली हैं जो इतनी स्पष्ट हैं कि उनके इतिहासका अध्ययन करनेमें परम्परासे प्राप्त इन लक्षणोंकी एक सुसम्बद्ध श्रद्धाला स्पष्ट ही दृष्टिगोचर होती है।"

आज जो जापानी जाति आप देख रहे हैं वह तत्त्वतः अपने भूतकालीन जीवनका फलस्वरूप है। यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिये कि वह भूतकालीन जीवन जापान देश-की प्राकृतिक स्थितिका ही बहुत कुछ परिणाम है। 'खलञ्जली' महाशयने कहा ही है कि, "प्रकृतिके सृष्टिकौशलके कारण

१. 'व्यूटन' जातियोंमें 'जर्मनी' 'नारबे' 'स्वीडन' प्रभूति देशोंका अन्तर्भाव होता है।

२. 'लैटिन' कहनेसे 'फ्रांस' 'स्पेन' 'पुर्तगाल' और 'इटली' देशोंके लोग समझे जाते हैं।

## ६ जापानकी राजनीतिक प्रगति

ही मानवजातियोंमें वैयम्य होता है ”। ‘एमिल वूमी’ महाशयने इसी बातको और भी स्पष्ट करके कहा है कि, “किसी राष्ट्रके सङ्गठनमें सबसे बलवान कारण प्रकृति या निसर्गका ही होता है, यथा देशका स्वरूप, पर्वतों और नदियोंका अवस्थान, भूमि और समुद्रका विस्तार-परिमाण, जलवायुकी शान्त अथवा अशान्त प्रकृति, और फलमूलादि-की प्रचुरता या अभाव आदि वातोंका प्रभाव जातिके बनानेमें सबसे अधिक होता है। ये प्रभाव उतने ही प्राचीन हैं कि जितनी प्राचीन स्वयं मानवजाति है, सहस्रों वर्षोंका सिंहावलोकन कर जाइये, कोई ऐसा समय न मिलेगा जब ये प्रभाव न रहे हों। इनमें कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ है, और यदि कोई परिवर्तन हुआ भी है तो वह मनुष्यमें हुआ है, क्योंकि उसपर और भी तो कई वातोंका प्रभाव पड़ गया है। आरम्भमें तो केवल यही प्राकृतिक (नैसर्गिक) वातें थीं जिनका प्रभाव नवसृष्ट प्राणियोंपर पड़ता था और इन्हींका आज वह परिणाम हुआ है जिसे हम असम्भव समझते थे। देशमें जो स्मारकचिह्न देते हैं, शिलालेखोंमें धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्रके जो आदेश पाये जाते हैं, लोकसमुदायमें जो संस्कारविधि प्रचलित है, युद्धके जो गान सुनायी देते हैं, वे सब अपनी नैसर्गिक अवस्थाके परिणाम हैं। कुछ कालतक इन्हीं नैसर्गिक वातोंसे ही एक एक जातिका अपने अपने ढंगसे सङ्गठन हुआ और तब जाकर ये जातियाँ इस योग्य हुईं कि प्राकृतिक वातोंको अपनी इच्छाओंके अनुकूल कर लेने लगीं और उनमें यथासाध्य परिवर्तन भी करने लगीं। ”

जापानका मानचिन्द्र देखनेसे यह स्पष्ट ही प्रकट हो जाता है कि क्योंकर जापान संसारसे अलग और स्वाधीन

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार ७

रहा। पश्चियाके महाद्वीपसे समुद्र उसे अलग करता है और इस्‌समुद्रने चारों ओरसे उसकी रक्ता की है, और जब आजकलकी तरहके बड़े बड़े जहाज़ नहीं थे तब जापानमें वाहरसे<sup>१</sup> किसीका आना और जापानसे वाहर किसीका जाना बड़ा ही कठिन था, और इसी कारणसे जापानी जाति अपने देशकी सीमाओंके अन्दर अखरड़ और अभङ्ग बनी रही। इस प्रकार जापानियोंमें जातिभेदसम्बन्धी कोई परस्परभिन्नता या वैर नहीं था कि जिससे उनके समाजका अङ्ग भङ्ग होता, उनपर कोई वाहरी दवाव भी नहीं था और न अपने देशकी रक्ताका कोई बड़ा भारी दोष ही उनके स्तरपर था (जो आजकल सभी राष्ट्रोंको दवा रहा है), और जापानकी ऐसी अनुकूल अवस्था होनेके कारण ही जापानी प्रजाजनोंने मिलकर जापानको एक व्यूहवद्ध राज्य बना दिया है, और जापानसरकार और जापानी प्रजाजन दोनोंही अपने समस्त राष्ट्रकी सुखसमृद्धिका पूरा उद्योग कर सके हैं। कई शताव्दीयोंका सिंहावलोकन कर जानेपर भी कहीं परस्पर युद्ध अथवा विवाद होनेका कोई प्रमाण नहीं मिलता। आपसकी लड़ाइयाँ न होनेहीके कारण जापानकी एकता और अखरडता बनी रही। हाँ, यह सही है कि विक्रम संवत् १५०० के पूर्व जापानके दरवारियोंके बीच कई बड़ी ही भयङ्गर लड़ाइयाँ हुईं, और १२ वीं शताव्दीसे १६ वीं शताव्दीतक वहाँके बड़े बड़े लश्करी जागीरदारों<sup>२</sup>

१. लश्करी जागीरदार या तालुकेदार वे लोग थे जिनके पास बड़ी बड़ी जागीरें और फौजें थीं। ये जापान-समाजमिकादोको मानते जरूर थे; पर अपने स्थानोंमें ये एक प्रकारसे स्वतन्त्र राजा ही बन वैठे थे। इन्हेंको

या ताल्लुकेदारोंने आपसमें लड़कर भयकर रक्तपात किया थे और रक्तकी नदियाँ बहा दीं, पर तोभी यह कुछ ही लोगोंकी आपसकी लड़ाइयाँ थीं। इनमें सारा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, राष्ट्रमें फ़ट नहीं थी थे और राष्ट्रकी अखंड अभिन्नता-में कोई अतिक्रम नहीं हुआ था।

जापानके सम्पूर्ण इतिहासमें केवल एक बार वाहरी आक्रमणका वर्णन आता है। विक्रमकी चौदहवीं शताब्दीके आरम्भमें चीन थे और कोरियाको पादाक्रान्त कर चुकनेपर 'कुवला खाँ' ने जापानको भी अपने राज्यमें मिला लेनेकी महत्वाकांक्षासे एक बड़ी भारी नौसेना जापानी समुद्रमें भेज दी। इतना बड़ा जदी जहाजोंका बेड़ा जापान-समुद्रमें 'एडमिरल रोडसवेन्स्की' को छोड़ थे और किसीका कभी भी न आया था। परन्तु अंगरेजोंकी खाड़ीमें इसपहानी 'अर्मदा' नामके रणपोतोंकी जो दुर्गति हुई 'कुश्छीपके' तटसमीपमें फ़स्कर, वही दुर्गति 'कुवलाखाँ' की इस नौसेनाकी भी हुई थी और उसकी सारी आशापर पानी फिर गया।

यह कहनेकी शायद कोई आवश्यकता नहीं कि किसी राष्ट्रके जीवन और उत्थानकी कियामें देशकी प्राकृतिक स्थितिका जितना दबाल होता है उससे उस देशकी

---

'दमिओ' कहा जाता था। संवत् १६२८ में इन दमिओंने अपनी जागीरें समाटको प्राप्त कर दीं जिसका वर्णन इस पुस्तकमें आगे चलकर आवेगा।

१. संवत् १७११ में 'कुवला खाँ' ने जापानपर चढ़ाइं करनेके लिये एक तातारी फौज भेजी थी। पर इसे प्राण लेकर भागना पड़ा। तब ७ वर्ष बाद फिर 'कुवला खाँ' ने एक स्थलसेना थे और नौसेना भी जापानपर भेजी। इसीकी दुर्गतिका गिन ऊपर किया गया है। तबसे फिर किसी विदेशीकी हिम्मत नहीं पड़ी कि जापानपर आक्रमण करे।

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार ६

जलधार्युका प्रभाव कुछ कम नहीं होता। 'इस्किमो,' 'नेप्रिलो,' 'नीओ' और 'पापुअन' आदि जातिके लोग जिन देशोंमें रहते हैं वहाँ कभी कोई वड़े राष्ट्र नहीं स्थापित हुए, इसका कारण यही है कि उत्तरका भयद्वारा श्रीत मनुष्यकी शक्तिको वेकाम कर देता है और दक्षिणकी हृदसे इयादा गरमी उद्योग करनेमें दिल ही नहीं लगते देती।

जापानके आपुओंका स्थूल स्वरूप सर्पाकार है। इनकी अधिकसे अधिक तम्याई (४१°.३५ से ३१° अक्षांश और १३०°.३१ से १४६°.१७ भुजांशके बीचमें) ८४० कोस है और चौड़ाई १०० कोससे कम ही है। स्थान स्थानमें भिन्न भिन्न प्रकारकी जलधार्यु है, परन्तु यह भिन्नता उतनी नहीं है जितनी कि अक्षांशोंके अन्तरसे होनी चाहिये थी। सागरतट-के देशोंमें यह एक विशेषता पायी जाती है। संसारमें कहीं भी जापानकी जलधार्युसे अधिक प्रसन्न करनेवाली जलधार्यु नहीं है। वहाँका वह नील आकाश, वह सुप्रभ सूर्यप्रकाश, वह उत्साहवर्धक समीर और वह नयनमनोहर सृष्टिसौन्दर्य रसिकमात्रको मोह लेनेवाला है। पर जलधार्यु इतनी समशी-तोष्ण नहीं है, यहाँ श्रीत व श्रीपम्का प्रताप इंगिलस्तानकी सरदी गरमीसे बहुत अधिक उत्तर रहता है, पर इतना नहीं कि मनुष्य-का उत्साह और वह टूट जाय। प्रकृतिसे जापानियोंको भी वही उपदेश मिलता है जो इंगिलस्तानकी प्रकृतिसे अंगरेजोंको मिलता है—“यदि तुम अपने उद्योगमें ढीले पड़ जाओगे तो तुम्हारा निःसन्देह नाश है; पर यदि कष्टोंकी परवाह न कर उद्योग कियोगाओगे, तो सहस्र गुना लाभ उठाओगे।” जापा-नको जिन्होंने देखा है या जापानके विषयमें जिन्होंने ध्यानसे पढ़ा है उन सबकी इस विषयमें एक राय है कि जापानी वड़े

## १० जापानकी राजनीतिक प्रगति

चपल, परिश्रमी और कष्टसहिष्णु होते हैं। आत्मरक्षाकी इच्छाही उन्हें इन गुणोंका अभ्यास करने और इनका विकास करनेपर विवश करती है।

लश्करी जागीरदारों अथवा तालुकेदारोंके शासन-कालमें भी वे 'सामुराई'<sup>१</sup> लोग जो किसी सदुद्योगमें लगे रहना पसन्द नहीं करते थे और जो व्यवसाय, कृषि अथवा और किसी उद्योगधन्येमें लगकर कष्ट उठाना नहीं जानते थे वे भी पटेके हाथ चलाकर, कुश्ती खेलकर और 'युयुत्सु'-का अभ्यास कर अपने मस्तिष्क और शरीरको सुदृढ़ बनाते थे। जापानियोंमें चपलता, दृढ़प्रतिशत्ता, धीरता, दूरदर्शिता और संयम आदि जो गुण हैं और जिन गुणोंकी बदौलत जापानने 'भञ्ज्यरिया' में वह पराक्रम कर दिखाया कि संसार-देखकर चकित हो गया, जिन गुणोंकी बदौलत जापानियोंने कठिनसे कठिन राजनीतिक प्रश्नोंको हल करके व्यर्थके चिकारयुक्त आन्दोलनोंको किनारे कर देशको सुरक्षित रखा, और जिन गुणोंकी बदौलत जापानने स्वर्गवासी मिकादोके समयमें इतनी आश्वर्यकारी उन्नति की है, उन गुणोंकी दीक्षा जापानियोंको प्रकृतिसे ही मिली मालूम होती है।

‘बुशिदो’<sup>२</sup> ‘कनफ्यूशियस’<sup>३</sup> और ‘बोद्धमतके’ प्रतिपादक

१. जापानमें जो लोग ज्ञानवृत्तिमें परम्परासे जीवन व्यतीत करते हुए चले आते थे अर्थात् जापानके जो ज्ञानिय कहला सकते हैं उन्हे 'सामुराई' कहते थे। सामुराई शब्दमें 'समर' की गन्ध अवश्य ही आती है।

२. सामुराईके ज्ञान धर्मको 'बुशिदो' कहते हैं। इस धर्मकी आज्ञाके अनुसार प्रत्येक 'बुशी' या ज्ञानियको राजभक्त, विश्वासपात्र, पुस्पार्थी, युद्धकुशल, सामु, सरल, न्यायपरायण, धार्मिक, वातका धनी, विनशशील, शिष्टाचारी, द्यावान्, असदाय सहायक और विद्याप्रेमी होना चाहिये। जापानियोंमें इस

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार ११

कभी कभी यह कह देते हैं<sup>१</sup> कि हमारे धर्म और नीतिग्रन्थोंकी शिक्षासे ही जापानियोंमें ये गुण अवतरित हुए हैं। परन्तु ये लोग इस बातको विलक्षत ही भूल जाते हैं कि मनुष्यकी प्रकृतिपर देशकी प्राकृतिक अवस्थाका क्या प्रभाव पड़ता है। सच तो यह है कि प्रत्येक जातिमें जो कुछ विशेष बातें होती हैं उनका उद्गम निसर्गकी रचनासे ही होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जातीय विशेषताको पुष्ट करनेमें धर्म और नीतिकी शिक्षा बहुत कुछ सहायता देती है और उन प्रवृत्तियोंको भी दुर्बल कर देती है जो कि समाज-

---

धर्मका एक समय इतना प्रचार हो गया था कि चुशी या ज्ञानिय ही सबसे श्रेष्ठ गिना जाता था जैसा कि एक जापानी कहावतसे प्रकट होता है। कहावत यह है कि, “हाना वा साकुरा, हितो वा चुशी—अर्थात् जैसे पुष्पोंमें गुलाब, तैसा ही मनुष्योंमें चुशी ।”

३. विक्रम संवदके ४६४ वर्ष पूर्व चीनमें ‘कझफूज’ नामका एक बड़ा नत्वदर्शी पण्डित हुआ। इसी कझफूज नामका भ्रष्टरूप कनफूशियस है। कनफूशियसने राजा प्रजाके कल्याण तथा देशोंकी शान्तिपूर्ण उन्नतिकी कामनासे अनेक देशोंमें परिप्रमण कर अपने उपदेश सुनाये। उसने कई ग्रन्थ भी लिखे जिनका इस समय चीनमें बड़ा आदर है। लोगोंने उसके उपदेशोंको धर्मोपदेशवद् ग्रहण कर लिया और उसको मृत्युके बाद धीरे धीरे इस धर्मका जापानमें भी प्रचार हुआ। इस धर्ममें धर्मकी अपेक्षा राजनीति-का ही अङ्ग विशेष है।

४. संवत् ६०८ में सर्व प्रथम ‘कोरिया’ के राजा ‘कुदारा’ ने बौद्ध मूर्तियाँ जापान-समाटको भेट कीं और इस प्रकार जापानमें बौद्ध धर्मका प्रवेश हुआ। आरम्भमें इस मतका बड़ा विरोध हुआ, पर ५० वर्ष बाद ‘शोतोक्-नैशी’ के शासनकालमें जापानमें बौद्धधर्मकी जड़ जम गयी। शायद यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि जापानने इस बौद्धधर्मको अपने सांचेमें ढालकर नब उसको स्वीकार किया था।

## १२ जापानकी राजनीतिक प्रगति

की हितविरोधिनी हैं। परन्तु यह जो जातीय विशेषता है वह देशकी नैसर्गिक रचनासे ही आविर्भूत होती है यह बात माननी ही पड़ेगी। जापानियोंमें और भी जो विशिष्ट बातें हैं, यथा लावण्यप्रेम, कारुण्यवृत्ति, निष्कापट्ट्य, तेजस्विता, चञ्चलता, सरलता, अस्थिरता इत्यादि, इनका उद्गम निसर्गसे नहीं तो और कहाँसे हुआ है ?

देशकी नैसर्गिक रचनाके सम्बन्धमें एक बातका विचार करना रह गया है और यही सबसे बड़े महत्वकी बात है। विचार इस बातका है कि जापानियोंकी आर्थिक अवस्थापर इस नैसर्गिक रचनाका फ्या प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक प्राणी-के लिये सबसे मुख्य विचार जीविकाका होता है। जैसी जिस जातिकी आर्थिक अवस्था होती है वैसाही उसका जीवन, वर्द्धन और चरित्रबल होता है।

जापान द्वीपदेश होनेके कारण आक्रमणसे बच सका है; और उसकी नैसर्गिक भूमि, नदी, पर्वतादिकी रचना और सुखद जलवायुके कारण बहाँके विशाल लोकसमुदायका यथेष्ट भरणपोपण भी होता है। जापानमें नाना प्रकारके धान्य और मांसमछुलियाँ होती हैं जो केवल बहाँके निवासियोंको भरपेट भोजन देकर बढ़ती हुई जनसंख्याकी उन इच्छाओं-को भी पूर्ण करती हैं जो 'सभ्यता' के साथ बढ़ती जाती हैं। अभी साठ वर्ष ही बीते हैं जब पहले पहल जापानको पाश्चात्य देशोंसे सम्बन्ध स्थापित करना पड़ा और वास्तवमें इस सम्बन्धको पहले भी जापान इतना समृद्ध था कि उसके तीन करोड़ निवासी यथेष्ट अम्ब वस्त्र पाते थे और कुशलसे रहते थे। जापानकी आधुनिक प्रगतिका रहस्य युद्ध-समझना हो तो यह बात स्मरण रखनी चाहिये और इसपर सूक्ष्म

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार १३

विचार करना चाहिये कि सहस्रों वर्षोंसे खाने पीनेके लिये जापानको कभी किसीका मुँह नहीं ताकना पड़ा है। हाँ, अबतक जापानमें कोई ऐसे यन्त्राविपक्तरोंका प्रवेश नहीं हुआ था जिनसे युरोपके वाणिज्यजीवनके सदृश यहाँ भी वह सामाजिक अशान्ति उत्पन्न होती। कलकारखानोंसे मुक्त होनेके कारण जापानियोंका रहनसहन विलकुल सादा ही रहा और जापान प्रतिद्वन्द्वितासे, गलेपर छुरा चलानेवाली चढ़ा-ऊपरीसे स्वतन्त्र रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि जापानका व्यक्तिगत या राष्ट्रीय धन तो नहीं बढ़ा, पर जापानियोंके सभी पेशे और हैसियतके लोग सन्तुष्ट रहे और युरोपके विशाल नगरोंके गन्दे गलीकूचोंके, दुःखी नरनारियोंके हृदय-विदारक दृश्योंसे देश बचा रहा। संवत् १९२४ तक बड़े बड़े 'चाल' या कटरे नहीं थे, कारखाने नहीं थे, भूखके सताये कड़ाल नहीं थे और ऐसे बच्चे भी नहीं थे जिनको भरपेट खाना न मिलता हो। किसी राष्ट्रकी प्रगति, अखरडता और एकताके ये ही तो सबसे भयकर शब्द हैं।

'सन्त जेस्स' की राजसभासे जो पहले राजदूत<sup>१</sup> संवत् १९२० में यहां आये थे, वे लिख गये हैं, "यहांका वाहरी स्वरूप तो यों है कि देशजी सारी सत्ता लक्षकरी जागीरदारोंके हाथमें है... लक्षकरी जागीरदार ही सब कुछ हैं और मज़दूर आदि निमनश्रेणीके लोग कुछ भी नहीं हैं। फिर भी क्या देख पड़ता है कि सर्वत्र शान्ति है, समृद्धि है, चेहरोंपर सन्तोष है, और इतनी उत्तमताके साथ खेतीवारी हो रही है और सर्वत्र इमारती लकड़ीका सामान इतना इकट्ठा है कि इंग्लिस्तानमें भी

## १४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

वह नसीब नहीं। यहाँके कानून बहुत कड़े हैं और उनका अमल भी कड़ा होता है पर चिलकुल सीधे और सादे तरीके से। कोई बखेड़ा नहीं और किसी वकील-मुख्तारकी भी ज़रूरत नहीं।\*\*\* और यह भी देखिये कि यहाँका सार्वजनिक आयका अनुमान तीन करोड़ किया गया है और इस सम्पत्ति ने इस ज्वालामुखीपर्वतपूर्ण भूमिको नन्दनकानन बना दिया है, यहाँकी जनसंख्या और सम्पत्तिको यहाँके देशी उद्योग-धन्योंने बढ़ा दिया है जिन का कुछ भी सम्बन्ध संसारके और किसी देशसे नहीं है।”

जागीरदारोंके शानसकालमें भी यहाँकी सब सच्चा इंगिलस्थानके समान कुछ थोड़ेसे जागीरदारों या सरदारोंके हाथमें नहीं चली गयी थी, बहुत प्राचीन कालसे यहाँ थोड़ी थोड़ी भूमि ही रखनेकी प्रथा प्रचलित थी और जापानमें कभी भी पाश्चात्य जगत्के समान जागीरोंके साथ गुलाम नहीं रहा करते थे। हाँ, इसमें कोई सन्देह नहीं कि देशके प्रधान शासक ‘शोगून’से जो ज़मीन ‘दामिंश्चो’ याने सरदारोंको मिलती थी उनपर उनका पूरा राज्य होता था, पर तत्त्वतः दामिंश्चो केवल ज़िले या प्रदेशभरका मुख्य कर्मचारी होता था और वह कभी किसानोंके परम्परागत अधिकारोंमें हस्तक्षेप नहीं करता था।

जापानमें भी जातिभेदकी एक प्रथा प्रचलित थी। जहाँ जहाँ जागीरदार या ताल्लुकेदार-शासनपद्धति होती है वहाँ वहाँ प्रायः ऐसी प्रथा भी दिखायी देती है। उस समय दामिंश्चो और सामुराइयों अर्थात् सरदारों और भूमिरक्षकों<sup>१</sup>

१. दामिंश्चोकी जागीरोंकी रक्षा, देवभाज श्रादि सब प्रबन्ध सामुराइ

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार १५

के बीच और उसी प्रकार भूमिरक्षकों और कृषकोंके बीच भेदकी जो एक दीवार खड़ी थी वह वैसी ही दुर्भेद और दुर्गम थी जैसी कि इस समय 'अमरीका' के दक्षिणी राज्योंके 'श्वेत' और 'कृष्ण' वर्णोंके बीचमें है। परन्तु यहाँ यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि दक्षिणी राज्योंका यह भेदभाव वर्णविद्वेष, कुसंस्कार और धृणासे उत्पन्न हुआ है, पर जापानियोंके इस भेदभावका मूल सामाजिक कर्त्तव्योंका विभाग है। इसलिये इस भेदभावमें द्वेषका कुछ भी लेश नहीं था, यद्यपि जन्मतः किसी जाति विशेषमें गणना होनेके कारण अथवा हैसियत या पेशेके कारण समाज कई विभागोंमें बँट गया था। साथ ही यह भी स्मरण रहे कि निम्नतम जातिके लोग भी जीवननिर्वाहकी साधारण आवश्यकताओंसे कभी वञ्चित न रहे और न निर्दय 'जीवन सङ्ग्राम' के कारण उन्हें किसी अभावका कष्ट ही था, अपने भाग्यसे सम्यक् सन्तुष्ट न होनेपर भी वे इतने हताश कभी न हुए कि समाजका विध्वंस करनेपर उतारू हो जाते। इस शासनपद्धतिके रहते हुए जापानमें निर्धन मनुष्य तो बहुत रहे पर भयङ्कर दरिद्रता कभी नहीं थी। जापान राष्ट्रकी शक्तियोंका जोड़ लगाते हुए इस वातको भी न भूलना चाहिये। सुप्रजाजननशास्त्र यदि कोई शास्त्र है और उसके परिणतोंका यह कहना ठीक है कि यूरोपमरीकावासी आदि 'आर्य' जातियोंसे जापानी हीन हैं, तो यह भी देख लीजिये कि जापान कितना सुखी है जो उसकी जनसंख्यामें युरोप और अमरीकाके बड़े बड़े शहरोंके

---

बोग ही किया करते थे। इसलिये इन्हे कहीं भूमिरक्षक, कहीं वरपनायक और कहीं कारिन्दे कहा गया है।

## १६ जापानकी राजनीतिक प्रगति

गन्दे वाजारोंमें पले हुए वर्णहीन जातियोंके ऐसे लोग स्थान नहीं पा सके हैं।

राष्ट्र या जातिकी जो आत्महत्या होती है, जो प्राणघात और समाजविच्छेद होता है और जिस कारणसे अब पाश्चात्य 'सभ्य' राष्ट्रोंके जनसमाजकी जड़ भीतर ही भीतर खोदी जा रही है उसका कारण आर्थिक विप्रमावस्था अथवा सम्पत्तिका अन्यायपूर्ण विभाग है, और कुछ नहीं।

यह एक समझनेकी बात है कि जापानियोंके परस्पर बन्धुभावने दरिद्रता और उसके अन्तर्गत दुःखोंसे जापानकी कैसे रक्षा की है। आध्यात्मिक अर्थमें तो सभी देशोंके लोग परस्परमें बन्धुत्वका नाता मानते हैं पर जापानी लोग जातिभेदके रहते हुए भी एक दूसरेको 'देवो' याने जन्मतः भाई वहन समझते और मानते थे। यहाँ हम एक दो ऐसे उदाहरण देते हैं जिनसे जापानके सामाजिक जीवनका असली हाल यथा था सो मालूम हो जायगा। अध्यापक 'सिमन्स' लिखते हैं, "जंघ कोई ग्रामदाली बीमार हो जाता है तो उसके 'कुमी'<sup>१</sup> के अन्य लोग यथाशक्ति हर तरहकी सहायता करते हैं और आवश्यकता होती है तो उसका खेत भी जोत वो देते हैं। पर यदि ऐसा करनेमें उन्हें विशेष कष्ट और बोझ मालूम होता है तो वे 'कुमीगाशीरा' या 'नानुशी'<sup>२</sup> की शरण

१. शासनसम्बन्धी सुभीतेके लिये जापानमें पांच पांच परिवारोंका एक एक गुट हुआ करता था। इस परिवारपंचकको जापानी भाषामें 'कुमी' कहते हैं।

२. कुमीके अध्यक्षका नाम 'कुमीगाशीरा' होता था और ग्रामके अध्यक्षको 'नानुशी' कहते थे। जापानी भाषामें ग्रामको 'मूरा' कहते हैं।

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार १७

लेते हैं। ये नहाशय समस्त ग्रामवासियोंको इसकी खबर देते हैं और सब ग्रामवासी मिलकर पीड़ितको सहायता करते हैं। जब कोई किसान अपना मकान बनाता है या उसकी मरम्मत करता है तो ग्रामके सहवासी मिलकर उसकी सहायता करने आते हैं और विना कुछ लिये उसका काम कर देते हैं, केवल बढ़ी, संगतराश आदि कारीगरोंको उनका मेहनताना दिया जाता है और वाकी सबको खुराक<sup>१</sup>। यदि किसान बहुतही गुरीब हुआ तो बढ़ी आदि कारीगरोंको ग्रामनिधिसे ही रोज़ी दी जाती है। आग, महामारी आदिके समय भी इसी निधिसे कार्य चलता है। जब किसी दुर्भाग्यवश गरीबोंके मकान गिर जाते हैं और उन्हें रहनेके लिये कोई स्थान नहीं रहता तो वे मन्दिरोंमें जाकर एकाध महीना रह जाते हैं। जब कोई समृच्छा ग्राम हो जलकर नष्ट हो जाता है तो पड़ोसके ग्राम मदद करने आ जाते हैं और जमीन्दार तथा बड़े बड़े लोग मुफ़्तमें लकड़ी देते हैं।

“यदि कोई अतिथि या प्रवासी मार्गमें बीमार हो जाता था तो प्रायः ग्रामाध्यक्ष उसे अपने गृहपर भेज देते थे और सेवा-शुश्रुपा कराया जाते थे। यदि कोई प्रवासी मृतावस्थामें पाया जाता था तो उचित प्रकारसे उसका संस्कार किया जाता था या उसके ग्रामके अध्यक्षको इसकी सूचना दी जाती थी जिसमें मृत मनुष्यके इष्ट-मित्रोंको इस वातका घरसर मिले कि वे उसके शरीरको ले जायँ। यदि मृतव्यक्तिके पास ‘निम्ब-त्सुचें’ याने जन्मपत्र न हुआ और उसके सम्बन्धियोंका

१. जापानमें यह रिवाज अब भी है।

## १८ जापानको राजनीतिक प्रगति

पता न लगा तो ग्रामनिधिके व्ययसे ही उसकी अन्त्येष्टि किया की जाती थी ।”

‘अब दूसरा उदाहरण व्यापारी वर्गका लीजिये । व्यापारी जापानी समाजकी निम्नतम श्रेणीमें गिने जाते थे । इनके परिवारोंकी रक्काके लिये, देखिये, कैसा अच्छा प्रबन्ध था । ‘तोकिओ’ ( जापानकी राजधानी ) और ‘ओसाका’ इन दो नगरोंके बीच व्यापार करनेवालोंमें परस्परकी सहायताके लिये ऐसा नियम था कि “जब किसी व्यापारीका कर्दू जहाज दूब जाय या चट्टानसे टकराकर चूर हो जाय तो ऐसी अवस्थामें यदि श्रकेला वही व्यापारी हानि सहले तो उसके पास एक कौड़ी भी न रहे और उसका परिवार अर्थ-कष्टसे नष्ट हो जाय । इसलिये यदि कभी किसी परिवारपर यह सङ्कट पड़े तो सब व्यापारी सम्मिलित होकर हानिका भाग बाँट लें । इसप्रकार प्रतिवर्ष प्रत्येक व्यापारीको कुछ थोड़ासा त्याग करना पड़ेगा पर किसीकी ऐसी हानि न होगी कि किर उसे सिर उठाना काठन हो जाय । ”

इस प्रकार जब हम जापानकी आर्थिक व्यवस्था और उसके सामाजिक आचारविचार देखते हैं तो प्राचीन जापान एक बड़े भारी परिवारके रूपमें दिखायी देता है । या ‘स्पेन्सर’ की परिभाषामें यों कहिये कि वहाँ राष्ट्रकानूनकी अपेक्षा परिवारका कानूनही चलता था । अध्यापक ‘सिमन्स’ लिखते हैं, “पुराने जापानमें समाज आप ही अपना कानून था ।” उसके शासनसम्बन्धी नियम जनतासे ही आविर्भूत हो कर राजातक ऊपरको जाते थे न कि ऊपरसे प्रकट होकर नीचेको आते थे । कई शताब्दियोंके अनुभव और प्रभावसे जो

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार १६

रिवाज प्रचलित हो गया था वही कानूनकी पोथियेंका काम करता था ( अपराधविषयक कानूनको छोड़कर ) और अदालतें, न्यायाधीशों और वकील मुख्तारोंका काम पञ्चायत-प्रथासे ही निकलता था । ग्रामसंस्थाओंकी योजना बहुत ही उचित और अच्छी थी और कुछ वन्धनके साथ इन्हें सानिक कार्यसञ्चालन और शासनमें पूरी स्वाधीनता थी और इन संस्थाओंमें सब प्रकारके लोगोंको प्रतिनिधित्व प्राप्त होता था । इनका शासन जितना सामाजिक या पारिवारिक ढङ्ग-का था, उतना राजनीतिक नहीं, और इनके जो मुखिया होते थे वे परामर्शदाता ( सलाहकार ) होते थे, न कि हाकिम, और न्याय करनेवाले पञ्च होते थे न कि न्यायाधीश । ”

प्राचीन जापानमें समाजकी यह अवस्था होनेके कारण नागरिकोंके कर्तव्यों और अधिकारोंके सम्बन्धमें कोई व्यवस्था नहीं बनी थी और न कानूनकी कोई कड़िई ही थी । जापानी समाजमें जो उपर्युक्त व्यवस्थाकी कमी पायी जाती है इसका कारण कुछ लोग सभ्यताकी कमी बताते हैं, पर वास्तविक इसका कारण यह है कि जापानियोंमें वह ‘व्यक्ति-प्राण्यवाद’ और ‘लक्ष्मीका दासत्व’ नहीं था जो कि पाश्चात्य सभ्यतामें भरा हुआ है । बहुतसे दीवानी भगड़े तो आपसमें हो समझकर तै कर लिये जाते थे जैसे कि एक परिवारके लोग आपसमें समझ लिया करते हैं । जब कोई दीवानी भगड़ा अदालतमें जाता था तो लोगोंको उतना ही दुःख और घृणा होती थी जितनी कि नवीन सुमाजमें पतिपत्नीके त्यागके मुकदमेसे होती है । यही कारण है कि जापानमें शासन-सङ्गठनके विरुद्ध कभी कोई घोर विझ्व नहीं

## २० जापानकी राजनीतिक प्रगति

हुआ और धीरे धीरे, पर क्रमके साथ उसकी उन्नतिही होती गयी।

यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जिन लोगोंको ऐसी धीमी उन्नतिका अभ्यास था, और जिन्हें कभी निर्देश दीघनसंग्रामका सामना नहीं करना पड़ा था वे ऐसी अद्भुत उन्नति क्योंकर कर लके कि जिसे देखकर हँसारको चकित होना पड़ा। जापानके इस अद्भुत प्रगमन और पराक्रमका क्या रहस्य है? — वह प्रगमन थैर पराक्रम कि संसारके इतिहास में जिसकी फोर्म उपमा नहीं है, पर्यामके बड़े बड़े समझदारोंने सम्में भी जिसे न देखा और जो भविष्यमें संसारकी विचार-गतिको एक नया ही मार्ग दिखलानेवाला है। क्या वह जाति ही ऐसी पराक्रमी है? कुछ मानवप्रबृत्तिशास्त्र तो अब भी कहते हैं कि जापानी जाति निष्ठश्रेणीकी जाति है। तब इस अभिनव जापानके इस इतिहासका क्या रहस्य है? क्या वह कुशिदोका परिणाम है या पूर्वजपूजा, शिन्तांसत, मिकादोकी नान्यता, इनफूशियस मत, वौद्धधर्म इत्यादिमेंसे कोई उल्का कारण हुआ है?

इस उल्कनको लुलभानेके लिये बड़े बड़े प्रयत्न इए हैं। कुछ लोग इसका कारण वौद्धधर्म (बुशिदो) बतलाते हैं और कुछ लोग पूर्वजपूजन या इनफूशियस मतको इसका श्रेय देते हैं, इस प्रकार अनेकोंके अनेक मत हैं, पर प्रायः सभी ज़ोर देकर यही कहते हैं कि जापानियोंकी धार्मिक शिक्षाका ही यह फल है। निःसन्देह आचार और धर्म-की शिक्षाने जापानके अभ्युदयमें बड़ी भारी सहायता की है। पर शाश्रधर्मपर कुछ जापानियोंका ही सत्त्व नहीं है, युरोपीय मध्ययुगमें भी जैसाकि अध्यापक 'फ्रीमन'

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार २१

बतलाते हैं कि यह शावृत्ति प्रवल थी, और न मिकादोकी मान्यताही कोई ऐसी विशेषता है जो जापानियोंमें हो और औरेंमें न हो। राजभक्तिकी भावना सर्वत्रही वर्तमान थी, पूर्वजपूजा तो मनुष्यजाति जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ वर्तमान है और स्पेन्सर महादयने तो इसी पूर्वजपूजाको सारे धर्मसम्प्रदायोंका मूल अनुमान किया है। शिन्तो या पञ्चमहाभूतोंकी उपासना भी जैसा कि अथापक ई. बी. टेलर कहते हैं, जापानहीकी कोई विशेषता नहीं है, कनफूशियस मत जैसे जापानमें था, वैसे चीन और कोरियामें भी था, और बौद्धधर्म केवल जापानमें ही नहीं, वरन् समस्त दक्षिण एशिया खण्डमें प्रचलित है। अतएव जब यह मान लेते हैं कि ये सब मत या इनमेंसे कोई, अभिनव जापानकी चमत्कृतिजन्य उन्नतिका मूल है तो इसका क्या उत्तर है कि और जिन जिन देशोंपर इन मतोंकी द्वापर ही उनपर इनका कोई परिणाम नहीं हुआ और अकेले जापानपर ही क्यों हुआ?

जब वेजामिन कीड महाशयने यह समझा कि पाश्चात्य सभ्यताके साथ जो प्रजासत्तावाद संयुक्त हुआ उसका वास्तविक कारण ईसाकी शिक्षा है तो उन्होंने भी यही गलती की और यन्त्र और यन्त्रको चलानेवाली शक्ति दोनोंको एक ही समझ लिया। ईसाई धर्मने निःसन्देह प्रजातःक्रको बहुत कुछ ऊपर उठाया है पर वह प्रजातःक्रका जनक नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार जापानियोंकी इस असाधारण उन्नतिका मूल और प्रधान कारण जापानियोंकी आचारशिक्षा और मतोपदेशको बतलाना उनका मिथ्या महत्व बढ़ाना है।

मेरे विचारमें इसका मूल कारण अपने राष्ट्रकी स्वाधीनता और अखण्डता बनाये रखनेकी जापानियोंकी हादिंक चिन्ता

## २२ जापानकी राजनीतिक प्रगति

है जिसकी उद्दीपनासे ही जापानियोंने वे सब महान् उद्योग किये हैं। इन उद्योगोंकी महत्ता और प्रगाढ़ताका कारण यह है कि जापानी जाति अभिन्न थी क्योंकि जापानियोंका धंश अभिन्न था, आचारविचार अभिन्न थे, पूर्वपरम्परा और संस्कार अभिन्न थे। यह सब केवल एक बातके कारण सम्भव हुआ, वह यह कि जापान अन्य भूप्रदेशोंसे अलग था, और मुद्रतसे वह स्वतन्त्र और स्वाधीन था।

जब कोई फार्म फरना होता है तब सबसे पहले उसे करनेका टड़ निश्चय होता चाहिये। यह निश्चय चाहे किसी मनोविकारके कारण हुआ हो या विवेकसे हुआ हो, और निश्चय कर चुकनेपर अपनी सारी शक्तियोंको उस उद्योगमें लगा देना होता है। एक जापानी कहावत है, “निश्चयका बल ही फलके अधीनसे अधिक लाभ है”। नेपोलियनकी युद्ध-नीति यही थी कि जिस स्थानपर उसका आक्रमण होता था उसमें वह अपनी पुर्ण शक्ति लगा देता था। जापानकी इस असाधारण उत्तिका कारण कि वह एक वहिर्भूत भूप्रदेशकी दशासे आज संसारकी महाशक्तियोंके वरावर हो गया है, केवल गरी हो सकता है कि उसने अपनी सारी शक्ति एकमात्र निर्दिष्ट लक्ष्यकी प्राप्तिमें लगादी अर्थात् उसने अपनी स्वाधीनताकी रक्काके लिये महाशक्तियोंकी वरावरीको एही अपना लक्ष्य बना लिया।

अधिक प्रश्नतिवाले पाठ्यात्म देशवासियोंमें ‘श्रहंभाव’ बढ़ायी प्रवल होता है। सबसे अधिक महत्त्व वे इसीको देते हैं। जिस भूमिमें वे रहते हैं उसके सम्बन्धमें उनके मुखसे ऐसेही शब्द सुनायी देते हैं कि, “हम यहाँ आये। हमने जोतकर इस

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार २३

भूमिको तैयार किया और हमने यहाँ अपना घर बनाया।” इथर जापानियोंमें यह बात नहीं है। ‘कोकु-का’ अर्थात् ‘देश और घर’ उनके लिये प्रधान देवता हैं। ‘अहं’ से बढ़कर उनमें उनकी अधिक श्रद्धा है। वे कहते हैं,—“देश और घरने ही हमारे पूर्वपुरुषोंके प्राण बचाये और वही हमारी और हमारे बंशजोंकी भी रक्षा करेगा।”

इसप्रकार, देश और देशके राजामें कोई भेद न देखते हुए जापानी अपने सभ्यात्मकी भक्तिको अपना प्रधान धर्म मानते हैं और यही राजभक्ति उनकी चरित्रशिक्षाका पहला पाठ है। पाद्यात्म संसारकी चरित्रशिक्षाका केन्द्र प्रेम है—वह प्रेम जो व्यक्तिगत ‘अहंभाव’ को सन्तुष्ट करता है।

तुलनात्मक दृष्टिसे यह कहा जा सकता है कि पाद्यात्म देशवासी राष्ट्रके नाते और व्यक्तिके नाते अहंभावी होते हैं, और जापानी लोग राष्ट्रके नाते तो वडे ही अहंभावी होते हैं पर व्यक्तिशः उनमें अहंभाव होता ही नहीं। वे अपने-को देशका एक अङ्गमात्र समझते हैं और उसीके काम आना अपना परम कर्त्तव्य मानते हैं। जापानियोंके चरित्रबलका मूल स्वार्थत्याग है और पाद्यात्म देशवासियोंका मूलमन्त्र स्वार्थ-साधन।

जापानीमात्रके अन्तःकरणमें स्वार्थत्यागकी वृत्ति बर्तमान है। जापानमें प्रत्येक वस्तु देश और घरकी सेवाके लिये तत्पर रहती है, इस बातको और भी स्पष्ट करनेके लिये हम गृहस्थाथमकी एक मुख्य बात अर्थात् विवाहसंस्कारकी आलोचना यहाँ करते हैं। विवाहमें भी गृहस्थीके विचारके

## २४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

सामने व्यक्तिप्रेमको कहीं स्थान हो नहीं है । इग्लिस्टान और अमरीकाके युवक यह सुनकर चकित होंगे कि जापान में लड़केलड़कियोंका जो विवाह होता है उसमें घरकन्या का निर्वाचिन उनके अपने मनसे नहीं होता । विवाहका मुख्य उद्देश्य जापानमें यह नहीं है कि प्रेम या कामके बश खीपुरुपका संयोग हो, प्रत्युत यह है कि आगे बंश चले और वर बना रहे । यौवनकी धधकती हुई आग बुझानेकी संपेक्षा पुणोत्पादन अथवा वंशविस्तारको ही प्रायः अधिक महत्व दिया जाता था और अब भी दिया जाता है । 'ताईओ' का धर्मशास्त्र<sup>१</sup> बतलाता है कि यदि लोग बन्धा हो अथवा उसके पुत्र न हो तो उसका पति उसे त्याग सकता है । इसीसे पाठक अनुमान कर सकते हैं कि जापानमें गृहस्थाश्रम और वंशविस्तारका, समाजशृंखलाकी अचांडताका कितना यहां महत्व है । इसप्रकार यिवाह समाजका एक प्रमुख है न कि लोग और पुरुषका प्रेमसम्बन्ध अर्थात् जापानियोंका सबसे बड़ा गुण 'आनन्द प्रेम' नहीं प्रत्युत प्राचीन यूनानके समान 'स्वदेशसेवावत' है ।

अमरीका जैसे देशमें जहाँ कि नानाजातियां एकत्रित हुई हैं, जहाँ इनमें स्थानिक प्रभेद हैं और जहाँ व्यक्तिगत

१. यह या घरका महाव जापानमें बहुत चढ़ा है । घरको वे एक सनातन संस्था मानते हैं ।

२. ताईओका ग्रन्थ ही जापानका प्रथम लिखित धर्मशास्त्र ग्रन्थ है । यह संवत्र ७५८ में लिखा गया । इसके उपरान्त और भी कहाँ ग्रन्थ धर्मशास्त्र ऐ चने पर शापार उन सबका यही रहा और इसके बचन अचत्तक आदरणीय माने जाते हैं ।

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार २५.

‘अहंभाव’ की प्रधानता है वहाँ किसी बहुत बड़े महत्वके प्रश्नपर भी सबका एकमत, एकदृष्टि हो जाना बड़ाही कठिन काम है। अतलान्त सागरकी अमरीकाकी नौसेना प्रशान्त महासागरमें भेजनेकेलिये छ करोड़ रुपयोंकी आवश्यकता पड़नेपर राष्ट्रपति रुज़बेल्टको अधिक डॉडनाट<sup>१</sup> जहाजोंको बनानेके पक्षमें सम्मतिसङ्गह करनेके अर्थ कड़ी नीतिका अवलम्बन करना पड़ा था। यह उसी संयुक्तराज्यके लिये आवश्यक हो सकता है जहाँ यदि कोई राष्ट्रीय कार्य करना हो तो सबसे पहले लोगोंको यह समझाना पड़ता है कि इसमें आपका भी स्वार्थ है, क्योंकि वहाँ तो लोग पहले अपना विचार करते हैं, अपना स्वार्थ देख लेते हैं और स्वार्थकी रक्षा करते हुए तथ देशकार्यमें सम्मति देते हैं। ‘मातृभूमि’ की भक्तिका विचार उनके अन्तःकरणमें नहीं आता जिससे कि अपने आपको भूलकर देशकार्यमें आत्मसमर्पण कर सकें।

पर जापानी लोग, व्यक्तिगत भिन्नता होते हुए भी, एक जातिके अङ्ग हैं और उनका एक ही अन्तःकरण है। पीढ़ी दर पीढ़ी वे एक ही स्थानमें उन्हीं पड़ासियोंके साथ रहते आये हैं, एक ही भाषा बोलते आते हैं, एक ही साहित्यको पढ़ते आते हैं, उन्हीं देवताओंकी पूजा करते आते हैं और उन्हीं धार्मिक संस्कारोंका पालन करते आते हैं, इसकारण उनके विचार और भाव भी एक ही हैं। जिस देशमें उनका जन्म हुआ, जहाँ उनके वापदादोंकी समाधियाँ हैं, जहाँ उनके इतिहासके स्मृतिचिह्न हैं, वह देश उनके हृदयमें भक्तिके गहरे भाव अवश्यही उत्पन्न करेगा। यह

१. बड़े बड़े यद्यपोत इंडनाट ( निभेंय )के नामसे प्रसिद्ध हैं।

भक्तिभाव समस्त देशवासियोंकी नस नसमें भरा है और उन्हें स्वेहशृङ्खलामें वांधकर एक कर देता है। इसी भावको कभी कभी 'जापानियोंकी देशभक्ति' कहते हैं। इसकी प्रेरणाशक्ति उतनीही अधिक होती है जितनी कि अखरडताकी मात्रा इसमें अधिक हो।

जापानी राष्ट्रके विचारोंकी एकताको भलीभाँति समझ लेना जापानी अन्तःकरणहीका काम है। चीनका बड़ा भारी राजनीतिश्य 'ली-हझ-चझ' और रुसके बड़े बड़े नीति-निपुण पुरुष भी जापानियोंके अन्तःकरणको न समझ सके और अपने देशोंको लड़ाकर व्यर्थही अपकार्त्तिके भागी हुए। चीन-जापानयुद्धसे पहले जापानसरकार और प्रतिनिधिसभाके घोच जो मतवैपम्य हुआ था उसीसे ली-हझ-चझ जापानका वास्तविक स्वरूप समझनेमें गलती कर गये। उसी प्रकार जापानी समाचारपत्रों और सर्वसाधारण जापानियोंकी शान्तवृत्तिसे रुसी रानपुरुष भी जापानकी वास्तविक दशा समझनेमें घोसा था गये। जापानियोंके राष्ट्रीय अस्तित्वपर यदि आपत्ति आती है तो उसे समझनेमें जापानियोंको कुछ भी देर नहीं लगती क्योंकि देशही तो उनकी 'आत्मा' है। किसी चिदेशीय राष्ट्रके विरुद्ध उन्हें वारवार सावधानी-की सूचना नहीं देनी पड़ती और न द्वेषमय आन्दोलनहीं करना पड़ता है। केवल प्रजातन्त्र राज्यपद्धति, दीवानी और फौज-दारी कानूनका सुधार, अनिवार्य सेनावृत्ति, आधुनिक शास्त्रीय शिक्षा इत्यादि व्यापकी जापानको एशियाकी सबसे उपरिशील शक्ति बना दिया है, यह समझना बड़ी भूल है।

---

## द्वितीय परिच्छेद

### जापान और उसके राजनीतिक संस्कार

( उत्तरार्द्ध )

संसार जापानको एक शक्तिशाली राष्ट्र मानने लग गया। इसका कारण यह है कि जापानियोंने अपने स्वतन्त्र अस्तित्व-को अखण्ड रखनेकी प्रेरणासे प्रेरित होकर अपनी सारी शक्तियोंको एक लक्ष्यपर केन्द्रीभूत किया और व्यक्तिगत स्वार्थोंको राष्ट्रकी सेवामें समर्पित कर दिया। व्यक्तिका सम्पूर्ण आत्मविस्मरण राज्यकी स्वैरशासननीतिका घोतक होता है। स्वैरशासननीति अथवा यूरोपनिवासी जिसे पूर्वियोंकी प्रजादमनमूलक नीति कहते हैं उसे पुस्तकी विद्याहीके अनन्यभक्त अच्छा न समझेंगे और कहेंगे कि यह बाल-युगका एक अवशेष है अथवा असभ्यताका अवशिष्टांश है जैसे तार्किक लोग ईसाके कब्रसे पुनः ऊपर निकल आनेकी बातका उपहास किया करते हैं।

पर संसारमें शुष्क तार्किकोंकी अपेक्षा सहदय श्रद्धा-शील प्राणियोंकी संख्या ही अधिक है, और जो आधुनिक प्रजासत्ता जनताकी योग्यतासे उसकी संख्यापरही अधिक ज़ोर देती है उसने भी कुछ नरकका स्वर्ग नहीं बना दिया है। यहा नहीं किन्तु उसने राज्यकार्यपर रागद्रेष भरे प्राणियोंके अस्थायी भावोंका और भी अधिक प्रभाव डाला है।

## २८ जापानको राजनीतिक प्रगति

व्यक्तिमानका प्राधान्य माननेवालोंको चाहे यह कितनी-ही सूख्ख्यतासी मालूम हो पर जापानमें तो अब भी राजा-ईश्वरतुल्य माना जाता है, और जापानकी शासन-नीतिमें इसका वैसाही महत्व है जेसा कि कुछ धर्मसंघ-दायोंमें चमत्कारों और दत्तकथाओंका है। अतएव जापान-की राजनीति ठीक ठीक समझनेके लिये हमें यह देखना होगा कि जापानके राष्ट्रकार्यपर 'मिकादो-तत्त्व' का (राजभक्तिका) पद्धा प्रभाव है।

'राजा ईश्वरतुल्य है', इसी मूल सिद्धान्तपर जापानियोंकी राजनीतिलिपि अदालिका उठायी गयी थी और उनी-पर अवतक बहु स्थित है। जापानके इतिहासमें पहले पहल जो राष्ट्रीय उद्योग आरम्भ हुआ वह धर्मयुक्त राजनीतिक उद्योग था। सूर्यदेवताकी उपासना और जापान-सम्राट्को प्रधान पुराहित मानना शासनकार्यका एक सुख्य भाग था। वस्तुतः उपासनाके लिये जो जापानी शब्द है 'मत्तुरिनोतोः' उसका भी अर्थ जापानी भाषामें 'शासन' ही है। जापानके पुराने राजधर्म 'शिन्तो', के विषयमें लिखते हुए डाक्टर अस्तुन कहते हैं, "इस मतमें प्रवृत्ति और निवृत्तिमें अन्य सम्प्रदायोंकी अपेक्षा बहुत ही कम भेद माना जाता है। मिकादो राजा भी थे और साथ साथ धर्मराधिका भी।" इस प्रकार जापानियोंका मूल राजनीतिक संस्कार अध्यापक वर्जेस्के उस सिद्धान्तको पक्षा करता है जिसे अध्यापक महाशय सार्वजनिक बतलाते हैं, अर्थात् "कोई भी पक्षपात-रद्दित राजेतिहासलेखक इस बातको अस्वीकार न करेगा कि राजशासनका प्राचीनतम रूप देवराज्य था अर्थात् 'ना विष्णुः पृथिवीपतिः' यही भाव बद्धमूल था। इसके साथ

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार २६

ही पह यह भी कहेगा कि राज्यके क्रमविकासको बड़ी बड़ी कठिनाईयोंका सामना करना पड़ा है जिन कठिनाईयोंसे छुड़ाकर धर्महीकी शक्तिने उसे पूर्ण विकसित किया है।...विशुद्ध राजनीतिक तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे यह बात बहुत ठीक मालूम होती है। राज्यका तात्त्विक मूलही पवित्रता अर्थात् श्रद्धा और आशाकारिता है। इस सिद्धान्तपर जबतक प्रजाका चरित्र संगठित नहीं किया जाता तबतक धर्मशास्त्र या कानूनका राज्य चल ही नहीं सकता।”

तथापि अनेक पाश्चात्य राष्ट्रोंने पोपराज्यका स्वरूप बहुत कालसे छोड़ दिया है। कहीं एकाध जगह उसकी छायामान्र दिखायी देती है। स्टेटोंके समयके पूर्व भी राज्यके कई स्वरूप चर्तमान थे। जापानकी यह एक विशेषता है कि वह दृढ़ता और धार्मिकताके साथ अपनी परम्परागत राज्यपद्धतिको चलाये जाता है और अपने पच्चीस शताब्दियोंके जीवनमें नाना ग्रकारके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उलटफेर होनेपर भी उसने उस परम्पराको कहींसे भी भङ्ग नहीं किया। शासनपद्धतिमें समय समयपर बहुतसे परिवर्तन हुए पर उसका मूल सिद्धान्त कभी भी परिवर्तित न हुआ। राजनीतिक इतिहासकी यह एक विशेष बात है। यह भाव जापानियोंके हृदयको ऐसा आकर्षित कर लेता है कि कहनेकी बात नहीं। यह सिद्धान्त कितनाही साधारण और बालभावपूर्ण हो, यर यह प्रत्येक जापानीके हृदय और मनपर खुदा हुआ है और उनमें प्रेम, भक्ति और शङ्काका स्रोत प्रवाहितकर देनेमें समर्थ होता है।

जापानियोंके हृदयमें यह अद्वापूर्ण विश्वास है कि जापानराज मिकादो अपने दैवी पूर्वपरम्परागत अधिकार-

से जापानके अद्वितीय अधिकारी, शासक और मालिक हैं। वास्तवमें, यह उनका 'धर्म' है। डाक्टर ग्रिफिस कहते हैं, "राजभक्तिही जापानियोंकी व्यक्तिगत सच्चाई और सार्वजनिक योगदेशकी तीव्र है।" जापानियोंके हर एक काममें यह बात स्पष्ट प्रकट होती है। जापानियोंकी नैतिक—(चरित्र) शिक्षाके सम्बन्धमें लिखते हुए सरदार किकूची कहते हैं, "व्यक्तिमात्र-को इस बातकेलिये प्रस्तुत रहना चाहिये कि वह घरके लिये आत्मर्पण करे और देशाधिपतिके लिये अथवा आजकलके भाषाव्यवहारमें सम्मान् और साम्राज्यके लिये अपनेको और अपने घरको भी अर्पण कर दे। यही आदर्शभूत सिद्धान्त है जिसपर आज भी हम अपने सन्तानोंको शिक्षा देनेकी चेष्टा करते हैं।" जापानकी कला, नाटक और साहित्यका मुख्य चिपय राजभक्तिका आदर्श ही होता है, न कि युवायुवतीका वह प्रेम जो कि पाश्चात्य कला, नाटक और साहित्यका मुख्य अङ्ग है। जापानियोंके मनमें यह मिकादो-भक्तिका भाव ऐसी दृढ़तासे वैठा हुआ है कि इसे कोई बात दूर नहीं कर सकी है। जापानियोंकी नस नसमें यह भाव भरा हुआ है।

विदेशोंके नाना मतसम्प्रदाय, तत्त्वज्ञान, नीतिसिद्धान्त और राजनीतिके मूलतत्व जापानमें उसकी सम्यताके आरम्भकालसे ही आते गये और उनका बहुत प्रभाव भी पड़ा होगा पर जापानसम्मान्त्रके प्रति लोगोंकी जो पूर्वपरम्परागत श्रद्धा चली आती है उसमें कुछ भी पारवर्तन नहीं हुआ। कनफूशियसधर्म जापानमें फैल गया था पर उसके सम्प्रदायमें राजभक्तिकी कर्तव्यपूर्ण अधीनता और दीक्षा नहीं थी। बौद्धसम्प्रदायको धर्मसम्प्रदाय बननेके

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार ३१

लिये शिन्तो देवताओंको मानना पड़ा ; जब ईसाई धर्म आया तो आरम्भमें बड़ी शीत्रतासे वह फैलने लगा पर ज्योंहीं महत्वाकांक्षी ईसाई पादरियोंने जापानियोंको यह पढ़ाना चाहा कि संसारमें एक ईसाधर्म ही सच्चा है और दूसरा कोई धर्म नहीं, जब उन्होंने जापानियोंको यह बतलाना आरम्भ किया कि तुम्हारे धर्म और नियम सब भ्रष्ट हैं, और जब वे राज्यकी दैची शक्तिको भी तुच्छ बतलाने लगे त्योंहीं ईसाई धर्म वहाँसे निकाल बाहर किया गया। पादरी विलियम सेसिल महाशय वहुत टीक कहते हैं कि जापानमें यदि ईसाई धर्मका प्रचार होगा तो उस ईसाई धर्मकी शक्ति सूरत विलकुलहीं बदल जायगी। उन्हींसवाँ शताव्दीके मध्याहसे पाश्चात्य जगत्के प्रायः सभी सिद्धान्तोंने,—यथा, प्रकृतिके नियम, मनुष्यके अधिकार, व्यक्तिस्वातन्त्र्य, उपर्योगितातत्त्व, समाजसत्तावाद, सर्वसाधारणसत्तावाद, प्रतिनिधिसत्तावाद, सङ्घठनात्मक राज्यप्रणाली आदि सभी मतसम्प्रदायोंने जापानपर अपना प्रभाव जमाना आरम्भ किया और उसके राजनीतिक विचारोंपर वहुत कुछ प्रभाव डाला भी, यहाँतक कि वहुत थोड़े समयमें राज्यपद्धति वहुत कुछ उलटपलट गयी; पर तौभी सम्राट्के दैची अधिकार और प्रजाकी राजभक्तिके संस्कारसे नये विचारोंका कुछ भी मेल नहीं हुआ।

पर यह स्पष्ट ही है कि आप हावस नामक अंग्रेज दार्शनिकके समान कोई भी किसी राजाके एकतंत्रेण राज्य करने-की पद्धतिको आदर्श नहीं बना सकता; क्योंकि मनुष्यमात्र अल्पश्च और प्रमादश्चुक्त है और किसी भी मनुष्यके एकतंत्राधिकारके अधीन सबके प्राण और धनके रहनेमें बड़े भारी

सङ्कटली सम्भावना है। इसके साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जापानसमाट्के एकमेवाद्वितीय अधिकारने कभी पाश्चात्य इतिहासके अत्याचारका कप धारण नहीं किया। अध्यापक नीतोंवो महाशय इड़ताके साथ कहते हैं, “हमारे यहाँ ऐसे अत्याचारी राजा कभी नहीं हुए जैसे कि पाश्चात्य देशोंमें; और हमारे इतिहासपर ऐसा कलङ्क भी कभी नहीं लगा जैसाकि पाश्चात्य इतिहासपर प्रथम चालसे या सोलहवें लुईस्फी मृत्युका धब्बा लगा है।”

जापानी लोग अपने हृदय और प्रन्तःकरणसे मिकादोको अपने परिवारका मुख्य पुरुष मानते और अपनेको उसके परिवारका अङ्ग समझते थे; और राजा प्रजाका यह परस्पर भाव सदा यन्त्र रहता था। चाहे समाट्का प्रत्यक्ष शासन हो या राजसभा अथवा ज़मीदारवर्गके द्वारा शासन होता हो, सरकार प्रजाओंको अपने परिवारजन समझकर कुलपति-के नाते उनका पालन पोपण करना अपना मुख्यधर्म समझती थी। प्रिंस शोतोकूके व्यष्टस्यापत्रमें लिखा है, “राजाके कर्मचारी भी प्रजा ही हैं; और कोई कारण नहीं है कि वे अन्य प्रजाजनोंपर जो कि उसी राजाकी प्रजा हैं, अधिक और अनुचित वोझ डालें।”

यदि पुष्प पिताका शुलाम फहा जा सकता है तो हम कहेंगे, जापानी सदासे अपने राजाके शुलाम हैं, और वह दि राजनीतिक स्वाधीनता लोकसत्त्वके विना न हो सकती हो जैसा कि कुछ वस्तुनिरपेक्ष राजनीतिसूत्रोंका प्रत्यक्ष और सम्बन्धशासनका सम देखनेवालोंका सिद्धान्त है तो हम कहेंगे कि जापानियोंको राजनीतिक स्वाधीनता कभी न सीधे नहीं हुई।

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार ३३

पर इसके साथही यह भी समझ लेना चाहिये कि जापानी चाहे राजनीतिक दृष्टिसे दातत्वमें रहे हों पर अर्थकी दृष्टिसे वे कभी दास या परमुलापेक्षी नहीं रहे। यह भी एक समझनेवाली दात है कि जिस जापानके प्रत्येक परिवारमें 'न पिनुः पर-दैवतम्', पिताकी पेसी गहिमा है वहाँ पातकोंपर होने वाली निर्दयनाको रोकनेवाली सभा (A Society for the prevention of Cruelty to Children) बनानेकी अवश्यकता कोई श्रावश्यकता नहीं पूर्ण है और पात्रात्म संसारमें उहाँ कि पिता अपने पुत्रसे अपनी आशाका पातन नहीं करा सकता और येटा यापसे बराबरीका हक चाहता है वहाँ पेसी संघाका दोना एक महत्कार्य समझा जाता है। यदि अध्यापक रास्त मद्दायका यह कहना ठीक है कि, "समाजका मुस्ख्यवद्ध रखनेवाला गुण आशापातन ही है" तो जापानकी शृंखलाएँ राजनीतिक प्रगतिका विचार करते हुए, जूपानियोंमें राजाके द्वन्द्याधिकार व प्रजापुत्रवास्तव्यकी जो कल्पनाएँ हैं उनका भी विचार किया जाना चाहिये। जापानसमाट् विलक्षण निःसङ्गोच होकर यह यह सकते हैं कि, "जापान, जापान में हूँ।" इसलिये नहीं कि वे अपनी प्रजासे चाहे जो काम करा ले सकते हैं प्रत्युत प्रजा ही अन्तःप्ररणसे उन्हें हतना मानती है। ३ वस्तुतः वे जापान-साम्राज्यके फेन्ड हैं और खयं साम्राज्य-स्वरूप हैं। जिस प्रकार 'सर्वं गत्विदं ब्रह्म'वादी संसारमें सर्वद्व पद्मलवर्णकिमान् परमात्माको ही देख पाते हैं उसी प्रकार जापानी अपने जापानके भूमरण्डलमें समाटको ही प्रभु मानते हैं। उन्हींसे जब वस्तुओंका आधिर्भवि होता है और उन्हींमें सबका लाय भी होता है; जापानकी भूमिपर एक भी पदार्थ ऐसा नहीं जो उनके अधीन न हो। साम्राज्यके कर्त्ताधिकर्त्ता

## ३४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

विधाता वे ही हैं, दुःख हरनेवाले, कृपा करनेवाले, न्याय करनेवाले और नियम बनानेवाले वे ही हैं—वे जापानी राष्ट्रकी एकताके चिह्नस्वरूप हैं। उनको राजसिंहासनपर बैठानेके लिये जगद्गुरु या धर्मचार्यकी आवश्यकता नहीं पड़ती। साम्राज्य-की सब ऐहिक और पारमार्थिक वातोंमें उन्हींकी वात्र चलती है; और जापानियोंकी सामाजिक तथा शासनात्मक नीतियां उन्हींसे होता है।

जापान सभाट्रकी इस कूटस्थ सत्ताको देखकर विदेशियोंको बड़ा ही आश्वर्य होगा। परन्तु जापानमें इसका विरोध करनेवाला कोई कालेन्सो,<sup>१</sup> हक्सले<sup>२</sup> या नीत्यो<sup>३</sup> नहीं पैदा हुआ। आप यह कह सकते हैं कि

१. कालेन्सो (जान विजियम)—(जन्म संवद १८७१, मृत्यु संवद १९४३) कालेन्सो बड़े भारी गणितज्ञ थे। उनका बनाया हुआ दीजगणित व अन्न-स्थित प्रसिद्ध है। वे प्राचीनपरम्पराके विरोधी थे। इन्होंने वाइविलकी आलोचना करके उसकी घजियां डड़ादी हैं।

२. टामस हेनरी हक्सले (जन्म संवद १८८२, मृत्यु संवद १९५२)—‘मनुष्यकी उत्पत्तिका पता’ लगानेवाले चार्ल्स दारविनके मित्र और सुप्रसिद्ध प्राणिविद्या-विशारद। दारविनने मनुष्यकी उत्पत्ति वानरसे बतलायी है और इन्होंने उस पक्का अकाटय युक्तियोंसे समर्थन किया है। हक्सलेके शासीय सिद्धान्तोंके कारण इंसाईं धर्मकी जड़ हिल गयी और पादरी इन्हें गालियां देने लगे पर सत्यधर्मके प्रतिपादनमें ये भयको जानते ही न थे।

३. फ्रेडरिक नीत्यो—एक अत्यन्त प्रसिद्ध आधुनिक जर्मन तत्त्ववेत्ता। जन्म संवद १९०१ में और मृत्यु संवद १९४७ में। यह अपने जीवनारम्भमें उपनिषदोंके भक्त जर्मन परिष्ठत शोपेनहारका शिष्य था। यह बड़ा मेधावी व तेजस्वी तत्त्ववेत्ता था। इसमें इंसाईं धर्मशास्त्रका वेदरदीसे स्वरूप किया है और अपने समकालीन तत्त्ववेत्ताओंकी भी बड़ी कड़ी शालोचना की है। यह जातिभेदको मानता था और वर्णाश्रमधर्मके सिद्धान्तपर समाज-सङ्गठन कराना चाहता

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार ३५

जापानी लोग वडेही तत्त्वज्ञानशूल्य होते हैं ! पर यह विश्वास रखिये कि कोई भी समझदार जापानी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो उस भावकी निन्दा करे कि जो उसकी मातृभूमि-सम्बन्धिनी अत्यन्त आह्वादकारिणी कल्पनाओंसे भरा हुआ है, जो भाव उस शान्ति और सुख-समृद्धिके साथ चला आता है जिस शान्ति और सुख-समृद्धिमें उसके पूर्वज रहे और वह स्वयं भी है, और जिस भावको वह अपने राष्ट्रको एकता, अखण्डता, शक्तिमचा और गुरुत्वका मूल समझता है, चाहे किसी तत्त्वज्ञानीके लिये उस भावमें कुछ भी तत्त्व न हो।

इसके साथ ही, जापानके राजनीतिक इतिहासके गुणपरिणामकी एक अत्यन्त चित्तवेधक वातका वर्णन अभी वाक्ता है। जापानसन्नाट तत्त्वतः जापानके सर्वस्व होनेपर भी वहुत कालसे अब वे स्वैरशासक नहीं हैं।

वहुत प्राचीन कालसे ही यह रिवाज था कि शासन-संस्वर्णी भिन्नभिन्न कार्य करनेके लिये सभाद्भुष्टु विश्व पुरुषोंको नियत किया जाता थे। विक्रमकी सातवीं शताब्दीके मध्य कालमें प्रिन्स शोतोकूने जो व्यवस्थापत्र लिखा था उसमें लिखा है, “शासनसम्बन्धी कार्य करनेवालोंको उनकी योग्यतानुसार कार्य देना चाहिये। जब बुद्धिमान् पुरुष शासनकार्यका भार

था। इसके कुछ विचार वहुत ही विचित्र और विचारणाय हैं। यह देशदेशान्तरको जीतकर उन्हें दासत्वमें रखना बुरा नहीं समझता। दीनदुसियोंपर दया करना यह अनुचित समझता है; क्योंकि इसका कहना है कि इससे दुनियामें दीनता बढ़ती है। वज्र, पराक्रम, पुरुषार्थ, युद्ध, विजय आदिकी सारताके साथ साथ इसने संसारकी असारताका भी उपदेश दिया है। यूरपमें इसके अनेक भक्त हैं।

उठाते हैं तब लोग प्रसन्न होकर शासनकी प्रशंसा करते हैं; पर जब मूर्खोंका दरवार होता है तो देशपर नाना प्रकारके सङ्कट आते हैं। जब योग्य पुरुष शासक होते हैं तब राज्यका प्रबन्ध ठीक होता है, सङ्कटसे समाजकी रक्षा होती है और देश सुखी और समृद्ध होता है। ”इस प्रकार समय पाकर इन निर्वाचित अधिकारियों अथवा अमात्योंके हाथ शासनकी सब सत्ता आ गयी। जापानसभाट् वस्तुतः इंग्लैण्डके मर्यादावद्व राजाके समान राज्यके नाममात्रावशिष्ट सुख्य सत्ताधारी रहे। इंग्लिस्तानके राजा और इन सभाटमें भेद यह था कि सभाट् जब चाहते शासनके सब सूच अपने हाथमें ले लकते थे क्योंकि उनकी सत्ताको मर्यादित करनेवाला कोई भी कानून या शास्त्र नहीं था ; परन्तु इस प्रकारसे राजसत्ता अपने हाथमें ले लेनेवाले सभाट् बहुत दी कम थुप। जापानसभाट् प्रायः अपनी राजसभाके अन्तःपुरमें ही रहा करते थे और वाहर बहुत ही कम प्रकट होते थे।

प्रत्यक्ष शासनकार्यसे सभाटका वियोग होनेके कारण शासनपद्धतिमें समय समयपर उचित परिवर्तन हो सकता था यद्यपि हमारे “सभाटके पक्तव्याधिकार” की अलंक्ष्य मर्यादा सदा ही बनी रहती थी।

राजसिंहासनके समान जब अमात्यपद भी धंशपरम्पराधिकारगत हो गया तो उनके अधीनस्थ कर्मचारियोंके पद भी साथ साथ धंशपरम्परागत हो गये। तब सभाटके समान अमात्य परम्परया नाममात्रके अमात्य रह गये और राजसत्ताके सब सूच उनके अधीनस्थ कर्मचारियोंके हाथमें चले गये। जापानके राजनीतिक इतिहासकी यह एक आश्वर्यजनक बात है कि

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार ३७

जापानियोंको वास्तविक सत्ता और विषयभेद उतना नहीं भाता था जितना कि बड़े बड़े पद, पदवियाँ और प्रतिष्ठा।

जैसे आजकल एक दलसे दूसरे दलके हाथमें राजसत्ता चली जाती है वैसे ही जापानमें वारंवार एकके हाथसे दूसरे-के हाथमें राजसत्ता चली जाती थी। खृस्तीय मध्य युगमें इसीने जापानी जागीरदारोंकी सत्ताका मार्ग निष्करण किया।

बंशपरम्परासे बहुत समयतक शासनसम्बन्धी उच्चपदों-पर रहनेके कारण जब दरवारके सरदार लोग नितान्त अकर्मण्य और चिलासों हो गये तब १२वीं शताब्दीके अन्तिम कालसे सैनिकवर्गने लिर उठाना आरम्भ किया और राज्यके सब सूत्र अपने हाथमें लेकर सम्राट्को अनुमतिसे सैनिकवर्ग या लश्करी जागीरदारोंका शासनाधिकार संस्थापित कर दिया, अर्थात् सैनिकवर्गके शासनका स्थापन होना क्या था, दरवारियोंके हाथसे निकलकर राजसत्ताका सैनिकवर्गके हाथमें आ जाना—शासनका एक परिवर्तनमात्र-था। शासकवर्ग बदल गया जिससे शासनका रूप उतना परिवर्तित हुआ, पर शासनचक्रमें वास्तविक परिवर्तन कुछ भी न हुआ—शोगून<sup>१</sup>महाराजका सम्राट्से बंसाही सम्बन्ध रहता था जैसा कि क्वाम्बाकू<sup>२</sup> महाराजके समयमें था। दाइमियो

१ सैनिकवर्गके हाथमें जब शासनसत्ता आ गयी तब उस वर्गके मुखिया अर्थात् राज्यका मुख्य सूत्रधार शोगून कहलाता था।

२ क्वाम्बाकू जापानके प्रधान मंत्रीको कहते थे। जापानमें बहुत काल-तक यह रिवाज था कि फूजीवारा नामक कुल-विशेषसे ही प्रधान मंत्री चुने जाते थे। इसलिये यह पद और नाम एक प्रकारसे खान्दानी हो गया था।

३८

## जापानकी राजनीतिक प्रगति

अर्थात् लक्षकरी जागीरदार वास्तवमें अपने अपने प्रदेशके सैनिकशासक थे, इन्हिलस्तानके लक्षकरी जागीरदारोंके समान अंधेरनगरीके चौपट राजा नहीं थे—उन्हें अपनी शासनगत भूमिके भौगोलिकारमें हस्तक्षेप करनेका कोई अधिकार नहीं था। और, शोगून महाराज या दाइमियो लोगोंने कभी मनमानी कार्यवाही भी नहीं की। उनके शासनाधिकार उनके मन्त्रियों और परामर्शियोंको सौंपे रहते थे जिन्हें ये लोग परल्परसम्बद्ध उत्तरदायित्वके नामपर निवाहा करते थे।<sup>३</sup>

ज़मीदारशासनपद्धतिमें स्थानिक स्वराज्य भी बहुत कुछ

<sup>३</sup> जापानियोंके इतिहाससे इस बातकी शिक्षा मिलती है कि उस राष्ट्रकी प्रश्नातिमें ही प्रातिनिधिकतत्त्वा तत्त्व छिपा हुआ है। इस बातको बहुत काल द्यतीत क्षे गया कि जापानी समाटने अपना स्वैश्वासन परित्याग कर दिया और उस अद्वितीय अधिकारका भी कभी उपयोग न किया जिसमें मुख्य मुख्य प्रजाजनोंका राय लेनेका भी कोई काम नहीं था। साम्राज्यके बड़े बड़े पद कुछ व शोंके पदम्प्रशान्त अधिकृत स्थान हो गये और समय पाकर यह वंशगत अधिकार वंशसमूह या विराही विशेषके हाथमें आ गया अर्थात् शासनक्षत्राके सूत्र कुछ लोगोंके ही हाथमें नहीं थे प्रत्युत कई समुदायोंके हाथमें थे। इसी क्रमसे, क्षालके प्रभावसे ताल्लुकेदारोंके हाथमें सब सत्ता आ गयी। इन ताल्लुकेदारोंके अधिपति शोगून कहलाते थे। इन ताल्लुकेदारोंके शासनक्षत्राकमें भी एक तंत्रसे राज्य करनेकी पद्धतिका कुछ भी नाम निशान नहीं मिलता। जैसे सब सत्ताके नाममात्रके मालिक शोगून थे और उनकी यह सत्ता वास्तवमें उनके मन्त्रियों और परामर्शियोंमें बट गयी थी उसी प्रकार प्रत्येक प्रदेशके शासकका अधिकार भी उसके अधीनस्थ कर्मचारियोंमें बटा हुआ था।

—कप्तान निंक्के हृत ‘चीन और जापान’

चतुर्थ भाग, पृष्ठ २१६, २२०-

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार ३६

था अर्थात् यों तो यह एक परस्परविरोधी वात मालूम होगी पर सच पूछिये तो शोगूनकी शासनसत्ता विलकुल बट गयी थी। इन वातोंको यदि ध्यानमें रखें तो संचत् १९२४ की युनः स्थापनासे जो बड़े बड़े सुधार और परिवर्तन पकाएक दृष्टिगोचर होने लगे उनका रहस्य बहुत जल्दी समझमें आजायगा।

यह सुनकर पाठकोंको आश्चर्य होगा परन्तु यह सच है कि इस विचित्र अल्पजनसत्तात्मक शासनपद्धतिमें कुछ ऐसा लचीलापन था कि इसने दो परस्परविरोधी राजनीतिक संस्थाओंको अर्थात् स्वैरतम और प्रजातन्त्र दोनोंको एक कर लिया था। इधर तो नाममात्रके एकमात्र सत्ताधारी सम्राट्को कार्यक्षेत्रसे हटा कर इसने शासनसत्ताको राजसभाके सरदारों और ताल्लुकेदारोंके हाथ सौंप दिया अर्थात् सर्वसाधारणतक यह सभा क्रमसे पहुँच गयी, और उधर सम्राट्की गुरुगम्भीर महिमाको भी यथाविधि सुरक्षित रखा।

जिन सरदारों और ताल्लुकेदारोंके सिरपर उनके कार्यकी देखभाल करनेवाली कोई दैवी शक्ति नहीं थी उनके हाथमें जब साम्राज्यके शासनसूत्र आगये तो उनकी स्वेच्छाचारकी प्रवृत्ति रोकने और शासनकार्यपर लोकमतका प्रभाव डालनेवाली तीन वातें हुईं। एक तो यह कि, इनकी चाहे कितनी ही प्रतिष्ठा या प्रभाव हो ये तत्त्वतः सम्राट्के सामने उत्तरदायी हैं, और सम्राट् नाममात्रके क्यों न हो, वस्तुतः सत्ताधीश हैं और उन्हें यह अधिकार है कि वे जिसको चाहें रखें, चाहें जिसे निकाल दें। दूसरी वात यह कि इनमें आपसमें ही कुछ ऐसी ईर्ष्या रहा करती थी कि आपसके इस द्वेषसे

## ४० जापानकी राजनीतिक प्रगति

उनका स्वैरशासन नियंत्रित हो जाता था; तीसरी बात यह कि यदि ये कुछ प्रमाद कर जाते या दुर्बलता प्रकट करते तो सर्वसाधारणमें इनकी निन्दा होती थी। ये जो तीन प्रतिवन्ध थे और उनके साथ ही प्रजासम्बन्धी वात्सल्यभाव और कर्तव्यजागृति इनमें होती थी इससे शासकोंकी स्वेच्छा-चारिताका यहुत कुछ प्रतिकार हो जाता था और उनका शासन आडम्बरमें तो उतना नहीं पर बास्तवमें प्रजातंत्र-सूलक होता था—अर्थात् वह शासन सर्वसाधारणकी ध्वनि-का प्रतिवन्धि या विम्बका प्रतिविम्ब होता था।

इसके साथ ही सन्नाट्की प्रत्यक्ष शासनसत्त्वा छिन जाने-से जो हानि सन्नाट्की हुई हो वह उनकी उस प्रतिष्ठाके सामने यहुत ही कम है जो प्रतिष्ठा कि उन्हें इस शासनपद्धतिसे प्राप्त हुई है।

प्रत्यक्ष कार्यक्रमसे हट जानेके कारण सन्नाट् सर्वसाधारणकी निन्दा और भर्तसनासे बचगये। सरकार कुछ भी भूल या प्रमाद करे उसका दोष मन्त्रियोंके सिर मढ़ा जाता है और यह एक सानी हुई बात हो गयी है कि, 'सन्नाट् अपनी प्रजाके प्रति कोई अन्याय कर ही नहीं सकता।' इस प्रकार उनका पवित्रीकरण हुआ; उनकी प्रतिष्ठा बड़ी, और जापानियोंके मनमें उनके प्रति ऐसी भक्ति और श्रद्धा जमी कि वे 'एक अलौतिक पवित्रात्मा' समझे जाने लगे।

संसारके इतिहासकी आलोचना करनेसे पता लगता है कि राजा और प्रजा, या शासक और शासितमें जो लड़ाई अगड़े हुए हैं उनका कारण प्रायः करसंग्रह ही है। यह एक आर्थिक प्रश्न है—जीविकानिर्वाह और आत्मरक्षाका प्रश्न है और यही मनुष्योंको उद्दीपित कर उनसे राजनीतिक सिद्धान्तों

## जापान और उसके राजनितिक संस्कार ४१

और तत्वोंका आविष्कार कराता है और ये तत्त्व और सिद्धान्त पेसे होते हैं कि जिनसे अपने और अपने साथियोंका दावा मज़बूत हो और विरोधियोंका कमज़ोर हो जाय। 'जनवाणी ही जनाईनकी चाणी है' यह सूत्र भी एक अत्याचारी और सत्यानाशी राजसत्तापर चार करनेवाले शख्का काम देनेके लिये निकाला गया था। इंग्लिस्तानमें मैथ्राचार्ट,<sup>१</sup> पिटी-शन आवृ राइट्स<sup>२</sup> और विल आवृ राइट्स<sup>३</sup> आदि कर-

१. संवद १२७२ में इंग्लिस्तानके सब सरदारोंने मिलकर किंद्र जानसे एक सनद लिखा ली जो स्वाधीनताकी सनद समझी जाती है जिसे मैथ्रा चार्ट कहते हैं। इस समदके अनुसार (१) कौन्सिलकी सत्ताहके बिना प्रजा-पर कर लगाना बन्द हुआ, (२) प्रत्येक मनुष्यको यथासमय न्याय दिलानेका प्रबन्ध हुआ, (३) यह भी तै हुआ कि बिना कानून, बिना विचार कोइं आदमी कोइ न किया जायगा। इन प्रधान शर्तोंके विविरित और भी कई घोटी मोटी शर्तें इसमें थीं। इस सनदसे इंग्लिस्तानके राजाको सत्ता बहुत कुछ मर्यादित हुई।

२. संवद १६८५ में इंग्लिस्तानके राजा प्रथम चार्ल्सके समयमें जब प्रजापर मनमाने कर लगाये जाने लगे, लोग पकड़ कर बन्द किये जाने लगे, सेनाका दपयोग खानगी कामोंमें किया जाने लगा और साधारण नागरिकों-पर भी जारी कानूनका श्रमल जारी हुआ तब पालमेंटने इन सब वातांकी शिकायतका एक पत्र राजाका दिया। उसको 'पिटीशन आवृ राइट्स' या 'अधिकार-रक्षाको प्रार्थना' कहते हैं। राजाने इन सब शिकायतोंको दूर करने-की प्रतिक्रिया की तब पालमेंटका काम आगे चला।

३. इंग्लिस्तानकी राजगदीपर विलियम और मेरीको बैठानेके पहिले बनसे ( संवद १७४५ में) प्रजाने अपने अधिकारोंके सम्बन्धमें एक प्रस्ताव स्वीकृत कराया। इस प्रस्तावमें यह शर्त थी कि जबतक पालमेंट मंजूर न करे तबतक प्रजापर कोई कर न लगाया जाय। ऐसी और भी कई शर्तें थीं। इसी प्रस्ताव-को 'विल आवृ राइट्स' या 'प्रजाधिकारका प्रस्ताव' कहते हैं। विलियम-मेरी-

## ४२ जापानकी राजनीतिक प्रगति

सम्बन्धी भगड़ेंहीके फल हैं। वह धनका प्रश्न था—निधि और प्रतिनिधिका प्रश्न था जिसने अमरीकाके संयुक्त राज्योंमें स्वाधीनताकी घोपणा करायी। जिस फूँच राज्यकान्तिका यह उद्देश्य था कि देशमें “स्वाधीनता, समता और विश्ववन्धुता” के सूक्ष्म सिद्धान्तपर देशका प्रत्यक्ष शासन हो। उसका भी मूल फ़ांसके सर्वसाधारणका अध्यकष्ट ही था।

प्राचीन जापानमें कभी मैग्नाचार्टा या विल आव् राइट्स अथवा और कोई राजनीतिक घोपणापत्र निकालकर “मुख्योंके अधिकार, स्वाधीनता, समता और न्यायतत्त्व” की दुहाई नहीं देनी पड़ी। प्राचीन जापानकी करसम्बंधी कार्यपद्धति ही ऐसी थी कि इन सबकी वहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं हुई। डाक्टर सिमन्स लिखते हैं, “दहुतसे देशोंमें कर एक वोभ समझा जाता है, सर्वसाधारणकी कप्रोपार्डिज्ञत सम्पत्तिकी लूट समझी जाती है; पर जापानके लोग तोक्गावा<sup>१</sup> शासनमें इसे कुछ दूसरीही दृष्टिसे देखते थे।”

जापानके किसानोंको कर कोई वोभ न मालूम होता था प्रत्युत वे इसे राजभक्तिपूर्ण कर्तव्य समझते थे और इसमें उन्हें एक प्रकारका अभिमान वोध होता था। करदान क्या था, एक प्रकारकी भेंट थी जैसाकि ‘मित्सुगी मोनो’ शब्दसे सूचित होता है। सालमें एक बार सरकारी खलिहानोंमें किसान लोग अपना अपना धान जमा करने आते थे और के सिंहासनसीन होनेपर यह प्रस्ताव पार्लमेंटसे पास हुआ और राजदम्पत्तिकी सम्मति पाकर कानून बन गया।

१ विकमी १७वीं शताब्दीसे लेकर १९२४के ‘पुनरुत्थान’ तक दाई तीन सौ वर्ष जापानकी शासनसत्ता तोक्गावा नामक खानदानमें परम्परासे चली आती थी।

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार ४३

वहाँ उनके धानको परीक्षा होती थी। यह अनुमान करना कि इस अवसरपर उनको किसी प्रकारका दुःख होता होगा विलक्षण भूल है। किसानोंके मुखमण्डल खिले हुए दिखायी देते थे और सब अपना अपना धान लेकर परस्पर अहमहमिकाके साथ परीक्षार्थ उपस्थित होते थे—एक प्रकारका मेला लग जाता था, विंक वह अवसर मेलेसे भी कुछ अधिक आनन्ददायक होता था।

ऐसी अवस्था थी कि जिसके कारण जापानियोंको अपनी सरकारपर पूरा भरोसा करनेका अभ्यास पड़ गया था। उनकी आर्थिक अवस्था इतनी विपद्यस्त कमी नहीं हुई कि उन्हें यह कहना पड़ता कि 'राज्य सर्वसाधारणका है, सर्व-साधारणद्वारा होना चाहिये और सर्वसाधारणके लिये होना चाहिये।' उनकी यह एक मानी हुई बात थी कि, सरकारही सब कुछ है, इसलिये राज्यकी भलाई बुराई सोचकर उसे देशहितका सब काम उठाना चाहिये और लोगोंको उसकी आशाका पूरा पालन करना चाहिये। यह भाव अब भी जाने वेजाने सर्वसाधारण जापानियोंके मनपर अधिकार किये हुए है। अर्थात् जापानी जाति एक सुनियन्त्रित सेनाके समान है, पर जापानी व्यक्ति (व्यक्तिशः) छितरे हुए सिपाहियोंसे और अधिक कुछ नहीं है। जापानी राष्ट्रकी सबसे बड़ी मज़बूती और सबसे बड़ी कमज़ोरी है तो यही है।

सरकारपर लोगोंके अत्यधिक विश्वास और अवलम्बन-से या महाशय शिमादाके शब्दोंमें सरकारहीकी सर्वशक्तिमन्त्रासे देशकी प्रगतिमें कुछ सहायता भी होती है और कुछ धाधा भी पड़ती है।

जापानमें कभी कोई भयङ्कर राज्यकान्ति नहीं हुई इसका

बहुत कुछ यश जापानियोंको इसी मनोवृत्तिको है। जापानके लोग कुछ कुछ फरांसीसियोंके समान भावुक होते हैं और उनके कुछ ऐसे सिद्धान्त हैं कि जिनकी प्रेरणासे जापानी जनसत्त हो जाते हैं जैसा कि संवत् १९३० से १९४६ तकके राजनीतिक आन्दोलनके क्रान्तिकारी अवसरपर देखा गया है, पर राजनीतिके मामलोंमें वे इतने आपेक्षे बाहर नहीं हैं जाते जिनकी फरांसीसी। सरकारी अफ़सरोंके वे चाहे कितने ही विरोधी क्यों न हों वे सरकारकी अवश्या नहीं करते विशेषकर इसलिये कि वह सत्ता सम्बाट्के नामसे चलती है। और किसी राष्ट्रीय आपत्तिके समय तो वे सचार्दके साथ सरकारकी आशाका पालन करते हैं और सरकारके विलकुल अधीन हो जाते हैं। यही कारण है कि जापानकी अर्वाचीन प्रगति सर्वसाधारणके कार्यसमुच्चयमें—देशके प्रत्येक उद्योगमें विशेषरूपसे प्रकाशमान हो रही है।

यहाँतक तो सहायताकी बात हुई, अब देखिये, बाधा क्या पड़ती है। बड़ी भारी बाधा यह है कि इससे प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासनका यथेष्ट विकाश नहीं होने पाता। जापानके सर्वसाधारण अब भी सरकारको देवतुल्य समझते हैं और सरकारी कर्मचारियोंको श्रेष्ठ मानते हैं, वे अब भी इस बातका अनुभव नहीं कर सकते कि वह सर्वसाधारणकी ही शासनसत्ता है। यही कारण है कि सरकार या सरकारी महकमोंके कार्योंकी स्पष्ट और निर्भीक आलोचना करना (जो कि प्रातिनिधिकशासनका एक प्रधान लक्षण है) अच्छा नहीं समझते। इसका यह फल होता है कि राजकर्मचारी खभावतः और वेजाने लोगोंपर हुक्म चलाते हैं और अफसरी करते हैं। महाशय शिमादा बतलाते हैं कि

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार ४५

“प्रतिनिधि-सभा” के प्रायः सभी सभासद् कोई काम होता प्रायः यह कह देते हैं, “यह काम लोगोंसे न होगा, सरकार ही करेगी तब होगा” या “नगरवासियों या उनकी संस्थाओंसे यह काम होना असम्भव है; सरकार उनकी मदद करेगी तब हो सकता है”। ऐसी अवस्था होनेके कारण प्रतिनिधि-सभामें आत्मविश्वास नहीं होता न वह कभी कोई महत्वका राज्यकार्य अपने हाथमें लेनेका साहस ही करती है। सच बात तो यह है कि यह प्रतिनिधिसभा एक ऐसी सरकारपर अपना सब दारमदार छोड़ देती है कि, जिससे इस सभासे कोई बास्ता नहीं।

पर जापानियोंकी व्यक्तिगत स्वतःकार्यप्रवृत्तिके अभावके कारण देशकी राजनीतिक प्रगतिमें जो वाधाएँ पड़ती हैं वे इस संसारव्यापी प्रतिद्वंद्विताके जमानेमें व्यवसाय-वाणिज्यके क्षेत्रमें बहुत ही अस्वरती हैं।

जापानके इतिहासका सूक्ष्म निरीक्षण करनेवालोंको जापानके युद्धसंघर्षोंशीर राजनीतिक पराकर्मोंको देखकर उतना आश्चर्य न होगा जितना कि उसकी सामाजिकता देखकर। बास्तवमें यह नृपतिप्रधान राज्य बड़ा ही सामाजिक या साम्यवादी है। व्यवसाय-वाणिज्यमें सरकारको सब काम उठाने शीर चलाने पड़ते हैं। सरकारको सर्वसाधारणके सामने जिम्मेदार न होकर भी व्यवसायमें उसीको श्रगुआ होकर सब काम देखना पड़ता है। डाकशर, टेलीफ़ोन, तार आदि सब काम सरकार ही करती है; गैस, विजली और पानीका प्रवन्ध सरकार या म्युनिसिपलिटीके हाथमें होता है। रेलगाड़ियाँ और कारखाने भी सरकारी हो गये हैं; तमाकू, नमक, और कपूरका रोज़गार भी सरकारके ही

हाथमें है। ऐसे बङ्ग, जहाज़के कारखाने या जहाज़ चलाने-चाली कंपनियाँ वहुत ही कम हैं जिन्हें विना सरकारी मददके लोग चला लेते हैं। जापानियोंकी यह बड़ी पुराती आदत है कि जबतक सरकार किसी कामको नहीं उठाती या किसी काममें खुद होकर मदद नहीं देतो तबतक जापानी हाथपर हाथ रखकर बैठे रही रह जायेंगे। वेरन (अब बाइकाउरट) कानीको लिखते हैं, “ साम्राज्यकी व्यवस्था या संवृट्टना (CONSTITUTION) प्रकाशित हो गयो और विधिविधान व कानून भी वहुत कुछ ठीक बन गये और अब हमारे साम्राज्यका पूर्ण अस्थिरपञ्चर तैयार हो गया है। पर रक्त और मांसकी (अर्थात् आर्थिक सम्पत्ताकी) अभी वहुत कमी है। युद्धोपकरण और शासनसम्बन्धी विधिनिषेधोंका यथेष्ट विकाश होनेपर भी यह बात दृष्टिसे नहीं बच सकती कि हमारे देशकी आर्थिक दशा वहुतही खराब है।”

पाश्चात्य देशोंके अहंवादी या व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी लोग घपनी इच्छाके अनुसार जो चाहें कर सकते हैं, जहाँ चाहें जा सकते हैं, परिवारसम्बन्धी कोई कर्तव्य उन्हें रोक नहीं सकता, घर-गृहस्थीका कोई ख्याल उन्हें एक जगह ठहरा नहीं सकता; वे जहाँ मौका देखते हैं, जाते हैं और उद्योग करके यथेष्ट अर्थोपार्जन करते हैं। एक स्थानसे दूसरे स्थानमें, एक देशसे दूसरे देशमें चले जाना, वहाँ कोई कारखाना खोल देना या उस स्थानको उपनिवेश बना देना उनके लिये साधारण बात है। इतना जब वे कर लेते हैं तब यदि आवश्यकता पड़ती है तो, कारबारको और बढ़ानेके लिये सरकारसे मदद चाहते हैं। वे सरकारका मुँह देखते बैठे नहीं रहते। सरकारसे मदद मिले तब काम करें। यह उनका उस्तु नहीं है; वे काम ही इस हंगामे

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार ४७

करते हैं कि सरकारको विवश होकर मदद देनी हीं पड़ती है। सच पूछिये तो यदि किसी पाश्चात्य देशकी सरकारने रेल, तार, टेलीफ़ोन या पानी आदिका प्रबन्ध अपने हाथमें ले लिया है तो इसलिये लिया है कि कुछ ही व्यक्तियोंके हाथमें सब देशका धन न चला जाय और आर्थिक विप्रवासको कष्ट न उत्पन्न हो।

पर जापानमें यह बात नहीं है। जापानके राजनीतिशॉक्स के सामने यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता कि अमुक व्यक्ति या अमुक कारखाना देशका धन सब खोंच रहा है तो इसका क्या उपाय हो। इस समय सरकारके हाथमें जितने कारखाने हैं वे सब प्रायः सरकारके ही आरम्भ किये हुए हैं। और अन्यान्य कारखाने भी जो सरकारने खोले, वे आमदनी बढ़ानेके लिये ही खोले हुए हैं।

जापानके परिवारकल्प समाजका जीवन ही ऐसा रहा है कि जिससे लोगोंमें परस्पर गहरी सहानुभूति हो और व्यक्ति-स्वातन्त्र्य समाजमें न प्रवेश कर सके। बस्तुतः जापानी समाजकी रचना मनुष्योंके परस्परसम्बन्धपर उठी हुई है न कि व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिपर। इस प्रकार जापानियोंमें दिमाग उतना नहीं है जितना कि दिल और जापानी उतने बड़े तार्किक नहीं हैं जितने कि सहजशानी, और धनदौलतकी उतनी कदर वे नहीं करते जितनी कि अपने नाम और मानमर्यादाकी। अर्थात् जापानियोंमें उस हिसावीपन और समझकी बहुत कमी है कि जिसके बिना रुपया कमानेका काम हो नहीं सकता।

अब यहाँ यह भी देख लेना चाहिये कि पश्चात्य देशवासी जापानी सभ्यताको क्या समझते हैं और कुछ जापानी

## ४८ जापानकी राजनीतिक प्रगति

घरमान 'पाश्चात्य सभ्यता' को किस दृष्टिसे देखते हैं। सन् १९०६ ई० के मार्च महीने की १६वीं तारीख के 'टाइम्स' पत्रमें फ्रान्सिस लिलियम फ़ाक्स, सर पर्सी लिलियम वर्गेट और डाक्टर जे. बी. पेटन, इन तीन महाशयोंने मिलकर 'चीनके लिये पाश्चात्य शिक्षा' नामक एक लेख लिखा है। उसमें वे लिखते हैं, "यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि पाश्चात्य विद्या और आचारविचारकों शीघ्रताके साथ अपनालेकरी अवश्यकताको चीन समझने लगा है। वह जापानके दृष्टान्तको कुछु कुछु देख रहा है; पर साथ ही पश्चिमको और भी अपनी दृष्टि डाल रहा है; और यही तो अवसर है जब हमें अपनी खृस्तीय-धर्मसूलक सभ्यताका प्रचार कर उसकी सहायता करनी चाहिये।" और एक जापानी सज्जनने, जो कि इंग्लिस्तान और जापानमें कुछु वर्ष रह चुके थे, सुझसे कहा था कि, "यदि जापानको 'सभ्यतामें' पाश्चात्य देशोंके बड़े बड़े राष्ट्रोंके समकक्ष होना है तो हम लोगोंको अब पक्के दुनियादार (Materialistic) बनना चाहिये और सांसारिक चारोंमें विशेष ध्यान देना चाहिये।" पाश्चात्य देशोंमें देखते हैं कि युवक जब उद्यानमें चहलकदमी करते हैं तो उनका ध्यान उद्यानके छुसुमकुञ्जोंपर उतना नहीं जाता जितना कि सड़कपर चलनेवाली सोटरोंकी ओर दौड़ जाता है और उनके मुंहसे प्रायः यही सुनायी देता है कि वाह क्या बनावट है इस मोटरकी ! याँ ये कैसे खुन्दर बख हैं ! इत्यादि । पर वेही जापानी हुए तो कहेंगे, 'कैसा खुन्दर फूल है ! या 'कैसा अच्छा दृश्य है ! अथवा 'सूर्यास्तका दृश्य कैसा मनोहर है !' इत्यादि ।

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार ४६

इन कारणोंके अतिरिक्त जिनका कि हम वर्णन कर गये हैं और भी कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे जापानकी आर्थिक उन्नति नहीं हो सकी। पुराने जापानमें वैश्य लोग समाजकी सबसे निम्न श्रेणीमें गिने जाते थे और श्रेणीके विचारसे उनके आचारविचार तो बहुत हो सराव थे। विक्रमीय १६ वीं शताब्दीके अन्तमें इन्हीं व्यवसायियोंने विदेशियोंसे व्यवसाय करना आरम्भ किया था। इनसे जापानी वैश्योंको जिस अपयशका भागी होना पड़ा और विदेशी व्यवसायियोंका दिल जो उनसे हट गया उससे जापानके व्यवसाय-विस्तारके प्रथमग्रासमें ही मत्तिकापात हुआ। इसके साथ ही यह भी कह देना चाहिये कि उस समयके जापानी नेताओंमें अर्थविज्ञानके ज्ञानका बड़ा ही अभाव था, विशेषकर सामुद्राइयोंके वंशजोंमें जिन्हें वाज़ार दरकी बाततक करनेसे मुँह मोड़नेकी शिक्षा दी गयी थी।

परिणाम इसका यह हुआ कि जापान अब इसके बिना बड़े संकटमें पड़ गया है; क्योंकि उसका राजनीतिक विस्तार जितना बड़ा है उतना अर्थसाधन उसके पास नहीं। पर अब वह वंडी शीघ्रतासे अपनी काया पलट रहा है। अर्थ-कष्टके कारण लोग धीरे धीरे अपनी प्राचीन परम्पराको छोड़ते जा रहे हैं और व्यक्तिस्वातन्त्र्यवादी बनते जा रहे हैं। पर ये लोग कहाँतक आगे बढ़ेंगे, कहाँतक राष्ट्रकी अखण्डता और व्यक्तियोंका स्वतंत्र्यकित्व परस्परसङ्घर्षित होगा और कहाँतक ये दोनों सार्थी साथ रह सकेंगे, यह कोई नहीं यतला सकता। पर हम यह समझते हैं कि, और सब बातें ज्योंकी त्यां रहें तो जिस जातिमें जितनाही अधिक व्यक्तिभाव या व्यक्तिस्वातन्त्र्य होगा उस जातिकी आर्थिक दशा

४०

## जापानकी राजनीतिक प्रगति

भी उतनी ही विषम हो जायगी, पर समूचे देशका उतनी ही अधिक आर्थिक उश्ति भी होगी; और अहंभाव या व्यक्तिभाव जितना ही अधिक होगा, राष्ट्रकी एकता भी उतनी ही दुर्बल होगी, व्योंकि देशका धन विलकुल बेहिसाब घट जायगा, और परिणाम यह होगा कि, उसी हिसाबसे समाजका अमर भद्र होगा।

## प्रथम भाग

पुनःस्थापना तथा सङ्कटनान्दोलन



## प्रथम परिच्छेद

संवत् १६२४-पुनःस्थापना

### १. पुनःस्थापनाके पूर्वकी राजनीतिक अवस्था

संवत् १६२४ में जापानियोंने अन्दोलन करके सम्राट्‌की बह सच्चा पुनःस्थापित की जो कि परम्परागत पदस्थ राज्य-कर्मचारियोंकी दुर्नीतिमें पड़कर लुप्तप्राय हो चुकी थी। इस घटनाका सम्पूर्ण रहस्य समझनेके लिये आरम्भमें ही यह बतला देना उचित होगा कि उस समय अर्थात् उस घटनाके पूर्व देशकी दशा क्या थी।

जापानी इतिहास और परम्परागत कथाओंके अनुसार विक्रमीय संवत्के ६०३ वर्ष पहले सम्राट् जिम्मूने जापान-साम्राज्यकी नींव डाली थी। यह सम्राट् स्वयं शासक होनेके साथ साथ सेनाके सेनापति और अपने देशके 'जगद्गुरु' भी थे। ये ही जापान-राजवंशके मूलपुरुष हुए और अवतक इसी राजवंशकी राजगद्दी चली आती है। इस प्रकार बहुत प्राचीन कालसे जापानकी राज्यव्यवस्था राजसच्चामूलक थी।

संवत् १२१३तक सम्राट्<sup>१</sup> ही शासनकार्य करते थे और वही सब शासनसत्त्वाके केन्द्र थे। पर हाँ, इसका यह अर्थ नहीं है कि वह शासनकार्य और किसीको सौंपते ही नहीं थे। प्रायः ऐसा होता था कि सम्राट् अपनी राजसभाके सभासदोंको अपने प्रतिनिधि नियत करते थे

---

१ जापानी भाषामें सम्राट् को 'तेनों' या 'मिकारो' कहते हैं।

जो बारी बारीसे राजमन्त्री होकर राजसेवा करते थे और स्वयं सभादृष्टि प्रकारसे एकान्तवास किया करते थे। राजसभाके समस्त सामरिक तथा असामरिक कर्मचारी और प्रदेश प्रदेशान्तरके शासक, राजमन्त्रीकी ही आशासे कार्य करते थे; परन्तु कार्य सभादृष्टि के लिये होता और सभादृष्टि के ही नामपर होता था।

संवत् १२०३से १६१६तक जापानमें अन्तःक्षेत्रकी आग धधकती रही। इसका यह परिणाम हुआ कि सैनिकवर्ग शासकवर्गके सिरपर स्वार हो गया और धीरे धीरे शासन-सूच भी इसके हाथमें आ गये। १३ वीं शताब्दीके आरम्भमें मिनामीतानो-योरितोमो नामका एक सेनापति देशकी अशान्ति दूर करके स्वयं शासक बन बैठा। सभादृष्टि उसे सेन्ट-ईन्टार्ड शोगून अर्थात् सेनानीकी उपाधि दी। सैनिकके लिये इससे बड़ी कोई उपाधि नहीं है। पर योरितोमो पूर्वपरम्पराके विरुद्ध, क्योंकि राजसभामें न रहा।

उसने वर्तमान योकोहामा नगरके समीप कामाकुरामें अपनी छावनी बनायी। इसे बाकूफू या 'छावनी सरकार'<sup>१</sup> कहते थे। उस समय यह स्थान देशके पूर्व एक कोनमें था और यहाँ उसका बड़ा दबदबा था और उसकी यहाँ खूब चलती थी।

यद्यपि वारहवीं शताब्दीके अन्तमें सब शासनसूच उस तैरा

१ योरितोमाके शासनका नाम 'बाकूफू' या 'छावनी सरकार' ये पड़ा कि धारम्भमें वह अपना शासनसम्बन्धी कार्य अपनी फौजी छावनीमें ही ऐठकर किया करता था, न कि क्योंकि राजधानीमें। इसके उपरान्त फिर यह नाम चाहे जिस शोगूनकी सरकारको दिया जाने लगा।

नामक सैनिक घरानेके हाथमें चले आये थे जिस घरानेके अत्याचारपूर्ण शासनको योरितोमोने आगे चलकर नष्ट भ्रष्ट कर दिया, तथापि प्रदेशप्रदेशान्तरके शासक क्योंतोकी राजसभासे ही नियुक्त होते थे। योरितोमोके हाथमें जब सच्चा आ गयी तो सम्राट् ने उसे शासकोंकी सहायताके लिये सामरिक क्रमचारी भी नियुक्त करनेकी आज्ञा दी। सामरिक लोग शासकवर्गसे बलिष्ठ तो थे ही, उन्होंने धीरे धीरे शासन-कार्य सब अपने हाथमें ले लिया और शासकोंको छुट्टी दे दी। इस प्रकार योरितोमोके शासनकालमें सैनिकवर्गीय शासनप्रलापीकी नींव जापानमें पड़ी।

संवत् १३६०तक ही कामाकुराकी वाकूफ़सरकार रही। जब यह शासन नष्ट हो गया तब उस समयके सम्राट् गोदायगो और उसके आज्ञाकारी सेनापति नित्ता, कुमुनोकी आदिने ऐसा प्रयत्न आरम्भ किया था कि फिर सम्राट् का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो और शासन-सम्बन्धी जो कुछ कार्य हो, उन्हींकी आज्ञासे हो। पर दो ही वर्ष बाद, आशीकागा तकाऊजी नामके एक वड़े महत्वाकांक्षी योद्धाने राज्यके सब अधिकार छीन लिये। यह वही आशीकागा तकाऊजी है जो एक समय सम्राट् का पक्ष लेकर कामाकुरासरकारसे लड़ा था और कामाकुरावालोंको जीतनेपर सम्राट् गोदायगोकेद्वारा जिसका वडा सम्मान हुआ था। आशीकागा यह चाहता था कि राज्यकी सत्ता उसको दे दी जाय पर ऐसा हुआ नहीं। तब इससे चिढ़कर उसने राजवंशके ही एक पुरुषको जिसका नाम तोयो-हितो था और इतिहासमें जो कोमियो तेजोके नामसे प्रसिद्ध है, सम्राट् के नामसे खड़ा कर दिया और उसीसे अपने

## ५६ जापानकी राजनीतिक प्रगति

लिये शोगूनकी उपाधि धारण कराके फ्योतोकी राजसभामें बैठकर राजकाज करने लगा ।


ऐसी अवस्थामें सम्राट् गोदायगो अपनी राजभक्त प्रजाओंके साथ फ्योतोसे भागे और दक्षिण ओर कुछ दूरीपर योशिनो नामक स्थानमें राज्य करने लगे । इसे दक्षिणी राज्य और उसे उपरी राज्य कहते थे ।

इस प्रकार जापानमें एकही समयमें दो राजदरबार और दो सम्राट् थे और दोनोंही राजवंशके थे । दक्षिणी राज्यका शासन पूर्वीय प्रान्तोंमें और उत्तरी राज्यका पश्चिमी प्रान्तोंमें होता था । पर अन्तको संघर् १४४४ में दक्षिणके सम्राट् ने शोगून आशीकागासे सन्धि करना खीकार कर लिया और उत्तरके सम्राट्के हक्में सम्राट्-पदका दावा छोड़ दिया ।

आशीकागा खान्दानमें नितने शोगून हुए सबने शासनमें फामाकुरासरकारकी ही नकल की । पर येरितोमोके समान ये फ्योतो छोड़कर अन्यथ अपनी राजधानी नहीं घना सके । ये फ्योतो राजधानीमें ही रहते थे और अपना सब फाम, अर्धेध सम्राट्-के शासनकालमें भी, सम्राट्-ही-के नामसे किया करते थे । पर इतना सब होनेपर भी आशिकागाका शासन लाभकारी या लोकप्रिय नहीं हुआ ; लोकमत सर्वथा उसके विरुद्ध था, क्योंकि इस खान्दानके मूलपुरुष आशिकागा तकाऊजीने ज़ोर और ज़बद्दस्तीसे यह शासनाधिकार सम्राट्-से छीना था ।

संघर् १६३० में ओदा नोवूनागाने आशीकागाके अन्तिम शोगूनको शोगूनीसे उतार दिया और इस प्रकार आशीकागा-शासनका अन्त हो गया ।

२ ] राजभासी तोकिशोका दृश्य सिंजा चाजार  
वा.स.प.मुट ५३





ओदा नोवूनागाके लिये शासनशक्ति प्राप्त करना बड़ाही दुर्घट हो गया। आशीकागाके अन्तिम शासनकालमें देशमें चारों ओर अराजकता फैल गयी थी, प्रदेशप्रदेशान्तरके सैनिक शासक अपने अपने प्रदेश या ताल्लुकेमें खुदमुख्तार या स्वाधीन हो गये थे और आशीकागाकी मुख्य सरकारके दुर्बल होनेके कारण इन लोगोंने धीरे धीरे उनको सरकार मानना ही छोड़ दिया था, और अपनी जागीरोंको बाज़ी लगाकर और पराक्रम दिखलाते हुए अपने पड़ोसी ताल्लुके द्वारोंसे लड़नेभिड़नेमें इतिकर्तव्यता समझने लगे थे। वास्तवमें, समस्त देश ओरसे छोरतक ताल्लुकेदारोंके अन्तः-कलहसे प्रज्ज्वलित हो उठा था।

बड़ी कठिनाईके बाद जब नोवूनागाको अपना शासन संस्थापित करनेमें सफलता प्राप्त हुई तब उसीके एक सेनापात आकेची मित्सुहिदीने उसके साथ दगा की। यह मित्सुहिदी स्वयंही राज्यका नायक बनना चाहता था और इसकी इस महत्वाकांक्षाने नोवूनागाके प्राणोंकी बल्जि ली।


मित्सुहिदीके हाथ सब शासनसच्चा आ गयी पर तीन दिनसे अधिक यह उसे भोग न सका; नोवूनागाके बड़ेहो बुखिमान सेनापतियोंमेंसे एकने, जिसका नाम हाशीवा हिदेयोशी (बादको तोयोतोमी) था और जिसे जापानका नेपोलियन कहते हैं उसे पूरे तौरसे हरा दिया। इसके छुछही काल बाद हिदेयोशीने समस्त ताल्लुकेदारोंको जीतकर देशमें शान्ति स्थापित की। संवत् १६४२ में सम्राट् ओमीमाचीने उसे शोगूनके बदले काम्बाकूकी उपाधि दी। अवतक यह उपाधि कंवल फूजीवारा खान्दानवालोंको ही दी जाती थी और वह भी मुल्की कर्मचारियोंको, फौजी कर्मचारियोंको

## ४८ जापानकी राजनीतिक प्रगति

नहीं। यद्यपि हिदेयोशीके ही हाथमें देशके सब शासनसूचना आगये थे और वस्तुतः वही एकमात्र शासक था, तथापि वह सम्राट्की मर्यादाको बहुत ही मानता था। इस प्रकार वह प्रवीण सेनापति होनेके साथ ही लोकप्रिय शासक भी हुआ।

पर इस खान्दानका ( तोयोतोमी वंशका ) शासन बहुत समयतक न रहा, ४० वर्षमें ही उसकी समाप्ति हुई, सं० १६५५-में हिदेयोशी मरा; उसका उत्तराधिकारी विलकुल अनुभवहीन और दुर्योग था। इसका परिणाम यह हुआ कि शक्तिमान् ताल्लुकेदार फिर आपसमें लड़ने लगे। संवत् १६५७ में सेकिगाहारामें पूर्व और पश्चिम दोनों ओरको सेनाओंमें बड़ा भयद्वार सामना हुआ और एक बार फिर हारजीतका फैसला हो गया। तोकुगावा इयेयासु पूर्वकी सेनाका सेनापति था। हिदेयोशीका यह अत्यन्त विश्वासपात्र मित्र था और यही उत्तराधिकारीका पातक भी नियुक्त हुआ था। इसने पश्चिमी सेनाको जोकि तोयोतोमी सरकारके विरुद्ध लड़ रही थी, पूरे तौरसे द्वारा दिया। तबसे तोकुगावा इयेयासुका अधिकार सब लोग मानने लगे। इसके शासनमें शान्ति स्थापित हुई। संवत् १६६० में सम्राट्ने वडी उदारतासे उसे सी-ई-ताई शोगूनकी (सेनानीकी) उपाधि प्रदान की जिस उपाधिको उस वंशवाले १६२४की पुनःस्थापनातक भोगते रहे।

हिदेयोशीमें जो सैनिक योग्यता थी वह इयेयासुमें न थी, पर उसमें संगठन और शासनकी योग्यता हिदेयोशीसे अधिक थी। घास्तवमें उसने हिदेयोशीके पराक्रमरूपी वृक्षके फल एकत्र कर लिये और तोकुगावा बाकुफ़्र अर्थात् सरकार स्थापित करनेमें उसे उतनी कठिनाई न उठानी पड़ी। इस सरकारके



कित्तं० ३ ]

नानियोगे गरजमहलका दरश

[ जा. रा. म. ४५ ५६




अधीन, देश २५० वर्षतक रहा और इस समय पूर्ण शान्ति स्थापित थी। येरितोमोके समाज इयेयासू भी शासनकार्य करते के लिये क्योतोकी राजसभामें उपस्थित न होता था प्रत्युत उसने क्योतोसे कुछ अन्तरपर येदोको (घर्तमान तोकी-योका स्थान) अपनी स्थायी राजधानी बनाया।

शासनकार्यका केन्द्र सम्प्राट्की राजसभासे २०० वर्षसे भी अधिक कालतक पृथक् रहनेके कारण शासनसम्बन्धी साधारण वातोमें सम्प्राट्का कुछ भी दब्लून रहता था, यद्यपि इयेयासू और उसके बंशवाले भी मनमें इस वातको मानते थे कि सम्प्राट्ही हमारे और इस देशके वास्तविक विधाता हैं। कभी कभी राज्यकार्यमें वे उनकी इच्छाकी कुछ भी परवा नहीं करते थे; तथापि उनके प्रति अद्वा अन्तःकरणसे कभी दूर नहीं हुई। यह एक बड़े कुतूहलका विषय है कि जापानराज्यकी इस युगमरुपताको देखकर एंजलर्ड केम्फर नामक एक ग्रन्थकारने—जो सं० १७४५-४६ में जापानमें थे—यह समझ लिया था कि जापानमें दो सम्प्राट् हैं—एक पारलौकिक और दूसरे ऐहिक। अभी बहुत थोड़े वर्ष हुए हैं जबकि सर रूटरफोर्ड अलकाक जापानको देख गये हैं। जापानमें शुद्धशुरू जो प्रवासी आये हैं, उनमें अलकाक महाशय बड़े ही सूक्ष्मदर्शी समझे जाते हैं पर वह भी न समझ सके कि सम्प्राट्की स्थितिका क्या रहस्य है। सच वात तो यह है कि सम्प्राट्ही देशके मालिक हैं, पर उस समय (तालुके दारोंके शासनसमयमें) लोग केवल मनमें ही इस वातको जानते और मानते थे और शोगून (या ताईकून भी जिन्हें कभी कभी कहा जाता था वे) ही यथार्थमें सत्ताधारी बन वैठे थे।

जब शासनसत्ता इयेयासूके हाथमें आयी तो उस समय

## ६० जापानकी राजनीतिक प्रगति

देशमें कितनेही ऐसे ताल्लुकेदार या दाइमियो थे जो अपने अपने प्रदेशके अर्द्धस्वाधीन नृपति हो चुके थे। इयेयासूने बड़ी बुद्धिमानी की जो उनके स्थानीय शासनमें कोई दृस्तदैप नहीं किया। जब सेकिगाहारामें पधिमी सेना हार चुकी और तोयोतोमीसरकारका पतन हुआ तब उन्होंने तोकूगावा वंशका आधिपत्य स्वीकार किया और इयेयासूने भी उनसे केवल इतनाही चाहा कि वे तोकूगावा सरकारसे बाही न छोनेका वचन दें, युद्धके अवसरपर सैनिकरूपसे सहायता करें और थोड़ा सांवार्पिक कर दिया करें। दाइमियोंको अपने हाथमें रखनेका जो यह उपाय किया गया था कि दाइमियो अपने अपने ताल्लुकेमें नहीं प्रत्युत शोगूनकी राजधानी शेदोमें आकर रहें जिसमें कि दाइमियो लोग कुछ कर न सकें और तोकूगावा सरकारका आधिपत्य बना रहे—यह उपाय तीसरे शोगून इयेमित्सुके कालतक काममें नहीं लाया गया था। उनसे इससे अधिक और कुछ लेना इयेयासूके लिये यिना युद्ध किये असम्भव था; क्योंकि कुछ दाइमियो तोयो-तोमी शासनमें उसके समकक्ष थे और कुछ तो उनसे भी थेएथे, और इन सब यातोंके सिवा, सभी दाइमियो जिनके बाहर इयेयासू भी नहीं था, तत्त्वतः सम्राट्केही प्रजाजन थे। सेकिगाहारा-युद्धके परिणाममें इयेयासूने ताल्लुकेदारोंसे जो प्रदेश छीन लिये थे उनको अलवचा उसने जागीरके रूपमें अपनेही घरफे लोगोंको या सहकारियोंको दे डाला और उन्हें भी ताल्लुकेदार या दाइमियो बना लिया। ये प्रदेश इस प्रकार बटे हुए थे कि जिनसे जो दामियो प्रबल थे और जिनकी अधीनतामें अभी इयेयासूको सन्देह था उनके प्रदेश घिरे रहते थे और उनका प्रभाव और बल बढ़ने नहीं पाता-



ज्ञाणपीठ  
(यामोनो) कोरिया



। इयेयास्का यह मतलब रहता था कि ताल्लुकेदार आप-  
ही एक दूसरेसे वचनेको कोशिशमें ही अपनी सब शक्ति  
कर डाले और उनकी शक्तिभी एक दूसरेसे न बढ़ने  
; ऐसे प्रतिवन्ध उनके मार्गमें उपस्थित किये जायें और  
प्रकार अपने वंशका आधिपत्य स्थायीरूपसे स्थापित हो ।  
ऐसे २७६ ताल्लुकेदार तोकूगावा सरकारके अधीन थे जो  
ने अपने ताल्लुकेके अन्दर रियासत भोगते थे । उनके साथ  
पर वहुतसे दैक्षण्य अर्थात् नायब होते थे । ये किसी  
तुकेदारके अधीन नहीं थे, प्रत्युत तोकूगावा सरकारके  
पक्ष शासनमें रह कर थोड़ेसे प्रदेशपर शासन करते थे ।  
इमियोकी व्यक्तिगत शक्तिको बढ़नेसे रोकनेके लियेही  
का निर्माण हुआ था । इस प्रकार जापानमें उस समय  
येक स्थानके शासनमें अपनी अपनी डफली और अपना  
पना रागकी कहावत चरितार्थ होती थी । तथापि  
पानियोंकी सजातीयता, और उनके आचारविचारोंको एक-  
के कारण उनमें भी एक प्रकारकी समानता हटिगोचर होती  
। । शासनकी दृष्टिसे, यह देश बास्तवमें बटा हुआ था  
और मुख्य सरकारके अस्तित्व और वलका रहस्य यही था  
कि ये जो छोटे छोटे अर्द्धस्वाधीन राज्य थे उनका स्वतन्त्र वल  
बढ़नेके मार्गमें नाना प्रकारके प्रतिवन्ध और उन सबकी  
शक्तियोंको परस्पर समतोल रखनेके उपाय किये जाते थे ।

संचत् १९२४की पुनःस्थापनाके समय जापानमें उक  
प्रकारकी शासनपद्धति प्रचलित थी । अब यह देखना  
चाहिये कि पुनःस्थापना क्या थी ।

## २. पुनःस्थापना

पुनःस्थापनाके मुख्य कारणोंको डायटर छ्येनागा इस तरह गिनाते हैं—विक्रमीय उष्णीसर्वी शताव्दीमें जापानियोंने असाधारण वुद्धिशक्ति प्रकट की। तोकूगावावंश अथवा ये कहिये कि शोगूनोंके शासनमें देशको शान्ति और सब प्रकारसे सुख मिला जिसके कारण साहित्य और कला उन्नत हुई। शोगून लोग, किसी मतलबसे द्वा या अपनी रुचिसे ही हो, सामुराइयोंकी अंशान्त प्रकृतिको बहुलानेके लिये हो या विद्याके घास्तविक प्रेमसे ही हो, साहित्यके बराबर संरक्षक शुद्धा करते थे। दाइमियो लोग भी जब आखेन या आमोद-प्रमोदसे लुट्ठी पा लेते थे तो फुरसतके ज्ञान परिणामोंके व्याख्यान और प्रश्न बड़े ध्यानसे सुना करते थे। प्रत्येक दाइमियोप्रदेशको अपने यहाँके विद्वानोंकी कीर्ति और संख्याका अभिमान होता था। इस प्रकार देशभरमें बड़े बड़े विद्वान् उत्पन्न हो गये। उससे देशके साहित्यमें युगान्तर उपस्थित हो गया। नवीन साहित्यने अपना स्वर बदल दिया। इससे पहले अर्थात् गेन-पीसे<sup>१</sup> लेकर तोकूगावा काल-के पूर्वार्द्धतक क्लिष्टता, दुर्बोधता और संयत विनयशीलता ही साहित्यकी विशेषता थी। परन्तु इस युगान्तरने साहित्यमें नवीन जीवन डालकर साधीनताका श्रोज उत्पन्न करदिया। सत्यासत्यकी आलोचना करके और निर्भीकताके साथ इतिहास लिखा जाने लगा।

“परन्तु जष प्राचीन इतिहासोंका अध्ययन होने लगा

---

१ गेनपोकाय उस समयको कहते हैं जब कि योरितोमोके द्वारा कामाकुरा बाकुकूको स्थापना हुई है।

श्रौर प्राचीन राज्यव्यवस्थाएँ हटिगत होने लगीं तब शोगू-  
नाईका वास्तविक स्वरूप भी स्पष्ट दिखायी देने लगा। पेति-  
षास्तिकोंको यह मालूम हो गया कि शोगूनाई अंसलमें  
ताल्लुकेदारोंकी डाकेजनी है और छुलकपट तथा जालफरेब-  
सेही घटक यह जीती है; उन्होंने यह भी जान लिया  
कि जो क्योतोकी राजसभामें केवल वन्दीके समान जीवन  
व्यतीत कर रहे थे वे समाधी वास्तवमें समस्त अधि-  
कार वा मान-मर्यादाके अधिकारी थे। इस वातका पता  
लग चुकनेपर सप्राट्के राजभक्त प्रजाजनोंके सामने सभा-  
वतः ही यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि, “अब करना क्या चा-  
हिये ?” इसका स्वाभाविक उत्तर भी मिला—“अन्यायसे जो  
राज कर रहा है उसे निकाल बाहर करो और वास्तविक  
अधिकारीको मानो”। साम्राज्यवादियोंकी राजनीतिका यही  
मूलमन्त्र था। शोगूनाईके विरुद्ध पहली आवाज़ मितोके प्रिन्स  
कोमोनकी विद्वत्सभासे उठी थी।

“उसने सं० १७७२ में कई विद्वानोंकी सहायतासे  
‘दाय-निहनशी’ नामक जापानका एक बड़ा भारी इतिहास  
तैयार किया। सं० १८०८ तक यह छुपा नहीं था, पर जि-  
आसु लोग उसकी नकल कर लेते थे और इस प्रकार छुपने-  
से पहलेही उस ग्रन्थका बहुत प्रचार हो गया। बहुत शीघ्र  
‘दाय-निहनशी’ एक उच्च श्रेणीका ग्रन्थ माना जाने लगा  
और सप्राट-सत्ताकी पुनःस्थापनामें इसने इतनी बड़ी  
सहायता की है कि सर अर्नेस्ट सैटोने इसके लेखकको  
ही उस उद्योगका जनक माना है जिसका परिणाम संवत्  
१९२४ का राज्यविष्टव हुआ। प्रिन्स कोमोनकी ध्वनिको  
प्रसिद्ध सुपरिद्धत राय सानयोने और भी प्रतिध्वनित किया।

## ६४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

यह पुरुष जैसा प्रभावशाली इतिहासकार था जैसाहा प्रलः “कवि और उत्साही देशभक्त भी था। उसने अपने ‘निहनगद् शी’ नामक इतिहासमें राजमन्त्री तथा शोगूनोंके उत्थान और पतनका बहुत सुन्दर वर्णन किया है और यथास्थान व्यंग्योक्ति करके, भत्सेना करके और देशभक्तिपूर्ण व्यव्रताके साथ इन राजप्रासादके द्वारपालोंके बलपूर्वक सम्राट्-सभापहरणकी बात संसारके सामने स्पष्टतया रख दी है। उसने अपने ‘सीकी’ अर्थात् जापानके राजनीतिक इतिहासमें राजवंशका आधन्त इतिहास लिखा और सम्राट्-की शक्ति के क्रमागत छासपर रुलानेवाले शब्दोंके साथ आँसू बहाये हैं। इन इतिहासकारों घ चिद्रानेंके परिश्रम यथासमय यथेष्ट फलीभूत हुए। उनके कुछ अनुयायियोंने उद्योग करना भी आरम्भ किया। साङ्क्रमा सोजान, योशीदा ताराजीरो, गेशो, योकोई हीशीरो, और वादको सायगो, शोकूवो, किदो तथा कई अन्य देशभक्त इस उद्योगमें सम्मिलित हुए और उन्होंने अपने गुरुजनोंवे स्वप्रको सत्य कर दिखाया। ...

“सम्राट्-की और जनमनका जो धाराप्रवाह हो रहा था उसमें शिन्तोधर्मके पुनरुत्थानकी उपधारा और आकर मिली जिससे वह प्रवाह छिगुणित हो गया।.....विद्याके उच्चार-के साथ कोजिकी तथा अन्य प्राचीन साहित्यग्रन्थ दर्ढ़ सूक्ष्म आलोचनाके साथ पढ़े जाने लगे और शिन्तोधर्म पुनराविर्भूत होने लगा। मूतूरी तथा हिराता जैसे प्रमुख पुरुषोंने उसका पक्ष लेकर उसके अभ्युदयमें बड़ी सहायता की।

“शिन्तोधर्मके अनुसार जापान एक पञ्चव भूमि है। इसके द्वेषताओंने सिरजा और हमारे सम्राट् उन्हीं देवताओंदे

क्रिं हैं। अतएव देवताके समान उनको मानना और पूजना चाहिये।.....उस समय जैसी देशकी अवस्था थी उसमें इस सिद्धान्तने राजनीतिपर क्या प्रभाव डाला होगा यह स्पष्ट ही है। जो सम्राट् प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनसे ही सब सत्कर्म उत्पन्न होते हैं, जो हमारे यथार्थ सत्ताधीश हैं और जो केवल हमारी अद्वाके एकमात्र अधिकारी हैं वे इस समय तोकूणावा शोगूनोंकी लोहशृङ्खलासे बाँधे जाकर क्योतोकी राजधानीके पांजरमें बन्द हैं। सच्चे शिन्तोई इस अन्याय और अधर्मको सह नहीं सकते। शोगूनको उतारकर सम्राट्-हीको राजगद्दीपर बैठाना चाहिये।”

इस प्रकार पुनःस्थापनाके पूर्व सामाजिक तथा राजनीतिक कान्तिकी कुछ शक्तियाँ धीरे धीरे, पर निश्चयरूपसे शिक्षितोंके मनको तैयार कर रही थीं।

पश्यात् संचत् १६१० में अमरीकन सेनापति पेरी संयुक्त-राज्यकी सरकारसे यह पत्र लेकर जापानमें आया कि अब हमारा तुम्हारा व्यवहार हुआ करे। यह ज़ड़ी जहाज़ों-का एक बड़ा भारी घेड़ा अपने साथ लाया था जिसको देखने और उसके अत्याग्रहसे चक्रित होनेपर जापानियोंमें बड़ी खलबली पड़ गयी। तोकूणावासरकारके होश उड़ गये और उसने समस्त दाइमियोंको हुक्म दिया कि समुद्र किनारेपर अपनी शक्तिभर सेना और युद्धसामग्री उपस्थित कर दो।

विक्रमीय सोलहवींसे अठारवीं शताब्दीतक ईसाई पाद्योंके उपद्रवके कारण जापानियोंको जो दुःख उठाने पड़े उक्ता परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय एकान्त और विदेशियोंके निवासान्तपर तोकूणावा शासकोंको मूलपुरुपने बड़ी दिया और उसके बंशजोंने भी उस मतलबको कभी न

च्छोड़ा। यह एक साधारण विचार था कि विदेशियोंके साथ सम्पर्क रखनेसे हमारे राष्ट्रके अस्तित्वपर सङ्कट आने पड़ेगा इसलिये देशमें उनका रहना बड़ा ही अशुभ है। कुछ शान्त हालेंडनिवासों व्यापारियोंको देशिमा ट्रापूमें रहनेकी आदा दी गयी थी, सो भी उन्हें बहुत कड़े नियमोंका पालन करना पड़ता था। उन्हें छोड़कर किसी भी विदेशी मनुष्यको यह अधिकार नहीं था कि वह जापानियोंके किसी प्रकार भी सम्बन्ध रखे। जापानियोंको भी बाहर जाना मना था। यदि कोई जापानी कहीं जानेका प्रयत्न करता थी और इस प्रयत्नका पता लगता तो उसे बड़ी भारी सज़ा दी जाती थी। बड़े बड़े जहाज़ बनाना भी विलकुल मना था। तोकूगावा सरकारका आरम्भसे यह खास मतलब रहता था कि स्वदेशमें कोई विदेशी घुसने न पावे थी और इस उद्देश्यके पालनमें ज़रा भी घुटि न होने पाती थी।

सेनापति पेरी जंगी जहाज़ोंका बेड़ा लेकर पहुँचा। यह सामान जापानियोंने कभी देखा भी न था। दो सौ वर्षकी शान्तिमयी निद्रा तथा आखण्ड एकान्तव्यासने सरकारको बड़े चब्बरमें डाल दिया था। शोगूनको कुछ न सूझा कि व्या करें प्या न करें, उसने राजकर्मचारियोंको परामर्श करनेके लिये बुला भेजा, अमरीकाके पत्रका तात्पर्य दाइमियोंको कहलवा दिया थी और व्योतोकी सम्बाट्-सभाको लिखा कि अपनी राय दे। अपतक शोगून देशका सब कार्य अपने अधिकारपर किया करते थे और सम्बाट्-सभापर भी दुष्क्रम चलाते थे। पर अप बड़ी कठिन समस्याका सामना करना पड़ा और उन्होंने दाइमियों और सम्बाट्-की सम्मति माँगकर अपनी दुर्बलता व्यक्त की। दाइमियोंमेंसे यहुतोंने और स्वयं सम्बाट्-ने भी यही सम्मति दी कि

विदेशियोंको और विदेशी जहाजोंको अपने पास फटकने न दो और युद्धसे जो सबने अपने रहनेका ढङ्ग इस्तियार किया है उसीपर डटे रहो । उन्होंने विदेशियोंके साथ किसी तरहकी रियायत करनेका घोर विरोध किया । इस सम्मतिके देनेवालोंमें कोमोन मित्तुकुन्ती बंशके ही दाइमियो प्रमुख थे । तोकूगावा बंशकी जो तीन मुख्य शाखाएँ हुईं उन्हींमेंसे एक शाखाके थे भी थे ; परन्तु इस अवस्थामें भी इन्होंने सम्राट्-का पक्ष लेकर सम्राट्की मात्यंता बढ़ानेपर जोर दिया था । इन्होंने कहा, “असम्यांकी यह चाल है कि वे व्यापार करनेके निमित्त किसी देशमें घुस जाते हैं, फिर वहाँ अपना ‘धर्म’ कैलाते हैं और फिर वहाँके लोगोंमें लड़ाई भगड़े । लगा देते हैं । इसलिये दो सौ वर्ष पहले हमारे पुरपाण्डितों जो अचुभव प्राप्त किया है उसको अपने सामने रखो; चीनके अफोम-युद्धकी<sup>१</sup> शिक्षाका तिरस्कार मत करो ।” इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी थे जो सरकारकी अन्तरङ्ग सभाके कर्मचारी तथा डच व्याप-

१. जापानके समान चीन भी पहले विदेश-सम्पर्कका पूर्ण विरोधी था । चीनके सुप्रसिद्ध बादशाह कीन-लज्जकी रुयाति सुनकर संवत् १८५० में इंग्लिस्तानसे लाठ मैकार्टने चीनके साथ व्यापार-सम्बन्ध स्थापित करनेकी आशा लेकर चीन-सम्बाट्के दरचारमें आये थे । परन्तु उन्हें निराश होकर ही लौटना पड़ा । आगे चूलकर शृहकलहके कारण जब चीन बहुत दुर्बल हो चुका तब नूरपवालोंको धीरे धीरे व्यापार करनेके अधिकार मिलने लगे । अंग्रेजोंका व्यापार-सम्बन्ध स्थापित हुआ । परन्तु अंग्रेजोंका व्यापार विशेष करके अफीमका था । चीनी इससे चरहू पीना सीख गये और यह व्यसन दिन दूना रात चौंगुना बढ़ने लगा । चीनसरकार बहुत कालतक चुप रही परन्तु जब चीनको चरहूखाना ही बन जाते हुए देखा तब उसने यह व्यापारही बन्द कर देनेकी ठान ली । संवत् १८६४में कैखंटनमें रहनेवाले अंपेज दूतको हुक्म हुआ कि अफीमके जहाजोंको लौटा दो और यह द्वानिका-

## ६८ जापानकी राजनीतिक प्रगति

स्थिरोंसे डच भाषा सीखकर पाश्चात्य सभ्यताकी कुछ कल्पनाएँ पाये हुए थे जिन्होंने कि चिदेशसम्बन्ध पुनः स्थापित करनेकी सम्भति दी थी। देशिमांमें रहनेवाले डच लोगोंके द्वारा सरकारके बड़े घड़े कर्मचारियोंको पाश्चात्य देशोंकी अवस्था मालूम हो जाया करती थी। अब तो सेनापति पेरीफा प्रत्यक्ष सामना ही हुआ। उन्होंने यह सोचा कि अमरीकाकी बात यदि हम नहीं मानते तो उससे युद्ध करना पड़ेगा जिससे देश मिट्टीमें मिल जायगा। उनका कथन यह था, “यदि हम अमरीकनोंको निकाल देनेकी चेष्टा करेंगे तो हमारे साथ उनकी शबूता आरम्भ हो जायगी और हमको लड़ना पड़ेगा। यदि इस फेरमें हम पड़ गये तो यह ऐसा वैसा शबूत नहीं है जिससे जल्द हुटकारा हो जाय। वे लोग इस बातकी चिन्ता न करेंगे कि कवतक उन्हें लड़ना होगा; वे सहजों रणपात लेकर आ पहुँचेंगे, हमारे तटको घेर लेंगे, हमारी नावोंको गिरफ्तार कर लेंगे, हमारे बन्दरोंके मार्ग बन्द कर देंगे और अपने तटकी रक्षाकी हमारी सारी आशापर पानी फिर जायगा।” इस प्रकार देशमें दो दल हो गये

रक व्यापार बन्द कर दो। उसने नहीं माना और व्यापार बना रहा। संवद १८६६ में चीनी वायसराय महाशय लिनने चीनमहाराजकी आज्ञासे कैरेटनमें उस बत्ता जितनी अफीम अंपेजोंके गोदामोंमें थी सब छीन ली और उसे नष्ट कर दिया। इस नष्ट की हुई अफीमका मूल्य लगभग ३ करोड़ रुपया बतलाया जाता है। चीनसरकारने जब यह नीति स्वीकार की तब अफीमके व्यापारियोंने चोरी चोरी अपना व्यापार जारी रखा। इसपर चीन-सरकारने अंपेजोंसे व्यापार-सम्बन्ध ही तोड़ दिया। यही इस चीन-अफीम-युद्धका कारण हुआ। चीनियोंकी हार हुई, और उन्हें ६ करोड़ ६० लाख रुपया युद्धरट स्वीकार करना पड़ा और हांग्काउ अंपेजोंके हवाले करना पड़ा।

थे—जोइतो अर्थात् विदेशी 'असभ्योंको' निकाल देनेवाला दल, और काइकोकुतो अर्थात् उनके लिये मुक्तद्वारनीतिका पक्षपाती दल।

संवत् १९११ में तोकुगावा सरकारने जोइतोके घोर विरोध और चिज्जानेकी कोई परवाह न करके साहसके साथ संयुक्त राज्य, इंग्लिस्तान और रूससे भी सन्धि की। यह एकदम आमूल परिवर्तन था—पुरानी राजनीतिक परम्पराका आमूल विपरिणाम था। ऐसा विरुद्ध आचरण करके भी वह सरकार वच जाय, उसपर कोई सङ्कट न आये, यह तो असभ्यव था। सचमुच ही इसी गलतीने तोकुगावा सरकारका पतन शीघ्रतर कर दिया।

यहाँसे आगे अब सरकारको दो चिन्ताएँ रहीं—एक तो अन्दरके भगड़े और दूसरे, विदेशियोंके खेड़े।

यह तो हम पहले ही लिख चुके हैं कि इतिहासकारों, शितोइयों व प्राचीन साहित्यके विद्वानोंमें यह भाव बड़े ही बेगसे प्रवल हो उठा था कि सम्राट् यथार्थमें सत्ताधीश हों। स्वभावतः ही इस विचारके लोग विदेश-सम्पर्क-पक्षके विरुद्ध थे। जब उन्होंने देखा कि तोकुगावा सरकारने विना सम्राट्-की अनुमतिके विदेशोंसे सन्धि कर ली तब उन्होंने उसपर यह अभियोग लगाया कि इसने सम्राट् का द्वोह किया है। ग्रायः दाइमियों और सामुराइयोंको पश्चिम अथवा पश्चिमी सभ्यताकी कुछ भी खबर नहीं थी। वे इन 'लाल दाढ़ीवाले जंगलियोंके' वारेमें<sup>१</sup> उसी अनुभवको जानते थे जो कि २००

१ जैसे यूनानी और रोमन लोग प्राचीन समयमें स्वकीयेतर जातिमात्रको बर्चर—'जंगली' कहा करते थे वैसे ही जापानमें भी विदेशियोंके लिये यही शब्द प्रयुक्त होता था।

## ७० जापानकी राजनीतिक प्रगति

धर्ष पूर्व इनके पूर्व पुरुषोंको ईसाई पादरियोंकी सहायतासे प्राप्त हुआ था। इसलिये शोगूनकी इस नयी कार्यवाहीका कुछ भी मतलब उनकी समझमें न आया और उन्होंने उसका बड़ा तीव्र प्रतिवाद किया। ठीक इसके विपरीत डच परिषद्गत<sup>१</sup> विदेश-सम्पर्ककी पुनःस्थापनाके बड़े भारी पक्षपाती थे। परन्तु वे यह खूब समझते थे कि प्रचलित शासनपद्धतिसे अर्थात् शासनके बटवारेकी हालतमें राष्ट्रका सङ्घठन सुदृढ़ नहीं हो सकता, इसलिये उन्होंने भी सम्भाइके प्रत्यक्ष और केन्द्रीयूत शासनका पक्ष ग्रहण किया।

इन साम्राज्यवादियोंके अतिरिक्त सात्सुमा, चोशिज़, तोसा, हिज़ोन आदि स्थानोंके प्रबल परावर्ती दाइमियों लोग भी तोकुगावा सरकारपर बहुत विगड़ उठे थे। तोकुगावा शोगूनोंसे इनकी बड़ी पुरानी अदावत थी। उनके पूर्व पुरुष तोयोतोमीशासनमें तोकुगावाशासनकी नींव देनेवाले इये यासूसे मानमर्यादा, वलपराक्रम, पदप्रतिष्ठा आदि सभी बातोंमें बड़े थे। तोयोतोमीके पतनके उपरान्त अर्थात् इयेयासूके षड्यन्त्रसे तोयोतोमीशासनका नाम मिटनेपर इन्होंने काल-की गति देखकर तोकुगावाका आधिपत्य सीकार कर लिया था पर यथार्थमें हृदयसे ये कभी तोकुगावाशासनके अधीन न हुए। इनकी रियासतें राजधानीसे बहुत दूर थीं और राज करनेवाले शोगूनोंसे इनका सम्बन्ध भी कुछ ऐसा ही चला आता था जिसके कारण शोगून उन्हें कभी अपनी हुक्मतमें नहीं ला सके।

**जब इन लोगोंने देखा कि तोकुगावा सरकारकी दुर्वलता**

---

१ जिन जापानियोंने डच व्यापारियोंके सहवाससे डचभाषा सीखकर पाश्चात्य सभ्यताका पाठ पढ़ा था उन्हें डच परिषद्गत कहा जाता था।

ग्रन्थ हुई और विदेशिक नीतिसे उसके अनेक शब्द हो गये हैं तब उन्होंने अपनी शब्दुता भी बड़े ज़ोरके साथ आरम्भ कर दी। कभी वे जोड़ते अर्थात् विदेश-सम्पर्क-विरोधियोंका पक्ष ग्रहण करते और कभी साम्राज्यवादियोंका साथ देते, और प्रत्येक अच्छे या बुरे अवसर व उपायका उपयोग करके शोगू-नाईकों मिटानेपर कमर कसे हुए थे। इसी मतलबसे ज्ञात्युमा व चौशिंडिके दाइमियोंने सम्राट्की राजसभाको इस बातके लिये उभारा कि यह तोकुगावाके शासनमें हस्तक्षेप करे, और स्वयं ऐसा आचरण आरम्भ किया माने तोकुगावा सरकार कोई चीज़ ही नहीं है।

विदेश-सम्पर्क-विरोधी दलों और आततायियोंका साथ देक्कर ये लोग घारंघार विदेशियोंको तंग करते और विदेशी जहाज़ोंपर आक्रमण करते थे। इससे सन्धिवद्ध राष्ट्रों और तोकुगावासरकारके बीच, अभी सम्बन्ध स्थापित हुआ ही था कि इतनेहीमें, नये नये झगड़े पैदा होने लगे। पाश्चात्य कूट-नीतिसे कभी काम तो पड़ा ही न था। यह पहला ही मौका था। इससे सरकार ऐसे चक्रमें पड़ गयी कि कहनेकी बात नहीं। एक ओरसे विदेशीय शक्तियोंने तोकुगावा सरकारकी भीतरी विपक्षियोंको न समझते हुए सरकारपर बड़ा दबाव डाला, हरजानेकी बड़ी बड़ी रकमें माँगीं और ऊपरसे सन्धिगत अधिकारोंकी रक्षा करनेके लिये सख्त ताकोद दी। दूसरी ओरसे विदेशीय राष्ट्रोंकी उद्धरण नीतिने विदेश-सम्पर्क-विरोधियोंको और भी भड़का दिया जिससे सरकारके नाकों दम आ गया।

जब मैत्री और व्यापारकी सन्धिके अनुसार कार्य होने लगा तब यह भी जवर्दस्ती होने लगी कि जापानी चलनसार

सिक्कोंके भावसे ही विदेशी सिक्के भी जापानमें चला करें। जापानी सिक्कोंमें ५ हिस्सा सोना और एक हिस्सा चांदी थी—और विदेशी सिक्कोंमें १५ हिस्सा सोना और एक हिस्सा चांदी थी। जब यह जवद्दस्ती आरम्भ हुई तब यह भय होने लगा कि अब देशसे सबूतुर्वर्ण निकल जायगा। सरकारने इस आर्थिक सङ्कटका प्रतिकार करनेके लिये ऐसे हिसाबसे चांदीका नया सिक्का तैयार कराया जिससे लेनदेनमें नुकसान न हो। पर सरकारके सिक्का ढलवानेकी देर थी कि सन्धिवद्व राष्ट्र एक साथ विगड़ उठे और कहने लगे कि यह तो सन्धिका मर्यादा भद्द की जा रही है। इसी प्रकार, और भी कई छोटी बड़ी कठिनाइयोंका सामना तोकुगावासरकारको करना पड़ा और विदेश-सम्पर्कके प्रारम्भके १०१२ वर्ष बड़ी वेचैनीके साथ चीते। यहाँतक कि शोगूनकी आँखें खुल गयीं और उन्होंने विदेश-सम्पर्कका नतीजा अपनी आँखों देख लिया।

इस प्रकार ऐसे कठिन समयमें तोकुगावा सरकार चारों ओरसे संकटोंसे विर गयी—वाहरसे विदेशी शक्तियोंने दबा रखा था, अन्दरसे विदेश-सम्पर्क-विरोधियोंके उपद्रव, सम्राट्-सभाके हस्तक्षेप, दाइमियोंके परस्पर मतभेद और कार्य-विरोध, विभाजित शासनकी पद्धति तथा पश्चिमी दाइमियोंकी शत्रुताने नाकों दम कर दिया था, यहाँतक कि ऐसी कठिन समस्याओं व विपक्षियोंका सामना करनेमें सरकार असमर्थ हो गयी।

संवत् १६२४ में अपने पदका इस्तीफ़ा देते हुए शोगूनने सम्राट्-सभाको यह पत्र लिखा—

“जिन जिन परिवर्तनोंसे हो कर साम्राज्य आज्ञ इस धर्मस्थाको प्राप्त हुआ है उन्हें एक बार पीछे फिर कर देखने-

से पता लगता है कि सम्राट्की सत्ता जीए हो चुकनेपर मंत्रीके हाथमें सब सत्ता आ गयी और होगेन और हैजीके युद्धोंसे शासनसत्ता सैनिकवर्गके हाथमें आयी। मेरे पूर्व पुरुषपर सम्राट्का जैसा विश्वास और दयाभाव था उससे पहले वह किसीको भी प्राप्त नहीं हुआ था। दों सौ वर्षसे भी अधिक काल चीत गया कि उन्हींके बंशज आजतक एक-के बाद एक आकर शासनकार्य नियाह रहे हैं। इस समय उसी कार्यको मैं भी कर रहा हूँ पर सर्वत्र ही अशान्तिके चिह्न स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। बड़ी लज्जाके साथ मैं इस बातको स्वीकार करता हूँ कि यह सब मेरी ही अयोग्यता और असमर्थताका दोष है। इसके साथ ही अब हमारा विदेशोंके साथ सम्बन्ध दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है जिससे हमारी विदेशनीतिका कार्य तयतक सन्तोषजनक न हो सकेगा जबतक कि उसे एक ऐसे केन्द्रसे गति न मिले जहाँ कि देशकी समत्त शक्तियाँ केन्द्रीभूत हैं। इसलिये हमारा यह विश्वास है कि यदि वर्तमान राज्यपद्धतिको घटलकर सम्राट्-सभाके हाथोंमें ही सब शासनसत्ता आ जाय और सम्राज्यके सब कार्य 'राष्ट्रकी बहुधा प्रतीत निष्पक्ष सम्मति'-से सम्राट्-सभाही किया करे और हम सब देशकी रक्षाके लिये सब भेदभाव भूलकर एक हो जायें तो यह निश्चय है कि हमारा राष्ट्र भी संसारके अन्य राष्ट्रोंके समकक्ष हो जायगा।

"यही हमारी आन्तरिक इच्छा है और देशके प्रति अपना कर्तव्य सोचकर इसे हम प्रकट करते हैं। पर इस सम्बन्धमें यदि सम्राट्-सभाका कुछ दूसरा ही विचार हो तो हमारी प्रायेना है कि वह उस विचारको स्पष्टही प्रकट करनेकी कृपा करे।"

## ७४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

तो कुगावासरकारके अन्तिम दिनोंकी कुछ और बातें उस बातचीतसे मालूम हो सकती हैं जो शोगूनसे वृद्धिश राजदूत भर हैरी पार्क्स और फरांसिसी राजदूत महाशय लियन राचिसके मिलनेपर इस अवसरपर हुई हैं। संयुक्त राज्यके राजनीतिक पञ्चव्यवहारसे यह बात पीछे प्रकट हुई कि शोगूनने कहा था—

“विगत वसन्तमें ही मैं इस बातको समझ चुका था कि जबतक सम्राट् और मेरे बीच शासनकार्य बढ़ा हुआ है तबतक देशको शासन ठोक तरहले नहीं हो सकता। देशको दो केन्द्र हो गये थे जहाँसे परस्पर-विरोधी आज्ञाएँ घोषित होती थीं। उदाहरणके तौरपर मैंने इसकी चर्चा की कि विदेशियोंके लिये हिंद्रागो और ओसाका ये दो स्थान<sup>१</sup>

---

१. विदेशियोंके लिये जापानके जो नगर व्यापारार्थ खुले रखे गये थे उन्हे “सन्धि-नगर” कहा जाता था। पहले तो केवल नागा बन्दर ही चीनियों और डचोंके लिये खुला था और इन दोनों चीनी व्यापारियोंको जापानियोंसे दबकर रहना पड़ता था। बादको संवद १६१०में अमरीकासे कमाएडर पेरी आया, जापानियोंसे व्यापार करनेकेलिये बन्दर माँगकर लौट गया और किर १६११ में आकर उसने अमरीकाको और से जापानके साथ ऐसी सन्धि की जिससे अमरीकाके लिये शिमोदा और हाकादितो ये दो स्थान सन्धि-नगर हो गये। तब और देशवालेभी आने लगे और अपने सन्धि नगर कायम करने लगे। श्रीग्रेजेंटोंके लिये नागासाकी और हाकादितो खुला। इसके बाद अमरीकावालोंने भी नागासाकीमें प्रवेश लाभ किया। इसी प्रकार इसी और डच लोगोंने भी स्थान पाये। एक एक करके १६ राज्योंके साथ जापानको व्यापार-सन्धि करनी पड़ी और अपना गृहद्वार खोल देना पड़ा। इस सन्धिमें जापानके हक्में बहुत ही बुरी शर्तें थीं जिनका जिक यथास्थान किया जायगा। जापानी यह सब देखकर शोगूनपर विगड़ उठे थे; क्योंकि इसीने यह नैका लगाया था।

खुले रखनेके बारेमें मेरे विचारसे तो सन्धिकी शर्तोंपर पूरा अनल करना हर हालतमें बाजिय था परन्तु इस बातके लिये सब्राट्की सम्मति बहुत रो पीटकर मिली सो भी उनकी इच्छासे नहीं। इसलिये मैंने देशके हितके लिये सब्राट्को सूचना दे दी कि मैं शासनकार्यसे अलग होता हूँ इस क्यालसे कि आगे किस प्रकार और किसके द्वारा शासन हो यह तै करनेके लिये दाइमियोंकीसभा निमन्त्रित की जायगी। ऐसा करनेमें मैंने अपने स्वार्थ और परम्परागत सत्ताको देशहितपर न्योछावर कर दिया।

“इस देशमें एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि जिसे इस बातका सन्देह हो कि जापानके सब्राट् कौन हैं। सब्राट्ही सब्राट् हैं। मैं अपने शासनारम्भसेही भावी शासनसत्ताके सम्बन्धमें राष्ट्रकी इच्छा जाननेका प्रयत्न करता था। यदि राष्ट्र यही निर्णय करे कि मैं अलग हो जाऊँ तो अपने देशकी भलाईके विचारसे मैं उसकी इच्छाका पालन करनेको तैयार हूँ।

“मेरा और कुछ भी मतलब नहीं है, जो कुछ है सो यही कि, अपने देश और देशभाइयोंके प्रति सच्चे प्रेमके कारण पूर्वपरम्परासे जो शासनसत्ता सुझे प्राप्त हुई थीं उससे मैं पृथक् हुआ, और यह कह सुनकर कि मैं साम्राज्यके समत्त अमीर उमरावोंको निष्पक्ष भावसे इस प्रश्नकी चर्चा करनेके लिये निमन्त्रित करूँगा और वहुमतको स्वीकार कर राष्ट्रीय व्यवस्थाके सुधारका निश्चय करूँगा—यह कह सुनकर मैंने सब्राट्-सभापर सब बातें छोड़ दीं।”

संवत् १९२४ में शोगूनका त्यागपत्र स्वीकृत हुआ और इयोस्त्र द्वारा संस्थापित तोकुगावासरकारके ढाई सौ वर्ष

शासनकालके उपरान्त तथा योरीतोमो द्वारा सैनिकवर्गके आधिपत्यकी नींव पड़ी उसके साढ़े छः सौ वर्ष बाद फिर साम्राज्यका शासन खयं सम्बाट् के हाथमें आ गया ।

परन्तु इस पुनरभ्युदयके उपःकालके समय देशमें घड़ा गड़वड़ मच रहा था । एक समालोचक लिखता है, “वाकुफू ( तोकुगावासरकार ) उठा दी गयी और सम्बाट्-सत्ता की पुनः सापना हुई ; परन्तु इस पुनःखापित सरकार-का देशके भावी उद्योगके सम्बन्धमें कोई निश्चित कार्य-क्रम नहीं था, विदेशोंके प्रश्नके सम्बन्धमें कुछ भी योजना सोची नहीं गयी थी और यही प्रश्न केयीके<sup>१</sup> आरम्भहीसे साम्राज्यके लिये सबसे महत्वका प्रश्न हो रहा था । अब भा साम्राज्यवादियों तथा शोगूनविरोधियोंकी धुनकी ज्वला उनके धधकते हुए दृढ़योंको अन्दरही अन्दर भस्म कर रही थी पर उनमें एक भी मनुष्य इस योग्य न निकला जो साम्राज्यको अखण्डशः एक करने तथा देशकी स्वाधीनताको स्थिर रखनेवाली कोई योजना उपस्थित करता । शोगूनके त्यागपत्रमें लिखा था कि, “यदि ‘राष्ट्रकी बहुधा प्रतीत निष्पक्ष समतिके’ अनुसार सम्बाट्-सभा द्वारा राज्यका शासन हो और हम सब अन्तःकरणसे एक हो कर देशकी रक्षा करें तो यह निश्चय है कि साम्राज्य संसारके राष्ट्रोंकी पंक्तिमें बैठने योग्य हो सकेगा ।” परन्तु शोक ! इन्हीं शब्दों-से प्रकट हो रहा है कि उस समय राज्यमें कैसा अन्धेर मच रहा था ।

१. केयी संवत्सरका नाम है । केयी संवत्सरके छठे वर्षमें अमरीकन सेनापति पेरी जापानमें आया था ।

परन्तु इस अन्यकारके होते हुए भी पुनःस्थापनाका महत्त्व प्रत्येक मुख्यके अन्तःकरणपर स्पष्टतया अद्वित था। शोगृहके त्यागपत्रसे तथा उन्होंने जो बातें कुछ विदेशी प्रतिनिधियोंसे कहीं हैं उनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस राजनीतिक अवस्थान्तरका कारण क्या हुआ। यह मालूम होता है कि जोइतो, काइकोकुतो, साम्राज्यवादी, सेनिकसत्ता-विरोधी और स्वयं सैनिकवर्गके प्रायः प्रत्येक व्यक्तिको राष्ट्रीय एकीकरणकी अत्यावश्यकता प्रतीत हो चुकी थी परन्तु इसकी पृतिके साथनेंके सम्बन्धमें बड़ा ही मतभेद था; क्योंकि उनके स्वार्थ, विचार और समाव भिन्न भिन्न थे। परन्तु मतभेदको भूलकर राष्ट्रीय एकीकरणको सब लोगोंने अपनी अपनी दृष्टिकोनेंद्र बनाया था। यह सच है कि शासनघुवारसम्बन्धी कोई कार्यक्रम निश्चित कर सामने रखना उस घबराहटके समय किसीसे भी न बन पड़ा—पर वे हृदयसे इस बातको चाहते थे कि किसी न किसी तरह चाहुएक हो जाय और उसपर सम्भाट्का प्रत्यक्ष शासन हो।

शासनसङ्गठनकी पद्धति वे अपनेही देशके इतिहासमें हूँडने लगे और वह शासनपद्धति उन्होंने स्वीकार की जो कि दाल्लुकेदारोंके शासनके पूर्व देशमें प्रचलित थी और जिस शासनमें राष्ट्र एकजीव था। वह शासन सम्भाट्का प्रत्यक्षशासन था। उसके अनुसार नवी शासनपद्धति वथातथा निर्माण की गयी। शासक-मण्डलके मुख्य स्वयं सम्भाट्वनाये गये जो कि उस समय १५ वर्षके एक बालक थे। उन्हें मन्त्रणा देनेके लिये एक मन्त्रिमण्डल बना जिसमें एक प्रधान मन्त्री (जो कि राजवंशमेंसे छुन लिये गये थे), एक सहायकप्रधान मन्त्री और सात अन्य मन्त्री अर्थात्

धर्ममन्त्री,<sup>१</sup> खराप्रूसचिव, परराप्रूसचिव, अर्थमंत्री, सेनासचिव, न्यायमन्त्री तथा कानूनसचिव नियुक्त किये गये। इस मन्त्रिमण्डलकी सहायताके लिये भी १८ परामर्शदाताओंकी एक सभा बनायी गयी जिसका दर्जा मन्त्रिमण्डलसे नीचा होनेपर भी उसमें हर तरहके सुधार-पक्षपातियोंका समावेश हुआ था और उस समयके सभी कर्तव्यपरायण तथा अभावशाली लोकनेता उसमें सम्मिलित थे।

इस प्रकार नये शासकमण्डल या सरकारने शासनकार्य करना आरम्भ किया। पर यह बात यहाँ ध्यानमें रखनी चाहिये कि उस समय सरकारकी आयका कोई स्थायी तथा विशेष साधन नहीं था; सभादूकी भूमिसे जो आय होती थी घही थी। अब भी देशमें अर्थस्वार्थीन ताल्लुकेदारोंकी बच्ची बचायी रियासतें चल रही थीं। इसलिये गिजिओ (मन्त्रिमण्डल)<sup>२</sup> तथा सानयो अर्थात् परामर्शदात्री सभाने मिलकर यह विचार किया कि, “यद्यपि राजवंशके हाथमें अब शासनसत्ता आगयी है तथापि शासनव्ययके लिये उसके पास आयका कोई साधन नहीं है और इसलिये तोकुगावा तथा अन्य ताल्लुकेदार घरानोंसे रुपया वसूल करना चाहिये।” और यही विचार स्थिर हुआ।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जिस सरकारने तोकुगावाके अधिकार छीनकर शोगूनपदको नष्ट कर दिया

१ यह एक ध्यानमें रखने योग्य बात है कि सप्तप्रधानोंमें प्रधान स्थान धर्ममन्त्रीको दिया गया है।

२ गिजिओ अर्थात् मन्त्रिमण्डलका यह कार्य था कि राज्यकी सब बातोंपर वे निचार कर सोसाइ या प्रधान मन्त्रीको सलाह दें और सानयोफा यह काम था कि वह मन्त्रियोंकी सहायता—सहकारिता किया करें।

और जो अन्य ताल्लुकेदारवर्णशौकी भी यही गति करनेवाली थी उस सरकारके ख़जानेमें तोकुगावा या अन्य लोग क्यों उपया भरे ? इन सब लोगोंने मिलकर शख्सके बलसे नये शासकमण्डल और उसके केन्द्र राजसभाको ही क्यों नहीं द्या दिया ? यदि वे चाहते तो उनके लिये ऐसा करना उस समय कुछ भी कठिन न था । यह एक बड़ीही विचित्र घात है कि शोगून और दाइमियो लोग अपने प्रचुर धन और अन्य शब्दसे जो काम नहीं कर सके वह काम नयी सरकारने कर डाला जिसके पास न धन था, न फौज थी और न जंगी जहाज ही थे । नव्य शोगून केरीने विदेशोंके प्रतिनिधियोंसे कहा था कि, सम्राट्की सर्वभाष सत्तामें किसीको सन्देह नहीं है । यदि सम्राट्के प्रति यह अद्वा न होती तो इस शान्तिके साथ यह महान् राजनीतिक परिवर्तन भी कदापि न होने पाता और न नयी सरकार वह काम कर पाती जिसे शोगून और दाइमियो करनेमें आसमर्थ हुए ; इतना ही नहीं प्रत्युत यदि सम्राट्की पुनःस्थापनाके पश्चात् नेताओंने यह न जाना होता कि जापानको परचक्का भव है और उस परचक्कमें जापानकी साधीनता हरण होनेवाली है और यदि जापानी लोग एकही विचार, एक ही आचार और एक ही परम्पराके एकजातीय लोग न होते तो ऐसा आमूल सुधार, राष्ट्रके पुनःस्थापनके रूपमें ऐसा एकीकरण इतने थोड़े समयमें ऐसी शान्तिके साथ होना कदापि सम्भव न होता ।

अब हमें यह देखना चाहिये कि पुनः स्थापनाके उपरान्त कैसे कैसे एक एक महत्वके सुधार जापानमें होने लगे ।

नये शासकमण्डलके सुधारवादी नेताओंने सम्राट्-सभा-

## ८० जापानकी राजनीतिक प्रगति

में बैठकर अपना कार्य आरम्भ किया। सबसे पहले उन्होंने दरवारंकी पुरानी और भद्री रीतियोंको उठा दिया। दरबार तथा धंशपरम्परासे प्राप्त एकान्तवास तथा अकर्मण्यताको इन्होंने दूर कर दिया; वे नयी बातें, नये विचार और नये काम सोचने लगे और छोटे बड़ेका ख्याल न कर हर श्रेणीके योग्य तथा विद्वान् पुरुषोंको बुलाकर उनसे परामर्श लेने लगे। पुरानी लकीरके फुकीर जापान-दरबारके लिये यह चिलकुल एक नयी बात थी। अबतक प्राचीन परम्परा और रीतिनीति से जापानका राजदरबार इस तरह बँधा हुआ था जैसे अस्थिसे मांस। इस आकस्मिक और आमूल परिवर्तनको देखकर जापानी लोग आश्वर्यचकित हो गये और इस पुनःस्थापनाको वे 'इशिन' अर्थात् 'चमत्कार' कहने लगे।

इसके उपरान्त सरकारने विदेशसम्बन्धके प्रश्नपर दृष्टि डाली। इस प्रश्नका बहुत शीघ्र हल हो जाना बहुत ही आवश्यक था। अबतक सम्राट्-सभाका व्यवहार विदेशसम्पर्कके सर्वथा चिरुद्ध रहता आया था। वास्तवमें जोइतो अर्थात् सम्पर्कविरोधियोंने तोकुगावासरकारको मेट देनेकी चेष्टा इसी आशासे की थी कि जब सम्राट् अधिकाराउँड़ होंगे तो समस्त राष्ट्रके संयुक्त उद्योगसे ये विदेशी 'बहशी' निकाल बाहर किये जायेंगे। अबतक विदेशसम्पर्कविरोधीकी आग कहीं कहीं धधक रही थी और लोग बड़ी उत्सुकतासे यह देख रहे थे कि देखें, अब सरकार विदेशियोंसे क्या व्यवहार करती है।

एचिज़न, तोसा, चोशिड, सत्सुमा, हिज़न और आकीको बड़े बड़े दाइमियोंने विदेशसम्पर्कनीतिके सम्बन्धमें सरकारके पास एक मेमोरियल (आवेदनपत्र) भेजा। उस पत्रमें

लिखा था कि “इस समय सरकारके सामने जो जो काम महत्वके हैं उनमें हमारी रायमें लघुसे महत्वका काम यह है कि सरकार विदेशसम्पर्कके सम्बन्धमें अपनी नीति स्पष्टतया प्रकट कर दे।... अबतक सम्भाल्य अन्य देशोंसे अलग रहा है और उसे संसारकी गतिका कुछ भी परिचय नहीं है। हम लोगोंका केवल यही उद्देश्य रहा कि किसी भंडटमें न पड़ना पड़े। परन्तु इस तरह हम लोग दिन दिन अवनत होते जा रहे हैं और यह भय होता है कि यदि हमारी यही गति रही तो एक दिन हमें विदेशी शासनके जुएमें अपनी गर्दन देनी पड़ेगी। हमारी प्रार्थना है कि सम्भाल-सभाके कर्तव्यपरायण पुरुष आँखें खोलकर इस विषयपर विचार करें और अपने मानहत लोगोंसे अनन्यमन होकर मिलें जिसमें कि विदेशियोंमें जो जो गुण हैं उनके ग्रहणसे हमारी बुद्धियाँ दूर हों और हमारा राज्य युग युग चना रहे।”

अन्तमें दरवारने एक अनुष्टुपत्र निकाला और यह प्रकट किया कि हम लोग जो चाहते थे वह तो कुणावा-सरकारकी गलतीके कारण कुछ भी न हो सका। अब तो दशाही विलकुल बदल गयी है और अब सिवाय इसके कि विदेशी राष्ट्रोंसे हम मैत्री और शान्तिकी सन्धि करें, और कोई उपाय नहीं रहा और इसलिये क्या छोटे और क्या बड़े समस्त जापानियोंको चाहिये कि विदेशियोंको जो अधिकार दिये गये हैं उनकी मर्यादा स्वीकार करें। इसी समय सम्भालने विदेशोंसे अपने हार्दिक मैत्रीभावका उन्हें विश्वास दिलानेके लिये तथा लोगोंपर सरकारकी विदेशसम्पर्कसम्बन्धी निश्चित नीति प्रकट करनेके लिये विदेशोंके प्रतिनिधियोंसे दरवारमें भेट की। यह घटना संवत् १९२५ में हुई और जापान

## ८२ जापानकी राजनीतिक प्रगति

साम्राज्यकी उस प्राचीन राजधानीमें बड़ी भारी खलबली पड़ गयी। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि इस घटनासे जापानियोंके मनपर क्या प्रभाव पड़ा। इस समाचारके चारों ओर फैलतेही कि 'लाल दाढ़ीवाले बहशियोंसे' आज हमारे सम्बादने दरवारमें भेट की है, समस्त विदेशसम्पर्कविरोधियोंने अपनी सारी आशाओंको परित्याग कर दिया। इस प्रकार जिस समस्याकी पूर्ति करनेमें तोकुगावासरकारके नाकों दम आ गया था उस समस्याकी सदाके लिये पूर्ति हो गयी।

सुधारवादी नेताओंने इसके उपरान्त दूसरा काम यह किया कि राजधानीको पुरानी राजधानी क्योतोसे हटाकर शोगूनकी राजधानी येदो (आधुनिक तोकिओ) में स्थापित किया। ऐसा करनेमें मतलब यह था कि क्योतोमें परम्परासे जो बुराइयाँ प्रचलित हो गयी थीं उनसे दरवारका छुटकारा हो और अवतक लोगोंका जो यह एक आम ख्याल था कि हमारे देशमें दो राजधानियाँ हैं, एक क्योतोमें जो नाम मात्रकी राजधानी है और दूसरी येदोमें जहांसे वास्तविक शासन होता है, यह ख्याल विलकुलही जाता रहे। इस प्रबन्धका भी कुछ विरोध हुआ। दरवारके कुछ लोग और प्राचीन राजधानीके नागरिक इसके प्रतिकूल थे। किर भी, जो निश्चय हो चुका था उसे कार्यमें परिणत करनेमें कुछ भी विलम्ब न लगा।

राजधानी बदलनेके कुछ ही पूर्व एक बड़ी भारी घटना हो गयी। इस घटनापर लोगोंका उतना ध्यान नहीं गया जितना कि नयो सरकारके अन्य नये सुधारोंपर, पर उसका जो परिणाम हुआ है उससे उसे आधुनिक जापानके इतिहास-

की एक अन्यन्त महत्वकी घटना समझना चाहिये। सन्नाटने शपथ लेकर उस सिद्धान्तपञ्चकको घोषित किया जिसपर कि नवप्रस्थापित सरकारने शासनकार्य करना निष्ठय किया था। सन्नाटकी यही घोषणा बादको 'सिद्धान्तपञ्चकका शपथ-पत्र' के नामसे प्रसिद्ध हुई। इस शपथपत्रने जापानके इतिहासमें वही काम किया है, जो इंग्लैडके इतिहासमें मैग्नाचार्टने। घोषणाका सारांश यह है—

१. विस्तृतप्रदेशसे निर्वाचित सदस्योंकी एक सभा स्थापित की जायगी और राष्ट्रकी सब बातें पक्षपातरहित बहसके अनन्तर निश्चित होंगी।

२. राष्ट्रकी शासनसम्बन्धी सब बातें शासक और शासित दोनोंके सहकारी उद्योगसे की जायेंगी।

३. सब लोगोंको—राजकर्मचारी, सैनिक तथा अन्य सभीको—विधिसङ्गत इच्छाओंके पूर्ण होनेकी आशा दिलाकर उन्हें मुक्त और असन्तुष्ट होनेसे रोकना होगा।

४. वे पुराने रिवाज जो विलकृत वाहियात ( भ्रष्ट ) हैं, छोड़ दिये जायेंगे और सब काम न्याय और सचाईसे किये जायेंगे।

५. शासन और पालिडत्य संसारभरसे ब्रह्म करना होगा, और इस प्रकारसे साम्राज्यकी नींव को सुदृढ़ करना होगा।

सिद्धान्तपञ्चकके प्रथम सिद्धान्तके अनुसार संवत् १९२६में कोनिशो नामकी सभा स्थापित की गयी। इस सभामें प्रायः देशके तालुकेदार लोग थे। इस सभाका उद्देश्य यह था कि राष्ट्रके विचार और शासनकर्त्ता लोगोंकी सम्मति मालूम हो। इस सभाके अधिवेशनमें कई महत्व-

## ८४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

के सुधार सूचित किये गये। यथा भूमिकर और कर्ज पर व्याजकी निश्चित दर को दूर करना, अन्त्यज जातिविशेषकों 'पता' कहनेकी मनाहो, और प्राणदरडको नियमित कर देनेवाले एक कानूनका बनाया जाना इत्यादि ये सब प्रस्ताव अत्यन्त महत्वके थे और इनसे जापानके सामाजिक आचारविचारमें बड़ा भारी परिवर्तन अवश्यम्भावी था। उदाहरणार्थ, दो तलवारें वाँधकर चलना, सामुराइयोंका एक विशेष अधिकार था। किसान, कारोगर या सौदागर से उनकी पार्थक्य इसी अधिकार से प्रतीत होती थी। सामुराइयोंकी ही यह एक विशेष मर्यादा थी।<sup>१</sup> इस प्रथा को उठाने,

<sup>१</sup> ऐता या 'अन्त्यज' का भगड़ा घभी तै नहीं हुआ है। कुछ लोगोंवा कहना है कि ये लोग जापानमें ताल्लुकेदार-शासनपद्धतिकी नींव ढालनेवाले योरीतोमोके दासायुत हैं। कुछ लोग यह कहते हैं कि १६ वीं शताब्दीके अन्तमें जापानके नेपोलियन हिदेयोशीने कोरियामें एक सेना भेजी थी वह सेना कोरियासे जिन कैदियोंको पकड़कर ले आयी उन्हींकी सन्तान ये ऐता लोग हैं। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि बोढ़धर्मके प्रचारके प्राणिवध एक महापाप समझा जाने लगा, अतएव जो लोग पशुवधादि व्यापार फरते थे उनकी यह एक श्रलग जाति ही बन गयी। ऐता लोग ऐसे ही काम याने पशुवध करना, चमड़ा कमाना, जूते बनाना, कब्र खोदना, मुदंगाड़ना ऐसे काम किया करते थे।

२ ताल्लुकेदारोंके शासनकालमें तलवारकी यह मर्यादा थी कि वह सामुराइयोंकी प्रत्यक्ष आत्मा ही समझी जाती थी। सामुराइयोंको दो तलवारें बाँधनेका अधिकार था। एक तलवार बड़ी और एक उससे छोटी होती थी। बड़ी तलवार इसलिये कि उससे वह शत्रुका संहार करे। छोटी तलवारका यह मतलब था कि यदि उसके गैरवपर किसी दकारका कलङ्क लगा और किसी उपायसे वह मिट न सका तो इस कृपाणसे दह अपना जीवन समाप्त कर दे।

और अन्त्यज जातिका कलङ्कित नाम एता उड़ानेके प्रस्तावोंका तात्पर्य यह था कि समाजसे श्रेणिविशेषकी प्रधानताका लोप और समाजकी वर्गव्यवस्थाका नाश हो जाय। कोगिशोमें इन विषयोंकी चर्चा तो हुई परन्तु आश्वर्य इस बातका है कि इस चर्चासे सभासदोंको दिलचस्पो न हुई क्योंकि एक तो लोग इस चर्चाके योग्य नहीं थे और दूसरे कालकी गतिको कौन रोक सकता है इस तरह सभा हुई न हुई सब बराबर हुआ और संवत् १९२७ में सभा स्थगित की गयी और अन्तमें संवत् १९३० में सभा ही उठादीगयी। पर सभामें जिन जिन सुधारोंकी चर्चा हुई थी, सरकारने आगे चलकर वे सब सुधार कार्यमें परिणत कर दिये।

इधर सरकार शासनसम्बन्धी नाना प्रकारके सुधार करनेमें लगी हुई थी और उधर ईशान (पूर्वोत्तर) प्रान्तोंमें बड़ा असन्तोष और गड़वड़ मच रहा था। पूर्वके कुछ दाइमियोंने तो पुनःस्थापनाका महत्वही नहीं समझा, क्योंकि वे साफ़ साफ़ यह देख रहे थे कि कुछ दरवारी और पश्चिमके कुछ दाइमियो मिलकर सब राजकाज चला रहे हैं। पूर्वी दाइमियोंने विशेषतः झुवाना और एजूके दाइमियोंने यह समझा कि सत्सुमा, चोशिऊ, आकी, हिज्जन व इचीज़नके दाइमियोंने बालक सम्राट्को पट्टो पढ़ा दी है और स्वयं राज्यका उपभोग कर रहे हैं। यह सोचकर उन्होंने पदच्युत शोगून केकीको अपना अधिकार पुनः प्राप्त करनेके लिये उभारना आरम्भ किया। परिणाम यह हुआ कि सम्राट् और तोकुगावा खान्दानके बीच लड़ाई छिड़ गयी। सम्राट्की ओरसे पश्चिमी दाइमियोंके उपनायक अर्थात् सामुराई लोग थे और तोकुगावाकी ओरसे उसके अन्य साथी लोग थे। भयङ्कर

रक्तपात आरम्भ हुआ और पश्चिमी तथा पूर्वी दाइमियोंके बीच जो पुरानी अदावत थी वह भी इस मौकेपर भड़क उठी। परन्तु बहुत थोड़ेही समयमें पूर्वीय सेनाओंको बारबार हारकर सम्राट्की शरण लेनी पड़ी।

संवत् १९२६ के मध्यभागमें देशमें आरसे छोरतक शान्ति स्थापित हो गयी। नवीन सरकारका दबद्वा बैठ गया। पर कुछ ही समय बाद एक और सङ्कट उपस्थित हुआ जिसे सुधारवादी नेताओंको हर हालतमें ढूरही कर देना चाहिये था क्योंकि ऐसा किये विना उनका उद्देश्यही सफल न होता। वह सङ्कट यह था कि सरकारको अब ताल्लुकेदारी ही उठा देनी थी क्योंकि इसके विना राष्ट्रीय एकीकरण असम्भव था। सम्राट्की पुनःस्थापनाका मतलब ही यही था यद्यपि आरम्भमें यह बात किसीको सूझी नहीं थी। परन्तु अब उन्होंने स्पष्ट ही देख लिया कि जबतक एक एक दाइमियों अपनी अपनी रियासतको भोग रहा है और मनमाना खर्च और कानून चला रहा है तबतक केन्द्रस्थ सरकारकी सुदृढ़ स्थापना नहीं हो सकती। पर उन सैकड़ों दाइमियोंसे उनके उन नृपतुल्य अधिकारोंको, उनकी उस मानमर्यादाको और उनके उन अधिकृत प्रदेशोंको जिन्हें वे कई शताब्दियोंसे भोगते आये हैं, अब छीन लेना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिये यूरपने सैकड़ों वर्ष रक्तकी नदियाँ बहायी हैं। जापानमें यह काम कैसे हुआ यह एक देखने योग्य बात होगी।

उस समय जोर जवर्दस्तीसे सरकार इस कामको कदापि न कर सकती थी, क्योंकि उसके पास न कोई सङ्कटित सेना थी और न द्रव्य ही था। जो कुछ आय थी वह ताल्लुकेदारोंसे ही होती थी। सरकारका जो कुछ बल था वह यही था कि

क्तिपय सामुराई उसके सच्चे भक्त थे। येही सुधारके नेता थे और प्रायः पश्चिमी प्रतापशाली दाइमियोंके आश्रित लोग थे। सर्वसाधारण सम्राट्‌की सार्वभौम सत्ताको अन्तःकरणसे मानते थे। सम्राट्‌वंशके प्रति उनकी स्नेहमयी श्रद्धा थी और उन्हें इस बातकी भी प्रतीति हो चुकी थी कि यदि हमारे देशमें एकता स्थापित न होगी तो विदेशी राजाओंसे बचना हमारे लिये असम्भव हो जायगा। परन्तु सैन्यशक्ति तथा श्रान्तःउपकरण और साधन अभीतक दाइमियोंलोगोंके हाथमें थे और सरकारको जो काम करना था वह तो इन्हींके स्वार्थोंपर कुठाराघात करनेवाला था। सरकारने किस खुवाँसे इस उभयः सङ्कटको दूर करके अपना काम किया है, यह भी इस शासनकान्तिनाटकका एक बड़ाही मनोहर दृश्य है।

किंदा नामक एक पुरुषने यह सूचना दी कि पहले यह उद्योग किया जाय कि दाइमियोंलोग राष्ट्रकल्याणके हेतु खुशी-से श्रीपनी जागीरें सरकारको दे दें। यह सूचना श्रोकुबो, साइगो तथा अन्य लोगोंको भी स्वीकृत हुई। किंदा, श्रोकुबो और साइगो नवीन सरकारके प्रधान पुरुष थे और इसके साथ ही किंदा चैशिडको एक प्रधान उपनाथक भी था और वाकी दो सत्सुमावंशके प्रमाण पुरुष थे। सबसे पहले उन्होंने सत्सुमा, चैशिड, तोसा और हिजनके प्रवल पराक्रमी पश्चिमी दाइमियोंको राजी कर लिया और इन दाइमियोंने सबको सामने श्रीपनी जागीरें देशकल्याणके हेतु सम्राट्‌को अर्पण कर दीं। इसके साथ उन्होंने सरकारके पास एक आवेदनपत्र भेजा जिसमें निम्नलिखित बातें थीं—“साम्राज्य-स्थापनकालसे देशकी शासननीतिका यह एक अटल सिद्धान्त रहा है कि हमारे प्रथम सम्राट्‌के वंशज ही हमारे ऊपर

## ८८ जापानकी राजनीतिक प्रगति

सदा राज्य और शासन करते रहें। सम्भाल्यमें एक भी भूमि-खण्ड ऐसा नहीं है जो सम्राट्का न हो और एक भी अधिचासी ऐसा नहीं है जो सम्राट्की प्रजा न हो, यद्यपि वोचमें सम्राट्सत्ताके चीज़े हो जानेसे सैनिकवर्गने सिर उठाया था और भूमिपर अधिकार करके उसने उसे अपने धनुषपालके पारितोषिकस्वरूप आपसमें बाँट लिया था। पर अब जब कि सम्राट्की सत्ता पुनः स्थापित हो चुकी है, हम लोग उस भूमिको अपने अधिकारमें कैसे रख सकते हैं जो भूमि कि सम्राट्की है और हम लोग उन लोगोंका शासन भी कैसे फर सकते हैं जो कि सम्राट्की प्रजा हैं। इसलिये हम लोग अपनी समस्त सैन्यस्वत्वाधिकृत भूमि अद्वाके साथ सम्राट्के चरणोंमें अर्पण करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि सब फानून, सैन्यसम्बन्धी सब नियम, दीवानी और फौजदारी कायदे, तथा छोटेसे छोटे आशापत्र भी सम्राट्के दरवारसे दो निर्णीत और वापित दो जिससे कि समस्त देश एक ही सुशासनके अधीन रहे। इसी उपायसे हमारा देश भी संसार-के अन्य शक्तिशाली देशोंके समकक्ष होगा।”

इस उच्चविचारपत्रके आवेदनपत्रने जापानियोंके देश-भक्तिपूर्ण हृदयपर वह काम किया जो कि शस्त्राखसे सुसज्जित सैनिकगणके भयानक प्रदर्शनसे कदापि न होता। इन चार स्वार्थत्यागी दाइमियोंका उदाहरण वायुवेगसे देशमें फैल गया और एक करके सब दाइमियोंने उनका अनुकरण किया। २७६ दाइमियोंमेंसे केवल १७ वाको रह गये। इससे मालूम होता है कि दाइमियोंने अपनी इच्छा और रजामन्दों से ही अपनी वंशपरम्परागत भूमि पूरोत्तारसे सरकारके हवाले की। किसीने यह नहीं कहा कि सरकारने जर्वर्दस्ती की। यही

वात यदि अमरीकामें होती और संयुक्तराष्ट्रकी सरकार अमरीकाके दून्स-कारिन्दनेए-रेलवेके मालिक मिठा हारीमान या मिठा हिलसे कहती कि अपनी रेलवे हमें दे दो और उसका उचित मूल्य ले लो तो वहाँके स्वातंत्र्यवादी लोग सरकारके इस कार्यको जटी और जवादस्ती कहनेमें कोई कसरन करते। अस्तु। जापानमें यह सब कुछ एक ऐसे अवसरपर हुआ है जब उसकी अत्यन्त आवश्यकता थी। इससे जापानी स्वभावकी विशेषता प्रकट हो जाती है।

यह अनन्य देशभक्ति तो थी ही पर इसके साथ ही एक और वात भी थी जिसके कारण इस दुःसाध्य कार्यमें सफलता प्राप्त हो सकी। वहुतसे ताल्लुकेदारवर्षोंका यह हाल था कि उनका सब कामकाज उनके उपनायक या कारिन्दे लोग ही देखा करते थे और प्रायः येही कारिन्दे सुधारवादी नेता थे। इसलिये जब ये लोग अपने मालिकसे किसी कार्यके करनेका प्रस्ताव करते तो मालिक उसका विरोध नहीं करते थे।

जब दाइमियों लोगोंने अपनी अपनी जागीरें सरकारको अपेण कर दीं तो ये ही लोग उन जागीरोंपर शासक नियुक्त किये गये और उनकी जागीरोंसे जो पहले उन्हें आमदनी मिला करती थी उसका दसवाँ हिस्सा उन्हें वेतनस्पते दिया जाने लगा और उनके जो उपनायक या कारिन्दे थे उन्हें भी एक निश्चित वेतनके साथ अफसरीकी जगहापर तैनात कर दिया गया। पर जो सुधारवादी नेता देशके सम्पूर्ण एकीकरणका प्रयत्न कर रहे थे उन्हें यह प्रवन्ध भी शीघ्र ही असन्तोषजनक प्रतीत होने लगा। अब यह देख पड़ने लगा कि जबतक भूतपूर्व दाइमियों और उनके कारिन्दे लोगही उनकी जागीरोंपर तैनात हैं तबतक ताल्लुकेदार-

शासनपद्धतिको सब बुराइयाँ दूर नहीं हो सकतीं। इसलिये सरकारने अब इन ताल्लुकेदारोंको ही शासनकार्यसे हटा देनेका मनसूवा वाँधा। यह मनसूवा पूरा करनेके लिये भी सरकारने सामका अवलम्बन किया।

इवाकुरा, किंदो और ओकुचो जोकि राजकार्यमें पूर्ण पड़ थे, पश्चिमके भूतपूर्व दाइमियोंसे वातचीत करने और नाल्लुकेदार-शासनपद्धति विलकुलही उठा देनेकी वातपर उन्हें राजी करनेकेलिये भेजे गये। दाइमियोंने कुछ भी आपत्ति नहीं की और सरकारकी नीतिको शिरोधार्य माना। संवत् १९२८ में जापानके महाराजाधिराजकी ओरसे एक घोषणापत्र निकला जिसमें यह घोषित हुआ कि आजसे दाइमियोगिरीका अन्त हुआ और अवतक जो दाइमियो जागीरोंपर सरकारकी ओरसे शासन करते थे वे भी अब इस शासनभारसे मुक्त किये जाने हैं। साथही यह भी घोषित हुआ कि अब इसके बाद स्वयं मुख्य सरकारही शासकोंको नियुक्त करेगी अथवा दूर करेगी। इस प्रकार तोकुगावा शासनके पतन होनेके बाद इही वर्षमें पुनःस्थापनाका कार्य अर्थात् एक ही सरकारके अधीन समस्त राष्ट्रका एकोकरण पूर्णरूपसे फलीभूत हुआ।

## छितोय परिच्छेद

### राष्ट्रसङ्घटनसम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था ।

प्रथम परिच्छेदमें यह दिखलाया गया है कि सं० १९२४ की पुनः स्थापनाके पूर्व जापानकी राजनीतिक अवस्था क्या थी और इस प्रकार राज्यतंत्रमें ऐसी कान्ति होनेके क्या क्या कारण हुए और अन्तमें उनका क्या परिणाम हुआ । इस परिच्छेदमें यह दिखलाया जायगा कि साम्राज्यको सहृदित स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ, किस प्रकार राष्ट्रसङ्घटनका उद्योग हुआ—अर्थात् प्रातिनिधिक राज्यसंस्थाओंके विचार जो धार्मिक मूलतः पश्चिममें ही मिलते हैं जापानियोंमें कहाँसे उत्पन्न हुए, इनविचारों और कल्पनाओंका उन्होंने अपने देशके राजकारणमें कैसे और क्या उपयोग किया, और कैसे उन्होंने प्रातिनिधिक संस्थाएँ स्थापित कीं ।

जापानमें प्रातिनिधिक राज्यसङ्घटनका उद्योग अन्य देशों की देखादेखी राजाको पदचयुत करने अथवा “निधि और प्रतिनिधि” का प्रश्न हल करनेके लिये नहीं आरम्भ हुआ । किन्तु साम्राज्यिक पुनःस्थापनाके संस्कारका ही यह अवश्यसभावी परिणाम था । यह एक ऐसा संस्कार था जो देशमें यूरपकी नकल उत्तरनेकी बुद्धिसे ही उत्पन्न हुआ था, चाहे इस वातको संस्कारक लोग शुरूहीसे जानते हों या न जानते हों । जापान राष्ट्रकी छिन्न भिन्न अवस्था, पाश्चात्य राष्ट्रोंकी तुलनामें जापानियोंकी अवनत दशा और जापान भूमिके महत्व व गौरवको कायम रखनेकी उनकी सदिच्छा, इन्हीं चातोंने तो जापानियोंको पाश्चात्योंका अविलम्ब अनुकरण

## ६२ जापानकी राजनीतिक प्रगति

करनेके लिये उद्दीपित किया था। जापानियोंके दिलमें यह आशा थी कि पाश्चात्योंका अनुकरण करनेसे जापानकी दशा चुंबर जायगी और यूरोप व अमरीकाके देशोंके समान यह भी व्यापार व कलाकौशलमें निपुण और समृद्ध होगा। संवत् १८५४ में प्रतिनिधि-सभाके एक अधिवेशनमें काउरट ओकुमाने (जो-उस समय वैदेशिक सचिव या मन्त्री थे) कहा था, “जब हम इस बातका अनुसन्धान करते हैं कि मेजी<sup>१</sup> कालकी वैदेशिक नीतिमें क्या क्या खांस बातें थीं तो यह पता लगता है कि पुनःस्थापनापर सम्राट्के प्रचारित आशापत्रमें लिखे अनुसार उस समय अन्य देशोंके समकक्ष होनेकी उत्करणा हो जायसे प्रवल थी और पुनःस्थापनाके उपरान्त जितने राष्ट्रीय परिवर्तन हुए हैं उनके मूलमें यही उत्करणा काम करती हुई देख पड़ती है। लोग इस बातको समझ गये थे कि अन्य शक्तिशाली देशोंको बराबरी लाभ करनेके लिये हम लोगोंको समयके अनुसार अपनी विद्या और शिक्षा, तथा राष्ट्रीय संस्थाओंमें परिवर्तन करना होगा। इसी कारण ताल्लुकेदारोंके स्थानमें हाकिम नियत किये गये, चलनसार सिक्कोंका संस्कार हुआ, अनिवार्य सैन्यसेवाका कानून बना, बहुतसे पुराने कानून अदल बदल हुए और नये बनाये गये, स्थानिक सभाएँ स्थापित हुईं, और सर्वसाधारणको स्थानिक स्वराज्य दिया गया

---

१ वर्तमान जापान-सम्राट्के पिता स्वर्गीय सम्राट् मुत्सुहितो ‘मेजी’ या ‘मिजी’ कहलाते थे। इस शब्दका अर्थ है, “प्रकाश—पूर्ण—शान्ति”। मुत्सुहितो वास्तवमें बड़े शान्त, सुविज्ञ और प्रजापालक राजा थे। हन्दींके समयमें सम्राट्-सत्ता पुनःस्थापित हुई, जापानी पालमेंट बनी और जापानका नाम दिग्दिगन्तमें फला। इसीलिये इनके शासन कालको ‘मेजी-काल’ कहते हैं। इन सम्राट् की मृत्यु १८७० में हुई।

## सहृदय सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था ६३

जिसके ही कारण अन्तमें जाकर साम्राज्यसहृदयका रूप भी बहुत कुछ परिवर्तित हुआ। इसी राष्ट्रोय नीतिने अथवा जिसे 'देशका संसारके लिये उपयुक्त होना और आगे पैर बढ़ाना' कहते हैं उसीने या यों कहिये कि अन्य शक्तिशाली राष्ट्रोंकी घरावरी करनेकी उत्करणाने ही जापानको इस योग्य बनाया है कि संसारमें उसकी इतनी इड़जत है।"

फिर भी, जापानकी प्रातिनिधिक राज्यपद्धतिका इतिहास लिखनेवाले बहुतसे देशी वा विदेशी लेखकोंने पुनः स्थापनाके प्रतिशापत्रकी पहली प्रतिशाको हो प्रातिनिधिक राज्यपद्धतिके क्रमका उपक्रम मान लिया है और इसीएवं बड़ा जोर दिया है, मानो यही प्रतिशा इस प्रातिनिधिक राज्यपद्धतिके उद्योगकी जड़ है। यह सच है कि सं० १९३१में जब रेडिकल अर्थात् आमूलसुधारवादी राजनीतिज्ञोंने प्रातिनिधिक राज्यपद्धतिका आन्दोलन बड़े ज़ोर शोरसे उठाया तो उस समय उन्होंने प्रतिशापत्रकी प्रथम प्रतिशाका अर्थ—जो वास्तवमें बहुत ही अस्पष्ट है—इस प्रकार समझाने का प्रयत्न किया था कि जिससे यह प्रकट हो कि सम्बाद्-सत्ता-की स्थापनाके समय सम्बाद् प्रातिनिधिक राज्यप्रवर्तन चाहते थे, और इसी बातपर उन्होंने सर्व साधारणकी सभा तुरंत स्थापित करानेकी ज़िद् पकड़ी। प्रतिशापत्रका ऐसा उपयोग करनेसे उनके आन्दोलनका ज़ोर बढ़ा क्योंकि 'सम्बाद्की प्रतिशा' के नामपर सर्वसाधारणको अपने अनुकूल यना लेना उनके लिये बहुतही सुगम हुआ। इसका विरोध करना किसीके लिये भी संभव नहीं था और सरकारके लिये भी प्रातिनिधिक राज्यसहृदयके कार्यसे पीछे हटना कठिन हो गया अर्थात् तुरन्तही उसका परिवर्तन करना पड़ा। परन्तु यह

## ६४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

माननेके लिये कई कारण हैं कि प्रतिशापत्रकी प्रथम प्रतिशाही प्रातिनिधिक राज्यसंघटनकी आधारयष्टिका नहीं थी।<sup>१</sup>

‘काइगी’ शब्दका अर्थ है, कौन्सिल, सभा या कानफरेन्स। इसका भाषान्तर प्रायः ऐसे अवसरोंपर ‘मन्त्रणासभा’ किया गया है। परन्तु यह कह देना आवश्यक है कि ‘मन्त्रणां शब्द भाषान्तरकारोंने केवल अपने मनसे लगा दिया है।’ कोरोन शब्दका अर्थ ‘पक्षपातरहित सम्मति’ या ‘पक्षपातरहित वादविचाद’ हो सकता है, पर उसका भी ‘सर्वसाधारणकी सम्मति’ यह अर्थ नहीं हो सकता। जापानी भाषामें ‘सर्वसाधारणकी सम्मति’ के लिये एक दूसरा शब्द ‘कोरोन’ भैजूद है। पर भाषान्तरकारोंने ‘कोरोन’ को ही ‘सर्वसाधारणकी सम्मति’ समझलिया इसमें उनका यही मतलब रहा होगा कि संचत् १९४६के कांस्टिट्यूशन या प्रातिनिधिक राज्यपद्धति के आन्दोलनको प्रतिशापत्रसे भी यथेष्ट पुष्टिमिले।

यह तो प्रतिशापत्रकी इवारतकी बात हुई। अब उसके कारण भी देखिये। डाक्टर इयेनागा कहते हैं कि जापानका समस्त जनसमुदाय विदेशियोंके समर्पकसे एकाएक चुब्ध हो उठा और इसीसे प्रातिनिधिक राज्यपद्धतिकी बात जनसमुदायसे ही उठी। पर डाक्टर साहब यह नहीं बतलाते कि इस आन्दोलनमें प्रतिशापत्रकी उस प्रथम प्रतिशाने क्या काम किया है। कसान ब्रिफ्लेका यह कहना है कि वह प्रतिशा इसलिये घोषित हुई थी कि सातनुमा या चौशिऊके दाइमियों लोग फिर कहीं शोगून न बनजायें। पर यह कहते हुए कसान

१. मूल प्रतिशा इस प्रकार है—हिरोकू काइगी बोओकेशी चाक्की कोरोन नी केस्सू बंशी।

## सङ्केतन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था ६५

साहब एक बात विलकुल ही भूल जाते हैं। वह यह कि जिन लोगोंने पुनःस्थापना का नेतृत्व ग्रहण किया था उनमें सत्सुमा और चौशिंजके ही सामुराई लोग प्रधान थे। और सामुराइयोंके ही कहनेपर दाइमियों लोग चलते थे, दाइमियोंके कहनेपर सामुराई नहीं। दाइमियों लोगोंका जो कुछ बल था वह सामुराइयोंके ही हाथमें था।

प्रतिशाका उद्देश्य, कसान विकल्पने जो समझा कि राज्यमें प्रधानसत्ता पानेसे दाइमियों रोके जायँ, इतना चुद्र और स्वार्थभरा नहीं था। प्रत्युत नेताओंकी वह हार्दिक और पूर्ण इच्छा थी कि देशको श्रौत विशेष करके पूर्वके शक्तिशाली दाइमियों लोगोंको जोकिपुरानी ईर्ष्या और द्वेषके कारण अब भी पश्चिमी दाइमियोंको कुछ न समझकर सात्सुमा और चौशिंजके सामुराइयोंकी कार्यवाहियोंको सन्देहभरी दृष्टिसे देख रहे थे—उन्हें यह दिखला दें कि नेताओंको कोई स्वार्थसाधन इसमें नहीं है, बल्कि सन्नाट्के प्रत्यक्ष शासनाधीन होकर राष्ट्रीय जीवनका एकीकरण—राष्ट्रीय शक्तिका केन्द्रीकरण ही उनका उद्देश्य है। इस समय जापान वाहरी द्वावसे हैरान था और उसके नेताओंको राष्ट्रकी स्वाधीनता बचानेके लिये राष्ट्रीय एकीकरणका उद्योग ही सर्व प्रधान कार्य प्रतीत होता था। उन्हें आशा थी कि सन्नाट्की घोपणा या ‘प्रतिशापत्रसे’ समस्त दाइमियों लोग भी हमें आ मिलेंगे। इसीलिये तो प्रतिशापत्रकी पहली प्रतिक्षा है, कि “वहुसंख्यक पुरुषोंकी एक सभा स्थापित की जायगी और राज्यकी सब बातोंपर पक्षपात-रहित विचार हो चुकनेपर अथवा राष्ट्रकी सम्मतिके अनुसार कार्य किया जायगा।” इस प्रतिशाके घोषित होनेके पहले और वाद भी नेताओंने जो कार्य किये हैं, मुझे विश्वास है

कि उनसे उनकी हादिकता पूर्णरूपेण प्रमाणित हो जाती है। उन्होंने विदेशियोंके सन्धिगत अधिकारोंको मान लिया, दरवारको कई परम्परागत कुरीतियोंको उठा दिया, जातपाँतका कोई अङ्ग विना लगाये हर जातिके योग्य, बुद्धिमान्, विद्वान् व समर्थ पुरुषोंको दरवारमें आसन दिया, पुरानी राजधानी बदल कर नयी कायम की, और दाइमियों तथा उनके प्रतिनिधियोंकी परामर्शसभा को गिशो प्रस्थापित की। ये सब काम प्रतिक्षापञ्चकके पालनस्वरूप ही हुए थे।

और एक बात। सम्राट् ने जब प्रतिक्षा या शपथ की तब प्रातिनिधिक धर्मसभा निर्माण करनेकी उन्होंको इच्छा थी यह समझ लेना भी भूल है। सम्राट् उस समय १६ वर्षके एक बालक मात्र थे और क्योंतोके राजमहलमें ही उनके दिन चीतते थे अर्थात् प्रतिक्षा उन्होंने अपने मनसे नहीं की, उन्होंने उसका मतलब भी न समझा होगा, केवल 'पुनःस्थापना' के बुद्धिमान् व चतुर नेताओंकी रायपर ही उन्होंने काम किया था।

उस समय उन नेताओंके मनमें भी यह बात नहीं आयी थी कि सर्वसाधारणके प्रतिनिधियोंकी कोई सभा निर्माण करनी होगी। "एक बहुसंख्यक सभा या कौन्सिल" से उनका मतलब समस्त दाइमियों और उनके प्रतिनिधियोंकी सभासे था। भूतपूर्व शोगून केकीने ही अपने त्यागपत्रमें राज्यकी प्रधान बातों और शासनकी भविष्य नीति निश्चित करनेके हेतु दाइमियोंकी एक कौन्सिल स्थापित करनेकी सूचना दी थी। इसलिये पुनःस्थापनाके नेताओंके लिये यह आवश्यक हुआ कि वे सम्राट्से उक्त प्रतिक्षा घोषित करनेके

## संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था ६७

लिये प्रार्थना करें और जनतापर यह बात प्रकट कर दें कि “एक वहुसंख्यक सभा स्थापित की जायगी और राज्यकी सद बातोंपर पक्षपातरहित विचार हो चुकनेपर अधिकारापूर्की सम्मतिके अनुसार कार्य कियो जायगा”। ‘हिरोकू’ शब्दका अर्थ है ‘वहुसंख्यक’ और इससे नेताओंका यही अभिप्राय था कि वे पूर्वीय दाइमियों लोग जो पुनःस्थापनाके चास्तविक अभिप्रायपर सन्देह करते थे वे भी समझले कि नवीन शासनमें वे भी सम्मिलित किये जायेंगे। वस्तुतः प्रतिशानुसार संवत् १९२६ में जो कोगीशों स्थापित हुई, १९२३ में स्थगित हुई और जो सदस्योंकी रुचि ही उसके काममें न होनेके कारण १९२४ में उठा दी गयी वह दाइमियों और उनके प्रतिनिधियोंकी ही सभा थी। पर यह धर्मपरिषद् याने कानून बनानेवाली सभा नहीं थी, केवल परामर्शदेनेवाली सभा थी। इसका कार्य केवल यही था कि राज्यकी प्रधान प्रधान बातोंपर अपनी सम्मति प्रकट करे जिससे सरकारको यह मालूम हो जाय कि सर्वसाधारणकी राय क्या है। १२वीं शताब्दीके इंग्लिस्तानमें नार्मन राजाओंकी परामर्शसभा भी इस कोगीशोंसे अधिक प्रभावशाली थी। कोगीशोंमें आकर बैठना दाइमियों या उनके प्रतिनिधियोंकी वृष्टियें कोई बड़ा भारी सम्मान नहीं था, बल्कि वे लोग इससे अपनाज्ञी चुगते थे। इसके सदस्योंको कोगीशोंसे धन भी नहीं मिलता था। जो कुछ हो, जब कोगीशों स्थगित की गयी तब और जब विलकुल उठा दी गयी तब भी किसीने कोई आपत्ति नहीं की।

जब देशके शासकवर्ग दाइमियों और सामुराइयोंकी यह द्वालत थी तब कौन कह सकता है कि प्रतिशात ‘वहुसंख्यक

सभामें, सर्वसाधारणका भी अन्तर्भुक्त होता था यद्यपि यह भी मान लिया कि प्रतिशा प्रकट करनेवालेकी इच्छा थी कि, 'वादविवाद करनेवाली एक व्यवस्थापक सभा' हो। राज्य-प्रबन्धमें लोग भी भाग लेते हैं, इसकी तो कोई कल्पना भी ज्ञापानको नहीं थी। हाँ, स्थानीय शासकमण्डलमें मुरा या माची योरिशाई अर्थात् ग्राम या नगरपञ्चायतें हुश्च करती थीं और वे अभी यत्रत्र वर्तमान भी हैं, पर उनकी गति कभी उससे आगे नहीं बढ़ी। पुनःस्थापनावाले नेता आरम्भहीसे जातिभेदको समूल नष्ट करना चाहते थे, यह बात तो अनुसन्धानसे मालूम हो जाती है, पर इस बातका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वे राज्यशासनमें भी लोगोंको मताधिकार देना चाहते थे।

संवत् १९३० में पहले पुनःस्थापनावाले प्रमुख नेताओंमें प्रातिनिधिक राज्यसंघटनकी चर्चा छिड़ी थी। उस समय किंद्राने जो जापानके एक प्रधान स्वतन्त्रचेता पुरुष थे और जो हाल में ही युरपकी प्रातिनिधिक संस्थाओंको देखकर तथा उनके दर्शनांसे प्रभावान्वित होकर जापान लौट आये थे—उन्होंने अपने साथियोंके नाम एक पत्र प्रकाशित किया और उसमें प्रातिनिधिक राज्यपद्धतिका उप-फल करनेके लिये सूचित किया। यहींसे वास्तवमें प्रमुख राजनीतिश जापानियोंके मनमें प्रातिनिधिक संस्थाओंके विचारोंका आगमन आरम्भ हुश्च। परन्तु अभी ये विचार प्राथमिक अवस्थामें बीजरूपही थे। स्वयं किंद्राने भी नवोन्नपद्धतिके प्रवर्तनकी कोई तजवीज नहीं बनायी और प्रतिनिधिसभाकी स्थापना करनेके सम्बन्धमें भी वे चुप रहे। इतना तो उन्होंने अवश्य ही कह दिया था कि राज्यके प्रबन्धसे लोगों-

## संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था ६६

के ही हिताहितका सम्बन्ध है और इसलिये शासकोंकी मर्जी-पर ही सब वातेंका निर्णय होना ठीक नहीं।

इस प्रकार यह निश्चयरूपसे कहा जा सकता है कि प्रातिनिधिक राज्यसंघटनका आन्दोलन सम्राट्‌के प्रतिज्ञापत्रसे आरम्भ नहीं हुआ है। और यह कहना कि सम्राट्‌के प्रतिज्ञापत्रसे ही प्रातिनिधिक राज्यपद्धतिके आन्दोलनकी उत्पत्ति हुई, विलकुल भूठ और भ्रमपूर्ण है। इंग्लिस्तानमें माग्नाचार्डो ने ही हाउस आफ कामन्सकी स्थापना की, यह कहना जितना भूठ और जितना सच है उससे अधिक भूठ और कम सच यह है कि प्रतिज्ञापत्रसे ही प्रतिनिधित्व राज्यप्रणालीका आन्दोलन जापानमें आरम्भ हुआ। वस्तुतः प्रतिज्ञापत्रका यथार्थ महत्व तो इस बातमें है कि सर्वसाधारणकी सहकारितासे राष्ट्रका संघटन करने और पारचात्य सभ्यता ग्रहण कर देशकी स्वाधीनता अख्खण्ड रखने तथा विदेशियोंकी धाकसे उसे स्वतंत्र करनेके लिये देशके नेताओंने दृढ़ निश्चयके साथ जो उद्योग आरम्भ किया उसका यह पूर्वस्थरूप था। प्रतिज्ञापत्रकी दूसरी, चौथी, और पाँचवीं प्रतिज्ञासे तो यह स्पष्ट ही प्रकट हो जाता है कि उस सम्राट्-पत्रके बनानेवालोंकी वस्तुतः यही इच्छा थी। दूसरी प्रतिज्ञा यही है कि राज्यकी शासनसम्बन्धी सब वातें शासक व शासित दोनोंके परस्पर सहकारी उद्योगसे की जायेंगी। चौथी प्रतिज्ञा है कि वे पुराने रिवाज जो विलकुल वाहियात हैं पक्कदम छोड़ दिये जायेंगे और सब काम न्याय और सचाईसे किये जायेंगे। पाँचवीं प्रतिज्ञा यह है कि ज्ञान और पारिदृत्य,

## १०० जापानकी राजनीतिक प्रगति

संसारभरमें घूम फिर फर ग्रहण कियाजायगा, और इस प्रकार साम्राज्यकी नीच सुदृढ़ की जायगी। यह निर्विचाद है कि नयी सरकार, प्रतिशापन के घोषित होनेके साथहीसे, इन सिद्धान्तोंका पूर्ण पालन करती थी।

जापानी लोग अपनी शान्तिमयी, दीर्घ निद्रासे अभी ही तो जाग उठे थे और ऐसी मीठी नींदके बाद एकाएक १ सारका चिशाल चित्रपट सामने आजानेसे और उसमें पाश्चात्य सभ्यताकी प्रेहिक सुखसमृद्धि और प्रगति देखनेसे उनका आँखें चकाचाँध हो गयीं। उन्हें जो अपनी ही सभ्यताका बड़ा भारी घंट था और विदेशियोंके प्रति जो तीव्र तिरस्कार था वह सब जाता रहा। जब उन्हें अपनी भूल मालूम हुई तो उतनेही ज़ोरसे उनमें प्रतिकान्ति होने लगा। विदेशी मनुष्यों और विदेशी वस्तुओंसे कहाँ तो इतनी वृणा थी पर अब उन्हींकी पूजा आरम्भ हो गयी। इसके साथ ही उनमें देशभक्तिका धैतन्य भी था और इसी संयुक्त चित्तवृत्तिके कारण वे अपने उद्योगोंसे संसारको चकित करने लगे। उन्होंने तुरंत ही प्रत्येक पाश्चात्य वस्तुको ग्रहण करना या उसकी नकल करना आरम्भ कर दिया क्योंकि वे यह समझते थे कि अगर हम ऐसा न करेंगे तो हमारा अस्तित्व ही मिट जायगा। वे यह नहीं सोचते थे या उन्हें यह सोचनेका समय ही न था कि अमुक वस्तु उनकी रहन सहनके लिये उपयोगी है या नहीं, अथवा अमुक वस्तुका असली स्वरूप क्या है। काउरेट ( अद्य मार्किन ) इनोयी महाशय जो मेजीकालके एक बड़े पुरुषार्थी व प्रभावशाली नेता हो गये हैं, उस समय देशको एकदम यूरेपके साँचेमें ढाल देनेका पक्ष उठाये हुए थे। उनके विषयमें काउरेट काकूचा लिखते हैं कि “ उनका केवल यही विचार

## संघटन सम्बन्धी उद्योगको प्रथम अवस्था १०१

नहीं था कि राष्ट्रको सब संस्थाएँ, विद्या और शिक्षा आदि सब सुरोपीय ढङ्का हो जाय बल्कि वे यह चाहते थे कि जितने पुराने रीतिरिवाज हैं सबको एक साथ ही तिलाझलि दे दी जाय, अर्थात् भोजनमें भातके बदले रोटी खानी चाहिये, लम्बी आस्तीनवाले अझरखेंके बदले कोट पतलून पहनना चाहिये और धानके खेतोंमें धान न बोकर उन्हें भेड़ोंके लिये चरागाह बना देना चाहिये।<sup>१</sup> ” अध्यापक राइन भी कहते हैं कि संवत् १९३२ में मैंने अपने एक परिचित वृद्ध सामुराईसे इस बातपर आश्वर्य प्रकट किया कि न्यूयार्कका एक जर्मन हजाम यहाँ आकर इतनी तरकी करते कि फारमोसाकी मुहीमी फौजका सर्जनजनरल बन जाय और उसे ५०० डालर ( ५०० रुपये ) मासिक वेतन मिले । यह सुनकर सामुराईने कहा कि, “ नीली आँख और लाल बाल-

१. ‘योकोहामा निकन शिम्बून’ नामक तत्कालान समाचारपत्रने जापानियोंकी परिवर्तित चित्तवृत्तिका एक अवसरपर बड़ा मञ्जेदार और अझपूर्ण वर्णन किया है । लाई चैम्बरलेन ( अर्थात् जापानदरवारके एक प्रधान पुरुष ) ओहारा जब योकोहामासे तोकिओ लौटे, उस समयका यह वर्णन है । जापानियोंमें यह रिवाज था कि जब दरवारके कोई हाकिम सड़कसे गुजरते तो घरोंके दरवाजे बन्द कर दिये जाते थे और खिड़कियोंपर परदे लटका दिये जाते निसमें ऐसान हो कि भरोसेमेंसे कोई भांके और हुन्हरका अपमान हो । अस्तु, सम्पादकने लाई चैम्बरलेनकी सवारोका यों वर्णन किया है, “ लाई चैम्बरलेन कल योकोहामासे ओहारा, लौटे । मार्गमें उनके सम्मानार्थुघरोंके दरवाजे बन्द थे, सवारोके सामने सब लोग घुटनोंके बल भुक्कर खड़े हुए थे । और हमारे विदेशी भाई, क्या करते थे ? वे धोड़ोंपर सवार थे और उद्दण्ड भावसे लाई चैम्बरलैनकी ओर दृष्टि दाल रहे थे । परन्तु आश्चर्य है, इसपर किसीने चूँ तक नहीं किया । कुछ ही वर्षोंमें इतना आकाश-पातालका अन्तर ! मनमन नी जागारी बड़ी शीघ्रतासे संयोगी ओर जा रहे हैं । ”



952.03  
01.(H)

## १०२ जापानकी राजनीतिक प्रगति

दालोंकी इतनी इज़्ज़त हमारे देशमें कभी नहीं थी जैसी कि आजकल है । ”

पाश्चात्य देशोंकी सामाजिक व राजनीतिक संस्थाओंमें और शोगूनशासनकालकी जापानी संस्थाओंमें कितना बड़ा अन्तर था यह द्युत्से नेता अपनी आंखोंसे देख छुके थे । तालुकेदारोंका अधिकारीवर्गगत राज्य, उस राज्यके सामाजिक प्रतिवन्ध व पृथक्करण, स्वाधीनताके मार्गमें उसकी दुर्गम वाघाएँ, उसके विशेष प्रियपात्रोंकी सुखसमृद्धि, उसके दरवारी कायदोंका सिलसिला, उसकी शान और ठाठवाट इत्यादि—एक ओर तो उन्होंने यह सब देखा था और दूसरी ओर २०वीं विक्रमीय शताब्दीके आरम्भमें यूरोप व अमरीकाके राज्यसङ्ग्रहदृन सम्बन्धों सुधार व प्रजासत्तात्मक राज्यकी चढ़ी हुई कलाका प्रकाश भी देखा था । वहाँसे वं वेन्थम<sup>१</sup> व मिलके<sup>२</sup> अनुयायियोंसे, स्वयं स्पेन्सरसे<sup>३</sup> तथा

१. विक्रमीय सबूत १८०६ के लगभग इंग्लिस्तानमें वेन्थमका जन्म हुआ । इसने उत्तमोत्तम ग्रन्थ लिखकर बड़ा नाम पाया । इसे एकान्तवास चहुत प्रिय था । राजनीति और धर्मशास्त्र इसके प्रिय और प्रधान विषय थे इसकी ‘उपर्योगिता-तत्त्व’ नामक ग्रन्थ द्युत प्रसिद्ध है । कानून, नीतिशासन शासकवर्ग आदिके सम्बन्धमें इसने बड़े प्रमाणशाली ग्रन्थ लिखे हैं । संवद १८८६ में इसकी मृत्यु हुई ।

२. जान स्टुअर्ट मिलने संवद १८६३ में जन्म लिया । यह तत्ववेत्ता था । इस ने कई ग्रन्थ लिखे हैं जिनमेंसे मुख्य मुख्य ये हैं—अर्थशास्त्रके अनिधित्त प्रश्नोंपर निवन्ध, तर्कशास्त्रवद्धति, अर्थशास्त्र, स्वाधीनता, पार्लमेंटके सुधार-सम्बन्धी विचार, प्रातिनिधिक राज्यप्रणाली, मियोंकी परतन्त्रता और हैमिलूनके तत्वशास्त्रकी परीक्षा तथा उपर्योगितातत्त्व । मिलका सुधारवाद बड़ा प्रचर था । उसकी उक्तियाँ और युक्तियों को काटना सहज काम नहीं था । अयतो जिन मुघारोंके करणेका सरलप किया है किया वे प्रायः सब हो

## संघटन सम्बन्धी उद्योगको प्रथम अवस्था १०३

फलोके<sup>४</sup> शिष्योंसे उदार राजनीतिको तत्व, व्यक्तिस्वातंत्र्य और समाजसत्तावादको बड़े बड़े सिद्धान्त शभी सुनकर आये थे। इसके अतिरिक्त, कुछों छोड़कर वाकी सभी नौजवान थे, और अपनी योग्यता, चरित्र व जानकारीके बलसे ये छोटे जातिके सामुराई लोग सरकारके दरबारमें बहुत आगे बढ़ गये थे। उदार सिद्धान्तों और कल्पनाओंकी ओर उनका भुक्तना स्वाभाविक था।

---

अब तो जियोंकी स्वाधीनताका प्रयत्न सफल होगया है। इंग्लिस्तान की पालैनेटमें क्लियां बोट या मत दे सकतो हैं। मिल वियोंकी स्वाधीनताका बड़ा भारी पत्तातो था। इसकी बुद्धि प्रखर और प्रकृति शान्त थी। वचपनहीसे इसे विचार और अनुसन्धान करनेका अभ्यास था। जेम्स मिलने ('विद्या हिन्दुस्थानका इतिहास' के लेखक) ने अपने पुत्रकेवारे में कहा था कि (जान-स्फुआट) मिल "चालक तो कभी था ही नहीं।" संवद १६३० में मिलका देहावसान हुआ।

३. इंग्लिस्तानके ढार्वों नामक शहरमें संवद १८७७ में हवेंट स्पेन्सरका जन्म हुआ। छोटी ही उम्रमें उसे विज्ञानका चसका लग गया था। वह दूर दूरतक घूमने निकल जाया करता था और तरह तरहके कीड़े मकोड़े और पौधे लाकर घरपर जमा करता था। स्पेन्सरके कई वर्ष कीपतझों व पौधोंमें होनेवाले रुग्णतर देखनेमें ही चीत गये। इसके उपरान्त उसने गणितशास्त्र, स्फूर्तशास्त्र और विज्ञियाका भी अच्छा अभ्यास कर लिया। १७ वर्षकी उम्रमें रेलवेके कारखानेमें यह इन्जीनियर हुआ। यह काम उसने आठ वर्ष तक किया। यह सब करते हुए वह समाजशास्त्र व राजनीतिशास्त्रका भी परीक्षण करता रहा। संवद १८९९ में इसने 'राज्यका वास्तविक अधिकार' नामक लेखमासिका शुरू की। इसीके बाद वह 'इकानामिस्ट' पत्रका सहकारी सम्पादक हुआ। उसकी विचारपरम्परा और तर्कपद्धति देखकर वडे वडे विद्वान् आश्रय करने लगे। दारविनने अपनी 'प्राणियोंको उत्पत्ति ( ओरिजिन आफ स्पीशीज़ ) नामक पुस्तकमें जो सिद्धान्त बांधे हैं उन्हें स्पेन्सरने परिलेहीसे

## १०४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

जब स्वाधीनता, समता और एकता ( विश्ववन्दुत्व ) और मनुष्यके जन्मसिद्ध अधिकारोंका सिद्धांत उनके सम्मुख उपस्थित हुआ तब तो उनकी बुद्धि ही चकरा गयी। इन नवीन विचारोंका उनके मनपर कैसा परिणाम हुआ और कैसे वे उन सिद्धांतोंको शीघ्रतासे कार्यमें परिणत करने लगे यह भी एक बड़े कौतुकका विषय है। एता अर्थात् अन्त्यज

निश्चित कर लिया था और डारविनने इस बातको स्वीकार भी किया है। डारविनकी पुस्तकके निकलनेके कुछ वर्ष बाद स्पेन्सरका “मानसशाखके मूलतत्व”नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। इस ग्रन्थने स्पेन्सरका नाम दिग्दिगन्तरमें फैला दिया। संवत् १६१७ में उसने संयोगात्मक तत्वज्ञानपद्धति (सिस्टेम आफ सिंथेटिक फिलासफी) नामक ग्रन्थ लिखना शारम्भ किया। इस ग्रन्थको सम्पूर्ण करनेमें छत्तीस वर्ष लगे। इस ग्रन्थमें उत्कान्तितत्वके आधारपर संसारके समस्त दृश्याद्धर्यको उत्पत्ति लगायी गयी है। इस ग्रन्थसे ही स्पेन्सरका नाम अमर हो गया। इस ग्रन्थके अतिरिक्त ‘समाजशास्त्रका अनुसन्धान’, ‘शिक्षा’, आदि कई उपयोगी ग्रन्थ लिखे हैं। ‘शिक्षा’ का तो बहुत ही प्रचार हुआ है। गुरुप और एशियाकी अनेक भाषाओंमें इसका अनुवाद हुआ है। इसका हिन्दी अनुवाद भी हो चुका है। स्पेन्सर सचमुच ही अलौकिक पुढ़प था। जन्मभर उसने निष्ठहताके साथ केवल लोकोपकारके लिये ग्रन्थरचना की। ग्रन्थरचनासे उसे धन नहीं मिला, बद्धि वारंवार घाटा ही घटाना पड़ा। पर वह धनके लिये लिखता ही कव था ? उसको इस कार्यमें बहुत घाटा होता देख लोगोंने उसे धनकी सहायता देनी चाही। हजारों रुपये उसके पास आये पर उसने स्वीकार नहीं किया। ८४ वर्षीयी उम्रमें, संवत् १६६० में इसने मर्यादाकी यात्रा समाप्त की। मृत्युके पूर्व उसने लिख रखा था कि मरनेपर मेरा शरीर जलाया जाय, गड़ा न जाय। तदनुसार उसके शरीरकी दहनकिया उनके एक भारतीय शिष्य द्वारा की गयी। हर्वर्ट स्पेन्सर जापानीयोंका बड़ा मिश्र था। जापानी उसे गुरुवत् मानते थे। स्पेन्सरकी मृत्युके बाद, जापानको लिखी हुई उसकी एक चिट्ठी प्रकाशित हुई है। उसमें

## संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था १०५

जातियोंके वंधन तोड़ डालनेके लिये, सब जातियोंमें परस्पर विवाह खोल देनेके लिये, शोगून शासनपद्धति उठा देने-के लिये, सामुराइयोंका दो शख धारण करने का प्राणधिक अधिकारको हडा देनेके लिये, हाराकिरी अर्थात् आत्महत्या तथा साद्य प्राप्त करनेके सम्बन्धके अत्याचारकी

---

उसने जापानियोंको उपदेश दिया है कि “यदि तुम अपना भला चाहते हो तो यूरपवालोंसे दूर ही रहो और यूरपकी लियोंसे विवाह करके अपनी जातीयताको बरचाद न करो। नहीं तो किसी दिन तुम अपना स्वात्व खो बैठोगे।”

४. जीन जैक्स रूसो संवद १७६६ में पैदा हुआ। यह एक घड़ीसाज़का लड़का था। वचपनसे ही दुनियासे नाराज़ हो गया था। इसने अपने ‘कन-फेशन्स’ नामक ग्रन्थमें अपना यह सिद्धान्त प्रकट किया है कि संसारमें जो कुछ दुखदारिय है और दुराचार है उसका कारण सम्यताकी दृष्टि है। रूसोका कहना था कि मनुष्य सुखी और सन्तुष्ट अपनी नैसर्गिक अवस्थामें ही रह सकता है अर्थात् जब कि सम्यता, शिक्षा और रीतिनीतिकी धर्मस्वला-ओंसे वह मुक्त होता है। अतएव अशिक्षित और अनजान जंगली मनुष्य सुखी और सन्तुष्ट होता है। सम्यताकी मात्रा ज्यों ज्यों बढ़ती है त्यों त्यों वासनाएँ बढ़ती जाती हैं जो कभी पूरी नहीं होती अर्थात् सम्यता असन्तोष-की जड़ है। रूसोका यही मूल सिद्धान्त है। धर्मसम्प्रदायोंका भी यह विरोध प्रकट किया जिससे इसे निर्वासनका दण्ड मिला था। ‘साशल कण्ट्राट’ नामक ग्रन्थमें रूसोने लिया है कि, सब मनुष्य बराबर हैं इसलिये राज्यप्रणाली भी प्रजासत्तात्मक होनी चाहिये। रूसोके ग्रन्थ हृदयको स्पर्श करनेवाले हैं क्योंकि हृदयसे ही वे निकले हुए हैं। जहां जहां काले पानीकी सजा पाकर रूसो गया, लोगोंने उसे देवता मान कर उसके उपदेश सुने। संवद १८३५ में रूसोका देहावसान हुआ।

## १०६ जापानकी राजनीतिक प्रगति

प्रथा मेट्रो देनेके लिये, ईसाई धर्मके विरुद्ध सरकारी आक्षा रद्द करने और सरकारी कचहरियोंमें रविवारकी छुट्टीका दिन नियत करनेके लिये कौसी फुरतीसे एकके बाद एक सब कानून यन गये। इन सब बातोंसे यह स्पष्ट ही देख पड़ता है कि यह सब नवीन सिद्धान्तोंकी शिक्षाका परिणाम था।

१९३१ श्रौः १९४६ इन दो संवत्सरोंके मध्यकालमें जापानमें उदारसतके प्रचारकी हद हो गयी। व्यक्तिगतातंत्र, अधिकाधिक सुखवाद, समाजस्वातंत्र्य तथा ऐसे ही सिद्धान्तोंके अपरिपक्व चिचार सर्वत्र फैल रहे थे। ताकायामा कहते हैं कि “पुनःस्थापनासे लेकर संवत् १९४६ तक जापानमें पश्चिमीपन,

१. विकासीय सबत् १६०० के लगभग कुछ ढचयात्री भूलते भटकते जापानमें आ पहुँचे। उनसे ही यूरपवालोंको जापानका हाल मालूम हुआ। तबसे यूरपके पादरी जापानमें जाने लगे। आरम्भमें जापानपर इनका प्रभाव सूख पड़ा। पर जब इन्होंने अनियिकारचर्चा शुरू की और अपने व्यवहारोंसे जापानियोंके मनमें यह सन्देह उत्पन्न कर दिया कि ये लोग जापानका स्वाधीनता छीननेका जाल बिछा रहे हैं तब जापानियोंने इनका आना एक दम बन्द कर दिया। संवत् १९४५ में ईसाइयोंके विरुद्ध यह आज्ञापत्र निकला—

“ईसाई धर्मका प्रचार रोकनेके लिये यह आवश्यक है कि सरकारको ईसाइयोंका पूरा पूरा पता मिले। पता देनेवालोंको इस प्रकार इनाम दिया जायगा—

वड़े पादरीका पता देनेवालेको ५००)

घोटे ” ” ” ३००)

किसी ईसाइयोंको दियलानेका ३००) ” इत्यादि

अन्तमें यह भी लिखा था कि “जो कोई किसी ईसाइयोंको छिपा रखेगा और यह भेद सुल जायगा तो गांवके नंवरदार तथा छिपानेवालेके पांच रितेदारों या मित्रोंको दण्ड दिया जायगा।”

## संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था १०७

और यूरोपीय विचारोंका ही स्रोत वह रहा था ; विदेशी वस्तु-ओंकी नकल करना और विदेशियोंकी पूजा करना यही चाल हो रही थी ”। पाठशालाओंमें, सभामण्डपोंमें, समाजोंमें और समाचारपत्रोंमें ‘ उदारमत ’ की ही चर्चा थी और इस तरह उसकी शिक्षा दी जा रही थी मानो वह कोई दैची सन्देश था । कुछ लोकनेता तो वडे उत्साहसे समाजसम्बन्धी ऐसे ऐसे सिद्धांतोंका प्रतिपादन करने लगे थे जो वास्तवमें जापानी समाजकी प्रकृतिके लिये पद्धति नहीं थे । ग्रंथोंमें, पुस्तकोंमें और जहाँ तहाँ वस उदारमतोंका वडे जोर शोरसे प्रतिपादन हो रहा था । उस समयके एक वडे भागी लोकशिक्षक महाशय फुकुज़ावाने ‘ गाङ्गमों नो चुसुमो ’ नामकी एक पुस्तक लिखी जिसका खूब प्रचार हुआ । इस पुस्तकमें एक जगह आप लिखते हैं कि “प्रकृतिने सब मनुष्योंको एकसा बनाया है । और जन्मसे कोई किसीसे छोटा या बड़ा नहीं होता ... इससे यह स्पष्ट है कि मनुष्यको निर्माण करनेमें प्रकृतिका यह उद्देश्य और इच्छा है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकताके अनुसार संसारकी प्रत्येक वस्तुका घे रोकटोक उपयोग करनेका पूरा अवसर पावे, जिसमें वह सुख, खातंत्र और स्वच्छन्दताके साथ रहे और किसीके अधिकारोंमें हस्तक्षेप न करे । सरकारका यह काम है कि वह कानूनके बलसे भलेकी रक्षा करे और दुरेको दबा दे । यह काम करनेके लिये रूपया चाहिये पर उसके पास न रूपया है और न अब ही, इसलिये लोग यह समझ कर कि सरकार अपना काम भीक तरहसे कर रही है वार्षिक कर देते हैं । ” काउरेट इतागांकद्वारा स्थापित रिस्शेशा नामक पाठशालाके पंचांगमें यह बात लिखी है, कि

## १०८ जापानकी राजनीतिक प्रगति

“हम तीन करोड़ जापानी भाइयोंको कुछ अधिकार प्राप्त हैं और वे सबके बराबर हैं। उन्हींमें अपने जीवन और स्वतंत्र्यका आनन्द लेने तथा उसकी रक्षा करनेका, जायदाद हासिल करने और खनेका तथा जो बननिवाहिका साधन करने शैर सुखका उपाय करनेका अधिकार हम लोगोंको है। मनुष्यमात्र के ये प्रकृतिदत्त अधिकार हैं और इसलिये इन्हें कोई मनुष्य किसी बलसे छीन नहीं सकता।” यही बात एक राजनीय दलके कार्यक्रममें भी मिलती है। एइकांक्ष-कोतो (देशभक्त वंल) नामक समाजकी प्रतिशां इस प्रकार है, कि “हम लोग इस बातको मानते हैं कि सरकारमात्र लोगोंके लिये ही स्थापित की जाती है। हम लोगोंके अधिकारोंकी रक्षा करना ही हमारे दलका उद्देश्य है जिसमें व्यक्तिमात्रके व समाजके स्वतंत्रता की मर्यादा भंग न हो।”

परंतु आरम्भमें लोग इस नवीन राजनीतिक शिक्षापर कुछ ध्यान नहीं देते थे। एक तो स्वाधीनता और समताका सूक्ष्म सिद्धांत उनकी समझहीमें न आता था। दूसरे वे अपनी हालतसे संतुष्ट थे। तीसरे सरकारी अधिकारियोंसे वे बहुत ही दबते थे। लोगोंकी यह पाश्चात्य विचारोंकी उपेक्षा देखकर फुकुज्यावा अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि “हमारे देशके लोगोंमें कुछ भी पराक्रम नहीं है। निरे अजागलस्तन हैं, मानो देश सरकारहीके लिये बचा हुआ है, और सरकार ही सब कुछ है। यह सब निश्चय ही ऐसे सामाजिक आचारोंका परिणाम है जो सहस्रों वर्षोंसे चले आते हैं। हमारे देशमें लोग सरकारके पीछे पीछे चलते हैं और सरकार लोगोंके हर काममें, सैनिकप्रबन्ध, कलाकौशल, शिक्षा, साहित्यसे लेकर व्यवसाय वाणिज्यतकमें दखल देती है।”

## संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था १०६

यदि पुनःस्थापनावाले नेताओंमें परस्पर भयंकर विवाद न उठता और उनमें फूट होकर घरके लोग घर और बाहरके बाहर न हो जाते तो प्रातिनिधिक राज्यप्रणालीका आनंदोलन बहुत कालके लिये रुक्ही जाता ।

पुनःस्थापनाके उपरान्त राज्यके सूच जिन लोगोंके हाथमें आगये थे उनमें दो प्रकारके पुरुष थे । एक थे मुल्की, और दूसरे फौजी । पहलेके विचार पुरानी काइकोकुतो (विदेशियोंके लिये देशदार उन्मुक्तकरनेवाले) दलके थे, और दूसरे जोइतो दलके थे अर्थात् विदेश सम्पर्क विरोधी । पहले दलमें विचारवान् और कार्यकुशल लोग थे, और दूसरेमें स्तब्ध और अभिमानी । राज्यप्रबन्धके सम्बन्धमें पहले दलके लोग देशकी दुर्बलताको खूब समझते थे और सबसे पहले अपने घरका सुधार चाहते थे, फिर बाहरवालोंका इलाज । दूसरे दलवाले जो थे वे राष्ट्रके गैरव और प्रतिष्ठापर मरते थे और कहते थे कि विदेशियोंको खूब ठिकाने ले आना चाहिये । इस प्रकार रुचि, विचार और काममें इतना भेद होनेपर भी कर्तव्यपालनके उच्च विचारसे सब दल पुनःस्थापनाके समय एक हो गये थे और महाराजके प्रत्यक्ष शासनके अधीन होकर राष्ट्रीय एकीकरण और पुनर्स्थानके कार्यमें लग गये थे ।

परन्तु पुनःस्थापनाका कार्य हो चुकनेपर फिर मत-मेदने उम्र रूप धारण कर लिया । संवत् १९२५ में कोरियाने जापानके साथ परस्परागत सम्बन्ध बनाये रखनेसे इनकार कर दिया और १९२६ में यह मामला बहुतही बढ़ गया । तब सायगो, गोतो, इतागाकी, ओकुमा, ओकी आदि लोगोंने दरवारमें बैठ कर यह निश्चय किया कि यह मामला विना

## ११० जापानकी राजनीतिक प्रगति

युद्धके ठीक न होगा। प्रधान मन्त्री प्रिन्स संजोको भी यह चात मंजूर हुई परन्तु साथ हो उन्होंने यह भी कहा कि प्रिन्स इवाकुराके आनेपर इस चातका फैसला होगा। ये यूरप और अमरीकासे उसी समय घर चापस लौटे आ रहे थे।

सितम्बरमें प्रिन्स इवाकुरा और उनके लाठी ओकुवो, किंदो और इतो लगभग २ वर्ष बाहर रह कर जापान आ पहुँचे। वे यूरप और अमरीका इसलिये भेजे गये थे कि सं० १९२८ में जिन सन्धियोंका समय समाप्त होता था उनकी पुनरावृत्ति करा लें। पर पाश्चात्य देशोंकी सामाजिक और राजनीतिक अवस्था देखकर सन्धियों संशोधन कराना उन्होंने असंभव समझा। पर वे पाश्चात्य देशोंकी प्रगतिके बड़े दृढ़ संस्कार लेकर घर आये।<sup>१</sup> और जब उन्हें कोरियासे युद्ध करनेका

१. जापानके साथ विदेशोंकी जो व्यापार-सन्धियां थीं वे जापानके प्रिये अपमानजनक और हानिकारक थीं। उन सन्धियोंके अनुसार सन्धिनगरोंमें वसनेवाले विदेशी श्यापारों जापानी न्यायालयसे सर्वथा स्वतन्त्र भे क्योंकि विदेशियोंके जुम्हर्का विचार विदेशी ही करते थे जापानको जापानमें ही यह दृढ़ नहीं था। दूसरी चात इस सन्धियोंमें यह थी कि जापानी सरकार अपने ही देशमें आनेवाले मालपर सैकड़ा ५ रु० से अधिक कर नहीं लगा सकती थी। जिस समय जापानके प्रतिनिधि यूरप गये थे और उन्होंने सन्धिप्रस्ताव किया था उस समयकी हालत ऐसी ही थी और उन्हें यही जबाब मिला था कि जापान शर्मा इस योग्य नहीं है कि सन्धि-सुधार कर विदेशियोंके जान और मालकी रक्षाका भार उसपर रखा जा सके। परन्तु अब वह चात नहीं है। यूरपनिवासियों और जापानियोंका न्याय इस समय जापानी जज ही करते हैं। जापानमें संसारसे आनेवाले मालपर जापान अब मन माना कर लगा सकता है। परन्तु जिस समयका वर्णन उपर आया है उस समय जापान यूरपवालोंकी दृष्टिमें असम्भव था।

२. पाश्चात्योंके दरचारी कायदे इवाकुराको कहांतक छात थे इसके



سی ای. ای. ۹۹۷

پارک ہلہ پارک

باجھ جو



## संघटन सम्बन्धी उद्योगको प्रथम अवस्था १११

नश्चय सुनाया गया तो उन्होंने इसका एकदम विरोध करना आरम्भ किया। उन्होंने कहा कि अभी जापानकी उतनी अच्छी दशा नहीं है जैसी कि पाश्चात्य देशोंको और इसलिये कोरियाको दरड देने वाहर जानेके बदले घरका सुधार करनाही अधिक आवश्यक है।<sup>१</sup>

सायगो और सोयीजीमा युद्धवादी पक्षके नेता थे और उनका यह कहना था कि सशस्त्र सैन्यबलपरही विशेष-कर देशकी शक्ति निर्भर करती है, और इसलिये यदि अन्यान्य सुधारोंके साथ साथ ही सैन्यबलकी भी वृद्धि न होती जायगी तो राष्ट्रकी मर्यादा कैसे रहेगी। वे कहते थे कि कोरियासे युद्ध करना आवश्यक है। एक तो कोरियाको दरड देनेके लिये और दूसरे राष्ट्रकी क्षात्रवृत्तिको जगाने के लिये। इसपर ओर वादविवाद हुआ, यहाँतक कि कई दिन और कई रात यह होता ही रहा।

---

सम्बन्धमें एक बड़ी विरचत्र बात कही जाती है। जब इवाकुरा वाशिंगटन पहुँचे और वहाँके स्टेट सेक्टरीसे बातचीत शुरू हुई तो इनसे जापान-महाराजके हस्ताक्षरकी सनद मांगी गयी। तब इवाकुराको यह मालूम हुआ कि विदेशमें अपनी सरकारका प्रतिनिधित्व करनेके लिये सनदकी भी ज़रूरत पड़ती है और तब वहाँसे उन्होंने शोकुचो और इतोको सनद लाने के लिये जापान भेजा।

१. पूर्वी और पश्चिमी दोनों देशोंका इन दो दलोंको जो परस्पर अल्पाधिक ज्ञान था उसे यदि हम ध्यानमें रखें तो इनके मतभेदका कारण भी हमें ठीक ठीक मालूम हो जायगा। शान्तिवादी जो लोग थे वे अभी यूरपकी कलाट्रदि देल्कर आये थे और उसके साथ जापानकी तुलना कर रहे थे; और जो लोग युद्धकी पुकार मचा रहे थे वे अति पूर्वीय देशोंकी अवस्था बहुत अच्छी तरहसे समझते थे और जापानकी मर्यादाके सम्बन्धमें उनकी कुछ दूसरों ही राय थी।

## ११२ जापानकी राजनीतिक प्रगति

अन्तमें जब शान्तिवादियोंने युद्ध न करना ही निश्चित किया तब साथगो, सोयीजीमा, गोतो, इतागाकी और येतो आदि लोगोंने तुरन्त ही इस्तीफा दे दिया और वे घर बैठ रहे। वे जानते थे कि लोकमत हमारे अनुकूल है क्योंकि बहुतसे सामुराई ताल्लुकेदारशासनपद्धतिके उठ जानेसे देशमें नियंत्रण जो नवीन राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे उनके अनुकूल अपने जीवनको न बना सकनेके कारण बहुत असन्तुष्ट हो गये थे और कोरियापर युद्ध करनेकी पुकार मचा रहे थे। उनमेंसे कुछ लोग यहाँतक आगे बढ़े कि खुल्मखुल्मा सरकारी अफसरोंपर आक्रोश करने लगे कि ये लोग किसोंकी कुछ सुनते नहीं, मनमाना काम करते हैं।

संवत् १९३१ में (माघ मासके आरंभमें) सोयीजीमा, गोतो, इतागाकी, येतो, युरी, कोसुरो, ओकामोतो, फुरुसावा और मित्सुओका, इतने लोगोंने मिलकर सरकारके पास एक आवेदनपत्र भेजा। इसमें सरकारसे यह कहा गया था कि राजकर्मचारी मनमानी कार्यवाही कर रहे हैं, इसलिये आवश्यक है कि एक प्रतिनिधिसभा स्थापित की जाय। इस प्रकार पुनः स्थापनावाले दलपतियोंमें फ़ूट हो जाना एक ऐसा श्रवसर था जिसने जापानमें सहृदनात्मक राज्य-प्रणालीकी प्रस्थापनाका सूचपात कर दिया। उसी आवेदनपत्रका एक अंश इस प्रकार है—

“आजकल जिस ढङ्गसे शासनकार्य हो रहा है उसे देखकर हम लोगोंको यह विश्वास हो गया है कि इस समय शासनसत्ता न तो सम्राट्के हाथमें है और न लोगोंके ही, बल्कि सब सूत्र कर्मचारियोंने अपने हाथमें ले लिये हैं। यह सच है कि राजकर्मचारी जान बूझकर सम्राट्की

## संघटन सम्बन्धो उद्योगको प्रथम अवस्था ११३

अवश्या नहीं करते और न प्रजापालनकी उपेक्षा करते हैं। पर धीरे धीरे सम्भाद्यका महत्व कम होरहा है और लोगोंको कानूनके बार बार रहीवदल होने और अनुचित पारितोषिक तथा दण्डसे कष्ट हो रहे हैं। लोगोंकी राय कभी सुनी नहीं जाती और उनके कष्टोंका हाल जिस मार्गसे मालूम हो सकता है वह मार्ग भी बन्द कर दिया गया है। इससे स्पष्ट प्रकट है और इसे एक छोटा बालक भी समझ सकता है कि ऐसी अवस्थामें सुख और शान्तिका होना असम्भव है। यदि इन बुराइयोंकी जड़ न उखाड़ डाली जायगी तो इसमें राज्यकी वरबादीका अन्देशा है। इसलिये केवल देशहितके विचारसे हम लोग बहुत सोच समझ कर यह प्रस्ताव करनेका साहस करते हैं कि राज्यकी स्वतंपर सार्वजनिक वादविवाद होनेका प्रवन्ध करनेसे ही इस दुरवस्थाका प्रतिकार हो सकता है। यह कार्य एक प्रतिनिधि-सभा स्थापित करनेसे ही हो सकता है। राजकर्मचारियोंके अधिकारोंको मर्यादित करके ही लोग अपने अधिकारोंकी रक्षा कर सकते और सुखसे रह सकते हैं। हम लोग साहसपूर्वक कहते हैं कि यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जो लोग राजा को कर देते हैं, राज्यशासनमें राय देनेका भी उनको अधिकार है ।

३. आवेदनपत्रके लेखकोंका यह कहना कदापि नहीं था कि जापानियोंने “दिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं दिया जायगा।” इस सिद्धान्तको माना है। आरम्भिक परिच्छेदोंमें ही यह दिखलाया जा चुका है कि जापानियोंका ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं था। इससे पाठकोंको यह मालूम होगा कि पाश्चात्य देशोंमें जो राजनीतिक सिद्धान्त सर्वमान्य होते थे उन्हें जापानी अनादि सत्य मान लेते थे। पाश्चात्य कल्पनाओंसे ये लोग इतने मुग्ध हो गये थे।

## ११४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

एम समझते हैं कि राजकर्मचारी भी इस सिद्धान्तके विरुद्ध न होंगे। जो लोग प्रातिनिधिक शासनप्रणालीका विरोध कर रहे हैं वे यह कह सकते हैं कि अभी यह देश प्रातिनिधिक शासनप्रणालीके योग्य नहीं हुआ है क्योंकि लोगोंमें न उतना शिक्षा है न उतनी समझ है। परन्तु हम लोगोंका यह फहना है कि यदि वास्तवमें लोग अशिक्षित और नासमझ हैं जैसा कि कहा जाता है, तो प्रातिनिधिकशासनपद्धतिही उनकी शिक्षा और उनकी बुद्धि के विकासका बड़ाही अच्छा साधन है। ”

इस आवेदनपत्रको पढ़कर राजकाज देखनेवाले राजनीतिज्ञोंको तो वड़ाही आश्चर्य हुआ होगा। आवेदनकारियोंमें अधिक संख्या उन्हीं लोगोंकी थीं जो भीतरी सुधार और सार्वजनिक अधिकारोंसे देशकी प्रतिष्ठा और गौरवको ही अधिक महत्व देते थे। वड़े वड़े लोगोंने जब उनकी नीति नहीं चलने दी जिस नीतिको कि वह बहुत आवश्यक समझते थे, तब उनके दिमाग ठिकाने न रह सके और उनमें वड़ी अशानित फैली। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी मालूम था कि कोरियासे युद्ध छेड़नेकी बात सबको विशेषतः असन्तुष्ट लामुराइयोंको प्रिय है। वास्तवमें यह जो आवेदनपत्र भेजा गया था वह उनके भड़क उठनेका ही परिणाम था और सरकारको दिक् करनेके लिये ही वह भेजा गया था।

जो हो, इस नवीन राजनीतिक आन्दोलनके लिये यह अवसर बहुत ही उपयुक्त था। एक तो कोरियाके सम्बन्धमें लोगोंकी युद्ध करनेकी ही वड़ी प्रवल इच्छा हो रही थी अबतक नवीन शासक-मण्डलके नेताओंमें ऐसा विवाद कभी नहीं उठा था। इससे दरवारमें एकाएक फूट हो जाने-

## संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था ११५

से बड़ी हलचल मच गयी और जो लोग दरबार छोड़कर चले आये थे उन्हींपर लोगोंका ध्यान जमने लगा। दूसरी बात यह कि इस समय राजकाज संभालनेवालोंमें मुखिया इवाकुरा, ओकुओ, किदो और इतो ये ही लोग थे जो अभी यूरप देखकर आये थे और जिनके दिलोंपर वहाँकी राजनीतिक संस्थाओंके संस्कार जम गये थे। अपने देशमें प्रातिनिधिक संस्थाओंके स्थापित करनेके सम्बन्धमें वे इतने आगे नहीं बढ़े थे पर सबसे पहले इन्हीं लोगोंने पाश्चात्य संस्थाओंके ढङ्गपर अपने देशकी शासनपद्धतिको बनानेका विचार किया था।

अतएव साईन ( धर्म विभाग ) ने सरकारकी ओरसे इस आवेदनपत्रका जो उत्तर दिया वह बहुतही स्नेह और एक्यका सूचक था।<sup>१</sup> उसमें यह स्वीकार किया गया था कि आवेदनपत्रमें जो सिद्धान्त उपस्थित किये गये हैं वे बहुतही अच्छे हैं, इसलिये उस पत्रकी सूचनाएँ स्वीकृत करके सीईन ( दरबार )की सेवामें भेजो जायेंगी। अभ्यान्तरिक विभागसे सम्मत ली जायगी, और जब प्रान्तीय शासकोंकी परिपद्— ऐसी एक परिपद् उस समय स्थापित की जाने की बात चल रही थी—स्थापित हो जावेगी तब निर्वाचनसंस्थाके प्रश्नपर विचार किया जायगा।

इसके उपरान्त इस आवेदनपत्रका लोगोंने जो स्वागत किया वह तो बहुतही उत्साहपूर्ण था। देशकार्य करनेवाले जितने प्रधान लोग थे, सबके सब इस प्रश्नपर विचार करने

<sup>१</sup> जापानका शासन तीन विभागोंमें विभक्त था, ( १ ) सौईन याने महाराजका दरबार, ( २ ) साईन याने धर्म विभाग, और ( ३ ) ऊईन याने शासकमण्डल।

और इसके पक्षमें या विपक्षमें निश्चय करने लगे। सब समाचारपत्र सम्पादक जिन्हें उस समय लिखने और टोकाटिप्पणी करनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता थी, वहे उत्साहसे और हृदय खोलकर इस विपक्षकी आलोचना करने लगे। निर्वाचनसंस्था स्थापित करनेकी बातका विरोध करनेवाले बहुतही कम लोग थे। बादविवाद केवल यही था कि यह कब स्थापित हो। जापान, जैसाकि पहले लिखा गया है, उस समय पाश्चात्य सभ्यताके वशीभूत हो गया था।

विरोध करनेवालोंमें जो सबसे भारी विरोध था वह डाकूर हिरोयुकी केतोका था। ये सम्राट्-परिवार-विभागके एक अफ़सर थे। इनका एक विद्वत्तापूर्ण लेख 'तोकियो निचि-निचि शिम्बून' नामक प्रसावशाली समाचारपत्रमें निकला। इसकी जो खास खास दलीलें थीं वे इस प्रकार हैं—

"जापानमें लोकमत प्रस्तुत करनेकी बातपर ही विचारशील पुरुष मात्रका ध्यान लगा हुआ है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि देशमें शान्ति और सुखसमृद्धिका अखण्ड साम्राज्य होनेके लिये लोकमतके दबावकरणसे बढ़कर और कोई उपाय नहीं हो सकता। परन्तु इसमें एक कठिनाई है। लोकमत सदासर्वदाही विवेकपूर्ण और प्रमादरहित नहाँ हुआ करता। यूरपके सभ्य राज्योंमें भी लोकमत कभी कभी गलती खा जाता है। जब यूरपका यह हाल है तब हमारे जैसे नवसिखुए देशके लिये प्रमादरहित लोकमत प्रकट करना कैसे सम्भव है। प्रतिनिधि-सभाएँ इसीलिये स्थापित की जाती हैं कि देशमें शान्ति और सुखसमृद्धिका अखण्ड साम्राज्य जिनसे बना रहे ऐसे कानून और नियम उन सभाओंमें बनाये जायँ। ऐसे कानून बननेके पहले इस

## संघटन सम्बन्धी उद्योगको प्रथम अवस्था १९७

बातकी आवश्यकता होती है कि सामाजिक रीतिनीति, सर्वसाधारणकी रहनसहन और उनके आचारविचारोंका सूदम अनुसन्धान हो जिसमें वे कानून उनकी परिस्थितिके प्रतिकूल न हों जायें। ... इस कामको केवल परिषद्गत हो कर सकते हैं। ... यह सच है कि हमारा देश धीरे धीरे उन्नति कर रहा है पर यह भी सच है कि किसान और व्यापारी आज भी उसी पुराने ज़मानेके हैं। वे अनजान और नादान बने रहनेमें सन्तुष्ट हैं और उनमें अभीतक राजनीतिक जीवनका विशेष सञ्चार नहीं हो सका है। सामुराइयोंकी बात जुदी है। पर उनमें भी ऐसे ही लोगोंकी संख्या विशेष है जो इन बातोंको समझते हों कि सरकार क्या है, नागरिक होना क्या बस्तु है, सरकारको कर लगानेका अधिकार क्यों है और क्यों कोई नागरिक सैन्य-नियमोंको मानता है। ये बहुत मामूली बातें हैं।<sup>१</sup> फिर भी १० में या ६ आदमी इन प्रश्नोंका ठीक ठीक उत्तर न दे सकेंगे। ... स्वयं राजकर्मचारी भी अपने अपूर्ण ज्ञान और शिक्षाकी आलोचनासे नहीं बचने पाते। पर मैं अपनी जानकारीके भरोसे कह सकता हूँ कि इन राजकर्मचारियोंके बाहर देशभरमें ६०। ७० से अधिक ऐसे पुरुष नहीं हैं जिनमें कुछ विशेष जानकारी या योग्यता हो। इन ६०। ७० पुरुषोंको देशके ३ करोड़ अधिवासियोंका प्रमाण मान लेना असम्भव है। राजकर्मचारियोंपर जो यह आक्षेप किया गया है कि ये किसीकी सुनते नहीं और

१. डा० केतो इन बातोंको वास्तवमें मामूली समझते थे या उन्हें सिर्फ दलीलके लिहाजसे ऐसा लिखा है, यह कहना बड़ा कठिन है। पर इसमें सन्देह नहीं कि डा० केतो जैसे परिषद्गतने उस समय ऐसी बातें कहीं हैं।

## ११८ जापानकी राजनीतिक प्रगति

मन्त्रमानी कार्यवाही करते हैं, यह ठीक नहीं है। पर यह ज़रूर है कि जैसी हालत है उसमें इनके बिना सरकारका कार्य चल नहीं सकता। लोगोंमें यदि चैतन्य उत्पन्न करना हो तो जल्दी जल्दी प्रतिनिधिक शासनप्रणाली चला देनेकी अपेक्षा पाठ-शालाएँ खोली जायँ तो यह काम बहुत अच्छी तरहसे हो सकता है। इसलिये मैं यह कहता हूँ कि इसी समय सार्वजनीन प्रतिनिधि-निर्वाचिनी संस्था स्थापित करनेकी जो वात उठी है सो महज नासमझी और नादानी है।”

संवत् १९३१ में (फाल्गुनके शुरूमें) इतागाकी, गोतो और सोयीजिमाने मिलकर केतोंके लेखका उत्तर लिखा। इन्होंने इस वातका बड़ा तीव्र प्रतिवाद किया कि जो थोड़े से लोग राज्यशासन कर रहे हैं उनके अतिरिक्त देशमें शासन करनेकी योग्यता और किसीमें है वही नहीं और है भी तो बहुत थोड़े लोगोंमें। सच पूछिये तो पुनःस्थापना और शासन संस्कारका कार्य सबसे पहले ताल्लुकेदारोंने नहीं बल्कि निम्नथ्रेणीके सामुराइयों और रोनिनोंने<sup>१</sup> हो सोचा था और देशके समस्त लोगोंके मिलकर उद्योग करने-हीसे मुसम्पादित हुआ था। इन्होंने यह भी दिखलाया कि लोग जो इतने द्वे हुए हैं इसका मुख्य कारण यह नहीं है कि अभी उनमें उतनी सभ्यता नहीं आयी बल्कि इसका सारा दोष वर्तमान राजनीतिक संस्थाओंपर है। उन्होंने यह भी कहा कि फिर भी हम लोगोंने सार्वजनीन निर्वाचिनी संस्थाका अधिकार नहीं माँगा है। उनका कथन यह था कि पहले सामुराइयों और धनी किसानों तथा व्यापारियोंको

---

१ गोनिनो उन सामुराइयोंको कहते थे जो सामुराइ होकर भी किसी कास्टमें अपने सरदारसे प्रथक हो गये।

## संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था ११६

निर्वाचनका अधिकार दे देना चाहिये, क्योंकि उन्होंने ही इन तथे नेताओंको ऐदा किया था।

इस प्रकार जापानकी सङ्घटनात्मक शासनप्रणालीके आन्दोलनका पहला परदा उठा। अबतक 'तोकियो निचिन्चि', 'चोशा', 'आकैयोनो', 'युविनहोची' आदि सभी प्रभावशाली समाचारपत्रोंने सरकारका पक्ष लिया था; क्योंकि अभी सभी प्रधान प्रधान नेता शासकमण्डलमें थे और देशकी समस्त शक्तियोंको केन्द्रीभूत करने, देशका एकीकरण करने तथा ताल्लुकेदार-शासनपद्धतिको उठा देनेका जो उनका उद्देश्य था उसीको पूरा करनेमें लगे थे। पर जब दरबारमें दो पक्ष हो गये तब समाचारपत्रमें भी परस्पर वाम्युद्ध होने लगा। जितने प्रसिद्ध समाचारपत्र थे वे सब एक 'तोकियो निचिन्चि' को छोड़कर शासन-पदस्थोंके प्रतिपक्षियोंकी तरफ थे और सरकारपर तीव्र दीक्षा करते थे। सं० १९३१में (माघके आरम्भमें) प्रिन्स इवाकुरापर तीव्र आलोचनात्मक एक लेख निकला। फरवरीमें भूतपूर्व मंत्री येतोने जिन्होंने आवेदनपत्रपर भी हस्ताक्षर किया था, सागाके लोगोंको चलवा करनेके लिये उभारा। इसी दीच इतागाकी और सायगो अपने घर कोची और कागोशिमा आये। वहाँ इतागाकीने एक राजनीतिक सभा स्थापित की जिसका नाम रिशिशाथा और प्रातिनिधिक संस्थाओंके विचार कैलाना जिसका उद्देश्य था। और सायगोने तो सामरिक शिक्षाके लिये एक जैर-सरकारी पाठशाला खोल दी।

२. इस उत्तरमें विशेषता यह है कि बासचार उसमें मिल्को लोकतन्त्र शासन रेमेज़ोन्टेटिव गवर्नेंट से अवतरण देकर अपने कथनका समर्थन किया गया है।

## १२० जापानकी राजनितिक प्रगति

यह भव देखकर सरकार बड़ी हैरान हुई और इन लोगों के मनको फिरा देनेके लिये उसने फारमोसा के विरुद्ध सेना भेजनेकी तदीर सोची । संवत् १९३१ के मई महीनेमें सायगो ताकामोरीके छोटे भाई सायगो योरिमिचिके अधीन ३००० आदमी फारमोसा भेजे गये कि वहाँ जाकर उन प्राचुर्तिक डाकुओंको दण्ड दें जो जापानसे और रिउ-किऊ टापु-ओंसे जानेवाले चढ़ान-टकराये जहाँोंके यात्रियोंको मार डाला करते थे । उसी समय चैत्रके अन्त तक प्रातिनिश्चिक संस्थाओंके सूतपातस्वरूप 'चिह्ना चिओक्याँ काइगी' अर्थात् प्रान्तीय शासकोंकी परिपद् स्थापित करनेके हेतु एक वोपरा दरवारसे प्रकाशित हुई ।

दसी अवसरपर इतो और इनोर्नि ओकुवोंके पक्षके साथ किंदा, इतागाकी और गोतोका मेल करानेका उद्योग किया और ओसाकामें सभाका प्रबन्ध किया गया ; यह सभा इतिहासमें 'ओसाका सम्मेलन' नामसे प्रसिद्ध है । इतोने मेलके ये प्रस्ताव किये—

१. कुछ ही लोगोंके हाथमें सारे शासनसूत्र न चले जायें और आगे चलकर निर्वाचिनी संस्था स्थापित होनेका मार्ग उन्मुक्त रहे इसके लिये कानून बनानेवाली एक सभा ( गोनरो-इन ) स्थापित होनी चाहिये ।

२. न्यायविभाग और शासनविभाग, ये दोनों अलग अलग रहें, इसके लिये एक उच्च न्यायमन्दिर (ताइशिन-इन) स्थापित होना चाहिये ।

३. प्रजाकी वास्तविक दशा जिसमें मालूम हो इसके लिये प्रान्तीय शासकोंकी एक परिपद् ( चिह्ना चिओक्याँ काइगी ) स्थापित होनी चाहिये ।

## संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था १२१

४. शासनकार्यके जो कई विभाग हैं उनके और उपविभाग होने चाहियें जिसमें धर्म, शासन और न्याय संबंधी सब कामोंमें पर्याप्त विशिष्टता उत्पन्न हो।

इतागाकीको छोड़कर सबने ये प्रस्ताव स्वीकृत किये और शासनकार्यमें भाग लेना स्वीकार किया। इतागाकी चाहते थे कि निर्वाचित धर्मसभा स्थापित हो। वे गेनरो-इन नामक अनिर्वाचित संस्थाको नहीं चाहते थे। तथापि महाराजाधिराज जापानसमाजने उन्हें बुला भेजा और इतागाकीने मंत्रिपद स्वीकार किया।

इतागाकी संघटनात्मक शासनान्दोलनके प्रधान नेता थे और इसलिये उनके दरवारमें आ जानेसे आन्दोलन कुछ ढीला पड़ गया। पर इतागाकी अधिक दिन दरवारका कार्य नहीं कर सके। संवत् १९३३ के आरम्भमें उन्होंने इत्तीफा दे दिया। कारण यह हुआ कि ओसाका सम्मेलनमें सुधारके जो उपाय स्वीकृत हुए थे वे कोरियाके 'कोकव-वन' वाले मामलेके कारण स्थगित रखे गये।<sup>१</sup>

इसी समयके लगभग उदारमतवादियोंके आन्दोलनका प्रतिकार प्रकट होने लगा। सं० १९३० का जो समाचारपत्र संबंधी विधान था उसने मुद्रणस्वातंत्र्य नहीं छीना था। वह रद्द कर दिया गया और संवत् १९३२ में (आषाढ़में) एक अति तीव्र छापा संबंधी विधान तथा मानहानिका कानून बन गया। समाचारपत्रोंके लेखनस्वातंत्र्यमें तथा छापाखानेके प्रकाशनकार्यमें बड़ी भारी वाधा पड़ी। जो कोई सरकारको दोष

१. संवत् १९३१ में अनेकन नामक जापानी जंगी जहाज़पर कोरियासे गोले बरसे थे। मामला बहुत बड़ा नहीं, आपसमें ही समझौता हो गया और संवत् १९३२ में मैत्री श्रौर व्यापारकी सधि तै की गयी।

## १२२ जापानकी राजनीतिक प्रगति

लगाता या उसकी तीव्र आलोचना करता उसके लिये जेल या जुमनिकी सज्जा थी। सरकारने इन कठोर उपायोंको बड़ी दृढ़ताके साथ कार्यमें परिणत किया। रोज़ही कोई न कोई पञ्च-सम्पादक पकड़ा जाने लगा।<sup>१</sup>

इधर यह संघटनात्मक शासनप्रणालिके लिये आनंदालतन दें ही रहा था और उधर सत्सुमार्में संचत् १९३४ में गदर शुरू हो गया जिसका प्रभाव देशभरमें फैलने लगा। १९३० में दरवारमें जो फूट हुई उसीका यह फल था। इस विद्रोहका नेता सायगो तकामोरी था जो एक समय जापानी सेनाका शिरोभूषण था। उसने पुनःस्थापनाके समय बड़े बड़े परावर्मके काम किये थे और इसमें असाधारण शुरूता, युद्धनीतिशान, स्वार्थत्याग और राजभक्ति आदि ऐसे गुण थे जिनके बलसे जापानी सेनामें उसे सबसे बड़ा पद प्राप्त हुआ था। पर कोरियासे युद्ध ठाननेकी बात जब दरवारसे नामंजूर हो गयी नव उसने अपने पदसे इस्तीफ़ा दे दिया और घर (कागोशिमा) आकर एक गैरसरकारी स्कूल सोला जिसमें वह युद्धकलाकी शिक्षा देने लगा। वह अपने साथियोंसे भी

१. आकेयोनो नामक एक प्रमुख समाचारपत्रने लिखा है कि “संसारके किसी देशके इतिहासमें हमने नहीं पड़ा कि कानून तोड़ने या लोगोंको उभारनेके अपराधपर एक नगरके मवके सब सम्पादक पकड़कर श्रद्धालुमें लाये गये हों, और न यही कहीं देखा कि एक सम्पादकपर तो मामला चल ही रहा है और उसीमें दूसरे सम्पादक भी पकड़कर लाये गये, उसका अपराध भी अभी सावित नहीं हुआ, अभी उसका मुकद्दमा भी पेश नहीं हुआ, और तीसरे सम्पादक लाये गये, और इस तरह एक दिन भी सम्पादक-के मुकरमेंके बिना याली नहीं जाता। हमने ऐसी कार्रवाइयां कभी न हुनी न किसी देशके इतिहासमें इसका जोड़ देखा”।

## संघटन सम्बन्धो उद्योगको प्रथम अवस्था १२३

आलग रह कर काम करने लगा और संघटनात्मक शासनके आन्दोलनमें शरीक तक नहीं हुआ। वह एक प्रकारसे विदेश सम्पर्कका विरोधी था। पाश्चात्य सभ्यताका शीघ्र अनुकरण कर लेनेका विरोध करता था। सरकारने उससे फिर अपनी जगहपर आनेके लिये बहुत आग्रह किया, पर सब व्यर्थ हुआ। उसका कुछ ऐसा प्रभाव था, उसके चेहरेपर कुछ ऐसी मोहिनी शक्ति थी कि उसके जन्मस्थान सत्सुमामें सर्वत्र ही उसके युद्धविद्यालयका प्रभाव पड़ने लगा। यहाँ तक कि उस प्रान्तका शासक भी उसके बशमें हो गया। सरकारने इस भयङ्कर आन्दोलनको रोकनेके लिये बहुत उपाय किये। परन्तु जब सरकार कागोशिमासे शब्दागार हटाकर ओसाकामें ले गयी तब सायगोके मित्रों और अनुयायियोंने आकाशपाताल एक कर डाला। इस भयङ्कर विरोधके प्रवाहसे सायगो भी न चर सका और देशभरमें आपमके युद्धकी अग्नि प्रज्ञलित हो उठी। सायगोके लगभग ३००००० ( तीस हजार ) अनुयायी थे, सरकारने ६०००० से भी अधिक फौज भेज दी। लगभग सात महीने मारकाट होती रहा तब जाकर कहीं गढ़की आग तुझी और शान्ति स्थापित हुई।

इधर सरकार सत्सुमाके वलवाइयोंको द्वानेमें लगी हुई थी और उधर संघटनात्मक शासनके आन्दोलनका दूना झोर बढ़ रहा था। फिर एक आवेदनपत्र सरकारके पास भेजा गया। इस बार रिशिशाके एक प्रतिनिधि काताओंको केंद्रितोने यह आवेदनपत्र भेजा था। पर यह स्वीकृत नहीं हुआ। इसके बाद काताओंको और कोची प्रान्तस्थ रिशिशाके कोई वीस वाईस सभासद गिरफ्तार और कैद किये गये। सरकारका

## १२४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

अभिग्राय इनके पकड़नेमें शायद यह था कि सत्सुमाका यज्ञवा फैलने न पावे ।


सत्सुमाके बलवेसे सहृदयनान्दोलनका यों तो कोई सर्ववन्ध नहीं था पर सम्भवतः इस बलवेने लोगोंमें राजनीतिक चैतन्य उत्पन्न कर दिया था । सं० १६३४ में अभ्यान्तरिक युद्धकी जब समाप्त हुई तो देशभरमें सहृदयनान्दोलन फैल चुका था और चारों ओर किर्तने ही राजकीय सहृदय स्थापित हो गये और भिन्न भिन्न स्थानोंमें उनके प्रधान कार्यालय भी खुल गये थे । यहाँसे समय समयपर प्रचारक भेजे जाते थे जो लोगोंको प्रातिनिधिक संस्थाओंकी शिक्षा देते थे ।

संवन् १६३६ में श्रोकायामा प्रान्तके लोगोंने सरकारके पास एक आधेदनपत्र भेजकर राष्ट्रीय सभा स्थापित करनेकी प्रार्थना की और साथ ही सर्वसाधारणमें एक सूचना वेंटवा दी कि इस कार्यमें सब लोग हमारा हाथ बटावें । सं० १६३७ के प्रारम्भमें एक दूसरा मेमोरियल किंशोआयशाने ( इस नामकी राजकीय संस्थाने ) गोन्नो-इनके पास भेजा जिसमें सन्धिपत्रोंका संशोधन और निर्वाचक-सभा-स्थापनकी प्रार्थनाकी गयी थी ।

उसीके कुछ दिन बाद सब राजकीय संस्थाओंकी एक महासभा श्रोकायामें हुई और प्रातिनिधिक ध्यवस्थापक सभाकी स्थापनाका पक्ष समर्थन किया गया । २४ प्रान्तोंकी २३ संस्थाओंसे कुल २७००० से भी अधिक सभासदोंने इस महासभामें योग दिया था । यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि कोकुक्काई किसेहर दामीकाई अर्थात् “ राष्ट्रीय-सभा-स्थापनार्थ संयुक्त

१. यह प्रथेनापय बहुत लम्बा है जिसमें राष्ट्रीय परिषद्की स्थापनाके पश्चमें अनेक विधान किये गये हैं । ये विधान ( इलोले ) प्रायशः प्रातिनिधिक संस्थाओंके द्वात् विचारोंपर किये गये हैं, और उनमें देशभक्ति पूर्ण भावोंका





चित्र नम. ५ । काउण्ट ओकुसा । आ. स. व. १९७८.

## संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था १२५

“समान”के नामसे सरकारके पास एक प्रार्थनापत्र भेजा जाय। कातांशोकों और कोनो इस कार्यके लिये प्रतिनिधि चुने गये। ये तुरन्त ही तोकियों पहुँचे और प्रधान मन्त्रोके सामने उन्होंने प्रार्थनापत्र उपस्थित किया।<sup>१</sup> यह पत्र महाराजाधिराजके नाम लिखा था, परन्तु इसे समादृतक पहुँचानेसे प्रधान मन्त्रोने इनकार कर दिया। कहा कि लोगोंको राजकीय प्रार्थनापत्र भेजनेका कोई अधिकार नहीं है।

ओकुमा (बादको काउणट ओकुमा हुए) उस समय शासक मण्डलमें थे और अपने अधिकारके शिखरतक पहुँचे हुए थे। किंद्रो १९३४के अभ्यान्तरिक युद्धके समयही इस लोकसे चल दिये थे। ओकुमो ‘जापानके स्तम्भ’ जिनकी वुद्धिमत्ता और नीतिनिषुणतासे ही पुनःस्थापनाका बड़ा कार्य अनेकांशमें सफल हुआ था और जो वारंवार वुद्धिमानीके साथ उच्छ्वस्ताका विरोध करते थे वे भी अब न रहे। संवत् १९३५ में राजविरोधी आतकोंके हाथ उनका शरीरान्त हुआ।<sup>२</sup>

---

सम्मेलन हुआ है। इसमें लिखा था कि “स्वरं शासनसे देशप्रेमका नाश होता है, राष्ट्रकी सहृदयत्वमें दुर्बलता आती है और महाराजाधिराजके सिंहासनकी सुरक्षितता तद्वापन होती है। देशमें सहृदयत्व तभी उत्पन्न हो सकती है जब जोग शासनकार्यमें भाग लेते हैं और प्रकृत राजनीति समझते हैं। देशकी स्वाधीनता तभी सुरक्षित होती है जब देशमें स्वराज्यशासनका होसला होता है। हमारी प्रार्थना है कि महाराजाधिराज पुनःस्थापनाको प्रतिज्ञाके अनुसार संघटनात्मक शासनका प्रवर्तन करेंगे।”

१. उस समय श्यान मन्त्री ही सर्वथेष अधिकारी थे; शासन सम्बन्धी वास्तविक अधिकार चैभागिक मन्त्रियोंके हाथमें थे।

२. द्रवारमें सर्वसे प्रभावशाली पुरुष ओकुमो था। प्रजासत्तात्मक सुधार और सायगो ताकामोरीका यह बड़ा भारी विरोधी समझा जाता था। सायगो ताकामोरीसे सर्वसाधरणकी सहानुभूति थी और उसीका यह विरोधी समझा

## १२६ जापानकी राजनीतिक प्रगति

इस प्रकार अब केवल श्रोकुमा ही रह गये जो वैदेशिक सचिव तथा आर्थिक सचिवका काम कर रहे थे और मंत्रिमण्डलमें इन्होंका रोवदाव था ।

जब उन्होंने देखा कि राष्ट्रीय परिपद्की स्थापनाके लिये लोग बहुत ही उद्दीपित हो उठे हैं तो लोगोंका पक्ष लेकर तथा सत्सुमा और चोशिऊके सरदार-घरानोंका बल तोड़-कर इन्होंने भीतर ही भीतर अपनी शक्ति और लोकप्रियता बढ़ानेका प्रयत्न आरम्भ किया । यह बात पहले लिखी ही जा चुकी है कि तोकुगावा सरकारके विरुद्ध जो राज्य-क्रान्ति हुई उसके असल कारण जारी सत्सुमा, चोशिऊ, हिज़न और तोसा इन्हीं चार बड़े पञ्चिमी ताल्लुकोंके सरदार लोग थे । अतएव जब नवीन सरकार स्थापित हुई तो इन्हीं लोगोंके हाथमें सब अधिकार आगये और सरकार नाम भी 'सत्त्-चिओ-दोही सरकार' पड़ गया ।<sup>१</sup> पर संवत्-१९३० में जब द्रवारमें पक्षभेद हो गया तब सत्सुमा और चोशिऊके सरदार ही मुखिया हो गये और तब 'सत्त्-चिओ सरकार' यह नाम पड़ा ।<sup>२</sup> श्रोकुमा हिज़नके सामुराई थे, सत्सुमा या चोशिऊ दलसे इनका कोई सम्बन्ध नहीं था । इसलिये इन्होंने इन लोगोंका बल तोड़ डालनेकी इच्छा की । इसी हेतुसे इन्होंने प्रिन्स अरिसुगावा सदाइजिन, और

---

जानेसे राजकीय बलवाद्योंने इसकी आहुति ली । वस्तुतः सायगोसे इसकी कोई शक्ति नहीं थी ।

१. सत्सुमा, चोशिऊ, तोसा और हिज़नका ही संक्षिप्त नाम 'सत्त्-चिओ-दोही' था ।

२. 'सत्त्-चिओ' सत्सुमा और चोशिऊ का छोटा रूप है ।

## संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था १२७

इवाकुरा उदयजिनको १९४० में हो राष्ट्रीय परिपद् स्थापित करनेको सलाह दी थी। जब यह भेद प्रकट हुआ तो उनके सत् 'चित्रो' सहमन्त्रियोंने उनका ऐसा विरोध आरम्भ किया कि मन्त्रिमण्डल ही उल्लङ्घन जानेकी नौवत आ गयी।

इसी समय हुकाइडोमें सरकारी कारखानोंको उठा देनेका विचार हो रहा था और उसके सम्बन्धमें श्रौपनिवेशिक मण्डलके अध्यक्ष तथा दरवारके एक मंत्री कुरोदाने जैसा अवहार किया था उसके कारण सरकारको बड़ी निन्दा हो रही थी। बात यह हुई कि इन कारखानोंमें १ करोड़ ८० लाख येनसे भी अधिक देशका धन खर्च हुआ था और कुरोदा उन्हें ३ लाख येनपर क्वानसा वोएकीशित्रोक्त्वाई नामकी एक गैर सरकारी कोठीको जिससे कुरोदाका बहुत सम्बन्ध था, वेच देना चाहता था। ओकुमा पहलेहीसे इस विक्रीके चिरुद्ध थे। पर जब बहुमतसे दरवारने वेचनाही निश्चय किया तो समाचारपत्रोंद्वारा उन्होंने सरकारपर आक्रमण आरम्भ किया।

सरकारकी हरएक कमज़ोरी सहृदयनांदोलनकारित्रोंका बल बढ़ानेवाली होती थी। उन्होंने इस ज़ोरशोरसे आन्दोलन शुरू किया और इस कदर लोगोंमें सहानुभूति भरद्वा को सरकार यदि इस आन्दोलनकी प्यास बुझानेका कोई प्रयत्न न करती तो देशमें उपद्रव आरम्भ हो जाता।

संष्ट १९३८ के आश्विन मासमें सरकारने अपने कारखानोंको वेचनेका निश्चय बदल दिया और साथही एक राजधोपणा प्रचारितकी कि सं० १९३९ में राष्ट्रीयपरिपद् स्थापित होगी और उसकी सब तैयारी सरकार अभीसे करेगी। इसो बीच ओकुमाको मन्त्रिपद त्यागनेकी सलाह दी गयी।

## १२८ जापानकी राजनीतिक प्रगति

सं० १९६६ में ( फाल्गुन महीने में ) जापानके लिये सहृदय निश्चित करनेके पूर्व यूरपकी राजकोय संस्थाओंका निरीक्षण करके आनेके लिये इतो और उसके साथी यूरप भेजे गये । इस प्रकार सहृदयान्वयनका पहला अभिनय निर्विघ्न अभिनीत हो गया ।

## तृतीय परिच्छेदे

### सम्बन्धनान्दोलनका द्वितीय अभिनय

पिछले परिच्छेदमें प्रातिनिधिक शासनप्रणालीके लिये आनंदोलन करनेवालोंके उद्देश्यकी सफलताका उल्लेख किया गया। संवत् १९३८ के कार्तिकके आरम्भमें राजधोषणाने राष्ट्रीय परिषद्की स्थापनाका दिन नियत कर दिया, और यह भी प्रकट कर दिया कि उस परिषद्की योजना और अधिकारोंको स्वयं समाट निश्चित करेंगे और तब उसकी भी घोषणा होगी। इसलिये अब इन सम्बन्धनान्दोलनके उद्योगियोंको विश्रान्ति लेनेका अवसर मिला। परन्तु इस प्रतिश्रात परिषद्की प्रत्यक्ष प्राप्तिमें अभी नौ वर्षका विलम्ब था। इसलिये सिद्धान्तको विजय हो चुकनेपर भी इनके लिये विलकुल ही चुप बैठे रहना असम्भव था। इसके साथही नवीन राज्यप्रबन्धकी सब वार्ता सोचकर उन्हें अपना कार्यक्रम भी निश्चित करना था। इस परिच्छेदमें हम यहीं दिखालावेंगे कि राष्ट्रीय परिषद् स्थापित होनेके पूर्व नौ वर्ष जापान किस राजनीतिक प्रवाहमें वह रहा था।

संवत् १९३७ के फाल्गुन मासमें ओसाकाके राष्ट्रीय-सभा-स्थापनार्थ-समाजके अधिकारेशनमें कुछ प्रतिनिधियोंने यह प्रस्ताव किया था कि कुछ विशिष्ट सिद्धान्तोंपर एक स्थायी राजनीतिक दल स्थापित होना चाहिये। परन्तु बहुतसे लोगों के विचारमें अभी इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि राष्ट्रीय परिषद्की स्थापनाकी कोई ढढ़ आशा नहीं थी, और इसलिये

## १३० जापानकी राजनीतिक प्रगति

उस समय कुछ भी निर्णय नहीं हो सका था। परन्तु जिन लोगोंका यह प्रस्ताव था उन्होंने आपसहीमें जियुतो (उदार-मत दल) नामसे अपना एक दल कायम कर लिया और एक घोषणापत्र निकालकर यह ज़ाहिर किया कि हम लोग सर्व-साधारणके स्वातंत्र्यका विस्तार, उनके आधिकारोंकी रक्षा, उनके सुख और समृद्धिका उपाय करनेका प्रयत्न करेंगे। समस्त जापानी प्रजाजनोंकी समानता और संघटनात्मक राज्यप्रबन्ध प्रचलित करनेके आचित्यमें हमारा विश्वास है।

जब राष्ट्रीय परिपदकी स्थापनाका विचार निश्चित हो चुका तब 'राष्ट्रीय सभास्वापनार्थ समाजके सञ्चालकोंने उदार-मतदलसे मिलने और एक सुदृढ़ शक्ति स्थापित करनेका प्रयत्न किया। यह भी हुआ और उदारमतदलकी योजना पुनर्वार निश्चित की गयी। संवत् १९३८ के कार्तिक मासमें उन्होंने अपना उद्देश्यपत्र प्रकाशित किया जो इस प्रकार है—

१. हम लोग जनताकी साधीनताका क्षेत्र बढ़ाने, उनके आधिकारोंकी रक्षा करने और उनकी सामाजिक उन्नति करने-का प्रयत्न करते हैं।

२. हम लोग आदर्शस्वरूप संघटनात्मक राज्यतन्त्र निर्माण करना चाहते हैं।

३. हम लोग अपने उन भाइयोंसे मिलकर जो इन सिद्धान्तों-को मानते हैं, अपने उद्देश्योंकी साधना करेंगे।

दलका मुखिया इतागाकी ताइसुके था जिसे उचित या अनुचित रीतिपर जापानका रूसो कहा गया है क्योंकि वह भनुष्यके जन्मसिद्ध अधिकारोंका हृदयसे पक्ष करता था। सं० १९३०में उसने कोरिया प्रकरणके कारण अपने मंत्रीपदसे

## संघटनान्दोलनका द्वितीय अभिनय १३१

इस्तीका दे दिया था और प्रातिनिधिक धर्म सभाके लिये सरकारके पास प्रार्थना पत्र भेजनेके काममें यह भी एक मुखिया था। सं० १९३२ में सरकारने इन्हें फिर मन्त्रीपद देना चाहा और यह वचन भी दिया गया कि इनके राजनीतिक सिद्धान्त यथासम्भव माने जायेंगे, पर इन्होंने यह मान अस्वीकार कर दिया क्योंकि इतोने जोकि मध्यस्थ थे, जिन बातोंपर भेल कराना चाहा था उनमें प्रातिनिधिक धर्मसभाको स्थापित करनेकी बात नहीं थी। यह सच है कि उनके राजनीतिक सिद्धान्त बहुत ही गम्भीर थे और उन्हें कार्यान्वित करानेकी उनकी उत्करणा कालानुरूप नहीं थी। प्रातिनिधिक शासन सम्बन्धी उनके विचार स्वप्रसृष्टिकेसे थे जिनका प्रत्यक्ष राज्य-प्रबन्धमें कोई उपयोग नहीं हो सकता था। परन्तु इसके साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि वह स्वाधीन विचारके पुरुष थे और अपने विचारोंके पक्षे थे। उनके विचार उनके अन्य समकालीन राजनीतिज्ञोंसे अलग और अटल थे। उनमें अपूर्व आकर्षणशक्ति थी। उनकी बाणीमें जादू भरा था। उनका भन वचन एक था और उनका व्यवहार कलझरहित था जिससे उनके अनेक अनुयायी हो गये थे। सच पूछिये तो आन्दोलनके समयमें आदिसे अन्ततक वेहो उदारमत वादियोंके केन्द्ररूप थे। कसान ब्रिङ्कलेने बहुत ठीक कहा है कि कोगिशो-का निष्फल हो चुकनेपर इतागाकी ताइसुके यदि शासनसुधार-के आन्दोलनको न उठाते तो प्रातिनिधिक सभाका प्रश्न ही देशकी दृष्टिसे श्रोभक्त हो जाता। फिर भी हम यह अस्वीकार नहीं करते कि उदारमतवादियोंमें जो गरम दल था उसने समय समयपर भयझर क्रान्तिकारी उपायोंका भी अवलम्बन किया जिससे देशमें अशान्ति फैलती थी, और इस कारण

## १३२ जापानकी राजनीतिक प्रगति

उदारमतवादियोंकी वहुत बदनामी भी हुई। यहाँतक कि ये लोग गुराडे, बदमाश, चिंगडेदिल, बागी और राजद्रोही कहे जाने लगे। परन्तु भरम दलवालोंके विधिविरुद्ध आचरणके कारण इतागाकीकी देशसेवाका महत्व कम करना ठीक न होगा। बस्तुतः जापानमें प्रातिनिधिक संस्थाओंके स्थापनका श्रेय जितना श्रोकूमा और इतोको है, उतना ही इतागाकीको भी है।

उदारमतवादियोंके बाद “रिकन कैशिन तो” अर्थात् सज्जट-नासुधारवादी दल उत्पन्न हुआ। श्रोकूमा और उसके साथियोंने छोटे छोटे कई दलोंको मिला कर संवत् १९३६ के फालगुन मासमें यह दल स्थापित किया।

यह पहले कहा जा चुका है कि संवत् १९३८ में अर्थात् एकही घर्ष पूर्व जब यह पता लगा कि सात्सुमा और चौशिऊके सरदारोंका बल तोड़नेके लिये श्रोकूमा भीतर ही भीतर सज्जटनात्मक शासनका सूत्रपातकरा रहे हैं तब उन्हें मन्त्री-मंडलसे हट जाना पड़ा। परन्तु श्रोकूमाके साथ सहानुभूति रखनेवाले अनेक लोग थे। जो होनहार नवयुवक भिन्न भिन्न सरकारी विभागोंमें लेखकका काम कर रहे थे वे भी अपना काम छोड़कर इनके साथ हो लिये। १९३० के मन्त्रीमण्डलविच्छेदके समान ही इस विच्छेदका भी सज्जट-

१. श्रोकूमाके साथ जिन लोगोंने सरकारी काम छोड़ दिया था उनमें निम्नलिखित सज्जन भी थे—यानो फूमियो, प्रधान मंत्रीके लेखक (बादको एकप्रधान पत्रके सम्पादक)। शिमादा साबुरो, शिच्चाविभागके लेखक, लोक प्रतिनिधि सभाके आरम्भसे ही सदस्य। शायब्य विभागके लेखक इनुकाई की और शोजाकी युकियो (पूर्वीक प्रधिनिधि सभाके सदस्य और प्रागतिक दलके नेता हुए और और उक्तरेक प्रतिनिधि सभाके सदस्य और तोकियोके

## संघटनान्दोलनका द्वितीय अभिनय १३२

नान्दोलनपर बड़ा असर हुआ। १९३० के प्रकरणमें एक तो यह। आन्दोलनहीं आरम्भ हुआ और दूसरे 'सत्-चिश्चो सरकार' की स्थापना हुई जो कहते हैं कि बहुत कुछ ओक्सीमा के ही कपड़जालका फल था। इस बार वन्या हुआ कि सरकारी कामसे हटे हुए लोगोंकी संघटन-सुधार दल कायम हो गया, और इस प्रकार राष्ट्रीय परिषद्की स्थापनाके विलम्बकालमें बहुत कुछ अन्तर पड़ गया।

ओक्सीमा जैसे अनन्य विद्याप्रेमी थे वैसे उनके रूप और बाणीमें भी कुछ अद्भुत मोहनीशक्ति थी। कितनेही सुशिक्षित, सुसंस्कृत और सुधारविचारके नवयुवक इनके दलमें आ मिले। अतएव इस सुधारवादी दलके कार्यकर्त्ता उदारमतवादियोंके कार्यकर्त्ताओंसे बहुत ही भिन्नस्वरूपके थे। संघटनसुधारवादी विचार और कार्यमें नरम थे और उदारमतवादी गरम। इन दोनोंके जो उद्देश्यपत्र हैं उन्हींको देखनेसे इनका भेद स्पष्ट हो जाता है। सुधारवादी दलका उद्देश्यपत्र इस प्रकार है—

१. हमारे उद्देश्य ये हैं—राजवंशकी प्रतिष्ठा सुरक्षित रखना और सर्वसाधारणकी सुखसमृद्धिके लिये उद्योग करना।

२. हमारा यह भी एक सिद्धान्त है कि देशका भीतरी सुधार होनेके पूर्व राष्ट्रके अधिकार और प्रतिष्ठाका क्षेत्र विस्तृत होना चाहिये।

३. हम स्थानीय स्वशासन स्थापित करनेकी चेष्टा करते

---

अध्यक्ष हुए), कृपि व व्यवसाय विभागके मन्त्री कोनो विद्वन, डांकलार अध्यक्ष मार्येजिमामित्सु, वैदेशिक विभागके लेखक कोमात्सुचारा येड्तारो ( अब शिर्जा विभागके मन्त्री ) इत्यादि ।

## १२४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

हैं और उसमें मुख्य अधिकारियोंको हस्तक्षेप करनेका भी अधिकार परिमित कर देते हैं।

४. हम यह नहीं चाहते कि सर्वसाधारणको निर्वाचन-का अधिकार दिया जाय। हम चाहते यह हैं कि समाजकी प्रगतिके साथ साथ ही उसके निर्वाचनाधिकारमें भी प्रगति होनी चाहिये।

५. हमारी नीति यह है कि व्यवसाय-सम्बन्ध बढ़ानेके लिये यह चाहिये कि जिन जिन वातेमें विदेशियोंसे भगड़ा आ पड़ता है उन यातोंको हम छोड़ दें।

६. हम धारुनिर्मित धनके सिद्धान्तपर सुद्राङ्गणपद्धतिका सुधार चाहते हैं।

इन दोनों दलोंका विरोध करनेके लिये सरकारी पक्षके लोगोंने एक तीसरा दल “रिक्न तइसेइतो” अर्थात् सहृदयनात्मक साम्राज्यवादी दलके नामसे संचालित १९३४ के चैत्र मासमें स्थापित किया। इसके मुख्य उद्योगियोंमें फुकुची महाशय भी थे। ये “निचिनिचि शिम्बून” नामक प्रसिद्ध पत्रके सम्पादक थे। इस नवीन दलका पक्ष लेनेसे इस पत्रका नाम “गोयो शिम्बून” (सरकारका दूत) पड़ गया था। उदारमतवादके विरुद्ध इन साम्राज्यवादियोंने एक प्रतिगमिनी धारा प्रवाहित कर दी थी घह उस समय प्रकट तो नहाँ हुई पर जापानकी सहृदयनापर उसके प्रवाहका भी स्पष्ट चिन्ह प्रकट हुआ है। जसका विचार हम अगले परिच्छेदमें करेंगे।

इन तीनों दलोंके उद्देश्यपत्रोंको यदि मिलाकर देखा जाय तो इस सभय जापानमें राजनीतिक विचारवारिकी कौन कौन धाराएँ प्रवाहित हो रही थीं यह समझमें आजायगा।

## संघटनान्दोलनका द्वितीय अभिन्नय १३५

संघटनात्मक साम्राज्यवादियोंके उद्देश्यपत्रमें ये बचन हैं—

१. हम सम्राट्‌की उस घोपणाको शिरोधार्य करते हैं जो संवत् १६३८ के आश्विन मासमें घोषित हुई है और जिसमें राष्ट्रीय परिपद्का जन्मवर्ष संवत् १६४७ निश्चित किया गया है। इस समय अदल वदल करनेके बादविवादमें हम कदापि पढ़ना नहीं चाहते।

२. उसी घोपणाके अनुसार सम्राट्‌जो रूप शासन प्रबंधको देंगे उसके अनुसार हम चलनेकी प्रतिज्ञा करते हैं।

३. हम इस बातको मानते हैं कि सम्राट्‌इस साम्राज्यके निर्विचाद स्वामी हैं और यह भी मानते हैं कि राष्ट्रीय परिपद्के अधिकार शासन सिद्धान्तसे नियमित हों।

४. हम यह आवश्यक समझते हैं कि नवीन धर्मसभा सभाद्वय-पद्धतिपर<sup>१</sup> होना चाहिये।

५. हम यह भी आवश्यक समझते हैं कि योग्यायोग्यके विचारकी पद्धतिसे निर्वचनाधिकार मर्यादित होना चाहिये।

६. हम समझते हैं कि राष्ट्रीय परिपद्को साम्राज्यकी भीतरी अवस्थाके सम्बन्धमें कानून बनानेका अधिकार देना चाहिये।

७. हम यह आवश्यक समझते हैं कि हर तरहके कानूनको नियेध करनेका अधिकार सम्राट्‌को होना चाहिये।

८. हम समझते हैं कि राज्यप्रबन्ध सम्बन्धी कार्यमें स्थलसेना या नौ सेनाके मनुष्योंका प्रवेश न होना चाहिये।

---

९. सभाद्वयपद्धतिसे यहाँ यह मतलब है कि पालमेन्टको दो सभाएँ रहनी चाहियें—एक हाउस आफ कामन्स या प्रतिनिधि-सभा और दूसरी हाउस आफ लाईंस यानी सरदार-सभा।

## १३६ जापानकी राजनीतिक प्रगति

८. हम समझते हैं कि न्यायविभागके सब कार्य कर्ता शासक विभागसे बिलकुल अलग और स्वतन्त्र होने चाहियें।

९०. हम समझते हैं कि सभा, समाज, सम्मेलन तथा सार्वजनिक व्याख्यानमें वही प्रतिवन्ध होना चाहिये जहाँ उससे शान्ति भङ्ग होने की सम्भावना हो।

११. हम यह भी मानते हैं कि इस समय जो अपरिवर्तनीय काग़जी सिक्के हैं वे मुद्राङ्कण पद्धतिको क्रमशः सुधार करके परिवर्तनीय काग़जी सिक्के बनाये जायें।

इस प्रकार सम्बाटूकी घोषणा हुए पूर्णीने भी न बीतने पाये थे और तीन बड़े राजनीतिक दल अपने अपने उद्देश्य-पत्रके साथ प्रकट हो गये। उनका मुख्य कार्य राजनीतिक सिद्धान्तोंका प्रचार करना था। उनपर १८वीं शताब्दीके पश्चात्य तत्परता और उत्साहके साथ राज्यसम्बन्धी प्रत्येक वातका परिणाम सोचते और वादविवाद करते थे। उनके वादविवादमें साम्राज्यके आधिपत्यका मुख्य प्रश्न था।

उदारमतवादियोंका यह कहना था कि देश, देशवासियोंके लिये है, न कि राजा या थोड़ेसे लोगोंके लिये। राजा राज्य करता है, प्रजाके लिये, अपने लिये नहीं। अतएव देशपर स्वामित्व देशवासियोंका है। संघटनात्मक साम्राज्यवादियोंने इस विचारका खण्डन आरम्भ किया और कहा कि हमारेदेशमें अनादि कालसे लोग राजाकी ही प्रजा हैं, साम्राज्य भरमें एक भी ऐसा स्थान नहीं है जो पहलेसे राजवंशके दखलमें न चला आता हो। उन्हीं महाराजाधिराज सम्बाटने राष्ट्रीय परिषद् स्थापित करनेका निश्चय किया है और लोकतन्त्र शासनप्रबन्ध निर्माण करनेका वचन दिया है। इन बातोंसे प्रकट हो गया

## संघटनान्दोलनका छित्रीय अभिनय १३७

कि सम्ब्राव्यपर सम्ब्राट्को ही सत्ता है। प्रागतिक दल ने मध्य-मर्मार्ग स्वीकार किया। उसने यह कहा कि प्रतिनिधिक धर्म-सभा या राष्ट्रीय परिषद् ऐसी संस्था है जो राजा प्रजा दोनोंका प्रतिनिधित्व रखती है। सद्वृद्धनात्मक शासन प्रणालीके स्थापित होनेसे राजाकी एकतन्त्रता जाती रहती है, और इसलिए सद्वृद्धनात्मक शासनके अधीन देशमें देशपर राष्ट्रीय परिषद्काही प्रभुत्व होता है, जैसे इंगिस्तानके लोक प्रतिनिधिसभा अर्थात् हाउस ऑफ काम्बसका है।

धर्मनिर्माणके सम्बन्धमें पूर्वोक्त दो दलोंका कहना था कि सभाध्य-पद्धति होनी चाहिये अर्थात् बड़े बड़े लोगोंकी एक और सर्वसाधारणकी एक, इस तरह दो सभाएँ होनी चाहियें। परन्तु उदारमतवादी एक ही सभाके पक्षमें थे।

उदारमतवादी तर्कशास्त्रकी व्यष्टिसे अपने विचारोंमें जितने सुसज्ज्ञ थे उतने और दल नहीं थे। वे जनसाधारणके स्वामित्वके विचारको उसके तर्कसिद्ध निर्णयतक ले गये और कहने लगे कि शासन पद्धति निर्माण करनेके लिये जनसाधारणसे निर्वाचित लोगोंकी एक समिति बनायी जानी चाहिये। परन्तु एक मार्केंकी बात यह है कि उन्होंने ज्ञानवूरुष-कर कभी प्रान्तके प्रजातन्त्रवादियोंके समान राजतन्त्रको उठादेनेकी बात कहनेका साहस नहीं किया।

राजनीतिक सिद्धान्तोंकी केवल चर्चा ही हुआ करती तो उससे लोगोंके मनमें कोई जिज्ञासा न उत्पन्न होती। परन्तु यह अवसर ऐसा नहीं था। चारों ओर बड़ी खलबली पड़ गयी थी। राष्ट्रीय परिषद्के स्थापित होनेकी बात सम्ब्राट्की घोषणासे प्रकट होनेकी देर थी कि सर्वसाधारणमें बड़ी ही उच्चेजना फैल गयी। हर शख्स चाहे वह राजनीतिज्ञ हो, किसान

## १३८ जापानकी राजनीतिक प्रगति

हो, मछुआहो, कारखानेका आदमी हो, व्यवसायी हो, शिल्पी हो, कोई हो, कोक्कु काई या राष्ट्रीय परिपद्की वातें करने लग गया। यह भले ही वे न जानते हों कि कोक्कु काई से उनका क्या उपकार होने वाला है, पर उससे लोगोंमें राजनीतिक चर्चा फैल गई और वे नवीन विचारोंको तत्काल ग्रहण करने लग गये। इस प्रकार उदारमतका प्रचार शीघ्रतासे होने लगा और राजनीतिक दलोंके अनुयायियोंकी संख्या दिन दिन बढ़ने लगी। उस समय जापान पाश्चात्य देशोंसे अपनी सन्धियों-का संशोधन कराना चाहता था जिसमें उसे अपने देशम आनेवाले मालपर कर वैठाने न वैठानेका पूरा अधिकार रहे और उसके अधिकारगत अन्य प्रदेशोंमें जहाँ पाश्चात्योंका व्यवसाय अधिकार हुआ वह वहाँसे उठ जाय। परन्तु जब कभी इस सन्धि सुधारकी वात छिड़ती थी तो पाश्चात्य राष्ट्रोंसे उसे यह जबाब मिलता था कि अभी तुम इस देश नहीं हो कि सन्धिका सुधार किया जा सके, क्योंकि अभी तुम्हारी राजकीय संस्थाएँ और कानून इतने दृढ़ नहीं हैं कि पाश्चात्योंकी जान और माल तुम्हारे हवाले की जासके। इस अपमानजनक अवस्थासे ऊपर उठनेके लिये बहुतसे लोग संघटनात्मक शासनप्रणाली स्थापित करना आवश्यक समझते लगे और बहुतसे लोग जो और समय इसका विरोध करते, सुपचाप बैठ रहे।

इसी समय एक ऐसी घटना हो गयी जिससे इतागाकीक नाम अमर हो गया। इतागाकी गिक्कूमें उदारमतवादियों की एक लभामें संवत् १९३४ के चैत्र मासमें एक व्याख्यान दे रहे थे। ऐसे समय एकाएक एक आततायी युवा ने उनकी छातीमें खजर मारा। युवा अपराधी जब पकड़ा गया और

## संघटनान्दोलनका द्वितीय अभिनय १३६

इस हत्याका उससे कारण पूछा गया तो उसने कहा कि “मैंने इतागाकीको इसलिये मारा कि वह देशका वैरी था”। खज्जर खाकर इतागाकी नीचे गिर पड़े। ऐसी अवस्थामें उन्होंने कहा कि “इतागाकी भलेही मर जाय, पर स्वतंत्रता सदा जीवित रहेगी”। इतागाकीके शब्द देशके ओरसे छोरतक शूंज गये और वे शब्द अवतक वहुतेरे जापानियोंकी जिहापर चिराजमान हैं।

घड़ीका लम्बक आगे जाता और फिर पीछे आता है। प्रचण्ड उत्तेजन के उपरान्त शिथिलता आही जाती है। फ्रान्स-में प्रजातन्त्र स्थापित हुआ, छाटे और बड़े सब एक कर दिये गये, पहलेके सरदार अब साधारण लोगोंके समान ही नागरिक कहे जाने लगे, परन्तु नेपोलियन बोनापार्टको जिस दिन राज्याभिषेक हुआ उसी दिन प्रजातन्त्रका अन्तहीसा हो गया और फिर चौदहवें लुईकी स्वेच्छाचारिताने अपना आसन जमाया<sup>१</sup>। जिस समय अंग्रेज़ अधिकाराभिलापिणी-त्वियोंने हाउस आफ कामन्सकी जालियोंमेंसे और अलवर्ट हाल्की कुरलियोंपरसे एक दल होकर निर्वाचनमतका अधिकार माँगा तो उस समय कई न्यियोंने अधिकार न देने की प्रार्थना भी सरकारसे की थी।

१. चौदहवें लुईने प्रान्सपर ( संवत् १७०० से १७७२ तक ) ७२ वर्ष राज्य किया। यह दृतिहासमें स्वेच्छाचारी राजके नामसे प्रसिद्ध हैं। संवत् १८४४ में फ्रान्समें सर्व प्रथम प्रजातन्त्र स्थापित हुआ। तबतक फ्रांसके सरदार धी-पुरुष जनाव “मुस्यु”या “मादाम” बेगम कहे जाते थे। प्रजातन्त्रने इन्हें साधारण नागरिक बना दिया और ये भी “सितोयां” या नागरिक कहे जाने लगे। संवत् १८६१ में नेपोलियनने अपना राज्याभिषेक कराया और इस प्रकार प्रथम प्रजातन्त्रका अन्त हुआ।

## १४० जापानकी राजनीतिक प्रगति

प्रजासत्ताक शासनके आनंदोलन आरम्भ होनेके पूर्व सार्व-जनिक सभाओं या समाचारपत्रोंकी स्वाधीनतामें कुछ भी अड़ंगा नहीं था। पर संवत् १९३२ में समाचार पत्र संवंधी विधान बनाया गया जिससे समाचारपत्रों और पुस्तक प्रकाशकोंकी स्वाधीनता बहुत ही मर्यादित हो गयी। १९३७ में सभा और समाजका कानून बना जिससे सब सार्वजनिक सभाएँ और राजनीतिक सभायें पुलिसके पूर्ण तत्वावधानमें आ गयीं। १९३८ में यह कानून और भी कठोर बना दिया गया। वास्तवमें ऐसा स्यद्धर कानून जापानमें कभी न बना था।

इस कानूनके अनुसार प्रत्येक राजनीतिक संस्थाके लिये यह आवश्यक था कि वह अपने उद्देश्य, नियम, रचना, उपनियम इत्यादि तथा अपने समस्त सभासदोंके नामोंकी पुलिसको खबर दे। इतना ही नहीं, वलिंग जितने नये सभासद हों, सभासद होते ही प्रत्येकका नाम और उसके सभासे अलग होनेपर फिर उसका नाम पुलिसको बतला दें। राजनीतिक विषयमें कोई बात समझ लेना या व्याख्यान देना हो, उसके तीन रोज़ पहलेसे पुलिसकी आशा लेनी पड़ती थी। राजनीतिक व्याख्यान या चर्चाकी कोई सूचना बाँटना, किसीको सभामें आनेके लिये अनुरोध या आग्रह करना, किसीको निमन्वण-पत्र भेजना, किसी राजनीतिक दलकी कहीं कोई शाखा स्थापित करना, राजनीतिक दलोंमें परस्पर पत्र-व्यवहार करना या मैदानमें सभा करना एकदम मना था। चिशुद्ध साहित्यिक सम्मेलनों या परिषदोंमें यदि कहाँ कोई राजनीतिक प्रश्न निकल पड़ता तो उन्हें भी पुलिसका कोप-भाजन बनना पड़ता था। पुलिसको यह अधिकार दे दिया गया था कि वह सार्वजनीन शान्तिकी रक्षाकेनामपर चाहे जिस राज-

## संघटनान्दोलनका द्वितीय अधिनय १४५

नीतिक सभामें जाकर दखल दे, चाहे उसे स्थापित कर दे और चाहे उसे उठा दे। पुलिस स्वयं अभ्यान्तरिक सचिवकी आशासे बारंबार अपने इस अधिकारका उपयोग किया करती थी। बास्तवमें कानूनके शब्द उतने कड़े नहीं थे जितनी कड़ाई से उनपर अमल किया जाता था।

यह स्पष्ट ही है कि ऐसी श्रवस्थामें राजनीतिक दलोंको वृद्धि होनेकी आशा बहुत ही कम थी। सरकारकी नीतिही ऐसी थी कि राजनीतिक दलोंका उद्योगबल ही तोड़ दिया जाय क्योंकि इस समय जिन सरदारोंके हाथमें शासनसत्ता थी उन्हें यह भय था कि कहीं उदारमतवादी और प्रागतिक दोनों दल एक न हो जायें। यदि एकहो जाते तो उनके चिरुद्ध यह बड़ी भारी शक्ति सँझी हो जाती। इसमें सन्देह ही क्या है कि इन्हीं दलोंको एक न होने देनेके लिये ही इन्हें परस्पर व्यवहार करना मना कर दिया गया था।

लोगोंने यहांतक कहा कि इतागाकीको आग्रह करके सरकारने जो यूरपकी यात्रा करने भेज दिया उसका भी भीतरी मतलब यही था। उसके साथियोंकी इच्छा नहीं थी तथापि १९३९ के कार्तिक मासमें इतागाकी गोतोके साथ यूरपकी ओर रवाना हो गये। उनके जाने पर उदार मतवादियों और प्रागतिकोंमें खूब तू तू मैं मैं आरम्भ हुई। प्रागतिक दलके (जिसके ओरूमा नेता थे) एक समाचारपत्रने इतागाकी ओर गोतोपर यह दोष लगाया कि सरकारी सर्वसे ये लोग यूरपकी यात्रा करने गये हैं। इससे उदारमतवादियोंके दिमाग भड़क उठे और उन्होंने ओरूमा ओर उनके दलपर प्रत्यक्षमण करना आरम्भ किया। उन्होंने यह कहा कि प्रागतिक दलवालोंसे मिल्सु विशि कम्पनीका कुछ भीतरी सम्बन्ध है ओर कम्पनी

## १४२ जापानकी राजनीतिक प्रगति

ने जो इतना धन बटोरा है इसका कारण यह है कि जब श्रो-  
क्लमा सरकारी काम पर थे तब उन्होंने सरकार से इस कम्पनी-  
को रुपया दिलाया था। यह निश्चय रूप से तो नहीं कहा जा  
सकता कि सरकारने या उस पक्षके लोगोंने इन दलोंमें घोर  
विरोध उत्पन्न करनेके लिये ही इतागांकी श्रीर गोतोको खर्च  
देकर या दिलाकर यूरप जानेका आग्रह किया, पर इसके  
लिये तो प्रमाणका अभाव नहीं है कि कुछ सरकारी अफसर  
इस भगड़ेको बढ़ानेका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न अवश्य  
करते थे।

अस्तु, कुछ समयके लिये तो इन दो प्रचरण दलोंकी एकता  
होनी असम्भव हो गयी। प्रत्युत उनमें विवाद ही बढ़ता गया  
श्रीर परस्पर ऐसा विरोध फैला कि जिससे राजनीतिक दल  
मात्र की बदनामी होने लगी।

सरकारने लोगोंके राजनीतिक प्रयत्नोंके दबानेमें और भी  
कड़ाईसे कार्य लेना आरभ किया। संवत् १९४० के वैशाखमें  
समाचारपत्र संवंधी विधानमें परिवर्तन किया गया। पहलेके  
कानूनके अनुसार समाचारपत्रोंके लेखोंके लिये अकेला सम्पादक ही उत्तरदायी होता था, परन्तु अब उस कानूनमें जो परिवर्तन हुआ उससे सिफ़्र सम्पादक ही नहीं, बल्कि उसका  
मालिक और उसका कार्याध्यक्ष भी आज्ञेपयुक्त लेखोंके लिये  
दण्डित होने लगा। जो लोग समाचारपत्र निकालना चाहते  
उन्हें ज़मानत के तौरपर कुछ रुपया सरकारमें जमा करना  
पड़ता था। यह रकम इतनी बड़ी होती थी कि समाचारपत्र  
निकालनेकी कोई काहेको हिम्मत करे। इसके अतिरिक्त  
कानून इतनी कड़ाईके साथ अमलमें लाया जाता था कि  
हँसी मज़ाक, वाकचातुर्य, श्लेष या व्यङ्गोक्ति भी मानहानि-

## संघटनान्दोलनका द्वितीय अभिलय १४३

को कोटि में आ जाती थी। प्रतिदिन कोई न कोई समाचार-पत्र बन्द हो जाता, उसका छपना रुक जाता। सम्पादक, सञ्चालक या प्रबन्धकर्ता पकड़े जाते और ज़ेलखानेमें बन्द किये जाते।

सरकारने अपनी दृष्टिसे यह सब चाहे उचित ही किया हो पर इसमें सन्देह नहीं कि इससे समाचारपत्रोंकी और राजनीतिक दलोंकी प्रगतिका मार्ग बहुत कुछ रुक गया जिससे लाकतन्त्र शासनकी शिक्षाके कार्यकी बड़ी भारी हानि हुई, क्योंकि राजनीतिक दलोंसे और समाचारपत्रोंसे ही तो यह शिक्षा सर्वसाधारणको प्राप्त होती है। छापाखाना संवधी कानूनके बोझके मारे बहुतसे समाचारपत्र दब गये और फिर उठ नहीं सके, और जितने राजनीतिक दल थे वे एक एक करके टूटने लगे, क्योंकि सार्वजनिक सभा और समाजोंके कानून और पुलिसकी असह्य कुदृष्टिके सामने वे ठहर न सके और उन्हें अपने अस्तित्वसे हाथ धोना पड़ा<sup>१</sup>।

इद्दी यह भी कह देना आवश्यक जान पड़ता है कि राजनीतिक दलोंको दबा देनेको जो कठोर उपाय किये जा रहे थे उनसे गरम दल बालोंमें बदला लेनेकी आग भभक उठी। उन्होंने बड़ा उत्पात मचाया और जैसी हालत थी उसे और भी भयंकर कर दिया। वे फूंसकी राज्यकांतिका स्वप्न देखने लगे,

१. संवद १६४०के भाद्रपद मासमें संघटनात्मक प्रागतिक दलका अन्त हुआ। पहले तो कई सभासदोंने इसे चलानेका ही आग्रह किया, पर जब ओकूमाने ही इस्तीफा दे दिया तब दल तोड़ना ही ठीक समझा गया। १६४१ के आश्विनमें उदारमतवादियोंने भी उसका अनुकरण किया। इसी समय, संघटनात्मक साम्राज्यवादियोंका दल भी टूट गया।

## १४४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

और यह घोपणा करने लगे कि “विना रक्त वहाए स्वाधीनता नहीं मिलती”। यहां इन ऊधम उत्पातोंका वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं है। कैवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि सरकारका ध्वंस करनेके लिये गुप्त मण्डली कायम हुई।<sup>१</sup> राज्यकान्तिकारी सेनाएँ तैयार करनेके लिये पड़यन्त्र रचे गये, मन्त्रियोंको मार डालनेके प्रयत्न हुए, और कोरियामें बलवा खड़ा करनेका भी उद्योग हुआ<sup>२</sup>।

१. सरकारके विस्तृ पुकुशिमा प्रदेशमें भी एक बड़ा भारी पड़यन्त्र हुआ था। इसका कारण यह हुआ कि वस प्रदेशका गवर्नर मिशिया सूयो प्रादेशिक समितिकी कोई वात न सुनकर मनमानी कार्रवाई करने लग गया जिससे लोग चुत ही चिढ़ गये और गरम दलवालोंने ऐसी स्वेच्छाचारी सरकारके विरुद्ध बलवा करनेके निमित्त पड़यन्त्र रचा। यह पड़यन्त्र पकड़ा गया और उसके छः नेता छः सात वर्षके लिये जेल भेज दिये गये। इस पड़यन्त्र वालों की शपथ हस प्रकार थी—१. हम प्रतिज्ञा करते हैं कि स्वेच्छाचारी सरकारको नष्ट करके प्रातिनिधिक शासक मण्डल निर्माण करेंगे। २. हम प्रतिज्ञा करते हैं कि इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये अपने प्राण और सर्वस्वको देनेमें तथा अपने परिवारका स्नेह भी छोड़ देनेमें आगा पीछा न सोचेंगे। ३. हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने दलकी सङ्घटन और निर्णयके अनुसार ही चलेंगे। ४. हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक हमारा उद्देश्य सिद्ध न हो लेगा तबतक अपना दल भज्ज न करेंगे, चाहे कैसी ही कठिनाई और विपत्ति क्यों न आ पड़े। ५. हम यह भी प्रण करते हैं कि जो कोई इस शपथकी रक्षा करनेमें वृद्धि करेगा और हमारे गुप्त नियमोंको प्रकट कर देगा उसे अपना प्राण अपने ही हाथों लेना होगा।

२. कोरियामें बलवा करनेका उद्योग ओइ केन्तारो और इसके साथियों ने किया था। जापानके इतिहासमें यह “ओसाकाका मामला” के नामसे प्रसिद्ध है। इन लोगोंके मस्तिष्कमें फूंसके “स्वाधीनता, समता, और एकता” के भाव भर गये थे। सरकारकी लड़ाईसे जब उनके बड़े बड़े उद्योग मिट्टीमें

## संघटनान्दोलनका द्वितीय अभिनव १४५

पर पुलिसका ऐसा बड़ा घन्देवस्त था कि गुत्त प्रथमों और पड़यन्त्रोंका कार्यपथपर आनेसे पहले ही पता लग जाता था। प्रथः ऐसा होता था एक ५०। ६० आदमी एक साथ पकड़े जाते और उन्हें बहुत ही भयङ्कर दरड़ दिया जाता था। कोई चुः सात वर्षके लिये और कोई जन्मभरके लिये जेलमें सड़ने भेज दिये जाते। कावायामावाले मामलेमें जिसमें राष्ट्रविप्लव करनेका पड़यन्त्र किया गया था, पड़यन्त्रियोंपर राजनीतिक अपराधके बदले खून और डाकेजनीका इलज़ाम लगाया गया<sup>१</sup>। इस प्रकार सरकारी अफसर जो मनमें आता कर डालते थे, उन्हें रोकनेवाला कोई नहीं था। हर

मिल गये तब वे बहुत ही निराश और उत्तेजित हुए और उन्होंने सोचा कि यदि कोरियामें जाकर वहाँके प्रागतिक दलकी सहायता करके प्रजातन्त्रकी स्थापना कर सकेंगे तो लापानमें भी अपना चल वह जायगा। वे शक्त्रास्त्र और गोला चाढ़ लेकर श्रीसाकामें जहाज पर बैठ रवाना हो ही चुके थे कि उसी बीच उनका भेद खुल गया। संवद १९४२ के मार्गशीर्ष मासकी यह बात है कि ३७ पड़यन्त्री श्रीसाकामें पकड़े गये थे।

१. संवद १९४१ के आखिन मासमें कावायामाके कुछ बदार-मतवादियोंने एक राष्ट्रविप्लव सेना खड़ी की। एक सूचना निकालकर उन्होंने सर्वसायारणसे कहा कि स्वेच्छाचारी सरकारके विरुद्ध शस्त्र ग्रहण करो और हमारे दलमें आजाओ। सूचनापत्रमें लिखा है कि सरकार इसलिये है कि वह लोगोंकी स्वातीनता और जन्मसिद्ध अधिकारोंकी रक्षा करे, इसलिये नहीं है कि उन्हेंको सतानेके लिये अन्यायकारी कानून बनावे। बड़े शोककी बात है कि अवतक सन्धि संशोधन नहीं हुआ न राष्ट्रीय परिषद् ही स्थापित हुई। शासनसूत्र कुछ अफसरोंके हाथमें है जो राजदर्शकी मर्यादाको विशेष कुछ नहीं समझते। ६०से अधिक लोग इस मामलेमें पकड़े गये और उनपर खून और डाकेजनीका मुकदमा चला।

## १४६ जापानकी राजनीतिक प्रगति

समयके लिये वे पहिलेसे ही तैयार रहते थे। वे कानून बना सकते थे, उसे तोड़ भी सकते थे।

सरकारकी इस मनमानी घरजानीके विरुद्ध बहुत कुछ कहा जा सकता है। परन्तु यह ध्यानमें रखना होगा कि सरकारको देशमें शान्ति बना रखनी थी और वह भी ऐसे समय जब कि बहुतसे ऐसे राजनीतिक आततायी थे जो हर उपायसे अपने राजनीतिक सिद्धान्तोंके अनुसार शासन-यन्त्र स्थापित करनेकी चिन्तामें थे। यह भी सच है कि जिस समय एक औरसे सरकार कडाईके साथ राजनीतिक आन्दोलन और प्रचार कार्यको दबा रही थी उसी समय दूसरी औरसे मुख्य मुख्य सरकारी राजनीतिज्ञ प्रतिज्ञात शासन प्रवन्धके निर्माण करनेमें लगे हुए थे।

संवत् १९४०के भाद्रपद मासमें, इतो हिरोबुमी यूरोपसे लौट आये और शासन संवंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा मन्त्र-मण्डलका नवीन सङ्कटन करनेमें लग गये। इतो पाश्चात्य देशोंकी राजनीतिक संस्थाओंको समझनेके लिये गये थे और वे १८ महीने इसी काममें लगे रहे। सबसे अधिक उनका निवास जर्मनीमें हुआ। कहते हैं की जर्मनीमें रहते हुए प्रिन्स विस्मार्क-पर<sup>१</sup> उनकी बड़ी श्रद्धा जम गयी और उन्होने वहां उस महान्

१ प्रिन्स विस्मार्क—जन्म संवद् १८७२, मृत्यु १९५७। जर्मनीके सब राज्योंको प्रशियाके अधीन करके जर्मनीको एक महान् बलशाली राष्ट्र बनाने वाले अपने समयके अद्वितीय राजनीतिज्ञ प्रिन्स विस्मार्क यही हैं। यह कठर राजभक्त और परमदेशभक्त थे। वंशपरंपराके अधिकारसे संवद् १९०४ में ये वर्लिनकी राजसभाके सभासद हुए। १९१७ में इन्होने रूसमें जर्मनी की ओरसे एलचीका काम किया। १९१६ में फ्रांसमें राजदूत बनाकर भेजे गये। शीघ्र ही वहांसे बुलाये जाकर जर्मनीके वैदेशिक सचिव बनाये

## संघटनान्दोखनका वितीय अभिलय १४७

राजनीतिक्ष तथा प्रशियाके शासकवर्गकी शासनप्रणालीका बड़े ध्यानसे निरीक्षण किया ।

प्रजातन्त्र शासनप्रणालीके प्रवर्तनमें उन्होंने पहला काम यह किया कि जापानके सरदारोंको उनकी परम्परागत प्रतिष्ठासे पुनः भूषित किया । संवत् १९२४के पुनःस्थापन और तदुपरान्तके दामिश्रोके शासनान्तसे समस्त तालुकेदारों ( दामिश्रो ) और दरवारके सरदारोंकी प्रतिष्ठा और मान मर्यादाका कोई

गये । चार वर्ष उपरान्त आस्ट्रिया और प्रशियाके बीच ज़मीनके बारेमें झगड़ा चल पड़ा । युद्ध हुआ । उस समय विस्मार्कही प्रशियामें मुख्य सूचधारी थे । इस युद्धमें प्रशियाकी जीत हुई । तबसे आस्ट्रिया जर्मनीसे दबकर चलने लगा । १९२४ में विस्मार्क मुख्य मन्त्री हुए । इसके तीन वर्ष बाद फ्रान्स-जर्मन युद्ध हुआ जिसमें जर्मनीने अद्भुत पराक्रम दिखलाकर फ्रान्सको विलकुल ही दबा दिया । इसका भी श्रेय विस्मार्क ही को दिया जाता है । प्रिन्स विस्मार्क जैसे चंतुर राज-नीतिक्ष थे वैसेही युद्ध कलाके जाननेवाले भी थे । केवल जर्मनीमें ही नहीं, सारे यूरपमें उस समय विस्मार्ककी बातको काटनेवाला कोई नहीं था । जापानके प्रिन्स इतो जिन्हें जापानका विस्मार्क कहते हैं, एक प्रकारसे इन्हींके शिष्य थे । इनको नीति खड़हस्त नीति ( “ खून और लोहे की नीति ” ) कही जाती है । इनका यह विश्वास था कि खड़हस्त रहने ही से हमारे साथ कोई अन्याय नहीं कर सकेगा । इसलिये जब जब यह राजनीतिक बातचीत किसी देशसे आरम्भ करते थे तो उस बातचीतके पीछे जर्मनीका खड़ आतक का काम करता था । परन्तु यह परदेशादरणके भूखे नहीं थे, क्योंकि आस्ट्रिया जब युद्धमें हारा और जर्मन सेनापतियोंने इस बातपर ज़ोर दिया कि आस्ट्रियाकी राजधानी वियेनापर अब चढ़ जाना चाहिये तब विस्मार्कको बहुत दुःख हुआ । यहाँ तक कि जब बादशाह भी सेनापतियोंकी इन बातोंको सुनने लगा तो उन्होंने वियेनापर चढ़ाइ करनेके बदले मर जाना हो अच्छा बतलाया । यह ‘ अति ’ के बड़े विरोधी थे । हृदयके बड़े सच्चे थे । राजकाजमें जब इन्हें भूठ बोलना पड़ता था तो इन्हें बहुत दुःख होता था ।

## १४८ जापानकी राजनीतिक प्रगति

दरवारों चिह्न न रहा था। अर्थात् दरबारके सरदारों और पूर्वके दाभिश्चाँ लोगोंका वैशिष्ट्य दिखलानेवाली उपाधियाँ आदि नहीं थीं, यद्यपि समाजिक व्यवहारमें परम्पराको लीक मिट नहीं गयी थी। संवत् १९४१के श्रावण मासमें इतोकी सलाहसे पाश्चात्य ढङ्गपर प्रिन्स, मारकिस, काउण्ट, बाइ-काउण्ट और वेरनकी सम्मानवर्धक उपाधियाँ नवीन निर्माण की गयीं और पुराने दरवासियों और पूर्वके तालुकेदारोंको उनकी परम्परागत प्रतिष्ठाके अनुसार इनसे भूषित किया गया और जिन लोगोंने पुनः स्थापनामें महत्वपूर्ण कार्य किये थे वे भी “सरदार” बनाये गये। उस समय पुराने और नवीन बनाये सरदारोंकी संख्या ५०५ थी। सरदारोंकी इस पुनर्मान प्राप्तिसे इतो सरदारोंमें और सरकारी दरवारोंमें बहुत ही प्रिय हो गये।

इसके बाद उन्होंने मन्त्रिमण्डलका ढाँचा बदला, जिससे उसं प्रणालीके अनुसार मन्त्रिमण्डलका कार्य हो जिसके निर्माण होनेकी बात थी। अबतक शासन-प्रबन्धमें बड़ीही गड़वड़ थीं क्योंकि शासनके जितने विभाग थे उनका कार्य ठीक ठीक बँटा हुआ नहीं था। एक विभागका कार्य दूसरे विभागके दस्तरमें जा पहुँचता था। फिर भी सब विभागोंके मन्त्री परस्पर विलकुल स्वतन्त्र थे पर और कोई एक मन्त्री ऐसा नहीं था जो समस्त राज्यकार्यके लिये उत्तरदायी हो। प्रधान मन्त्री (दाइजो दाइजिन) जो थे वे बैठे बैठे कानून बनाया करते थे और हुक्म दौड़ाते थे पर राज्यकी नीतिको सँभालने या चलानेका काम नहीं करते थे। नवीन मन्त्रिमण्डलमें प्रधान मन्त्री अध्यक्ष मन्त्री (नाईकाकू सोरीदाइजिन) हुए और जर्मनीके प्रधानाध्यक्ष (चान्सेलर) के समान राष्ट्रकासमस्त

## संघटनान्दोलनका द्वितीय अभिनव १४६

कार्यभार इतपर रखा गया। भिन्न भिन्न विभागोंके मन्त्री इनके प्रत्यक्षाधीन हुए और इनके सामने अपने अपने विभागके लिये जिम्मेदार बनाये गये। इतो स्वयं जापानके नवोन मन्त्र-मण्डलमें प्रथम अध्यक्ष मन्त्री हुए।

इसके बादका सुधार इन्होंने यह किया कि सरकारी ओहदे-के लिए उचित परीक्षा लेनेका प्रबन्ध रखा। शब्द तक सिफारिशसे काम होता था। जिसपर वडे लोगोंकी छपादिशि हो जाती उसीको वडा ओहदा मिल जाता। बिना छुलकपटके उच्च पदका प्राप्त होना असम्भव था। राजनीतिक आनंदोलन करनेवालोंके असन्तोषका यह भी एक कारण था और इसीसे उन्हें सरकारपर आक्रमण करनेकी वहुतसी सामग्री मिल जाती थी। इस सुधारका उस प्रतिशात राज्यप्रणालीसे यद्यपि कोई सम्बन्ध नहीं था तथापि सरकारी कामोंपर सिफारशी लोगोंकी भरतीका कम इससे रुक गया और शासनचक्रमें वडे वडे सुधार हो सके।

इस प्रकार लोकतन्त्र राज्यप्रणालीकी स्थापनाको लद्य करके वरावर सुधार हो रहा था तथापि सरकारकी वैदेशिक नीतिके कारण उसकी घड़ी ही निन्दा होने लगी।

संवत् १९४२ के पौषमासमें तिओलकी सन्धिसे तथा उसी वर्षके वैपाक्षमें तीनस्तीनकी सन्धिसे सं० १९३८-३९का कोरिया प्रकरण और तज़ित चीनप्रकरण, जब शान्त हो चुका तब सरकारने पाश्चात्य राष्ट्रोंकी सन्धियोंके संशोधनका कार्य उठाया जिसपर जापानमें आकाश-पाताल एक हो रहा था। मार्क्स इनोउर्यी उस समय वैदेशिक मन्त्री थे। उनका यह ख्याल था कि सन्धि-संशोधन करानेका सबसे अच्छा उपाय पाश्चात्य राष्ट्रोंको यह विश्वास दिलाना है कि जापान

## १५० जापानकी राजनीतिक प्रगति

पाश्चात्योंके कानून, संस्थाएँ, आचार-विधार और रहन सहन सब कुछ स्वीकार करनेके लिये तैयार है। इसलिये सन्धि संशोधनके पूर्व वे यह आधश्यक समझते थे कि देश स्विसे पैर तक यूरपके ढाँचेमें ढल जाय। उसके विधार और लद्यके साथ उसके साथी भी सहमत हुए, और देशका युरोपीकरण बड़े भारी परिमाणपर आरम्भ हुआ। युरोपीयों द्वारा देखा देखी सामाजिक सम्मेलनोंके लिये तो किंचिंत्रामें सरकारी सर्वसे “रोक्कमेइक्वाँ” नामका एक सार्वजनिक विशाल भवन बन गया। यूरपके नाचनेका ढङ्ग दिन रात सिखलाया जाने लगा, खियोंको भी युरोपीय ढङ्गकी पोशाक पहननेका और बाल बनानेका शौक सरकारकी ओरसे दिलाया जाने लगा। उद्यानोंमें साथ भोजन और चित्र विचित्र वस्त्रोंको पहिनकर नाचनेकी प्रथा जापानी समाजमें प्रवेश हो गयी। पाठशालाओंके पाठ्य विषयोंमें विदेशी भाषाओंकी पढ़ाईका समावेश हुआ, और अंग्रेजी भाषाको व्रहण करलेने और अपनी मातृभाषाको त्याग देनेकी भी बहुतसे पाश्चात्य सभ्यताके प्रेमियोंने सूचना दी और उसका पक्ष समर्थन किया।

इस प्रकार युरोपीकरण इस आडम्बरपूर्ण पद्धतिका उपक्रम होने लगा था और पाश्चात्य सभ्यताके चारों ओर युण गाये जा रहे थे जब सन्धियोंके संशोधनार्थ विदेशीय राष्ट्रोंको निमन्नण भेजा गया। संवत् १९४३के बैपाल मासमें सन्धिसम्बन्ध प्रतिनिधियोंसे और जापानी वैदेशिक मन्त्रीसे वातचीत आरम्भ हुई। कई बैठकें हुईं और अन्तमें सब बातें तै भी हो गयीं। पर जब वह मसविदा लोगोंके सामने आया तब तो लोगोंमें बड़ा ही असन्तोष फैला। इसका मुख्य कारण यह था कि इसमें जापानी न्यायालंबीओंमें विदेशी न्यायाधीशों-

## संघटनान्दोलनका द्वितीय अभिनय १५५

को नियुक्त करनेकी भी एक शर्त थी। मन्त्रिमण्डलके बहुतेरे मन्त्री इस मसविदेसे असन्तुष्ट थे। चासोनाड नामके एक फरांसीसी न्यायतत्वज्ञ जो एक नवीन धर्मसंग्रह बनानेकेलिये न्यायविभागमें नियुक्त किये गये थे, उन्होंने भी मसविदेमें कई दोष दिखलाकर कहा, कि ऐसी सन्धि करना ठीक न होगा। पुराणप्रिय दलवालोंने भी जो सदा सरकारके पक्षमें रहते थे, इस बार बड़ा धोर विरोध किया। सभावतः ही वे लोग युरोपीकरणके सर्वथा प्रतिकूल थे। उन्होंने संशोधनपरही असन्तोष प्रकट नहीं किया बल्कि जिन उपायोंसे वैदेशिक सचिव सन्धि-संशोधनका प्रयत्न कर रहे थे उन उपायोंका भी उन्होंने खूब खरड़न किया। परिणाम यह हुआ कि काउण्ट इनोउयीने राष्ट्र प्रतिनिधियोंको बातचीतके एकबारगी ही स्थगित होनेकी सूचना देकर संबूद्धके शावण मासमें आप स्वयं इस्तीफा देकर अलग हो गये।

सरकारी इस भूलसे राजनीतिक आन्दोलन करनेवालोंको अच्छा मौका हाथ लगा। जो लोग राजनीतिक दलोंके दूष जानेसे देशमें तितर चितर हो गये थे वे सन्धि संशोधनके चादचिवादसे उत्साहित होकर राजधानीमें आकर जमा होने लगे। उसी समय दाइदोदाङ्केत्सु अर्थात् ‘प्रवल एकता-चादीदल’ समृद्धि हुआ और गोतो उसके नेता हुए। अनुयायियोंकी कमी न थी—उदारमतवादी, प्रागतिक, साम्राज्यवादी, और पुराणप्रिय (इस नामका वस्तुतः कोई दल नहीं था परन्तु इस विचारके लोग थे) —ये सब इस दलमें शामिल हो गये। सच पूछिये तो इसको दल कहना इसके विराट रूपको कम करना है। इसे उन लोगोंका जमाव कहना चाहिये जो सरकारी विदेशप्रतिनीतिसे असन्तुष्ट थे। गोतो, इता-

## १५२ जापानकी राजनीतिक प्रगति

गांधीके समान अपने सिद्धान्तोंके पक्के नहीं थे, न श्रोकुमा-  
के समान गम्भीर विचारके ही पुरुष थे। ये रेवेस्पियरी<sup>१</sup>  
के ढङ्के आदमी थे। इनमें उत्साह बहुत था। आवेग भी  
खूब था और लोगोंको अपने अनुकूल बनालेनेकी वशी-  
करण विद्या भी इनके पास थी। १९२८ में शोगून केकीको  
समझाकर शासनसत्ता सम्बाट्को अर्पण कर देनेके लिये उन्हें  
ठीक करनेवाले व्यक्ति यही गोतो थे। १९३० में इन्होंने दरवार-  
से इस्तीफा दे दिया और इतागाकीके साथ शासन-  
प्रणालीसुधारके आन्दोलनमें सम्मिलित हो गये। सन्धि-  
संशोधनके काममें जब सरकार विफल हुई तब इन्होंने  
लोगोंसे कहा कि अब छोटी छोटी बातोंके लिये भगड़ना छोड़  
दो और सरकारका विरोध करनेके लिये एक होकर खड़े हो  
जाओ। महाशय तो यार्दीने कहा है कि झुएडके झुएड लोग  
आकर, विना सोचे, विना समझे, विना किसी उद्देश्यके,

- 
१. रेवेस्पियरीका पूरा नाम था माक्समिलिअम रेवेस्पियरी।  
संवत् १९१५ में प्रांतमें इसका जन्म हुआ और संवत् १९४१ में इसकी मृत्यु  
हुई। प्रान्तके राष्ट्रविहवमें इसने प्रधान भाग लिया था। और इसी विषयमें  
इसका अन्त भी हुआ। इसने वकालतकी शिक्षा पायी थी और इसीका  
बदौलत उसकी लोकप्रियता और प्रसिद्धि बहुत जल्द बढ़ी और खूब  
बढ़ी। कान्समें इसने अपना रंग खूब जमाया था। जो लोग राजतन्त्रके  
विरोधी थे वे इसके पक्षमें हो गये थे और इसको मानते थे, क्योंकि यह  
वादयाहुको मार डालनेका उपदेश दिया करता था। संवत् १९४० में यह  
“राष्ट्रव्यास-सभा” का मन्त्री हुआ और तब तो इसने अन्धेर करना आरम्भ  
कर दिया। जिसको चाहा क्रांसीपर लटका दिया। प्रतिदिन ३० आदमीके  
हिसावसे उसके शव और प्रतिस्पर्द्धी सूलीपर चढ़ाये जाते थे। परन्तु एकही  
वर्षमें उसपरसे राज्यसूत्रधारियोंका विश्वास टूट गया और अन्तमें उसीके  
सूलीपर चढ़ना पड़ा।

## संघटनान्दोलनका द्वितीय अभिनय १५३

केवल इनकी आकर्षणशक्तिसे स्विचकर इनके दलमें भरती होने लगे। इससे बड़ी स्वलपली और हलचल मचने लगी, क्योंकि बहुतसे आन्दोलनकारियोंने इस अवसरसे लाभ उठा कर अपना उद्योग पुनः आरम्भ किया। इतागाकी और उसके अनुयायियोंने पुनः एक प्रार्थनापत्र स्वरक्तारके पास भेजा और वाक्स्वातंत्र्य तथा सभासमाजस्वातंत्र्यको कठोर वन्धनोंसे मुक्त करने और सन्धियोंका शीघ्र संशोधन करानेकी प्रार्थना की।

संवत् १९४२ के पौषमासमें शान्ति रक्षाकानून (हो आन जोरेई) बना। पुनः स्थापनासे अवतक जितने कानून बने थे उनमें यही सबसे भयङ्कर था। इस कानूनके अनुसार गुप्त सभा समितियोंका करना बड़ी कठोरताके साथ रोक दिया गया और जो कोई इस कानूनका उल्लङ्घन करता उसे दो महीनेसे लेकर दो वर्ष तकका कैदका दण्ड दिया जाता था और साथ ही १० से १०० येन तक जुर्माना भी होता था।

यदि कोई ऐसी पुस्तकें या पुस्तिकाएँ लिखकर छपवाता कि जिनसे सार्वजनिक शान्ति भड़क होनेकी सम्भावना होती तो केवल लेखक ही सज़ा नहीं पाता था वहिक छापाखाना भी ज़ब्त कर लिया जाता था। इस कानूनमें एक धारा यह भी थी कि राजमहलसे सात भीलके अन्दर रहनेवाले किसी पुरुषपर यदि सार्वजनिक शान्ति भड़क करनेका सन्देह होगा तो वह तीन वर्षके लिये उस प्रदेशसे निर्वासित कर दिया जायगा।

जिस रोज़ यह कानून बना उसी रोज़ इसका अमल भी

१. यहां राजमहल कहनेका कारण यही है कि यह तोकिशो राजधानीके मध्यमें है। कोई यह न समझे कि राजनीतिक उपद्रवोंसे राजमहलकी रक्षा करनेके लिये कानूनमें राजमहलका नाम आया है। सम्राट् का तो इन सब बखेड़ोंसे कोई सम्बन्ध ही न था।

## १५४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

जारी हुआ। उसी रोज़ अन्तःप्रदेशके सचिव यामागाताकी आशासे पुलिसके अध्यक्ष जनरल मिशीमा सुयोने ५७० से भी अधिक मनुष्योंको निर्वासित कर दिया<sup>२</sup>। इन निर्वासितोंमें तोकिओके सभी मुख्य मुख्य राजनितिज्ञ और प्रचारक लोग थे। वास्तवमें इस कानूनने फौजी कानूनका नज़ारा दिखला दिया। जिन्होंने अपने निर्वासित किये जानेका सबव पूछा वे तुरत पकड़े गये और जेल भेज दिये गये। जिन्होंने अपने निर्वासित मित्रोंकी ओरसे अधिकारियोंके पास प्रार्थनापत्र भेजे उनकी भी वही गति हुई। राजधानीके नागरिकोंमें बड़ी घबराहट फैल गयी, बड़ी हलचल मच गयी, चारों ओर युलिसका पहरा वैठ गया, प्रत्येक सरकारी विभागके कार्यालय और मन्त्रीके मकानकी रक्काके लिये फौजोंसि पाही पहरा देने लगे। तोकिओमें तो इस समय सब भयभीत थे। राष्ट्र विष्वके समय जैसी पैरिसकी दशा थी वैसी इस समय तोकियोकी हो गई।

पर इस वर्णनको पढ़ते हुए यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि सरकार जो इतनी कड़ाई कर रही थी इसका कारण केवल इतनाही था कि सन्धिके प्रश्नपर जो धोर आन्दोलन हो रहा था वह दब जाय। सच तो यह है कि जापानमें वैदेशिक नीतिपर टीकाकरनेवालोंसे सरकारका बड़ा ही कठोर व्यवहार होता है। सर्वसाधारण अपने राष्ट्रीय सम्मानका जितना विचार रखते

---

२. निर्वासितोंमें ऐसे ऐसे लोग थे—ओजाकी युकिओ ( वादको तोकिओके प्रधान ), हेशातोसु ( वादको प्रतिनिधि सभाके सभापति, मार्ग-प्रबन्ध मन्त्री, संयुक्त राष्ट्रसे वातचीत करनेवाले जापानी राजदूत ), हयाशी युजो ( मार्ग-प्रबन्ध-मन्त्री ), नाकाजिमा नोबुयुकी ( वाद को जो प्रतिनिधिसभाके सभापति हुए ), इत्यादि ।

## संघटनान्दोलनका द्वितीय अभिनय १५५

हैं उतना और किसी बातका नहीं। मालूम होता है कि इस नये कानूनकी निर्देशाको सरकार भी खूब समझती थी और वह यह भी जानती थी कि इससे लोग चिढ़ गये हैं। इसलिये समझौतेके ख्यालसे काउण्ट ओकूमाको सरकारने शासक-मरडलमें लेकर वैदेशिकसचिव बनाना चाहा। काउण्ट ओकूमा लगातार लोकपक्षपर अटल रहे। सरकार ने उनसे वैदेशिक सचिव बनने और सन्धिसंशोधनकी बातचीत करनेका भार ग्रहण करनेकी प्रार्थना की। काउण्ट ओकूमाने इस निमन्त्रणको स्वीकार किया लौर संवत् १९४६ के माघ मासमें वैदेशिक सचिवका कार्य भार ग्रहण किया।

लोकतन्त्र शासनप्रणालीके प्रवर्तनार्थ सामग्री भी सरकार प्रस्तुत कर रही थी। वैशाख मासमें मंत्र परिषद् (सुमत्सुइन) समाइट्को सलाह देनेके लिये स्थापित हुई। और दो दिन बाद इतो अध्यक्ष मन्त्रीका पद स्वागत नवीन मंत्र परिषद्के अध्यक्ष हुए और कृषिव्यवसाय सचिव कुरोदा अध्यक्ष-मन्त्री हुए। परिषद्के अध्यक्ष बननेमें इतोकी यह कामना थी कि शासन पद्धतिको जो मसविदा उन्होंने अपनी देखभालमें तैयार कराया था वह उनके ही सामने परिषद्में निश्चित हो जाय।

मन्त्र परिषदने शासनपद्धतिके मसविदेपर चिचार किया और उसेमंजूरकर लिया। तब समाइट्ने भी उसे मंजूरी दे दी। संवत् १९४६ (माघ मासमें) बड़े ही चित्ताकर्पक समारोहके साथ और समस्त सरदारों और उच्च राजकर्मचारियोंकी उपस्थितिमें खयं सम्प्राइने उसे घोषित किया। ऐसे मङ्गलमय उत्सवके उपलब्ध्यमें समस्त राजनीतिक बन्दी छोड़ दिये गये और इसे नवीन युगका उपःकाल समझ सर्वसाधारणे खूब आनन्द मनाया।

## १५६ जापानकी राजनीतिक प्रगति

इस प्रणाली की घोपणासे लेकर प्रथम सार्वजनिक निर्वाचन होने तक अर्थात् संवत् १९४७ (श्रावण मास) तक के बीच सन्धि-प्रश्नका विवाद पुनः उठनेके अतिरिक्त और कोई मार्केंकी घटना नहीं हुई। ओकुमाने विदेशीय राष्ट्र प्रतिनिधियोंसे कह सुनकर सन्धि संशोधनको जो नई शर्तोंका मस्विदा तैयार किया थौर जिन्हें सबसे पहले 'लरडन डाइम्स' (संवत् १९४६ के वैशाख मासके एक अंक) में<sup>१</sup> उसके संवाददाताने प्रकाशकर दिया। उनको देखते ही दरवारमें और दरवारके बाहर भी बड़ा विरोध होने लगा। जिस शर्तमें सबसे श्रेष्ठ न्यायालयमें विदेशी न्यायाधीश नियुक्त करनेकी वात थी उससे तो लोग बहुत ही असन्तुष्ट हुए। दरवारमें विरोध करनेवाले मन्त्र परिषद्के अध्यक्ष स्वयं इतोही थे जिनका यह कहना था कि यह वात नवीन शासनप्रणालीके अभिप्रायके सर्वथा चिरद्वंद्व है। कार्तिक मासमें ओकुमा मन्त्रिमण्डलकी सभासे विदेश संबंधी राज्यकार्यालयको जब लौट रहे थे तो उनकी गाड़ीपर किसीने वस फैका जिससे ओकुमाके दाहिने पैरमें बड़ा ज़ख्म हो गया। मन्त्रिमण्डलकी सभामें जिससे ओकुमा अभी लौटे थे, वही निश्चय हुआ था कि सन्धिका काम अभी स्थगित कर देना चाहिये। इस प्रकार ओकुमाको अपना पद छोड़ना पड़ा और फिर एक बार सन्धि-संशोधनकी वात चीत रुकी रह गयी।

ओकुमाके साथही अध्यक्ष मन्त्री कुरोदाने भी अपना पदत्याग किया। अब नया मन्त्रिमण्डल बनना आसान काम नहीं था क्योंकि सबको यह भय था कि सन्धि-संशोधनका काम न होनेसे राष्ट्रीय परिषद्के पहले ही अधिवेशनमें बड़ी बड़ी कठि-

## संघटनान्दोलनका द्वितीय अभिनय १५७

नाहियाँ उपस्थित होंगी और इसलिये किसीकी भी मन्त्रीपद ग्रहण करनेको हिम्मत नहीं पड़ती थी। पैष मासतक योही अनिश्चित अवस्था रही जब अन्तमें जाकर यामागाता मुख्य मन्त्रो हुए और मन्त्रिमण्डल सहित हुआ।<sup>१</sup>

इस समय वैदेशिक राजनैतिक मामलोंकी तुलनामें देशी मामले स्थिर और शान्तही रहे। किर भी एक विशेष मार्केंकी बात यह देखी गयी कि नवीन प्रणालीपर कुछ भी विचारपूर्ण टोकाटिम्पणी या आलोचना नहीं हुई। पुराने गरमदलवाले उदारमतवादी भी जो स्वाधीनता, समता और मनुष्यके जन्मसिद्ध अधिकारोंके लिये चिल्ला रहे थे उन्होंने भी नई राज्यप्रणालीकी सूच्म परीक्षा नहीं की। इसमें सन्देह नहीं कि इस समय सन्धि-संशोधनका ही सबका ध्यान था। पर हम तो यह समझते हैं कि राज्यप्रणाली की कोई आलोचना न होनेका मुख्य कारण यह था कि अभी लोगोंने स्वाधीनता, स्वसत्ता, मनुष्यके जन्मसिद्ध अधिकार और प्रातिनिधिक संस्थाओंको ठीक ठीक समझाही नहीं था। जापानियोंकी मनोवृत्ति भी अंशतः इसका कारण हो सकती है। जानकर हो या वेजानेही हो, उन्होंने सम्राट्की तात्विकसत्ताको सिर आँखें चढ़ा लिया था। सर्वसाधारणका यही ख्याल था कि पुनःस्थापनाके प्रतिशापत्रानुसारही सम्राट्ने नई शासनप्रणालीका दान दिया है। इसके साथही उन्हें इस बातका भी अभिमान हो गया था कि जापानने विना रक्तपातके ऐसा शासन प्राप्तकर लिया और इस कारण ये सूचमरीत्या इस प्रणाली की परीक्षा नहीं कर रहे थे।

---

१. जबतक स्थायीरूपसे कोई मन्त्रीमण्डल नहीं बना था तबतक प्रिन्स साझो अध्यक्ष-मन्त्रीका काम देखते थे।

## १५८ जापानकी राजनीतिक प्रगति

इसके अतिरिक्त देशके समस्त राजनीतिश, चाहे सरकारी काम करते हों या न करते हों, इसी चिन्तामें थे कि किसी प्रकार इस प्रणालीकी डॉगी पार लगे। वास्तवमें इतागाको तथा अन्य प्रभुख नेता व्याकुल होकर अपने साथियोंको समझा रहे थे कि ऐसे प्रणालोके प्रवर्त्तित हो जानेसे आप लोगोंपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ पड़ी है और इसलिये ऐसे समयमें सरकारसे विवाद न करनेमें ही देश की लाज रहेगी।

इस प्रकार नई शासनपद्धतिपर कोई टीकाटिप्पणी या निन्दा नहीं हुई। लोग बड़ी गम्भीरताके साथ उसकी ओर झुके और अपने भविष्य को बनाने में तत्पर हुए।

## चतुर्थ परिच्छेद ।

नवीनप्रणालीके निर्माता ।

इसके पहले दो परिच्छेदोंमें हमने नई प्रणालीकी व्योगणा होनेके पूर्वके आन्दोलनका वर्णन किया और विशेषकर उनलोगोंका जो सरकारी कर्मचारी नहीं थे और जो आन्दोलन करते थे, दल बाँधते थे और अपने सिद्धान्तोंका प्रचार करते थे। इस परिच्छेदमें भी वर्णनते उसी आन्दोलनका होगा परन्तु विशेषतः ऐसे लोगोंके सम्बन्धमें कि जो सरकार दरवारमें प्रमुख राजनीतिज्ञ और राष्ट्रनेता थे। इसमें हमारा अभिप्राय यही है कि जिन लोगोंने राज्यप्रणालीको निर्माणकर स्वीकृत किया उनके राष्ट्रीय विचार क्या थे, राजनीतिके किन सिद्धान्तोंको वे मानते थे और किस अभिप्रायसे उन्होंने यह कार्य किया इत्यादि यह सब यथासम्भव मालूम हो जाय।

नूतन प्रणालीके निर्माताओंमें हम केवल प्रिंसिप्स इतो जिनके अव्यक्ततामें नयी प्रणालीकी रचना हुई और वाईकाउन्ट इन्युएट की, जो कि इस पत्रके प्रधान लेखक थे और उनके साथी वाईकाउन्ट इतो मियोजी और कानेको किन्डारो इत्यादि को ही नहीं शामिल करते। हम इनमें उन सबका भी समावेश करते हैं जिन्होंने मन्त्र परिपदमें इस मस्विट्रेपर वादविवाद किया था। इस परिच्छेदमें हमें उनके व्यक्तिवसे कोई काम नहीं है, केवल उनके उसों विचार और भावनाको देखना है जिस विचार और भावनाके प्रभावसे उस राज्यप्रणालीके राजनीतिक सिद्धान्त

## १६० जापानकी राजनीतिक प्रगति

निश्चित हुए हैं कि जिसपर जापानकी प्रातिनिधिक शासन प्रणालीका स्वांस्थन निर्भर करता है। हम पहले उनके राजनीतिक विचारों और सिद्धान्तोंका परिचय प्राप्त कर उन वातोंकी—उन मनुष्यों और पदार्थोंको भी—परीक्षा करेंगे कि जिन्होंने आन्दोलनके ज़मानेमें प्रणालीके निर्माताओंको इस ओर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीतिसे प्रवृत्त कर दिया था।

यह पहले ही कहा जा चुका है कि वहुतसे जापानी नेताओंने यह मान लिया है कि इस लोकतन्त्र शासन प्रणालीका दान पुनःस्थापनाके समयकी सम्प्राट्टी 'प्रतिज्ञा' का ही पूर्वदृष्टि और प्रत्यक्ष फल था। इसमें सन्देह नहीं कि सर्व साधारण तो यही मानते हैं कि सम्प्राट्टने स्वयं ही अपने निरीक्षणमें इस शासनपद्धतिका निर्माण कराया है, जैसे अमरीका-चासियोंको यह धारणा है कि उनके पूर्वजोंने ही अमरीका-के लिये राजनीतिक समताके विचारसे सर्वसाधारणके उपकारार्थ ही लोकशासनकी पेंद्रति निर्माण की, यद्यपि इतिहास इस वातको प्रमाणित नहीं करता। लोगोंका यह ख्याल है कि अलौकिक बुद्धि सम्पन्न सम्प्राट्टने पुनःस्थापनाके समय ही यह जान लिया था कि आगे चलकर लोकतन्त्र शासनका प्रवर्तन करना होगा और इसलिये वे वरावर सरकारको उस ओर प्रवृत्त करते रहे। इसमें सन्देह नहीं कि पुनःस्थापनाके बादके कई राजाज्ञाएँ जैसे संवत् १९३३ में गेनरो-इन अर्थात् सेनेटके स्थापनाको राजाज्ञा, १९३५ में फूकेन-काई अर्थात् प्रादेशिक शासकोंको सभाके स्थापनाकी राजाज्ञा, तथा १९४६ में नई शासनपद्धतिके स्थापनाकी राजाज्ञा आदिका उल्लेख प्रतिशापनमें आता है पर इससे यह नहीं सावित होता कि जिस समय 'प्रतिज्ञा' की गयी उस समय इन

## नवीन प्रणालीके निर्माता

१६१

बटनांगेंका होना पहले ही मालूम हो गया था। इस अमूर्ख धारणाका हमने द्वितीय परिच्छेदमें पर्याप्त रीतिसे उत्तर दे दिया है।

परन्तु वह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि एक बातमें जापानकी प्रातिनिधिक शासनप्रणालीका इतिहास चीन, रूस, ईरान और स्लमसे वित्तकुल भिन्न है। इन देशोंके सम्राट्, राजमाता, ज़ार और सुलतान जितनी जल्दीसे लोकतन्त्र शासनपद्धतिके निर्माण करनेका वचन देते हैं उतनी ही जल्दी उसे बापस भी ले लेते हैं। पर जापानमें सम्राट्के वचनका अक्षरशः पालन हुआ है।

संवत् १९३१में लोकतन्त्र शासनका प्रश्न उठा और तबसे उस आन्दोलनकी प्रगति कभी पूर्ण लप्ससे कुँठित नहीं हुई यद्यपि समय समयपर गरम दलवालोंकी उद्धरण कार्यवाहयोंके द्वानेके लिये कड़ाई की गयी इसमें सन्देह नहीं। मन्त्रमण्डलमें जितने मुख्य मुख्य राजनीतिज्ञ थे वे सध प्रातिनिधिक शासन प्रणालीके प्रवर्त्तनके पक्षमें थे। विरला ही कोई विरोध करता था। राजवंशज प्रिन्स अरिसु-गावा, प्रिन्स लांजो श्रौर प्रिन्स इवाकुरा — मेजी-शासनमें प्रधान भाग लेकर काम करनेवाले ये ही लोग थे जो इस समय दरवारमें होते हुए लोकतन्त्र शासनका पक्ष ले रहे थे। सं० १९३०में ही श्रोकुमाके राष्ट्रीय परिपद्की स्थापनाकी सूचनाका इनमेंसे किसीने विरोध नहीं किया, यह विशेष मान्यता वात है। श्रोकुवों जो अभिनव जापानके एक बड़े भारी निर्माता हुए हैं और जो पुनःस्थापनाके कालसे अपने देहान्त (संवत् १९३५) तक दरवारमें प्रधाननेता रहे, गरम दलवालोंसे ज्ञवा और वेमेलका वर्ताव करनेके कारण

## १६२ जापानकी राजनीतिक प्रगति

कभी कभी सुधार-विरोधी समझे जाते थे। परन्तु १९३२ में जो शासकवर्गकी सभा (चीहो चिओकान काइगी) स्थापित हुई वह इन्हींकी बदौलत हुई। इसीसे मालूम होता है कि वे प्रातिनिधिक शासन प्रणालीके विरोधी नहीं थे। इतो कहते हैं कि ओकुबोका विचार या कि कुछ दिनोंमें देशको प्रातिनिधिक शासनप्रणाली यहां करनी चाहिये पर इससे पहले पूरी तैयारी भी हो जानी चाहिये क्योंकि वे कहते थे कि सैकड़ों वर्षोंसे जिनके आचार विचार और रहन सहन ताल्लुकेदार-शासनपद्धि तिके अनुकूल होते आये हैं उनके लिये एक एक ऐसी शासनप्रणालीको अपनालेना असम्भव है कि जिससे साम्राज्यकी सत्ता ही अन्तमें जाकर उनके हाथमें आनेवाली हो।

मेजी-शासनके पहिले दश वर्षोंमें ओकुबोके वाद किंदेका नाम आता है। लोकतन्त्र शासनका प्रश्न, जापानकी राज्यप्रणालीमें किंदेने ही उपस्थित किया। सं० १९३० में अर्थात् यूरपकी यात्रासे लौट आनेके कुछ ही दिन वाद इन्होंने मन्त्रमण्डलके सब सभासदोंके पास एक विज्ञसिपत्र भेजकर लोकतन्त्र शासनप्रणालीकी सूचना दी थी। इतागांकी और उनके सहान्दोलनकारियोंके द्वारा यही प्रश्न उठनेके एक वर्ष पूर्वकी यह वात है।

ओकुबो और किंदेके उपरान्त ओकुमाका प्रावल्य हुआ, पर वह बहुत थोड़े दिनोंके लिये, और उनके वाद इतो, इनो उयो, कुरोदा, यामागाता आदि लोग आये। इन्हींके अविश्वास्त परिश्रम और उद्योगका फल है जो आज जापान अपनी वर्तमान प्रातिनिधिक शासनप्रणालीके क्षणमें देख रहा है।

प्रातिनिधिक संस्थाओंको स्थापित करनेका उपक्रम सर-

## नवोन प्रणालीके निर्माता १६३

कारने इस प्रकार किया कि सबसे पहले प्रान्तीय शासकोंकी सभा निर्माण की। इतागांकीका लोकतन्त्र शासन-सम्बन्धी प्रथम आन्दोलन हुआ और उसीके बाद यह सभा बनी। इस सभाका पहला अधिवेशन संबत् १४३२के आपाद माहमें हुआ। इसमें जनदेह नहीं कि किसी प्रकार भी यह समिति सर्वसाधारणकी प्रतिनिधि-सभा नहीं थी, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रान्तोंके शासकोंकी अर्थात् राज्यकर्मचारियोंकी यह समिति थी। यह धर्म (कानून वनानेवाली) सभा भी नहीं थी, क्योंकि इसका काम सिर्फ़ इतना ही था कि केन्द्रस्थ सरकारको प्रान्तोंकी अवस्था चतला दें, स्थानिक शासनके सम्बन्धमें परस्पर वातें करलें, और सरकार जो विल उपस्थित करे उसपर ये लोग बाद विवाद करें यद्यपि उनके रायसे मुख्य सरकार वाधित न थी। फिर भी प्रातिनिधिक संस्थाओंका मार्ग इसने छुछ तो परिष्कृत अवश्य कर दिया। किंदोने तो उसी समय इस समितिमें अध्यक्षके नाते सार्वजनीन धर्म-सभाका प्रथ चर्चाकेलिये उपस्थित कर दिया था यद्यपि अधिक सभालोंने यही राय दी कि अभी देशकी दशा ऐसी नहीं है कि ऐसे उच्चत शासन सुधारका निर्वाह कर सके। यह कह सकते हैं कि इस समितिके सभासद राजकर्मचारी थे, अर्थात् प्रजाके प्रातिनिधि नहीं थे, पर यह भी स्वीकार करना चाहता है कि लोकतन्त्र शासनके पूर्वरूपके रूपसे ही इस समितिको स्थापना हुई थी। हाँ, इस समय यह सभा स्थानीयशासनमें प्रजाको विशेष अधिकार देनेके बदले अधिकारी वर्गका दबदवा ही बढ़ानेके काम आ रही है।<sup>१</sup>

१. साम्राज्य-सभा स्थापित हो चुकने पर भी यह शासक सभा बनी रही और अवतक है। पर जिस उद्देश्यसे यह स्थापित हुई थी उसका तो

## १६४ जापानकी राजनितिक प्रगति

जिस वर्ष प्रान्तीय शासक-सभाका प्रथम अधिवेशन हुआ उसी वर्ष शिष्टसभा (गेन्दो-इन) और प्रधान न्यायमन्दिर (ताइशिन-इन) भी स्थापित हुआ जिसमें शासनकार्यको तीन भिन्न भिन्न अंग हो। जायँ-प्रवर्तन, धर्मनिर्माण और न्याय उस समय जापानमें जो बड़े बड़े राजनीतिश और विचार शील पुरुष थे उनपर अभी मारेटेस्क्यूकी “इन तीन समपदस्य शासनांगों” के संस्कार जमे ही हुए थे और वे समझते थे कि सुशासनके लिये इस वर्गीकरणकी बहुत आवश्यकता है। अतएव प्रवन्ध कर्ताओंसे न्याय कर्ताओंको स्वतन्त्र करनेके लिये (ऐसा अलगाव करना उस समय सुसम्भव समझा जाता था) प्रथम न्याय-मन्दिरकी स्थापना हुई। शिष्टसभा धर्मनिर्माण के प्रस्तावोंपर बहस कर सकती थी पर उसे नये प्रस्ताव करनेका अधिकार नहीं था। इसमें ऐसे ही लोग थे जो सरदारों और अधिकारियोंसे मनोनीत किये गये थे। इसका काम यह था कि सरकार जितने कायदे कानून बनावे उनके मसविदोंको ये लोग देख-कर उस पर वादविवाद करें और कानूनके सम्बन्धमें राज्य-सचिवको अपनी राय घतलावें। यह तो नहीं कह सकते कि यह संस्या कार्यनिपुण थी और उसको अधिकार ही क्या था, तौ भी धर्म सभाओंके संघटनके सम्बन्धमें यह उपयुक्त विचारप्रद और शिक्षादायक सिद्ध हुई, इसमें सन्देह नहीं।

---

कुछ काम इसके रहा नहीं। जब कोई नया मन्त्रिमण्डल सङ्गठित होता है तो अन्तः प्रदेशके मन्त्री इसका अधिवेशन करते हैं और शासकोंको नवीन शासन नीतिकी शिक्षा देते हैं। इस सभाके द्वारा अधिकार प्राप्त राजपुरुष स्थानीय राज्यप्रबन्ध अपने ही मनसे चलाते हैं।

## लबीन शशालीके निर्माता १६५

संवत् १९४७ में साम्राज्य-सभाके प्रधम अधिवेशनतक वह बनी रही ।

लोकतन्त्र शासनके मार्गकी दूसरो भंजिल यह थी कि १९३५ में प्रान्तीय शासन सभाएँ स्थापित हुईं। जापानमें पाञ्चात्य ढङ्गपर प्रातिनिधिक संस्थाएँ स्थापित करनेका यह पहला ही उद्योग सरकारने किया ।

उस समय ४६ प्रान्तों(फू अथवा केन) को ४६ प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाएँ थीं। ये प्रतिनिधि अधिकारप्राप्त निर्वाचिकों द्वारा निर्वाचित किये जाते थे। २० वर्षसे अधिक उम्रवाले प्रत्येक व्यक्ति (पुरुष) के निर्वाचिनका अधिकार था जो कमसे कम ५ येन (  $\frac{7}{2}$  रुपया ) कर देता हो। (पाठशालाओंके शिक्षक, सैनिक, जन्मसूख, पागल, दागी आदि लोगोंको यह अधिकार नहीं था)। और रकमसे कम १० येन (१५ रुपया) देनेवाले २५ वर्षसे अधिक वयस् वाले प्रत्येक पुरुषको निर्वाचित होनेका अधिकार था। इन प्रतिनिधियोंके अधिकार-कालकी अवधि ४ वर्षकी होती थी। इनमेंसे आधे सभासदोंको प्रति दो वर्षमें सार्वजनिक निर्वाचन द्वारा निर्वाचित होकर आना पड़ता था। यह प्रान्तीय समिति प्रतिवर्ष एक मास बैठती थी। इसका मुख्य काम प्रान्तीय सरकारके आयव्ययकी जाँच करना, और स्थानीय कर बैठाने और व्यय करनेका मार्ग निश्चित करना था। पर इसका निर्णय मानना न मानना शासक या कभी कभी अन्तःप्रदेशके सचिवकी इच्छा पर ही निर्भर रहता था। समिति जब स्थापित हुई तब उसे धर्मनिर्माण का कोई अधिकार नहीं था, पर कुछ वर्ष बाद उसे यह अधिकार मिला। तथापि ये समितियां तथा नगर, कसबा और ग्राम

## १६६ जापानकी राजनीतिक प्रगति

आदिकी भी जो सभाएँ उसी वर्ष स्थापितकी गयी थीं वे भावी साम्राज्य सभा के लिये जिस शिक्षाकी आवश्यकता थी, उस शिक्षाके बहुत ही अच्छी साधन थीं और उन्होंने अपने अक्षित्वका उद्देश्य भी सफल कर दिखलाया।

इस प्रकार अब यह निःसङ्कोच कहा जा सकता है कि सरकारी कर्मचारी भी प्रातिनिधिक शासनके अनुकूल ही थे और उन्होंने उसका मार्ग निष्करणक करनेके लिये यथाशक्ति प्रयत्न भी किया। पर अब प्रश्न यह है कि उस समयकी परिस्थिति द्या थी जब नवीन शासन पद्धति निर्मित और खीझत हुई। उस समय इसके निर्माताओंके राजनीतिक विचार क्या थे, आदर्श क्या था और उनके सिद्धान्त क्या थे।

पिछले परिच्छेदमें यह बतलाया जा चुका है कि देशमें उस समय उदारसत्तवादी, प्रागतिक और प्रजातन्त्र साम्राज्य चारी ये तीन प्रधान राजनीतिक दल थे जिनके विचार और सिद्धान्त साम्राज्यकी सत्ता, समाजके अनन्याधिकार और धर्मनिर्माण-प्रणालीके सम्बन्धमें परस्पर विलक्ष भिज थे। यह भी कहा जा चुका है कि प्रजातन्त्र साम्राज्यवादियोंकी संख्या सबसे कम थी, क्योंकि अन्य दो दलोंके विलक्ष इन्होंने सरकारके पक्षमें अपना दल सहित किया था। लंख्यामें कम होनेपर भी सरकार उनके विचारोंको मानती थी।

इस समय भिज राजनीतिक सिद्धान्तोंका जो परस्पर विरोध था उसके सम्बन्धमें नवीन प्रणालीके प्रधान निर्माता इतो कहते हैं कि “एक और तो हमारे बड़े बड़े लोग थे जो अबतक ‘नाविष्टुः पृथ्वीपतिः’ का सिद्धान्तही मानते चले आते थे और यह समझते थे कि समाजके अधिकारोंको

## नवीन प्रणालीके निर्माता १६७

मर्यादित करना सरासर राजद्रोह है। दूसरी ओर बहुतसे सुशिक्षित नवयुवक थे जिन्होंने पाश्चात्य राजनीति दर्शनके उदारतम सिद्धान्तोंकी शिक्षा पायी थी। ऐसे भी राजनीतिशैलीका अभाव नहीं था जो शासनकार्यके भार और उच्चरदायित्व को तो समझते नहीं थे, और मार्टिस्क्रू तथा ल्सोके सिद्धान्तोंसे विलक्षुल चाँधिया गये थे? और अधिकारीवर्ग ऐसा था कि जर्मनीके विद्वानोंके सिद्धान्तही उसे मान्य होते थे ( इन सिद्धान्तोंके मुख्य प्रतिपादक डाकूर केतो थे )। देशके रोजनीतिज्ञालुओंमें वक्तव्यकी 'सभ्यताका इतिहास' बहुत ही लोकप्रिय हो गया था जिसका सिद्धान्त यह था कि राजनीतिक संस्थाएँ सिर्फ वेकाम ही नहीं विक्त हानिकर हैं। विश्वविद्यालय तथा अन्य पाठशालाओंके छात्र परस्पर अहमहमिका भावसे इसे पढ़ रहे थे। परन्तु इन विद्यार्थियोंमें इतना साहस नहीं था कि घर आकर कभी अपने नियमनिष्ठ मातापिताओंके सामने वक्तव्यके सिद्धान्तोंको दोहरावें।

### लोकतन्त्र शासन-प्रणालीके निर्माताओंको इन्हीं सब

१. सबसे पहले वाल्टेर, हसो और मार्टिस्क्रू, इन्हीं तीन फ्रांसीसी जगद्विव्यात्र लेखकोंने प्रजासत्तात्मक शासनपद्धतिके अनुकूल लोकमत तैयार किया है। इन्होंके लेखोंने फ्रान्समें राष्ट्रविहृत भी कराया। अस्तु। मार्टिस्क्रूका जन्म संवत् १७४६ और मृत्यु संवत् १८१२ में हुई। इनने "तेत्र पर्सान" (स्वकीय पत्र) नामक पुस्तक लिखकर ईसाइयोंके प्रचलित सांप्रदाय और फ्रान्सकी शासन पद्धतिकी खूब निन्दा की। रोमका उत्थान और पतन शांपिक ग्रन्थ लिखकर इन्होंने यह प्रमाणित किया कि स्वावलम्बन और देश भ्रमसे देशका गौरव बढ़ता है और एकतन्त्र राजप्रणालीसे उसका सर्वनाश होता है। इसी प्रकार इन्होंने और भी कई क्रांतिकारक ग्रन्थ लिखे जिन्हें केवल फ्रांसीसी ही नहीं प्रत्युत समस्त यूरोप शिरसा बन्द समझता था।

## १६८ जापानकी राजनीतिक प्रगति

विचारोंका सामना करना पड़ा था। इतेने जिन लोगोंको 'कड़े दूँहे' वा 'नियमनिष्ट मातापिता' कहा है वे लोग प्रायः राजनीतिक दातौंमें पड़ते ही न थे। उनका प्रभाव जो कुछ भी राजनीतिपर पड़ता हो वह अप्रत्यक्ष था। परन्तु उनकी संख्या सब राजनीतिक दलोंसे अधिक थी। शासनसंवंधी आन्दोलनमें जो लोग समिलित हुए थे उनकी संख्यासे इनकी संख्याकी ठीक ठीक अद्भुतुलना करना असम्भव है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि आन्दोलन करनेवालोंकी अपेक्षा उनकी संख्याशक्ति बहुत अधिक थी। 'राष्ट्रीय सभा-स्थापनार्थ-समाजमें' जापानके ६० लाख वालिग पुरुषोंमेंसे केवल ८७ हजार ही समिलित हुए थे। इनकी संख्याशक्तिका पता इसीसे लगाता है। अब इन मौन-पुरुषोंमें कुछ लोग लोकतन्त्र शासनान्दोलनके विरोधी भी होंगे, कुछ उदासीन भाष रखनेवाले होंगे और कुछ 'मौन सम्मति लक्षण' के व्यायवाले भी होंगे। पर इसमें सन्देह नहीं कि वे सब सरकारके पक्षमें थे। अतएव जब हो हल्ला मचा-नेवाले, फौजी वानेवाले ये आन्दोलनकारी अपने उदारमतोंके सिद्धान्तोंपर शासनसंस्था स्थापित करानेके लिये सरकारको दबाते थे तब सरकारको इस मूकवृत्ति समाजसे भी बहुत कुछ दिलासा होती रही होगी।

श्रौर भी दो शक्तियां ऐसी थीं जिन्हें हम शान्ति आर मर्यादाके आधारस्तम्भ कह सकते हैं—परिवारमें पिताका अधिकार, और राजकाजमें सम्राट्‌का अधिकार। इतो कहते हैं कि नवयुवक पाठशालोंमें तो उदारमतके महान् सिद्धान्तोंकी शिक्षा पाकर आते थे पर अपने नियमनिष्ट पितामाताओंके सामने वे उन सिद्धान्तोंकी चर्चातिक नहीं कर सकते थे। उसी प्रकार उदारमतवादी गरम दलवाले लोग जो निःसंकोच

## नवीन प्रणालीके निर्माता १६६

होकर प्रजातन्त्रकी पुकार करते और एकही सार्वदेशीय धर्म-सभा स्थापित करनेको कहते थे, वे सम्राट्की कुछ भी चर्चा नहीं करते थे। सम्राट्की सत्ताके सम्बन्धमें कुछ कहनेके लिये उनका हृदय गवाही न देता था। यही नहीं, प्रत्युत वे सम्राट्को पूज्य और देवता मानते थे और एक और तो सरकारी हाकिमोंपर निन्दाकी घौछार करते थे और दूसरी ओर राजसिंहासनकी अटूट भक्ति भी रखते थे। इससे राजपुरुष राजसिंहासनके अधिकारसे अपने कार्योंकी रक्षा करनेमें समर्थ होते थे।

संवत् १६३४ में एक बड़ी भारी विचार क्रान्ति भी हो गयी। गरम दलवालोंके उधम, उत्पात, बड़ूयन्त्र और उपद्रवसे उदारमतवादित्वपर राजपुरुषोंकी गम्भीर दृष्टि पड़ने लगी।

यहाँ यह भी एक कुतूहलका विषय है कि जब उदारमतवादी लोग स्वाधीनता, समता और मनुष्यके जन्मसिद्ध अधिकारोंका प्रतिपादन करते थे तो उनके उन प्रवल प्रमाणों द्वारा सिद्ध सिद्धान्तोंका उत्तर देना राजपुरुषोंके लिये बहुतही कठिन हो जाता था क्योंकि उदारमतकी विचारपद्धति उन्हें भी अपने साथ खींच ले जाती थी। अधिकारीके नाते वे अपने किये का समर्थन कर सकते थे पर अपने कार्रवाइयोंको न्याय सिद्ध नहीं कर सकते थे। तब डाकूर केतो यहाँ भी उनकी रक्षा करने आ पहुंचे। वे बड़े बुद्धिमान् थे और उन्होंने बुद्धिवलसे 'जन्मसिद्ध अधिकार' के सिद्धान्तका खरडन करने और स्वैरशासनका मण्डन करनेके लिये डारविनके 'प्रकृति कृत निर्वाचन' का उपयोग किया। १६३४ में अर्धात् जिस वर्ष नाकाई महाशयने रुसोंके "कोंत्रा सोसिआल" ( सामाजिक समझौता ) का अनुवाद प्रकाशित किया, उसी वर्ष केतोने

## १७० जापानकी राजनीतिक प्रगति

“जिझेन शिन्सेत्सु” (मनुष्यके अधिकारोंका अभिनव सिद्धान्त) नामक अपना एक निवन्ध भी प्रकाशित किया जिसमें वे लिखते हैं कि “यह संसार जीवन संग्रामका एक रणक्षेत्र है जिसमें उन्हीं लोगोंकी जीत होती है जो आनुवंशितोंके सिद्धान्ता बुसार बुद्धिवल और शरीरशक्तिमें औरौसे थ्रेष्ट होते हैं, और उन्हींको कनिष्ठोंपर अधिकार मिलता है क्योंकि वही बात और भी स्पष्ट रूपमें पशुपक्षियों और वनस्पतियोंमें देखी जाती है। यह सनातन सिद्धान्त है और प्राणिमात्र इज़के चशमें है। इतिहासपूर्वके असम्य ज़मानेसे इस सम्य ज़मानेतक वरावर योग्यतमका ही बचना ( और वाकीका नष्ट होना ) : वही सिद्धान्त चला आ रहा है और जबतक पृथ्वी-पर प्राणी वसते हैं तबतक वही सिद्धान्त कायम रहेगा। अतएव मनुष्यके जन्मसिद्ध अधिकारके नामका कोई पदार्थ-ही दुनियामें नहीं है। जो जिन अधिकारोंको भोग रहा है वे उसके कमावे हुए अधिकार हैं, और व्यक्तिके इन अधिकारोंकी तभीतक रक्षा हो सकती है जबतक कि जिस देशमें वह रहता है उस देशकी सरकार मौजूद है। ..अतएव वह कह सकते हैं कि लोगोंके अधिकार राज्यहींके कारण उत्पन्न हुए जो राज्य पहले पहल किसी ऐसे मनुष्यका स्थापित किया होगा जो कि सबसे बलशाली रहा हो और जिसने सब सत्ता, सब अधिकार अपने हाथमें कर लिया हो। यदि ऐसा कोई स्वेच्छाचारी राजा न होता तो राज्य भी हमारा कभी सद्वित न हुआ होता, न लोगोंके अधिकारही कहींसे आ सकते। ... यह ध्यान देनेकी बात है कि लोगोंकी मानमर्यादा और अधिकारोंमें अनन्तभेद हैं और यह जीवनतत्वही के भेदोंका परिणाम है।”

## नवीन प्रणालीके निर्माता १७१

‘जन्मसिद्धं अधिकारों’ के खण्डन और सरकारके स्वैर-शासनके मरणका यह उपाय किया गया। जो लोग जर्मनीके राजनीतिके तत्वज्ञानपर मोहित हुए थे उन्होंने डाक्टर केतोके इस विचारका समर्थन किया और सम्बादको राष्ट्ररूप मानकर प्रजातन्त्रके अन्तर्गत राजतन्त्र स्थापित करने-का पक्ष उठाया। स्वभावतः हो सरकारी अधिकारी डाक्टर केतोके नवीन सिद्धान्तके आड़में आश्रय लेने लगे। हम समझते हैं कि इतोका यही अभिप्राय था जब उन्होंने यह कहा कि सरकारी अधिकारी जर्मनीके विद्वानोंके राजनीतिक सिद्धान्तोंको मानते हैं।

संवत् १९३८ में जब ओकुमाने पदत्याग किया तब शासक-मरणलमें इतोही प्रथान थे और इनके विचार भी बहुत आगे बढ़े हुए थे। काम करनेमें तो ओकुयोसेही इनका विशेष सम्बन्ध रहता था पर कुछ समयतक ओकुयोसे किदो और ओकुमाके विचारही इनके विचारोंसे अधिक मिलते थे। इतो इन दोनोंसे अधिक सावधान और मिलनसार भी थे। ओकुमाके १९३८ के पड्यन्त्रसे पहले इतोके राजनीतिक विचार ओकुमाके विचारोंसे बहुत मिलते जुलते थे। इसके बाद शासन सम्बन्धी अंग्रेजी सिद्धान्तोंकी ओर इनका चित्त रहा क्योंकि इनकी पाश्चात्य शिक्षा पहले पहले इंग्लैण्डमें ही हुई थी। पर संवत् १९३८ में ओकुमाके प्रयत्नोंपर पानी फिर चुकनेपर शासक-मरणलमें बड़ी भारी विचार क्रान्ति हो चली। इस क्रान्ति और देशकी ऐसी परिस्थितिके साथ इतोके राजनीतिक विचार भी बहुत कुछ पुराने ढङ्कोंहो गये।

जब पाश्चात्य राजनीतिक संस्थाओंका सूचमान्वेषण करने और एक नयी शासन पद्धति निर्माण करनेके लिये राजप्रति-

## १७२ जापानकी राजनीतिक प्रगति

निखियों के नेता बनाकर ये यूरप भेजे गये तो ये अमरीका, इंग्लैंड और वेलजियम होते हुए प्रशिया पहुंचे और सबसे अधिक वे यहाँ ठहरे। इंग्लैंड जोड़ जर्मनीमें जा रहनेसे उनकी बहुत निन्दा भी उर्ज परन्तु उन्होंने उसके कोई परवाह नहीं की। वहाँ वे यूरप के अद्वितीय पुरुष प्रिन्स विस्मार्ककी अलौकिकता पर मुग्ध हो गये जिनके बुद्धि कौशलसे ही जर्मनी-का साम्राज्य सद्वित दुश्मां और जिनके 'लोहा और खून' की नीतिसे ही फ्रांसिसी विस्व की धाराका प्रवाह रुक गया था। इतो उन्हों राजनीति पटु विस्मार्ककी खद्गहस्त शासननीति और जर्मनीके अधिकारीवर्गकी ही कार्यप्रणाली-के सूक्ष्म निरीक्षण करनेमें लग गये।

वहाँसे लौटकर इतोने जापानमें भी जर्मनीके ढङ्कका अधिकारीवर्ग निर्माण करनेमें अपना सारा बल और प्रभाव लगा दिया। पुनः स्थापनाके समय जो सम्मानसूचक लक्षण मिटा दिये गये थे उनका इन्होंने उद्धार किया। उन्होंने सरदारों-के ऐसे ऐसे वर्ग निर्माण कर दिये जापानमें जिनका नाम भी किसीको मालूल नहीं था। उन्होंने मन्त्रिमण्डलका भी ढाँचा बदल दिया और विस्मार्कके समयकी जर्मनीकी शासनपद्धतिके अनुसार शासनसत्ताको अध्यक्षमन्त्रोके हाथमें सर्वतोभावसे सौंप दिया और ख्यं ही नवीन मन्त्रिमण्डलके प्रथम अध्यक्ष मन्त्री हुए।

संवत् १९४१ में लोकतन्त्र शासनपद्धतिका मसविदा बनानेके लिये जब भिन्न भिन्न शासनप्रणालियोंका अनुसन्धान करनेवाला कार्यालय स्थापित हुआ तो वह कार्यालय (साइदो तोरिशिराते किओकू ) 'राजप्रासाद विभाग' के साथ जोड़ दिया गया। इस विभागसे सार्वजनिक प्रश्नोंका कोई सम्बन्ध

## नवीन प्रणालीके निर्माता १७३

नहीं था और आज भी लोकतन्त्र शासनके हेते हुए यह विभाग सरकारका एक पृथक् और विशेष विभाग है। प्रधान धर्मनिर्माण कार्य तो शिष्ट सभामें होता था और साधारण विधि विधान आदि न्याय विभागसे बनाये जाते थे। पेसी अवस्थामें यह कार्यालय इन्हीं दो विभागोंमेंसे किसी एकके साथ न करके उसे राजप्रासादमें क्यों भेज दिया। इसका कारण यह मातूम होता है कि ऐसे ही स्थानमें नए शासन पद्धतिके निर्माणका काम शान्तिपूर्वक हो सकता था कि जहाँ रहनेसे सार्वजनिक आलोचनासे कोई सम्बन्ध न रहे। कानेको जिनका कि इसमें बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध था, कहते हैं कि जब शासन सर्वधी सुधारों का मस्तिष्क तैयार हो रहा था तब लोग यह जाननेके लिये बहुत उत्सुक हो रहे थे कि कैसी शासन पद्धति मिलेगी। क्योंकि उन्हें विस्मार्कके प्रभावका स्मरण होनेसे इतोके शासन सम्बन्धी विचारोंपर सन्देह होता था और इसलिये सार्वजनिक हस्तक्षेप और आलोचनासे कार्यालयका काम सुरक्षित रहनेमें कोई बात उठा नहीं रखी गयी।

इस कार्यालयके अध्यक्ष इतो ही थे और मार्किस तोक्क-दाइजी राजप्रासाद विभागके मन्त्री बनाये गय जिसमें शासन सुधारके काममें वे भी अप्रत्यक्ष रूपसे समिलित हो सके। करनेका काम जितना था वह इनोउये की, कानेको कन्तारो, इतो मियोजी और उनके साथियोंको सौंपा गया। इनोउये तो एक राजनीतिक दल ( शिर्मेइ काई ) के नेता रहे जिस दलके सिद्धान्त लोकतन्त्र-साम्राज्य-चादियोंसे मिलते जुलते थे अर्थात् सम्राट्की सत्ता, समस्त विधि विधान पर सम्राट्का

## १७४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

अनन्याधिकार, और सभाद्वय शासनपद्धति<sup>१</sup>। इनोउये चीनके प्राचीन साहित्य और जापानके इतिहासके भारी विद्वान् थे। कानेकोको अच्छी पाठ्यात्य शिक्षा मिली थी और इतो (मिनोजी) स्वेच्छाचारी शासकके उदाहरण थे।

इस प्रकार पुराणप्रिय लोगोंके बीचमें साम्राज्य-सरकार-के अमेघ विभागमें, सार्वजनिक आन्दोलन और सार्वजनिक सम्बन्धसे विलक्षुल स्वतंत्र ऐसे गुप्त स्थानमें नये शासन पद्धतिका मस्तिष्का तैयार हुआ और वह नव द्यापित मन्त्र-परिपदमें पेश हुआ। उस समय अध्यक्ष इतोके अतिरिक्त, राजवंजन सभी पुरुष, सभी मन्त्री, विशेष मन्त्री, परिपदके सभासद जिनमें प्रिन्स सांजो, काउण्ट कात्सु, ओकी, हिनाशी-कुसे, तोरिओ, नौशीर्व, सोनोजिमा, कावामुरा, सासाकी, तेराजिमा और वायकाउण्ट इनोमोतो, शिनानावा, नोमुरा, सानो और फुडुओका उपस्थित थे। जब तक परिपदकी वैठक होती रही, सम्राट् प्रायः स्वयं उपस्थित रहते थे। ऐसे ऐसे सरदारों और मानाधिकारियोंकी सभाके राजनीतिक विचार न्या रहे इस पर कुछ दीका टिप्पणीकी आवश्यकता नहीं।

परिपदका अधिवेशन कैसा हुआ इनके सम्बन्धमें इतो लिखते हैं कि “सम्राट् वरावर संशोधन करनेका अवसर देते थे और वादविवादको ध्यानपूर्वक सुनकर उदारमतवादी और पुराणप्रिय दोनों मतोंका पूर्ण विचार करते थे और यद्यपि भीतर और बाहर सब स्थानोंपर पुराणप्रियताका बड़ा ज़ोर था तथापि सम्राट्के उदार विचार थे जिससे हमें यह नई शासनपद्धति प्राप्त हुई”। यदि जापानके परम्परागत

---

१. यह दल कियूशित हीपमें उदार और प्रागतिक मतवादियोंके विरुद्ध संघटित हुआ था।

## नवीन प्रणालीके निर्माता १७५

राजनीतिक विचारोंको देखिये और उस अवस्थाका विचार कीजिये जिसमें कि यह पद्धति बनी है तो अवश्य ही यह कहना होगा कि इसमें वहुत ही प्रगति वर्धक सिद्धान्तोंका समावेश हुआ था, परन्तु इन विचारोंको छोड़कर यदि निष्पक्ष दृष्टिसे देखा जाय तो कहना पड़ेगा कि पुराने विचारोंके प्रभावमें आकर कुछ राजपुरुषोंने उसका मसविदा तैयार किया और सार्वजनिक चर्चा या आलोचना से बिलकुल स्वतंत्र उच्चकर्मचारियोंने उसको स्वीकार किया और इस कारण न केवल उदारमतके सिद्धान्तोंका पराजय हुआ विक्रिय प्रातिनिधिक संस्थाओंके मूलसिद्धान्तोंका भी उसमें विचार नहीं किया गया। सच पूछिये तो प्रातिनिधिकताके वस्त्र पहनी हुई जापानियोंके परम्परागत राजनीतिक सिद्धान्तोंकी ही प्रतिमा मात्र यह नई शासनपद्धति है।

इतो अपने “शासन पद्धतिकी टीका” नामक पुस्तकके उपोद्घातमें लिखते हैं कि “जापानका पवित्र राजसिंहासन पूर्व परम्परासे सम्भाट्के परिवारमें चला आता है और इस प्रकार उसपर वंशपरम्परा राजपरिवारका अधिकार रहेगा। राज्य करना और शासन करना ये दोनों अधिकार उसी राजसिंहासनके हैं। शासन पद्धतिके विधानकी धाराओंमें सम्भाट्की सत्ताके सम्बन्धमें जिस मर्यादाका उल्लेख है उसका यह अभिप्राय नहीं है कि इस सम्बन्धमें कोई नया सिद्धान्त निश्चित किया गया है प्रत्युत् सनातनसे जो राष्ट्रीय राज्यावस्था है उसमें कोई परिवर्तन न करके उसीका और भी अधिक दृढ़ीकरण हुआ है”। नवीन पद्धतिके निर्माताओंने वडी बुद्धिमानीके साथे राजसिंहासनके परम्परागत अधिकारको स्थायी करनेको चेष्टाकी है यद्यपि जापानियोंकी इस

## १७६ जापानकी राजनीतिक प्रगति

समय ऐसी अवस्था या मनोवृत्ति नहीं है कि वे कभी भी इस परम्परागत अनन्याधिकारको छुननेका प्रयत्न करेंगे। पर नये प्रणालीके निर्माताओंने यह तुद्धिमानीका कार्य नहीं किया कि हर प्रकारसे जनताके राजनीतिक अधिकारके उत्कर्षोंको रोक रखा।

## द्वितीय भाग

स्लैंटनके सिद्धान्तोंपर विचार



## प्रथम परिच्छेद

सहृदयकी सीमामें समाद्

प्रथम भागमें हमने जापानकी पुनः स्थापना से लेकर नवीन पद्धतिकी स्थापनातकके सब राजनीतिक आनंदोनांक वर्णन किया है। अब इस द्वितीय भागमें हम इस प्रणालीके मुख्य मुख्य अंगोंके सम्बन्धमें अर्थात् सम्बाद, मन्त्रिमण्डल, मन्त्रपरिषद्, राष्ट्रीय सभा, निर्वाचनपद्धति और सर्व साधारणकी स्वतन्त्रता और अधिकारोंके सम्बन्धमें उनके तात्त्विक सिद्धान्तोंपर विचार करेंगे।

पाठक इस बातको ध्यानमें रखें कि जापानके इतिहासमें सम्बादकी सत्ता मर्यादा निर्देश करने और राष्ट्रके भिन्न भिन्न भागोंमें राजसत्ताको विभाजित करनेके लिए सबसे पहला विद्यान यही शासन सम्बन्धी विधान है। जापानमें सम्बादकी अनन्य सत्तापर इंग्लिस्तानके समान कभी भी राजनीतिक बाद्धविधाद नहीं हुआ और न कानून की व्याख्याही हुई। सनातनसे ही लोग यह समझते और मानते आये हैं कि सम्बाद ही वंशपरंपरासे जात्राज्यके मालिक है। उनको इस बातकी फ़िकर नहीं थी कि सरकारी शासनसत्ताका विभाजन परम्परागत राज्यव्यवस्था राजसत्ताके मूलसिद्धान्तके अनुसार है या नहीं। प्रथम सम्बाद जिम्मेके आज्ञायनमें (वि० पू० ६०३) लिखा है कि “यह शस्यसमूद्र देश हमारा राष्ट्र है और हमारे वंशज इसपर राज्य करेंगे।” विक्रमसे सात शताब्दी पूर्व राजकुमार शोतोकूकी वनायी शासनपद्धति विधानमें लिखा है

## १८० जापानकी राजनीतिक प्रगति

कि सरकारी कर्मचारी और जनता दोनों ही सम्बाट्की समान प्रजा हैं। जिन शोगून तोकूगावा इयेयासुने तोकूगावा सरकार स्थापित कर उसे अपने वंशजोंके हाथमें दिया और जिनके खान्दानमें यह अधिकार २५० वर्षसे अधिक कालतक रहा और जब सम्बाट् क्योतोके राजमहलमें नज़रबन्द कैदीके समान रहते थे, उन्होंने यही घोषित किया कि शोगूनका कर्तव्य केवल सम्बाट्की रक्षा करना है। जापानके इतिहासकी यह एक बड़ी अद्भुत घटना है कि कई शताव्दियोंतक किसी सम्बाटने स्वयं शासन नहीं किया और न शासन अपने हाथमें लेनेकी चेष्टा ही की। अद्भुत घात तो यह है कि इस प्रकार प्रत्यक्ष शासनसे दूर रहनेके कारण जनताके मनमें सम्बाट्के अन्याधिकारका विचार दुर्बल नहीं, विक्षिक, और भी झुटपूट हो गया। जिस प्रकार इंग्लिस्तानमें महारानी विक्टोरिया और महाराज सप्तम एडवर्डके 'स्वयं शासन'से अलग रहनेके कारण, राजवरानेकी नींव तृतीय जार्जके राज्यकालकी अपेक्षा घुट अधिक दृढ़ होगयी, वैसे ही जापानमें भी सम्बाट्के स्वयं शासनकार्य न करनेके कारण सम्बाट्की सिद्धान्तगत सत्तापर भी कोई भंगड़ा ही नहीं उठा, प्रत्युत उससे जापानियोंके मनमें यह धारणा जड़ पकड़ गयी कि सम्बाट् राजवंशके स्वगो-वज़ हैं और परम्परासे उन्हींका यह राज्य है।

जापानके धर्तमान शासन-पद्धति सम्बन्धी विधानका विशेषी भाग सम्बाट्की अन्य सत्ताके सिद्धान्तसे ही व्याप्त है। इसके एचना ऐसी संयत (नियन्त्रित) विधिके साथ हुई है कि कहींसे हिलनेका अवसर नहीं रहा। यहाँतक कि फ्रान्सकी धर्तमान प्रणालीका भी विधान इतना शब्द-बद्ध नहीं है, यद्यपि दोन धर्द्धियोंके मूल सिद्धान्तोंमें आकाश पातालका सा अन्तर

है। जापानी पद्धतिकी मूल सिद्धान्तसे संभ्राट् की ही सर्वों परि अनन्य सत्ता है और फान्सदेशकी पद्धतिके मूल सिद्धान्त-से प्रजाकी इच्छा ही ईश्वरकी इच्छाकै तुल्य है।

जापानके शासन-विधानकी चौथी धारामें लिखा है कि, “सम्राट् साम्राज्यके शीर्षस्थान हैं, राष्ट्रके सब अधिकार उन्हीं-को हैं और वर्तमान विधानकी धाराओंके अनुसार वे उन अधिकारोंका निर्वाह करेंगे।” इतो इसकी व्याख्या करते हैं कि “साम्राज्यपर हुक्मत और प्रजापालन करनेका सम्राट् का अधिकार पूर्व परम्परागत है और वंश-परम्परातक रहेगा। जिन धर्मविधान और शासनके अधिकारोंसे वे देशपर राज्य करते हैं और प्रजाजनोंपर शासनकरते हैं उन सब अधिकारोंके केन्द्र हमारे सकलगुणसम्बन्ध महाराज हैं और जिस प्रकार मनुष्य शरीरमें ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियोंसे होनेवाले कार्य-मात्रको मस्तिष्कसे ही गति मिलती है, उसी प्रकार देशके राजनीतिक जीवनका एक एक सूत्र महाराजके हाथमें है।”

इसके साथ यह भी माना गया है कि सम्राट् पवित्र और अनुज्ञनीय हैं। इतो कहते हैं कि “सम्राट् इतने पूज्य हैं कि उनपर श्रद्धारहित या अपमानजनक टीका टिप्पणी करना अनुचित है, इस प्रकार सम्राट् निन्दा या आलोचनाकी सीमासे परे हैं, और वे इतने पवित्र हैं कि वे कोई अन्याय अथवा अनुचित व्यवहार नहीं कर सकते।” यह सम्राट् की परम्परागत अनन्य सत्ताका बहुत ही स्पष्ट निर्देश है।

अब देखना चाहिए कि नयी प्रणालीने कौन कौनसी नयी बातें कीं। सबसे मुख्य बातें ये हैं; (१) राष्ट्रीय परिषद्का स्थापित होना, जिससे राज्यसत्ता शासनके भिन्न भिन्न विभागों-में विभाजित की जाय (२) यह निश्चय करना कि विभाजित

अधिकारोंके द्वारा किस प्रकार कार्य किया जाय, और (३) जापानी प्रजाजनोंके कर्तव्यों और अधिकारोंकी गणना और व्याख्या करना।

इस परिच्छेदमें हम केवल यही देखेंगे कि धर्मविधान, स्थाय और शासन ये तीनों अधिकार कैसे विभक्त किये गए हैं, और हर एकका सम्बाट्से क्या सम्बन्ध है। सबसे प्रथम हम धर्मविधान अङ्गपर विचार करेंगे।

अधिकार विभाजनके सम्बन्धमें इतो अपने भाष्यमें लिखते हैं कि “राष्ट्रके समस्त शासनाधिकारोंका एक पुरुषके हाथमें होना ही सम्बाट्की सर्वोपरि सत्ताका मुख्य लक्षण है और नियमानुसार उन अधिकारोंका प्रयोग करना उस सत्ता-के प्रयोगकी सूचना है। केवल सत्ताही हो और उसके प्रयोग-का नियम या मर्यादा न हो तो स्वेच्छावारको और प्रवृत्ति होती है। इसो प्रकार जब अधिकारोंके प्रयोग करनेकी मर्यादा हो और सत्ताका लक्षण न हो तो प्रमाद और आलस्यको और प्रवृत्ति होती है।” इसका तात्पर्य यह हुआ कि शासनके सब अधिकार जब किसी नियमरहित राजाके हाथमें होते हैं, अथवा, इतोके कथनानुसार, उस राजाकी कोई प्रतिनिधिक धर्मसभा नहीं होती तो स्वैर-शासन-प्रणालीको इतो अच्छा नहीं समझते। उसी प्रकारसे यदि शासनसूत्र सब सर्वसासाधारणको प्रतिनिधिसभाके हाथमें हो और सिरपर कोई राजा न हो तो उससे कार्यमें जड़ता और प्रमाद आते हैं। यह बड़ा ही दुर्बोध्य और अर्थहीन सूत्र है। पर व्याख्याकारने अपना काम निकालनेके लिए कैसी चालाकीसे उसका उल्लेख किया है।

इतोने अपना भाष्य इसलिए प्रकाशित किया था कि उससे

लोगोंको यह मालूम हो जाय कि शासनविधानकी प्रत्येक धारा, किस अभिप्रायसे और क्या सोचकर बनायी गयी है। और साथ ही यह भी प्रकट हो जाय कि किस अभिप्रायसे यह नशी अणाली बनायी गयी है। इतोका जो सूत्र उपर दिया गया है वह सम्राट्‌की परम्परागत सत्ता और नवीन शासन-विधान-बुसार जो अधिकार विभाजन हुआ था उसका समर्थन करनेके लिए ही उपस्थित किया नया था।

शासन विधानकी पाँचवीं धारा है कि “सम्राट्, सम्राट्-सभाजी अनुमतिसे अपने धर्म विधाना-विकारका उपयोग करते हैं।” ‘अनुमति’ शब्दका अर्थ केवल मौन सम्मति ही नहीं है इसका प्रभाव कुछ विशेष नहीं है। जैसे दो प्रतिनिधियोंमें चलवत्तर प्रतिष्ठानी दूसरेसे अनुमति ले लेता है और यदि ऐसी अनुमति न भी मिले तो भी वह अपना कार्य चलाही लेता है, वैसेही सम्राट् और सम्राज्यसभाका परस्पर सम्बन्ध है।

सभाकी अनुपस्थितिमें सम्राट् कानूनके बदले राजाज्ञा निकाल सकते हैं। विधानानुसार सार्वजनिक शान्तिकी रक्षा या सार्वजनिक विषद्को दूर करनेके लिए ऐसी राजाज्ञा तभी निकालो जासकती है जब ऐसी ही कोई आवश्यकता आपड़े। इस राजाज्ञाको भी सभाके दूसरे अधिवेशनमें उपस्थित करनेका नियम है। और यह भी नियम है कि यदि सम्राट् ने उसे खोकार न किया हो तो भविष्यतमें वह कार्यान्वित न हो सकेगी। यहाँ ‘सार्वजनिक शान्तिकी रक्षा करनेके लिए’, और ‘ऐसी ही कोई आवश्यकता’ ये शब्द बहुत हो गोल मोल हैं, और चाहे जिस अवसरपर इनका उपयोग हो सकता है, क्योंकि सभा अच्छे कानून सार्वजनिक शान्तिकी रक्षा और संवर्साधा-

रणके सुखके लिए ही बनाए जाते हैं। इसके सिवाय सभाको निषेध करनेके अधिकारका उपयोग भी मुगमतासे नहीं हो सकता क्योंकि यदि सम्बाद् चाहें तो मंत्रिमण्डलके द्वारा सभा-के कार्यका ऐसा ढङ्ग वाँध सकते हैं कि जिसमें सभाकी अनुपस्थितिमें यदि राजाशा निकली हो तो उसपर विचार करनेका अवकाश ही उसे न मिले। सम्बाद् मंत्रिमण्डलके द्वारा सभाके कार्यमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, वे जब चाहें, विल उपस्थित कर सकते हैं, यदि उस समय पहलेसे कोई विल उपस्थित हो तो उसे उठा सकते हैं, उसमें रहोवद्दल भी कर सकते हैं। यहीं तक नहीं, सभाका अधिवेशन काल वर्षमें तीन महीने होता है। धर्मविधानसम्बन्धी बड़ी बड़ी संस्थाओं और जटिल प्रश्नोंका विचार करनेके लिए यह बहुत ही कम समय है। सम्बाद् चाहें तो सभाका अधिवेशन स्थगित करके अथवा उसे बन्द करके यह समय और भी कम कर सकते हैं। परिपद्धका अधिवेशन करना, उसका कार्य बन्द करना, या उसे पदच्युत करना सम्बाद्की इच्छाके अधिकारमें है।

शासनविधानानुसार सम्बाद् अपने प्रजाजनोंके सुख और सार्वजनिक शान्ति तथा मर्यादाकी रक्षाके लिए राजाशा निकाल सकते हैं। इतो कहते हैं कि ये आशापाँ शासनके सम्बन्धमें हैं। उनका कहना है कि “ये सब आशापाँ नियमानुसार परिपद्धमें चाहे उपस्थित और स्वीकृत न भी हुई हों, तोभी कानून ही समझी जायेगी और सब लोग उसका पालन करेंगे, क्योंकि सम्बाद्का यह शासनाधिकार है। सर्वसाधारणके लिए इन्हें कानूनही समझना चाहिए। कानून और राजाशामें अन्तर केवल इतना ही है कि कानून राजाशामें रहोवद्दल कर सकता है, पर राजाशा कानूनमें दखल नहीं दे सकती।” राजाशा

किसी ही नामसे क्यों न पुकारिये, चाहे वह सम्राट् के धर्मविधानाधिकारसे निकली हुई हो, या शासनाधिकारसे प्रकट हुई हो; वह है तो कानून ही। इतोके कथनानुसार जब कानून और राजाक्षमें भगड़ा पड़े तो कानूनका बल अधिक है। पर जब कोई भगड़ा न हो तो राजाक्षमें कानूनकी ही शक्ति है। ऐसे शासन सम्बन्धी कानून निकालनेके अधिकारकी कोई सीमा नहीं है क्योंकि प्रजाजननोंके सुख और सार्वजनिक शान्ति और मर्यादाकी रक्षाके लिए राजा दी जा सकती है, इन शब्दोंमें महत्वके जितने कानून हैं सब आजाते हैं।

परन्तु सम्राट् के कानून बनानेके अधिकारोंसे राष्ट्रीय परिपद्का कोई सम्बन्ध नहीं है। कानून जितने बनते हैं उनको राष्ट्रीय सभाकी अनुमति लेकर सम्राट् ही बनाते हैं। पर जहाँ भगड़ा पड़ जाय वहाँ सम्राट् राष्ट्रीय परिपद्के अधिकारको कहाँतक मर्यादित करेंगे।

राष्ट्रीय सभामें जब कोई विल स्वीकृत होता है तब उसे यदि सम्राट् न स्वीकार करें और कानूनका स्वरूप दें तो वह कानून बन सकता है। नहीं तो नहीं। जबतक सम्राट् की स्वीकृति न होगी, तबतक चाहे वह राष्ट्रीय सभामें सर्वमत-से स्वीकृत हुआ हो तो भी कानून नहीं बन सकता। जापानी धर्म-विधानाधिकारमें सम्राट् की स्वीकृति ही सुख्य बात है। सम्राट् चाहे विलको स्वीकार करें या अस्वीकार करें यह उनका अधिकार है, अर्थात्, सब कानूनोंपर सम्राट् को निपेध करनेका अनन्याधिकार है। नियमवद्ध किसी मार्गसे भी राष्ट्रीय-सभा सम्राट् के इस निपेधका उल्लङ्घन नहीं कर सकती।

अब जो विल परिपद्में निश्चित हो चुके हैं और सम्राट्-की सम्मति भी जिन्हें मिल चुकी है उनके सम्बन्धमें सम्राट्

आवश्यक समझे तो आज्ञापत्र निकाल सकते हैं जिससे कि उन कानूनोंको कार्यान्वित करनेके लिए नियम उपनियम बन सकें ये से आवश्यक कानूनके सिद्धान्तोंको नहीं बदल सकते यह ठीक है, पर नियम तबाकर उन्हें कार्यान्वित करानेके मार्गमें परिवर्तन कर सकते हैं। इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि सदृष्टनकी सीमाके अन्दर सम्राट् कहाँतर राष्ट्रीय परिपद्धते के अधिकारोंको मर्यादित कर सकते हैं।

अब शासनाधिकारको वान लीजिए शासनके भिन्न भिन्न विभागोंको योजना, मुल्की और फौजी अफसरोंको नियुक्त करना अथवा पदचयुत करना और उनके बेतन और पेनशन नियत करना, इन सब बातोंपर सम्राट् का अधिकार है। अर्थात् सम्राट् साम्राज्यके शासनविभागके अनन्य कर्तव्य धर्ता हैं।

इस प्रकार धर्म-विद्यान-विभाग और प्रबन्ध विभाग विलकुल अलग अलग हो जाते हैं। तत्वतः सभाको प्रबन्ध-विभागपर कोई अधिकार नहीं है। मालूम होता है कि नवीन पद्धतिके निर्माता उसी पुराने विभागमें पड़कर यह समझते थे कि उत्तम शासनपद्धति वही है जिसमें धर्म-विद्यान-विभाग और शासन-विभाग परस्पर स्वतन्त्र हों। वास्तवमें इतोने इस सिद्धान्तका समर्थन किया है और कहा है कि “इंग्लिस्तानमें यही कायदा है कि कुछ थोड़ेसे राजपुरुषोंको छोड़कर वहाँके महाराजाको अपनी इच्छाके अनुसार मुल्की और फौजी अधिकारियोंको नियुक्त या पदचयुत करनेका पूरा अधिकार है।” इतोको अंगरेजी शासनपद्धतिका द्वान केवल पुस्तकोंसे प्राप्त था। उसका रहस्य उसकी समझमें नहीं आया था। वेज्हाट नामक एक समकालीन अंगरेज़ी अन्थकार लिख गए हैं कि “अंगरेज़ी शासनपद्धति-

की सफलताका बड़ाभारी रहस्य यह है, कि उसके प्रवन्ध और धर्म-विधान इन दोनों शक्तियोंको एक दूसरेके साथ मिला दिया है.....और इसे प्रकारसे संयुक्त करनेका काम मन्त्रिसंघ- (केविनेट्) की कड़ीने किया है।

जापानकी शासनपद्धतिमें प्रवन्ध और धर्म-विधानको मिलानेवालों ऐसों कड़ों कोई नहीं है, जिवाय इसके कि सभ्राद्-में दोनों एक होगये हैं। सभ्राद्-द्वारा नियुक्त राजकर्मचारी प्रवन्ध अथवा धर्म-विधान सम्बन्धी कार्य सभ्राद्-के नामपर विना राष्ट्रीयसंभाको परवाह किये कर सकते हैं, परन्तु सर्वसाधारणकी प्रतिनिधि स्वरूप राष्ट्रीयसंभाका अधिकार मर्यादित है। यह ठीक है, कि संभा कानूनके प्रस्तावोंको संशोधन कर सकती है, उसे मंजूर या नामंजूर भी कर सकती है। परन्तु जो विल एक घार निश्चित हो गया, वह चाहे राजकर्मचारियोंके आशापत्रोंसे मारा जाय—उसका अङ्गभङ्ग हो जाय—तो भी संभाको उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहजाता।

संभ्राद् सुख्य शासकके रूपमें जल और स्थल सेनाके अधिपति भी हैं। उनका सङ्कटन और प्रतिवर्ष भरती किये जानेवाले नये रङ्गरुद्धोंकी संख्याको भी वे ही निश्चित करते हैं। इतो कहते हैं कि जल और स्थल सेनाके सङ्कटनका जो अधिकार है वह मंत्रियोंकी सम्मतिसे उपयोगमें लाया जाता है। परन्तु मन्त्री सभ्राद्-के द्वाराही नियुक्त होते हैं और राष्ट्रीय-संभाके सम्मुख उत्तरदायी नहीं होते। अतएव जल और स्थल-सेनाजैसे महत्वपूर्ण विषयमें जिसपर कि समस्त राष्ट्रके जीवन और सृत्युका प्रश्न है, सर्वसाधारण का कोई अधिकार नहीं।

युद्ध करने, संधि करने और विशेष सैनिक नियमोंकी घोषणा करने आदिका अधिकार भी श्रक्तेसे सभ्राद्-को है। शान्तिके

समय कितनी ही संधियोंका प्रभाव सर्वसाधारण के जान और मालपर उतनाही पड़ता है जितना कि वडे वडे कानूनोंका। फिर भी संधियोंकी त्वचामें दखल देने या सम्मति देनेका राष्ट्रीय सभाको कोई अधिकार नहीं है।

सम्राट्का यह भी अनन्याधिकार है कि वे चाहें जिसको जो सम्मान, पदवी, ओहदा, गिताव आदि दें, कैदियोंकी सजा कम करें या दोषियोंको क्षमा करदें और उनको पूर्वपद दे दें।

अब न्यायसम्बन्धी अधिकारोंको देखिये, इतो कहते हैं कि “सम्राट् न्यायके आकर हैं और समस्त न्यायाधिकारी उन्हीं सम्राट् शक्तिके भिन्न भिन्न खल्प हैं।

शासन-विधानके सम्बन्धमें ५७वीं धारा है कि “न्याय-का कार्य न्यायालयोंमें सम्राट् के नामसे और कानूनके अनुसार होगा, और न्यायालयोंका सहृदय कानूनसे निश्चित होगा, और न्यायाधीश उन लोगोंमेंसे चुने जायेंगे, जो कानूनके अनुसार उसकी योग्यता रखते हैं”। कानून बनते हैं राष्ट्रीयसभामें सम्राट् की सम्मति और सीकृतिसे, अतएव न्याय-विभागका सम्बन्ध प्रबन्धविभागसे धर्मविधानके साथही अधिक है। प्रबन्धविभाग न्यायविभागको अपने अधीन करना चाहता है। ईग्लिस्टानके आरम्भिक इतिहासमें न्याय-विभाग प्रबन्ध-विभागके अधीन था। नारमन राजाओंके समयमें साधारणसभा(कांसिलियम आर्डिनेसियम)के हाथमें ही प्रबन्ध और न्याय दोनोंके सूत्र थे और महासभा(माझम कांसिलियम)को धर्मविधान और अर्थ प्रबन्धके कार्य दिये गए थे; दूडर राजाओंके तथा शुल शुल स्ट्रार्ट राजाओंके कालमें ‘नक्त्र-भवन’ (स्टारचेम्बर)को कुछ न्यायाधिकार थे। यह वडे आश्वर्यकी बात है, कि जिस शासनपद्धतिने

धर्मविधान विभाग (राष्ट्रीय परिपत्र) को इतने थोड़े अधिकार और शासनविभाग को अमर्यादित अधिकार दिये हैं उसने न्यायविभाग को प्रबन्ध विभाग के अधीन रखा है। यह एक विशेषता है जो शासनपद्धति के निर्माताओं की एक विशेष राजनीतिक धारणा का फल है।

वह धारणा यह है कि सुशासन के लिए न्यायविभाग का स्वतंत्र रहना ही बहुत आवश्यक होता है। अमरीका के संयुक्त राष्ट्रों को शासनपद्धति के निर्माताओं की भी अठारहवीं शताब्दी में यही धारणा थी। जापानियों के शासन सम्बन्धी जितने विभाग थे, उन्हें तो सम्राट् के मातहत कर दिया, पर न्यायविभाग को उन्होंने स्वतंत्र रखना ही उचित समझा। इतो इसका यह कारण बतलाते हैं कि “यद्यपि सम्राट् ही न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं और न्यायालय भी उन्हीं के नाम से फैसला सुनाते हैं। तथापि सम्राट् स्वयं न्यायाधीश का काम नहीं करते, यह काम स्वतंत्र न्यायालयों का है जो कानून के अनुसार और प्रबन्धविभाग के बिना किसी दबाव के, यह काम करते हैं। न्यायविभाग की स्वाधीनता का यही अर्थ है। मालूम नहीं कि शासनपद्धति निर्माण करनेवालों ने जब न्यायविभाग को कानून पर छोड़ दिया तब उन्होंने यह जाना था कि ऐसा करनेसे न्यायविभाग धर्मविधान विभाग के अधीन हो जायगा।

परन्तु जापान का न्यायालय संयुक्तराष्ट्र के प्रधान (सुप्रीम) अधिकार जिला न्यायालय (डिस्ट्रिक्ट कोर्ट) की तरह नहीं है। संयुक्तराष्ट्र में न्यायालय को इतना अधिकार है कि शासक और शासित के खण्डों का वह फैसला कर सकता है और वहाँ के कांग्रेस के विधानों को भी शासनविधान द्वारा दिये हुए अधिकार

## १९० जापानकी राजनीतिक प्रगति

कार्योंले विरुद्ध कार्यवाही कहकर वह रद्द कर सकता है। पर जापानके न्यायालयमें वादी प्रतिवादी प्रजाजनहीं हो सकते हैं, सरकार नहीं। शासनविधानकी व्याख्या करनेका उसे कोई अधिकार नहीं। वह सन्नात्सा ही अधिकार है। शासन विधानकी ६१ वीं धारा यह है कि “कोई पेस्ता अभियोग कि जिसमें शासनवर्गकी अवैध कार्यवाहीपर अधिकार-वश्वनाका दावा हो और जो अभियोग विधिविहित न्यायालय विशेषमें \* ही सुना जा सकता हो, उसपर साधारण न्यायालयमें यिचार नहीं हो सकता” इस प्रकार न्यायविभागका जो एक प्रधान कर्तव्य है अर्थात् राजकर्मचारियोंके स्वेच्छाचार-से सर्वसाधारणकी स्वाधीनता और अविकारांकी रक्षा करता यह न्यायालयविशेषके जिस्मे कर दिया गया और वह भी न्यायमन्दिरके सदृश कि जो अन्य साधारण न्यायालयोंके समानविधि विहित होनेपर भी सर्वथा शासकर्जके अधीन है। शासनपद्धतिके निर्माताओंने देखा कि यद्यपि हम न्यायविभागको स्वतन्त्र रखना चाहते हैं तथापि यदि हम शासकोंके कार्योंके निर्णय करनेका अधिकार भी साधारण न्यायालयोंको दे देते हैं तो प्रबन्धविभाग न्यायविभागके अधीन हो जायगा। इतो कहते हैं कि “यदि शासन सम्बन्धी वाते न्यायालयोंके अधीन करदी जातीं और हमें अधिकार देदिया जाता कि अमुक कार्य ठीक है या नहीं उनका फैसला करें तो शासकोंको न्यायाधीशोंके अधीन होकर रहना पड़ता। इसका परिणाम यह होता कि शासकर्वर्गको कार्य करनेकी स्वत-

\* कोर्ट आज ऐसिनिस्ट्रेटिय लिटिगेशन अर्थात् शासन-प्रबन्ध-सम्बन्धी मामलोंका न्यायालय।

न्वता न रह सकती।” इसलिए न्यायविभागका यह महत्व-पूरण कार्य प्रबन्धविभागके अधीन करनेके लिए यह विशेष न्यायालय स्थापित किया गया इसका यह परिणाम हुआ कि शासनपद्धतिमें एक भी प्रतिवन्ध ऐसा न रहा कि जिसमें स्थायी कर्म आरियोंके मनमाना बलाकारसे सर्वसाधारणके अधिकारों और स्वातन्त्र्यकी रक्षा हो सके।

यहाँतक हमने इसका विचार किया है कि जापानकी शासनपद्धतिके अनुसार धर्मविधान, प्रबन्ध और न्याय विभागोंका क्या अधिकार और स्थान है। अब हम एक ऐसे अधिकारका विचार करेंगे जो राष्ट्रीय सभा और सम्भाद् दोनोंमें वँटा हुआ है और जो एक विशेष प्रकारका अधिकार है। यह संशोधनका अधिकार है।

यह पहले ही कह चुके हैं कि जापानमें साधारण विचार यही है कि सम्भाद् ने ही नयी शासन पद्धति दी है और इसलिए वे उसके संशोधन सम्बन्धी अंगकी ओर ध्यान बहुत कम देते हैं। स्वयं शासनपद्धति बनानेवालोंने भी सम्भवतः इसे विशेष महत्वका नहीं समझा। उन्होंने उसे शासनपद्धतिके पुरक नियमोंमें स्थान दिया है। परन्तु यह अंश शासनपद्धतिके प्रधान अङ्गोंमें है। शासनपद्धतिके संशोधन सम्बन्धी नियमके विषयमें अव्यापक वर्गेश्वर लिखते हैं कि “इसीके अस्तित्व और सत्यतापर अर्थात् इसके वास्तविक और सामाविक विषयोंपर ही इस वातका फैसला हो जाता है कि राष्ट्र शान्ति-पूर्वक श्रीरे धीरे उन्नति करेगा अथवा तटस्य होकर फिर अवनति कर अन्तमें विष्वलव मचाकर फिर आगे बढ़ेगा।” डायसी लिखते हैं “यदि कहीं कहीं शासनपद्धतिके नियमोंके अपरिवर्तनीय होनेके कारण वैसा रहोवदल नहीं होने पाया है,

जिसके कारण राष्ट्रको नींव हिल जाती है, तथापि साथ ही यह कहना पड़ता है कि कितन ही स्थानोंमें शासनके अपरिवर्तनीय होनेके कारण राष्ट्रविषय हो गया है। तो कुछीलेने जब कहा कि चार्टरके आर्टिकल अर्थात् शासनपद्धतिके नियमोंको बदलनेके लिए विधिविहित कोई अधिकारी नहीं है तो उसके सातहीं वर्षके अन्दर तुर्इ फिलिपका राज्य नष्ट होगया। ऐसे दृष्टान्त फ्रान्सकी राज्यकान्तिमें अनेक मिलेंगे जिनसे यह मालूम होगा कि शासनपद्धतिकी अपरिवर्तनीयताका बहाना ही उसके सर्वनाशका कारण हुआ है।”

इंग्लिस्तानकी शासनपद्धति जो किसी विधानविशेषसे मर्यादित नहीं है उसके अलिखित रूपकी कभी कभी वड़ी ही तीव्र आलोचना होती है। परन्तु इंग्लिस्तानकी जिस राजकीय उच्चतिकी प्रशंसामें हालम महाशय कहते हैं कि “कोई भी पक्षपातररहित निरीक्षक इंग्लिस्तानकी मुदीर्व और अप्रतिहत सुखसमृद्धिको बढ़ाते हुए देखकर यही कहेगा कि मनुष्यजातिके इतिहासमें यही सबसे सुन्दर दृश्य है”। कई अंशोंमें उस राजकीय उच्चतिका यश इंग्लिस्तानकी शासनपद्धतिके सहजमें परिवर्तनीय होनेके कारण ही है। वेजहाट् इंग्लिस्तानको शासनपद्धतिकी इस विशेषताके बारेमें कहते हैं कि “इसके कारण देश उन सब आपत्तियोंसे बच जाता है जिनके कि ग्रकाएक एकत्रित होजानेसे कितनी ही अन्य शासनपद्धतियाँ नष्ट भ्रष्ट हो गयीं।”

यदि शासनपद्धतिके विशेष अंशोंको सहज में परिवर्तन करनेका कोई नियम न हो तो उच्चतिशाली मनुष्यसमाजके आचार विचारमें परिवर्तन होनेके कारण ऐसे भाव पैदा हो जाते हैं जिनके कारण समाजविशेष अपने शासनमें भी परिवर्तन चाहता है और ऐसा न कर सकनेके कारण राष्ट्रविषय

मचा देता है। ऐसी आपत्तियोंसे इंग्लिस्तान प्रायः बचा ही रहा है क्योंकि वहां शासनपद्धति लोकमतके अनुसार सहलमें चढ़ाती जासकती है। इसी कारण अब फ्रान्स, इटली आदि इंग्लिस्तानकी नकल कर रहे हैं। अमरीकामें अन्तर्गत राष्ट्रोंके अधिकारोंको संरक्षित रखनेके विचारसे वहां शासनशैली बड़ी ही अपरिवर्तनीय बनायी गयी है।

जापनके शासनविधान की दृश्यों धारा है कि “भविष्यमें जब इस पद्धतिमें संशोधन करनेकी आवश्यकता होगी तो राजान्नासे राष्ट्रीयसभामें उसका प्रस्ताव उपस्थित किया जायगा। यह प्रस्ताव सभाकी दोनों परिषदोंमें आवेगा। और जवतक परिषद्के कमसे कम दोतिहाई सभासद उपस्थित न होने तबतक उसपर विचार नहीं किया जायगा और इसकी स्वीकृति उस समयतक न होगी जबतक उपस्थित सभासदोंमें से दो तिहाई सभासद इसके अनुकूल न हों। अतएव सर्वसाधारण अर्थात् राष्ट्रीयसभाको शासनपद्धतिके संशोधनमें स्वतः प्रवृत्त होकर कुछ करनेका अधिकार नहीं है। संशोधनका प्रस्ताव उपरसे आना चाहिए। यह त्पञ्च विदित नहीं होता कि राजान्नासे यहां प्रत्यक्ष सम्राट्‌की आवश्यकता है या उनकी ओरसे राष्ट्रसन्तीक्षी। वद्यपि इससे कुछ कार्यवाहीमें अन्तर नहीं पड़ता है, क्योंकि मन्त्री सम्राट् द्वारा ही नियुक्त होते हैं और सम्राट् ही उनसे जवाब माँग सकते हैं। शासनपद्धतिके निर्माता-ओंका मतलब शायद सम्राट्‌की प्रत्यक्ष आवश्यकीसे है, क्योंकि इतोने अपने भाष्यमें कहा है कि “शासनपद्धतिमें संशोधन करनेका अधिकार खुद सम्राट्‌को ही होना चाहिए, क्योंकि वे ही उसके निर्माता हैं।” अर्थात् सम्राट्‌की कामनासे ही सबसे प्रथम शासनपद्धतिके संशोधनकी बातका उद्दम होना

चाहिए। यह भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार जब राष्ट्रको नवीन शासनपद्धतिकी आवश्यकता हुई तब उन्होंने उसे प्रदान किया, उसी प्रकार जब लोग उसमें संशोधन चाहेंगे तो सभाद्विना वित्तमंडल और आपत्तिके संशोधन भी करदेंगे। पर इसका मतलब यह होता है कि जापानके सौभाग्यसे जापान-के राजा सदा विचारशील होंगे।

संशोधन करानेमें दूसरी कठिनाई यह है कि इस मामलेमें अकेले सभाद्वी ही कुछ नहीं कर सकते। यदि अकेले उन्होंका अधिकार होता तो संशोधनका काम इतना देढ़ा न होता और चाहे उसमें प्रजातन्त्रमूलकता कम ही होती पर इस समय उसमें जो कठिनाई है वह न रहती। शासनविधानके संशोधन सम्बन्धी नियमके अनुसार संशोधनका मसविदा पहले सभामें उपस्थित करना होता है और परियद्वके कमसे कम दो तिहाई सभासदोंद्वारा उसपर वादविवाद होता है और तब वह उपस्थित सभासदोंमें से दो तिहाई सभासदोंकी सम्मतिसे निश्चित होता है। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि साधारणतः किसीभी बड़ी सभामें दो तिहाई सभासदोंका एकमत होना कितना कठिन होगा। इसलिए यह कह सकते हैं कि जापानकी शासनपद्धतिमें कोई ऐसा उपयुक्त उपाय नहीं बतलाया गया है कि जिससे कोई आपत्ति विशेषके समय बचाव हो।

एक बातपर और हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं वह यह है कि राज्यसिंहासनका उत्तराधिकारी कौन हो सकता है और कैसी अवस्थामें राजप्रतिनिधि नियुक्त हो सकते हैं।

इंग्लिस्तानमें यह कायदा है कि वहाँके लोग दुष्ट या अयोग्य राजाको गद्दीसे उतार सकते हैं, उसका ताज दूसरे किसीको

देसकते हैं, और जो व्यक्ति रोमके सम्प्रदायमें आजाय उसका राजसिंहासन पानेसे बच्चित कर सकते हैं। परन्तु जापानी योंको इन सब वातोंका अधिकार नहीं है। सम्राट्के सिंहासनका उत्तराधिकार सम्राट्की कुलपरिपद् कुलधर्मके अनुसार मन्त्रिपरिपद्से सलाह लेकर निश्चित करती है। इतो कहते हैं कि “सम्राट्का कुलधर्म वही है जो सम्राट् परिधारने अपने लिए बनाया है, और जिसमें सम्राट् और उसके प्रजाजनोंके परस्पर कर्तव्यों और अधिकारोंका कोई सम्बन्ध नहीं है”। परन्तु शासनविधानने तो देशको सारी सत्ता उस सम्राट्को दे दो है जो राजसिंहासनके उत्तराधिकारसे सर्व साधारणका सम्बन्ध नहीं अथवा उनके कर्तव्यों और अधिकारोंसे इसका कोई नाता नहीं। इतना ही नहीं बल्कि इसका लोगोंके राजनैतिक जीवनपर बड़ा प्रभाव पड़ता है।

सम्राट्के प्रतिनिधि नियुक्त करनेकी यदि आवश्यकता पड़े तो सम्राट्के कुलधर्मके अनुसार ही यह नियुक्ति भी की जायगी। सम्राट्के जो जो अधिकार हैं, राजप्रतिनिधिके भी वे ही होंगे। तथापि राजप्रतिनिधिके चुनावमें सर्वसाधारणकी कोई सुनवाई नहीं, मन्त्रिपरिपद्की सम्मतिसे सम्राट्का परिवारही इस वातके निर्णय करनेका अनन्याधिकारी है।

परन्तु प्रतिदिनके राजनैतिक जीवनमें जापानी लोग इन सब वातोंको विशेष महत्व नहीं देते, क्योंकि जापानमें यह बहुत पुराना विवाज है कि सम्राट् देशका शासन वलसे नहीं बल्कि अपने ग्रामावसे करते हैं, जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन आगे होगा।

—: \* : —

## त्रितीय परिच्छेद

मन्त्रिमण्डल और मन्त्रपत्रियद्

शासनविधानमें तो “मन्त्रिमण्डल” शब्द कहीं भी नहीं आया है। इतोके भाष्यमें कहीं कहीं यह शब्द आया है। शासनमें यह स्पष्ट ही लिखा है कि प्रत्येक राष्ट्रमन्त्री स्वयं सचिवाद् को अपनी सम्मति देगा और उसके लिये स्वतः उत्तरदायी भी होगा। अर्थात् शासनविधानके अनुसार सब राष्ट्रमन्त्रियोंको एक संस्थाविशेषमें संयुक्त होनेका निर्देश भी नहीं है। परन्तु वास्तविक शासनप्रकारमें हम देखते हैं कि नईकालूनामका मन्त्रिमण्डल है जिसमें सब विभागोंके मन्त्री और उनके अध्यक्ष मन्त्री नईकालूनोरोनामिजिन हैं और जो सरकारको नीति को निर्द्दिशि करते और कार्यक्रम निश्चित करते हैं। यह ठीक है कि इस नईकालूनामक मन्त्रिमण्डलपर इंगलैंडके मन्त्रिमण्डलके समान कोई संयुक्त उत्तरदायित्व नहीं है, अर्थात् मन्त्रिमण्डलके किसीकार्यके लिये प्रत्येक मन्त्री उत्तरदायी नहीं होता और न मन्त्रिमण्डलही किसी खास मन्त्रीके कामका जिम्मेदार होता है, परन्तु कोई मंजी अव्य मन्त्रियोंसे अलग रहकर कोई काम नहीं कर सकता। उसके विकाशकी नीति मन्त्रिमण्डलकी या कमसे कम अध्यक्ष मन्त्रीकी सम्मतिसे ही निश्चित होती है। उसका यह कर्तव्य होता है कि वह मन्त्रिमण्डलके निर्णयका पालन करे और अध्यक्ष मन्त्रीकी आवाका अनुसरण करे यद्यपि उसपर केवल उसीके विभाग का उत्तरदायित्व होता है, समस्त मन्त्रिमण्डलका नहीं। समस्त भन्त्रिमण्डलका उत्तरदायित्व अध्यक्ष मन्त्रीपर होता है और

प्रत्येक विभागके लिए भी वे ही उत्तरदायी होते हैं।

वर्तमान मन्त्रिमण्डलपद्धतिका अस्तित्व पौष संवत् १९६२ के समाइके आज्ञापत्र तथा तदुपरान्तके कई राजाज्ञाओंके कारणसे है, जिन आज्ञापत्रोंका अधार शासनविधानकी ७६ वीं धारा है, जिसमें लिखा है कि “इस समय जो कानून, कायदे, नियम, हुक्म आदि किसी नामसे पुकारेजानेवाले विधिविधान हैं वे तबतक कानून ही समझे जायगे जबतक कि शासन विधानसे उनका कोई विरोध न हो”। इस प्रकार मन्त्रिमण्डलका कानूनी अस्तित्व शासनविधानके अन्तर्गत है, यद्यपि शासनविधानमें स्पष्ट प्रकारसे मन्त्रियोंकी संगठितसंस्थाको नहीं माना गया है।

मंत्रिमण्डल निर्माण करनेका कारण यह हुआ कि शासनके सब सूचीका अध्यक्ष मन्त्रीके हाथ रखना आवश्यक था। सब विभागोंके मन्त्रियोंको अपने २ विभागके लिए अध्यक्ष मन्त्रीके सम्मुख उत्तरदायी बनाकर सरकारी नीतिके अध्यक्ष मन्त्रीको उत्तरदायी बनाना था और साथ ही यह भी आवश्यक था कि जिस प्रकारकी शासनपद्धतिका विचार हो रहा था उसीके अनुकूल राष्ट्रके सब विभाग हो जायें। वास्तवमें नवीन पद्धतिके स्वापनके बाद इस तरीकेमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। शासनविधानके निर्माताओंको यह भय था कि यदि सब मन्त्री एक साथ हो जायगे तो समाइके अधिकारमें कुछ हानि पहुंचेगी। अतएव उन्होंने सब मन्त्रियोंको स्वतः उत्तरदायी बनाया, परन्तु मन्त्रिमण्डलको उन्होंने नहीं तोड़ा क्योंकि ऐसा करनेसे उन्होंने समझा कि सब मन्त्रियोंके अलग अलग हो जानेसे सरकारी नीति और कार्यवाहोमें फ़रक पड़ जायगा। इतो लिखते हैं कि “कई देशोंमें मन्त्रिमण्डलका पृथक

## १९८ जापानकी राजनीतिक प्रगति

संगठितरूप होता है, मन्त्री सरकारी कामको व्यक्तिशः नहीं करते, वल्कि उनका समिलिष्टपेण ही उत्तरदायित्व होता है। ऐसी पद्धतिसे ख़राबी यह होती है कि इलवज्ज्ञ शक्ति राजाकी श्रेष्ठतम शक्तिपर आधात करती है। हमारी शासनशैली-में ऐसी अवस्था प्रिय नहीं हो सकती। तौ भी राजास-स्वन्धी जितनी महत्वपूर्ण वातें हैं—वे देशकी हैं चाहे विदेशकी—उनमें समस्त शासक-मण्डलके विचारसे काम होता है और काई विभाग व्यक्तिशः उनका जिम्मेदार नहीं हो सकता। ऐसी वातोंकी समीचीनता और उनके कार्यान्वयित करनेकी पद्धतिपर सभी मन्त्री मिलकर विचार करते हैं और कोई उस कार्यभारसे छूट नहीं सकता। ऐसी वातोंमें निस्सन्देह मन्त्रिमण्डलका उत्तरदायित्व समिलिष्टसे ही रहना ठीक है”

इस प्रकार नवाँ विभागोंके मन्त्री, अध्यक्ष मन्त्रीके नेतृत्वमें एक साथ होकर राज्यसम्बन्धी प्रमुख वातोंका विचार और उपकरण करते तथा सम्बाट्को परामर्श देते हैं। मन्त्रियोंकी इस समिक्षो मन्त्रिमण्डल कहते हैं। प्रत्येक विभागका मन्त्री न्यायतः सम्बाट्द्वारा, प्रायः अध्यक्षमन्त्रीकी सम्मतिसे नियुक्त होता है और अध्यक्षमन्त्री भूतपूर्व प्रधान मन्त्री से और एक-वार मन्त्रिपरिषद्की सलाहसे नियुक्त होते हैं। सम्बाट् जिसको चाहें, राज्यका मन्त्री वना सकते हैं, पर उन्होंने ऐसा कभी किया नहीं है।

सर विलियम अन्सन बतलाते हैं कि इंग्लिस्तान के राष्ट्र-मन्त्रीगण महाराजके सेवक हैं और मन्त्रिमण्डल (कैविनेट) एक विचारसभा है, जो एकत्र होकर महाराजके राज्य प्रबन्धका उपाय सोचती और निश्चित करती है, और मन्त्रणा देती तथा राज्यके सब कार्योंका उपकरण करती है। उसके जो सभा-

सद होते हैं वे भिन्न भिन्न प्रबन्ध विभागोंके प्रधान और उस दलके नेता होते हैं, जिस दलको नीति अधिकाँश निर्वाचिकोंको प्रिय है और जिसके कारण उस दलविशेषको राज्यका भार सौंपा गया है, इन्हीं शब्दोंमें जापानके मन्त्रिमण्डलकी भी व्याख्या हो सकती है, पर उनके कर्तव्यों और अधिकारोंमें अन्तर है। इसी कारण जापान और इंग्लिस्तानकी शासनपद्धतिमें अन्तर पड़ गया है।

जापान मन्त्रिमण्डलके मन्त्री किसी दलविशेषके नहीं होते और इस लिए निर्वाचिकोंसे भी उनका कोई सम्बन्ध नहीं होता, अतः जापानी शासनविधानमें जहाँ यह लिखा है कि सम्राट् अमुक अमुक कार्य कर सकता है तो सर्वसाधारण्यह समझ लेते हैं कि सम्राट् स्वयं इस प्रकार कहते हैं। आंग्ज देशका प्रकार यहाँ पर नहीं चलता कि राजाकानाम लेकर राष्ट्रमन्त्री जो चाहे सो करे। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि सम्राट् स्वयं अपने विधिविहित अधिकारोंका प्रयोग करता है। वास्तवमें सम्राट् और सर्व साधारणके वीचके सब कार्योंके आने जानेका मार्ग यही मन्त्रिमण्डल है। और इन्हींके द्वारा सम्राट् अपने प्रयोग करता है।

सम्राट् जब समुदायमें बहुतही कम आते हैं। योकि आराजनानीके अविश्वासी, अपने सारे जनमें भी शाखदहीं सम्राट्को दूरसे भी देख पाते हैं। प्रायः लोग सम्राट्के गौरवको खिर रखना चाहते हैं और इसी लिए वे ऐसा नहीं चाहते कि सम्राट् वार वार जनसमुदायमें आवे। सर्व साधारणकी राय उनके पास अध्यक्ष मन्त्रीद्वारा या सम्राट् परिवार विभागद्वारा कई खानोंमें छुनकर तब पहुंचती है। ऐसी अवस्थामें राष्ट्रसम्बन्धी सब कामोंमें मन्त्रिमण्डल की रायसे

बलना और दिना कुछ कहे सुने मन्त्रिमण्डलके फैसलोंकी मंजूरी दे देनाही सम्बाट्के लिए उचित है। इस प्रकार मन्त्रिमण्डल की नीति ही सम्बाट्की नीति हो जाती है और राष्ट्रीय सभा की सहमतिसे (जब उसकी आवश्यकता पड़े) वह राजा की नीति हो जाती है। वस्तुतः सम्बाट्के प्रबन्धसम्बन्धी, धर्म विधान सम्बन्धी और न्याय सम्बन्धी जितने अधिकार हैं, उसका उपयोग मन्त्रिमण्डल ही सम्बाट्के नामपर करता है।

शासनसम्बन्धी तथा आपत्कालिक आज्ञापन निकालना, विदेशीय राष्ट्रोंसे सन्धिकरना, युद्ध छेड़ना और सन्धिकरना, जंत्र और स्थल सेनापर हुक्मत करना और उनका सङ्गठनकरना, राजकर्मचारियोंको रखना और निकालना, उनके वेतन और पेन्शन निश्चित करना आदि जो जो कार्य शासनविधानमें निर्दिष्ट हैं उनपर सम्बाट्के नामसे मन्त्रिमण्डलका ही पूरा २ अधिकार है।

न्यायविभागपर मन्त्रिमण्डलका, \*प्रबन्धविभागके समान, पूरा पूरा तो अधिकार नहीं है पर यथेष्ट है। न्यायालयोंपर उसका मर्यादित अधिकार है क्योंकि कानूनके अनुसार उनका सङ्गठन होता है और सब न्यायाधीश और अन्य न्यायालयाधिकारीगण जीवनभरके लिए नियुक्त होते हैं। पर शासन-प्रबन्ध सम्बन्धी मामलोंका जो न्यायालय है उसपर मन्त्रिमण्डलका पूरा पूरा अधिकार है। सम्बाट्के आज्ञापनानुसार इसका सङ्गठन होता है और इसके अध्यक्ष तथा सब परामर्शदाता अध्यक्षमन्त्रीद्वारा नियुक्त होते हैं। इस न्यायमन्दिरका

\* राज्य प्रबन्धके १० विभाग हैं और उनके १० मंत्री हैं, परन्तु वे राजा के मंत्री नहीं समझे जाते।

अधिकार वडे महत्वका है और वहुत व्यापक भी है, क्योंकि वाणिज्यशुल्कको छोड़कर सब प्रकारके कर निर्द्वारित करने, कर न देनेवालोंको दण्ड देने, व्यापार करनेसे रोकने, जल सम्बन्धी अधिकार और काम, और किसी भूमिके सम्बन्धमें सरकार और प्रजाजनोंके बीच भगड़े इत्यादि सब मामले इसी न्यायमन्दिरमें तय किये जाते हैं।

इन सब न्याय और प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकारोंका उपयोग सम्राट्के नामसे मन्त्रिमण्डलद्वारा होता है और परिषद्का उससे कोई सम्बन्ध नहीं। अब यह देखना चाहिए कि व्यवस्थापन कार्यनैतिक मन्त्रिमण्डल और परिषद्का परस्पर कैसा सम्बन्ध है।

शासनविधानके अद्युसार मन्त्रिमण्डल कोई भी विल राष्ट्रीय सभामें उपस्थित कर सकता है, इससे पहले उसने जो विल उपस्थित किया हो उसको बहवापस ले सकता है या उसमें संशोधन भी कर सकता है। सभाके सभासदोंद्वारा उपस्थित मसविदोंसे पहले मन्त्रिमण्डलके मसविदोंपर चिचार करनेका नियम है। जब कोई विल सभामें पास होजाता है तब उसे कानून बनानेसे पहले सम्राट्की स्वीकृति लेनी पड़ती है। यह ठीक है कि श्रवतक सम्राट्ने सभाका पास किया हुआ कोई विल अस्वीकार नहीं किया है। सम्राट् मन्त्रिमण्डलकी सम्मतिसे यह काम करते हैं, और कानूनपर उसके घोषित होनेसे पहले श्रद्धान्वक मन्त्री, तथा महाराधिराज सम्राट्के हस्तक्षर होने आवश्यक हैं।

इसके अतिरिक्त शासनविधानका यह भी नियम है कि मन्त्रिमण्डलके सदस्य तथा सरकारके प्रतिनिधि जब चाहें दोनों परियदोंमें किसी भी बैठकमें आकर बैठ सकते हैं और वोल भी सकते हैं। इतो इस नियमकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं

## १०२ जापानकी राजनीतिक प्रगति

“परिपद्मे आकर खोलनेका जो मन्त्रियोंको अधिकार है, वह सरकारकी इच्छापर है। अतः मन्त्री स्वयं उपस्थित होकर वाद-विवादमें भाग ले सकते हैं और विशेष वातोंकी स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं या सरकारके प्रतिनिधियोंको भेजकर उनसे यह काम करा सकते हैं, वे चाहें तो इन दोनो वातोंका इनकार भी कर सकते हैं।” परिपद्मोंमें जाकर वादविवादमें भागलेनेका अधिकार दोतरहसे काममें लाया जा सकता है (१) लोगोंपर अपना प्रभाव डालकर उनकी राय बदल दें या (२) वातोंमें समय नप्रकर-के कार्यमें विलम्ब करें, और किसी वातको स्पष्ट खोलकर कहने या सूचितकरनेसे इन्कार कर देनेका जो अधिकार है वह सरकारके फ़ायदेका ही है, क्योंकि वहुतसे प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनका उत्तर राजकर्मचारी ही दे या समझा सकते हैं। मन्त्रियोंके लिए इस अधिकारका दुरुपयोग करना और सदस्योंको आवश्यकीय वातोंके बतलानेसे इन्कार कर देना कोई अनोखी वात नहीं है।

इसपर भी मन्त्री और उनके प्रतिनिधि जब चाहें, चाहे जिस किसी भी समितिके कार्यमें भाग ले सकते हैं। वहां वे अपना द्वाव डालनेका काम सभामण्डलकी अपेक्षा अधिक अच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि समितिके सदस्य वहुत थोड़े होते हैं, और जब कोई महत्वका विल होता है, तो प्रायः उसकी वातचीत समितियोंमें ही तय करली जाती है और वह परिपद्मके दोनों विभागोंद्वारा पास करा लिया जाता है। मन्त्रियोंकी यही चेष्टा रहती है कि सरकारी विलोंपर वाद-विवाद या खण्डनभण्डन न हो।

राष्ट्रीय सभामें गुप्त वादविवादभी सरकारके कहनेपर या सभाके निश्चय करनेपर हो सकता है। इतो ऐसे अवसरके

कुछ उदाहरण देते हैं, जब गुप्तचर्चाकी आवश्यकता होती है, यथा विदेशसम्बन्धी मामले व्यक्तिगतवातें फौजी मामले और शान्ति और सुप्रबन्धके लिए शासनसम्बन्धी मामले अर्थात् राजाके सभी मुख्य काम इसके अन्तर्गत हैं।

सरकार जब चाहे, राष्ट्रीयसभाको पंद्रह दिनसे कम चाहे जितने समयके लिए स्थगित करसकती है। जापानी राष्ट्रीयसभाका काल वर्षमें तीन महिने होता है, और इन तीन महीनोंमें वह यदि कोई ऐसी विधि बनानेका उद्योग कर रही है जो सरकारको अप्रिय हो तो सरकार परिपद्का अधिवेशन स्थगित कर उस विधिमें हस्तक्षेप कर सकती है। इसके अतिरिक्त सम्बाद्का यह अनन्याधिकार है कि वे जब चाहें मन्त्रमण्डलकी सम्मतिसे परिपद्को एकत्र करें और जब चाहें परिपद्का अधिवेशन बन्द करें और प्रतिनिधि सभाको तोड़दें।

धर्म विधान कार्य में मन्त्रमण्डल इन सब अधिकारोंका उपयोगकर दखल दे सकता है। अब यह भी देखना चाहिए कि शासनविभागके कार्यमें दखल देनेके लिए परिपद्को क्या क्या अधिकार है। सबसे बड़ा अधिकार उसको राष्ट्रीय अर्थ प्रबन्धपर है।

शासनविधानकी दृष्टिं धारा यह है कि राष्ट्रके आय और व्ययका वार्षिक लेखा होना चाहिए और वह राष्ट्रीय सभा द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। शासनविधानमें यह नहीं लिखा है कि आय या व्ययको परिपद घटा बढ़ा सकती है या नहीं। विज्ञानोंका कथन है कि सभाको दोनों अधिकार हैं, पर और लोग कहते हैं कि चूँकि लेखा सभाद्वारा नहीं बनता यह बात स्वयंसिद्ध है कि सरकारके लेखेमें उसे बढ़ानेका कोई अधिकार नहीं है। अबतक यह प्रश्न किसी न्यायालय-

द्वारा हल नहीं हुआ है। परन्तु बढ़ानेका अधिकार इतने महस्त्य का नहीं है जितना कि बटानेका है और इस अधिकारका प्रयोग सभा आपने प्रथम अधिवेशनसे ही बराबर कर रही है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि परिपद्धको यह अधिकार कहांतक है।

आयके सम्बन्धमें सभाको यह अधिकार है कि यदि वह कोई नया कर बैठना चाहे या करका दर बटाना या बढ़ाना चाहे, या राष्ट्रसे ऋण उगाना चाहे, या राष्ट्र-निधिके सम्बन्धमें और कुछ उच्चोग करे, तो कर सकती है। परन्तु शासन सम्बन्धी आय अथवा हानि पूर्तिके तौरपर भिलने वाली आमदनों जैसे रेलभाड़ा, गोदामका किराया, पाठगाला-ओकी, फ़ीस तथा ऐसे अन्य उपायोंसे होनेवाली आय जिसका दर सरकारी आकापबोंसे निश्चित किया जाता है, इस प्रकारकी जो आय है उसमें हस्तक्षेप करनेका सभाको कोई अधिकार नहीं है। इसपर एक बार बड़ी वहस चली थी। संवत् १९४१ (सन् १९४२)में सरकारने एक नया आकापब निकालकर शिकारसम्बन्धी कानून बदल दिया और शिकार खेलनेवालोंपर एक नया लाइसेन्स लगाया, परन्तु समाने इस आकापबको अस्वीकार कर दिया और यह कारण बतलाया कि यह लाइसेन्स एक प्रकारका कर है। सरकारने कहा कि नहीं, यह तो दानिपूर्तिकी कोटिमें आता है, इसका परिमाण यह हुआ कि यह आकापब रह होगया। इस प्रकार आकापबद्वारा जो कुछ शासन सम्बन्धी लाइसेन्स लगे हैं वे अन्तमें सभाके अधिकारमें आसक्ते हैं। परन्तु जब हम देखते हैं कि 'शासन सम्बन्धी आय' तथा क्षतिपूर्तिके तौरपर जो आमदनी वसूल होती है, वह कुल आयका केवल एकतिहाई

भाग है, तब यह कहना पड़ता है कि राष्ट्रको आयपर सभाको बहुत थोड़ा अधिकार है।

विचार करनेसे यह भी पता लगता है, कि राष्ट्रके व्ययपर भी परिपद्धका अधिकार बहुत मर्यादित है। शासनविधानकी ६७ वां धारा है कि “सम्राट्‌के अधिकारोंसे सम्बन्ध रखने वाले विधानविहित व्यय, अथवा कानूनसम्बन्धी व्यय, अथवा सरकारकी जिम्मेदारी निवाहनेवाले व्ययको सरकारकी सहमति विना राष्ट्रीय परिपद्ध न तो रोक सकती है और न घटा सकती है।” इतो स्पष्ट कहते हैं कि ‘विधानविहित व्ययमें’ शासनकी भिज्ञ भिज्ञ शाखाओंके सङ्गठनका व्यय, जल और स्थल सेनाका व्यय, मुल्की और फौजी अफसरोंके वेतन, विदेशोंसे संधियोंके निमित्त होनेवाला खर्च, इन सबका अंतर्भव होता है, “कानूनसम्बन्धी व्ययमें राष्ट्रसभाके दोनों अङ्गोंका खर्च, कानूनसे निर्धारित कार्यालयोंके संगठित होनेपर कर्मचारियोंके वेतन, खर्च, वार्षिकवृत्ति, पेन्शन तथा सभासदोंको दिया जानेवाला सालाना भत्ता और अन्य नोनायकारके भत्ते, इन सबका समावेश होता है, और सरकारकी जिम्मेदारी निवाहनेवाले खर्चमें राष्ट्रीय ऋणका सूद, उसका निष्क्रय, कारखानोंकी सहायता, सरकारके शासनसम्बन्धी आवश्यकीय खर्च, सब प्रकारकी क्षतिपूर्ति तथा ऐसे ही खर्च आते हैं। इस व्ययको विना सरकारकी सहमतिके परिपद्ध न तो रोक सकती है और न घटा सकती है।

शासनविधानकी ६४ वां धारामें यह भी है कि, “आयव्ययपत्रमें जो व्यय निश्चित हुआ है उसके अतिरिक्त जो व्यय हो उसके लिए राष्ट्रीय परिपद्धकी सीलिति लेनी पड़ेगी।” इसका यह अर्थ होता है, कि वार्षिक आयव्ययपत्रमें व्ययका

## २०६ जापानकी राजनीतिक प्रगति

जो अनुमान दिया गया हो उसके अनुसारतो सरकार व्यय कर ही सकती है और ऐसा व्यय भी कर सकती है जो कि अनुमानपत्रमें भी हो, पर उसके लिए पोछेसे राष्ट्रीयपरिपद्धती स्वीकृति आवश्यक है, परन्तु क्या इसमें कोई ऐसी वात है जिसके बलसे राष्ट्रीय परिपद्ध सरकारको व्यय दढ़ानेसे रोक सके? मान लोजिए कि सरकारने आयव्ययपत्रसे अधिक खर्च कर डाला और उस अधिक खर्चको राष्ट्रीय परिपद्धने स्वीकार न किया तो क्या होगा? रुपया तो खर्च हो ही गया, राष्ट्रको वह देना ही पड़ा। इतो कहते हैं कि ऐसे अवसरोंपर सरकार जो रुपया खर्च कर चुकी है उसपर राष्ट्रीय परिपद्धके निर्णयका कोई असर नहीं हो सकता और सरकारपर इससे जो बोझ पड़ा वह भी हलका नहीं हो सकता”। अतः यह अधिक व्यय रोकनेका अमोब उपाय नहीं है संवत् १९४८ में मिनो और ओवारी प्रान्तोंमें भूकम्पके कारण सरकारको २२ लाख ५० हजार येन (लगभग ३५ लाख १५ हजार ६०० रु) खर्च करना पड़ा है। वादको यथानियम उसने राष्ट्रीय परिपद्धकी स्वीकृति चाही। तब प्रतिनिधिसभाकी एक विशेष समितिने खर्चकी त्रुटियोंका पता लगाकर सरकारसे उसका विवरण चाहा और इस सम्बन्धके कुछ काग़ज पत्र पेश करनेके लिए कहा। सरकारने केवल विवरण देने तथा काग़ज पत्र पेशकरनेसे इन्कार किया, वल्कि परिपद्धकी इस अस्वीकृतिके आधारपर परिपद्धको तोड़ देनेका ही उद्योग किया, तब परिपद्धको दूसरे अधिवेशनमें स्वीकृति देनी पड़ी यद्यपि खर्चमें जो गड़वड़ हुई थी उसके प्रमाणोंकी कमी नहीं थी।

यदि मन्त्रिमण्डलसभाके सामने उत्तरदायी होतो इसकरतही गड़वड़ वन्द करनेमें कोई कठिनाई नहीं हो सकती।

पर जापानके राजाके मन्त्री केवल सम्राट्‌को ही जानते हैं।

अतः जबतक वे मन्त्रिपदपर हैं, तबतक सभापर अपना अधिकार चला सकते हैं।

जब किसी कारणवश सभा आयव्ययपत्रपर मत न दे अथवा आयव्ययपत्रपर मत मिलनेसे पहले सभा भङ्ग हो जाय तो सरकारको यह अधिकार है कि वह पूर्ववर्पके आयव्ययपत्रके अनुसार कार्य करे और उस आयव्ययपत्रसे अधिक व्यय करनेकी आवश्यकता हो तो वहभी करे। शासनविधानको ७० वीं धारा है कि “जब देशकी भोतरी या वाहरी अवस्थाके कारण सार्वजनिक शास्तिके विचारसे राष्ट्रीयसभा आमन्त्रित न की जासके तो सरकार सम्राट्‌के आज्ञापत्रके सहारे अपने अर्थसम्बन्धी सब आवश्यकीय उपाय कर सकती है”। अतः हम यह कह सकते हैं कि राज्यकी आर्थिक वातांमें सभाको हस्तक्षेपकरनेका अधिकार नहीं, केवल तत्यावधान करनेका अधिकार है। फिर भी शासनविधानसे सभाको जिसने अधिकार मिले हैं, उन में सबसे महत्वका अधिकार यही है।

#### मन्त्र परिषद्

जापानकी शासनप्रणालीमें मन्त्रपरिषद् (मुमित-इन)भी एक विशेषस्थान है। यह इंग्लैण्डकी मन्त्रिपरिषद्‌के समान नहीं है जिससे कि अङ्गरेजी मन्त्रिमण्डल बना है और जिसके कारण ही अङ्गरेजी मन्त्रियोंका अस्तित्व विधि-विधेय हुआ है। हमारे यहां मन्त्रिमण्डल और प्रिवी कौनिसल दो परस्पर भिन्न और स्वतंत्र संस्थाएँ हैं और प्रत्येक विधिविहित मर्यादा कानूनसे, अथवा सम्राट्‌के आज्ञापत्रसे ही निश्चित हुई हैं। यद्यपि मन्त्रिमण्डलके १५ मन्त्री होनेके ही कारण मन्त्रिपरि-

पद में स्थान पाते हैं। यह पाठकोंको मालम ही हो गया है, कि मन्त्रिमण्डल शासकोंका मण्डल है और मन्त्रिपरिषद् पक्ष मन्त्रणा-सभा है, जिसमें सभाद्वाके कानूनी सलाहकार होते हैं। पहले पहल जब इसकी स्थापना हुई तो सलाहकार (परामर्शदाता), अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मन्त्रिमण्डलके सभासद मिलाकर कुल छव्वीस सभासद थे, अब यह संख्या बढ़ते बढ़ते ३४ तक आ पहुँची है और लगातार बढ़ती ही जाती है। यह इसलिए नहीं बढ़ायी जाती कि संख्या बढ़ानेसे कार्यमें कुछ विशेषता आ जायगी वलिक इसलिए कि जिन वयोवृद्ध राजनीतिज्ञोंको शासनकार्यमें कहीं स्थान नहीं मिल सकता उनके लिए स्थान रहे। १९४४ विक्रम १५ मेष (२८ अगस्त १९४८) का सभाद्वाका आकापन नं० २२ में लिखा है कि मन्त्रपरिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्योंको स्वयं सभाद्वनियुक्त करेंगे। मन्त्रपरिषद्का काम मन्त्रणा-सम्बन्धी होता है। राष्ट्रकी महत्वपूर्ण वातोंपर जब सभाद्व उससे सम्मति पूछते हैं, तब उसका आधिक्येशन होता है और विचार होकर नेपर सभाद्वको सम्मति दी जाती है। उसकी सम्मतिको स्वीकार करना या न करना और अधिक्येशनमें उपस्थित होना या न होना सभाद्वकी इच्छापर है। (प्रायः सभाद्व परिषद् के अधिक्येशनोंमें बहुत कम आते हैं) जिन विपर्योगपर विशेषकर मन्त्रिपरिषद् से राय ली जाती है, वे हैं—

१ सभाद्वकी कुलधर्मसम्बन्धी वातें।

२ शासनविधानकी धाराओंसे तथा अन्य विधान और राज्य, आकापनों और कानूनों से सम्बन्ध रखनेवाली सन्दिग्ध वातें और चिट्ठे।

३ ऐ और आपत्तिकाल सम्बन्धी नियमों और आकाओं

## मन्त्रिमण्डल और मन्त्रपरिषद् २०६

की धोषणा करना ।

४. अन्तर्राष्ट्रीय संविधान और प्रतिज्ञाएँ ।

५. मन्त्रि-परिषद् के संशोधन-सम्बन्धी वार्ते ।

परन्तु मन्त्रि-परिषद् समाइकी केवल मन्त्रणासभा है— उसे स्वयं प्रबन्धका कोई अधिकार नहीं है। सर्वसाधारणसे उसका सरकारी सम्बन्ध कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीयपरिषद्, सर्वसाधारण या किसी सरकारी संस्थाका प्रार्थनापत्र, आवेदनपत्र, या किसी प्रकारका पत्र स्वीकार करनेका उसको अधिकार नहीं है, उसका सरकारी सम्बन्ध जो कुछ है वह केवल मन्त्रिमण्डल और मन्त्रियोंसे है ।

अब यह देखना चाहिए कि मन्त्रि-परिषद् और मन्त्रि-मण्डलका यह परस्पर सम्बन्ध कैसा है। राज्यसम्बन्धी अत्यन्त महत्वकी वातपर समाइको मन्त्रपरिषद्से परामर्श करना पड़ता है; ऐसा नियम है। तब मन्त्री और मन्त्रपरिषद् के सभासद एक जगह बैठकर विचार करते हैं। यदि योग्यता और प्रतिभामें मन्त्रपरिषद् के सदस्य मन्त्रियोंसे अधिक हुए तो वे मन्त्रियोंको परास्तकर कौनिसलॉको अपने वशमें कर लेते हैं। क्योंकि उनके मत यदि एक साथ लिये जायें तो मन्त्रियोंसे तिगुने होते हैं। यह सच है कि ऐसी अवस्थामें मन्त्रपरिषद् मन्त्रिमण्डलके काममें कुछ दखल नहीं दे सकती, पर यदि समाइको निर्णयको स्वीकार कर लें तो इसका प्राधान्य हो जाता है और तब वह मन्त्रि-मण्डलके अधिकारको भी काट सकती है ।

पर यदि मन्त्री मन्त्रपरिषद् के सदस्योंसे अधिक चतुर और दृढ़ उप तो वे मन्त्रपरिषद् के सदस्योंको सहजहीमें परास्त कर सकते हैं। मन्त्रपरिषद् के सदस्योंमेंसे १० सभा-

## २१० जापानकी राजनीतिक प्रगति

सद्गुरु मन्त्रिमण्डलके होते हैं। यह संख्या बहुत कम है, पर अधिवेशनमें गणपूर्ति करनेके लिए काफ़ी है। इसलिए मन्त्रिमण्डलवालोंकी संख्या कम हुई तो क्या, अधिवेशनका दिन समय आदि अपना सुभीता देखकर नियत करना और अपनी इस कमीको पूरा कर लेना उनके अधिकारकी बात है। इसके अतिरिक्त मन्त्रिमण्डलवालोंको शासन सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हैं, और सरकारी कर्मचारियों और राष्ट्रीयपरिषद्से उनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। मन्त्रपरिषद्के लिए यह सब कुछ नहीं है, इतना ही नहीं, उसके सभासद् किसी राजनीतिक दलमें भी समिलित नहीं हो सकते\*, अतः सम्बादकी आज्ञाके अतिरिक्त मन्त्रपरिषद्के लिए ऐसा कोई विधिका सहारा नहीं है कि जिसके सहारे वे मन्त्रिमण्डलवालोंका सामना कर सकें।

परन्तु मन्त्रपरिषद्में जब मन्त्रिमण्डलवालोंका पूरा विजय हो जाता है तो उससे उनका बड़ा काम निकलता है। मन्त्रिमण्डलके किसी कार्यपर किसी अवसरपर परिषद् प्रश्न कर सकती है, परन्तु मन्त्रपरिषद्के निर्णयपर वह कुछ घोल नहीं सकती। यह सही है कि परिषद्के निर्णयका व्यवस्थापन व शासनसम्बन्धी वातोंपर कोई असर नहीं पड़ सकता जब तक सम्बाद् उस निर्णयको स्वीकार न करें। परन्तु ऐसा शायद ही कभी होता हो कि मन्त्रिमण्डलकी नीतिको मन्त्रिपरिषद्का सहारा होते हुए सम्बाद् अस्वीकार कर दें। अतः

---

\* ऐसा कोई कानून तो नहीं है कि मन्त्रिपरिषद्के सभासद् किसी राजनीतिक दलके सभासद् न हों, पर ऐसा हुआ अवश्य है कि काउण्ट ओकुमा १९३८ विं में इसलिए कौन्सिलसे हटाये गये कि वे उदारमतवादी दलके नेता इतागाकीसे जा मिले थे, और विक्रमीय १९६१ (१९०४) में इन्होंने प्रिंसी कौन्सिलके प्रेसिडेण्ट होनेके कारण ही सेइयुकारै दल छोड़ दिया था।

## मन्त्रिमण्डल और मन्त्रपरिषद् २११

ऐसा हो सकता है कि मन्त्रिमण्डलके सभासद अपने कार्यका महत्व और बल बढ़ानेके लिए अथवा जिम्मेदारीसे बचनेके लिए मन्त्रपरिषद्का उपयोग करते हैं।

परन्तु अबतक मन्त्रिमण्डल और मन्त्रपरिषद्का घोर विरोध होनेका अवसर कभी नहीं आया है, क्योंकि दोनोंके सभासद एक ही विचारके और परस्पर मित्रभाव और घनिष्ठ सम्बन्ध रखनेवाले ही रहे हैं और अभी भी हैं, और दोनों ही सम्बाट्के सम्मुख उत्तरदायी हैं, न कि परिषद्के। पर दिन दिन मन्त्रिमण्डल राष्ट्रीय परिषद्की सभाओंके ही बहुमतका सहारा लेनेकी ओर झुक रहा है। आगे चलकर जब मन्त्रिमण्डलके सभासद परिषद्के उत्तरदायी होंगे तब सम्भव है कि मन्त्रिमण्डल और मन्त्रपरिषद्में जो स्नेहभाव अब है वह जाता रहे। इन्होंने यह आशा की थी कि “यदि मन्त्रपरिषद् सम्बाट्की बुद्धिमत्ताको सहायता देनेमें और किसी पक्षकी ओर न झुककर निष्पक्ष रहनेमें तथा समस्त कठिन उलझनोंको सुलझानेमें उपयुक्त हुई तो जापानकी शासनप्रणालीका यह एक महत्वका भाग समझी जायगी इसमें सन्देह नहीं।” पर यदि ऐसा न हुआ तो मन्त्रपरिषद् और मन्त्रिमण्डलके बीच अदृष्ट कठिनाइयाँ उपस्थित हो सकती हैं।



## तृतीय परिच्छेद

राष्ट्रीय सभा

राष्ट्रीय सभामें दो विभाग हैं—प्रतिनिधि-परिषद्, और सरकार परिषद्। प्रतिनिधि सभामें ३७४ प्रतिनिधि होते हैं जो ४ करोड़ ६७ लाख ३२ हजार म सौ ७६ जापान-जन-संख्याके १७ लाख ६८ हजार १३ निर्वाचकों द्वारा चुने हुए होते हैं। सरकार सभाके ३६८ सभासद होते हैं जिनमें १६ राजवंशज कुमार, १३ साधारण प्रिन्स, २६ मारकिस, १७ काउण्ट, ७० वाइकाउण्ट, ५६ वेरन, १२२ सम्राट्के मनोनीत और ४५ सबसे अधिक कर देनेवालोंके प्रतिनिधि होते हैं।\*

इस सभाको शासन पद्धतिके विधानोंके अनुसार कौन कौन अधिकार प्राप्त है, इसकी व्याख्या इतो अपने भाष्यमें यो कहते हैं—(१) प्रार्थनापत्र स्वीकार करनेका अधिकार, (२) सम्बाट्के पास आवेदनपत्र और निवेदनपत्र भेजनेका अधिकार, (३) सरकारसे प्रश्न करने और जवाब तलब करनेका अधिकार और (४) व्ययके प्रबन्धकी देखभाल करनेका अधिकार।

इस विषयकी चर्चा तो इससे पहले ही हो चुकी है कि सभाको मन्त्रिमण्डलसे सम्बद्ध धर्मविधानका अधिकार कितना है और व्यय प्रबन्धका कितना अधिकार है। इसलिए अब इन अधिकारोंके अतिरिक्त और क्यांडसके अधिकार

\* राजवंशज, प्रिन्स और मारकिस इनको परिषद्के सभासद होनेका जन्मतः अधिकार है। काउण्ट, वाइकाउण्ट और वेरन अपने अपने समाजसे चुने जाते हैं। अर्थात् जितने वेरन हैं, वे वेरनको चुनेंगे, वाइकाउण्ट वाइकाउण्टको और काउण्ट काउण्टको।

हैं तथा सभाका दोनों विभागोंसे धर्मनिर्माणके सम्बन्धमें पर-  
स्पर कैसा सम्बन्ध और क्या अधिकार है उन्हींकी हम यहाँ  
चर्चा करेंगे।

अब रहा प्रार्थनापत्र स्वीकार करनेका अधिकार । इनमेंसे  
दोनों परिषदोंको यह अधिकार है कि परिषद्के किसी  
सभासदकी मारफ़त किसी जापानी प्रजाजनके प्रार्थनापत्र-  
को ग्रहण करें । यह प्रार्थनापत्र समितिके पास भेज दिया  
जाता है । यदि समिति कोई इसकी खास सूचना करे वा  
परिषद्के कमसे कम ३० सभासद चाहें कि यह प्रार्थना-  
पत्र उपस्थित किया जाय तो वह उपस्थित किया जाता है और  
उसपर वादविवाद होता है । परन्तु सरकारका सहोरा न  
हो तो परिषद्का अधिकार द्वेष वहुत ही छोटा है, इसलिए  
लोग कोई विशेष कानून बनवानेके लिए परिषद्के पास  
प्रार्थनापत्र भेजनेको कोई उपयोगी तरीका नहीं समझते । और  
न परिषद्के लोकप्रतिनिधि ही उसपर विशेष ध्यान देते हैं,  
क्योंकि जबतक सरकार उन प्रार्थनापत्रोंपर विचार करना न  
चाहे, ये कर ही क्या सकते हैं । इधर कुछ वर्षोंसे परिषद्के  
सदस्य इन प्रार्थनापत्रोंपर ध्यान देने लगे हैं, नहीं तो पहले  
किसीको उनकी कोई परवाहतक नहीं थी ।

राष्ट्रीय सभाके इस अधिकारके सम्बन्धमें एक विशेष  
मार्केंकी वात है जिसको ध्यानमें रखना चाहिए । वह यह है  
कि सभाका कोई विभाग ऐसा कोई प्रार्थनापत्र नहीं स्वीकार  
कर सकता कि जिसमें शासनपद्धतिके संशोधनका प्रश्न हो  
अथवा न्यायविभागसे या शासनसम्बन्धी न्यायविभागसे  
जिसका सम्बन्ध हो । शासनपद्धतिके निर्माताओंने इसे समाट-  
की श्रद्धेय सम्पत्तिके समान सुरक्षित रखनेका प्रयत्न किया है

## २१४ जापानकी राजनैतिक प्रगति

और शासनाधिकारको उन सरकारी कर्मचारियोंके हाथमें रख छोड़नेकी चेष्टा की है कि जिनसे सभा जवाब तलव नहीं कर सकती। वे जानते थे कि आगे चलकर सर्वसाधारणका शासनाधिकारपर आक्रमण होगा और इसलिए उन्होंने बड़ी सावधानीसे इसकी रक्षाका उपाय किया है।

अब रहा प्रश्न करनेका अधिकार। इस समय सभाको, विशेषकर प्रतिनिधि परिषद्को जो अधिकार प्राप्त हैं, उनमें यह एक बड़ा ही उपयोगी अधिकार है। प्रायः प्रतिनिधि परिषद्के अधिकतर सभासद सरकारके विरुद्ध ही रहते हैं। वे स्वयं जो कानून बनाना चाहते हैं उसमें चारों ओरसे विभागादें आकर घेर लेती हैं। यदि प्रतिनिधि परिषद्के सभासद कोई विल पेश करते हैं और उसे सरकारसे सहारा नहीं मिलता तो उसके दूसरे या तीसरे चाचनका समय ही नहीं आता, क्योंकि सरकारके पेश किये हुए विलोंपर पहले विचार करना पड़ता है, तब दूसरे विलोंकी बारी आती है।

इसके अतिरिक्त सरकार १५ दिनसे कम चाहे जितने समयके लिए सभा खण्डित कर सकती है। जिससे सरकार जिस विलके विरुद्ध है उसके उपस्थित किये जानेमें सहजहीमें विलम्ब कर सकती है। इतना ही नहीं; सम्राट्के नामसे सरकार सभाको जब चाहे विसर्जित भी कर सकती है। यदि कोई विल प्रतिनिधि परिषद्से निश्चित भी हो गया तो मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध होनेपर सम्राट् उसे स्वीकृति न देंगे। इस प्रकारसे प्रतिनिधि परिषद्के सभासद अपने कानून निश्चित करानेके प्रयत्नमें प्रायः विफलमनोरथ ही होते हैं। इसलिए जापानको प्रतिनिधिपरिषद्के बहुतेरे राजनीतिज्ञ सरकारकी मदद करने और सरकारके संविधान निश्चित करानेके लिए सभामें उप-

स्थित नहीं होते। जब ऐसी कोई आवश्यकता पड़ जाती है और मुख्य मुख्य दलोंसे सरकारके साथ सहकारिता करनेका आग्रह किया जाता है तभी वे ऐसा करते हैं। साधारणतः वे सरकारसे प्रश्नोंपर प्रश्न करनेको आते हैं, शासन कार्यकी रक्ती रक्ती छानवीन कर उसके दोष और प्रमाद निकालते हैं, सरकारकी पोल खोल देते हैं और लोगोंके सरकारपर जमे विश्वासको हिला देते हैं। वर्तमान पद्धतिके अनुसार सर्व-साधारणकी प्रतिनिधिपरिषद्का अपना अधिकार प्रकट करनेका सबसे अच्छा मार्ग यही है।

प्रतिनिधिपरिषद्के सदस्यद्वारा सरकारके कार्योंकी जो आलोचना करते हैं वह साधारण नहीं बल्कि बड़ी ही तीव्र होती है, क्योंकि जापानी सरकार किसी दल विशेषकी पक्षपाती और उत्तरदायी सरकार नहीं होती। लॉर्ड लैनसडाउनने लॉर्ड मालंके परिषद्सम्बन्धी विलका विरोध करते हुए उत्तरदायी और अनुत्तरदायी सरकारका प्रतिवाद करनेकी रीतियोंका अन्तर ठोक ठीक बतला दिया है। उन्होंने कहा था कि, “इस (इंग्लिस्तान) देशके प्रतिवाद करनेके ढङ्ग और हिन्दु-स्थानके प्रतिवाद करनेके ढङ्गमें बड़ा भारी अन्तर है। इंग्लिस्तानमें जब सरकारके किसी कार्यका प्रतिवाद किया जाता है तो प्रतिवादियोंके मनमें यह एक विचार रहता है कि किसी दिन हमारे हाथमें भी शासनकार्य आजायगा और तब हमारे ऊपर भी वही जिम्मेदारी आ जायगी जो आज सरकार पर है। परन्तु आप (अगरेज़) हिन्दुस्थानीको कभी सरकारका परिवर्तन न करने देंगे, और इसलिए इन दोनों अवस्थाओंमें वस्तुतः आकाश पातालका अन्तर है।” जापानी प्रतिनिधि-परिषद्के सदस्योंको इस समय यह आशा नहीं रहती कि हमें

## २१६ जापानकी राजनैतिक प्रगति

सरकारका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना पड़ेगा। अतः सरकारसे उनका वर्ताव प्रायः बड़ा ही उम्र और सर्वथा प्रतिकूल होता है, और कभी कभी तो उनके काम बड़े ही अनुचित होते हैं। यह तो नियम ही है कि जितना ही उसका प्रतिवाद होगा उतना ही उत्साह और सहारा उसे परिपद्धसे और सर्वसाधारणसे भी मिलेगा।

सरकार तो हर तरहसे प्रतिनिधिपरिपद्धके प्रतिवाद और विरोधसे बचने तथा आपनी जिम्मेदारियोंको टालनेका यथेष्ट उपाय कर सकती है। मन्त्रमण्डलका कोई सदस्य प्रतिनिधिपरिपद्धके किसी प्रश्नका उत्तर दे या कुछ कारण बतलाकर इनकार भी कर दे, यह उनके अधिकारकी बात है। उत्तर देनेसे इनकार करना हो तो “साम्राज्यकी वैदेशिक नीतिके सम्बन्धकी बातें गुप्त रखनी पड़ती हैं” यह कारण या ऐसा ही कोई और कारण बतला दिया जाता है। अपने कार्यका समर्थन करने या आपनी जिम्मेदारी ही टाल देनेके लिए मन्त्रमण्डलके सभासद प्रायः सम्राट्का नाम वेखटके ले देते हैं। संवत् १९५२में जब इतो प्रधान मन्त्री थे तो प्रतिनिधि परिपद्धके सदस्य उनसे कोरियाके सम्बन्धकी युद्धान्तर सरकारी नीतिके सम्बन्धमें प्रश्नपर प्रश्न कर उनका दिमाग चाट गये थे। तब उन्होंने कहा कि “सरकारकी वैदेशिक नीति महाराजाधिराज सम्राट्के शज्जेय विचारसे निश्चित होती है और मन्त्रमण्डलको यह अधिकार नहीं है कि यह बतलावें कि सरकार अब किस नीतिका अवलम्बन करेगी।” इस प्रकारसे कुछ देरके लिए इतोने सभासदोंको चुप करा दिया।

परन्तु बात यह है कि मन्त्री सम्राट्के नामकी ओटमें छिपनेका कैसा ही प्रयत्न क्यों न करें, और लोगोंकी मनो-



निवासी ]

प्रधान मन्त्री इतो

[ जा. रा. प्र. पृष्ठ २१३



चृत्तिसे लाभ उठानेमें कितनी चालाकी यों न कर जायँ, वे अपने स्थानपर तभीतक रह सकते हैं, जबतक सर्वसाधारण पक होकर उन्हें पदच्युत करनेपर तैयार नहीं होते। उनकी जो कमजोरियाँ और गलितियाँ होंगी वे किसी न किसी दिन प्रतिनिधि परिषद्के चतुर और सावधान सभासदोंकी प्रश्न-परम्परासे सर्वसाधारणके सामने आ ही जायँगी। ऐसी अवस्थामें धर्मपरिषद्, सर्वसाधारण और कभी कभी मन्त्र-परिषद्के सभासद भी सरकारपर ऐसा द्वाव डालते हैं कि अन्तमें मन्त्रिमण्डल ही बदल जाता है।

अब सम्राट्की सेवामें आवेदनपत्र भेजनेके अधिकारका विचार करें। यूरोपके सङ्गठित राजसत्तात्मक राष्ट्रोंमें इस अधिकारका प्रयोग प्रायः नहीं होता। परन्तु जापानमें इस अधिकारका भी दैसा ही महत्व है; जैसा कि प्रश्न करनेके अधिकारका। एक तो इस कारणसे कि जापानियोंके संस्कार ही कुछ ऐसे हैं, और दूसरा कारण यह कि सरकार केवल अनुच्छेदायी ही नहीं, प्रत्युत सम्राट्के नामके पांचे 'छिपनेवाली है। इन दोनों कारणोंसे धर्मसभा विशेषतः प्रतिनिधि-परिषद् सरकारको तज्ज्ञ करनेके लिए इस अधिकारका उपयोग करती है और यह अधिकार भी राजनीतिक महत्व का है।

जब शासन-पद्धति-सम्बन्धी आन्दोलनके दिनोंमें राष्ट्रीय-सभा स्वापनार्थ संयुक्तसंघ (युनाइटेड असोसियेशन) ने सम्राट्की सेवामें अपना आवेदनपत्र उपस्थित करना चाहा तो एक सरकारी कर्मचारीने उसे यह कहकर फेंक दिया कि लोगोंको राजनीतिक आवेदनपत्र भेजनेका कोई अधिकार नहीं है। वर्तमान पद्धतिके पूर्व सर्वसाधारणको सम्राट्से अपनी आकांक्षाएं और आवश्यकताएं बतानेका कोई प्रत्यक्ष

## २१८ जापानकी राजनीतिक प्रगति

या अप्रत्यक्ष साधन नहीं था, सिवाय इसके कि वे मन्त्र-मण्डलसे या न्यायालंयके कर्मचारियोंसे जो कुछ कहना हो, कहें। पर अब इस नवीन पद्धतिसे यह हो गया है परिषद् स्वयं अपने ही प्रधान अथवा सभापतिद्वारा सम्राट्‌के पास आवेदनपत्र भेज सकती है। अबतक जिन मन्त्रियोंने सम्राट्‌से मिलने और वात करनेका अधिकार ले रखा था उनकी यहाँ दाल नहीं गलती। पर इससे कोई यह न समझे कि राष्ट्रीय-सभा इस आवेदनपत्रसे राज्यकी नीतिमें हस्तक्षेप करने या उसे बदल देनेकी सलाह भी सम्राट्‌को दे सकती है। ऐसा नहीं है। इस अधिकारसे सम्राट्‌के मनपर कुछ प्रभाव पड़ता हो, सो भी नहीं, प्रत्युत इसका रहस्य यही है कि सर्वसाधारणपर इसका एक प्रकारका विशेष प्रभाव पड़ता है। जापानके राजकार्यमें सम्राट्‌का नाम भी बड़ा काम करता है, जो इसका उपयोग जितनी ही उत्तमताके साथ करेगा उसका उतना ही राजनीतिक प्रभाव बढ़ता है। इसी कारण राष्ट्रीय सभा और सम्राट्‌के प्रत्यक्ष सम्बन्धका विशेष गौरव है। जापानियोंकी परम्परागत राजनीतिक कल्पनाओंके अनुसार राष्ट्रके मन्त्रियों का प्रधान कर्तव्य यह था कि वे सम्राट्‌के लिए देशको सुरक्षित रखें और प्रजाजनोंको सम्पन्न और सुखी बनावें। इस कर्तव्यमें चूकना और सम्राट्‌के प्रिय प्रजाजनोंके असन्तोष और दुःखका समाचार सम्राट्‌के कानोंतक पहुँचाना मन्त्रियोंके हक्कमें बड़ा भारी राजद्रोह समझा जाता था जिसका परिमार्जन आत्महत्या(हाराकिरी)से ही हो सकता था। पहले भी और अब भी सर्वसाधारणका यही ख्याल है कि अपने प्रजाजनोंको अपने बच्चोंके समान पालन करना और सुखी और सन्तुष्ट रखना ही सम्राट्‌का एकमात्र काम है।

इसीलिए, जैसा कि पहले हम कह चुके हैं, राजमन्त्री प्रायः अपने किये हुएका समर्थन करने या अपनी जिम्मेदारी को टाल देनेके लिए सम्प्राट्का नाम ले दिया करते हैं। मन्त्रियोंकी इस कार्यवाहीका प्रतिकार करनेके लिए राष्ट्रीय सभा सम्प्राट्के पास अपने आवेदनपत्र भेजनेके अधिकारका उपयोग करती है। प्रायः आवेदनपत्र (अभिनन्दन पत्रोंको छोड़कर) इसी उद्देशसे सम्प्राट्की सेवामें भेजे जाते हैं कि शासन कार्यकी त्रुटियाँ और असन्तोषजनक परिस्थिति उनपर प्रकट हो और लोगोंपर भी यह प्रकट हो जाय कि मन्त्रिगण सम्प्राट्की इच्छाका पालन नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार उनपर जो आक्षेप किये जाते हैं, उनका यदि वे निराकरण न करें तो उनपरसे सर्वसाधारणका विश्वास उठ जाता है। यही नहीं वहिं कि उस सम्प्राट्के मन्त्री हैं जो सम्प्राट् अन्याय या प्रमाद कभी कर नहीं सकते इस ख्यालसे उन्हें या तो यह सिद्ध करना चाहिए कि प्रतिनिधि सभा भूठी है या अपनी त्रुटियोंको ही स्वीकार कर लेना चाहिए, इनमेंसे यदि पहली वात हो तो प्रतिनिधि सभा ही भङ्ग कर दी जाती है\* और सर्व-

\* पान्तु यहाँ ध्यान रखे कि प्रतिनिधि सभा भङ्ग करके देशसे न्याय मांगना वैसा नहीं है जैसा कि इनिजन्नानमें। जापानमें दलवद सरकार (पार्टी गवर्नमेंट) नहीं होती यथापि प्रतिनिधि सभामें सरकारके पक्षके और विपक्षके भी लोग होते हैं। सम्प्राट्के पास सरकारपर आक्षेप करनेमें यथापि सर्वसाधारणका धृत्य नहीं होता तो भी प्रतिनिधिसभा भङ्ग होनेपर जो दूसरी सभा संगठित होती है वह फिरसे वही काम नहीं करती। सरकारको भी सभा-भङ्गसे पाँच महीने तकका समय मिल जाता है (संघटनानुसार) जिस बीचमें दह प्रतिनिधिसभाकी रोकीटोकसे स्वतंत्र रहकर काम कर सकती है और नवी प्रतिनिधिसभासे सामना करनेकी भी तैयारी कर लेती है। पर यदि सभा भङ्ग होनेपर सर्वसाधारणमें सरकारका घोर विरोध रहता है तो मन्त्रिगण पद त्याग करते हैं। ऐसे समय प्रियोक्तानिल उसपर बहुत दबाव डालती है।

## २२० जापानकी राजनैतिक प्रगति

साधारणको उस विषयमें निर्णय करनेका अधिकार दिया जाता है। यदि दूसरी बात हो तो सब मन्त्री या कुछ मन्त्री त्यागपत्र दे देते हैं और सर्वसाधारणसे क्षमा प्रार्थना कर कहते हैं कि हम लोग यथायोग्य शासन करने तथा सभाद्वाको अनावश्यक चिन्तासे बचानेमें असमर्थ हैं।\*

इस प्रकार राष्ट्रीयसभाको विशेषकर प्रतिनिधिपरिषद्को सभाद्वाकी सेवामें आवेदन करनेका जो अधिकार है वह सरकारपर दोपारोप करनेके काममें ही बहुत ठीक तरहसे आता है। संवत् १९४७के बाद बीस वर्षमें प्रतिनिधि सभाके अनुभवमें ७ बार सभा भङ्ग हुई है, जिनमें चार बार मन्त्रिमण्डलपर प्रतिनिधिपरिषद्द्वारा दोपारोप ही कारण हुआ है। सरकारपर दोपारोप करनेकी जितनी मनोरक्षक घटनाएँ हुई हैं, उनमें सबसे अधिक आश्वर्यजनक घटना संवत् १९६० में हुई जिसका परिणाम उसी वर्षके पौष (दिसम्बर १९६० ई०) मासके प्रतिनिधि सभाके दूनेमें हुआ। इस बार सभाद्वाके पास जो आवेदनपत्र गया था, वह साधारण दोपारोपका पत्र नहीं था।† परिषद् खोलनेके अवसरपर सभाद्वाकी

\* जापानमें गन्तियोंकी जिम्मेदारी समिग्रन नहीं होती। इसलिये यह आवश्यक नहीं है कि कभी सब्नी पक्षसाथ ही पदत्याग करें। कभी कभी अध्यक्ष मन्त्री और ऐसे विभाग मन्त्री, जिनपर दोपारोप हुए हों, पदत्याग करते हैं और सब मन्त्रा पूर्वत ही काम करते हैं।

† यह अभिनन्दनपत्र सभाद्वाको भेट करनेके पूर्व जब प्रतिनिधि-सभामें अध्यक्ष कोनो हिरोनाकाने ४मे पढ़कर सुनाया तो उस समय सभासदोने उसके शब्दोंपर ध्यान नहीं दिया। यही समझ लिया कि मामूली अभिनन्दन पत्र है। इसमें राजनीतिकी कोई बात नहीं और यह समझकर उसके अनुकूल अपना मत दे दिया। पीछे से जब सभासदोंको यह मालूम हुआ कि उस अभिनन्दनपत्रमें कुछ ऐसे भी शब्द थे। जिनका अभिप्राय मन्त्रिमण्डलपर दोपारोप करना था तब वे कर ही क्या सकते थे।

चक्रताके उत्तरमें जो अभिनन्दनपत्र दिया जानेवाला था उसमें सभाके अध्यक्ष ( स्पोकर ) और उसके दलके नेताओंने बड़ी चालाकीसे सरकारपर दोष आरोपित किये थे । अवतक अभिनन्दनपत्रोंमें कोई राजनीतिक वात नहीं रहती थी क्योंकि ऐसे प्रसङ्ग केवल शिष्टाचारके होते हैं । परिषद्से इस शिष्टाचारका उल्लंघन किया जिससे सरकार चिढ़ गई और प्रतिनिधिसभा भङ्ग हो गयी । दो बार इन दोपारोपक आवेदन पत्रोंसे मन्त्रिमण्डलको भी बदल जाना पड़ा है । इन आवेदन पत्रोंसे प्रतिनिधि-सभाका क्या लाभ होता है, इसका यह एक दृष्टान्तहै इसके अतिरिक्त परिषद्के नववें, चौदहवें, अठारहवें और बाईसवें अधिवेशनमें सभाने दोपारोपके आवेदनपत्र परिषद्में निश्चित कराने चाहे थे, पर मताधिक्यके विरोधसे निश्चित न हो सके ।

आवेदनपत्र भेंट करनेका अधिकार केवल मन्त्रिमण्डलपर दोपारोपण करनेके सम्बन्धमें ही नहीं है । राष्ट्रीय सभाका अधिकार सभ्राट्की अन्तर्निहित सत्ताका सहव्यापी है । अर्थात् राष्ट्रीयसभा उन सब विषयोंके सम्बन्धमें सभ्राट्से आवेदन कर सकती है जो सभ्राट्के अधिकारके अन्दर हैं । कभी राष्ट्रीय-सभाका अधिवेशन काल बढ़ानेके लिए भी इस अधिकारका उपयोग किया जाता है । क्योंकि राष्ट्रीय सभा स्वयं ही अपना अधिवेशन काल नहीं बढ़ा सकती । कभी राजकार्यमें नैतिक भाव बढ़ानेके लिए इसका उपयोग किया

---

सरकारको जब मालूम हुआ कि इस तरहका आवेदन पत्र उपस्थित किया जानेवाला है तो सरकारने प्रतिनिधि-सभासे उसपर पुनर्विचार करानेका प्रयत्न किया । पर ऐसा होना असम्भव देख सरकारने सभ्राट-परिवार-विभागसे कोनोको दरवारमें जानेसे रोक दिया और साथ ही प्रतिनिधि परिषद्को भङ्ग करनेकी आशा दी ।

## २२२ जापानकी राजनैतिक प्रगति

जाता है क्योंकि इन आवेदनपत्रोंका सर्वसाधारणपर बहुत प्रभाव पड़ता है। शासन-पद्धति सम्बन्धी वादअस्त प्रश्न भी कभी कभी इन आवेदनपत्रोंद्वारा सम्बाट्के सामने उपस्थित किये जाते हैं।

अब सम्बाट्के पास निवेदन पत्र भेजनेके अधिकारका विचार रह गया। यह सरण रखिए कि इस समय इंग्लिस्तानकी पार्लमेंटमें जो व्यवस्थापनका कार्य होता है, उसका पूर्वरूप सम्बाट्से प्रार्थना करना ही था। 'मध्य युगमें' परिपदस्थ सम्बाट्ही शासन-संचालक थे, न्याय करने और विधि बनानेका अधिकार उनको ही था। आनसन् महाशय कहते हैं, कि "पहले प्रतिनिधि-सभाको व्यवस्थापन-कानून बनानेका कोई अधिकार नहीं था। परिपदस्थ राजा अपने कानून बतलाते और शासन संबन्धी परिवर्तन किया करते थे। कभी कभी वे मुख्य मुख्य सरदारोंसे परामर्श करके ही ये सब काम कर लेते थे और कामन्स अर्थात् प्रतिनिधि सभाकी विलकुल उपेक्षा कर देते थे।.....यदि कामन्स सभाके सभासदोंको कोई नया कानून बनानेकी आवश्यकता प्रतीत हुई तो वे खुद कानून नहीं बनाते थे वलिक उसके लिए प्रार्थना करते थे, राजा अपने परिषद्में बैठकर इन प्रार्थना पत्रोंको देखते और कानून बनाते थे।" इन प्रार्थना पत्रोंका रूप पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता गया और वह प्रार्थनाका अधिकार सहकारी अधिकार हो गया और इसी अधिकारसे आगे बढ़ते बढ़ते पार्लमेंट अर्थात् प्रतिनिधि-सभा द्वारा व्यवस्थापन होनेकी पद्धति आविर्भूत हुई है।

सम्बाट्के पास निवेदनपत्र भेजनेका परिषद्का अधिकार महत्वका है। खासकर इसलिए यह दोषारोप करनेके अधिकारका काम देता है। मन्त्रिमण्डलके स्वैर शासनका प्रति-

कार करनेवाली यंह प्रबलशक्ति है। सम्राट्‌की सेवामें निवेदनपत्र अथवा व्यवस्थापनसंबन्धी प्रार्थनापत्र उपस्थित करनेका अधिकार इसलिए महत्वका है कि इससे आवश्यक कानून बन सकते हैं।

इस निवेदनपत्रको हम अप्रत्यक्ष आवेदनपत्र कह सकते हैं, क्योंकि यह मन्त्रिमण्डलके द्वारा सम्राट्‌के पास जाता है। निवेदनपत्र भेजनेका उद्देश्य प्रायः सरकारको परामर्श या सूचना देना होता है। निवेदनपत्र लिखे तो होते हैं सम्राट्‌के नाम, पर अभिप्राय उनका सम्राट्‌की अपेक्षा सरकारसे ही अधिक होता है। प्रतिनिधिसभा बार बार इस अधिकारका उपयोग करती है और नये आवश्यक कानून बनानेकी ओर सरकारका ध्यान दिलाती है। चूँकि राष्ट्रीय सभाको स्वयं कानून बनानेका अधिकार है, इस कारण इस प्रकारसे सरकारका ध्यान नये कानून की आवश्यकतापर आकर्षण कराना व्यर्थका काम बढ़ाना है, तथापि जिन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है उनको देखते हुए यही सबसे मुगम और सुन्दर मार्ग है। जापानकी राष्ट्रीयसभाकी सामयिक स्थितिको देखते हुए प्रतिनिधि-सभासे कोई विल पेश हो और वह यिन सरकारकी सहायताके कानून बन जाय इसकी सम्भावना बहुत कमहै। इसलिए स्वयं कानूनका मसविदा तैयार करनेका कष्ट उठानेकी अपेक्षा नवीन कानूनके लिए सरकारसे प्रार्थना करना उसीके द्वारा विल तैयार कराना और उसे प्रतिनिधि सभामें उपस्थित कराना ही कानून बनानेका सबसे लंबा पर वास्तवमें देखनेमें सबसे छोटा मार्ग है, जबतक कि सभा मन्त्रिमण्डलके अधीन है और मन्त्रिमण्डल उसका उच्चरदायी नहीं है।

प्रार्थनापत्र स्वीकार करना, सरकारसे प्रश्न करना, सम्राट्-

## २२४ जापानकी राजनैतिक प्रगति

जी सेवामें आवेदन तथा निवेदनपत्र भेजना इत्यादि अधिकारोंके अतिरिक्त और भी कई छोटे मोटे अधिकार परिपद्को हैं।\* परन्तु सभी लोकतन्त्रशासन-पद्धतियोंमें जो अधिकार होते हैं वे ही हैं, कोई नये नहीं, इसलिए उनके सम्बन्धमें छुछ न लिखकर अब हम परिपद्की दोनों सभाओंके परस्पर सम्बन्ध और अधिकारका ही विचार करेंगे।

शासन-सम्बन्धी विधान तथा उसके क्रीड़ (नियमों) से परिपद्को धर्मविधान-सम्बन्धी अर्थात् नये कानून बनानेके जो कुछ अधिकार प्राप्त हैं वे दोनों परिपदोंको समान रूपसे मिले हैं, अन्तर केवल यही है कि आगामी वर्षकी आय-व्यय-गणना पहले प्रतिनिधि परिपदमें करनी पड़ती है। इसलिए दोनों सभाएँ समकक्ष समझी जाती हैं, कोई किसीसे ऊँची या नीची नहीं समझी जाती, धर्मविधानमें दोनों समान अधिकारी और सहकारी समझी जाती हैं। परन्तु वस्तुतः यह तो तब सम्भव था, जब दोनों सभाओंका सङ्गठन एक ही ढंगसे हुआ होता और दोनोंके राजनीतिक आचार विचार एकसे होते। परन्तु सरदारपरिपद और प्रतिनिधिपरिपदकी रचना परस्पर विलक्षण भिन्न है। दोनोंके समाज अलग हैं और स्वार्थ (हेतु) भी अलग अलग हैं। इसलिए मेलकी अपेक्षा विरोध ही अधिक है और विरोधका परिणाम यही हुआ करता है कि दोनोंका परस्पर व्यवहार ही बन्द रहे या एक दल दूसरे दलके सरपर चढ़ वैठे।

जहाँ धर्मविधानके दो अङ्ग होते हैं, वहाँ एक परिपद

\* गिरफ्तार न हो सकनेके अधिकार, वाद-विवादमें भापणकी स्वतन्त्रता, परिपद्की पुष्टिके लिए यथायोग्य प्रक्रम कर सकना, अपना कार्यक्रम नियमित फर सकना अपना सबल वापस रखनेके लिए दरण दे सकना और निश्चाल बाहर कर सकना इत्यादि हैं।

दूसरी परिषद् से, सब वातोंमें नहीं तो कुछमें तो अवश्य ही, बढ़कर होती है।

उदारहणार्थ अंग्रेजी शासन-पद्धतिके सम्बन्धमें अध्यापक डायसी कहते हैं—“आधुनिक शासन-सम्बन्धी नीतिका यह बहुत ही उत्तम सिद्धान्त है कि धर्मविधानके कार्यमें लॉर्ड-सभाको अन्तमें कामन्स सभाका निर्णय ही स्वीकार कर लेना चाहिए।” सं० १७२८में लॉडोने अर्थसम्बन्धी मामलेमें कामन्स सभाका ही सम्पूर्ण प्राधान्य स्वीकार कर लिया था और फिर सं० १८१७ में काग़ज़-करवाले भगड़ेमें लॉडोने हार मान ली और वे काग़ज़पर कर नहीं लगा सके। संयुक्त राष्ट्रीय शासन-पद्धतिने तो प्रतिनिधि सभाहीको आयवृद्धिके विल बनाने-का अधिकार दे रखा है, और सन्धि करने तथा कुछ उच्च-पदस्थ कर्मचारियोंको नियुक्त करनेका अधिकार राष्ट्रपति और शिष्टसभा अर्थात् प्रेसिडेंट और सिनेटको दिया है। परन्तु वास्तवमें शासनपद्धतिके रचना-वैचित्र्यके कारण प्रतिनिधि-सभाका विना विचार किये राष्ट्रपति और शिष्ट-सभा (प्रधान न्यायालय) अर्थात् प्रेसिडेंट और सिनेट ही सुश्रीम कोर्टके ह न्यायाधीशोंमेंसे ५ की सहायतासे समस्त राज्यशासन स्वयं कर सकते हैं।

संवत् १९३२ का फ्रान्सका शासनविधान जापानके वर्त-मान शासनविधानसे कई अंगोंमें मिलता है। यथा प्रत्येक क़ानूनपर राष्ट्रीय सभा, प्रतिनिधि परिषद् और सरदारपरिषद्की स्वीकृति होनी चाहिए। दोनों सभाएँ अलग क़ानूनके प्रस्ताव कर सकती हैं। पर वार्षिक आय-व्ययका प्रस्ताव पहले प्रतिनिधि-सभामें उपस्थित किया जायगा।” पर जब हम दोनों देशोंके वास्तविक शासनशैलीपर विचार करते हैं तो विधानों-

## ८२६ जापानकी राजनैतिक प्रगति

के शब्दोंकी समानता होते हुए भी कार्यप्रणालीमें बहुत अन्तर पाते हैं।

इस समय फ्रान्सकी कार्यप्रणाली ऐसी है कि प्रतिनिधि-श्रोंका (डेप्युटियोंका) सभाके ही वार्षिक आयव्ययके चिट्ठेपर एकमात्र पूरा अधिकार है, और इस तरह मन्त्रिमण्डल उसीके सामने उत्तरदायी है। यथपि विधानानुसार मन्त्रिगण दोनों परिषदोंके सम्मुख उत्तरदायी हैं फिर भी फ्रान्सकी दोनों सभाश्रोंका उद्दम-एक ही स्थानसे होता है। अर्थात् सार्वजनिक निर्वाचन—एकका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है और दूसरेका अप्रत्यक्ष। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रान्समें राज्यसत्ता का चरम अधिकार लोगोंके ही हाथमें होता है।

अब शासनविधानके शब्दोंको छोड़कर राष्ट्रीय-परिपद्की दोनों सभाश्रोंके परस्पर सम्बन्ध और अधिकारका विचार करें। इसके लिए हम समझते हैं कि शासनपद्धतिके निर्माताश्रोंके इरादेका पहले विचार करनां सबसे अच्छा होगा।

सरदार-परिपद् वनानेमें निर्माताश्रोंका मुख्य उद्देश्य यह था कि प्रतिनिधि-सभाके राजनीतिक दलोंका उद्योग बढ़ने न पावे। उनकी यह इच्छा थी कि “एक देशीय शान्दोलनके प्रभाव” और प्रतिनिधि-सभाके “वहुसंख्यक सभासदोंके यथेच्छाचार”के नीचे मन्त्रिमण्डल दब न जाय। उन्होंने यह सोचा कि यह सरदार-परिपद् जिसमें कि “समाजके बड़े बड़े लोग” ही होंगे, प्रतिनिधि-सभाकी इस भयंकर आँधीको रोकेगी और उसके आकमणसे सरकारकी रक्ता करेगी। इतो कहते हैं, “यदि सरदार-परिपद् अपना काम ठीक ठीक करे तो उससे राजनीतिक दलोंमें समानता रहने, विना समझे बूझे व्यर्थका वादविवाद (प्रतिनिधि सभामें) फरनेकी कुप्रवृत्ति

रोकने और शासक और शासितमें मेल बनाये रखनेमें इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होगा।”

परन्तु दोनों सभाओंमें राजनीतिक अधिकारका बराबर होना व्यवस्थापन कार्यमें पूर्ण रुकावट ही समझना चाहिए। निर्माताओंकी यह इच्छा कदापि नहीं थी। वे चाहते थे कि प्रतिनिधि सभामें यदि सुसङ्गठित राजनीतिक दल खड़े हो जायँ तो सरदार-परिपद्के द्वारा उनका दमन हो और राष्ट्रीय-सभापर सरकारका पूरा अधिकार रहे। पर प्रश्न यह है कि सरदार-परिपद्के द्वारा यह काम निकलता भी है ?

सरदार-परिपद्के ३६८ सभासदोंमें से २०१ परम्परागत अधिकारी और सरदार-प्रतिनिधि हैं, १२२ सभाट्के मनोनीत हैं और ४५ अधिकतम कर देनेवालोंके प्रतिनिधि हैं। यह कहने-की शायद कोई आवश्यकता नहीं है कि ये २०७ सरदार अपना बड़पन और अपनी राजनीतिक भर्यादा बनाये रखना ही अपना कर्तव्य समझते हैं और यह नहीं चाहते कि सर्वसाधारणको राजकार्यमें कुछ विशेष अधिकार न दिये जायँ। यदि किसी विशेष अवसरपर देशभक्तिका ही उनके हृदयमें सञ्चार हो जाय तो वात दूसरी है। ये सरदार जब एक हो जाते हैं तो सरदार-परिपद्में इनका ही मताधिक्य होता है। इनके बाद संख्यामें सभाट्के मनोनीत सभासदोंका नम्बर है। ये ग्रायः सरकारी कर्मचारी, नीम सरकारी कर्मचारी या भूतपूर्व सरकारी कर्मचारी होते हैं और उनके भाव और विचार सरकारके ही होते हैं। सरकारकी बदौलत ही वे सरदार-परिपद्के सदस्य होते हैं। कानूनके शब्दानुसार तो सभाट् विद्या या विशेष राज्यसेवा करनेके कारण इन्हें मनोनीत करते हैं, परन्तु यह कार्य उस मन्त्रिमण्डलके परामर्शके अनुसार होता

## २२८ जापानकी राजनैतिक प्रगति

है जो सर्वसाधारणके सामने उत्तरदायी नहीं। ये मनोनीत समासद जीवनभर सभासद रहते हैं और सरदार-परिपद्में ये ही सबसे योग्य होनेके कारण अपना प्रभुत्व जमाये रहते हैं।

स्वभावतः ये मनोनीत सभासद और सरदार अपनी सभाको श्रेष्ठ समझते हुए निचली सभाकी एक बात भी मान लेना नहीं चाहते। इसका एक बड़ा ही रोचक उदाहरण यह है कि २२ फाल्गुन संवत् १९५४ में (तारीख ५ मार्च १९०२) महाशय नेमोतोने प्रतिनिधि-परिपद्में एक व्याख्यान देकर सरदार परिपद्मके सुधारकी आवश्यकता बतलायी। कई मनोनीत सभासदोंकी उन्होंने निन्दाकी और उनके आजीवन सभासद रहनेकी हालतपर बहुत ही शोक प्रकट किया। सरदारोंको बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने नेमोतोके व्याख्यानपर भर्त्सनासूचक प्रस्ताव पास किया और कहा कि यह सरदार-परिपद्मका अपमान हुआ तथा ऐसे व्याख्यानका किसी व्यवस्थापक सभामें होना न्याय और नीतिके विरुद्ध है।\*

सरदार-परिपद्मके अन्य ४५ सभासद अधिकतम कर देनेवाले होते हैं। यह सरदारोंकी कुल संख्याका आठवाँ हिस्सा है। ये लोग रूपयेके धनी होते हैं, विद्याके नहीं इसलिए इनका प्रभाव भी अन्य सभासदोंकी अपेक्षा बहुत ही कम होता है।

सरदार-परिपद्मके इस वर्णनसे उसके राजनैतिक विचारों और प्रवृत्तियोंका निर्देश हो जाता है। सरदार-परिपद्म मन्त्र-

\* प्रतिनिधि-सभाने सरदार-सभाके इस प्रस्तावकी कोई प्रवानहीं की। परन्तु प्रतिनिधि-सभाके अध्यक्षने सभाको एक (भेमोरण्डम) सृष्टिपत्र पढ़ सुनाया जिसमें उन्होंने लिखा था कि दोनों सभाओंको चाहिए कि परस्पर सभ्यताका व्यवहार करें, अब रही सभाके अधिकारोंकी बात, सो प्रत्येक सभाको अपने अपने स्थानपर पूरा अधिकार है; किसी सभाको दूसरी सभाके भाषणों या कामोंमें दखल देनेका कोई अधिकार नहीं है।

मरडल वा सरकारका ही प्रायः पक्ष लेती है, मन्त्रिमण्डलमें कोई हॉ, जबतक वे अधिकारीवर्गके परम्परा प्राप्त प्राधान्यको मानते हैं और प्रतिनिधि-परिषद् के राजनीतिक दलोंसे अलग रहते हैं, तबतक सरदार-परिषद् उसीका पक्ष करेगी।\* परन्तु यदि मन्त्रिमण्डलके सभास़द प्रतिनिधि-सभाके किसी राजनीतिक दलसे जा मिलें तो सरदार-परिषद् सरकारका विरोध करने लग जाती है, संबत् १९५७ में इन्होंने जब मन्त्रिमण्डलकी रचनाका पुराना ख्याल छोड़कर नवसङ्गठित पुराने राजनीतिक दलका नेतृत्व ग्रहण किया और कुछ कुछ दलवद्धताके सिद्धान्तपर मन्त्रिमण्डल बनाया तब एकाएक सरदार-परिषद् के सब दल एक हो गये और उन्होंने मन्त्रिमण्डलका विरोध करनेपर कमर कसी, क्योंकि एक तो यह दलवद्ध सरकार (पार्टी गवर्नमेंट) हुई, और दूसरे इतोने अपना पहला ढङ्ग बदल दिया और राजनीतिक दलोंके वशमें आ गये। सरदार-परिषद् ने इस दृढ़ताके साथ सरकारका विरोध किया कि 'संबत् १९५८' का वार्षिक आयव्ययका चिठ्ठा पास करानेके लिए इतोने लाख सिर पटका पर वह पास न हो सका, आखिर इतोको भगड़ा मिटानेके लिए सम्राट् के आज्ञापत्रसे काम लेना पड़ा।

परन्तु जबतक मन्त्रिमण्डल अधिकारीवर्गका पक्षपाती और अनुत्तरदारी शासक बना रहता है तबतक सरदार-सभा में उसके पक्षके लोगोंकी कमी नहीं होती। प्रतिनिधि-सभासे कोई विल पास हुआ और सरकार चाहती है उसमें अमुक

\* कामन्द-सभाके मुकाबले लॉर्ड-सभाको बहुत ही थोड़ा अधिकार है। परन्तु जापानमें सरदार-सभा और प्रतिनिधि-सभा दोनोंके अधिकार (संघटनाके अनुसार) वरावर हैं।

## २३० जापानकी राजनैतिक प्रगति

परिवर्तन हो या वह विल रह हो जाय तो सरदार-परिषद् उस विलमें संशोधन करती है या उसे विचाराधीन रखकर उसका जीवन नष्ट कर देती है। कई गलाघौंदू कानून, यथा संवत् १९३६ का सभा-समिति-विधान; १९४० का प्रेस-विधान और १९४४ का शान्तिरक्षा-विधान, शासन-विधानके पूर्व सर्व-साधारणकी राजनीतिक क्रांतिके प्रयत्नोंको रोकनेके लिए बनाये गये थे, शासनविधानके बाद भी कई वर्षोंतक बने रहे, क्योंकि प्रतिनिधि-परिषद् के करने हीसे क्या होता है, यहाँ तो सरकार और सरदार-परिषद् मिली हुई थी। कई अधिवेशनोंमें प्रतिनिधि-परिषद्में कभी वहुमतसे और कभी एकमतसे इन कानूनोंके रह करने या इनमें संशोधन करनेवाले विल पास किये। परन्तु सरदार-सभाने उन्हें हवामें उड़ा दिया। इसी सरदार-परिषद्को यह यश है कि संवत् १९५५ तक शान्तिरक्षाका कानून रह न हो सका। भूमि-कर कम करने, भूमिका मूल्य कम करने, कानून संशोधित करने तथा निर्वाचन पद्धतिको सुधारनेके सम्बन्धमें इन सभाओंमें (यथाकम प्रथम और दृतीय अधिवेशनमें, चतुर्थ और पञ्चम अधिवेशनमें, तथा अष्टम, द्वादश, त्रयोदश और चतुर्दश अधिवेशनमें) परस्पर खूब कलाह और वादविवाद हुआ। इसकलह और वादविवादसे भी सरकार और सरदार-परिषद् का प्रतिनिधि-परिषद् से कैसा व्यवहार है, यह स्पष्ट प्रकट होता है।†

† भूमि तथा कृषकोंका दिताहित देखनेवाले सभासद प्रतिनिधि सभाहीमें विशेष होते हैं, क्योंकि जापानमें इंग्लैण्डके समान जमीनपर सरकारोंका ही अधिकार नहीं है। इसलिए जमीनका लगान घटानेके सम्बन्धमें प्रतिनिधिसभाके सभासद ही विशेष अनुकूल रहते हैं और सरदार-सभा तथा सरकार प्रतिकूल रहते हैं। क्योंकि जमीनके लगानसे ही सरकारको सबसे अधिक आमदनी होती है।

विशेषकर ऐसे अवसरपर जब कि प्रतिनिधि-सभा वार्षिक आय व्ययके चिट्ठोपर व्ययके अङ्ग कम कर देती और सरकार-को तंग करती है, सरदार-परिषद् सरकारकी बहुत सहायता कर सकती है, क्योंकि उसे भी इस विषयमें परिषद् के वरावर ही अधिकार हैं। प्रायः सरदार-परिषद् पहलेके अङ्ग ही पुनः उद्धृत कर देती है और पुनर्विचारके लिए प्रतिनिधि-परिषद् के पास भेज देती है। प्रतिनिधि-परिषद् को सरदार-परिषद् की यह दस्तावज्जी प सन्द नहीं आती। तब प्रतिनिधि-परिषद् दोनों सभाओंको संयुक्त अधिवेशन करनेके लिए कहती है। इस अधिवेशनमें दोनों सभाओंके समसंख्यक प्रतिनिधि होते हैं। शायद यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि ऐसे अधिवेशनके दोनों सभा ओंके प्रतिनिधि अपना अपना पक्ष समर्थन करनेका यथा शक्ति यत्त करते हैं। परन्तु अन्तमें प्रतिनिधि परिषद्-के सभासङ्ग वडे सङ्कटमें पड़ते हैं, उन्हें या तो विरुद्ध पक्षकी कुछ बातें स्वीकार कर लेनी पड़ती हैं या प्रतिनिधि परिषद् के विसर्जनके लिए तैयार होना पड़ता है। सरदार परिषद् को इस प्रकारकी कठिनाइयोंका सामना कभी नहीं करना पड़ता। इससे यह स्पष्ट है कि वरावरीका भगड़ा नहीं है और प्रतिनिधि परिषद् को ही परास्त होना पड़ता है।

५ कहनेको तो सरदार-परिषद् प्रतिनिधि-परिषद् से अधिक दृढ़ बनायी गयी है और उसको सुविधाएँ भी बहुत अधिक हैं। यदि सरदार-परिषद् को सरकारका साहाय्य हो या सरकारको सरदार-परिषद् का सहारा हो तो उनमेंसे कोई भी प्रतिनिधि-परिषद् पर अपना प्रभुत्व जमा सकता है, पर मन्त्र-मण्डल चाहे कि सरदार परिषद् को अपने वशमें कर ले तो प्रतिनिधि-परिषद् का साथ होते हुए भी उसके लिए यह ज़रा

## २४२ जापानकी राजनैतिक प्रगति

देढ़ी खीर ही है ! कैसा ही महत्वपूर्ण या आवश्यक कानून हो, सरदार-परिषद् उसे पास होनेसे रोक देती है, और तब भी सभाको कोई भड़क नहीं कर सकता । यह सच है कि मन्त्र-मण्डल सम्राट्से कहकर सामान्य संख्याके अतिरिक्त कई मनोनीत सभासद बनाकर सरदार परिषद्में अपने अनुकूल मतोंकी संख्या बढ़ा सकता है, पर विसर्जनका सा सीधा-सादा काम यह नहीं है और न सुगमतासे हो हो सकता है ।

तथापि सरदार-परिषद्को एक बातकी बड़ी असुविधा यही है कि वह सर्वसाधारणसे बहुत दूर है । चाहे शासन-विधानका सिद्धान्त प्रजासत्ताक हो या राजसत्ताक, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि राष्ट्रके राजनीतिक उत्कर्षका अन्तिम साधन सर्वसाधारणमें ही है । शासनविधानने सरदार-परिषद्को प्रतिनिधि-परिषद्के बराबर अधिकार दिया और आसन उससे भी ऊँचा दिया सही, पर सरदार-परिषद् लोगोंका अधिक अधिक आकमण हो रहा है । परन्तु प्रतिनिधि-परिषद्के लिए यह बड़ा ही कठिन है कि वह सरदार-परिषद्पर अपना प्राधान्य और गौरव जमा ले क्योंकि इस समय तो अधिकारीचक्र और सरदार-परिषद् दोनों एक दूसरेका बराबर साथ देते हैं । जबतक यह कार्य न हो लेगा तबतक शासनपद्धतिका शान्तिपूर्वक चलना असम्भव है ।

## चतुर्थ परिच्छेद

निर्वाचन-पद्धति

शासनपद्धतिके निर्माण करनेवालोंकी चुन्हिमत्तासे हो या केवल देखी ही हो, जापानमें निर्वाचनका विधान शासन विधानसे स्वतन्त्र रखा गया है यह बड़ी सौभाग्य-की बात है। क्योंकि शासनविधानमें परिवर्तन करना आसानब नहीं तो बहुत कठिन अवश्य है। और यद्यपि नूतन प्रकारकी शासनप्रणालियोंका एक बड़ा आवश्यक अश निर्वाचनकी शैली है तथापि आवश्यकतानुसार इसमें सदा परिवर्तन करना ही पड़ता है। इस कारण इस सम्बन्धमें जो कायदे कानून हों उनको अपरिवर्तनीय शासनविधानसे अलग ही करना उचित है और जापानमें ऐसा ही किया गया है।

संवत् १९२४से अंगरेजी सहृट्टनमें निर्वाचनप्रणालीके परिवर्तनसे अधिकारकी तुल्य चलता कैसे नष्ट हुई, इस सम्बन्धमें अंगलदेशकी शासनपद्धतिका उदाहरण लेना शिक्षा-प्रद होगा। संवत् १९२४ के शासन प्रकारसे यदि तुलनाकी जावे तो आज बहुत अन्तर मालूम पड़ता है। परन्तु शासन-शैली जिन विधानोंपर स्थित है—उनमें कुछ भी अन्तर नहीं हुआ है। अन्तर केवल निर्वाचनकी शैलीमें हुआ है। निर्वाचकोंकी संख्या दिनपर दिन बढ़नेके कारण शासन प्रकारहीमें अन्तर मालूम पड़ने लगा है। कहाँ पहले यह कहा जाता था कि कामन्स सभा मन्त्रियोंको चुनती है और उनपर अपना अधिकार रखती है और सभामें बहस करके सरकारके काम-

## २३४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

पर प्रभाव डालती है।<sup>\*</sup> कहाँ शब्द यह हालत है कि निर्वाचक गण वास्तवमें मन्त्रियोंको चुनते हैं और मन्त्री-मण्डल यह निश्चय करता है कि किन बातोंपर और कहाँतक कामन्स सभा बहस करे।<sup>†</sup> इस समय वहाँपर निर्वाचन-विधानोंके कारण निर्वाचकोंकी संख्या बहुत बढ़ गई है। शब्द लोग इस कारण किसीक्षे लिए अपना मत नहीं देते कि हमसे यह अधिक योग्य है और अच्छी राय देकर सरकारी काममें सहायता देगा। शब्द लोग यह समझकर किसीके लिए मत देते हैं कि यह अमुक मन्त्रीका साथ देगा और अमुक अमुक विधानोंके पक्षमें अपना मत देगा क्योंकि वे ही अपने दलको प्रिय हैं।

शासनपद्धतिके निर्माताओंने सं० १९४६ में निर्वाचन कानूनका मसविदा तथ्यार किया और उसी वर्ष वह कानून घोषणा भी उसी वर्ष हुई है। जब निर्वाचन कानून जारी हुआ तब उसके दोष दृष्टिगोचर होने लगे। निर्वाचक तथा निर्वाचित दोनोंकी हैसियत इतनी बड़ी रक्खी गयी थी कि वहुतसे राजनीतिक इस कानूनसे बहुत ही असन्तुष्ट हुए। तथापि कानूनका मुशार होनेके पूर्व छः साधारण निर्वाचन हुए थे। सं० १९५१में यह कानून संशोधित किया गया और उसी संशोधित कानूनके अनुसार इस समय जापानमें निर्वाचनका कार्य होता है।

सं० १९४६ के पुराने कानूनके अनुसार एक एक सभा-सदको चुननेवाले छोटे छोटे निर्वाचनक्षेत्र बनाये गये थे। प्रत्येक (फू या फेन) नगर कई निर्वाचकक्षेत्रोंमें वैट गया था,

\* वेजहाट † अनुसन।

और कुछ बड़े क्षेत्रोंको छोड़कर इन सबसे एक एक सभासद चुना जाता था। क्षेत्रोंमें वैचित्र्य-एचनाके कारण और विभाग करना असम्भव था। उन क्षेत्रोंको दो सभासद चुननेका अधिकार दिया गया था।

प्रतिनिधि-सभाके सभासदोंकी संख्या ३०० रखी गयीथी और प्रथम निर्वाचनके समय २७ अप्रृष्ट संघत १९४७में(ता०१ जुलाई १९६०) ८५०००० और छठे निर्वाचनके समय १७ श्रावण संघत १९४५ में ( १ अगस्त १९६८ ) ५०१६५७ निर्वाचक थे। यही सं० १९४५ वाला निर्वाचन पुराने कानूनके कालका अन्तिम निर्वाचन था ! उस समय जापानकी जनसंख्या ५ करोड़ २० लाख थी। प्रतिनिधिका कार्यकाल चार वर्षका था।

पुराने कानूनके अनुसार निर्वाचक होनेके लिए ये शर्तें थीं। एक तो निर्वाचक पुरुष (खी नहीं) होना चाहिए, दूसरे वयस् २५ वर्षसे कम न हो (पागल, जड़बुद्धि, अपराधी, यागी, दिवालिया, या फौजी सिपाही न हो ), निर्वाचन-क्षेत्रमें कमसे कम वह एक वर्ष रह चुका हो और निर्वाचकोंकी फेहरिस्त बननेके दिनके पूर्ववर्षमें कमसे कम १५ घेन (लगभग २२॥ ८०) सरकारको वार्षिक कर दे चुका हो। यह फेहरिस्त स्थानिक सरकारद्वारा श्रावण मासमें बनायी जाती थी।

मेघरीके उम्मेदवारोंके लिए भी ये ही शर्तें थीं, क्षेत्र वयस् २५ में इतना अन्तर था कि २५ के बदले इनका वयस् ३०के ऊपर हो।

इस निर्वाचन कानूनमें सबसे विचित्र बात, जिसे जानकर पाश्चात्य देशवासियोंको कुतूहल होगा यह है कि शिन्तो या बौद्ध पुरोहित, ईसाई पादी और धर्मोपदेशक उम्मेदवार नहीं

## २३६ जापानकी राजनैतिक प्रगति

हो सकते थे। इसका कारण यह था कि राजकाजमें धार्मिक भगड़े न उपस्थित हों। सं० १९५७ के संशोधित कानूनमें भी यह शर्त रखवी गयी है। और इसके अनुसार प्राथमिक शालाओंके शिक्षक और सरकारका काम टेकेपर करनेवाले टेकेदार भी उम्मेदवार नहीं हो सकते।

पुरानी निर्वाचन-पद्धतिमें निर्वाचन केत्रोंमें मत देनेवालों-का वेहिसाव बँटवारा, निर्वाचकोंकी हैसियतका परिणाम, निर्वाचनक्षेत्रोंके विभागोंकी सङ्कीर्णता, उम्मेदवारोंकी हैसियत और मुकामकी शर्त और प्रकट वोट देनेकी पद्धति इत्यादि मुख्य दोप थे।

मालूम होता है कि शासनपद्धतिके निर्माताओंको यह ठीक ठीक अन्दाज नहीं था कि निर्वाचनपद्धतिका शासनपद्धतिकी कार्यप्रणालीपर या परिणाम होता है। उन्होंने पाश्चात्य देशोंकी देखादेखी एक निर्वाचन-कानून बना डाला। निर्वाचकों और निर्वाचितोंका विभाग तथा उनकी योग्यताके संबन्धमें विचारसे काम नहीं लिया गया। उन्होंने निर्वाचकों और निर्वाचितोंके लिए यह १५ येन (लगभग २२५ रु०)वार्षिक करकी शर्त रख दी और यह विचार नहीं किया कि ऐसा करनेसे किन लोगोंको अधिक वोट मिलेंगे और किनको कम। उन्होंने अपना सीधा हिसाव सामने रखवा और प्रत्येक नगरके निर्वाचित केत्र मर्यादित किये और उन्हें एक लाख बीस हजार मनुष्योंके पांछे एक प्रतिनिधिके हिसावसे एक या दो प्रतिनिधि चुननेका अधिकार दे दिया। उन्होंने स्थानिक प्रमेद तथा लोगोंके मानसंभ्रम और योग्यताका सूक्ष्म विचार नहीं किया। जिन प्रदेशोंकी जनसंख्या एक लाखसे दो लाखतक

थी उन्हें एक और जिनकी २ से ३ लाख थी, उन्हें दो सभासद चुननेका अधिकार दिया गया।

परिणाम यह हुआ कि कहीं केवल ५२ या ५३ मतदाता ही सभासदको निर्वाचित करते थे और कहीं ४३०० से भी अधिक मतदाता होते थे, और दोनोंके लिए प्रतिनिधि-सभामें एक ही एक सभासद चुननेका अधिकार था। इस वेहिसाव-वँटवारेके कारण प्रायः ऐसा होता था कि अल्पसंख्यक निर्वाचकोंसे ही अधिक सभासद आते थे, और राजनीतिक दलोंके भिन्न भिन्न स्थानोंमें अनेक मत होते हुए भी उनका एक भी सभासद निर्वाचित न होने पाता था। उदाहरणार्थ, प्रथमही अधिवेशनमें कावागासे प्रागतिक (गि-इन-शिड-काजिओ) दल-का एक ही आदमी चुना गया जिसके १२४<sup>१</sup> मत थे और जिस उदारवादी (जियू-कुरावू) दलके ११६० मत थे, उसके तीन आदमी चुने गये। येहिमें प्रदेशमें प्रागतिक दलके ३५५२ मतोंपर दो आदमी चुने गये। और उदारमतवादियोंके ३२६७ मतोंपर ६ आदमी चुमे गये। दूसरे निर्वाचन- में नागासाकीमें ८१७ मतोंपर पुनरान्वोलक (रिएक्शनिस्ट, चिकओ-को ओकाई) दलके पाँच आदमी चुने गये और उदारमतवादियोंके (यायोइ-क्लब) १३२१ मतोंपर नारामें दो ही आदमी निर्वाचित हुए, इत्यादि। छः अधिवेशनोंमेंसे ऐसे और कितने ही दृष्टान्त दिये जासकते हैं।

दूसरा दोपुरानी पद्धतिका यह था कि हैसियतकी शर्त लगी रहनेके कारण भिन्न भिन्न कक्षाके लोगोंमें प्रतिनिधि-निर्वाचनका अधिकार यथोचित प्रकारसे विभक्त न हो सका था। सं० १९४६ में (जिस वर्ष निर्वाचनका कानून बना) सरकारकी जितनी आय हुई थी उसका दो तिहाई हिस्सा ज़मीन

## ८४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

की लगानसे बसूल हुआ था। परन्तु व्यवस्थापकोंने इस वातका विचार नहीं किया। जिसका परिणाम यह हुआ कि निर्वाचकोंमें भूमि सत्त्वाधिकारोंकी संख्या ही प्रधान हो गयी। इसके अतिरिक्त स्युनिसिपेलिटियोंका (टोकियो, क्योटो और ओसाकाको छोड़कर) सतन्त्र निर्वाचन द्वेष कोई न होनेके कारण ग्रामवासी निर्वाचकोंके आगे नगरवासी निर्वाचकोंको हार ही जाना पड़ता था। फलतः प्रतिनिधिसभामें भूमि-सत्त्व और भूमि सत्त्वाधिकारियोंके सभासद ही अधिक होते थे और शिल्प तथा व्यापार-वाणिज्यके प्रतिनिधि बहुत ही कम। सं० १९५७ में कुमामोतोके वणिक-मण्डलीमें व्याख्यान देते हुए उस समयके प्रतिनिधि सभाके मुख्य मन्त्री महाशय हायाशिदाने कहा था कि प्रतिनिधि सभाके ३०० सभासदोंमें वणिक-वर्गके प्रतिनिधि केवल ७ हैं।

पुराने कानूनका एक और दोष यह था कि बहुतसे लोग जो बड़ी योग्यताके साथ प्रतिनिधिका कर्तव्य कर सकते थे, इस कानूनके कारण निर्वाचित नहीं हो सकते थे, १५ वेन वार्षिक कार तथा एक वर्षतक स्थानविशेषमें निवासकी जो शर्त थी उससे बहुतसे योग्य पुरुष प्रतिनिधित्वके उम्मेदवार न हो सके। जापानमें ऐसे बहुत लोग हैं, जो बुद्धिमान् और सामर्थ्यवान् होते हुए भी दरिद्रावस्थामें पड़े हुए हैं। जापान-में केवल धनी ही शिक्षित और सभ्य नहीं होते। वहाँ विद्या-का धनसे अधिक आदर है। अस्तु। उस समय बहुतसे बुद्धिमान् राजनीतिक सामुराइयोंमें थे जोकि पहले क्षत्रियका ही कार्य किया करते थे। तानुकेदारोंके प्राधान्य कालमें सामुराई अपने मालिकके आश्रयमें रहकर उनसे वार्षिक वृत्ति पाते थे। और उन्हें धन घटोरनेकी चिन्ता कभी न होती थी।

बहुतसे निर्धन ही थे और बहुत थोड़े ऐसे थे जिनके पास जमीन जायदाद होगी। इसलिए शोगून शासनके नए होनेपर सामुराइयोंको वारचार स्थान बदलना पड़ता था। इस प्रकार स्थायी निवास न रहनेके कारण वडे वडे कुशल राजनीतिक्षण उभेद्वार नहीं हो सकते थे।

निर्वाचनकेवके सझीर विभागोंके कारण निर्वाचनमें पक्ष-भेदकी मात्रा अधिक होती थी। स्थानिक अधिकारियों और वडे वडे जमींदारोंके सामने विद्वान् और योग्य पुरुषोंको प्रायः हार जाना पड़ता था, क्योंकि गाँवों और कसवोंमें अधिकारियों और जमींदारोंका ही प्राधान्य होता है। इसके अतिरिक्त दो दो सभासदोंके एक साथ निर्वाचित करनेकी विधि होनेके कारण प्रायः बहुत ही अयोग्य सभासद भी चुने जाते थे, क्योंकि निर्वाचकगण योग्य सभासदोंके साथ इनके भी नाम एक ही पर्चेपर लिख देते थे।

पुरानी पद्धतिमें शिकायतकी एक बात यह भी थी कि निर्वाचक गुप्तसे अपना मत नहीं दे सकते थे, क्योंकि निर्वाचन अध्यक्षोंके सामने ही उन्हें हत्ताकर करना पड़ता था और इस प्रकार मत पहले ही प्रकाशित हो जाते थे।

बालास महाशयने वेनथमके सुख दुःखके उपयोगितावाद तथा मिलके वौद्धिक चरित्रवादकी दृष्टिसे गुप्त और प्रकट मतदान पद्धतिके गुणदोषोंकी बहुत ही योग्यताके साथ आलोचना की है और यह परिणाम निकाला है कि, प्रत्यक्ष भय दिक्षलानेके अतिरिक्त, मतसंग्रह करनेकी आवाज़, निर्वाचनेच्छुविशेषके मित्रोंकी उत्तेजना, उसके विरोधियोंके चेहरोंपर जीतकी भलक और स्थानिक अधिकारियोंकी अप्रसन्नताके अस्पष्ट सङ्केत, इन सबके सामने मनुष्यकी बुद्धि वेचारी

## २४० जापानकी राजनैतिक प्रगति

विमूढ़ हो जाती है।” वास्तवमें, जापानको भी उस बातका अनुभव हो चुका है कि प्रकट मत देनेकी पद्धतिसे मत दाताओंका मत अस्थिर रहता है, मत प्रार्थकोंके शब्द, कर्त्तव्यका स्मरण, स्थानीय ईसाका रोवदाव, अफसरोंके मूक सक्रेत और मतप्रार्थकोंका भय, ये सब ऐसी बातें हैं जिनके होते हुए मत देनेवाला मनुष्य अपने अधिकारका उपयोग ठीक तरहसे नहीं कर सकता। मतोंके प्रकट करनेकी पद्धतिने घूसखोरीको कम करनेके बदले और भी बढ़ाया है। प्रकट-मतपद्धतिमें घूससे बहुत काम निकलता है; क्योंकि घूस देनेवालोंको यह मालूम हो जाता है कि जिसे घूस दी गयी थी उसने किसको अपना मत दिया है।

१९५२ विं में प्रतिनिधि-सभाके लोक-प्रतिनिधियोंने निर्वाचन सुधार-विल सभामें पेश किया था। इस विलमें हैसियत-चाली शर्तमें १५ येनके वार्षिक करके घटले ५ येन कर दिया था और आयकरकी मर्यादा ३ येन रखसी थी और निर्वाचक वयस्की मर्यादा २५ से घटाकर २० और उम्मेदवारकी ३० से २५ की गयी थी। मतदाताओंकी संख्याका विचार न करें तो यह बड़े महत्वका विल था। इनकी संख्या चौगुनी कर देना इस विलका हेतु था। सरकारने इस विलका विरोध किया तो भी प्रतिनिधि-सभामें यह बहुमतसे पास हो गया। पर सरदार-सभामें यह अस्वीकृत हुआ—कारण यह बतलाया गया कि ऐसे महत्वका विल बहुत सोच विचार कर पास करना पड़ता है और अभी निर्वाचनाधिकारका क्षेत्र बढ़ानेका समय भी नहीं आया है।

परन्तु तीन वर्ष बाद फिर निर्वाचन-सुधार-विल प्रतिनिधि-सभामें पेश हुआ। इस बार लोकप्रतिनिधियोंने नहीं,

वित्क इतोके मन्त्रिमण्डलने इसे पेश किया । १९५२ के विलका विरोध करनेवाला भी पुराना इतोका मन्त्रिमण्डल था । पुरानी निर्वाचनपद्धति जारी करानेवालोंमें भी इतो ही प्रमुख थे । परन्तु अब इतोने ही ऐसा विल पेश किया जो १९५२ वाले विलसे किसी बातमें कम उम्र नहीं था और ह वर्ष पहले उन्होंने जो निर्वाचनपद्धति चलायी थी उसीका सुधार इस विलसे होनेवाला था ।

यह प्रश्न हो सकता है कि इतोने अपना ढङ्क क्यों बदला । इसके मुख्य दो कारण मालूम होते हैं, एक व्यक्तिगत और दूसरा राजनीतिक । व्यक्तिगत कारण यह था कि इतो जैसे निष्कपट, प्रागतिक और उदार पुरुष थे वैसे ही वे लोकमत जानकर उसके अभाव दूर करनेमें विशेष निपुण थे । इतो चाहते थे कि उन्हीं हाथोंमें जो सहृदनात्मक शासनपद्धति यनी थी उसका योग्य विकास हो । निर्वाचन-सुधारका पक्ष राजनीतिज्ञोंमें वढ़ भी रहा था । राजनीतिक कारण यह था कि, इतो जानते थे कि प्रतिनिधि-सभाके अधिक सभासद निर्वाचनका सुधार चाहते हैं, अतः इसका विल पेश करनेसे सरकारसे जो उनका विरोध है वह जाता रहेगा । अधिवेशन करनेके पूर्व उन्होंने प्रागतिक उदार-मतवादी दलकी सहकारिता ग्रहण की परन्तु उन्हींके साथी और राजाके अर्थसचिव काउण्ट इमोरीके विरोधसे यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ । इसलिए उन्होंने अप्रत्यक्षतया प्रतिनिधि-सभाके सभासदोंको अपने अनुकूल करने और उनका विरोध-भाव दूर करनेका प्रयत्न आरम्भ किया, क्योंकि वे जानते थे कि व्यवस्थापक-सभाकी सहकारिताके बिना शासनकार्य सुसम्पादित नहीं हो सकता ।

## २४२ जापानकी राजनीतिक प्रगति

इतोका विल पहले विलसे अधिक पूर्ण था और उससे निर्वाचन-संस्था आमूल सुधार हो जाता। इसकी मुख्य विशेषताएँ ये थी कि निर्वाचन-क्षेत्र बड़े थे और निर्वाचकोंको एक ही मत देनेका अधिकार था तथा वह अधिकार अपरिवर्त्तनीय था, निर्वाचकोंकी सम्पत्ति-मर्यादा कम होकर निर्वाचकोंकी संख्याकी दृष्टि हो गयी थी (पहलेके विलके अनुसार ही) ५ लाख वस्तीसे अधिककी म्युनिसिपैलिटियोंके लिए स्वतन्त्र निर्वाचनसंस्था था, प्रतिनिधियोंकी संख्या ३०० के स्थानमें ४७२ हो गयी थी, और उम्मेदवारोंके सम्बन्धमें हैसियत और स्थिर निवासकी शर्त रद्द हो गयी थी इसमें सन्देह नहीं कि पुरानी निर्वाचनपद्धतिके अनेक दोषोंको निकालनेवाला यह विल था। परन्तु यह आमूल परिवर्तन करनेवाला ही। इतो चाहते थे कि अभी जो ४५०००० निर्वाचक हैं सो २० लाख हो जायें। प्रतिनिधि-सभासे तो कुछ छोटे मोटे परिवर्तनोंके साथ यह विल पास हो गया; परन्तु सरदार-सभामें अभी यह यित उपस्थित भी न हुआ था जब भू-कर-सम्बन्धी एक अत्यन्त महत्वका सरकारी विल नामंजूर करनेके लिए प्रतिनिधि-सभा विसर्जित हो गयी। यहीं अधिवेशन समाप्त हुआ और दुवार विलका भी अन्त हो गया।

१९५६ में फिर एक विल प्रतिनिधि-सभामें पेश हुआ। इतोके विलसे और इससे बड़ा फरक था और यह यामागाता-के मन्त्रमण्डलने पेश किया था।

यामागाताके राजनीतिक चरित्रसे जहाँतक पता लगता है उससे तो यही मालूम होता है कि इस विलके पेश करनेमें निर्वाचन-संस्थाके सुधारकी इच्छाकी अपेक्षा अपना राजनीतिक मतलब निकालना ही यामागाताका उद्देश्य था। यामा-

गाताका नाम मेज़ीयुगके सुधारोंमें इतोके साथ धारम्यार आता है तथापि ये महाशय सर्वसाधारणके राजनीतिक अधिकार वढ़ानेके पक्षमें कभी भी नहीं थे। एक सूत्रसे यह मालूम हुआ है जब इतोने (उस समयके अध्यक्ष मन्त्री) देखा कि प्राग-तिक और उदारमतवादी दोनों एक हो गये हैं और अब दोनों मिलकर सरकारका घोर विरोध आरम्भ किया ही चाहते हैं तब उन्होंने एक ऐसा राजनीतिक दल सङ्घटित करनेकी आवश्यकता बतलायी कि जो सरकारका पक्ष ले। इसपर (१० मिथुन १९५५ के दिन प्रिवी कौन्सिलकी सभामें) इन्होंने सङ्घटनको कुछ कालके लिए रद्द कर देनेको कहा था। पर १९५६ में जब इन्होंने ओक्कुमा इतागाकी मन्त्रिमण्डलके टूट जानेके बाद उदारमतका मन्त्रिमण्डल बनाया तो इन्होंने दलको यह बचन देकर कि दलसे मतमें जो राजनीतिक सुधार करने हैं उनमेंसे कई करा दिये जायेंगे—उनसे सरकारकी सहकारिताका बादा करा लिया। यह वड़ी विचित्र बात है कि जिस पुरुषने इतोके राजनीतिक दलकी सहकारिता करनेकी सूचनाका तीव्र प्रतिवाद किया और कहा कि सरकारको राजनीतिक दलोंसे अलग रहना चाहिए, वही पुरुष जब अधिकारपर आता है तो तुरन्त ही प्रमुख राजनीतिक दलकी सहकारिता पानेके लिए व्यग्र हो उठता है। यामागाताने उदारमतवादियों को भी सहकारिता पानेके लिए जो बचन दिया था उसीको अंशतः पूरा फरनेके निमित्त उन्होंने यह निर्वाचन सुधार विल पेश कर दिया।

प्रतिनिधि-सभामें विलपर बहुत देर तक वादविवाद हुआ, कुछ संशोधन भी किये गये और तब विल पास हुआ। संशोधनोंमें सबसे महत्वपूर्ण संशोधन निर्वाचककी सम्पत्ति-मर्यादा

## २४४ जापानकी राजनैतिक प्रगति

नियत करने, भू-करकी छोड़ अन्य करोंकी ३ येन से ५ येनतक वृद्धि तथा म्युनिसिपल-निर्वाचन-संस्थाओंको दिये हुए स्थान (६ से ७३) कम करने के सम्बन्धमें थे। इन संशोधनोंका कारण समझना कुछ कठिन नहीं है। सभाके अधिक सभासद देहातोंके प्रतिनिधि थे। वे निर्वाचनका केंद्र बढ़ानेके पक्षमें अवश्य थे, परन्तु अपने पक्षके सभासदोंसे दूसरे पक्षके सभासदोंकी संख्या बढ़ानेके प्रयत्नका विरोध करना भी उनके लिए स्वभाविक ही था।

सरदार-सभामें जब ये विल पहुँचा तो वहाँ फिर उसकी वही शक्ति हो गई जोकि पहले थी। तब दोनों सभाओंके प्रतिनिधियोंकी कानफरेन्स हुई। पर्दोनों ही दल अपनी अपनी बातोंपर अड़े रहे पर अन्तको विल वैसा ही पड़ा रह गया।

इसके बाद परिपदका जब फिर अधिवेशन हुआ यामागाता-मन्त्रमण्डलने फिर एक विल पेश किया जो पूर्ववर्षके विलसे कुछ बहुत भिन्न नहीं था। इस बार, सरदार-सभा द्वारा एक बड़े महत्वका संशोधन होनेपर भी, दोनों सभाओंमें विल पास हो गया। सरदार-सभाने जो संशोधन किया था वह यह था कि निर्वाचककी कर-मर्यादा जो ५ येन तकी गयी थी सो उन्होंने १० येन बना दी। इससे पहले किसी अधिवेशनमें यह सूचना नहीं हुई थी। यह एक विचित्र ही बात हुई कि जिस प्रतिनिधि-सभाने पूर्व अधिवेशनमें सरदार-सभाके जो साधारण संशोधन किये थे उनका इतना विरोध किया कि विल वैसा ही पड़ा रह गया; उसी प्रतिनिधि-सभाने सरदार-सभाका यह संशोधन—जिससे कि निर्वाचकोंकी संख्या ही आधी होजाती—कैसे स्वीकार कर लिया। हमारी समझ-

में इसके तीन कारण हो सकते हैं, एक तो यह कि सभाके बहुतेरे सभासदोंने यह नहीं समझा कि निर्वाचन-संस्थापर इस संशोधनका क्या परिणाम होगा; दूसरा यह कि कर अथवा सम्पत्ति-मर्यादा कम करनेसे जिन लोगोंका लाभ था उन्हें कोई परवा नहीं थी; और तीसरा यह कि उदारमतवादी दलका पूरा ज़ोर था।

सङ्घनकी कार्यप्रणाली और देशके शासनकार्यपर निर्वाचन-संस्थाकी व्यापकताका क्या परिणाम होता है इसका विचार ही जहाँ कुछ नहीं हुआ वहाँ यदि प्रतिनिधियोंने सरदारोंके उक्त संशोधनका पूरा पूरा मतलब नहीं समझा तो कोई आश्वर्यकी वात नहीं है। सभामें निर्वाचन-सुधारके सम्बन्धमें जितने विल पेश हुए उनके कागज़पत्र देखनेसे मालूम होता है कि प्रतिनिधि-सभामें बहुत से लोग ऐसे थे जिनको निर्वाचनका विस्तार करानेकी वास्तविक चिन्ता थी। बहुतसे लोग तो उसी कोटिके थे जिस कोटिमें ‘प्रतिनिधि नहीं तो कर-निधि भी नहीं’ के सिद्धान्तपर ख्रियोंके लिए मताधिकार चाहनेवाली भोली भाली ख्रियाँ होती हैं। इसके अतिरिक्त एक वात यह भी थी कि निर्वाचनका अधिकार बढ़ानेके लिए राजनीतिज्ञ लोग ही कह रहे थे, सर्वसाधारण नहीं, इसलिए सर्वसाधारणसे विना पूछे ही सभाके बहुसंख्यक सभासद अपने मनसे निर्वाचनकी कर-मर्यादा निश्चित कर सकते थे, क्योंकि सर्वसाधारणके असन्तुष्ट होनेकी तो कोई वात ही नहीं थी। उदारमतवादियोंने भी, जो पूर्व अधिवेशनमें छोटी छोटी वातोंपर सरदार-सभाके साथ थे, अपनी पॉलिसी बदल दी और विलका पूर्ण अनुमोदन किया। पुराणप्रिय (कानसरवेटिव) सरकारने तो विल ही पेश किया

## २४६ जापानकी राजनैतिक प्रगति

था और उसने भी निर्वाचकोंको संख्याको और भी मर्यादित करनेवाले संशोधनपर कोई आपत्ति नहीं की। इस प्रकार विल पास होकर कानून बन गया।

इस नवीन कानूनके अनुसार निर्वाचनके क्षेत्र बड़े किये गये जिनमें एक ही मत देने और उसको दूसरेको न देनेका सिद्धान्त प्रचलित हुआ; और अपना मत शुपर रखनेकी रीत भी प्रचलित हुई; उम्मेदवारोंके लिए करसम्बन्धी जो शर्तें उठादी गयीं, और ३०००० से अधिक वस्तीवाली स्थानियोंपैलियों के लिए स्वतन्त्र निर्वाचन-क्षेत्र निर्माण किया गया। इस प्रकारसे जापानमें ४७ अमंगत निर्वाचन-क्षेत्र हैं जिनमें से हर एकको उसकी जन-संख्याके हिसाबसे ४ से १२ तक प्रति-निधि निर्वाचित करनेका अधिकार है; और ६१ नागरिक निर्वाचन-क्षेत्र हैं जो प्रतिक्षेत्र एक अधिवा दो प्रतिनिधि चुन सकते हैं। इन क्षेत्रोंमें नोकिओ, ओसाका और क्योनो नहीं हैं जिनके निर्वाचन-क्षेत्र अलग हैं और जो यथाक्रम ११, ६ और ३ प्रतिनिधि चुन सकते हैं।

नवीन कानूनसे निर्वाचन-संस्थाका बहुत कुछ सुधार हुआ है; प्रतिनिधिका निर्वाचन निर्वाचकोंकी अपनी इच्छापर निर्भर होनेसे और प्रकट मतप्रणालीके बन्द हो जानेसे देशके प्रतिनिधि परिषद्के सभासद हो सकते हैं और सब प्रकारसे पहलेकी अपेक्षा इस कानूनने बड़ा सुभीता कर दिया है। निर्वाचकोंकी संख्या भी बढ़ी है: पहले ५ लाख निर्वाचक थे, अब १७ लाख हैं। अब इस कानूनके प्रत्यक्ष अनुभव तथा निर्वाचन-संस्थाकी कार्यवाहीके सम्बन्धमें हम तृतीय भागके 'निर्वाचन' प्रकरणमें और भी कुछ बातें कहेंगे।

---

## पञ्चम परिच्छेद

जापानी प्रजाजनोंके स्वत्व और अधिकार

वैयक्तिक स्वातन्त्र्य, स्वत्व और अधिकारका प्रश्न स्वातन्त्र्य को मर्यादा या आधार का प्रश्न है। जबतक हमारे यहाँ पास्थात्य राजनीतिके तत्वज्ञानका प्रवेश नहीं हुआ था तबतक पास्थात्य देशमें नागरिकोंके स्वत्व और अधिकारका जो अर्थ है उस अर्थमें हमारे यहाँ उनके सदृश राजनीतिक सिद्धान्तों-का विलक्षण अभाव था। जापानियोंके राजकार्यमें तीन तत्व प्रधान थे—एक सम्राट्, अर्थात् राजसिंहासनके चिरकालीन अखरड अधिकारी जिनसे राज्याधिकारकी उत्पत्ति हुई और जो “अपने प्रजाजनोंपर कभी कोई अन्याय नहीं कर सकते” दूसरा अधिकारीर्वग जिनको सम्राट्-से वंशपरम्परातक नहीं प्रत्युत् कुछ कालके लिए अधिकार मिला; एरन्तु जो कभी कभी सम्राट्-के नामसे अपना अधिकार भी चलाते थे; तीसरा, जनसाधारण, जिनके हितकी रक्षा करनेवाले और जिनका पालन करनेवाले स्वयं सम्राट् थे और जिनका अस्तित्व वास्तवमें उनकी अपनी अपेक्षा सम्राट्-के अर्थ ही अधिक समझा जाता था। अतः सम्राट्-लोगोंके स्वत्वों और अधिकारोंके आधार नाममात्रके लिए थे पर वस्तुतः उन राजकर्म-चारियोंकी इच्छा ही सब कुछ थी जोकि सांख्यके लाभालाभ की दृष्टिसे प्रायः शासनकार्य किया करते थे।

अब वैयक्तिक स्वातन्त्र्यके सम्बन्धमें सङ्घटनके निर्माताओं की जो कल्पना थी वह विगत शताब्दीकी कल्पना थी। उनकी

## २४८ जापानकी राजनैतिक प्रघटनि

कल्पना प्रत्यक्ष नहीं किन्तु नास्तिपक्ष वत्तलानेवाली थी। नागरिकोंके स्वत्व या स्वातन्त्र्यका अर्थ वे यह समझते थे कि लोक-तन्त्र-स्वतन्त्र सरकारके अन्यान्य हस्तक्षेपसे उनका वचना ही मानों उनका स्वातन्त्र्य है। लोकतन्त्र देशमें वैयक्तिक स्वातन्त्र्यका जो अर्थ समझा जाता है और जिस स्वातन्त्र्यका आधार समाजकी स्वतःसिद्ध शक्ति (जिसे “लोकमत” कहते हैं) होती है उसे ये ग्रहण नहीं कर सके थे। अतः सहृदयके निर्माताओंने जापानी प्रजाजनोंके जिन स्वत्वों और अधिकारोंको निर्धारित किया वह इस विचारसे कि लोकतन्त्रस्वतन्त्र सरकारके अन्यायोंसे वैयक्तिक उद्योगोंका नाश न हो।

इस प्रकार जापानी प्रजाजनोंके विशिष्ट स्वत्व (रक्षणोपाय), सहृदयके अनुसार, दो भागोंमें विभक्त किये जा सकते हैं—एक वैयक्तिक (ज्ञाती) और दूसरा सम्पत्ति-सम्बन्धी।

वैयक्तिक स्वत्वोंके सम्बन्धमें सहृदयकी धाराएँ इस प्रकार हैं—जापानी प्रजाजनोंको वासस्थान तथा उनको परिवर्तन करनेका वैद्य (कानूनी) अधिकार होगा, कोई जापानी कानून के खिलाफ न पकड़ा जायगा, न हवालातमें रखा जायगा, न उसपर मुकदमा चलेगा और न उसे सज्जा होगी, कोई जापानी कानूनसे नियत जजोंके इजलासमें मुकदमा चलाये जानेके अधिकारसे वश्चित् न होगा, जापानी प्रजाजनोंको शान्ति और मर्यादामें वाधा न डालते हुए तथा प्रजाके कर्तव्योंका उष्मद्वन्द्वन न करते हुए धार्मिक मतोंके अवलम्बनमें स्वाधीनता रहेगी, जापानी प्रजाजनोंको फानूनकी सीमाके अन्दर भाषण करने, लिखने, छापकर प्रकाशित करने तथा सभा-

## जापानी प्रजाजनोंके स्वत्व और अधिकार २४६

समिति करनेका स्वातन्त्र्य रहेगा; और जापानी प्रजाजनोंको शिष्टाचारयुक्त प्रार्थनापत्र भेजनेका अधिकार होगा, इत्यादि।

सम्पत्तिसम्बन्धी सत्त्वोंके वारेमें शासनपद्धतिमें लिखा है कि, प्रत्येक जापानी प्रजाजनका सम्पत्तिसम्बन्धी सत्त्व अनुरण रहेगा, और सार्वजनिक हितके लिए जिन उपायोंकी आवश्यकता होगी वे कानूनसे निर्धारित किये जायेंगे; किसी जापानी प्रजाजनके पत्र फाड़े न जायेंगे; कानूनमें निर्दिष्ट अवस्थाओंको छोड़कर और किसी अवस्थामें किसी जापानीकी तलाशी, उसकी इच्छाके विरुद्ध न ली जायगी।

हम इस परिच्छेदमें इन सब सत्त्वोंका परीक्षण कर एक एकका अर्थ और सन्दर्भ लगानेका उद्योग न करेंगे यद्यपि सहृदान्तर्हीमें कई धाराएँ बहुत ही सन्दिग्ध हैं। परन्तु इन सत्त्वोंका एक एक करके परीक्षण करनेके बदले हम उन सबकी समान मर्यादा और उनकी आधारभूत समान अवस्थाका यहाँ विचार करना चाहते हैं।

ध्यान देकर देखिए कि सहृदानकी इन सब धाराओंमें एक भी ऐसी नहीं है जिसमें “कानूनके खिलाफ” या कानूनमें निर्दिष्ट अवस्थाओंको छोड़कर अथवा “कानूनके अनुसार” ये शब्द न आये हों। इन शब्दोंका अर्थ क्या है? क्या इनका अर्थ यह नहीं है कि कानूनके परिवर्तनके साथ साथ इन सत्त्वों और अधिकारोंका अर्थ और सन्दर्भ भी बदल जायगा अथवा यों कहिये कि इन सत्त्वोंका आधार सहृदान नहीं बल्कि कानून है? उदाहरणार्थ सहृदान यों है कि “कोई जापानी कानूनके खिलाफ न पकड़ा जायगा, न हवालातमें रक्खा जायगा, न उसपर मुकदमा चलेगा और न उसे सज़ा दी जायगो।” अब मान लीजिए कि एक ऐसा कानून बना या आक्षा पत्र निकला कि

## २५० जापानकी राजनैतिक प्रगति

जिस किसीपर सरकारको इस वातका सन्देह हो कि उसने सरकारके किसी कार्यकी खुलमखुला निन्दा की है तो वह विना बारेटके पकड़ा जायगा और जन्म भरके लिए कैद किया जायगा तो ऐसे मनुष्यका इस तरह पकड़ा जाना सद्गुणके विरुद्ध है। ऐसे कानून या आशापत्रको ही सद्गुणके विरुद्ध कह सकते हैं।

सच पूछिये तो सं० १९३४ (सन् १८३२) के सभासमिति कानून सं० १९४० (सं० १८३३) के प्रेसएक्ट और सं० १९४२ (ई० १८३७) के शान्ति-रक्षा कानूनसे भायण, लेखन, प्रकाशन और सभासमिति सद्गुणके काममें जापानियोंकी जो दुरवस्था थी वह सद्गुणसे कुछ भी नहीं मुघरी। यद्यपि सद्गुणमें इन सब वातोंके लिए कुछ गुआयश थी, तथापि उनका कुछ उपयोग नहीं हुआ। सं० १९४२ का शान्ति-रक्षा कानून, जो एक अन्यायपूर्ण कानून था, सद्गुणात्मक शासनके प्रधर्त्तनके उपरान्त भी जारी ही रहा। आठ वर्ष लगातार सरकार और सरदार सभासे भगड़कर प्रतिनिधि-सभा वड़ी मुश्किलोंसे उसे सं० १९५५ में रद्द करा सकी।

वि० १९५१ (ई० १८४४) में चीन-जापान युद्धके समय सरकारने एक आशापत्र निकाला जिससे मुद्रण और प्रकाशनका सातन्त्र्य बहुत कुछ नष्ट हो गया था। उसी वर्ष वह कानून रद्द भी हुआ। यह किसीने न पूछा कि जो सरकार परिपद्धके तन्त्रसे सर्वथा मुक्त है उसका यह स्वेच्छाचार सद्गुणके अनुकूल था या प्रतिकूल। वि० १९६२ में रूस जापान युद्धके समयमें सरकारने फिर शान्तिरक्षा कानूनका भाई “आगाही कानून” और “विशिष्ट मुद्रण और प्रकाशन विधान” निकाला। परन्तु इससे लोकमत इतना उत्तेजित हो-

## जापानी प्रजाजनोंके स्वत्व और अधिकार २५१

गया कि सरकारको तीन ही महीनेमें उनका जीवन समाप्त करना पड़ा। तब प्रतिनिधिने सरकारपर यह अभियोग लगाया कि सङ्घटनकी आठवीं धाराके अनुसार सरकारको चाहिये था कि अपने आश्वापत्र परिषद्में पेश करती, पर वह उसने नहीं किया। पर यह एक प्रकारसे कलिपत लड़ाई थी। अर्थात् उसका कोई परिणाम नहीं हुआ, क्योंकि सर्वसाधारण-के स्वत्वों और अधिकारोंको अनुचित रूपसे घटानेका अभियोग सरकारपर नहीं लगाया जा सकता।

तात्पर्य यह है कि सङ्घटनने जापानी प्रजाको जो अधिकार दिये हैं वे कानूनके अधिकाराधीन हैं। नागरिकोंके स्वत्वों और अधिकारोंके सम्बन्धमें सङ्घटनने कोई अनन्य अधिकार नहीं दिये हैं, अर्थात् उसने इन अधिकारोंको रखनेके लिए सरकार या परिषद्का अधिकार मर्यादित नहीं किया है। जैसा कि संयुक्तराज्योंके सङ्घटनने किया है। संयुक्तराज्योंका सङ्घटन ऐसा है कि वहाँकी कांग्रेस किसी ऐसे अपराधीपर कि जो प्रमाणादिके अभावसे अथवा प्रचलित कानूनके बलसे अपराधी सावित न हो सकता हो, स्वयं कोई बिल पास कर उसपर सभामें अभियोग नहीं चला सकती और इसी तरहका कोई घटनानुगमी कानून भी नहीं बना सकती।

सरकार सनदको युद्ध-कालको छोड़ कभी दूर नहीं कर सकती और विना किसी योग्य कारणके गिरफ्तारी या तलाशी-का वाररेट नहीं निकाल सकती, इत्यादि। परन्तु जापानी सङ्घटनामें ये बातें नहीं हैं और सरकार कानून बनाकर लोगों-के स्वत्व और अधिकार कम फर सकती है। यह भी ध्यानमें रखना चाहिए कि जापानी सरकार सर्वसाधारण या परि-

## २५२ जापानकी राजनैतिक प्रगति

पद्मके अधीन नहीं है और न सहृदयनके निर्माताओंकी ऐसी इच्छा ही थी।

ऐसी अवस्थासे सहृदयनके निर्माता कर्योंकर सन्तुष्ट रहे। इसका कारण सर्वथा दुर्धोध नहीं है। जब शोगूनों का शासन था तब साधारण कानून और परिपाटीको छोड़कर सर्वसाधारणके सत्त्वों और अधिकारोंका कोई विभान नहीं था। इसलिए सहृदयनमें इन्हें प्रत्यक्ष, स्थायी और सुदृढ़ स्थान देना देश, काल, पात्रके अनुकूल न जान पड़ा होगा। राजकर्मचारियोंके अन्यान्य कार्योंसे सर्वसाधारणकी रक्षाके लिए उन्होंने कानूनको ही यथेष्ट समझ लिया। इतो अपने भाष्यमें लिखते हैं, “मध्यगुगकी लक्षकरी राज्यपद्धतिमें सर्वसाधारणसे क्षत्रजातियोंकी विशेष मानमर्यादा थी। राजदरवारके सभी उच्चपद इन्हें तो मिलते ही थे पर इसके साथ ही अन्य लोगोंके सत्त्वों पर भी इनका पूरा अधिकार था। इससे लोग अपने सत्त्वों और अधिकारोंसे वक्षित ही रहते थे। परन्तु सहृदयनके इस परिच्छेदकी (द्वितीय परिच्छेद—प्रजाजनोंके सत्त्व और अधिकार) धाराओंसे जापानी प्रजाजन अपने सत्त्वों और अधिकारोंका वैसा ही उपयोग कर सकते हैं जैसा कि नियमित लोग” इत्यादि। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि उन्होंने या तो भूलसे या जान वृभकर इस बातपर ध्यान नहीं दिया कि जिस कानूनके भरोसे उन्होंने सर्वसाधारणको छोड़ दिया उस कानूनके बनानेवाले कौन हैं; जिन्होंने इतना ही केवल सोचा कि लोकतन्त्रस्वतन्त्र सरकारकी वुराइयोंसे सर्वसाधारणके सत्त्वों और अधिकारोंकी रक्षा करनेके लिए कानून काफ़ी है।

तत्वतः सम्राट् ही व्यवस्थापनके मुख्य देवता हैं, यही नहीं किन्तु वे इसके कर्ता और घार्तिककार भी हैं। परन्तु

## जापानी प्रजाजनोंके स्वत्व और अधिकार २५३

वस्तुस्थिति यह नहीं है। सम्राट्‌ने जो शासनपद्धति प्रजाको दी वह उन्हींकी बनायी हुई नहीं थी और सं० १९४६ में सरदार-सभाकी अपीलपर सम्राट्‌ने सहृदयनकी ५५वीं धाराका जो वार्त्तिक प्रकट किया था वह स्वयं उनका नहीं वल्कि प्रिवी कौन्सिलके ही निर्णयकी प्रतिव्वन्ति थी। इन बातोंसे यह प्रकट होता है कि सम्राट्‌ वस्तुगत्या न तो सहृदयनके कर्ता हैं और न उसके वार्त्तिककार ही। इससे कोई यह न समझे कि सम्राज्यके शासन वा व्यवस्थापनसे सम्राट्‌का कुछु सम्बन्ध ही नहीं है। हम जानते हैं कि जापानमें एक भी ऐसा व्यक्ति न होगा जो केवल राजकार्यमें ही नहीं वल्कि लोकचारिज्यमें सम्राट्‌के अभौलिक प्रभावपर सन्देह करता हो। राष्ट्रीय जीवनके कठिन प्रसङ्गोंपर सम्राट्‌का यह प्रभाव ही जापानियोंके मनका प्रधान संकल्प होकर व्यवस्थापन और समाज-शासनका मुख्य सञ्चालक हो सकता है। पर साधारण अवस्थामें सम्राट्‌का प्रभाव ही कानूनका सञ्चालक नहीं होता यद्यपि उसका बल निःसन्देह, बहुत होता है। तब इस सहृदयनके अनुसार व्यवस्थापनका वास्तविक अधिकार किसको है।

सहृदयनमें लिखा है कि सम्राट्‌ राष्ट्रीय परिषद्‌की समति-से व्यवस्थापनाधिकारका उपयोग करेंगे। सहृदयनने परिषद्‌को सम्राट्‌-परिवार-कानून तथा सहृदयन-संशोधन को छोड़कर व्यवस्थापनमें विधान उपस्थित करनेका अधिकार भी दिया है। परन्तु द्वितीय और तृतीय परिच्छेदमें हम दिखला चुके हैं कि यह अधिकार क्या है और यह भी दिखला चुके हैं कि प्रतिनिधि-सभा सरकारकी सहायता विना कोई कानून बना नहीं सकती और सरकार विना परिषद्‌से पूछे भी बना सकती है।

इसलिए जापानी प्रजाजनोंके स्वत्व और अधिकार सह-  
द्वनात्तर्गत कानूनकी मर्यादासे सुरक्षित हैं यह कहना भी धुमा  
फिराकर यही कहना है कि जापानियोंके स्वत्व और अधिकार  
उस सरकारके कर्मचारियोंकी इच्छापर निर्भर हैं जो कि लोक-  
तन्त्रके अधीन नहीं हैं। सच पूछिये तो सहृदयका यह भाग  
कि जिसमें सर्वसाधारणके स्वत्वों और अधिकारोंकी चर्चा है,  
केवल निर्जीव अलक्ष्यमात्र हैं; क्योंकि जबतक सरकार लोक-  
तन्त्रके अधीन नहीं होती तबतक उसका उपयोग ही क्या हो  
सकता है। प्रेस-कानून, शान्ति-रक्षा-कानून, आज़ादीका  
कानून इत्यादि वातोंसे हमारा यह कथन सिद्ध हो सका है।

जापानी लोग कुछ कुछ अंगरेजोंके समान हैं: वे सामा-  
जिक, रीतनीत और पूर्वपरम्पराके बड़े अभिभानी होते हैं  
और उनमें वीरोचित न्यायप्रियता होती है, राजनीतिक वातों-  
में फ्रांसीसी सिद्धान्तियोंकी अपेक्षा वे "साम्राज्यवादी" होना  
अधिक पसन्द करते हैं। यद्यपि पुराने शासन कालमें हमारे  
यहाँ नागरिक स्वत्वों और अधिकारोंका कोई विधान ग्रन्थ नहीं  
था तथापि लोग उन स्वत्वों और अधिकारोंको भाँगते थे और  
जापानी व्यक्तिमें जन्मतः जो न्यायप्रियता होती है उससे और  
सामाजिक रीतनीतिसे वे कुशलमङ्गलके साथ जीवन व्यतीत  
करते थे। पर अब हमारे यहाँ कानून चला है और युरोपीय  
दृष्टके न्यायालय भी स्थापित हुए हैं और हमारे जज और  
वकील जर्मन अदालतकी तालीम पाये हुए तथा जर्मन  
सिद्धान्तोंके संस्कारोंसे भरे हुए हैं। अब यह कायदा भी हो  
गया है कि जो कोई जजीकी सिविल परीक्षा पास करे वह  
जज हो सकता है। अतः आजकल हमारे न्यायालयोंके सभी  
जज नौजवान हैं जिन्हें पुस्तकी शान तो रहता है पर जिन्हें

## जापानी प्रजाजनोंके स्वत्व व अधिकार २५५

संसारका अनुभव कुछ भी नहीं होता । ये युवा जज कानून-का अर्थ समझतेमें तो एक एक शब्दके बालकी खाल खींच लेते हैं और कानूनके अनुसार काम करनेमें टससे मस नहीं होते पर इन्हें अभियोग विशेषकी परिस्थितिका कुछ भी ध्यान नहीं रहता । परिणाम यह होता है कि हमारे स्वत्व और अधिकार व्यापक होनेके बदले संकीर्ण ही होते जा रहे हैं । शोगून-शासनकालमें विधि विधानके अभावका हमें दुःख था पर अब इस न्याय और शासन पद्धतिमें हमें विधि विधानका अजीर्ण ही दुःख दे रहा है ।



## तृतीय भाग

संझटनकी कार्य-प्रणाली



## प्रथम परिच्छेद

सङ्घटनात्मक राजसत्ता

४ द्वितीय भागमें हमने सङ्घटनके मूल तत्वोंका, विशेषतः उनके तात्त्विक स्वरूपोंका विचार किया। अब इस भागमें हम राष्ट्रके २० वर्षकी प्रतिनिधिक संसाक्षे अनुभवसे सङ्घटन-की प्रत्यक्ष कार्य-प्रणालीका अनुसन्धान करनेका प्रयत्न करेंगे।  
इस चरिक्लेटमें हम अमरकृती क्रियाकार विषयोंपर हैं।

## २६० जापानकी राजनैतिक प्रगति

जापानियोंको वचपनसे कैसी शिक्षा मिलती है और सम्राट् तथा सम्राट्-परिवारके प्रति उनके क्या भाव होते हैं।

वहुतसे जापानी सम्राट्‌के नामको पवित्र और दिव्य समझते हैं जैसा कि सङ्घटनकी तीसरी धारामें लिखा है। १९५० में मन्त्रिमण्डलसे सम्राट्‌की प्रतिष्ठा सुरक्षित रखनेमें कुछ असावधानी हो गयी जिसपर मन्त्रिमण्डलके खूब कान मले गये। ८ मार्ग १९४५ विं को लावेना नामक अंगरेजी जहाजसे जापानी ज़ज़ों जहाज़ चिशिमाइयोंको खाड़ीमें कहीं टकरा गया। जापानी सरकारने याकोहामाके अंगरे जी राजदूतालयमें पी० औ० कम्पनीपर सुकदमा चलाया और पी० औ० कम्पनीने शाहाईके सुप्रीम कोर्टमें जापानी सरकारपर सुकदमा चलाया। दोनों अदालतोंमें मामला चला। जब यह पता लगा कि जापान-सरकारकी ओरसे पैरवी करनेवाले अंगरेज़ों वकीलने कोर्टमें सम्राट्‌का नाम ले दिया तो प्रतिनिधि सभामें बड़ी उत्तेजना फैली। सम्राट्‌का नाम और वह विदेशी कोर्टमें विचारार्थ लिया जाना उस नामक अपमान समझा जाता था।

अध्यक्ष मन्त्री मारकिवस कत्सुराने क्वास्पो नामक सरकारी समाचारपत्रमें सम्राट्‌का एक घोषणापत्र प्रसिद्ध किया। क्वास्पो पत्रको लोग विशेष नहीं पढ़ा करते, उसे उसी विष्णुसे देखते हैं जिस विष्णुसे लन्दन में 'लन्दन गज़ट' देखा जाता है। ऐसे अप्रचरित पत्रमें सम्राट्‌का घोषणापत्र और वह भी बिना किसी पूर्व सुचनाके, देखकर लोग वहुत सन्तुत हुए और तोयावी महाशयने तो इस असावधानीके लिए मारकिवस कत्सुराकी खुलमखुला घोर निन्दाकी। यह कहा गया कि वेमौके सम्राट्‌का पवित्र घोषणापत्र निकालना उनकी प्रतिष्ठा

कम करना है, मार्किंग करने तो उसकी पवित्रताकी रक्षा करने में और भी असावधानी की है।

इङ्गलिस्तानके राजार्थी स्थितिका परीक्षण करते हुए सिडनी लो महाशय कहते हैं, “इसमें बड़ा गुन्ताला है, बड़ा रहस्य और बड़ी कृतिमता है; इसकी वनावट इतनी नाजुक और इतनी अद्भुत है कि कृतिमताका भाव उदय हुए विना इसका परीक्षण ही नहीं हो सकता।” इङ्गलैण्डके राजा “मर्यादित राजा” है और सैकड़ों वर्षोंके पार्लमेंटके इतिहासमें तरह तरहकी घटनाएँ हुई हैं और उनसे राजार्थी स्थिति बहुत कुछ ठीक मालूम हो जाती है; परन्तु तौभी मिलो जैसे सूचमदर्शी राजनीतिज्ञको सङ्घटनके अन्दर राजाका कौनसा स्थान है यह ठीकठीक बतलानेमें बड़ी कठिन ईका सामना करना पड़ता है। वास्तविक कठिनाई यह है कि राजाके जो तत्वतः अधिकार हैं और उनमें वस्तुतः वह किन अधिकारोंका उपयोग कर सकता है और इस भेदको दिखलानेवाली कोई एक अद्वितीय हुई सीमा नहीं रखी है, और इसीलिए अपने मन्त्रियों और प्रजाजनोंपर राजाका जैसा प्रभाव हो वही उसके वास्तविक अधिकारकी सीमा है। अब राजाके ‘प्रभाव’का सूचम निरीक्षण करना तो असमझ ही है, क्योंकि जैसा राजा होगा और प्रजाजनोंकी जैसी मनोरचना होगी उतना ही उसका (राजाका) प्रभाव राजकार्यपर पड़ सकता है। अमरीकाकी नवीन पीढ़ी शायद यह न समझ सकेगी कि राजकुमारी जुलिएनाके जन्मपर डच लोगोंको कितना आनन्द हुआ था और इसका मतलब क्या है। तथापि राजनीतिक मनोविज्ञान शास्त्रका विद्यार्थी अवश्य ही समझता है कि वंश परम्परासे “राजा सहित राजसिंहान” की जो संस्था चली आती है उसमें उन प्रजाजनोंको—जिनको ऐसी संस्थाके

## २६३ जापानकी राजनैतिक प्रगति

सहवाससे स्लेह हो गया है—वश करनेकी ऐसी शक्ति है कि वह राजकार्यमें एक अत्यन्त असाधारण मूल्यवान् और शक्ति युक्त विलक्षण भाव उत्पन्न होता है।

जापानके सम्राट् तत्वतः “अमर्याद राजा” हैं। कोई प्रथा या कानून, ( लिखा या वेलिखा ) अथवा सहृदय ही उनके अनन्य सत्त्वाधिकारको मर्यादित नहीं कर सकता। महाशय बाल्टर वैज्ञानिक कहते हैं कि महारानी विक्टोरियाने बुद्धिमत्ता-से आंजीवन सरदार यनानेका प्रयत्न किया और लार्डसभाने मूर्खतासे उनके इस हक्कोंन माना। जापानमें वर्तमान सहृदयके रहते हुए ऐसी वात कभी नहीं हो सकती। किसी-की मजाल नहीं जो सम्राट् की इच्छा-अधिकारका विरोध करे, चाहे यह इच्छा बुद्धिमत्ताकी हो चाहे मूर्खता की। सम्राट् सर्वसत्त्वाधारी और साम्राज्यके एकमेवाद्वितीय अधिकारी हैं।

परन्तु कोई समझदार मनुष्य यह नहीं समझता कि सम्राट् खुद सब कारवार देखते हैं, यद्यपि यह कहना शिष्टता है कि सरकारके सब कार्य सम्राट् के तत्वावधान में होते हैं और उन्हींकी आशानुसार होते हैं। तथापि यह साहस किसीमें नहीं है कि यह भी पूछे कि सम्राट् स्वयं शासनकार्यकी देखभाल कहाँतक करते हैं, हम समझते हैं कि इन सब वातोंका जानना सहृदयकी भविष्य प्रगति निर्धारित करनेके लिए यहुत ही आवश्यक है। यह एक बड़े आश्वयेकी वात है कि शोजुमी, ताकादा, कुदो, शिमिजू, सायजीमा, तानाका जैसे बड़े बड़े सहृदयनसम्बन्धी लेखकोंमेंसे किसीने भी इस महत्वके प्रश्नकी चर्चा नहीं की।

जापानी पार्लियमेंटके २० वर्षके उद्योगपूर्ण इतिहासको जब

हम राजसिंहासनकी दृष्टिसे देखते हैं तो वह इतिहास प्रायः घटनाशृण्य ही दिखाई देता है। प्रातिनिधिक शासनप्रणाली-की स्थापनासे सर्वसाधारणके सामाजिक और राजनीतिक जीवनमें तथा सरकारके व्यवस्थापन और शासनके काममें बड़ा भारी अन्तर हुआ। पर जब सम्राट् और उनकी स्थितिको देखते हैं तो सङ्घटनसे कोई नयी बात नहीं दिखायी देती। हमारी सङ्घटनात्मक शासनकी प्रणालीमें यह एक विशेष बात देखतेमें आती है कि सरकार और परिषद्में परस्पर वारचार इतना विवाद, विरोध, धक्काधुक्की और सङ्घर्ष-विवर्ष हुआ पर तो भी सम्राट्, सर्वसाधारण और सरकारमें सदा ही सम्बन्ध बना रहा।


जापानी मन्त्रिमण्डलका मन्त्री यही कहता है कि मैं सम्राट्की आज्ञासे राज्यव्यवस्था करता हूँ। १५ मीन १९६४ विं को जर्मन रीगस्टकमें प्रिन्स व्यूलोने कहा था “जबतक सम्राट्का सुभपर विश्वास है और जबतक मेरी विवेकवुद्धि इसके अनुकूल है तबतक मैं यह काम करूँगा।” जापानमें भी जापानी मन्त्री प्रायः ऐसे उद्धार निकालते हैं। पर इससे यह न समझना चाहिए कि दोनोंके देशों मन्त्रियोंका अपने अपने सम्बांट्से एकसा ही सम्बन्ध है। दोनों देशोंमें इस सम्बन्धमें परस्पर पूर्व पश्चिमका अन्तर है।

जर्मनीके सम्राट् द्वितीय विलियमने जैसे बान कैप्रियोंको छुनकर विस्मार्कके स्थानपर बैठा दिया वैसे जापानमें कभी नहीं होता। यह बतलाया जाता है कि विलियमने बान कैप्रियोंको विस्मार्ककी जगह इसलिए दी कि वे राजसिंहासनके सामने सिर नीचा किये रहेंगे। हम जहाँतक समझते हैं, जर्मनीके राजकार्यमें जर्मन सम्राट्का जो स्थान है वह

## २६४ जापानकी राजनैतिक प्रगति

प्रशियाके राजधरानेके सम्मानपर उतना निर्भर नहीं है जितना कि सम्राट् विलियमके अद्भुत व्यक्तित्वपर । यह भी सुना जाता है कि सम्राट् विलियम अपनेको सरकारके रूपमें प्रकट करना और शासनसम्बन्धी प्रत्येक कार्यको अपने हाथमें लेना बहुत पसन्द करते हैं । यह भी लोग कहते हैं, कि जर्मन सम्राट् स्वयं सर्वसत्ताधारी बनकर संसारल्हपी नाटकमें चक्रवर्तीकी भूमिका लेना चाहते हैं । यह कहाँतक सच है यह कहना तो यहुत ही कठिन है पर इसमें सन्देह नहीं कि “कूगरका तार सन्देश” तथा “लार्ड थीडमाउथको लिखा हुआ पत्र” इत्यादि यातें इस घातको सिद्ध करती हैं कि चान्सलर जो कुछ हैं सो हैं ही, सम्राट् विलियम भी साम्राज्यके राजकार्यमें कुछ कम भाग नहीं लेते ।

जापानमें इसके विपरीत एक भी उदाहरण ऐसा न मिलेगा जब सम्राट् मित्युहितोने राजमन्त्रियोंकी सम्मतिके बिना एक भी काम अपने मनसे किया हो । जापानमें सम्राट्-की स्थितिका दृढ़ीकरण सम्राट्-के व्यक्तित्वपर उतना निर्भर नहीं है जितना कि राजसिंहासनके अनोखे इतिहास और परम्परा पर । अध्यापक यामागुच्चीने लिखा है कि “राजसिंहासन राजसत्ताका भरडार है और देश और प्रजाके अधीन है । शासक और शासितकी प्रभेदरेखा जापानमें शतान्द्रियों पूर्वसे ही स्पष्ट अद्वित हो चुकी है । साम्राज्यकी सत्ता राजसिंहासनसे चिलग नहीं सकती । यह सत्ता सम्राट्-बंशके ही साथ साथ अनन्त कालतक रहेगी ।” इस प्रकार सम्राट्-को यह दृढ़ विश्वास रहता है कि चाहे कोई मन्त्री हो, किसी दलके हाथमें शासन कार्य हो, सम्राट्-का जो अति पवित्र राजसिंहासन है वह सदा ही सुरक्षित रहेगा । मन्त्र



भिन्न सं० ६ ]

वीर जनरल नोगी

[ जा. रा. प्र. पृष्ठ २६३



पदपर चाहे कोई फाक्स आवें, चाहे पर्डिंगटन या पिट आवें, उससे राजसिंहासनका कुछ भी वनता विगड़ता नहीं। सम्राट् मित्सुहितोकी बुद्धिमत्ताका भी इसमें भाग हो सकता है कि उन्होंने किसी मन्त्रिमण्डलका चाहे वह इतोका हो या यामा गाता वा श्रोकुमा अथवा ईतगाकीका हो, कभी विरोध या पक्षपात नहीं किया; पर इसका बहुत बड़ा भाग सम्राट् के इस विश्वासका भी हो सकता है कि राजसिंहासनको कोई भय नहीं है।

जब कोई नया मन्त्रिमण्डल वनता है तब सम्राट् सहृदय-के अनुसार ( तत्त्वतः ) चाहे जिसको मन्त्रिपद दे सकते हैं, अथवा जब वे चाहें चाहे जिस मन्त्रीको निकाल सकते हैं। पर कार्यतः यही समझा जाता है कि वे अध्यक्ष मन्त्री ही जिनका कि कार्यकाल समाप्त हो चुका है, सम्राट् को बतला देते हैं कि श्रव कौन अध्यक्ष मन्त्री होना चाहिए, अथवा प्रिवी कौन्सिल या 'बृद्ध राजनीतिक्ष' एकत्र होकर सोच लेते हैं कि श्रव शासन-कार्यका भार किसके सिरपर देना चाहिए और सम्राट् को सूचित करते हैं। इस सम्बन्धमें इंग्लिस्तानके राजा जितने सच्छन्द हैं उनसे अधिक सच्छन्दता जापानके सम्राट् की नहीं दिखलाते। प्रायः सम्राट् उसी पुरुपको दुला भेजते हैं जिसपर कि सदकी राय हो और नवीन मन्त्रिमण्डल सङ्घठित करनेके लिए कहते हैं।

सम्राट् की सबसे श्रेष्ठ परामर्शदात्री-सभा प्रिवी कौन्सिल है उसके सभासद भी अध्यक्षमन्त्री अथवा 'बृद्ध राजनीतिज्ञोंमेंसे' चुने हुए लोगोंकी रायसे नियुक्त और पदच्युत किये जाते हैं। वि० १९४० के मार्ग मासमें अध्यक्षमन्त्री मात्सुकाताकी सम्मतिसे सम्राट् ने श्रोकुमाको पदच्युत कर

## २६६ जापानकी राजनीतिक प्रगति

दिया क्योंकि ओकूमा परिपद्के राजनीतिक दलोंसे मिले हुए थे। १९५० में इतो प्रिवी कौन्सिलके प्रेसिडेण्ट नियुक्त किये गये सो भी मात्सुकाता और यामागाताकी सम्मतिसे, और फिर उसी वर्ष समूटने मात्सुकाता और यामागाताको प्रिवी कौन्सिलमें खानापन्न किया सो भी इतोके परामर्शसे। ऐसे और अनेक दृष्टान्त हैं।

मन्त्रिमण्डल और प्रिवीकौन्सिलके उच्चाति-उच्च पदोंपर कार्यकर्त्ताओंको नियुक्त करनेमें समूटका प्रत्यक्ष कार्यभाग न होना ही इस बातको सावित करता है कि साम्राज्यके शासन कार्यमें भी उनका कोई प्रत्यक्ष भाग नहीं है। जापानके समूटको अपना व्यक्तिगत महत्व दिखलाने और सरकारके रूपमें प्रकट होनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक बड़े मार्केंकी बात है कि जापानके राजनीतिज्ञ जो कुछ प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य करते हैं उसका यश वे निःसङ्कोच होकर समूटको देते हैं। पोर्ट आर्थर और त्सुशिमा खाड़ीके बीर जनरल नोरी और एडमिरल टोगोने अपने पराक्रमोंकी प्रशंसा के उत्तरमें कहा कि यह सब समूटका पुण्य और बुद्धिवल है। ऐसी अवस्थामें समूटको साम्राज्यका सब प्रबन्ध अपने मन्त्रियोंको सौंप देनेमें कुछ भी सङ्कोच या सन्देह नहीं होता।

इसमें सन्देह नहीं कि, प्रत्येक महत्वकी बातपर समूटकी सम्मति ली जाती है। मन्त्रियोंकी यह हांदिंक इच्छा रहती है कि वे सभी महत्वके कार्य समूटके विचारार्थ उनके सम्मुख उपस्थित किये जायें, और समूट जब मंजूरी देते हैं तो उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। समूट भी अपने मन्त्रियोंको हर तरहकी सहायता देनेके लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। उदाहरणार्थ १९५४ में जब काउण्ट ओकुमा और इतागाकीने दल-



पितृ मं० - १ वीर एडमिरल तोगो [ जा. ग. प्र. ५४ २६६



मूलक पद्धतिपर शासन कार्य सङ्गठित करना चाहा और उन्हें नौसेना तथा ज़ज़ी आफिसके लिए मन्त्रियोंका मिलना असम्भव हो गया तब सम्राट्ने वाईकाउरेट (अब मारकिस) कल्सूराको युद्धमच्ची और मारकिस सायगोको नौसेनाका मन्त्री बना दिया और उनसे नवीन शासन कार्यमें शोकुमा और इतागाकीसे मिलकर रहनेकी कृपापूर्ण आशा दी।

यह एक विशेष बात है कि इतने गुण, इतनी वुद्धिमत्ता और ऐसी आकर्षण-शक्तिके रहते हुए भी सम्राट्ने कभी स्वयं शासन करनेकी इच्छा ज़रा भी नहीं दर्शायी। पालमेरेटके काग़जपत्र अथवा समाचार पत्रोंकी फाइल देखनेसे चतुर पाठक यह तुरन्त ही ताड़ लैंगे कि समस्त शासनभार मन्त्रिमण्डलके सभासदोंपर है और सामाज्यकी नीतिके लिए वे ही जिम्मेदार हैं।

व्यवस्थापत्र कार्यमें तो सम्राट् और भी कम दखल देते हैं क्योंकि व्यवस्थापकसभासे उनका सम्बन्ध ही बहुत कम होता है।

परिपद्में सम्राट् एक ही दिन अर्थात् उसके खुलनेके अवसरपर आते हैं। उनकी जो वकृता होती है वह प्रथा पूरी करनेके लिए ही होती है। उसका एक उदाहरण नीचे देते हैं—

“सरदार सभा और प्रतिनिधि सभाके सज्जनों, मैं अब राष्ट्रीयपरिपद्मके खोलनेकी विधि करता हूँ और सूचना देता हूँ कि राष्ट्रीय परिपद्मका कार्य आरम्भ हुआ।”

\* यह ध्यान देनेकी बात है कि सत्राट्ने सरदार-सभा व प्रतिनिधि-सभा दोनोंके सभासदोंको लड़गों कहकर ही संबोधन किया है, और ने कि “मेरे सरदारों और प्रतिनिधि सभाके सज्जनों, व्या सरदार और व्या साथारण, दोनों ही सत्राट्ने का समान प्रजा है और इसलिए संबोधनमें कोई पंक्तिप्रपञ्च नहीं किया गया है।

## २६८ जापानकी राजनैतिक प्रगति

“मुझे इस वातका बहुत सन्तोष है कि समस्त सन्धियद्वारा शक्तियोंके साथ मेरे सामूज्यका बहुत ही स्तेह सम्बन्ध रहा है।

“मैं मन्त्रियोंको आशा देता हूँ कि वे आंगामी वर्षका आयन्ययका लेखा तथ्यार करें और अन्य आवश्यक विधि विधान कर अन्य लोगोंके सम्मुख उपस्थित करें।

मुझे विश्वास है कि आप लोग प्रत्येक विधिपर सावधानीके साथ विचार करेंगे और अपना कर्तव्य पालन करेंगे।”

परिपद्धके कानूनके अनुसार परिपद्धकी दोनों सभाओंके प्रेसिडेंट, और वाइस-प्रेसिडेंट समूद्र ही मनोनीत करते हैं। परन्तु यह भी एक विधिमात्र है, क्योंकि परिपद्धकी दोनों सभाएँ जब अपना अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लेती हैं तब समूद्र उन्हींको मनोनीत करते हैं।

प्रतिनिधि-सभाके अध्यक्षको मनोनीत करनेका समूद्रका जो अधिकार है उसके सम्बन्धमें एक बड़ी रोचक वात है। वि० १९५० में प्रतिनिधि-सभाने अपने ही अध्यक्षपर पक्ष भर्त्सना-पत्र समूद्रकी सेवामें भेजा।<sup>1</sup> दिमाग तो ठिकाने थे ही नहीं जो प्रतिनिधि-सभा सोच सकती कि अध्यक्षको जब हमने निर्वाचित किया है तो हमाँ उसे निकाल भी सकते हैं। उसने यह सोचा कि समूद्रने उन्हें मनोनीत किया है तो वे ही हमारा प्रार्थनापत्र पाकर अध्यक्षको पदच्युत करनेकी हमें आशा देंगे। परन्तु समूद्रने इसके जवाबमें समूद्र-परिवार-विभागके मन्त्री द्वारा उससे यह पूछा कि समा क्या चाहती है, वह समूद्रसे अध्यक्षको पदच्युत करनेके लिए कहती है या ऐसे

\* उन समय दोशी महाशय अध्यक्ष थे। इनपर यह सन्देश था कि टोकियो स्थाक एकसचेंजके कुछ लम्बासदोसे इनका अनुचित सम्बन्ध है।

अयोग्य अध्यक्षको निर्वाचन कर लेनेके लिए जमा चाहती है तो स्पष्ट स्पष्ट लिखे, और यह भी आशा दी कि सभा सब बात ठीक ठीक फिरसे सोच ले। यह उत्तर पाकर सभाके होश छुरुत्त हुए और अपनी भूल मालूम कर उसने समूटसे अपने अविचारपर जमा प्रार्थना की। अध्यक्षकी बात मन्त्रीदा-रक्षा-दण्डकी कमेटीके पास भेजी गई और अध्यक्ष सभासे निकाल दिये गये।

द्वितीय भागके तृतीय परिच्छेदमें हमने कहा है कि समूट-की सेवामें प्रार्थनापत्र भेजनेका परिपक्व जो अधिकार है, व्यवस्थापन कार्यमें उसका भी बहुत दखल होता है। प्रतिनिधि-सभाकी ओरसे यह प्रार्थनापत्र भेजा गया हो तो इसका परिणाम या तो सभाका ही विसर्जन हो जाता है या मन्त्र-मण्डलको पदत्याग करना पड़ता है। सङ्घटनका सिद्धान्त तो यह है कि समूट ही सभाको भङ्ग कर देते हैं; पर वस्तुतः यह एक मानी हुई बात है कि समूट अध्यक्षमन्त्रीकी सलाह-से यह काम करते हैं। अध्यक्ष मन्त्री सभाविसर्जनकी सब जिम्मेदारी भी अपने ही ऊपर लेते हैं और प्रायः सार्वजनिक रीत्या सभा विसर्जन करनेके कारण भी बतला देते हैं।

व्यवस्थापनके कार्यमें समूटका प्रत्यक्ष अधिकार नहीं चलिक उनका जो प्रभाव है उसके सम्बन्धमें एक बात विशेष देखनेमें आती है। मन्त्रिमण्डल और परिषद्का परस्पर-सम्बन्ध विच्छेद हो गया है और सब समूटके घोपणापत्रने फिर वह सम्बन्ध जोड़ दिया। ऐसा दो बार हुआ एक वि० १९५० में और दूसरा वि० १९५८ में। पहली बार प्रतिनिधि-सभाने और दूसरी बार सरदार-सभाने बजटके कई शङ्क इस प्रकार घटा दिये कि मन्त्रिमण्डलके लिए

## २७० जापानकी राजनीतिक प्रगति

यह संशोधन स्वीकार करना असम्भव हो गया। मन्त्रिमण्डलने सभाको बहुत लालच दिया और कई तरहसे समझाया पर कोई फल नहीं हुआ। तब समाटने घोपणापत्र निकाला जिसमें उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि सभा सरकारके मसविदोंको मंजूरी दे दे जिसमें शासनका काम न रुक जाय। तुरन्त सभाकी नीति बदल गयी और उसने विल पास करना स्वीकार कर लिया।

परन्तु प्रश्न यह है कि इन दोनों अवसरों पर समाटके काममें समाटका हाथ कहाँ तक था? सूक्ष्म अवलोकन करने से मालूम हो जाता है कि यह अध्यक्ष मन्त्रीकी सम्मतिका ही फल था। अध्यक्ष मन्त्री मारकिस (वादको प्रिन्स) इतोने २६ फालगुन १९५७ के घोपणापत्रके सम्बन्धमें सरदार-सभाके अध्यक्ष प्रिन्स कोनोयीको जो चिट्ठी लिखी है उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि समाटने इतोकी सम्मतिसे ही अपना आशापत्र निकाला, वर्गोंकि इतो अपनी चिट्ठीमें ही स्वीकार करते हैं कि उस आशापत्रके लिये वे ही जिम्मेदार थे। २८ मार्च १९५८ का घोपणा पत्र निकला था उस समय मारकिस इतो अध्यक्ष मन्त्री भी थे। इस घोपणापत्रमें प्रतिनिधि सभासे प्रत्यक्ष आग्रह किया गया है कि वह सरकारका आयव्यय लेखा स्वीकार करे।

इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो जाती है कि समाट मिसु-हितोका प्रत्यक्ष अधिकार शासनमें हो चाहे व्यवस्थापनमें हो, महाराज सप्तम एडवर्डसे अधिक प्रकट नहीं होता। जापानके समाट राजाकी नीतिको स्वयं निर्धारित नहीं करते; वे उस कामको मन्त्रिमण्डलके सुपुर्द कर देते हैं। वे अपने देशके राजकार्यमें फँसे शुए नहीं हैं; उससे खतन्त्र और उससे पृथक् हैं।

अतएव या तत्वतः और या वस्तुतः राजाकी नीतिके लिए वे जिम्मेदार नहीं, वे कोई अन्याय अपराध नहीं करते।

जापानी सहृदयमें यह कोई नयी बात नहीं पैदा हुई है। लशकरी जागीरदारोंका शासन काल उदय होनेसे पहले, दरवारके सरदार समूद्रकी सम्मति मात्र लेकर राज्यकी नीति निर्द्धारित किया करते थे और शासन कार्यकी सब जिम्मेदारी अपने ऊपर रखते थे। तालुकेदारोंके शासन कालमें शोगून शासन करते थे; और समूद्र राज्यशासनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भाग नहीं लेते थे; पर यह किसीको अस्वीकार नहीं था कि राजसिंहासनकी स्थापना करनेवालेके बंशज समूद्र ही सामूज्यके मुख्य मालिक हैं; जिस शोगूनने एक प्रकारसे उनका राज्य ही छीन लिया था वह भी अपने अन्तःकरणमें धर्म-वृद्धि-पूर्वक समूद्रको मानता था।

जापानके राजसिंहासनकी सुदृढता और महत्व समूद्रकी व्यक्तिगत परीक्षा पर नहीं वल्कि राजसिंहासनके अनुष्ठम-इतिहास और परम्परागत देश धर्मपर ही प्रधानतः निर्भर है। यह सच है कि १९३४ की पुनः स्थापना, समूद्र मुत्सुहितोके पुराय प्रताप और वृद्धिवल, तथा उनके सुदीर्घ सुखसमृद्ध राज्यने जागन देश और उस देशके राजसिंहासनके इतिहास और परम्परागत देशधर्मको सर्वसाधारणमें जागृत करके समूद्रकी व्यक्तिको बहुत ही सुदृढ़ कर दिया है। परन्तु यदि कोई समूद्रकी प्रतिमाको ही सारा यश देता हो तो कहना पड़ेगा कि उसने जापानके राजत्वका वास्तविक स्वरूप ही नहीं पहचाना। सामूज्यकी निरवचित्वता और राष्ट्रकी अखरण्डता व एकत्राके साथ, जापानियोंके मनमें, जो पदार्थ सम्बद्ध है वह कोई समूद्रलय व्यक्तिविशेष नहीं प्रत्युत समूद्रका राज-

## २७२ जापानकी राजनैतिक प्रगति

सिंहासन ही है। अतः जिस प्रतिमाको देखकर जापानियोंके मनमें साम्राज्यके भूत और वर्तमान अस्तित्वका चित्र अद्वितीय हो जाता है और राष्ट्रीय बन्धुभाव जागृत होता है वह प्रतिमा समाट्के राजसिंहासनकी प्रतिमा है।

जापान देशवासीमात्र इस सिद्धान्तको मानता है कि हम वंशपरम्परागत राजसिंहासनके मालिक समाट्की प्रजा हैं। अध्यक्ष मन्त्रीका जो कुछ अधिकार है वह उस पदका अधिकार है जिसपर कुछ कालके लिए वे विराजते हैं। वे कितने ही बड़े और बुद्धिमान् व्याँ न हों, उस पदसे च्युत होने पर उनका कुछ भी अधिकार नहीं रह जाता। परन्तु समाट्का जो अधिकार है वह वंशपरम्परा से है; उनकी सिति ध्रुव और अनुसन्धनीय है। राजवंशका राजपुत्र ही राजसिंहासन पर विराजमान हो सकता है। वह चाहे बुद्धिमान् हो चाहे, बुद्धिहीन, वह लोगोंका शीर्षस्थानीय है और उसकी जो इज्जत है उसका सानी नहीं है। अध्यक्ष मन्त्रीके शब्द जब समाट्के मुखारविन्दसे प्रकट होते हैं तो उन शब्दोंका प्रभाव और गौरव बढ़ता है और वे शब्द प्रमाण समझे जाते हैं। यदि वे शब्द वास्तवमें विवेकपूर्ण हुए तो अध्यक्ष मन्त्री समाट्के विश्वासपात्र हो जाते हैं और उनकी लोकप्रियता बढ़ती है; परन्तु यदि ऐसा न हुआ तो सारा दोष अध्यक्ष मन्त्रीके माथे समाट्से इसका कोई सम्बन्ध नहीं।

आप चाहे भले ही कहें कि जापानियोंमें बुद्धि नहीं है और इस विषयमें वे निरे बुद्ध हैं। परन्तु वे मनुष्यप्राणी हैं। “अंगरेजका घर” नामक नाटकने राष्ट्रकी रक्षाके लिए अंगरेजोंको जैसे उच्चेजित फर दिया वैसी उच्चेजना किसी तर्क पितर्कसे न उत्पन्न होती। सर्वसाधारणका यह कायदा है कि

वे निराकारकी अपेक्षा साकार वस्तुसे अधिक अनुप्राप्ति होते हैं। परिवर्त्तनशील मन्त्रिमण्डलकी अपेक्षा उन्हें राजसिंहासन ही प्रत्यक्ष दिखाई देता है। किसी अंगरेजके अन्तःकरणपर कभी कभी “यूनियन फ्लैग”के दर्शनका जो प्रभाव पड़ेगा वह ब्रिटिश साम्राज्यसम्बन्धी देशभक्तिपूर्ण वक़्ताका नहीं पड़ सकता। मनुष्य-स्वभाव ही ऐसा है। जापानके इतिहासका सूदम अघलोकन करनेसे यह बात प्रत्यक्ष हो जाती है कि राजसिंहासनका वास्तवमें अनिर्वचनीय उपयोग होता है। धारा प्रवाहके साथ साथ वरावर राष्ट्रका पैर उच्चतिमार्गमें आगे बढ़ता जाना और किसी प्रकारकी उद्घाड़तापूर्ण राज्यकान्तिका न होना राजसिंहासनके अस्तित्वका ही परिणाम है। राजनीति शास्त्रके गृह सिद्धांतोंका स्वप्न देखनेवाले संसारसे अँखें धन्द कर भले ही अपने विशुद्ध तर्कशास्त्रकी स्वरचित सृष्टिके स्वप्न देखनेमें मन्न रहें। पर राजनीति शास्त्रके विद्यार्थी तो मनुष्यस्वभावकी बातोंको नहीं भूल सकते।

## द्वितीय परिच्छेद

सरदार-सभाकी अधिकार-मर्यादा

महाशय (अब वाइकाउन्ट) कानेको जोकि शासनविधानके निर्माताओंमेंसे एक हैं, बतलाते हैं कि, शासन-निर्माणकी सनद जब तैयार हो गयी तो अमलमें आनेके पहले उसकी एक प्रति इंगिलस्तान जाकर हमने महाशय हर्वर्ट स्पेन्सरको दिखलायी; और स्पेन्सरने सनदकी कई घातोंकी खासकर समाट-सत्ताके सुरक्षित रखनेके भावकी बहुत प्रशंसाकर कहा, “इस सङ्गठनका उपयोग अथवा दुरुपयोग जो कुछ हो, उसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीयसभा के दोनों अंगोंके सिर रहेगी। प्रातिनिधिक शासनप्रणालीके प्रवर्त्तनका साहस करनेवाले और नवीन सङ्गठनका बेड़ा पार लगानेकी चिन्ता करनेवाले एक तरुण पूर्वीय राष्ट्रके प्रतिनिधिसे स्पेन्सर महाशयने जब ये शब्द कहे तय उनका क्या अभिप्राय था, हम नहीं जानते और न हम यही जानते हैं कि उस महान् परिणितके इन शब्दोंसे कानेकोने क्या अभिप्राय समझा। परन्तु यदि कोई शासन-विधानको अच्छी तरहसे देखे तो उसे उसकी कार्यसाधनताका पता लगानेमें बहुत ही परेशान होना पड़ेगा।

हम यह पहले भी कह चुके हैं कि राष्ट्रसभाकी दोनों सभाओंके अधिकार घरावर हैं, परन्तु उनका संगठन भिन्न भिन्न प्रकारका है। वैजहाट महाशय कहते हैं कि “दो विप्रम स्वभाववाली सभाओंकी अधिकार-समानताका दुष्परिणाम प्रत्यक्ष है। प्रत्येक सभा प्रतिपक्षीय सभाके प्रत्येक

## सरदार-सभाकी अधिकार मर्यादा २७५

विधानको रोक सकती है, और किर विना विधानके काम भी नहीं चलता है।” यदि एक सभा दूसरी सभाका विरोध कर बैठे तो व्यवस्थापनका कार्य ही आगे चल नहीं सकता। और संगठनमें कोई ऐसा उपाय भी निर्दिष्ट नहीं है कि जिससे एक सभा अपना निर्णय दूसरी पर लाद सके। ऐसी अवस्थामें व्यवस्थापन कार्यको पुनः ठिकाने ले आनेके लिए एक ही उपाय है और वह यह कि सरकार बीचमें दखल दे। जिस सरकारपर कि परिषद्का कोई ज़ोर नहीं। मन्त्रमण्डल सम्बाट्के अनियन्त्रित अधिकारका उपयोग कर काउण्टसे ऊँचे दर्जेके सरदार नियुक्त करके और सम्बाट्के मनोनीत निर्वाचन द्वारा सरदार-सभामें अपना वहुमत कर काम त्रिकाल सकता है। यदि प्रतिनिधि-सभाकी बात हुई तो मन्त्रमण्डल उसे भङ्ग कर सकता है, जिससे कि पुनर्निर्वाचनमें ऐसे प्रतिनिधि निर्वाचित हो सकें जिनके राजनीतिक विचार पहले प्रतिनिधियोंसे भिन्न हों। परन्तु हर बार इस उपायसे काम नहीं चलता। क्योंकि यदि पुनर्वारके निर्वाचनमें वे ही प्रतिनिधि-निर्वाचित हो जायें तो मन्त्रियोंको हाथ मलके ही रह जाना पड़ता है। और अगर कहीं दोनों सभाओंने मिलकर सरकार-का विरोध किया तो क्या मन्त्री और क्या सम्बाट् शासन-विधानके आधारपर कुछ भी नहीं कर सकते।

परन्तु इस परिच्छेदमें शासनविधानकी तात्त्विक बातोंका विचार नहीं करना है बल्कि यह देखना है कि प्रातिनिधिक शासनके २० वर्षोंके इतिहासमें व्यवस्थापक विभागकी एक शाखाके नाते सरदार-सभाकी क्या अधिकार मर्यादा रही है।

पहले ही यह समझ लेना अच्छा होगा कि जापानकी सरदार-सभाकी नयी सृष्टि की गयी है, इंग्लिस्तानकी लार्ड-

## २७६ जापानकी राजनैतिक प्रगति

सभाके समान वह पहलेसे चली नहीं आरही है। इसलिए लार्ड-सभाके समान इसमें इतनी गड़वड़ नहीं है। उसकी हपरचना देखिये तो लार्ड-सभासे वह अधिक सुसज्जित और विधिसंगत है, समाजके भिन्न भिन्न वर्गोंके प्रतिनिधियोंका समावेश भी इसमें अच्छा होता है। कुल ३६८ सभासदोंमेंसे १८७ तो पेसे हैं जो सरदार नहीं हैं और सरदारोंमेंसे केवल ५ को ही सरदार सभामें स्थान मिलता है।

जिन सरदारोंको अंगरेज सरदारों (लाडों) के समान, सरदारसभामें वैठनेका अधिकार जन्मतः प्राप्त है पेसे सरदार तीन प्रकारके होते हैं, राजवंशके (इम्पीरियल) प्रिन्स, प्रिन्स और मारकिवस। इनके अतिरिक्त और जितने सरदार हैं वथा काउट, वाइकाउएट और वेरन, वे स्काटलैंडके सरदारोंके समान अपने अपने प्रतिनिधियोंको प्रति सात वर्षके उपरान्त निर्वाचित करते हैं। इन प्रतिनिधियोंकी संख्या सम्ब्राट्के आकाशपत्र द्वारा निश्चित रहती है जिसमें प्रत्येक श्रेणीके सरदारोंके प्रतिनिधि इसी हिसावसे रहे कि सरदारोंकी संख्याके से उनकी संख्या अधिक न हो जाय। इस समय १७ काउएट, ७० वाइकाउएट और १०५ वेरन हैं जिनमेंसे ४० सम्ब्राट्के मनोनीत हैं। अन्य सभासद “साधारण” हैं जिनमें से २२ सम्ब्राट्के मनोनीत और ४५ सबसे अधिक फर देनेवालोंके प्रतिनिधि हैं।

सबसे अधिक फर देनेवालोंके प्रतिनिधियोंका चुनाव यों होता है कि ७५ आदमी जो जर्मीनियारी या व्यवसाय-वाणिज्य-पर सबसे अधिक कर देते हैं, एक एक प्रतिनिधि चुनते हैं। यह निर्वाचन सात सात वर्षपर हुआ करता है। प्रतिनिधि प्रायः वड़े धनी जर्मीनियारी या व्यापारी होते हैं। ये लोग केवल

अपने धनकी वदौलत देशके बड़े बड़े मानी पुरुषोंके साथ साथ  
सरदार-सभामें बैठते हैं ।

सम्राट्के मनोनीत सभासद वे लोग होते हैं जिन्हें सम्राट्  
किसी विशेष कारणजारी या राज्यसेवाके पुरस्कारमें सर-  
दार-सभाका आजीवन सभासद बनाते हैं । सम्राट् उन्हें  
मन्त्रियोंकी सम्मतिसे मनोनीत करते हैं और मन्त्री ही यह समझ  
सकते हैं कि कौन सभासद होने योग्य है और कौन नहीं ।  
मन्त्री उन्हीं लोगोंको चुनते हैं जो कि इस पदके योग्य भी हैं  
और अपनी वात मानवाले भी हैं । यह सम्भव नहीं है कि वे  
किसी ऐसे व्यक्तिको चुनें जिसके विचार कुछ दूसरे ही हों,  
चाहे वह धर्मविद्वान् कार्यमें कितना ही निपुण क्यों न हो ।  
हमारे कहनेका यह अभिप्राय नहीं है कि मन्त्री स्वार्थी होते  
हैं । वह परिस्थिति ही ऐसी है कि उन्हें ऐसे ही आदमीको  
चुनना पड़ता है जो उनका सहायक हो ।

यह कोई शाश्वत्यकी वात नहीं कि सम्राट्के मनोनीत प्रायः  
दूसरी श्रेणीके सरकारी कर्मचारी होते हैं । ये चाहे भूतपूर्व  
कर्मचारी हों या वर्तमान, राजदूत हों या सैनिक अफसर, या  
विश्वविद्यालयके अध्यापक—विश्वविद्यालय भी नीमसरकारी  
ही होते हैं—अथवा सरकारके गुमाशते (प्रतिहस्त), इन्हीं लोगों-  
मेंसे उक्त प्रकारके सभासद चुने जाते हैं । ये लोग समझदार  
और अनुभवी होते हैं और केवल पूर्वज परम्परा या लद्दी  
की वदौलत पद पानेवाले सभासदोंसे ये अधिक प्रभावशाली  
और योग्य होते हैं इसमें सन्देह नहीं, परन्तु आखिर वे  
स्वेच्छाचारी सरकारके ही कर्मचारी ठहरे, इसलिए सरकार-  
से विपरीत हो नहीं सकते ।

इनकी संख्या घटती घटती रहती है । १९४७ में अर्थात्

## २७८ जापानकी राजनैतिक प्रगति

प्रथम अधिवेशनमें इनकी संख्या ६१ थी और इस समय १२२ है अर्थात् समस्त सभासदोंकी संख्याका एक तृतीयांश। कानून सिफ़ इतना ही बतलाता है कि सम्राट्के मनोनीत और सबसे अधिक कर देनेवालोंके प्रतिनिधि मिलाकर इनकी संख्या सरदारवर्गसे अधिक न होनी चाहिए। यही इसकी सीमा है, इसके अन्दर और कोई संख्या निर्धारित नहीं की गयी है।

अच्छा अब यह देखें कि सरदार-सभाका सभासद कौन नहीं हो सकता। शिन्तो धर्माचार्य, ईसाई पादरी और किसी धर्मके उपदेशक सभासद नहीं हो सकते। इसलिए इंग्लिस्तानकी लार्ड सभाके समान जापानकी सरदार-सभामें कोई धर्मगुरु सरदार नहीं हैं। दुश्चरित्र, दिवालिये, पागल और जन्ममूर्ख भी न प्रतिनिधि-सभाके सभासद हो सकते हैं, न सरदार-सभाके ही।

सभासदोंके लिए जो नियम हैं उनके पालनमें जितनी कठोरता प्रतिनिधि-सभा करती है उनती ही सरदारसभा भी, वयोंकि दोनोंका कानून—राष्ट्रीयपरिपद्की सभाओंका कानून—एक ही है। प्रतिनिधि-सभासदोंके समान ही सरदार-सभाके सभासद भी सभाधिवेशनसे अनुपस्थित नहीं रह सकते, चाहे किसी अधिवेशनके कार्यमें उनका मन लगे या न लगे। उनकी उपस्थिति सभामें अनिवार्य है। राष्ट्रीय परिपद्के कानूनकी ८२ वाँ धारा है कि, “किसी सभाका कोई सभासद अध्यक्षको योग्य कारणोंके सूचित किये विना किसी सभा या समिति गैरहाज़िर नहीं हो सकता।” अध्यक्ष उचित समझे तो सभासदको एक सप्ताहसे कमकी छुट्टी दे सकते हैं; एक सप्ताहसे अधिक छुट्टी देनेका अधिकार विना सभाकी अनुमतिके अध्यक्षको नहीं है। इस

## सरदार-सभाकी अधिकार-मर्यादा २७६

नियमका सम्यक् पालन इसलिए आवश्यक होता है कि सभामें कमसे कम तृतीयांश सभासद उपस्थित रहें, क्योंकि इसके बिना सभाके समितिकी गणपूर्ति नहीं होती। सरदार प्रतिनिधि, सप्राट्-मनोनीत और सबसे अधिक कर देने-वालोंके प्रतिनिधि त्रैमासिक अधिवेशनका २००० येन (लग-भग ३०३७ रुपये) बेतन पाते हैं (इतना ही प्रतिनिधि-सभाके सभासदोंको भी मिलता है) और उनपर यह लाजिमी है कि वे सभामें नियमपूर्वक उपस्थित रहें।

जिसका ऐसा सङ्गठन है और जिसमें ऐसे ऐसे सभासद हैं, लोग कहेंगे कि यह सभा संयुक्त राज्योंकी सिनेट सभाके समान ही, प्रतिनिधि-सभासे मज़बूत होगी। परन्तु गत बीस बर्षोंका इतिहास यह नहीं बतलाता कि यह प्रतिनिधि-सभासे मज़बूत है या इसने उससे अधिक अधिकार चलाया है। इसके बिपरीत, वह दुर्बल ही विशेष है। यह माना कि इसने कभी प्रतिनिधि-सभाकी अधीनता नहीं स्थीकार की, परन्तु इसकी नीति साधारणतः अप्रत्यक्ष और मौन ही रही है और अब भी वैसी ही है। इसने कभी वह उत्साह, उद्योग, वैतन्य और प्राणवल नहीं दिखलाया जो कि प्रतिनिधि-सभाने दिखलाया है। यह ठीक है कि १९४४ विं में इसने प्रतिनिधि-सभाके प्रतिवादकी कोई परवा न करके करादि बढ़ानेका अधिकार धारण कर लिया और सङ्गठनकी ४५ वीं धाराका सप्राट्-से अभिप्राय प्रकट कराकर अपना अधिकार प्रमाणित भी करा लिया; और उसी प्रकार १९५८ में इसने इतोके मन्त्र-मण्डलको जैसा तङ्ग किया था वैसा प्रतिनिधि-सभाने भी आजतक किसी मन्त्रमण्डलको तङ्ग नहीं किया है। परन्तु पहले उदाहरणमें सरदार-सभा प्रतिनिधि-सभाका घोर विरोध

## ८८० जापानकी राजनीतिक प्रगति

इस कारण कर रही थी कि प्रतिनिधि-सभाको सरदार-सभाके उस पूर्वप्राप्त अधिकारसे इन्कार था जो कि सङ्गठनने उसे दिया था अथवा यों कहिये कि सङ्गठनके निर्माता और ने देना चाहा था। दूसरेमें यह बात थी कि इतोने “मन्त्रि-मण्डलकी खाधीनता” का सिद्धान्त छोड़ दिया था इसलिए सरदार-सभा वजटके अंक कम करके इतोके मन्त्रिमण्डलको तज्ज्ञ कर रही थी; परन्तु इस भंफट और परेशानीका अन्तमें परिणाम क्या हुआ सिवाय इसके कि विल पास होनेमें विलम्ब हुआ।

इन दो विशेष अवसरोंको छोड़कर और किसी अवसर-पर प्रतिनिधि-सभासे या मन्त्रि-मण्डलसे सरदार-सभाकी टक्कर नहीं हुई। जबतक मन्त्रि-मण्डल परिषद्के अर्थात् प्रतिनिधि-सभाके अधीन नहीं हैं तबतक सरदार-सभा उससे झगड़कर सिवाय परेशानीके और कुछ पा नहीं सकती, क्योंकि उसके प्रभावशाली सभासदोंमें ऐसे ही बहुत निकलेंगे जो राज-कर्मचारियोंके ही अधिक समानशील हैं। वह प्रतिनिधि-सभासे भी उसी महत्वके प्रश्नपर नहीं झगड़ सकती क्योंकि मन्त्री स्वयं ही प्रतिनिधि-सभासे लड़ा करते हैं। यदि प्रतिनिधि-सभा कोई भारी प्रस्ताव पास कर देती है और सरकार भी उससे सहमत है तो सरदार-सभाको भी अनुकूल सम्मति देनी ही पड़ती है।

इस समय तो सरदार-सभा सरकारके ही तन्त्राधीन मालूम होती है। प्रतिनिधि-सभासे जो प्रस्ताव पास होकर आते हैं उसमें यह सभा प्रायः कुछ न कुछ ऐसा संशोधन करती ही है कि जिससे सरकारको सुभीता हो, या उस प्रस्ताव-पर विचार करनेमें विलम्ब करती है या उसे नामंजूर ही कर

## सरदार-सभाकी अधिकार-मर्यादा २८१

देती है। इससे यह न समझता चाहिए कि सरदार-सभा सरकारकी आज्ञाका पालन ही किया करती है और स्वयं कोई काम नहीं करती। यहाँ हम उसकी सामान्य कार्यनीति देख रहे हैं, न कि विशेष अवसरोंपर किये गये उन विशेष कार्योंको जिनमें सरदार-सभा बहुधा मन्त्र-मण्डलसे बिल-कुल अलग रही है। तथापि उसके बहुसंख्यक सभासद् ऐसे हैं जिनके विचार सरकारी कर्मचारियोंके विचारोंसे अधिक मिलते हैं और यही कारण है कि सरदार-सभाको सरकारने सहानुभूति रखकर उसकी सहायता करनी ही पड़ती है।

प्रतिनिधि-सभासे सरदार-सभामें वैतन्य कम है। यह चात इसी बातसे प्रकट है कि सरदार-सभाका कार्य बहुत अल्प समयमें हो जाता है। उसका नित्य अधिवेशन एक घण्टेसे अधिक नहीं होता और प्रतिनिधि-सभाका अधिवेशन कमसे कम तीन चार घण्टे होता है। इन दोनों सभाओंकी परिस्थिति परस्पर कितनी भिन्न है इसका वर्णन एक सभाचारपत्रने यों किया है, “दोनों सभाओंके दृश्य परस्पर कितने भिन्न हैं! कहाँ प्रतिनिधि-सभाकी दाँताकिटकिट, कोलाहल और उत्तेजनापूर्ण वाद-विवाद और कहाँ सरदार-सभाकी शान्त, सम्भ्रान्त और सुन्नवत् बक्तृताएँ। यदि कोई एक सभा-से बीचकी दीवारको लाँघकर दूसरीमें प्रवेश करे तो उसे बसन्तकी बहार और शिशिरकी पतझड़ या दिन और रात का भेद दिखाई देगा। सरदार-सभामें तो ऐसा मालूम होता है कि मानो वक्ताको बात जल्दी समाप्त करनेकी चिन्ता लगी हुई हो और झुननेवाले भी इस फ़िक्रमें हैं कि किसी तरह यह व्याख्यान शीघ्र समाप्त हो!” व्यवस्थापक-सभाका तो वाद-विवाद ही प्राण है। वाद-विवाद जितना ही कम

## २८२ जापानकी राजनीतिक प्रगति

होगा उतना ही उसका प्रभाव कम होगा और अधिकारका उपयोग भी उसी हिसाब से कम होगा।

सरदार-सभामें कोई सुसङ्गठित राजनीतिक दल नहीं है। इससे भी उसकी दुर्बलता और अकर्मण्यता प्रकट होती है। सभामें दल तो कई एक हैं, यथा, केंड्रियवाई, मोकुओक्वाई, दीयोक्वाई, चिश्रावाक्वाई-फुसोक्वाई इत्यादि, परन्तु ये राजनीतिक दल नहीं हैं—राजनीतिक कारण से यह दलविभाग नहीं हुआ है बल्कि सामाजिक मानमर्यादा, पदची या प्रतिष्ठा के कारण से है। तबतः सरदार-सभाको कितना ही बड़ा अधिकार क्यों न हो, वह उसका उपयोग तबतक नहीं कर सकती जबतक कि वह प्रतिनिधि-सभाका अनुकरण कर अपने सब सभासदोंमें से चुने हुए लोगोंकी एक सामान्य समिति नहीं बना लेती। सुसङ्गठित राजनीतिक दलोंके लाभालाभके सम्बन्धमें वहुत कुछ कहना है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि सुसङ्गठित राजनीतिक दलोंके बिना कोई विधिविचारयुक्त और विशाल प्रातिनिधिक संस्था केवल वहुमत से ही किसी कार्य विशेषके लिए सम्मिलित उद्योग करनेमें समर्थ नहीं हो सकती।

व्यक्तिशः देखिए तो सरदार-सभाके सभासद प्रतिनिधि-सभाके सभासदोंसे योग्यता अथवा प्रभावमें कम नहीं होते, पर समष्टि रूपसे सरदार-सभाकी योग्यता और कार्यकुशलता कम ही है इसे कोई अस्वीकार न करेगा। सरदार-सभाका कोई सभासद लीजिए, उसकी पदची सरकार-दरबारमें उसकी प्रतिष्ठा और उसकी धनवानताका परदा उसपरसे हटा दीजिए और प्रतिनिधि-सभाके किसी सभासदसे उसको मिला देखिए। लोगोंकी विषयमें वह प्रतिनिधि-सभाके सभा-

## सरदार-सभाकी अधिकार-मर्यादा २८३

सदके सामने विलकुल ही दब जायगा, वह उससे बड़ा आदमी भले ही हो पर एक व्यवसायके नाते लोग उसे विशेष महत्व नहीं देते। “डेली-टेलीग्राफ” पत्रका वाशिङ्गटनस्थ संचाददाता लिखता है, “संयुक्तराज्योंमें सिनेटर बड़ा आदमी समझा जाता है, कांग्रेसका सभासद कुछ नहीं।” यह एक आश्चर्यकी बात मालूम होती है क्योंकि कांग्रेसका सभासद तो सर्वसाधारण द्वारा प्रत्यक्ष रूपसे निर्वाचित होता है और सिनेटका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूपसे नहीं होता। पर जब सिनेटका असाधारण अधिकार और प्रभाव हम देखते हैं तब इसमें कोई आश्चर्य नहीं प्रतीत होता। सिनेटमें वर्मारेट और ओक्लामा जैसे छोटे छोटे राज्य भी न्यूयार्क या पेन्सिल्वानियाके साथ ही समान ही सम्मान और अधिकारके भागी होते हैं; परन्तु कांग्रेसमें सब छोटे छोटे राज्य मिलकर भी न्यूयार्क या पेन्सिल्वानियाकी वरावरी नहीं कर सकते। साठ सत्तर वर्ष पहले ‘राज्याधिकार’ का प्रश्न उठा था और सिनेटमें ही उसका निर्णय हुआ था और आज भी सिनेट ही राष्ट्रीय व्यवस्थापनका केन्द्र है। इसलिए प्रत्येक राज्यके (संयुक्त राज्यान्तर्गत) अधिवासियोंका हिताहित जितना उस राज्यके सिनेटरोंपर निर्भर है उतना कांग्रेसचालों पर नहीं। जापानमें सरदार-सभा केवल सार्वजनिक निर्वाचनसे ही वरी नहीं है वहिक व्यवस्थापन कार्यमें वह शायद ही कभी लोगोंका पक्का लेती हो। इसलिए लोग उस सभाका समाचार जाननेके लिए उत्सुक नहीं रहते।

एक बार हमने किसीको यह कहते सुना था कि “अंगरेज लार्ड सभाके क्षीण बल होनेका एक कारण यह भी है कि उसमें मज़दूर दलके कोई प्रतिनिधि नहीं हैं।” इस चमत्कारजनक

## २८४ जापानकी राजनैतिक प्रगति

अभिप्रायमें कुछ सत्यांश भी है। जिस प्रतिनिधिको लोगोंने चुना है और जिसने लोगोंका हित करनेमें अपनी शक्ति खर्च करनेकी प्रतिज्ञा की है वह उचित या अनुचित किसीन किसी प्रकारसे उद्योग अवश्य ही करता रहता है, और लोग भी उसके कार्योंपर दृष्टि लगाये रहते हैं क्योंकि उसके लिए अपनी इच्छा देशपर प्रकट करनेका तो एकमात्र वही साधन है। लार्ड सभाके सभासदका किस्सा दूसरा है। वह किसीका प्रतिनिधि नहीं है, अपनी बुद्धिके अनुसार राष्ट्रके लिए कुछ करना चाहिए इसी भावसे वह जो कुछ करे उतना ही बहुत है। लाइसन्स विल या शिक्षासम्बन्धी विधान जैसे प्रस्तावोंका विरोध करते हुए इनके चैतन्यका सञ्चार हो भी जाय तो लोगोंकी अनुकूलता उन्हें तबतक नहीं प्राप्त हो सकती जबतक कि उनके विरोध करनेका कोई सत्य कारण न हो। तात्पर्य यह कि प्रतिनिधिक व्यवस्थापक सभाकी शक्ति उसके पृष्ठ-पोषक लोगोंके संस्था बलपर निर्भर करती है। सरदार-सभा में सर्वसाधारणकी ओरका कोई प्रतिनिधि नहीं है। अतएव यह सभा बहुत दृढ़ या बहुत सामर्थ्यवान नहीं हो सकती।

यह एक प्रकारसे देशका सौभाग्य ही है कि सरदार-सभा बहुत दृढ़ नहीं है। तत्वतः प्रतिनिधि-सभा के समान अधिकार इसको भी प्राप्त हैं और इसकी परिस्थिति भी बड़े सुभीते की है। यदि यह बहुत दृढ़ हो जाय तो यह प्रतिनिधि-सभाका बल तोड़ सकती है या ऐसा सम्पूर्ण उपस्थित कर सकती है कि संगठन शासन ही स्थापित हो जाय। स्पेन्सर महोदय ने कानेकोसे जब परिषद्की दोनों सभाओंकी जिम्मेदारी की बात कही थी तब शायद उन्हें भी यही आशङ्का हुई थी।

परन्तु एक बातमें सरदार-सभाका सिर ऊँचा है, वह यह

## सरदार-सभाकी अधिकारस्थादा २८५

कि, ज़मीन जगह बगैरहमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, उनमें कोई धार्मिक भागड़े नहीं हैं और स्थानीय अथवा पक्षपात-जन्य कलह भी कुछ नहीं है।

इंग्लिस्तानमें जब कभी ज़मीन और ज़मीनके लगान या करका प्रश्न उपस्थित होता है तो लार्ड सभा वेचैन हो जाती है, यद्यपि अर्थ सम्बन्धी विलोंमें परिवर्तन करनेका उसे कोई अधिकार नहीं है। आस्ट्रिया और प्रशियाके सरदार-मरडलोंकी यही दशा है। और इन सब महान् पुरुषोंकी सभाओंमें धर्म-सम्बन्धी कलह तो बहुत ही भयंकर होते हैं। संयुक्त राज्यकी सिनेट-सभामें और सिज़रलैंडकी स्टेट-कौन्सिलमें स्थानीय अथवा पक्षभेद जनित विवाद बहुत तीव्र होते हैं। परन्तु सौभाग्यवश जापानकी सरदार-सभा इन सब मुसीबतोंसे बची हुई है।

सरदार-सभामें, सबसे अधिक कर देनेवाले वडे वडे जमोंदारोंके भी प्रतिनिधि हैं पर जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, सभामें इनका कुछ भी प्रभाव नहीं है। सभामें, बस ये ही ज़मीदार हैं, और नहीं। हमारे पुराने सरदार जोकि पहले तालुकेदार थे उनके तो अब कोई जयदाद नहीं है। उन्होंने अपनी सब रियासत पुनः स्थापनाके समय समूटको दे दी। सच पूछिये तो सरदार-सभासे प्रतिनिधि-सभाहीमें ज़मीनसे सम्बन्ध रखनेवाले अधिक हैं।

यह भी एक विशेषता है कि जापानके पुराने सरदार लोग बहुत धनी नहीं हैं और व्यवसाय-वाणिज्यकी और भी उनका बहुत ही कम ध्यान है। जो नवीन सरदार बनाये गये हैं उनमें कुछ बहुत धनाढ़ी हैं और उनके वडे वडे कारोबार हैं; परन्तु

## २८६ जापानकी राजनैतिक प्रगति

सभामें अभी उनका भी कुछ प्रभाव नहीं है। इस प्रकार सभा अभी लक्ष्मीपुत्रोंके प्राधान्यके गड़वड़से बची हुई है।

यूरोपियनोंको यह देखकर कुछ आश्चर्य जल्द होगा कि हमारे यहाँ जापानमें सरदार-सभामें न तो कोई धार्मिक भगड़े हैं और न स्थानिक प्रश्नोंपर ही विशेष कलह होता है। जापानके राजकाजमें; क्या सरदार-सभामें और क्या प्रतिनिधि-सभामें, पक्षाभिमान शायद ही कभी प्रकट होता हो। उसी प्रकारसे जापानके राजकाजसे 'धर्म' विलक्षुल ही हटा दिया गया है। जापानियोंके सजातित्व, समान आचार विचार और राष्ट्रके अविशाल क्षेत्रताने जापानको इन सब आपत्तियोंसे बचाया है।

परन्तु यह नहीं है कि सरदार-सभा कुसंस्कार और दुराव्रहसे विलक्षुल ही बची हो। सरदारोंका व शासकोंका अपने बड़प्पनका भाव, इस समय जापानके अन्तःराज-काजका सबसे बड़ा दोष है और सरदार-सभामें यही भाव प्रधान है।

जापानके शासनमें अधिकारीवर्ग—शासकवर्गका प्राधान्य ही मुख्य अङ्ग है। राजकर्मचारियोंका इमर्यादित अधिकार है, उन्होंकी सब वात और इज्जत है। उन्होंके लिए, उनके लड़कों और रिश्तेदारोंके लिए ही राज्यके सब आनन्द हैं; इस प्रकार-वे सर्वसाधारणमें वास नहीं करते हैं, बल्कि उनसे पृथक् रहते हैं। वे देशकी सेवा नहीं करते, बल्कि उसपर हुक्कमत करते हैं। वास्तवमें अब भी कई ऐसे राजकर्मचारी मिलते हैं जो मनमें इसी वातको जमाये हुए हैं कि, "लोग सरकारके भरोसे रहें, पर सरकार क्या करती है तो जानने न पावें।" चहुतसे जापानी राजकर्मचारी 'पद-भव्यादा' की बड़ी लम्बी वातें करते हुए दिखाई देते हैं। वे युक्तिसे नहीं बल्कि "पद-

## सरदार-सभाकी अधिकार-मर्यादा २८७

मर्यादा” से देशका शासन करना चाहते हैं। अभी थोड़े दिनकी बात है कि सरकार समस्त राजकर्मचारियोंको यूनिफार्म में रखनेका विचार कर रही थी; क्योंकि ऐसा करनेसे ‘पद-मर्यादा’की रक्षा होगी। अधिकारपदकी मर्यादा भी एक गुण है यह हम मानते हैं, और राजकर्मचारीमें उसका होना भी आवश्यक है। परन्तु ‘पदमर्यादाके शासन’ का अर्थ तो यही है कि लोग सिफ़्र तावेदारी किया करें। इससे लोगोंकी सशासनशक्तिका बढ़ना रुक जाता है और राजकर्मचारियोंकी एक नयी जाति ही पैदा हो जाती है जिसका होना प्रातिनिधिक शासनप्रणालीके सर्वथा प्रतिकूल है।

इस समय जापानमें शासकधर्मका ऐसा प्राधान्य और अधिकार हो गया है कि वहुतसे राजनीतिक निराशावादी हमारी प्रातिनिधिक संस्थाओंका भविष्य सोचकर उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि जापानमें सज्जठनात्मक शासनप्रणाली न चल सकेगी। सरदार-सभा इस दुरवस्थाको घटानेके बदले और बढ़ाती है। सभाके अधिक सभासद श्रथात् नबीन सरदार और समूद्रके मनोनीत सभासद जोकि सर्वथा स्तन्त्र सरकारकी ही बदौलत सरदार-सभामें स्थान पाते हैं, सभावतः ही उस सरकारसे सहानुभूति रखते और जाने या चेजाने प्रतिनिधि-सभाकी शक्ति घटाने तथा शासकवर्गको दृढ़ करनेमें वहुत बड़ी मदद करते हैं। इस प्रकार सज्जठनात्मक शासनकी प्रगतिके मार्गमें सरदार-सभा बड़ी भारी रुकावट है।

किसी पार्लमेंटकी द्वितीय सभा या सरदार-सभाका यही उपयोग होता है कि निम्न सभाके आकस्मिक प्रस्तावोंके पास होनेमें विलम्ब करे या उनमें संशोधन या संस्कार करे।

## २८८ जापानकी राजनीतिक प्रगति

परन्तु सरदार-सभा इस मसरफ़की भी नहीं है। यह सही है कि कभी कभी वह इन कामोंको करती है, परन्तु इस समय तो इस बातकी कोई आशङ्का ही नहीं है कि प्रतिनिधि-सभाके बहुमतकी अधीरता या उग्रतासे शासनचक्रकी गति ही बदल जाय। सरकार जो प्रतिनिधि-सभासे विलक्षण आज़ाद है, वह स्वयं ही यदि “बहुमतका अत्याचार” हो तो उसे रोकनेमें समर्थ है। इस समयकी शासनप्रणालीमें जो कुछ आपत्ति है वह प्रतिनिधि-सभाके बहुमतकी, आक्रमणकारिता नहीं, वहिक भन्नियोंकी पूर्ण स्वेच्छाचारिता असाधारण सत्ता अथवा यों कहिये कि, शासकवर्गकी तुराइयाँ ही हैं। इसका इलाज सरदार-सभा कदापि नहीं कर सकती। जबतक मन्त्रिमण्डल प्रतिनिधि-सभाके अधीन नहीं होता, तबतक सरदार-सभाकी वास्तविक उपयोगिताकी क़दर नहीं हो सकती।



## तृतीय परिच्छेद

मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल

हमारे शासनविधानकी सनदका वचन है कि सम्राट् राष्ट्रीय परिषद्की सम्मतिसे व्यवस्थापनके अधिकारका उपयोग करते हैं। अंगरेजी सङ्गठनका विधिवद्व वचन यह है कि प्रत्येक विधि पा लंगरेटकी सम्मति और स्वीकृतिसे इंग्लिस्तानके राजा द्वारा निर्मित होती है। परन्तु इन दोनों विधिवचनोंमें वास्तविक स्थितिका निर्दर्शन नहीं होता। महाशय<sup>१</sup> सिडनी लोलिखते हैं, “कामन्स सभामें वहुमतकी सम्मति और अल्पमत-की असम्मतिसे मन्त्रिमण्डलद्वारा नये कानून बनाये जाते हैं। राजाको इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, और लार्ड सभा को जो कुछ करनेका अधिकार है वह वहुत ही अल्प है—महत्वके अवसरों पर उसका वहुत ही कम उपयोग होता है। वह अधिकार प्रस्तावित कानूनके बननेमें विलम्ब कर सकने मात्रका है। विरुद्ध दल हर तरहसे विरोध करता रहता है परन्तु इससे अधिक कुछ कर नहीं सकता, और गैरसरकारी पक्षके नेता कानूनके कार्यक्रममें (सिद्धान्तमें नहीं) कुछ परिवर्तन करा लेनेके अतिरिक्त और कोई बात करनेमें असमर्थ होते हैं।” इंग्लिस्तानके समान जापानमें भी मन्त्रिमण्डल ही वास्तविक शासन और व्यवस्थापनका मुख्य सूत्रधार है। परन्तु इन दो देशोंका, मन्त्रिमण्डल और व्यवस्थापन सभाओंका परस्पर-सम्बन्ध अवश्य ही भिन्न भिन्न है।

इंग्लिस्तानमें साधारण निर्वाचनमें घटुसंघ्यक निर्वाचकोंकी प्रत्यक्ष इच्छाके अनुसार जिस दलका वहुमत कामन्स सभामें

## २६० जापानकी राजनीतिक प्रगति

होता है उसी दलका मन्त्रिमण्डल बनता है। अतः मन्त्रिमण्डल भी पार्लमेंटके व्युत्तमतसे अपनी नीतिको कार्यान्वित करनेमें समर्थ होता है। निर्वाचनके समय निर्वाचकोंकी यह प्रतिज्ञा प्रकट हो जाती है कि वे सरकारके प्रस्तावोंको बोझ (मत) देंगे। पर जापानमें प्रतिनिधि-सभाके राजनीतिक दलोंसे मन्त्रिमण्डलका निर्माण नहीं होता। इसलिए यह कोई नहीं कह सकता कि मन्त्रिमण्डलकी नीतिको प्रतिनिधि-सभामें व्युत्तम प्राप्त होगा—हो भी सकता है और नहीं भी। तथापि जबतक राष्ट्रीय परिषद् वर्तमान है तबतक सरकारके लिए यह आवश्यक है—हर हालतमें आवश्यक है—कि प्रतिनिधि-सभामें उसे व्युत्तम प्राप्त हो क्योंकि उसके बिना उसका काम ही नहीं चल सकता।

अब यह प्रश्न उठता है कि, इस व्युत्तमको प्राप्त करनेके लिए मन्त्रिमण्डल क्या उपाय करती है? क्या सदैव प्रतिनिधि-सभाके सभालदोंको खुश करनेसे यह व्युत्तम मिल जाता है? यदि नहीं तो कैसे और किस उपायसे? क्या कोई ज़बरदस्ती की जाती है या दबाव डाला जाता है, या आग्रहसे काम लिया जाता है अथवा कोई अनुचित कार्यवाही होती है?

किसी भी सुसङ्गठित राज्यके राजनीतिक दलों और मन्त्रिमण्डलके परस्पर-सम्बन्धका ठीक ठीक वर्णन करना बड़ा ही कठिन काम है। विशेष करके जापानके सम्बन्धमें, जहाँ कि सङ्गठनात्मक शासन अभी वाल्यावस्था में है। ऐसी अवस्थामें इस समय मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दलोंका परस्पर-सम्बन्ध क्या है सो बतलानेके लिए पहले यह बतलाना होगा कि यह सम्बन्ध पहले क्या था, फिर, वर्तमान सम्बन्ध क्या है तो ठीक ठीक शात हो जायगा। इसलिए इस

## मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल २६१

विषयको हम ऐतिहासिक घटिसे देख लें अर्थात् जापानकी प्रातिनिधिक संस्थाके २० वर्षके इतिहासका सिंहावलोकन करके कालानुक्रमसे देखें कि मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दलोंका परस्पर-सम्बन्ध क्या रहा है।

### ऐतिहासिक घटनाक्रम

जापानकी प्रातिनिधिक संस्थाओंके इन २० वर्षोंके इतिहासमें मुख्यतः राजनीतिक दलोंके साथ मन्त्रिमण्डलके भगवेंका ही चर्चा रहा है। मन्त्रिमण्डल इसलिए भगड़ता रहा कि शासनाधिकार अपनी ही मुट्ठीमें रहे और राजनीतिक दल इसलिए कि उस अधिकारको छीन लें। परन्तु यह लड़ाई राष्ट्रीय परिषद्की स्थापनासे अर्थात् सं० १९४७ से ही नहीं आरम्भ हुई है। इसकी जड़ तो प्रातिनिधिक शासन-प्रणालीके आन्दोलनके आरम्भमें ही दिखाई देती है।

यह हम पहले ही कह चुके हैं कि सातसुमा, चोशिऊ, तोसा और हिज्जन, इन चार पश्चिमी दामियोंके प्रधान उप-नायकोंने अपने मालिकोंकी सहकारितासे पुनः स्थापनाके कार्यमें अग्रभाग लिया था और यही कारण है कि नवीन शासनव्यवस्थामें सब बड़े पदोंपर इन्हीं चार दामियोंके लोग आ गये। परन्तु सं० १९३० में कोरिया-प्रकरणके कारण कौन्सिलमें जो फूट पड़ गयी उससे सातसुमा और चोशिऊ बालोंके ही हाथमें सब सत्ता आ गयी, और इसीके साथ साथ कौन्सिल छोड़कर बाहर आये हुए लोगोंने सङ्गठनान्दोलन आरम्भ कर दिया जो सत्रह वर्ष धाद राष्ट्रीय परिषद्के रूपमें परिणत हुआ। इस प्रकार राष्ट्रीय परिषद्की स्थापना-के पूर्व १७ वर्ष इन दो दलोंमें बराबर लड़ाई होती रही, जो

सरकारी कार्योंसे पृथक् हुए थे वे अधिकार पानेके लिए भगड़ रहे थे और जो अधिकारी थे वे अधिकारकी रक्षा करनेके लिए लड़ रहे थे । पूर्वोक्त पुरुषोंने राजनीतिक दल कायम किये और सरकारको डराने लगे, अन्य अधिकारियोंने अधिकारिवर्ग कायम कर लिया और शासनकार्य अपने हाथमें कर लिया ।

जब सङ्घठनात्मक शासन प्रवर्त्तित हो चुका तब तो यह भगड़ा और भी बढ़ गया । अवतक तो अधिकारिवर्गके नेताओंको कोई रोकनेवाला न था और वे, हर तरहसे राजनीतिक दलोंको दबा देनेकी चेष्टा करना वायें हाथका खेल समझते थे; यदि दलोंने बहुत उपद्रव किया तो ये अधिकारी पुलिसके असाधारण अधिकार-बल और कठोर कानूनकी सहायतासे इन दलोंको तोड़ देते और उन्हें निर्वल कर देते थे । परन्तु राष्ट्रीय परिषद्की स्थापना हो जानेसे राजनीतिक दलवालोंको कमसे कम सभाधिवेशनमें बोलनेकी स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी और सरकारकी नीति और कार्योंकी तीव्र आलोचना करने और उनमें दखल देनेका उन्हें अच्छा अवसर प्राप्त हुआ । तब अधिकारिवर्गने एक नवीन सूत्रका आविष्कार किया जिसे शोजूनशुगी अर्थात् “सरकारकी स्वाधीनता” कहते हैं । इस सूत्रका अभिप्राय, पड़मरणदर्कने तृतीय जॉर्जके शासन-कालमें जिस “कैवाल”\* सूत्रका वर्णन किया है उसके अभि-

\* हिंदीय नाल सके शासनकालमें Clifford, Ashby, Buckingham, Arlington और Landerdale इस प्रधायतका एक मन्त्रिमण्डल बना था (१७६०) । प्रत्येक मन्त्रीके नामका प्रथमाक्षर लेकर इस मण्डलका नाम Cabal या कैबल रखा गया था । यह मन्त्रिमण्डल बड़ा ही कुचकी था और इसलिए तबसे कैबल शब्द कुचकियोंको कौनिसलके अर्थमें ही व्यवहृत होता है ।

## बन्निमरण और राजनीतिक दल २६३

ग्रायसे मिलता जुलता है। एडमरजवर्कने इस कैवालके सिद्धान्त-सूत्रका अभिग्राय लिखा है कि, “राजनीतिक सम्बन्ध पक्षभेदमूलक होते हैं, इसलिए इनको तोड़ही डालना चाहिए; राज्यव्यवस्था केवल उस व्यक्तिगत योग्यतासे हुआ करती है जो कैवालकी वुद्धिमें जँचे, और जो सार्वजनिक कार्यकर्ताओंके प्रत्येक भाग और थेणी द्वारा गृहीत की गयी हो।”

“इतो” इस समय प्रियों कौन्सिलके प्रेसीडेंट थे और सङ्गठनके स्वीकृत होनेसे चार ही दिन पहले उन्होंने प्रान्तिक समितियोंके अध्यक्षोंकी सभामें कहा था कि, “जब लोगोंमें राजनीतिक विचारोंका प्रचार होता है तब यदि राजनीतिक दल उत्पन्न हों तो इसका कुछ भी इलाज नहीं है, और यदि राजनीतिक दल वर्तमान हैं तो परिषद्में लड़ाई भगड़े लगे ही रहेंगे। परन्तु सरकारके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह किसी राजनीतिक दलसे सम्बन्ध न रखे। राज्यकी राजसत्ता सप्राट्के हाथमें है और इसलिए किसी राजनीतिक दलसे कोई सम्बन्ध न रखकर उसका उपयोग किया जाना चाहिए जिसमें कि प्रत्येक प्रजाजनका ‘समान आदर और कल्याण’ हो। यदि सप्राट्की सहायता करते हुए शासनकार्य करनेवाले मन्त्री ही राजनीतिक दलसे किसी प्रकारका सम्बन्ध रखें तो उनके लिए यह निष्पक्षता स्थिर रखना असम्भव है।

इस सूत्रकी शिक्षा देनेके उद्देश्यसे अध्यक्ष मन्त्री कुरोदाने प्रान्तीय शासकोंकी परिषद् निमन्त्रित की और शासकोंको ताकीद की कि वे किसी राजनीतिक दलसे कोई सम्बन्ध न रखें। उसी वर्षके दिसम्बर मासमें जय कुरोदाके बाद यामागाता प्रधान मन्त्री हुए तथ फिर प्रान्तीय शासकोंको ताकीद

## २६४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

की गयी कि, “शासनका अधिकार सम्राट्का अनन्य अधिकार है; जो उसका उपयोग करने पर तैनात हों उन्हें राजनीतिक दलोंसे अलग रहना होगा, उनसे किसी प्रकारका सम्बन्ध न रखना होगा और विलकुल निष्पक्ष होकर अपना कर्तव्य पालन करना होगा।”

परन्तु जिन राजनीतिकोंने सङ्गठनात्मक शासन प्रवर्त्तित करनेका अनुरोध किया था और जिन्होंने उसके लिए लगातार सत्रह वर्ष पर्यन्त नाना प्रकारके दुःख और अत्याचार सहन किये थे, उन्हें अब आशा हुई कि सातसुमा और चौशिशवालोंका गुट तोड़ कर उन्हें अधिकारसे च्युत कर देंगे। वे अधिकारियोंका वैसा तिरस्कार करते थे जैसा कि अधिकारी राजनीतिक दलोंका किया करते थे। परिषद्के कई आरम्भिक अधिवेशन सरकारकी कठोर आलोचना करने और उसे परेशान करनेमें बीते हैं, और इस अवसर पर सरकार भी इन राजनीतिक दलोंके साथ भेदनीतिसे ही काम लिया करती थी।

परिषद्का पहला निर्वाचन संवत् १९४७ में (तारीख १ जुलाई १९४० को) हुआ था। सरकारने अपनी निष्पक्षता ताक पर रख दी और सार्वजनिक सभासमितिका कानून जारी किया, इसलिए कि जितने राजनीतिक दल हैं उनका और उनकी शाखाओंका परस्पर सम्बन्ध ही न रह जायगा तो निर्वाचनके लिए वे कोई आशाजनक प्रयत्न भी न कर सकेंगे। राजनीतिक दलोंका उद्योग तो इस प्रकार सरकारने रोक दिया और सरकारके पक्षमें जो लोग थे उन्हें वह उम्मेदवार होनेके लिए उत्साहित करने लगी। विरुद्धपक्षको इन सब मुस्ती बतोंका सामना करना पड़ा पर अन्तमें जीत उसीकी हुई। सर-

## भान्त्रिमरडल और राजनीतिक दल २६५

कारके पक्षवालोंको १३० सान मिले और विरुद्ध पक्षको १७०। यह एक बड़े मार्केंकी वात है कि जो लोग सरकारके विरुद्ध थे उनके पक्षका नाम 'मित्ति' अर्थात् लोकपक्ष पड़ गया था, और जो सरकारके पक्षमें थे उन्हें 'रितो' या राज-पक्ष कहा जाता था। लोकपक्षमें लगभग १३० सज्जठनपक्षीय उदारमत-बादी और ४० प्रागतिक थे, और राज-पक्षमें लगभग ७० प्राचीनताप्रिय, ३५ कहर प्राचीनताप्रिय और २५ सच्चिदात-बादी थे। इसलिए परिषद् के पहले ही अधिवेशनमें, जो कि संवत् १९४७में (२५ नवम्बर १९४० को) हुआ था, विरुद्ध पक्षसे सरकारको अपनी आल्प संख्याके साथ ही सामना करना पड़ा। जिस सभाके अधिकारी सभासद सरकारके विरोधी थे उस सभाका नियन्त्रण करना वास्तवमें सरकारके लिए बड़ा ही कठिन काम था। सरकारकी नीतिको लक्ष्य करके प्रश्न पर प्रश्न, आलोचना पर आलोचना और आक्रमणपर आक्रमण किये जाने लगे। और राजनीतिक दलोंके दमन करनेमें कारगर होनेवाले मानहानि, शान्तिरक्षा, सार्वजनिक सभासमिति आदिके कानूनसे सरकारका कुछ भी काम न निकल सका। यही नहीं, विलिक प्रतिनिधि-सभाने शान्ति-रक्षा कानूनको उठा देने और सभासमितिवाले कानूनका संशोधन करनेके लिए एक एक विल भी पास किया। इन दोनों विलोंको सरदार-सभाने नामंजूर किया। पर यहीं झगड़ा समाप्त नहीं हुआ। सरकारको अब अपना सब आयव्यय एक ऐसी सभा-के सामने स्वीकृतिके लिए पेश करना था जोकि सरकारके बलको ही तोड़ देने पर तुली हुई थी।

आयव्ययकी जाँच करनेवाली प्रतिनिधिसभाकी कमेटी-ने पहले ही = कराड़ ३३ साल २० हजारके सरकारी

## २६६ जापानकी राजनैतिक प्रगति

स्वर्चके चिट्ठमेंसे ८८ लाख ८० हजार घटा दिया और यह संघोधित बजट सभाके पास भेजा। तब समस्त सभाकी कमेटीने सरफारकी धमकियोंकी कोई परवाह न करके यह संघोधित बजट स्वीकृत कर लिया। तब तो सरकार और प्रतिनिधि सभाके बीच घोर विवाद आरम्भ हुआ। राजपक्षके सभासदोंने विलको आगे न बढ़नेके लिए खूब उद्योग किया, और साथ साथ सरफारने न केवल सभा भङ्ग करनेकी धमकी दी, बल्कि कहते हैं कि उसने वालपोलकी कूटनीतिका अवलम्बन किया॥ १

अन्तको सरकारने ८८ लाख ८० हजारके बदले ६३ लाख ७० हजार ग्रेन आनुमानिक व्ययके बजटमेंसे घटाना मंजूर कर लिया; तब मेल हुआ और प्रथम अधिवेशन शान्तिपूर्वक समाप्त हुआ। हमारे एक मित्र इस अधिवेशनके समय प्रतिनिधि-सभाके सभासद थे। उन्होंने सरकारके मेल पर राजी होनेका यह कारण बतलाया कि अधिकारिवर्ग तथा सभाके कई सभासदोंको यह भय था कि यदि पहली ही बार सभा भङ्ग हो गई तो विदेशी समालोचक हमें खूब आड़े हाथों लेंगे। इस भयने कहाँ तक परिपद्का प्रथम अधिवेशन

१ वालपोल—पूरा नाम सर रावर्ट वालपोल। ये संवत् १७७८ से १७६६ तक अधांत् २१ वर्ष इलिस्तानके प्रधान मन्त्री रहे। इनके आयव्यप्रवन्धकी शिक्षासमें, यदी स्पाति है। इनकी यैदेशिक नाति भी प्रशंसनीय था। परन्तु पार्लेंटमें अपना बहुमत करानेके लिए ये सभासदोंको रिश्वत दिया भरते थे। यही बद्दा भारी देव था।

† वाइकाउएट करनेशो जोकि इस समय सरदार-सभाके सभासद थे, लिखते हैं, “जापानमें संगठनात्मक शासन प्रवर्तित होनेके समय कई यूरोपियनोंने जापानकी इस व्यायवाशीका यह कष्टकर उपहास किया था कि संगठनात्मक शासन प्रणाली परियाई राष्ट्रमें नहीं चल सकती, यह तो उत्तरीय यूरोपके शान्त मस्तिष्कवालोंहीक।

## मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल २६७

शान्तिपूर्वक समाप्त करनेमें मदद की है इस पर हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। परन्तु जापानके राजकाजका अध्ययन करते हुए हम इस बातको कहापि भूल नहीं सकते कि हमारे राष्ट्रीय जीवनमें जब जब कोई विपत्ति आ पड़ती है तब तब राजकाजमें राष्ट्रीय गौरवका भाव ही प्रधान होता है।

परन्तु बजटमें व्ययका इतना घटाया जाना शासनकार्य चलानेवालोंपर तो बज्रपात ही था। यामागाता मन्त्रिमण्डल-को परिपद्के प्रथम अधिवेशन कालमें बड़ी ही दिक्कत उठानी पड़ी। यहाँ तक कि ज्योही परिपद्का कार्यकाल समाप्त हुआ त्योही यामागाताने, और उनके बाद काउण्ट मात्सुकाताने भी पदत्याग कर दिया।

परिपद्का दूसरा अधिवेशन संवत् १९४८में (ता० २१ नवम्बर १९४१ को) आरम्भ हुआ। इस बार भी इसे कांवूमें रखना आसान नहीं था। लोकपक्षके सभासद नवीन सरकारका विरोध करनेपर पहलेसे अधिक तुले हुए थे। यह नयी सरकार यामागाता मन्त्रिमण्डलके समान मिलनसार नहीं थी। लोकपक्षने भी सरकारकी अभिलायाओं और धमकियोंकी कोई परवान करके सरकारके, विलपर विल उसने नामंजूर कर दिये और बजटमें पहले वर्षसे भी अधिक खर्च घटाकर उसे

काम है। और तो आर, दक्षिणी यूरोपियन राष्ट्र भी संगठनात्मक शासन नहीं नला सके। तब यह कैसे समझ है कि जिस काममें यूरोपके दक्षिणी राष्ट्र भी हार गये उसे एक दक्षिणी राष्ट्र का सके? इस प्रकार यह विचार हुआ कि यदि प्रथम ही अधिवेशनमें परिपद भझ हो गई तो विदेशी टांकाकार बुरी तरहसे खबर लेंगे। इसलिए सरकार और परिपदमें मेल कर लिया गया।”

## २६८ जापानकी राजनैतिक प्रगति

प्रतिनिधि-सभामें पास करा लिया। पर इस बार सभा भङ्ग हो गयी।

इन दो अधिवेशनोंसे यह बात प्रकट हो गई कि केवल सरकारी हुक्म या धमकीसे प्रतिनिधि-सभा न मानेगी। इसलिए मात्सुकाताके मन्त्रिमण्डलने नवीन परिपद्में राजपक्षका घटुमत कराना चाहा। इस उद्देश्यको सामने रखकर सं० १९४८ फाल्गुन मासमें जो निर्वाचन हुआ उसमें उसने उचितानुचित या न्यायान्यायका कोई स्थाल न करके निर्वाचनमें अपना पक्ष प्रबल करनेका पूरा उद्योग किया। राष्ट्रमन्त्री वाइकाउएट शिनागावाने चुपचाप प्रान्तीय शासकोंसे लोकपक्षको हरानेके लिए निर्वाचनमें दखल देनेकी सूचना दे दी, और राजपक्षको जितानेके लिए पुलिस और कठोर कानूनका उपयोग सरकार वेरोकटोक करने लगी। इसका यह परिणाम हुआ कि देश भरमें विद्रोहकी आग भड़क उठी। निर्वाचनके दिनोंमें २५ जार्न गई और ३८८ मतुप्य घायल हुए, एक इसी बात से उस विद्रोहकी कल्पना कर लीजिये।

सरकार इसपर भी लोकपक्षको हरा न सकी। सरकारपरसे लोगोंका विश्वास भी बहुत कुछ उठ गया। राष्ट्रमन्त्री और कृषि-वाणिज्यके मन्त्रीने पदत्याग किया॥ । तथापि अभी मात्सुकाताका मन्त्रिमण्डल घना रहा।

सं० १९४९ के ज्येष्ठ मासमें जब नवीन अधिवेशन हुआ तो प्रतिनिधि-सभाने चाहा कि निर्वाचन-कार्यमें हस्तक्षेप करने-

\* राष्ट्रमन्त्री शिनागावाको लोगोंके दबावसे बाध्य होकर मन्त्रिपद छोड़ना पड़ा था, वयोंकि निर्वाचनमें दखल देनेके कानूने ये ही तो असल अपराधी थे। कृषि-वाणिज्यके मन्त्रीके पदत्यागका कारण यह था कि मात्सुकाता मन्त्रिमण्डलकी इस नीतिके बे पहलेसे ही विरोधी थे।

## मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल २६६

बाले मन्त्रिमण्डलकी मलामत करनेके अभिप्रायसे संघाटके पास एक आवेदनपत्र भेजा जाय। परन्तु वे मतोंकी कमीसे यह प्रस्ताव सीछत न हो सका, क्योंकि कई सभासदोंकी यह राय थी कि उस 'पवित्रात्मा' को दुख देना ठीक न होगा। तब आवेदनपत्रके स्थानमें १११ मतोंके विरुद्ध ५४ मतोंसे मन्त्रिमण्डलकी मलामतका प्रस्ताव पास किया गया। पर इससे कुछ लाभ न हुआ। मात्सुकाताका दिमाग़ अभी ऊँचा ही था अतएव उन्होंने कहा कि सभाके प्रस्ताव राज्यके मन्त्रियोंको डरा नहीं सकते।

लोकमत बताव विरुद्ध होनेपर भी मन्त्रियोंकी नीतिमें कुछ फरक नहीं हुआ, इसका कारण हृँडनेके लिए बहुत दूर जाना न होगा। अधिवेशनका समय बहुत थोड़ा होता था, 'इतोंने बड़ी सावधानीसे उसका समय ४० दिन नियत कर रखा था। आलोच्य अधिवेशनमें वजट भी पेश नहीं हुआ (राष्ट्रीय परिपद्में वजट ही प्रायः त्रुकानका कारण होता है), केवल अर्थसम्बन्धी विशेष विल पेश हुआ था। सभा भड़क हो जानेपर सरकारने अपनी यह इच्छा प्रकट की कि गत वर्षके वजटसे ही इस वर्ष काम चलाया जायगा। सरकारके और जितने प्रस्ताव थे उनके पास होने न होनेसे कोई ज्ञाति नहीं थी। सभासे जो प्रस्ताव पास हुए थे और जो सरकारको मंजूर नहीं थे उन्हें सरदार-सभाने नामंजूर कर दिया। अर्थ-सम्बन्धी विशेष विलपर प्रतिनिधि-सभाने सरकारको तड़करना चाहा पर सरकारने सरदार-सभाकी मददसे आपसमें समझौता कर लिया। यह भी यहाँ सरण रखनेकी वात है कि इस समय प्रतिनिधि-सभाके कई सभासदोंने मन्त्रियोंपर वेईमानीका श्लज्जाम लगाया था।

## ३०० जापानकी राजनैतिक प्रगति

मात्सुकाता मन्त्रिमण्डल, शासकवर्गका विरोध करनेवाले राजनीतिक दलोंसे खब लड़ा, पर निर्वाचनके काममें दखल देनेके कारण उसपरसे लोगोंका विश्वास हट गया और परिषद्वका अधिवेशन समाप्त होनेके दो ही महीने बाद उसे पद्धत्याग करना पड़ा।

अब काउट ( बादको प्रिन्स ) इतोने नया मन्त्रिमण्डल निर्माण किया। इस मन्त्रिमण्डलसे और निर्वाचनवाले मामलेसे कोई सम्बन्ध नहीं था। इतो पूर्व मन्त्रिमण्डलके अधिकार-दुरुपयोगसे भी परिचित थे और उन्होंने लोगोंको शान्त करनेके लिए उन प्रात्तीय शासकोंको पदच्युत भी कर दिया जिन्होंने कि निर्वाचन-हस्तक्षेप-प्रकरणमें प्रधानतः भाग लिया था। परन्तु जो दल अधिकारिवर्गसे ही असन्तुष्ट थे वे मात्सुकाता मन्त्रिमण्डलके जितने विरोधी थे उतने ही इतो मन्त्रिमण्डलके भी विरोधी हुए। उनका प्रधान उद्देश्य ही अधिकारिवर्गकी सत्ता उठा देना और मन्त्रियोंको अपने अधीन करना अथवा ख्यां शासन करनेका अधिकार प्राप्त करना था।

६ मार्गशीर्ष संवत् १९४९ ( २५ नवम्बर १९४२ ) को परिषद्वका चौथा अधिवेशन आरम्भ हुआ। बजटके बादविवादमें सरकार और प्रतिनिधि-सभा या लोकपक्षके परस्पर विरोध-की हद हो गयी। सरकारने ८ करोड़ ३७ लाख ५६ हजार येन खर्चका अन्दाज़ किया था। प्रतिनिधि-सभाने उसमेंसे ८७ लाख १८ हजार येन घटा दिया और अन्य कई संशोधन करके विल पास कर दिया। सभाने मुख्यतः शासन तथा नौ-सेना-सम्बन्धी खर्च ही घटाया था। अपनी सभामें विल पास करके प्रतिनिधि-सभाने सज्जठनकी ६७वीं धाराके अनुसार,

## मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३०१

सरदार-सभामें भोजनके पूर्व उसे स्वीकृतिके लिए सरकारके पास भेजा। परन्तु सरकारने विलका एक भी संशोधन स्वीकृत न किया न स्वर्चकी कमी ही मंजूर की। प्रतिनिधि-सभाने मन्त्रिमण्डलकी स्वीकृति पानेका तीन बार प्रयत्न किया परन्तु कोई फल न हुआ। अन्तमें, उसने सम्राट्के पास आवेदनपत्र भेजना निश्चय किया: सभामें प्रस्ताव उपस्थित हुआ और १०२ के विरुद्ध १-१ मतोंसे प्रस्ताव पास किया गया।

तब सम्राट्का सचिनापत्र निकला जिसमें सम्राट्ने कहा था कि शासनसम्बन्धी व्ययके सम्बन्धमें मन्त्रियोंको आदेश प्रदिया जायगा कि वे हर उपायसे शासनव्यवस्थाका मुद्धार करें, जौसेना-सम्बन्धी व्ययकी बुद्धिके लिए यह उपाय किया जायगा कि छुः वर्षतक स्वयं सम्राट् अपने स्वर्चमेंसे प्रतिवर्ष ३ लाख येन दिया करेंगे, तथा समस्त मुख्यी व फौजी अफ़-सर्हेंको हुक्म दिया जायगा कि जड़ी जहाज़ोंके बनानेके लिए वे छुः वर्षतक अपने वेतनका दसवाँ हिस्सा प्रतिमास इस व्ययमें दिया करें। अन्तमें सम्राट्ने यह आशा प्रकट की कि सङ्गठनात्मक शासनप्रणालीको मुफ्त करनेके लिए प्रतिनिधि-सभा और मन्त्रिवर्ग एक होकर मेरी सहायता करेंगे।

तुरन्त ही प्रतिनिधि-सभा और मन्त्रिमण्डलके कार्यकी प्रदिशा बदल गयी और दोनों आपसमें मेल करनेका उद्योग करने लगे। सरकारने सभाके व्ययसम्बन्धी संशोधनको कुछ परिवर्तनके साथ स्वीकार कर लिया और शासनका पूर्ण मुद्धार करनेका भी बादा किया। प्रतिनिधि-सभाने सरकार-की शर्तें मंजूर कीं। इस प्रकार यह वादविवाद समाप्त हुआ।

प्रतिनिधि-सभासे और सरकारसे मेल तो हुआ पर यह सब जानते थे कि यह मेल टिकाऊ नहीं है क्योंकि इसका

सम्बन्ध केवल अर्थसम्बन्धी विलसे ही था, और यह मेल भी मन्त्रियोंके प्रति संहालुभूति होनेसे नहीं बल्कि सम्राट्की बात रखनेके लिए किया गया था। अतः इसके बादके अधिवेशनमें फिर विरोध होना अनिवार्य था। इसलिए इसोकी यह इच्छा थी कि किसी प्रकारसे प्रतिनिधि-सभामें अपना बहुमत हो जाय।

इतोने सभासे जो वादा किया था उसे उन्होंने पूरा किया और प्रतिनिधि-सभाके सभासदोंको खुश रखनेके लिए उन्होंने ३ हजार २ सौ ७२ अफसरोंको कामपरसे हटाकर १७ लाख येनकी बचत की। इसी बीच उदारमतवादी दलको अपनी ओर मिलानेका प्रयत्न भी किया जा रहा था, परन्तु इस प्रयत्नका कोई फल नहीं हुआ। शासनमें सुधार तो हुआ इसमें सन्देह नहीं परन्तु प्रतिनिधि-सभाके महत्वाकांक्षी पुरुष इससे सन्तुष्ट नहीं थे, अधिकारिवर्गकी शब्दताके कारण ही तो वे विरोध करते थे। उदारमतवादी दलको मिलानेका जो प्रयत्न सरकारने किया उससे केवल प्रागतिक दलवाले ही उत्तेजित नहीं हुए बल्कि अधिकारिवर्गके कट्टर पक्षपाती भी उससे चिढ़ गये।

‘इसी समय प्रतिनिधि-सभाके सभापति और उदारमतवादी दलके नेता होशीतोरु पर यह सन्देह किया जाने लगा कि स्टॉक एक्सचेंज याने हुए डीवाले मामलोमें कुछ व्यापारियोंसे मिलकर इन्होंने गड़बड़ किया है। इस मामलोमें कृषि और व्यवसायके मन्त्री गोतो तथा एक उपमन्त्री सायतो<sup>#</sup> भी

\* जापानमें प्रथेक मन्त्रीके मातहत एक उपमन्त्री भी होता है जिसका काम इनिलत्तानके अण्डर-सेक्रेटरियोंका सा होता है।

## मन्त्रिभण्डल और राजनीतिक दल २०२

समिलित थे। हार्णशीर्प सं० १९५० में जब परिषद्का पाँचवाँ अधिवेशन आरम्भ हुआ तो सभाने सभसे पहले होशीपर अभियोग चलाया और उसे सभासे निकाल बाहर किया। इसीके साथ कृषि और व्यवसायके मन्त्री तथा उप-मन्त्रीके द्वाराचरणपर सरकारकी भत्सनाके हेतु सभाट्के पास एक आवेदनपत्र भेजा गया। इसका प्रतिकार करनेके उद्देश्य से इतोने भी सभाट्की सेवामें अपना एक आवेदनपत्र प्रेपित किया जिसमें उन्होंने इस बातपर बहुत दुःख प्रकट किया था कि अपना कर्तव्य पालन करनेमें कोई बात उठा न रखते हुए भी प्रतिनिधि-सभाके असन्तोषके कारण सभाट्को चिन्तित होना पड़ रहा है और इसलिए इस जिम्मेदारीसे कुछेकुट्कारा मिले, यहो मेरी इच्छा है। अन्तमें इतोने इस पत्रमें कहा है कि, सभाट् जैसी आशा देंगे, वैसा ही किया जायगा। इसी बीच प्रतिनिधि-सभाका अधिवेशन एक सप्ताह-के लिए स्थगित किया गया था।

इसपर सभाट्ने प्रिवी कौन्सिलसे राय माँगी। प्रिवी कौन्सिलकी यह राय हुई कि कृषि और व्यवसाय विभागके कुछ कर्मचारियोंकी कार्यवाहीपर सन्देह फिया जा सकता है पर प्रतिनिधि-सभाको यही उचित था कि सभाट्को कष्ट देनेसे पहले वह सरकारसे सब बातें कह सुन लेती और मन्त्रियोंको इस बातका अवसर देती कि वे अपनी सफाई दे सकते। मन्त्रियोंके सम्बन्धमें प्रिवी कौन्सिलने यह भी कहा कि सभाट्-के विश्वासपात्र होनेसे जो मन्त्री कार्य कर रहे हैं उन्हें ज़रा सी बातके लिए हटाना ठीक नहीं है।

फलतः हपौप सं० १९५० में, प्रतिनिधि-सभाके आवेदनपत्र-के उत्तरमें सभाट्का सच्चनापत्र निकला। इसमें लिखा था

## ३०४ जापानकी राजनैतिक प्रगति

कि, “मन्त्रियोंको नियुक्त करना वा पदच्युत करना केवल सम्राट्की इच्छापर ही निर्भर है; इसमें किसी प्रकारका हस्त-क्षेप कोई नहीं कर सकता।” तथापि गोतो और सायतोको पदत्वाग करना ही पड़ा।

फिर भी मन्त्रिमण्डल पर बार होते ही रहे। सरकारको परेशान करना ही प्रतिनिधि-सभाके सभासदोंका प्रधान लक्ष्य था। सन्धि-संशोधनके प्रश्नपर उन्होंने फिर लड़ना आरम्भ किया, और यह प्रश्न जैसा टेढ़ा था प्रतिनिधि-सभाके हाथमें पड़कर खूब तेज़ बनकर शख्सका काम देने लगा। बहुत बाद चिवादके पश्चात् सन्धि-संशोधनकी आवश्यकता जल्लानेके लिए सरकारके पास एक निवेदनपत्र भेजना निश्चित हुआ। इसके साथ पी. ओ. कम्पनीवाले अभियोगमें जापान सरकारके बीचलके द्वारा सम्राट्के नामका दुरुपयोग होनेपर सम्राट्की सेवामें भी एक आवेदनपत्र प्रेषित करना निश्चित हुआ। अन्तमें परिणाम यह हुआ कि सं० १९५० के पौष मासमें (दिसम्बर १९४९) सभा भङ्ग हो गयी।

सं० १९५१ के फाल्गुन महीनेमें साधारण निर्वाचन हुआ। उस समय सरकारने प्रत्यक्ष रूपसे तो कुछ दखल नहीं दिया, पर प्रेस लॉ और सार्वजनिक सभासमितिके कानूनका बल लगा कर उसनेलोगोंके चिन्तको बहुत ही दुःख दिया। कुछ स्थानोंको छोड़ सर्वव निर्वाचनका कार्य शान्तिके साथ पूरा हुआ॥

इस बारके निर्वाचनमें भी लोकपक्षहीकी जीत रही।

\* निर्वाचन सम्बन्धी सबसे भयझर विवाद तो चिंगीमें हुआ था जिसमें, ३ मनुष्य मरा और ११७ घायल हुए। देश भरमें सब मिलाकर १५३ आदमी घायल हुए थे।

## मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३०५

इसके पहले चारों अधिवेशनोंमें लोकपक्षका नेतृत्व उदारमतवादी दलकी ओर रहा, परन्तु अब इस पाँचवें अधिवेशनमें, सरकारसे उसकी बातचीत शुरू होनेके कारण, उसका महत्व और नेतृत्व जाता रहा। उदारमतवादी दलपर यह कलङ्क नहीं लगा था जोकि 'सरकारपक्ष' पर था पर तौ भी प्रतिनिधि-सभामें उसका ज़ोर बहुत कुछ घट गया—पहले जो यह मुख्य दल सभभा जाता था सो वह बात अब न रही। प्राग-तिक दलवाले और वे लोग जो अवतक सरकारका ही पक्ष किया करते थे, मिल गये और रोप्पा या पड़दलसमवाय<sup>१</sup> स्थापित करके सन्धि-संशोधनके आन्दोलनसे सरकारको परेशान करने लगे। इस कदर विरोध हुआ कि मन्त्रिमण्डलको १५ दिनके भीतर सभा भझ कर देना पड़ा।

अब यह देखना है कि इस मामलेमें असल बात क्या थी। इतो अब भी सब राजनीतिक दलोंसे तटस्थ भाव रखनेकी घोषणा किये जाते थे और "समान आदर व समान कल्याण"<sup>२</sup> के स्वरचित तत्वका पाठ भी किये जाते थे: परन्तु मालूम होता है कि चौथे अधिवेशनमें उन्हें जो अनुभव प्राप्त हुआ उससे उन्होंने वह अच्छी तरह समझ लिया कि प्रतिनिधि-सभाके एक न एक प्रधानदलको अपनी ओर मिलाना ही होगा। इसलिए उन्होंने उदारमतवादी दलपर बहुत दबाव डालनेका प्रयत्न किया कि वह सरकारके पक्षमें हो जाय। उदारमतवादी दल ही उस समय प्रतिनिधि-सभामें सबसे बड़ा था और उसके नेता होशीतोरु एक बड़े ही विलक्षण

<sup>१</sup> सभामें इन समय द्वः दल प्रधान ये और रुद्धीका यह एक गुट कायम मुग्रा, इसलिए इसे रोप्पा या 'पड़दल समवाय' कहा गया है।

राजनीतिश्व थे। उदारमतवादियोंने भी देखा कि मन्त्रिमण्डलों-का बराबर विरोध करते रहनेसे सिवाय इसके कि निर्वाचन-के अन्वाधुन्ध ख़र्चसे हमारा हाथ तङ्ग हो, और कुछ न होगा। इसलिए उन्होंने मन्त्रिमण्डलसे समझौता करनेका अवसर हाथसे जाने देना उचित नहीं समझा। इससे प्रागतिक इत्त-वालोंको बड़ा क्रोध आया और जो लोग सरकारके अवतक सचे साथी या कहर पक्षपाती थे वे भी चिढ़ गये। अवतक नों उदारमतवादी और प्रागतिक इन दोनोंने मिलकर सभा-को अपने कावूमें रखा था यद्यपि इनका यह संयुक्त कार्य इनकी किसी निर्धारित नीतिका फल नहीं बलिक काकतालीय संयोग था। हृदय दोनोंके साफ़ नहीं थे—वही पुरानी स्पर्धा अब भी भौजूद थी। इसलिए जब प्रागतिकोंने देखा कि उदारमतवादी सरकारके यार बन रहे हैं तो उन्हें बड़ी बेचैनी हुई। इतोने स्वप्नमें कभी यह न सोचा कि उदारमतवादियोंको कुछ दिलानेसे सरकार-पक्षके लोग उलटे सरकारपर ही उलट यड़ेंगे। और यही हुआ भी, इतोकी इस नीतिपर प्रागतिकों-से भी अधिक सरकार पक्षवालोंको क्रोध हुआ। पहले तो इन्होंने लोकपक्षको भगड़ालू और कान्तिकारी कहकर उसका बारम्बार विरोध किया था और उन्हें प्रत्यक्ष उच्च पदका नहीं तो उच्चपदस्थ राजकर्मचारियोंकी सङ्गसोहवतका मधुर रस आसादन करनेको मिल चुका था, और यह कोई छिपां हुई बात न थी कि उदारमतवादियोंके भी बीचमें आ जानेसे उनके उस आनन्दमें बाधा पड़ती। इसलिए उन्होंने प्राग-तिकोंसे मिलकर सरकार और उदारमतवादी दलका विरोध करनेके लिए एक शुट बना लिया।

इस तरह छुटे अधिवेशनमें जो संवत् १९५१ में (१२ मई

## मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल २०७

१९४४ के दिन ) आरम्भ हुआ प्रागतिक दल और भूतपूर्व सरकारी पक्ष दोनों एक हो गये और उदारमतवादीदल एवं सरकारसे लड़ने लगे । “सन्धि संशोधनके सम्बन्धमें विदेशियोंसे इड व्यवहार” तथा “उत्तरदायी मन्त्रिमण्डलकी स्थापना” इन दो शब्दोंसे उन्हें सरकारपर चार करना था । यह अधिवेशन भी पाँचवें अधिवेशनकी टीक टीक नकल थी । सरकारकी वैदेशिक नीतिका लगातार विरोध करनेके बाद उन्होंने सप्ताहको अभियोगात्मक आवेदनपत्र देना स्थिर किया\* । अतः संवत् १९५१ में (२ जून सन् १९४५ को) सभा भङ्ग हो गयी ।

तब सरकारकी मनमानी घरजानीपर बड़ा खलबली मची । समस्त राजनीतिक दल: विशेष करके वे जो कि सरकारके विरुद्ध थे, “उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल” की स्थापनाके लिए कमर कसकर आन्दोलन करने लगे । परन्तु इतनेहीमें चीनसे युद्धकी घोषणा हो गई जिससे राजनीतिक दलोंके सब उद्योग शान्त हो गये । वैदेशिक सङ्कटके आपड़नेपर सरकारसे शत्रुता और विरोध तथा आपसके ईर्प्याद्वेष सब भुला दिये गये । वस्तुतः १५ मार्गशीर्ष संवत् १९५१ (१ दिसम्बर १९४४) को जो निर्वाचन हुआ उसका काम पूर्वके दो निवां-

\* इस आवेदन पत्रमें लिखा गया था कि मन्त्रिमण्डलके कार्योंका सिद्धावलोकन करनेसे पता लगता है कि मन्त्रियोंने स्वदेरा तथा विदेशकी कार्यनीतिमें बड़े भारी भारी प्रमाद किये हैं, और जनाद्वारा बहुत दुःखित किया है, प्रतिनिधि-सभा अपना कर्तव्य पालन करनेकी चिन्तासे उनके साथ मिलकर काम करनेके लिए तैयार है, परन्तु उनकी यह इच्छा नहीं और इससे सभाके काममें बड़ी वापा पड़ती है और सभाको मन्त्रिमण्डलपर विश्वास नहीं होता ।

## ३०८ जापानकी राजनीतिक प्रगति

चक्षोंकी तुलनामें बड़ी ही शान्ति और गम्भीरताके साथ सम्पन्न हुआ।

ऐसा ही सातवाँ अधिवेशन भी विना किसी विरोधके बीत गया। यह अधिवेशन सं० १९५१ में हीरोशिमा नगरमें हुआ जहाँ कि युद्धके कारण सम्राट्की छावनी पड़ी थी। युद्ध व्ययके लिए अर्थ सम्बन्धी विशेष विलमें १५ करोड़ येनका अनुमान किया गया था। एक सभासदने भी इसका विरोध नहीं किया और सर्वसम्मतिसे यह विल पास हुआ।

आठवें अधिवेशनमें सं० १९५१ से (२२ दिसम्बर १९५४ से) संवत् १९५२ तक (२० मार्च १९५५ तक) राजनीतिक दल सरकारके साथ वैसेही पेश आये जैसे कि सातवें अधिवेशनमें आये थे। अन्तःकरणसे उनकी यह इच्छा थी कि सरकारको इस समय हैरान न करना चाहिए और आपसमें किसी प्रकारका वैमनस्य प्रकट न होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करनेसे वे जानते थे कि राष्ट्रका बल क्षीण हो जायगा। इसलिए उन्होंने बजट का विरोध करना उचित नहीं समझा और बजटमें यद्यपि नित्यके शासनकार्यका व्यय भी बहुत अधिक बढ़ा दिया गया था तथापि उन्होंने लेशमान भी परिवर्तन न करके उस विलको स्वीकार कर लिया।

अध्यापक मास्टरमेन कहते हैं, “जब देशपर वाहरसे कोई बड़ा भारी सङ्कट आता है तब देशकी भीतरी उन्नति शीघ्रताके साथ नहीं हो सकती।” इस प्रकार जापान-सम्राज्यपर वाहरसे जो भारी सङ्कट आ पड़ा था उससे प्रातिनिधिक शासनके सुधारका कार्य बहुत कुछ रुक गया। दो अधिवेशनोंमें अधिकारिवर्ग और राजनीतिक दलोंका परस्पर विवाद घिल-घुल ही बन्द कर दिया गया था।

## मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल २०६

पर युद्ध जब समाप्त हो गया तब फिर आपसकी लड़ाई शुरू हुई। सरकारकी युद्धोपरान्त तीति, चीनको लिए औ तुङ्गद्वीप कला वापस दे देना, और कोरिया राजधानी सियोलका हत्याकाण्ड,\* इन बातोंको लेकर राजनीतिक दलोंने सरकारपर आक्रमण करना आरम्भ किया। संवत् १९५२में (ता० २५ दिसम्बर १९५१ को) नवाँ अधिवेशन आरम्भ हुआ और अधिवेशनके आरम्भमें ही सम्राट्‌के पास अभियोगात्मक आवेदनपत्र भेजनेका प्रस्ताव उपस्थित किया गया।

परन्तु इससे कुछ ही पहले इतोंके मन्त्रिमण्डलने “अधिकारिवर्गके स्वैरतन्त्र” की तीति छोड़ दी थी और खुँझमखुँझा उदारमतवादी दलसे मेलकर लिया था। उस समय प्रतिनिधि-सभामें उदारमतवादियोंकी संख्या १०८ थी। इनके अतिरिक्त राष्ट्रके भूतपूर्व मन्त्री शिनागावा तथा उनके राष्ट्रीय दलके ३४ अनुयायी जो पहले भी सरकार-पक्षके थे परन्तु पाँचवें और छठे अधिवेशनमें सरकारके विरुद्ध हो गये थे, अब फिर सरकार-पक्षसे आ मिले। इनके अतिरिक्त सरकारके २६ कट्टर साथ देनेवाले और थे जिनका दल ‘खालिस सरकार-पक्ष’ कहा जाता था। इन तीन दलोंके मिलनेसे प्रतिनिधि-सभामें इनका मताधिक्य हो गया और सरकार-विरोधी लोक-पक्षके हजार सर पटकनेपर भी ये सभाको अपने कावृमें रख सकते थे। लोकपक्षकी ओरसे सम्राट्‌के पास अभियोगात्मक आवेदनपत्र भेजनेका जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया था।

\* इसियों और जापानियोंकी अधिकार-प्रतिद्वंद्विताके कारण ८ अक्टूबर १९५५<sup>१०</sup> को रातों दिनकी हत्या हुई। इसी घटनाके फलमें सं० १९५३ के मई मासमें इस-कापानका एक इकारारनामा हुआ था।

## ३१० जापानकी राजनीतिक प्रगति

उसे इन लोमोंने अस्वीकार कर दिया और सरकारके अर्थ-सम्बन्धी विलों को जिनमें ६ करोड़ २० लाख येनका खर्च और बढ़ा दिया गया था, अधिक मत देकर पास करा लिया।

इस प्रकार उदारमतवादियोंको मिलाकर इतोके मन्त्रिमण्डलने परिपद्के एक बड़े कठिन अधिवेशनसे अपना वेड़ा पार किया। जब नोमुराके त्यागपत्रसे खराप्टके मन्त्रीका पद खाली हो गया तब उदारमतवादियोंने अपने नेता इतागाकी-को उस पदपर प्रतिष्ठित करानेके लिए सरकारपर दबाव डाला क्योंकि उदारमतवादियोंने सरकारकी मदद की थी। सं० १९५३में (ता० १४ अप्रैल १९५३दई० को) इतागाकीने मन्त्रिमण्डलमें प्रवेश किया। परन्तु अब भी मन्त्रिमण्डलको विशेष दल बनानेपर अधिकारिवर्ग राजी नहीं था। उन्होंने इतागाकी-को मन्त्रीपद देनेसे पहले उनसे कहा कि वे उदारमतवादी दलसे अपना सम्बन्ध त्याग दें, और तब यह घोषित किया कि इतागाकी मन्त्री बनाये गये और कहा गया कि यह पद उन्हें इसलिए नहीं दिया गया है कि वे उदारमतवादी दलके नेता हैं यद्कि एक राजनीतिशक्ति के नाते उन्होंने बहुत काम किया है और उनकी आयु भी अब अधिक हो गयी है।

इतागाकीकी नियुक्ति राष्ट्रीय दलवालोंको बहुत बुरी लगी क्योंकि नवें अधिवेशनमें उन्होंने सरकारकी बड़ी सच्चाई-से सहायता की थी। मन्त्रिमण्डलको भी परराष्ट्रसचिव तथा अर्थमन्त्रीके पदपर काम करनेवाले पुरुष जल्दी मिलते नहीं थे। अबतक फाउण्ट मुत्सु परराष्ट्रसचिव थे, परन्तु उन्होंने अस्वस्थताके कारण पदत्याग किया था। परराष्ट्र नीतको समझ कर ठीक ठीक कार्य करनेवाले पुरुष प्रागतिक दलके नेता फाउण्ट ओकुमा ही दिखाई देते थे, और अर्थमन्त्री

## मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३११

पदके लिए काउण्ट मात्सुकाता के अतिरिक्त और कोई नहीं था। परन्तु इतागाकी काउण्ट ओकुमा को परराष्ट्रसचिव बनानेका विरोध कर रहे थे, और मात्सुकाता को विना उनके मन्त्रिमण्डलमें आना ही स्वीकार न था। तब लाचार होकर इसके मन्त्रिमण्डलने इस्तीफ़ा दे दिया।

सं० १९५३ में (ता० १८ सितम्बर १९४६ को) नया मन्त्रिमण्डल सङ्खित हुआ और मात्सुगाता उसके प्रधान मन्त्री हुए। इस मन्त्रिमण्डलका नाम हुआ, मात्सुकाता-ओकुमा-मन्त्रिमण्डल। ओकुमा के परराष्ट्रसचिव होनेसे प्रागतिक दल सर्वथा मन्त्रिमण्डलके अनुकूल हो गया। कई छोटे छोटे दल इस प्रागतिक दलमें मिल गये थे जिससे इसकी संख्या बहुत बढ़ गयी थी और सं० १९५३ से (ता० २२ दिसम्बर १९४६ से लेकर ता० २४ मार्च १९४७) सं० १९५४ तक जो दसवाँ अधिकारेशन हुआ उसमें इसने उदारमतवादियोंका विरोध चलने न दिया।

परन्तु मात्सुकाता और ओकुमा के राजनीतिक सिद्धान्तोंमें एकवाक्यता नहीं थी। कुछ ही वर्ष पहले मात्सुकाताने अध्यक्ष मन्त्रीके नाते राजकर्मचारियोंको निर्वाचनके काममें टाँग अड़ानेकी इजाजत दी थी और समस्त राजनीतिक दलोंका उच्छेद करना चाहा था। उन्हें राजनीतिक दलोंसे या दलमूलक मन्त्रिमण्डलके विचारसे कुछ भी सहानुभूति नहीं थी, अधिकारिवर्गकी सत्ता ही इन्हें भाती थी और खयं भी स्वेच्छावारी अधिकारी थे। परन्तु ओकुमा तो उस प्रागतिक दलके नेता थे जो “उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल” स्थापित करनेको कह रहा था। यह कहा जाता है कि, जब मात्सुकाता-ओकुमा-मन्त्रिमण्डल बनने लगा था तब ओकुमाने यह सोच-

## ३१२ जापानकी राजनैतिक प्रगति

फर मन्त्रिपद स्वीकार किया था कि मन्त्रिमण्डल राष्ट्रीय परिपद्के मतसे कार्य करेगा, शासन तथा अर्थव्यवस्था सुधारी जायगी और सर्वसाधारणके अधिकारोंका अधिक आदर होगा तथा उनकी अभिलापाओंपर विशेष ध्यान दिया जायगा। पर और जितने मन्त्री थे सब मात्सुकाताके ही साँचेमें ढले हुए थे। इसलिए ओकुमाने देखा कि यहाँ अपने सिद्धान्तोंकी क़दर नहीं हो सकती इसलिए संघत १९५४ में (ता० ६ नवम्बर १९५७ को) उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही प्रागतिक दलकी अनुकूलताका भी अन्त हो गया।

ओकुमाके पद त्याग करनेपर मात्सुकाता मन्त्रिमण्डलने धनका लोभ देकर उदारमतवादियोंको अपनी और मिलाना चाहा, और वहुतसे इस लोभमें आ भी गये। परन्तु फिर (१५ दिसम्बरको) उदारमतवादियोंकी जो साधारण सभा हुई उसमें यही निश्चय किया गया कि मात्सुकाता-मन्त्रिमण्डलका पक्ष न लिया जायगा।

अब प्रागतिक और उदार, दोनों दल मन्त्रिमण्डलके विस्त्र हो गये। इतने बड़े विरोधका सामना करके प्रतिनिधि-सभा पर विजय पाना असम्भव था। परिपद्का १९वाँ अधिवेशन सं० १९५४ में (ता० २१ दिसम्बर १९५७ को) आरम्भ हुआ। और चौथेही दिन मन्त्रिमण्डलपर अविश्वासका प्रस्ताव उपस्थित किया गया, दो तृतीयांश सभासदोंने उसका समर्थन किया और वह पास हो गया। व्यवस्थापनासम्बन्धी और कोई काम न होने पाया और सभा भङ्ग कर दी गयी।

उसी दिन मात्सुकाताने और उनके सभी अधीनस्थ मन्त्रियोंने भी इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा नहीं दिया केवल परराष्ट्रसचिव निशीने। इन इस्तीफोंका दिया जाना भी एक

## मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल २१६

यही विचित्र वात मालूम होती है। आगे, किस दारणसे मात्सुकाता-मन्त्रिमण्डलने इसीका दिया? यदि दूसरा साथा-रण निर्वाचन होनेसे पहले ही मन्त्रिमण्डलको पद्धत्याग करना भव्यर था तो प्रतिनिधि-सभाको उसने नाशक पर्याम भद्र कर दिया? मन्त्रिमण्डल ही अपना काम छोड़ देता, प्रतिनिधि-सभाको भद्र करनेसे या मतलब था? यदि प्रतिनिधि-सभा कायम रहती तो देशका व्यषुतसा धन और परिव्रम भी बच जाता। तब या कारण है कि मात्सुकाता-मन्त्रिमण्डलने इस सीधे मार्गका अनुसरण नहीं किया? या इससे पद्धत्याग करनेवाले मन्त्रियोंका या और किसीका कोई विशेष लाभ था? बाल्लभ मानसुकाता मन्त्रिमण्डलका दिमाग ठिकाने नहीं था, नहीं तो यह ऐसे अवसरपर ऐसा प्रमाद कभी न करता, या उसका प्रधान हेतु यह रदा होगा कि राजनीतिक दल दूट न जायें और तब काम सरकारकी मुद्रीमें आ जाय।

यह पिछला तर्क कुछ लोगोंको ठीक प्रतीत न होगा, पर्याप्ति के सहजात्मक शासनप्रणालीका यह नियम ही देख पड़ता है कि जब एक मन्त्रिमण्डल पद्धत्रष्ट होता है तो शासन-सच्चा उसके विरोधी दलके ही हाथमें चली जाती है। पर जापानके मन्त्रिमण्डलकी यह एक विशेषता है कि यह नियम जापानकी राज्यव्यवस्था पर नहीं बटता। मन्त्रिमण्डलके पद्धत्रष्ट होनेका जापानमें केवल इतना ही अर्थ है कि पहले अधिकारी गये, अब दूसरे आपेंगे—वे भी राजनीतिक दलोंका विरोध करेंगे।

२७ पौष सं० १९५५ (ता० १२ जनवरी १९५५) को अप फिर इतोने नवीन मन्त्रिमण्डल सद्विति किया। १ चैत्र (१५ मार्च) को पञ्चम साधारण निर्वाचन हुआ। यथा रीति कर्त्ता

## ३१४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

नवीन दल निर्माण हुए, कई पुराने दल नष्ट हो गये; और वर्तमान दलोंके कई भाग हो गये। जिन राजनीतिक दलोंके हाथमें कुछ भी वास्तविक अधिकार नहीं होता और जो अपने अनुयायियोंको ऐसी कोई आशा या विश्वास नहीं दिला सकते कि उन्हें अमुक अमुक अधिकार प्राप्त करा दिये जायेंगे (और ऐसी आशा दिलाना भी कैसे सम्भव है जब कि उसकी पूर्तिका कोई साधन नहीं ?) और जिन्हें किसी न किसी प्रकारसे अधिकारिवर्गसे दवना पड़ता है, वे राजनीतिक दल वह भी नहीं सकते और अधिक कालतक जीवित भी नहीं रह सकते। इस साधारण निर्वाचनके समय वह मन्त्रिमण्डल मौजूद नहीं था जिसने कि सभा भज्ञ की थी और यह नया निर्वाचन कराया था। इसलिए राजनीतिक दलोंको कोई चाँदमारीकी जगह न दिखाई देती थी और कोई प्रश्न भी उनके सामने ऐसा नहीं था जिसके लिए वे लड़नेका दम भरते। एक तत्कालीन पत्रने लिखा है कि, “परस्पर-विरोधी दलोंमें निर्वाचनसम्बन्धी प्रतिस्पर्धा या विरोधका कोई स्पष्ट कारण तो था नहीं, इसलिए यह विरोध क्या था, हवासे लड़ना था।”

निर्वाचनके पहले और बाद भी उदारमतवादी दलने इस्तोके मन्त्रिमण्डलसे मेल करनेका बहुत कुछ उद्योग किया॥ परन्तु उससे यह बादा न करते बना कि सभामें सरकारपक्षका मताधिक्य होगा, और वह मन्त्रिमण्डलसे बदलेमें जो कुछ

\* देखिए, सद्घटनात्मक शासनके आरम्भ-कालमें सरकार-पक्षको बुरा समझने वाला उदारमतवादी दल दी श्रव सरकारमें मेल रखनेका प्रयत्न कर रहा है। और सबसे पहले “स्वैरतन्त्र मन्त्रिमण्डल” की धोषणा करनेवाली सरकारने दी राजनीतिक दलको भिसानेके लिए अपना द्वाया आगे बढ़ाया था।

## मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३१५

चाहता वह भी बहुत अधिक था। इसलिए उसका यह उद्योग सफल न हुआ।

अतएव परिपद्के बारहवें अधिवेशनमें इतोके पक्षमें कुछ थोड़ेसे नैशनलिस्ट्सको छोड़कर और कोई न था, और इसका यह परिणाम हुआ कि उस अधिवेशनका ज़मीनका कर बढ़ानेवाला जो सबसे मुख्य विल था उसे सभाने २७ के विरुद्ध २४७ मतोंसे नामंजूर कर दिया। सभा भी भङ्ग हो गयी।

जब उदारमतवादी दलका सरकारसे मिलनेका उद्योग विफल हुआ तब उसने प्रागतिक दलसे मेल कर लिया और ज़मीनका कर बढ़ानेवाले विलने तो उनके विरोधकी आगमें धीका काम दिया क्योंकि इस विलसे बड़ा ही असन्तोष फैल रहा था। इसके साथ ही बार बार सभा भङ्ग करनेकी सरकारकी नीतिसे प्रागतिक व उदार दोनों ही असन्तुष्ट हो रहे थे। यद्यपि इन दो दलोंसे पुराना वैरभाव अब भी लुप्त नहीं हुआ था तथापि समान स्वार्थके होनेसे ये दोनों दल एक हो गये और इन्होंने अपना संयुक्त नाम “सङ्घठनवादी दल” रखा\*। इस दलको प्रबल देखकर इतोका मन्त्रिमण्डल

\* सङ्घठनवादी दलका प्रोग्राम यो था—

१. सन्नाटकी भक्ति और सङ्घठनतत्त्वको रक्षा।
२. दलमूलक शासकमण्डल निर्माण करना और मन्त्रिमण्डलकी कार्यवाही नियमित करना।
३. स्थानीय स्वराज्यकी प्रगति और प्रधान शासकमण्डलके हस्तक्षेपकी मीमा निर्धारित करना।
४. राष्ट्रीय अधिकार और प्रतिष्ठाकी रक्षा एवं व्यवसाय-वाणिज्यका विस्तार।
५. आयन्यका समतोलन और राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्थाका दृढ़ीकरण।
६. विदेशोंसे धनागमका साधन निर्माण करना और राष्ट्रके साधनोंकी व्यवस्था।
७. राष्ट्रीय शक्तिके शतुरूप जलसेना और स्थलसेना रखनेका प्रवन्ध।

३१६

## जापानकी राजनीतिक प्रगति

भयभीत हुआ। इतो, यामागाता, सायगो, ओयामा, कुरोदा व इनोयी, इन अग्रगण्य पुरुषोंने एक स्थानमें बैठकर विचार किया कि अब इन राजनीतिक दलोंसे क्योंकर पेश आना चाहिए। इस कानफरेन्समें इतोसे और यामागातासे खूब चालाविवाद हुआ। इतोका कहना था कि प्रधान राजनीतिक दलको अपनी और मिला लेना चाहिए या कोई ऐसा दल बाँधना चाहिए जो अधिकारिवर्गके सिद्धान्तोंपर अटल रहे और राज्यव्यवस्थामें सरकारकी सहायता करे। यामागाताने यह कहा कि किसी राजनीतिक दलके भरोसे सरकारका रहना सङ्घठनके उद्देश्यकी हत्या करना है इसलिए सरकार राजनीतिक दलोंसे स्वतन्त्र और उन सबके सिरपर ही रहनी चाहिए। इसपर इतोके मन्त्रिमण्डलने पदत्याग किया।

अब इतोके स्थानपर काम करनेके लिए कोई अधिकारी मिलना कठिन हो गया, इसलिए इतोहीकी सम्मिलित सम्बाटने नवसङ्घठित सङ्घठन दलके नेता ओकुमा और इतागाकीको ही बुला भेजा और उन्हें मन्त्रिमण्डल बनानेकी आशा दी। संवत् १९५५ में इतोके पदत्यागके दो ही दिन बाद और सङ्घठनवादी दलके जन्मके १५ दिन बाद और सभाके भङ्ग होनेके १७ दिन पीछे यह घटना हुई। इसके होनेकी किसीको आशा क्या, कल्पनातक नहीं थी; ओकुमा और इतागाकी सम्बाटीकी आशा सुनकर सम्बाटेमें आ गये और पहले तो उन्हें यह कार्यभार स्वीकार करनेका साहस ही नहीं होता था; पर इतोके समझानेसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।

८. यात्रा और व्यापारके पर्याप्त साधन निर्माण करना।

९. शिक्षापद्धतिका सुधार और कला तथा विज्ञानका प्रचार।

## मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३१७

१६ आपाह संवत् १९५५ (ता० ३० जून १९५२) को नवीन मन्त्रिमण्डल सङ्गठित हुआ जिसके प्रधान मन्त्री व परराष्ट्र मन्त्री श्रीकुमार हुए, और स्वराष्ट्र मन्त्री इतागाकी। अन्य मन्त्री भी, केवल युद्धमन्त्री और नौसेनामन्त्रीको छोड़कर, सङ्गठन-वादी दलके अनुयायियोंमें से ही चुने गये। अर्थात् पुराने प्रागतिक दलके हिस्सेमें ४ और पुराने उदारमतवादी दलके हिस्सेमें ३ मन्त्रिपद आये। यह एक प्रकारसे दलमूलक मन्त्रिमण्डल ही था, क्योंकि प्रधान राजनीतिक दलपर ही इसका सारा दारोमदार था। परन्तु इंगिस्तानमें जैसे दल-मूलक मन्त्रिमण्डल होते हैं वैसा यह नहीं था। यद्यपि जापानी लेखकोंने प्रायः इसको भी दलमूलक मन्त्रिमण्डल ही कहा है। सरदार या प्रतिनिधि-सभामें एक नौसेनाके मन्त्री मारकिस सायगोंको छोड़कर कोई मन्त्री, मन्त्रीकी हैसियतसे नहीं रहते पाया था, क्योंकि इस मन्त्रिमण्डलके बननेके समय कोई प्रतिनिधि-सभा ही नहीं थी; वह भड़ हो चुकी थी और अबतक निर्वाचन भी नहीं हुआ था। नवीन सङ्गठित सङ्गठन-वादी दलके जनवलके अनुमानसे ही काम लेकर नवीन मन्त्रिमण्डल बना था।

तथापि यह पहला ही अवसर था जब कि राजनीतिक दलोंके सभान्दोंको लेकर मन्त्रिमण्डल सङ्गठित हुआ हो। संवत् १९५२में उदारमतवादी दलके नेता इतागाकीसे मिलने-के कारण ही श्रीकुमारको प्रधी कौन्सिलसे हटना पड़ा था, उसी प्रकार सं० १९५३में मन्त्रिमण्डल और उदारमतवादी दलका मेल होनेके कारण जब इतागाकीने मन्त्री होना स्वीकार किया था तो उन्हें भी उदारमतवादी दलसे कमसे कम दिखानेमरको सम्बन्ध स्याग देना पड़ा था, सं० १९५४में

## ३१८ जापानकी राजनीतिक प्रगति

ओकुमा परराष्ट्र मन्त्री थे, परन्तु दिखानेभरको वे भी प्राग-  
तिक दलसे अलग थे।

अब तक अधिकारि-तन्त्रवादी राजनीतिक्ष “कैयाल” अधवा  
“स्वैरतन्त्र मन्त्रिमण्डल” का सिद्धान्त ही माने हुए थे और  
जमस्त राजनीतिक दलोंको विषवकारी कहा करते थे; परन्तु  
अब एक राजनीतिल दलके सभासदोंद्वारा ही मन्त्रिमण्डल-  
को सङ्घठित हुए देखकर वडे हैरान हो रहे थे। अधिकारि-  
तन्त्र के विरोधियोंके आनन्दकी तो सीमा न रही क्योंकि  
उनका यह उत्थान आशातीत था।

परन्तु यह भी स्मरण रखना होगा कि राजनीतिक दलों-  
का यह श्राफसिक उत्थान स्वाभाविक क्रमसे नहीं हुआ था,  
केवल काकतालीय संयोग था। सङ्घटनवादी दलका बनना  
उदारमतवादी और प्रागतिक दलके एक प्रासङ्गिक भावका  
फल था, उसमें स्थायित्व कुछ भी नहीं था। इन दो दलोंकी  
स्थायी एकत्राका होना किसी अवस्थामें सम्भव नहीं था।  
दो बार लगातार सभाके भङ्ग होनेसे दोनों दलोंमें समान  
उत्तेजनाका सञ्चार हो जानेके कारण ही यह क्षणिक एकता  
स्थापित हुई थी। मात्सुकाता और इतो, दोनोंकी यह इच्छा  
थी कि कर वढ़ानेवाला विल प्रतिनिधि-सभासे पास हो जाय  
जिसमें सरकार अपनी युद्धोपरान्त (पोस्टवेलम) नीतिसे  
काम कर सके, परन्तु इन दो दलोंने ऐसा विरोध किया कि  
सभाको ही भङ्ग करना पड़ा। मन्त्रिमण्डलको यह आशा थी  
कि सभा भङ्ग करनेसे विरोध कुछ कम हो जायगा—परन्तु  
कम होना तो दूर रहा वह और भी बढ़ गया। और सौभाग्य-  
से हो या दुर्भाग्यसे, इसी घटनाके कारणसे एक प्रकारका  
दखलमूलक मन्त्रिमण्डल स्थापित हो गया।

## मन्त्रिभरडल और राजनीतिक दल ३१६

इस नये मन्त्रिमण्डलके भाग्यमें क्या बदा था सो भी देख लें।

जब सङ्घठनात्मक-शासन पहले पहल स्थापित हुआ तो अधिकारितन्त्रके विरोधी यह समझते थे कि हम लोग अधिकारीतन्त्रको तोड़कर शासनकार्यमें भाग ले सकेंगे। पर यह केवल उनका स्वप्न था। प्रतिनिधि-सभामें वे अब भी लड़ते जा रहे थे, परन्तु कोई प्रत्यक्ष फल नहीं हुआ। सरकार अब भी वास्तवमें वैसी ही “सर्वशक्तिमान्” थी जैसा कि वह पहले थी, निर्वाचनके काममें अधिकारियोंके हस्तक्षेपके सामने उनकी एक न चलती थी, प्रतिनिधि-सभामें भी “स्वैरतन्त्र मन्त्रिमण्डल” के सिद्धान्तके नियन्त्रणमें उन्हें रहना पड़ता था, और परिपूर्ण वारंवार स्थगित या भङ्ग की जाती थी। परन्तु एकाएक दृश्य (सीन) बदल गया और वे भी उस “सर्वशक्तिमान् सरकार”के अङ्ग बन बैठे और सब शासनसच्चा उनके अधिकारमें आ गयी।

सदसे पहले उन्होंने स्वभावतः ही अपनी आवश्यकताओं-के अनुकूल शासनसुधारके काममें हाथ लगाया। अतः राजकर्मचारियोंकी नामावलीसे उन्होंने ४५२२ नाम काट डाले और इस तरह ७४२०० येन (लगभग १२३६१८८०) की बचत की, इसके उपरान्त उन्होंने शासनसम्बन्धी बड़े बड़े पदोंपर अपने दलके सभासदोंको भरना आरम्भ किया। परन्तु इस “लूट” का बँटवारा बड़ा ही कठिन काम था, क्योंकि काम थोड़े थे और उम्मेदवार बहुत। उम्मेदवारोंमें प्रतिष्ठिता भी चड़ी तीव्र थी। इससे उदारमतवादी और प्रागतिक दलोंकी झुरानी ईर्प्पा फिर उभड़ उठी।

यह पहले ही कह चुके हैं कि इन दलोंमें जो मेल हुआ था

## ३२० जापानकी राजनैतिक प्रगति

धह क्षणिक उत्तेजनाका फल था। जिस बातके कारण उत्तेजना थी उसके नष्ट होते ही अर्थात् अधिकारिचर्गका पतल होते ही मेलका भाव जाता रहा। उदारमतवादी और प्रागतिक दोनों अपने अपने अधिकारोंकी चिन्ता करने लग गये, उन्हें यह स्मरण नहीं रहा कि उन दोनोंकी एकतासे उन्हें यह महत्वपूर्ण पद प्राप्त हुआ है। “लूट” के बैंटवारेमें प्रत्येक दल अपने अपने सभासदोंको सरकारी काम दिलाने और अपनी शक्ति बढ़ानेका प्रयत्न करने लगा।

शिक्षाविभागके मन्त्री ओजाकी<sup>१</sup> ने इस्तीफा दे दिया उस समय यह हीन प्रतिद्वन्द्विता हद दर्जेको पहुँच चुकी थी॥ सप्ताह-शिक्षा-समिति नामकी संस्थामें ओजाकीने एक व्याख्यान देते हुए कहा था, “थोड़ी देरके लिए यह सोचिये कि जापानमें प्रजातन्त्र स्थापित हो गया, तो क्या होगा कि मित्तुई या मित्तुविशी (जापानके कुवेर) अध्यक्ष बननेके लिए आगे बढ़ आयेंगे।” इस समय जापानमें धनकी महिमा बहुत बढ़ रही थी उसीकी चेतावनी ही इस व्याख्यानमें दी गई है। जापानमें प्रजातन्त्रकी कल्पना एक मन्त्रीके मुँहसे क्या प्रकट हुई, अधिकारितन्त्रवालोंको नवीन मन्त्रिमण्डलपर बहर करनेके लिए एक शब्द मिल गया। उन्होंने ओजाकीके व्याख्यानको धिक्कारा और सर्वसाधारणमें उत्तेजना फैला दी।

<sup>१</sup> ओजाकी पुराने प्रागतिक दलके सभासद थे।

सरकारी कमोंके बैंटवारेके सम्बन्धमें प्रागतिक और उदारमतवादियोंमें जो परम्पर कलह मच रहा था उसके एक कारण होशीतोश भी थे। ये उदार दलके एक प्रमुख नेता थे और त्वयं मन्त्रिमण्डलमें आना चाहते थे। नवीन मन्त्रिमण्डल जद बना उस समय थे संयुक्त राज्य अमरीकामें थे। जापानकी ओरसे राजदूत होकर गये थे। अगस्त मासमें जापान लौट आये।

## मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३२१

इसी मन्त्रिमण्डलमें भीतर ही भीतर श्रोजाकीको निकालने और उनके स्थानमें कोई उदारमतवादी पुरुष रखनेकी चेष्टा उदारमतवाले विशेषकर इतागाकी कर रहे थे । ६ कार्तिक संवत् १९५५ (२३ अक्टूबर १९६०) को श्रोजाकीने इस्तीफा दे दिया । और उदारमतवादी अब इस बातपर ज़ोर देने लगे कि अब जो शिक्षाविभागका मन्त्री हो वह हमारे दलमेंसे लिया जाय । परन्तु अध्यक्ष मन्त्री श्रोकुमाने इन बातोंको सुनी अनुसुनी करके प्रागतिक दलके हाँ एक सभासद इनुकाईको शिक्षाविभागका मन्त्री बनाया । तुरन्त ही मन्त्रिमण्डलका भी इसी कारणसे अन्त हुआ ।

१२ कार्तिक ( २६ अक्टूबर ) को इतागाकी, हायाशी और मत्सुदा, इन तीन (उदारमतवादी दलके) मन्त्रियोंने पद त्याग किया । इससे और मन्त्रियोंका रहना भी असम्भव हो गया । उसी महीनेकी १४वीं तिथिको श्रोकुमा तथा प्रागतिक दलके तीन और मन्त्रियोंने भी पद त्याग किया । युद्धमन्त्री और नौसेना मन्त्री भी साथ हो लिये ।

जिस मन्त्रिमण्डलका अस्तित्व प्रागतिक और उदारमतवादी दलोंकी सहृदशक्ति पर निर्भर था वह सहृदशक्ति ही न रही तब वह मन्त्रिमण्डल भी कैसे रहता ? केवल चार महीने तक यह मन्त्रिमण्डल रहा । शासनमें किञ्चित् सुधार करने तथा कुछ आरामकी नौकरियोंको हटानेके अतिरिक्त इसने इतिहासमें कुछ भी उल्लेख योग्य बात नहीं की । छठे साधारण निर्वाचनमें ( २५ थावण अर्थात् १० अगस्त ) सङ्गठनवादी दलके (उदार और प्रागतिक मिलाकर) ३०० मेंसे २६० सभासद निर्वाचित हुए । परन्तु परिषद्का नवीन अधिवेशन न आरम्भ होनेके पूर्व ही मन्त्रिमण्डलका अवसान हो चुका था ।

इस दलमूलक सदृश मन्त्रिमण्डलके हतमनोरथ होनेके कारण अधिकारितन्त्रवादी फिर सिरपर चढ़े। वे अपनी बातका समर्थन करने लगे कि अनुभवी अधिकारियोंके बिना शासनकार्य हो ही नहीं संकरता—पार्लमेंटमें बहस करनेवाले लोग राज्यव्यवस्था क्या जानें? परन्तु इस मन्त्रिमण्डलने प्रातिनिधिक राज्यप्रणालीके कार्यमें अपना अनुभव चाहे कुछ समिलित न किया हो परन्तु हमें यह मानना पड़ेगा कि इस मन्त्रिमण्डलका सङ्गठन होना भी जापानके सङ्गठनात्मक शासनके विकासक्रममें एक प्रधान साधन हुआ है। इसका व्यास्तविक महत्व यह है कि इससे पहले राजनीतिक दलसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई व्यक्ति मन्त्रिमण्डलका सभालद नहीं हो सकता था परन्तु इसने वह दुराग्रह दूर कर दिया।

२२ कातिंक ( नवम्बर ) को नवीन मन्त्रिमण्डल बना जिसके प्रधान मन्त्री यामागाता हुए। इसमें किसी दलका कोई आदमी नहीं था, पुराने अधिकारियोंमें से ही सब मन्त्री चुने गये थे। मन्त्रिमण्डल बन चुकनेके साथ ही यामागाताने उदार दलको मिलाना चाहा<sup>१</sup> और इस मेलके बदलेमें उन्होंने “स्वैरतन्त्र मन्त्रिमण्डलके सिद्धान्तका सार्वजनीन प्रतिवाद करने तथा नवीन सङ्गठनवादियोंके कुछ प्रत्यावर्तोंको कार्यनिवृत करानेकी प्रतिश्वासा की। इस मेलके करानेमें इतोने युक्त कुछ परिश्रम किये थे। तथापि यामागाता जैसे पुराणमिश्र (लक्ष्मीरके फ़कीर) राजनीतिश्वसे घृतना काम निकालना कुछ कम नहीं था।

---

\* ओकुमा-श्टागाकी मन्त्रिमण्डलका जब अन्त हो चुका तब सङ्गठनवादी दल नी टूट गया, उदार दलने ही वह नाम धारण कर लिया, और प्रागतिक दलने अपना नाम रखा, केवली शोन्वो (Proto Constitutional Party)।

## बन्धिमरडल और राजनीतिक दल हैं

यामागाताका अपने सिद्धान्तका त्वाग करता भी कोई बड़ी भारी उलझन नहीं है। चाहे कैसा ही मन्त्रिमण्डल होता उसे अपनी युद्धोपरान्त नवीन (Post-bellum) नीतिके अनुसार काम कर सकनेके लिए ज़मीन और आवकारीकी आय बढ़ाना बहुत ही आवश्यक था। पूर्व वर्षके दिसम्बर मासमें चहुमत न मिलनेके कारण मात्सुकाता मन्त्रिमण्डल भूमिकर बढ़ानेवाले विलको पास न करा सका, और छः महीने बाद इतोके मन्त्रिमण्डलके पतनका भी यही कारण थुआ। ओकुमा-इतागाकी मन्त्रिमण्डलको मताँकी कमी नहीं थी परन्तु यह कार्य करनेसे पहले ही शासनदण्ड नीचे रख देना पड़ा। यह तो स्पष्ट ही था कि बिना आय बढ़ानेका कोई स्थायी उपाय किये यामागाता मन्त्रिमण्डल भी अधिक कात रह न सकता। आय-कर बढ़ानेके लिए भूमिकर भी बढ़ाना आवश्यक समझा जाता था। इसलिए यामागाताने उदारमतवादियोंको मिलानेका उद्योग किया और बदलेमें उनका कार्य करा देनेका भी चक्कन दिया।

इस मेलसे और नैशनलिस्टोंकी हार्दिक सहानुभूतिसे तथा सरकारी-लोभकी मददसे यामागाता परिपद्धके तेरहवें अधिवेशनकी तौकाको खेले गये। शागतिकोने बहुत अक्षारडताएङ्ग लिया पर तो भी सरकारने भूमिकर-वृद्धि, आयकर संशोधन तथा पोस्टेजसम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास करा ही लिये। बास्तवमें यामागाता मन्त्रिमण्डलने यह बड़ा भारी काम किया।

पर दूसरे अधिवेशनके पहले यामागाता मन्त्रिमण्डल और उदारमतवादी दलके बीच फिर झगड़ा पड़ गया। मन्त्रिमण्डलको तेरहवें अधिवेशनमें जो सफलता खाम थुई

## ३२४ जापानकी राजनैतिक प्रगति

उसके पुरस्कारके तौरपर, उदारमतवादी दलका कहना था कि, उदारमतवादियोंको बड़े बड़े सरकारी काम मिलने चाहिएँ। यामागाता स्वभावहीसे इन दलवालोंसे घृणा करते थे। प्रसङ्ग देख कर उन्होंने उनसे मेल कर लिया था यह बात दूसरी है। मन्त्रिमण्डलने देखा कि अब यह 'सरकारी काम पानेका रोग' बढ़ता जा रहा है। इसलिए उसने अब यह नियम बना दिया कि अवतक जो उच्चपद यों ही दिये जाते थे अब उनके लिए परीक्षा पास करनी होगी तब नियुक्ति की जा सकेगी। यह नियम होनहार राजनीतिज्ञोंके लिए ही बना था इसमें किसीको सन्देह नहीं था। इससे उदारमतवादी घुट उत्तेजित हुए परन्तु फिर मेल हो गया।

चौदहवें अधिवेशनमें भी यामागाता मन्त्रिमण्डलका, उदारमतवादियों और सम्प्राण्यवादियोंने साथ दिया था। इसमें कोई विशेष बादग्रस्त प्रस्ताव भी नहीं हुए। प्रागतिकोंने एक प्रस्ताव पेश किया था कि पिछले (तेरहवें) अधिवेशनमें मन्त्रिमण्डलने वेईमानीका कार्य किया है इसलिए उसपर सम्प्राण्यके पास अभियोगात्मक आवेदनपत्र भेजना चाहिए, परन्तु १२९ के विरुद्ध १६४ मतोंसे यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। तब वेईमानी रोकनेके लिए एक विल पेश हुआ पर उसकी भी वही गति हुई।

अधिवेशनके समाप्त होनेपर कुछ ही कालमें उदारमतवादी दलने यामागाता मन्त्रिमण्डलसे सब नाता एकवारगी ही तोड़ डाला। पिछले अधिवेशनमें उन्होंने आँखें मूँद कर सरकारका साथ दिया था और योग्य बदलेकी आशा की थी, पर उनकी आशाके विपरीत, यामागाता आयव्ययसम्बन्धी विल पास करा कर उदारमतवादी दलसे विरुद्ध हो गये और

## मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३२५

फिर अपने स्वभावपर आ गये। इसलिए उदारमतवादी दलने सं० १९५७ में यामागाता मन्त्रिमण्डलसे नाता तोड़ दिया।

इसी अवसरपर मारकिस इतो राजनीतिक दलोंके पुनः सङ्गठनकी आवश्यकतापर व्याख्यान देते फिरते थे और सर्व-साधारणमें उनकी वाहवाही हो रही थी॥ । तब उदारमत-वालोंने इतोकी ओर दृष्टि फेरी और उन्हें अपना नेता बनाने को कहा। इतोने नेता होना स्वीकार कर लिया। २८ भाद्रपद सं० १९५७ ( ता० १३ सितम्बर १९०० ) को इतोके नेतृत्वमें

\* नाकाल्पुके व्याख्यानमें इतोने कहा था;—“दृष्टिमण्डलवर्गने अपने निर्वाचकोंको एक परमें लिखा है कि, निर्वाचकोंको अपने प्रतिनिधिसे वैसे ही पेरा आना चाहिए जैसे कि जूते बनानेवालेते। आदर्कोंके पैर मुशाफक जूते बनाना मोचीका ही काम है। अगर आदर्क उसके काममें दखल देकर यो बनाओ और तर्यों बनाओ कहने लग जायेंगे तो वह आदर्कोंके ठीक फिट जूते न बना सकेगा। प्रतिनिधियों भी यही बात है, अगर उसके निर्वाचक उत्तरके काममें दखल डेंगे तो वह अपना काम अच्छी तरह न कर सकेगा। इसलिए निर्वाचक जिसे अपना प्रतिनिधि मानें उसपर ही सब जिम्मेदारी छोड़ उसे अपनी श्वेषा और कार्यका स्वतन्त्रताके साथ पूरा उपयोग करने दें।” इजरायलीने भी कहा है कि, ‘राजनीतिक दलके नेताके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने दलके सिद्धान्तोंका पज़ करनेमें सचा हो, और इसके साथ ही, उस दलके अनुयायियोंको भी चाहिए कि वे हर हालतमें उसकी आशाका पालन करें।’

रामेश्वरनगरके निर्वाचकोंको भेजोलेने लिखा था,—“जैसे वैष्णव, वेदाकांक्षा साधारण मनुष्यसे अधिक समझता है, वैसे जूता बनानेवाला जूता बनाना साधारण मनुष्यसे अधिक जानता है, वैसे जिस मनुष्यका जानकार्य करते ही वीता है वह शामन करनेका काम साधारण मनुष्यसे अधिक जानता है……… जब कोई साधारण मनुष्य किसी प्रसिद्ध और दरात्मी वैष्णवोंको शुलाता है तो वह उससे यह रात नहीं करा सकता कि अमुक गोली या अमुक काढ़ा हो दिया जायगा। जूता बनवाते हुए जूता बनानेवालोंके सिरपर वैठ उसके हाथकी एक एक गतिकी परत नहीं की जा सकती। उसी प्रकारसे वह अपने प्रतिनिधियों भी कोई खास बादे नहीं करा सकता और न नित्य और प्रति घड़ी उससे अपनी आशाका पालन करा सकता है।”

## ४२६ जापानकी राजनीतिक प्रगति

नया दल बनानेके लिए उदारमतवादी दल भङ्ग हुआ और ३० को यह नवीन दल स्थापित हुआ। इस दलका नाम रिक्कन सेयुकाई (सङ्गठनात्मक राजनीतिवादी वान्धव समाज) हुआ। इतोको कई साथी इस दलमें समिलित हुए।

“स्वेच्छाचारी मन्त्रिमण्डल” सूचकी रचना दस वर्ष पहले इतोने ही की थी और वही इतो अब एक राजनीतिक दलके नेता भी बन गये। पर यह भी ध्यानमें रखना होगा कि सेयुकाई (पुराने उदारमतवादी) दलने उन्हें अपना नेता इस-लिए नहीं माना था कि उनके और उनके भावी नेताके विचार मिलते जुलते थे। असल बात यह थी कि यामागाता मन्त्रिमण्डलके दिन पूरे हो चले थे और वे जानते थे कि यामागाताके बाद, हो न हो, इतो ही प्रधान मन्त्री बनाये जायेंगे। सेयुकाई दल ऐसे घड़े श्रधिकारियोंसे सम्बन्ध बनाये रखना चाहता था और इसीलिए उसने इतोको अपना नेता माना। इतोने भी नेतृत्व इस शर्तपर स्वीकार किया था कि सब लोग यिला उच्च उनका कहना मानेंगे।

सेयुकाई दलके बननेसे १० आष्ट्रिवन संवत् १९५७ (ता० २६ सितम्बर १९००) को यामागाता अपने पदसे अलग हुए।

इतोने नया मन्त्रिमण्डल सङ्गठित तो किया पर उसमें उन्हें समय बहुत लगा और कठिनाई भी भेलनी पड़ी, क्योंकि इतोके राजनीतिक दलका नेतृत्व ग्रहण कर लेनेसे बहुतेरे राजकर्मचारी और सरदार-सभाके सभासद् उनके विपक्षमें हो गये थे और उनका विपक्षमें होना कुछ ऐसी वैसी बात नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि मन्त्रिपद ग्रहण करनेसे पहले इतोने यामागातासे यह वचन ले लिया था कि इतोका मन्त्रिमण्डल जब यन जायगा तब यामागाताकी ओरसे उसका,

## मन्त्रिसंराज्य और राजनीतिक दल २२७

विरोध न होगा। एक ओर तो यह हुआ, और दूसरी ओर सेयुकाई (उदारमतवादी) दलकी अधिकार-लिप्सा बढ़ती जा रही थी और आपसमें मतभेद भी बड़ा तीव्र हो रहा था जिससे मन्त्रिमण्डल सङ्गठित करनेमें इतोको बड़ी कठिनाई हुई।

मन्त्रिमण्डलमें तीनको छोड़ वाकी लब सभासद सेयुकाई दलके थे। उस समय प्रतिनिधि-सभाके ३०० सभासदोंमेंसे १५६ सेयुकाई दलके ही थे। इनके अतिरिक्त मन्त्रिमण्डलके पक्षके और भी कई लोग थे। इसलिए परिषद्के सचिव अधिवेशनको (जो १० चैन संवत् १९५८ या तातो २४ मार्च १९०१ को शरम्भ हुआ था) विशेष कठिनाई के बिना इतो नियाह ले गये।

परन्तु इतोके मन्त्रिमण्डलको सरदार-सभासे बहुत भगड़ना पड़ा। सरदार-सभाने सरकारको तज़ करनेके लिए बड़टमें बहुत काटड्याँट की। इतोने सब्राट्का सूचनापत्र निकालकर इस मुस्तिहतसे फुरसत तो पा ली पर इससे मन्त्रिमण्डलका बल बहुत कुछ घट गया। सब भगड़ेकी असल जड़ तो यह थी कि इतोने जो राजनीतिक दलसे सम्बन्ध कर लिया था सो सरदार-सभाके पुराणप्रिय सभासदों और शासकवर्गके हिमायतियोंको बहुत खटक रहा था, और होशी-तोरुको मन्त्रिपद मिलनेसे वे और भी चिढ़ गये थे। होशी-तोरुसे उनका व्यक्तिगत द्वेष तो था ही पर इसके साथ ही कुछ राजनीतिक कारण भी थे। यही होशीतोरु कुछ काल बहते प्रतिनिधि-सभाके सभापति थे और फिर वहाँसे निकाले गये। इनका चरित्र निष्कलङ्घ नहीं था न उनकी कार्यवाही सदा नीतियुक्त होती थी। वडे रोषदार और वडे भारी दमाग़-के श्रादमी थे और उन्होंने यह समझ रखा था कि यदि नीति-

## ३८८ जापानकी राजनैतिक प्रगति

से काम लिया जायगा तो सभाको दबा डालना कोई बड़ा काम नहीं है। इसलिए वे सदा वेउसूल, उचितानुचितका विचार क्षोड़, कुटिल नीतिका आश्रय लिया करते थे। इनकी इस कार्यवाहीसे मन्त्रिमण्डलपर हमला करनेके लिए सरदार-सभाको अच्छा अवसर हाथ लगा।

परिपद्मका पन्द्रहवाँ अधिवेशन आरम्भ होनेके पूर्व सरदार-सभाके छहों दल एक हो गये और उन्होंने होशीतोरुकी ख्वर लेनेका निश्चय किया। जो जो लोग मन्त्रिमण्डलके विरोधी थे वे सब भी होशीतोरुकी निन्दा करने लगे। अन्तको होशीतोरुको अधिवेशन आरम्भ होनेके एक दिन पूर्व ही इस्तीफा देना पड़ा। जब अधिवेशन आरम्भ हुआ, ये छः दल तब भी सरकारकी निन्दा कर ही रहे थे और उन्होंने व्यवस्थापनके कार्यमें विलम्ब करके मन्त्रिमण्डलको परेशान भी कर डाला।

वाहरसे तो इतो मन्त्रिमण्डलपर यह आफूत थी, पर भीतरकी आफूत भी कुछ कम न थी। सेयुकाई दलसे जो पाँच मन्त्री चुने गये थे वे सब अर्थमन्त्रीके कार्यसे असन्तुष्ट थे, यद्यपि इतोको ही सम्मतिसे उनका कार्य होता था। मन्त्रीयोंका यह कहना था कि या तो इस अर्थमन्त्रीको निकाल दो या हमारे त्यागपत्र स्वीकार करो। इतोने सोचा कि इस भगड़ेसे धाज़ आये और उन्होंने स्वयं ही पदत्याग किया—मन्त्रिमण्डलमें किसीसे कुछ कहा सुना भी नहीं। इससे इस दूसरे दलमूलक मन्त्रिमण्डलका भी इतना जल्द अन्त हो गया।

इस प्रकारसे धड़वन्दीका शासकमण्डल स्थापित करनेका दूसरा प्रयत्न भी विफल हुआ। इतो एक बहुत बड़े अनुभवी

## मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३२६

शासक थे, उन्होंने काम वहुत किया था, परन्तु पार्लमेंटके एक सभासदकी हैसियतसे वे कुछ कर न सके, वे लोगोंको अपने कावूमें रखना जानते थे और देशका शासन भी आकेले अच्छी तरह कर सकते थे, पर दलवद्ध राजनीतिज्ञकी हैसियतसे शासन करनेका उन्हें अनुभव नहीं था और अपने ही दलके परस्पर-विरोधी पुरुषोंको एकत्र किये रहनेकी कला उन्हें अवगत न थी। जो इतो 'आप करे सो कायदा' की नीतिसे शासन करनेके अभ्यासी थे उनके लिए अपने दलके परस्पर-विरुद्ध मतोंका मेल करानेमें समय देना भी एक बड़ी भारी मुसीबत थी। इसलिए उनका दलमूलक शासनपद्धति निर्माण करनेका प्रयत्न विफल हुआ।

इतोका त्यागपत्र पाकर सप्ताहने पुराने लोगोंका—मार-किस यामागाता, मारकिस सायगो, काउराट इनोयी और काउराट मात्सुकाताको—बुलाकर इस बातकी सलाह पूछी कि अब कौन प्रधान मन्त्री होने योग्य है। इस सभाके कई अधिवेशन हुए और इन लोगोंकी यह राय हुई कि इतोको छोड़कर और कोई पुरुप ऐसा नहीं है जो इस कामको कर सके, क्योंकि इतो सेयुकाई दलके नेता थे जिससे प्रतिनिधि-सभामें अब भी उनका मताधिक्य था। इसलिए सप्ताहने इतोसे अपने निश्चयपर पुनर्वार विचार करनेके लिए कहा। परन्तु इसका कोई फल नहीं हुआ। तब एक महीने बाद यह निश्चय हुआ कि "बड़े लोग" तो अब राजनीतिक क्षेत्रसे हट जायें और नवयुवकोंको ही काम करने दें\*। तदनुसार सप्ताहने बाइ-काउराट कस्तूराको बुला भेजा।

\* इसी बीच पिंडी कीनिलके प्रेसिडेंट मारकिस सायोन्नी एक महानेतक प्रधान मन्त्रीका काम करते थे।

## ३३० जापानकी राजनीतिक प्रगति

१६ ज्येष्ठ संवत् १८५८ (तारीख २ जून १९०१) को नवीन मन्त्रिमण्डल बना जिसमें प्रधान मन्त्री वाइकाउराव कस्तूरा हुए। इस मन्त्रिमण्डलमें किसी राजनीतिक दलका कोई प्रतिनिधि नहीं था, यह एक प्रकारसे क्रान्तिकारक मण्डल ही था, परन्तु इसमें एक बात नवीन हुई। अबतक प्रत्येक मन्त्रिमण्डलका (ओकुमा-इतागाकी-मन्त्रिमण्डलको छोड़कर) अधिनायक कोई न कोई पुराने शासकवर्गमेंसे हुआ करता था। पर इस मन्त्रिमण्डलमें यह बात नहीं हुई।

कस्तूरा यामागाताकी मण्डलीमेंसे थे और उनके मन्त्रिमण्डलमें राजनीतिक दलका कोई पुरुष न आने पाया था। परन्तु मुश्किल तो यह थी कि वे प्रतिनिधि सभाका शासन कैसे करेंगे। उन्हें एक बड़ा भारी सुवीता यह था कि इस समय राजनीतिक दलोंकी नीति बदल गयी थी। बहुतसे सभासदोंको अपने अनुभवसे यह विश्वास हो चुका था कि, “सर्वशक्तिमान सरकार” के साथ अपने सिद्धान्तपर लड़नेसे कुछ फ़ायदा न होगा, उलटी हानि ही होगी। प्रागतिक दल प्रत्येक मन्त्रिमण्डलसे अपने सिद्धान्तके लिए लड़ा था पर उससे न कुछ लाभ हुआ न उसे लोकप्रियता ही प्राप्त हुई।

उदारमतवादियोंने तो इससे बहुत पहले ही, सिद्धान्तके लिए लड़ना छोड़ दिया था और शासकोंसे जिस प्रकार हो भला हुया सम्बन्ध रखनेकी नीति खीकार की थी। वालपोल-जी सी सी कुटिल नीतिका आथ्रय लेनेमें उन्हें कुछ भी आपत्ति न होती थी और इस तरह उनकी संख्या भी बहुत बढ़ गई थी। यह सब देखकर प्रागतिकोंने भी अपनी आजतककी सिद्धान्त-लड़ाई बन्द करके कस्तूरा मन्त्रिमण्डलसे मिलनेका उद्योग किया। उदारमतवादियोंने भी यह जानते हुए कि, कस्तूराका

## मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३३६

मन्त्रिमण्डल इतोके मन्त्रिमण्डल का सर्वथा विपरीत परिक है, कस्तूराका विरोध नहीं किया और उससे मिले रहनेमें ही अपना भला समझा। इतोने अवश्य ही उन्हें यह तस्वीर दे रखी थी कि चाहे कोई मन्त्रिमण्डल हो, वे दलका अहित न होने देंगे।

कस्तूराने “समान आदर और समान अधिकार” को अपना सिद्धान्त माना और ऐसा उद्योग करना चाहा कि कोई दल असन्तुष्ट न हो। वे दोनों सभाओंके सभासदोंको अपने घर पर बुलाकर परस्पर—हितेच्छा प्रकट करनेका औका निकालते थे। इस नीतिसे उन्होंने परिपूर्ण सोलहवाँ अधिवेशन २४ मार्गशीर्ष संवत् १९५० (ता० १०, दिसम्बर १९०९ से ६ मार्च १९०२) से २५ फाल्गुन १९५१ तक निर्विज्ञतापूर्वक नियाहा।

पर सबको प्रसन्न करना किसीको भी प्रसन्न न करनेके दरावर होता है। इसपनीतिके बूढ़े आदमी और गधेकी कहानी यही सिखलाती है कि जो मनुष्य सबको प्रसन्न करनेकी चेष्टा करता है वह किसीको प्रसन्न नहीं कर सकता। कस्तूराके मन्त्रिमण्डलसे भी प्रतिनिधि-सभाके किसी दलको प्रसन्नता नहीं हुई। १७वें अधिवेशनमें जो सेयुकाई और केनसीहान्तो (प्रागतिक) दोनों दलोंने मिलकर अर्थनीतिके सम्बन्धमें सरकारको आड़े हाथों लिया, और उसके सबसे महत्वपूर्ण करवृद्धि सम्बन्धी विलको अधिवेशनारम्भमें ही अखीकार करा दिया। अधिवेशनको अभी २८ दिन भी नहीं बीते थे कि सभा भङ्ग कर दी गई।

मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दलोंमें जो यह भगड़ा चल रहा था इसमें सबसे मार्केंकी बात यह थी कि मन्त्रिमण्डलका

## ३३२ जापानकी राजनीतिक प्रगति

चिरोध करनेमें इतो ही सबके अगुआ हुए थे। इस अधिवेशन-से पहले इतोने यामागाता तथा प्रधान मन्त्री कस्तूरासे मिल-कर अर्थनीतिके सम्बन्धमें उन्हें बहुत कुछ समझाया था<sup>५</sup>। परन्तु उनकी सम्मतिका फोई ख्याल ही नहीं किया गया। इसलिए उन्होंने प्रागतिकोंके नेता ओकुमासे सरकारकी अर्थ-नीतिके सम्बन्धमें वातचीत शुरू की। अब दोनों दल कस्तूरा मन्त्रिमण्डलका विरोध करनेके लिए फिर एक हो गये। अर्थात् सभा भी भङ्ग हो गयी।

अब यह सोचना चाहिए कि इतोने क्या समझकर इस मार्गका अवलम्बन किया? उनका असली मतलब क्या था? क्या वह यह समझते थे कि दोनों दलोंके एक होकर विरोध करनेसे उनके राजनीतिक विचारोंकी विजय होगी? यदि हाँ, तो कैसे? मन्त्रिमण्डलको अपने विचारोंपर आनेके लिए धार्य करके, या मन्त्रिमण्डलसे पदत्याग करा के? अब तक किसी मन्त्रिमण्डलने किसी राजनीतिक दलकी माँगको पूरी तौरसे पूरा नहीं किया था और न सभाको पहले भङ्ग किये

\* महाराज सप्तम पटवर्टके राज्याभिषेकोत्सवपर जापानकी ओरसे इतो ही गये थे और अभी वर्षोंसे लौटे थे। १६ वें अधिवेशनमें वे शरीक नहीं हुए थे।

<sup>†</sup> इतोसे बातचीत ऐ चुकनेके दूसरे ही दिन याने (१८ मार्चीप्र सं० १९५६ को) ओकुमाने केनसीएन्टोकी सापारण सापारण सभामें कहा, “मुनः स्थापना-कालके पुराने और दरवारके प्रिय राजनीतिक जीवनके ३५ वर्ष विता चुकनेके बाद, मन्त्रिमण्डलसे मतविरोध दोनेके कारण सर्वसाधारणकी सम्मतिके प्रार्थी हुए हैं और लोक-पक्षकी ओर आ गये हैं। असतक जो लोग सरकारकी नीतिका विरोध करते थे उन्हें बुध लोग राजद्रोही ही क्या देशद्रोही और समाटके द्रोही कहा करते थे। अब इनोंको चे क्या समझेंगे? क्या यह कहनेकी दिन्मत वे रखते हैं कि, इतो अगर सरकारद्वारा नीतिका विरोध कर रहे हैं तो वे भी देशद्रोही हैं?”

## मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३३

विवा पदत्याग ही किया था। जो मन्त्रिमण्डल राजनीतिक दलोंसे स्वाधीन है वह पहले तो प्रतिनिधि-सभाके उस दल-से मेल करनेका उद्योग करता है जिसका कि सभामें भताधिक्षय है और मेल करके अपने प्रस्तावोंको स्वीकार करा लेता है, यदि यह न हुआ तो दबाव डालने तथा साम, दाम, दगड़ और भेद इन सबसे काम लेनेका प्रश्न किया जाता है। इससे भी जब कुछ नहीं होता तब सभा स्थगित अथवा भङ्ग की जाती है। इतों तो इन सब बातोंको जल्द जानते रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ही मन्त्रिपदपर रहते हुए इन उपायोंका व्यवहारन किया था। क्या वह यह जानकर भी नहीं जानते थे कि उदारसत्तवादी तथा प्रागतिक इन दोनों दलोंके एक होकर सरकारका विरोध करनेमें उसका परिणाम सभाके भङ्ग होनेहीमें होगा? निःसन्देह उस समय इतों सबसे बड़े राजनीतिज्ञ और प्रभावशाली पुरुष थे, और सचाईका भी उनपर पूर्ण विश्वास था। इसके साथ ही वह केवल सेयुक्वार्ड दलके ही नेता न थे प्रत्युत अब दो दलोंके एक ही जानेसे केनसी-हान्तों दल भी उन्हींकी आळाके अधीन था। इसलिए शायद उन्होंने यह जोचा होगा कि कस्तूरा मन्त्रिमण्डल पदत्याग करके राज्यकी सुहर हमारे हवाले कर देगा। यदि सचमुच ही उनका यह च्याल था तो यह गलती थी। कस्तूराने पदत्याग नहीं किया, सभादीको भङ्ग किया। परिणामके द्वेष अधिवेशनमें २६ वैशाख संवत् १९६० से २२ जेठ तक (१२ मई १९०३ ते ५ जून तक) इतोंको पक्षका अर्थात् सेयुक्वार्ड दलका ही भताधिक्षय था तथापि इतोंको अर्थसम्बन्धी सरकारकी नीतिके सम्बन्धमें मन्त्रिमण्डलसे मेल करनेके लिए ही वाध्य होना पड़ा, यथापि उस नीतिसे उसके अनुयायी अस-

## ३३४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

न्तु थे\*। सच तो यह है कि इस मौकेपर इतो और उनके दलको कस्तूरा मन्त्रिमण्डलसे हार ही माननी पड़ी।

इतोकी इस हारसे एक यह बात प्रत्यक्ष हो जाती है, कि जापानकी वर्तमान शासनप्रणालीके रहते हुए, चाहे कोई भी लोकारका विरोध करे, उसके कुछ भी राजनीतिक विचार हों, उसके पक्षमें चाहे कितना ही बड़ा मताधिक्य हो, जबतक मन्त्रिमण्डल अपने कार्यके लिए प्रतिनिधि-सभाके सामने अर्थात् सर्वसाधारणके सामने उत्तरदादायी नहीं है—लोक-तन्त्रसे स्वाधीन है—तबतक कोई नेता उसका बाल भी बाँका नहीं कर सकता।

२८ अप्रैल ( १२ जुलाई ) को इतोने एक सेयुक्यार्ड दलसे सम्बन्ध त्याग दिया और प्रिवीकौन्सिलके अध्यक्षका पद ग्रहण किया। इस शाकसिक सम्बन्ध त्यागका बया कारण हुआ, इतो राजनीतिक दलका नेतृत्व न निवाह सके या और कुछ कारण हुआ, यह बतलाना बड़ा कठिन है। कुछ लोगोंने कहा कि इतोको पार्लमेंटके राजकारणसे हटा देनेके लिए कस्तूराकी यह एक चाल थी, और कुछ लोगोंकी यह भी राय

\* सेयुक्यार्ड दलकी २४ वैशाख सं० (१९६० ता० ७ मई १९०३) की साधारण-सभामें इतोने कहा था, “सभा भझ होनेपर मैंने पुनवार विचार किया (सरकारकी छर्ट-५ सम्बन्धी नीतिपर) और मुझे मालूम हुआ कि मैंने नलूती को है। और प्रतिनिधि-सभासे और मन्त्रिमण्डलसे मेल न रहना भी देशका बड़ा भारी दुर्भाग्य है।” “मालूम होता है, तुम सभासद ऐसे हैं जो कहते हैं कि दो या तीन दार भी यदि लगातार सभा भझ दो तो कोई परवा नहीं। परन्तु जबतक आप लोग मुझे अपना नेता मानते हैं तबतक मैं ऐसे दुर्भाग्यकी सह नहीं सकता, और इसलिए, आप चाहे सहमत भी न हों तो भी, उसे मिटानेके लिए प्रयत्न करना मेरा फर्तच्य है।” मालूम होता है, इस सभासे पहले मेल-के सम्बन्धमें इतो और कस्तूराकी बातचौत हो चुकी थी।

## मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दृष्टि ३३५

यी कि इतो स्वयं ही मन्त्रिमण्डलमें आना और सेयुक्वार्ड दलसे अपना पिण्ड छुड़ाना चाहते थे। जो हो, इसमें सचेत नहीं कि परिपद्वके दो अधिवेशनमें कस्तूरा से उन्हें हारना पड़ा, यद्यपि प्रतिनिधि-सभामें उनका बहुमत वर्तमान था। यह भी सही है कि सेयुक्वार्ड दलके नेता होकर इन्होंने कोई प्रशंसनीय कार्य नहीं कर दिखलाया। अट्टारहवें और उप्रीस्तवें अधिवेशनके बीचमें कर्द लोग इतोफी हुक्मतके साथ काम करनेकी नीति तथा अट्टारहवें अधिवेशनके रियायतीपनसे अस-न्युए होकर सेयुक्वार्ड दलको छोड़ गये। सचमुच ही दलके १९६३ सभासदोंमें से अब १२८ ही रह गये थे, अतएव इनका मताधिक भी जाता रहा।

उप्रीस्तवें अधिवेशनके पूर्व उदारमतवादी और प्रागतिक दोनोंने मिलकर मन्त्रिमण्डलका विरोध करनेका नियम फर लिया था। पर अधिवेशन आरम्भ होनेके दूसरे ही दिन उसका अन्त हुआ; पर्याप्तकि अध्यक्षने सज्जाद़की आरम्भिक चक्कताके उत्तरमें केवल व्यावहारिक भाषण करनेके बजाय ऐसी ऐसी बातें भी कह दी थीं कि जिनसे मन्त्रिमण्डलपर आक्रम होते थे। इसलिए सभा भङ्ग हो गयी।

- अख्यक्षके इस कार्यकी निन्दा तो सबोंने की पर उनके चहेश्यकी प्रशंसा ही हुई। इसलिए इस बातकी बहुत सम्भावना थी कि इसके बादके अधिवेशनमें दोनों दल मिल कर मन्त्रिमण्डलका फिर विरोध करें। परन्तु २८ माघ (१० फरवरी)को कलक्षे साथ युद्धघोषणा हुई। इससे कस्तूरा मन्त्रिमण्डल विरोधसे बचा रहा। इसके बाद दो और अधिवेशन हुए जब युद्ध जारी था और इसलिए प्रतिनिधि-सभासे

महत्त्वके विल पास करा लेनेमें मन्त्रिमण्डलको कुछ भी कठिनाई नहीं हुई ।

सं० १९६२ में रुस से पोर्ट्समाउथमें सन्धि हुई और पुनः शान्ति विराजने लगी । तब फिर भीतरी शासनचक्र अपने हरे पर चला । सरकारकी आर्थिक नीति, सन्धिकी शर्तें, समाचारपत्रोंकी लेखनस्वतन्त्रतामें रुकावट आदि बातोंसे उस समय कस्तूरा मन्त्रिमण्डलके विरुद्ध बड़ी उत्तेजना फैल रही थी । कस्तूराने सब रङ्ग ढङ्ग देखकर वाइसवै अधिवेशनका (१३ पौष सं० १९६२ से १४ चैत्रतक अर्थात् २८ दिसम्बर १९०५ से २८ मार्चतक) आरम्भ होनेके बाद ही पद त्याग किया ।

२२ पौष सं० १९६३ जनवरी १९०६को मारकिस सायोज्जी प्रधान मन्त्री हुए और नया मन्त्रिमण्डल बना । ये मारकिस सायोज्जी इतोंके बादसे सेयुकाई दलके नेताथे । लोगोंका ऐसा ल्याल था कि कस्तूराने इस शर्तपर राज्य भार सायोज्जीके सुपुर्द किया था कि सायोज्जी कस्तूरा मन्त्रिमण्डलकी नीतिसे ही काम करें और पूर्व मन्त्रिमण्डलके समय जो अधिकारी थे उनको अपनी जगह पर रहने दें । इसमें सन्देह नहीं कि सायोज्जीने सचाईके साथ कस्तूरा मन्त्रिमण्डलकी नीतिका पालन किया और उन्हींका अनुसरण भी किया । वे सेयुकाई दलके नेता तो थे पर उनकी यह इच्छा नहीं थी कि वे दल-भूलक मन्त्रिमण्डल कायम करें । तथापि सायोज्जोका सारा दारोमदार सेयुकाई दलपर ही था । और इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि सं० १९६३ के पौष से आपाहू १९०५ तक जो तीन अधिवेशन हुए उन्हें सेयुकाई दलकी बदौलत ही सायोज्जी निवाह ले गये ।

## लन्त्रिमणडल और राजनीतिक दल ३३७

इसके उपरान्त सायोज्जीने पद्धत्याग किया और फिरसे कस्तूरा मध्यान मन्दी हुए। सायोज्जीके पद्धत्याग करनेका द्वा कारण हुआ सो समझना आसान नहीं है। उनके पद्धत्याग इरनेसे दो महीने पहले जो साधारण निर्दाचन हुआ था उसमें सेयुक्सार्ड दलका ही मताधिष्ठ रहा। फिर भी सायोज्जीने पद्धत्याग किया। उन्होंने सेयुक्सार्ड दलके सभालदोंले भी कुछ नहीं कहा तुना जिन्होंने कि दो वर्षतक इनका साथ दिया था। सर्वसाधारणमें उन्होंने अपने पद्धत्यागका कारण अस्वास्थ्य बतलाया। यह भी जापानके भाइनरी शान्तदृष्टिको विप्रमता है।

उन्नु इससे भी अधिक आश्चर्यकी बात यह है कि जिस सेयुक्सार्ड दलने अवतक अपने नेताके कारण सायोज्जी मन्त्रिमणडलका भी ८५ वें अधिकारेशनमें विना आपत्ति किये साथ दिया। यह भी कहा गया है कि सायोज्जी और कस्तूराके बीच यह बात तै हो चुकी थी कि जब सायोज्जी पद्धत्याग करें तो पद्धत्याग करनेपर वे कस्तूराकी पूरी मद्दद करें। यह अफवाह कहाँतक ढीक है सो इश्वर जाने। पर ८ माघ संवत् १९५९ (ना० २१ जनवरी १९०८)को सेयुक्सार्ड दलकी सभामें मार्किस सायोज्जीकी जो वक्ता हुई थी उससे कुछ अनुमान किया जा सकता है। उन्होंने बताया—“गत जुलाई मासमें जब मैंने इस्तीफा दिया था तो मैंने स्क्रिप्ट्स मार्किस कस्तूराकी सिफारिश की थी द्योकि उनसे दोन्यु पुरुष और कोई नहीं था। और सबाद्दने उन्हींको नियुक्त किया है उनके कर्तव्यपालनमें खुले दिलसे यथार्थकि उनकी सहायता करना चाहता हूँ और मुझे आशा है कि मन्त्रिमणडलसे आप भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे।”

## ६४८ जापानकी राजनैतिक प्रगति

सेयुकाई दलने विना किसी आपत्ति के मन्त्रिमण्डलका साथ दिया।

इस घटनासे यह प्रश्न सामने आही जाता है कि सेयुकाई दल अपने नेता मारकिस सायांजोके और साथ ही कस्तूराके हाथकी कठपुतली क्यों दन गया जब कि कस्तूराका उससे कोई सम्बन्ध भी नहीं था। इसका कारण समझना बहुत कठिन नहीं है। प्रतिनिधि-सभामें सेयुकाई दलका मताधिक्य था। अब सोचिये कि कस्तूरा मन्त्रिमण्डलका विरोध करके वह कर ही क्या लेता? यह तो सन्देह रहित वात है कि उसके विरोध करनेसे उसके सिद्धान्तोंके अनुसार कार्य न होता, होता यही कि सभा भङ्ग हो जाती। सभा भङ्ग होनेका यह मतलब है कि प्रत्येक सभासदके सिर कुछ न कुछ खर्च आ पड़े क्योंकि इसके दिन नया निर्वाचन कैसे होता। इसके अतिरिक्त यह भी तो निश्चय नहीं था कि नये निर्वाचनमें सेयुकाई दलका ही मताधिक्य रहेगा। इनका मताधिक्य न होता तो कस्तूरा मन्त्रिमण्डल अन्य दलोंको मिलानेका प्रयत्न करता। जब किसी एक ही दलका मताधिक्य नहीं है तब सरकार नाना प्रकारके छलकपट और लोभमोहसे काम लिया करती है। ऐसी अवस्थामें सेयुकाई दलके मन्त्रिमण्डलके अनुकूल बने रहनेसे उसका भी कुछ लाभ होता ही था। इसके अतिरिक्त यह भी तो आशा थी कि मन्त्रिमण्डलके अनुकूल बने रहनेसे, कस्तूरा जब मन्त्रिपद छोड़ देंगे तो हमें साथोंकीके ही सुपुर्द करेंगे।

यहाँतक जापानके २० वर्षके सङ्गठनात्मक शासन कालके भिन्न भिन्न मन्त्रिमण्डलों और राजनीतिक दलोंका संक्षिप्त इतिहास हुआ। इससे यह प्रकट हो गया कि जापानमें जितने

## मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३२६

नये कानून बनते हैं उन्हें सभाकी बहुसम्मति मन्त्रिमण्डल बनाता है और वह मन्त्रिमण्डल परिषद्से सर्वथा स्वतन्त्र है। यह सम्मति कभी सभासदोंकी अपनी इच्छासे भी प्राप्त होती है, परन्तु प्रायः ज़बर्दस्तीसे ही प्राप्त की जाती है अर्थात् सभा स्थगित करने या भङ्ग कर देनेकी धमकीसे या तरह तरहके दबाव और दुर्व्यवहारसे।

अतएव जापानमें किसी राजनीतिक दलका 'कोई वँधा हुआ कार्यक्रम नहीं होता। कार्यक्रम वाँधनेसे लाभ भी कुछ नहीं, क्योंकि वहमतके रहते हुए भी उसका उपयोग कुछ नहीं होता। उसी प्रकार मन्त्रिमण्डल भी सर्वसाधारणके सामने कोई निश्चित कार्यक्रम उपस्थित नहीं करता। कारण, मन्त्रिमण्डलका कार्यक्रम भी कहाँतक कार्यान्वित होगा इसका निश्चय नहीं हो सकता। क्योंकि, यह बात सभाको अपने कावूमें रख सकनेपर निर्भर करती है। मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल विशेषके बीच कोई समझौता हुआ हो तबकी बात छोड़कर प्रायः तो राजनीतिक दल मन्त्रिमण्डलका विरोध ही करते हैं, इस आशासे नहीं कि उनकी नीतिका अनुसरण किया जायगा, विक केवल इसलिए कि सरकारको तङ्ग करनेसे सरकार कुछ ले देकर खेड़ा दूर करेगी।

ऐसी तो अवस्था ही नहीं है कि राजनीतिक दलोंके सामने कोई निश्चित कार्य या उद्देश्य हो सके, इसलिए उनका सङ्गठन बहुधा सिद्धान्त विशेषपर नहीं प्रत्युत व्यक्तिगत भावोंपर हुआ करता है। ऐसे दल अधिक कालतक रह भी नहीं सकते और इड़तापूर्वक कार्य भी नहीं कर सकते। वारम्बार “उत्पद्यन्ते विलीयन्ते” ही होता रहता है, यहाँतक कि प्रत्येक अधिवेशनमें कुछ नये दल दिखायी देते हैं और कुछ

## ३४० जापानकी राजनीतिक प्रगति

पुराने दल गायब हो जाते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि जापानके भीतरी राजशासनकी अवस्था अच्छी नहीं है। जापानियोंका यह कर्तव्य है कि वे भूमीरताके साथ इस अवस्थापर विचार करें और सोचें कि लोगोंकी राजनीतिक नीतिमत्ताकी अनुबन्ध अवस्थासे ऐसा हो रहा है या सङ्घठन-की कार्यप्रणालीमें ही कुछ दोष छिपे हुए हैं।

### दालकी एक घटना

यह घटना निचो-जिकेन या चीनी (खाँड) के कारखानों-के कलहसे सम्बन्ध रखती है। इसके सम्बन्धमें टोकिओके संबाददाता ने 'टाइस्स' पत्रको जो लिख कर भेजा था वही नीचे उन्हें किया जाता है क्योंकि उससे जापानके भीतरी राजशासनकी कई बातों पर प्रकाश पड़ता है।

"जापानके न्यायालयोंने अभी एक ऐसे मामलेका फैसला किया है जिसकी ओर समस्त देशकी आँखें लगी हुई थीं। जापानमें इसकी जोड़का दूसरा मामला आजतक नहीं हुआ है जिसपर लोगोंका इतना ध्यान आकृष्ट हुआ हो। तीन वर्ष हुए, अर्थात् रूस-जापानके युद्धके बाद ही जापानके कई चीनीके कारखानोंने मिलकर १ करोड़ ८० लाख रुपयेकी पूँजीसे "ग्रेट जापान शुगर कम्पनी" के नामसे एक बड़ी भारी कम्पनी स्थापित करने शुरू किया। अब तक ब्रिटिश कोठीघालोंके हाङ्काङ्स्थ दो चीनीके कारखानोंका माल ही बहुधा जापान-के बाजारमें आया करता था। इस बाहरी प्रतिस्पर्धाका अन्त जर देनेकी उन्हें पूर्ण आशा थी और इसीलिए यह ग्रेट जापान

## मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३४१

कम्पनी स्थापित हुई, जिससे सर्वसाधारणको भी बड़ी प्रसंगता हुई। उसकी आरम्भिक कार्यवाही भी ऐसी हुई थी कि जिससे उसके सङ्कल्पके पूरे होनेमें सन्देह होनेका कोई कारण न रहा, क्योंकि १७ अप्रैल सं० १९६३ (ता० १ जुलाई १९०६) से १६ पौष सं० १९६५ (३१ दिसम्बर १९०८) तक इसने अपने शेयर होल्डरोंको छुमाही यथाक्रम ६४%, २०%, १७% और १५% (दो बार) लाभ दिया था। यह लाभ कुछ कम नहीं था, परन्तु वह ६४% से उत्तर कर थीरे थीरे १५% तक आ पहुँचा था। एक बात तो यह हुई, और दूसरी बात यह कि यह अफवाह भी गरम हो रही थी—जिसका खुलासा भी कम्पनीने अच्छी तरहसे नहीं किया—कि अन्तिम दो बार जो लाभांश दिया गया वह महसूलघर (शुल्कागार) बातोंको धोखा देकर बचाये हुए रूपयेसे दिया गया। इन बातोंसे कम्पनीपरसे लोगोंका विश्वास हट चला और १९६४ के चसन्ततक कम्पनीके ५ पाउण्डबातें शेयरकी दर ७ पाउण्ड १० शिलिङ्गके ऊपर कभी न गया।

“तब एक विपद्ध आ पड़ी। जिस बङ्गने कम्पनीको बहुत सा रुपया दे रखा था वह बङ्ग बड़ी मुसीबतमें पड़ गया और उसके लेनदारोंने जो तहकीकात और पूछताँच शुरू की उससे चड़े चड़े गुल खिले। सच पूछिये तो कम्पनीका दिवाला ही निकल चुका था। शुल्कागारको उससे ६० लाख रुपया लेना था, इसके अतिरिक्त और जहाँसे कर्ज़ी लिया गया था वह सब उतना ही हो गया था जितनी कि उसकी पूँजी थी। उसके कई डाइरेक्टरोंने कम्पनीके शेयरके रूपयेसे सट्टेवाजी शुरू कर दी थी, जो लाभ होता था। वह तो स्वयं लेते थे और हानि होती थी उसे कम्पनीके सिर मढ़ते थे। इन सब बातोंके

## ३४२ जापानकी राजनैतिक प्रगति

खुलनेसे बड़ी खलबली पड़ गयी। और दूसरे कारखानों पर भी सन्देह बढ़ने लगा और हिसाब जाँचनेकी पद्धतिका आम्ल सुधार करनेकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी। शेयरका घाज़ार जो आभी एक आतङ्कसे निकलकर बाहर आ रहा था, फिर मन्दा पड़ गया, अफवाहोंका बाज़ार गरम होने लगा।

“इससे भी एक और भयङ्कर बात थी। यह पता चला कि कम्पनीके वैईमान डाइरेक्टर प्रतिनिधि-सभाके कुछ सभासदोंको भी शूस देकर अपने गुटमें मिला रहे थे। और एक दिन प्रातः तोकिओके नागरिकोंने यह भी सुना कि कई प्रमुख राजनीतिज्ञ (मुत्सदी) गिरफ्तार किये गये हैं और उनके मकानोंकी खूब सखीसे तलाशी ली गयी है। कई दिन तक यह क्रम जारी रहा, यहाँतक कि प्रतिनिधि-सभाके वर्तमान और भूत मिलाकर २४ सभासद हवालातमें बन्द किये गये। दो बार कम्पनीके डाइरेक्टरोंने रिश्वतें देकर प्रतिनिधि-सभासे अपना काम निकाला था। पहली बार तो २३ वें अधिवेशनमें, जब कि सरकारने चीनीकी रफ़्नी बढ़ानेके लिए कर कम करनेके सम्बन्धमें एक विल पेश किया था। सभामें बहुमतसे यह विल पास हुआ और शूसखोरीसे काम न भी लिया जाता तो भी यह विल पास हो जाता। दूसरी बार २४ वें अधिवेशन (सं० १९६४)में। उस समय डाइरेक्टरोंको अपना सर्वनाश दिखायी दे रहा था और सब उद्योग करके जब हार गये तब उन्होंने सरकारसे यह आग्रह कराया कि सरकारने जिस तरह आवकारी और कपूरके कारखाने अपने हाथमें रखे हैं उसी तरह चीनीका भी छजारा लेले। डाइरेक्टर सीधे अधिकारियोंके पास नहीं गये। वे प्रतिनिधि-सभाके सभासदोंका हाथ गरम करनेसे ही अपना मतलब पूरा होनेकी आशा रखते

## सन्दिग्ध राजनीतिक दल ३४३

थे। सभासदोंने साठ हजार रुपया रिश्वतमें लिया। जापानमें यह रकम थोड़ी नहीं समझी जाती। परन्तु इस प्रत्यावकाशधिकारियोंने ऐसा विरोध किया कि सभामें उसपर विचार करनेका अवसर ही न आया। तथापि कम्पनीकी पोल तब तक नहीं खुली जबतक फुजिमोतो बङ्ग फेल न हुआ। १९६४ के वसन्तमें यह बङ्ग फेल हुआ और कम्पनीकी कलई खुलनी शुरू हुई।

“तब भी कई महीने तक पुलिसका हाथ आगे नहीं बढ़ा था, लोग अधीर हो रहे थे। विलम्ब होनेका कारण यह था कि अभी प्रमाण एकत्र किये जा रहे थे। वैशाखमें धर पकड़ शुरू हुई, और एक एक करके प्रतिनिधिसभाके नये पुराने मिताकर २४ सभासद और कम्पनीके ५ डाइरेक्टर पकड़े गये। प्रत्येक राजनीतिक दलका एक न एक सभासद इसमें फँसा था। वह नहीं कह सकते कि पकड़े हुए व्यक्ति प्रथम श्रेणीके नेतृत्वर्गमेंसे थे। उन्हें दलके छोटे छोटे भागोंके नेता कह सकते हैं। इनमें एक व्यक्ति वह भी था जो कि एक बार क्षित्रोतोके प्रसिद्ध कालेजका प्रेसिडेंट था और जिसके चरित्रपर गिरफ्तार होनेके समयतक कभी कलङ्क नहीं लगा था। वह सच्चा और सन्मान्य पुरुष समझा जाता था। इसने और तीन और व्यक्तियोंने, अपना अपराध पूरा पूरा, और साफ साफ स्वीकार कर लिया, और यह आशा की जाती थी कि हनको थोड़े ही समयके लिए सादर-सादी कैदका दंड दिया जायगा—या यों कहिये कि उन्हें दंड तो दिया जायगा पर वस्तुतः वे दण्डित न किये जायेंगे।

“न्यायाधीशोंका कुछ दूसरा विचार था। २४ अभियुक्तोंमेंसे उन्होंने फेवल एकको थोड़ा और वाकी सबको तीनसे

## ३४४ जापानकी राजनैतिक प्रगति

दस महीनेतककी कैदकी सज्जा दी, सातको धरी किया गया, पर जिन तीन अभियुक्तोंके साथ सर्वसाधारणकी बहुत ही सहानुभूति थी उनमेंसे एकहीके साथ यह रियायत की गयी। सबको हुक्म हुआ, कि जितना जितना रूपया उन्होंने लिया है, सब अदालत में जमा करें। किसीके जिसमें ६ हजार था किसी के जिसमें १० हजार। डाइरेक्टरोंके बारेमें अभी फैसला नहीं हुआ। अभियुक्तोंके बकीला और समाचारपत्रोंके विचारोंमें परस्पर बहुत ही विरोध था। अभियुक्तोंकी ओरसे ७०से भी अधिक बकील थे, उन सबका प्रायः यही कहना था कि सभी अभियुक्त बड़े खान्दान के हैं और उनपर फौजदारी कानून चलनेसे उनकी बदनामी हुई है और उन्हें जो कष्ट हुआ है उसका विचार किया जाना चाहिए। वही काफ़ी सज्जा समझनी चाहिए। समाचारपत्रोंका कहना यह था कि ये बड़े खान्दानके लोग हैं और सधरित्रिताका उदाहरण दिखलानेके कर्तव्यकी इन्होंने अवहेलना की है इससे इनका अपराध और भी बढ़ गया है, इसलिए इन्हें अधिक सज्जा मिलनी चाहिए। सौभाग्यवश, न्यायालयने इस पिछले विचार पर ही आचरण किया।

“यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इस घटना से परिपद्धकी प्रतिनिधि-सभाके सार्वजनीन सम्मान और जापानी कोठियोंकी सालको बड़ा भारी धक्का पहुँचा। कोठियोंकी साख तो फिर भी बन जायगी, क्योंकि इस मामलेसे अब सनददार मुनीमीकी पद्धतिका अमेल किया जाना बहुत सम्भव है। पर प्रतिनिधि-सभाकी सत्कीर्तिमें अमिट कलङ्क लग गया। और, अब दलमूलक मन्त्रिमण्डलका विरोध करने षाले पुराणप्रिय राजनीतिशास्त्रोंका ही घोलबोला होगा, साथ ही

## मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३४५

सरदार-सभा भी राष्ट्र-हितकी रक्षा करनेवाली निष्कलङ्क सभा समझी जायगी। प्रतिनिधि-सभाके इस कलङ्ककी कालिमा कम करनेवाली कहींसे कोई बात नहीं सूझ पड़ती है, सिवाय इत्य एतिहासिक सिद्धान्तके कि, युद्धमें विजय प्राप्ति प्रायः नीतिच्युत करनेकी ओर ही भुक्ती है। परन्तु इसके लिए भी हमें यह मान लेना पड़ेगा कि यह दुश्खित्रिता हालहीकी है युद्धके पूर्वकी नहीं। परन्तु यह अनुमान भी तो पुष्ट नहीं होता है। जिस सिद्धहस्ताके साथ ये बुराइयाँ की जा रही थीं उससे और पालमेंटकी प्राणहीनता जो विगत १५ वर्षोंसे मुनी जा रही है उसकी याद करनेसे विपरीत ही अनुमान होता है यदि अवसर मिलता तो सम्भव था कि इससे पहले ही भरडा फूट जाता।”

इसमें कोई सन्देह नहीं कि पालमेंटके सभासदोंकी सत्कीर्तिमें कलङ्क लगानेके लिए पुराणप्रिय या यों कहिए कि अधिकारितन्त्रके पक्षपाती राजनीतिज्ञों और अधिकारियोंको अच्छा मसाला इससे मिलगया और उन्होंने प्रतिनिधि-सभा-को और भी दबा दिया जो अपनी निर्वलतासे आपही दब रही थी और इसी कारणसे उसपर बदनीयतीका इलजाम भी था। परन्तु इस वेईमानी, शूसखोरी या बदनीयतीकी असल जड़ क्या है? इसके लिए किसको जिम्मेदार समझा जायगा? क्या यही अधिक सम्भव नहीं है कि जो सभा अधिकारिवर्गके हाथकी एक कठपुतली मात्र है वह लोभके आक्रमणसे अपना बचाव उतनाही कर सकती जितना कि बहुमतके अनुसार ज्ञाम करा सकनेवाली सभा कर सकती है? जिस किसीको यह सन्देह हो कि ऐसा नहीं होता उसे हम सलाह देते हैं कि वह एक बार अट्टारहवीं शताब्दीके अंगरेज पालमेंटका

## ३४६ जापानकी राजनीतिक प्रगति

श्विहास देखले और संयुक्त राज्यके शासनविधानकी कार्य-प्रणाली और उसकी राजनीतिक अवस्थाका अवलोकन कर लें। डाकूर जे० पलन महाशय अपनी “अमरीकन सरकारके शासनसम्बन्धी आय” नामकी पुस्तकमें लिखते हैं कि, अमरीकन शासनकार्यमें जो कटिनाई है वह प्रजासत्ताका अतिरेक नहीं है (जैसा कि लोग समझते हैं) वहिक प्रजासत्ताकी अत्यल्पता है।” अट्टारहवीं शताब्दीमें इंग्लिस्तानकी कामन्स सभा उस दर्जेको नहीं पहुँची थी जिस दर्जेपर आज वह मौजूद है। सं० १६४५ (१६०८ ई०) के राज्यविषयके बादसे उसका अधिकार और कार्यकलाप बहुत कुछ बढ़ गया था सही; परन्तु उस समय सर्वसाधारणके सामने उसे उत्तरदायी बनानेका कोई उपाय नहीं किया गया था, कामन्स सभातक सर्वसाधारणकी पहुँच ही नहीं थी और उसके अधिवेशन बन्द कर्मरोमें हुआ करते थे। देशकी सारी शासन-सत्ता ‘कैवाल’-के सभासदोंके हाथमें थी जो कामन्स सभाके तन्त्रसे खाधीन था। इसी शासन-प्रणालीके रहते हुए लार्ड व्यूट, सर रॉबर्ट चालपोल, हेनरी पेलहम, हेनरी फॉक्स, लार्ड नॉर्थ आदि अधिकारी सभामें अपना पक्ष बढ़ानेके लिए सभासदोंको घूस दिया करते थे।

टाइम्सके संघाददाताने कहा है कि गत २५ वर्षोंसे जापान-में पार्लमेंटकी घूसखोरी सुनाई दे रही है। कसान ब्रिङ्कले जोकि जापानियोंके, विशेषतः अधिकारिवर्गके बड़े मित्र हैं, कहते हैं,—“जब मन्त्रिमण्डलसे और परिपद्धसे तीव्र विरोध होता था और परिपद्धको स्थगित करने, उठा देने या भङ्ग कर देनेसे भी जब मन्त्रिमण्डलका काम न चलता था तब अधिकारिवर्ग चालपोलके मार्गका (रिश्वत देनेका) अवलम्बन

## मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३४७

किया करता था, पर पेसी चतुराईके साथ कि किसीको कुछ पता न चले।” हमारे एक मित्र एक प्रमुख जापानी समाचा पत्रके संचाददाता हैं, उन्होंने नित्तोजिङ्कनके सम्बन्धमें मुझसे कहा,—“यदि हमारा कोई सभासद् किसी मनुष्यसे या किसी

- १ कम्पनीसे घूस लेता है तो उसे कैदकी सज्जा दी जाती है, पर यदि वह वही घूस सरकारसे लेता है तो वड़ी सावधानीके साथ उसकी रक्षा की जाती है।” कारण, मन्त्रिमण्डल यदि पैसा न करे तो अपने मतलबका कानून पास करानेके लिए वह प्रतिनिधि-सभामें अपना बहुमत कैसे कर सकता है।
- २ एक और बात इस चीनीके कारखानेके सम्बन्धमें है। पाश्चात्य देशवासियोंको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि कम्पनी-के डाइरेक्टर अपनी कम्पनीको सरकारके सुपुर्द करनेकी चेष्टा करे। पाश्चात्य देशोंमें वड़े वड़े कारखानोंके मालिक कभी सरकारको अपने कारखानोंके मालिक न बनाएँगे। परन्तु जापानमें ठीक इसके विपरीत है। इसका क्या कारण? एक तो यह कि, जापानमें सरकार हस्तक्षेप बहुत करती है जिससे स्नानगी कारखाने बढ़ने नहीं पाते, दूसरे यह कि सरकार स्नानगी कारखानोंको रूपयेसे बहुत सहायता देती है जिससे सरकारका मुँह ताकनेहीकी आदतसी लोगोंको पड़ गयी है। इसके अतिरिक्त, आवकारी, नमक और रेलवेके कारखाने-दारोंको, सरकारने जब खरीद लिया, तब उन्हें बहुत लाभ हुआ है। यही कारण है कि जापान शुगर कम्पनीके डाइरेक्टरोंने भी उसे सरकारके सुपुर्द करना चाहा। सचमुच ही जब यह अफवाह उड़ रही थी कि सरकार चीजोंके व्यवसाय-का इजारा लेनेवाली है तो कम्पनीके ७५ रु० वाले शेयरका शाम एकापक २३५ रु० तक चढ़ गया था। और सरकारने

## ३४८ जापानकी राजनैतिक प्रगति

इस कम्पनीको नहीं खरीदा तो क्या, उसकी यह इच्छा ज़रूर रहती है कि उसके बड़े बड़े कारखाने हों; क्योंकि इससे किसी क़दर स्थाई आमदनी होती है। आमदनीके स्थाई साधन जितने ही अधिक रहेंगे; प्रतिनिधि-सभासे वजट पास करा लेना उतना ही आसान होगा और साथ ही सरकारी कारखानोंके बढ़नेसे सरकारका व्यवसाय बढ़ेगा जिससे सरकारी नौकर बढ़ेंगे; और इस तरह अधिकारिवर्ग सुदृढ़ होगा।

परन्तु इससे देशकी आर्थिक दशापर क्या परिणाम पड़ता है? इस प्रश्नपर बहुत कुछ कहना है, पर यहाँ उसकी चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि वह इस विषयके बाहरकी बात है।

## चतुर्थ परिच्छेद

### निर्वाचन

मनुष्यकी युद्धप्रवृत्ति सर्वत्र एकसी ही है। दारविन मतानुयायी युद्ध प्रवृत्तिको प्रकृतिका निर्वाचन कह सकते हैं। जो हो, निर्वाचन भी युद्धका अभियान ही है। यह राजनीतिक युद्ध है जिसमें रणनीतके समान ही दाँवपेंच काममें लाये जाते हैं। मनोविकार, चित्तसंस्कार और तर्क यहाँ हद दर्जेको पहुँच जाते हैं। प्रतिपक्षीका जो दुर्बलतम अङ्ग हो, चाहे वह व्यक्तिगत हो या राजनीतिक, उसी पर वार किया जाता है; और जो जिसका सबसे मजबूत अङ्ग होता है, चाहे वह धन हो, राजनीतिक सिद्धान्त हो या व्यक्तिगत चरित्रवल हो, वह उससे अपने मित्रों व अनुयायियोंद्वारा पूरा काम लेता है। वहाँ शिष्टाचार तो मनुष्यस्वभावसे विलकुल ही जाता रहता है। जो सबसे मजबूत या सबसे लायक होगा वही बाजी मार लेगा।

निर्वाचन-युद्ध दो प्रकारका होता है—एक वह जहाँ उम्मेदवारके व्यक्तित्वके सम्बन्धमें ही झगड़ा है और दूसरा, जहाँ उम्मेदवार या उसके दलके सिद्धान्तोंपर झगड़ा है।

ब्राइस महाशय कहते हैं,—“अमरीकाके अध्यक्ष-निर्वाचनके तीव्र और दीर्घ विवादकी अपेक्षा इंग्लिस्तानके साधारण निर्वाचनसे लोगोंको राजनीतिक सिद्धान्तों और राजकारणके बलावलके सम्बन्धमें अधिक शिक्षा मिलती है। ब्रिटेनसे अमरीकाके निर्वाचक ( हवशियोंको छोड़कर ) अधिक समझ-बार होते हैं और वे राजकारणके पारिभाविक शब्दोंको ही

## ३५० जापानकी राजनीतिक प्रगति

केवल नहीं जानते बल्कि अपनी शासनप्रणालीको भी खूब समझते हैं। परन्तु ब्रिटेनमें निर्वाचनका जो विवाद होता है वह व्यक्तियोंके सम्बन्धमें नहीं बल्कि कार्यक्रमके सम्बन्धमें होता है। दोनों औरके नेताओंकी खूब कड़ी आलोचना होती है और इसी आलोचनासे लोग जानते हैं कि प्रधान मन्त्री कैसे हैं, या यदि मन्त्रिमण्डल पदचयुत हुआ हो तो भावी प्रधान मन्त्री कैसे होंगे। फिर भी उनके राजनीतिक सिद्धान्तोंका संस्कार उनपर बना ही रहता है, और निन्दा तथा प्रशंसाकी वर्षा उनपर बर्पों हो चुकती है जिससे उनके विरुद्ध श्रव न कोई गड़े मुद्देंको उखाड़ता है न नये किससे ही बनाता है। बादविवाद जो होता है वह देशकी आवश्यकताओंपर और प्रत्येक दलके प्रस्तावोंपर होता है; मन्त्रिमण्डलपर यदि आज्ञेप होते हैं तो मन्त्रियोंके व्यक्तिगत चरित्रपर नहीं बल्कि उनके सार्वजनिक कार्योंपर होते हैं। अमरीकन लोग इंग्लिस्तानके निर्वाचन देखकर कहते हैं कि हमारे यहाँके निर्वाचन-संग्रामके क्यात्यानदाताओंसे अङ्गरेज उम्मेदवारोंकी बकूताओंमें युक्ति-बुद्धि और अनुभवकी बातोंसे अधिक काम लिया जाता है और भावोहीपक आलङ्कारिक भाषणकी अपेक्षा युक्तिकी मात्रा ही अधिक होती है।

इस अन्तरका कारण क्या है? ब्रेटब्रिटेनमें राजनीतिक विवाद व्यक्तिगतकी अपेक्षा सिद्धान्तगत ही अधिक होते हैं तो इसका यह कारण हो सकता है कि, “निन्दा तथा प्रशंसाकी वर्षा उनपर बर्पों हो चुकी है जिससे उनके (पार्ल-मेंटके सभासदोंके) विरुद्ध श्रव कोई न गड़े मुद्दे उखाड़ता है न नये किससे ही बनाता है। परन्तु इससे भी बड़ा कारण, हम समझते हैं यह है कि पार्लमेंटके सभासद अपने निर्वाचकों-

से यह बादा भी कर सकते हैं कि यदि उनका बहुमत होगा तो देशके लिए वे क्या करेंगे; क्योंकि कामन्त्र समां में जिस दलका बहुमत होता है वही राज्यका कर्णधार बनता है। इसलिए निर्वाचक अपना काम देखते हैं, न कि चरित्र। परन्तु अमरीकामें अध्यक्षपद, सिनेट या कांग्रेसका उम्मेदवार अपने निर्वाचकोंसे कोई प्रतिक्षा नहीं कर सकता; क्योंकि सङ्गठन शासनविधानकी कुछ ऐसी विरोधावरोधयुक्त प्रणाली है कि पहलेसे कोई उम्मेदवार अपना कार्यक्रम निश्चित करके नहीं चला सकता। इसलिए निर्वाचनके समय राजकारणका कुछ कार्यक्रम नहीं उपस्थित रहता। अध्यक्षके निर्वाचनके समय या कांग्रेसके निर्वाचनपर सर्वसाधारणके मताधिक्यसे भावी राज्यव्यवस्थाका कुछ भी अन्दाज़ नहीं लग सकता। इससे अमरीकन बोट या मतका मूल्य ट्रेट्रिटेनके बोट या मतके मूल्यसे कम हो जाता है। अमरीकनोंकी विधिमें मतका उतना महत्व नहीं रहता। इसलिए साधारण निर्वाचक निर्वाचन कार्यक्रमोंका एक लाभदायक व्यवसाय मात्र हो जाता है। अतः निर्वाचनमें प्राण लानेके लिए और लोगोंको उत्तेजित और उत्साहित करनेके लिए व्यक्तियोंको ही प्रधानता दी जाती है, और राजनीतिक दलोंके कार्यक्रममें राजकारणका कुछ भी स्पष्ट निहेश नहीं होता; और यह बात भी तो नहीं है कि एक ही वारके निर्वाचनसे कोई राजनीतिक कार्य पूरा हो जाता हो। इसलिए अमरीकाके ईमानदार नागरिक राजकारणसम्बन्धी कार्यक्रमसे राजकर्मचारियोंके व्यक्तिगत चरित्रपर ही अधिक भरोसा रखते हैं।

अमरीकाके समान जापानमें भी राजनीतिक सिद्धान्त-

## ३५२ जापानकी राजनीतिक प्रगति

और राजकारण निर्वाचनके गौण भाग हैं। यह कोई नहीं कह सकता कि अमरीकनोंसे जापानी निर्वाचक कम समझदार हैं या उनकी कर्तव्यबुद्धि कम जागृत है। परन्तु शासनकार्यकी शिक्षा जापानमें उतनी नहीं फैली है जितनी कि अमरीकामें और इसलिए जापानमें मताधिकारकी वैसी कदर नहीं होती। अमरीकामें बोटसे उतना काम नहीं निकलता जितना कि ब्रिटेनमें; तथापि हरेक अमरीकन जानता है कि देशकी सारी राजनीतिक संस्थाएँ लोगोंके मतोंपर ही अवलम्बित हैं। इसके अतिरिक्त अमरीकनोंको इस मताधिकारका उपयोग करते हुए कई पुश्टें बीत गयीं। परन्तु जापानमें इस अधिकारका आरम्भ हुए अभी २० वर्ष हुए हैं और अवतक जापानियोंको केवल १० अधिवेशनोंका ही अनुभव हुआ है। बोटका क्या महत्व होता है इस ओर अवतक बोटरका ध्यान भी कभी नहीं दिलाया गया। इसमें सन्देह नहीं कि राजनीतिक, ग्रन्थकार और समाचारपत्र प्रायः बोटकी पवित्रता बतलाया करते हैं। पर वे बतलाते हैं, किसको? हवाको, क्योंकि बोटरकी समझमें ही यह बात नहीं आती कि उनके बोटसे राज्यकी नीतिपर क्या परिणाम होगा। निर्वाचनके समय उम्मेदवार राजकारण या अपना भावी कार्यक्रम लोगोंके सामने नहीं रखते, न कोई प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा करके उसे पूरा करनेके लिए मौका भी तो चाहिए, पर ऐसा मौका नहीं मिलता चाहे प्रतिनिधि-सभाका बहुमत भी उसके अनुकूल क्यों न हो। यद्यपि तृतीय भागके तृतीय परिच्छेदमें लिखे अनुसार प्रतिनिधि-सभाका अधिकार पहलेसे बहुत अधिक बढ़ गया है, तथापि अधिकारिवर्गके बिना वह विशेष कुछ नहीं कर सकती; क्योंकि अधिकारिवर्ग लोगोंके सामने

उत्तरदायी नहीं है। अभी बहुतसे ऐसे लोग जापान में हैं जो राष्ट्रीय परिषद्के अस्तित्वाधिकारको ठीक ठीक नहीं समझ सकते हैं। राजकर्मचारी राष्ट्रीयपरिषद्से विना कहे उन्ने राज्यका बहुतसा काम कर सकते हैं और करते भी हैं; यही नहीं बल्कि जब यह अवस्था है तब कैसे सम्भव है कि सर्व-साधारण बोट या मतके राजनीतिक महत्वको समझ ले ?

बोटरके लिए बोट पवित्र और सूल्यवान् है; और जब उसे यह मालूम हो जायगा कि राज्यकी नीतिपर और फलतः अपने हिताहितपर बोटका क्या परिणाम होता है और जब, बोटका दुरुपयोग करनेसे राज्यका भाग्य ही परिवर्त्तित हो जाता है; यह उसकी समझमें आ जायगा तब वह उसे रुपये-के बदलेमें बेच देगा। लन्दनके एक निर्वाचनक्षेत्रके एक बोटरने एक दिन हमसे कहा कि, “मैं लार्ड रॉवर्ट सेसिलके पक्षका हूँ, मैं उनकी योग्यता और सच्चरित्रताके कारण उन्हें मानता भी हूँ; पर आगामी साधारण अधिवेशनमें मैं उन्हें बोट न दे सकूँगा क्योंकि विदेशी वस्तु-शुल्क-सुधार (Tariff Reform)का पक्ष करनेकी प्रतिज्ञा वे नहीं करते। इसी निर्वाचन-क्षेत्रकी एक रॉवर्ट सेसिलने कहा था, “यदि बाल-फोर महाशयकी प्रधानतामें यूनियनिस्ट दलका मन्त्रिमण्डल हो जाय और मैं व्यापारनीतिके सम्बन्धमें सरकारका पक्ष न कर सकूँ तो मैं पदत्याग कर दूँगा और निर्वाचिकोंको इस सम्बन्धमें मत प्रकट करनेका मौका दूँगा।” इस प्रकार इंग्लैंडमें निर्वाचिक राज्यप्रवन्धके विचारसे ही बोट देते हैं और उमेदवारोंको अपने निर्वाचिकोंसे प्रणवद्ध होना पड़ता है।

जापानमें बोटर लोग बोटकी उतनी कदर नहीं करते इसका कारण यही है कि वर्तमान सम्बन्धकी कार्यप्रणालीके

## ६४४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

अनुसार वोटका प्रत्यक्ष परिणाम शासनपर कुछ भी नहीं होता। जापानमें भी उसी तरह वोटकी खरीद फरोख होती है जैसी अठारहवीं शताब्दीमें इंगिलिस्तानमें हुआ करती थी; हाँ, हतना इधर अवश्य है कि इंगिलिस्तानमें इसका वाजार जैसा गरम ठहरता था वैसा जापानमें नहीं है। यह खरीद विक्री खुल्लमखुल्ला नहीं होती क्योंकि रिश्वत देनेवाला और लेनेवाला दोनों कानूनसे सजा पाते हैं। यह कहना तो कठिन है कि यह अन्धेर कहाँतक फैला हुआ है पर देख तो सर्वत्र पड़ता है। यहाँ तक इस अन्धेर ने कदम आगे बढ़ाया है कि वोटका मूल्य निश्चित हो गया है और किसी किसी निर्वाचनक्षेत्रमें ३ या ४ येनमें एक वोट मिल सकता है। गत वर्ष प्रतिनिधि-सभाके कुछ सभासदोंने निर्वाचनके कानूनमें संशोधन कराने और गुप्त वोट देनेकी पद्धतिके बजाय प्रकट वोटकी पद्धति चलनेका प्रयत्न किया था। उनका यह कथन था कि प्रकट वोट होनेसे वोटर लोग भिन्न भिन्न लोगोंसे घूस न ले सकेंगे। उनके पक्षमें भत भी बहुत एकत्र हो ये थे; परन्तु सौभाग्य-वश यह प्रस्ताव रद्द हो गया। यदि कहीं यह स्वीकृत हो जाता तो शूसखोरी बन्द होनेके बदले और भी बढ़ जाती। यह हो सकता था कि एक ही वोटर एक ही समयमें कई लोगोंसे रिश्वत ले लेता; पर इसमें सन्देह नहीं कि प्रकट वोट होनेसे रिश्वत देनेवाले अपनी रिश्वतसे पूरा काम निकाल सकते हैं। यहाँ हमें इस प्रस्तावके गुणदोषोंका वर्णन नहीं करना है, केवल यही दिखलाना है कि इस समय जापानकी निर्वाचन-संस्थामें बड़ा अन्धेर है।

कुछ लोग कहते हैं कि जापानको अभी पार्लमेंटका बहुत ही थोड़ा अनुभव है और इसीसे ये खराविवाँ मौजूद हैं। यह

सही है कि निर्वाचनके सम्बन्धमें जापानी लोगोंका अनुभव और ज्ञान बहुत कम है; पर इसका भी क्या ठिकाना है कि पार्लमेंटका अनुभव बढ़नेके साथ ही अन्धेर भी कम हो ही जाता है ? सच तो यह है कि कुछ ही वर्षोंमें यह अन्धेर बहुत ही बढ़ गया है, आरम्भमें इतना नहीं था । १९५६ तक इस अन्धेरको रोकनेकी आवश्यकता ही नहीं प्रतीत हुई थी, इसीसे समझ लीजिये कि उसके पहले क्या हाल था और अब क्या है । परिपद्मके तेरहवें अधिवेशनमें करवृद्धिका विल पास करनेके निमित्त प्रतिनिधि-सभामें अपना बहुमत करनेके लिए सरकारने रिश्वतकी लूट मचा दी थी । इसीका परिणाम था कि प्रगतिक दलके एक सभासद ओजाकीने घूसखोरी राकनेके लिए एक प्रस्ताव पेश किया था; परन्तु उदारमत-वादी दल सरकारसे मिला हुआ था और उसीके विरोध करनेसे यह प्रस्ताव रद्द हुआ । १९५८ में वाइशोक्-होशन (घूसका कानून) अर्थात् घूसखोरी रोकनेवाला कानून (प्रस्ताव) परिपद्ममें पास हुआ और कानून बन गया । परन्तु इस कानूनके रहते हुए भी घूसखोरी और भी अधिक बढ़ गई है ।

इसके साथ ही निर्वाचनके समय बौद्धरौंको अनुपस्थिति-की संख्या भी बढ़ती जाती है जिससे मात्रम होता है कि निर्वाचनके सम्बन्धमें लोगोंका उत्साह और सहानुभूति भी घटती ही जा रही थी । सातवें निर्वाचनमें (१९५५) बौद्धरौंकी औसत अनुपस्थिति फीसदी ११.७१ थी । यह सुधारे हुए निर्वाचन-कानूनके बननेके बाद पहला ही अधिवेशन था । इसीके बादके अर्थात् आठवें निर्वाचनमें (१९६०) अनुपस्थिति-का हिसाव १३.७६ रहा; नववेंमें (१९६१) १२.६४, और दसवें-

## ३५६ जापानकी राजनीतिक प्रगति

में (१९६५) २८.५६। यदि सहृदयनात्मक शासनके परिचयकी कमी ही घूसखोरीके अन्धेरका कारण हो, तो यह भी तो मालूम होना चाहिये कि सर्वसाधारणकी इस उपेक्षाका क्या कारण है। विशेषकर इसी उपेक्षाभावहीसे घूसखोरीका अन्धेर मचता है और “पेशेवर मुत्सद्दी (राजनीतिक्षण)” पैदा होते हैं।

अमरीकाके समान अभी यहाँ राजनीतिक जनसङ्ग उतने प्रौढ़ नहीं हुए हैं परन्तु प्रौढ़ होनेकी प्रवृत्ति अवश्य है। कुछ निर्वाचन देवोंमें ‘पेशेवर राजनीतिक्षण’ होते हैं जो राजकार्यको अपना व्यवसाय बनाये हुए हैं। कभी कभी ये लोग कुछ बोटरोंको मिलाकर विशेष उम्मेदवारके निर्वाचनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपसे दखल देते हैं। प्रायः तां ऐसे ही उम्मेदवारोंको बोट दिलानेका प्रयत्न करते हैं जो बोट-संग्रहके उद्योगमें खूब खर्च कर सकें। सचमुच जापानमें अमरीकाके समान ही ‘सेइजिका (राजनीतिक्षण या मुत्सद्दी)’ शब्द बड़ा बदनाम है; इनिलस्तानमें तो अंग्रेज़ राजनीतिक्षण अपनेको गौरवके साथ राजनीतिक्षण कहते हैं। और जापानमें राजनीतिक्षण लोग इस नामसे बचनेका ही प्रयत्न करते हैं। ये बीचके जो “पेशेवर राजनीतिक्षण” होते हैं जो राजकार्यको अपनी जीविकाका साधन बनाये हुए हैं उन्हींके कारण ऐसा होता है। अब यह समझिये कि यदि हमारे यहाँका सहृदय भी ग्रेट-विटन के सहृदयके ही अनुरूप होता और साधारण निर्वाचनके अवसरपर सर्वसाधारण जो राज्यप्रबन्धका ज्ञान करा दिया जाता तथा उन्हें यह भी ज्ञान कराया जाता कि उन्हींके मतों-द्वारा प्रतिनिधि-सभा, प्रतिनिधि-सभाद्वारा मन्त्रिमण्डल और मन्त्रिमण्डलद्वारा राज्यकी व्यवस्था सङ्गठित होती है तो या आप समझते हैं कि बोटर अपने बोटको साग-तर-

कारीकी तरह घेच देते? और तब क्या ये दालभातमें मूसलचन्द्र बने रह सकते?

कुछ लोग यह भी कहा करते हैं कि भिन्न भिन्न श्रेणीके लोगोंमें परस्पर तीव्र विवाद न रहनेके कारण राजकार्यमें लोगोंका भन नहीं लगता। यह सच है कि आपनमें पावात्य देशोंकी तरह अमीरनारीवका कोई झगड़ा नहीं है और न साम्प्रदायिक विवाद या जातिगत विवेष ही है। पर लोगोंकी भिन्न भिन्न श्रेणियोंमें यहाँ भी मतभेद और खार्यभेद मौजूद हैं। इसके अलाया ऐसे भी कई राजनीतिज्ञ प्रश्न हैं जिनका हितसम्बन्ध भिन्न भिन्न श्रेणियोंका भिन्न भिन्न प्रकार स है। परन्तु लोगोंको उल्लङ्घी यथार्थति शिक्षा दी जाय और उनका ध्यान दिलाया जाय तब तो यह सब समझ है। परन्तु प्रचलित राजकार्यकी बातें जो मतदाताओं समझमें भी आ सकती हैं, कभी निर्वाचनके अवसर पर उसे नहीं बतलायी जातीं और न उम्मेदवार यही बतलाते हैं कि वे प्रतिनिधि होकर या काम करेंगे। और तो और, प्रतिनिधिसभातकमें भारी महत्वके प्रश्न या प्रस्ताव चर्चाके लिए बहुत ही कम सामने आते हैं। बहुत सा काम तो कमेटियों द्वारा ही बन्द कोठरियों में हुआ करता है; और मन्त्री इन प्रश्नों और प्रस्तावोंकी चर्चा, जहाँतक वन पढ़ता है, होने ही नहीं देते और भिन्न भिन्न राजनीतिज्ञ दलोंके नेताओंसे पक्षान्तमें मिल कर, कमेटीके कमरेमें ही सब धातें तय कर लेनेकी चेष्टा करते हैं। सचमुच सरकारने एक नया संघ आविष्कृत किया है—अर्थात् “फ्लूजन-जिक्कोका सिद्धान्त या वादविवादके विनाकार्य करना।” जब यह शब्दस्था है तब वैसे समझ है कि सर्वसाधारण राजकार्यमें मनोयोग दें?

## ३५८ जापानकी राजनीतिक प्रगति

प्रतिनिधि-सभाका निर्वाचन-विवाद भिन्न भिन्न दलोंके बीच ऐसे व्यक्तियों द्वारा होता है। जिनका सभासे कोई हितसम्बन्ध नहीं है, अठारहवीं शताब्दीमें इंगिलस्तानके एक मन्त्रिमण्डलने, जो कि कामन्स-सभाके तन्त्राधीन नहीं था, रिश्वत देकर कामन्स-सभामें अपना घुमत कराना चाहा जापानमें जिस सङ्गठनामङ्ग शासनका प्रवर्तन हुआ था उस समय प्रतिनिधि-सभाके सभासद प्रायः सध्ये और ईमानदार थे; क्योंकि उन्हें यह आशा थी कि वे मन्त्रिमण्डल-को अपने कानूनमें रख सकेंगे; अभी अधिकारीवर्गने भी लोभ-की तलवार म्यानसे बाहर नहीं निकाली थी। सरकार निर्वाचनके अवसरपर ही “सरकार-पक्ष”को घड़ानेका उद्योग करती थी। परन्तु तबसे उसने सभामें अपना घुमत करानेके कितने ही उपाय सीख लिए हैं। वे प्रायः अधिकसंख्यक दल-को अपनी ओर मिला लेते हैं या भिन्न भिन्न दलोंके कुछ सभासदोंको घूस देकर वे अपना घुमत करा लेते हैं। अतः मन्त्रिमण्डल अब प्रत्यक्षरूपसे निर्वाचनके भगड़ेमें नहीं पड़ता और राजनीतिक दल ही परस्पर भगड़नेके लिए रह जाते हैं।

कोई राजनीतिक दल सभामें अपने घुमतके घलसे मन्त्रिमण्डलका अधिकार नहीं पा सकता। फिर भी प्रत्येक दल सभामें अपनी अपनी संख्या घड़ानेका प्रयत्न करता है। कारण, जिस दलके सभासदोंकी संख्या अधिक होगी वह केवल व्यवस्थापन कार्यमें ही अपना हाथ नहीं रखता, वहिं मन्त्रिमण्डलसे अच्छा सौदा भी कर लेता है और कभी कभी शुद्धिया कम्पनियोंसे भी उसे कुछ मिल जाता है।\* निर्वाचन-

\* मैंने जापानकी पार्लियमेंटके एक सभासदसे पूछा था कि राजनीतिक दलोंका फण्ड कैसे जमा होता है। उसके उत्तरमें उन्होंने लिख भेजा कि, “फण्ड कैसे जमा

का वातावरण कितना गरम रहता है सो इसी एक घातले मालूम हो जायगा कि हालके (वैशाख १८६४) साधारण निर्वाचनके अवसरपर २४५७ मनुष्योंपर अवैध उपायसे छराने, धमकाने, मारपीट करने और घूस देनेका अभियोग चला था।

जापानमें साधारण निर्वाचन देशभरमें एक ही तारीखको हो जाता है। यह तारीख सप्राद्यके आशापत्रसे ३० दिन पहिले बतला दी जाती है। प्रातःकाल सात बजे बोट-बर खुलता है और सायंकाल ६ बजे बन्द हो जाता है।

कुल ७०५ निर्वाचन-क्षेत्र हैं जिनमेंसे ५७ को एक ही एक सीट या स्थानका अधिकार है और दोको जन संसद्याके २ से लेकर १२ तक है। निर्वाचनके अवसरपर प्राइंसिपल शासक उपस्थित होते हैं और अपने प्रदेशके निर्वाचनका प्रबन्ध करते हैं। शहरोंमें शहरके मेयर 'निर्वाचनके अध्यक्ष' ऐते हैं; और देहातोंमें देहात या कस्बेको मुख्य मजिस्ट्रेट या अदालत के अफसर। वे तीन या चार निर्वाचकोंको एक एक बाटघर का निरीक्षक नियत करते हैं।

उम्मेदवारके सम्बन्धमें इस तरहका कोई रिवाज नहीं है कि मेयर या शेरीफ उनको मनोनीत करें और न स्वयं उम्मेदवार ही यह आकर कहता है कि हम प्रतिनिधि होना चाहते हैं। जिस दलका वह होता है वही दल या उसके मिशन या अनुयायी सार्वजनिक रीत्या, विशेषतः समाचारपत्रोंद्वारा यह सूचित कर देते हैं कि अमुक व्यक्ति निर्वाचित किये जाने योग्य हैं। यह सूचना देनेसे पहले वे उस उम्मेदवारको परख

---

किया जाता है यद्यतो दल ही जान सकता है, और कोई नहीं; पर इतना मैं कह सकता हूँ कि सभाज्ञोंको सरकारसे जी रुपया मिलता है उसके अलावा लोगोंसे तभा प्राप्त करनियांसे और अन्य कई उपायोंसे उसके पास धन आ जाता है।"

## ३६० जापानकी राजनीतिक प्रगति

लेते हैं और बोट संग्रह करनेवाले गुमाश्टेसे यह भी जान लेते हैं कि उसे कितने बोट मिलनेकी सम्भावना है।

उम्मेदवार स्थानीय व्यक्ति ही होता है। स्थानीय व्यक्ति-का मतलब स्थानीय प्रसिद्ध पुरुष नहीं बल्कि वह पुरुष जो कि सानीय अधिवासियोंको 'प्यारा' हो। उसकी कीर्ति स्थानीय भी हो सकती है और राष्ट्रीय भी। जिस किसीको प्रतिनिधि बननेकी इच्छा होती है उसे अपने जन्मस्थानमें जाना पছता है—वही उसका निर्वाचन हो सकता है। भूमिकामें लिखे अनुसार, जापानी लोग स्वभाव-से ही अपने स्थानको छोड़ना पसन्द नहीं करते और शोगून-कालके शासनसे तो उनका यह स्वभाव बहुत ही दढ़ हो गया है। और निर्वाचनके बाद क्या क्या राजनीतिक कार्यवाही होनेवाली है इसकी कोई स्पष्ट कल्पना सामने न रहनेके कारण वे ऐसे ही व्यक्तिको चुनते हैं जिससे उनका बनिष्ठ परिचय हो। इसलिए परिचित व्यक्तियोंको, ही चुने जानेका सबसे अधिक अवसर मिलता है; और यह तो बहुत ही कम देखनेमें आता है कि एक जगहसे हारा हुआ मनुष्य चुनावके लिए दूसरी जगह जाय।

जहाँतक निर्वाचनका सम्बन्ध आता है, प्रत्येक प्रदेश या स्थानिकपैलिटी या निर्वाचन-क्षेत्र विलकुल स्वाधीन होता है। अमरीकामें भी भिन्न भिन्न राज्य कांग्रेसके निर्वाचनके सम्बन्ध-में विलकुल स्वतन्त्र होते हैं। हाँ, इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रत्येक स्थानके राजनीतिक दलका उसके तोकियोद्य मुख्य कार्यालयसे सम्बन्ध रहता है। परन्तु ग्रेट ब्रिटेनमें जैसे प्रत्येक स्थानके नेताओंको लन्दनके नेशनल लिबरल फेडरेशन और नेशनल कानसरवेटिव यूनियनके मुख्य कार्यालयसे

निर्वाचनके सम्बन्धमें सूचनाएँ मिला करती हैं और उन्हींके अनुसार कार्यवाही होती है, वैसे जापानमें स्थानीय निर्वाचनके प्रत्यक्ष सूत्र राजनीतिक दलोंके तोकियोस्थ मुख्य कार्यालयके हाथमें नहीं होते । उसेद्वाराँका चुनाव और चुनावका प्रबन्ध स्थानीय कार्यकर्त्ताओंके हाथमें होता है और मुख्य कार्यालयसे, आवश्यकता पड़नेपर, उन्हें हर तरहकी मदद मिलती है ।

जापानमें अन्य देशोंकी तरह, निर्वाचनसम्बन्धी आन्दोलन व्याख्यानों, लेखों और मतसंग्रहकोद्घारा ही होता है । परन्तु व्याख्यानों और लेखोंसे यहाँ उतना काम नहीं लिया जाता जितना इंग्लिस्तान और अमरीकामें । हमारे यहाँके निर्वाचन सम्बन्धी भाषण उत्तेजक और शब्दाभ्यरपूर्ण होते हैं, उसमें कोई विशेष धात नहीं होती । इंग्लिस्तान और अमरीकामें कैसे बड़े बड़े विद्वापन दीवारोंपर चिपकाये जाते हैं, जैसे इत्यप्रक्रक धाँटे जाते हैं और कारदून (व्यङ्ग चित्र) बनाये जाते हैं, वैसे यहाँ भी सब किया जाता है पर वहुत कम—उसका आधा हिस्सा भी नहीं । जापानी वैसे रसिक और कौतुकप्रिय नहीं है ।

राजनीतिक आन्दोलनमें हम लोग अङ्गरेजों या अमरीका-घासियोंकी तरह बाजे, पताका झराडे और मशालोंके साथ जुख्त नहीं निकालते । सड़कके किनारे या सार्वजनिक मैदान या उद्यानमें व्याख्यानोंकी धूम भी नहीं मचती । वहुत से जापानियोंको भी इन सड़ककी स्पीचोंसे वैसी वृणा है जैसी कि इंग्लिस्तानमें पुराने ढङ्ककी छियोंको मताभिलाषी नवीन छियोंकी कार्यवाहीसे ।

इस समय निर्वाचनका सबसे अच्छा उपाय हमारे यहाँ

## ३६२ जापानकी राजनीतिक प्रगति

मतसंग्रह करना है। और लेकचरवाजीसे यह उपाय अधिक लाभकारी होता है। क्योंकि, किसी दल विशेषसे जापानियोंका कोई परम्परागत प्रेम या द्वेष नहीं है। कुछ अमरीकन लोग कहते हैं कि, “मैं रिपब्लिकन हूँ, क्योंकि मेरे पिता भी रिपब्लिकन दलके थे”; उसी प्रकारसे कुछ अङ्गरेजोंको इस बातका अभिमान रहता होगा कि उनके खान्दानमें पुश्ट दर पुश्ट कानसरवेटिव (पुराण प्रिय) पक्ष ही रहा है। परन्तु जापानियोंमें पक्षभेदका भाव शायद ही कभी आता हो; यह एक बात और दूसरी यह कि प्रचलित राजकारणका निर्वाचन से कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता; इसलिए जापानियोंको मतसंग्रहक भेजकर मुख्यत और दबावसे मत एकत्र करना ही अच्छा लगता है। हमारे एक प्रश्नके उत्तरमें प्रतिनिधिसभाके एक सभासदने योंलिखा था, कि “जिस उम्मेदवारको अपने लिए सबसे अधिक मत पानेकी इच्छा हो उसके लिए तो यही उपाय है कि निर्वाचकोंसे वह जान पहचान और मेलजोल खूब बढ़ावे। बार बार निर्वाचकोंसे मिलते रहना बहुत काम देता है। शहरोंमें तो साधारण निर्वाचन होनेके पूर्व उम्मेदवार निर्वाचकोंके घरपर जाकर उनसे पाँच पाँच छः छः बार भेंट कर लेता है।”

परन्तु उदासीन, पंगु और बूढ़े निर्वाचकोंको बोट-घर तक ले आना आसान काम नहीं है। निर्वाचकोंको बोट-घर तक लानेके लिए जहाज, घोड़ा या गाड़ी अथवा अन्य कोई सवारी भेजना या पहुँचाना कानूनसे मना है। इसलिए निर्वाचनके दिन इंग्लिस्तानके समान बोटर जिनमें ढोये जाते हों ऐसी गाड़ियों, मोटरों और फिटिनॉकी भीड़ बोट-घरपर नहीं लगती। पर ऐसा भी नहीं कि ज़रा भी शोरगुल या

इलंचल न होती हो या कभी कभी मारपीट और दक्षाफस्ताद न होता हो ।

जापानमें निर्वाचनके अवसरपर एक एक उम्मेदवारको तीन हज़ार येन सर्व करना पड़ता है। इन उम्मेदवारोंकी आय-का विचार कीजिये तो यही बड़ी भारी रकम होती है। इतनी बड़ी रकम पैदा करनेके लिए कुछ लोग तो अपनी जायदाद भी वेच देते हैं। फिर भी जिस सीटके लिए वे इतना स्वार्थ ल्याग करते हैं उससे उनको कोई बड़ा अधिकार मिलता हो लो भी नहीं; कुछ सभासद तो अपने सभासद-कालमें सभाकी चर्चामें भागतक नहीं लेते, केवल पैरपर पैर रखे बैठे रहते हैं और दलपतिकी आशाके अनुसार बोट दे देते हैं। इसपर भी इसका कोई ठिकाना नहीं कि सभासद-पदका गौरव वे कब तक भोग सकेंगे। सभासद-कालकी मर्यादा तो ४ वर्ष है: पर अधिकारी वर्गकी जय इच्छा होगी, सभा भझ हो जायगी।

तथापि परिपद्में स्थान पानेके लिए बहुत से उम्मेदवार होते हैं। इसका हेतु, हम यही समझते हैं कि संसारमें कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ जापानसे बढ़ कर, अधिकारियोंका सम्मान किया जाता हो। जापानके राजकर्मचारी “सार्वजनीन सेवक” नहीं वलिक सार्वजनीन प्रभु होते हैं और समाजमें उनका ओहदा सदसे बड़ा माना जाता है। वस्तुतः देहातोंमें जो कदर एक पुलिसके लिपाहीकी है (क्योंकि वह सरकारी नौकर है) वह एक बड़े जर्मांदारकी भी नहीं। इसके अतिरिक्त, जापानी लोग सत्कीर्ति और सम्मानके लिए बड़े लालायित रहते हैं। प्रतिनिधि-सभाका सभासद “माननीय” होता है; बड़े बड़े अधिकारियोंकी जो इजात होती है वह इसकी भी होती है। वह सामान्य जनसमुदायका मनुष्य नहीं समझा जाता;

### ३६४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

क्योंकि वह “एम. पी.” ( शुगु-इन-गु-इन ) होता है। वह अपने नामके पीछे “एम. पी.” लगानेमें अपना बड़ा गौरव समझता है और लोग भी उसकी इज्जत करते हैं। उसके ओहदे और बोटकी यह महिमा है कि कोई मन्त्री भी उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। बड़े बड़े अधिकारियोंके यहाँ, जहाँ सामान्य जन जा नहीं सकते, एम. पी. जा सकते हैं और उनके जलसौंको आनन्द ले सकते हैं। यह एक ऐसा गौरव है जिससे प्रधानतः सभाकी ओर लोग झुकते हैं और इस प्रकार प्रतिनिधि-सभाके सभासदोंको चाहे अधिकार विशेष न हो तोभी सभामें सौभाग्यवश ऐसे सभासद होते हैं जिनकी समाजमें प्रतिष्ठा होती है।

ପୁରୀଶିଳ୍ପ



# परिशिष्ट

## संघटन

[ सरकारी भायान्तर का भायान्तर ]

## प्रथम परिच्छेद

### सम्राट्

१. जापान साम्राज्यपर सम्राट्-वंश-परम्पराका राज्य और शासन सदा अचुरण रहेगा ।

२. सम्राट्-सिंहासनपर वैठनेका अधिकार, लम्राट्-परिचार-कानूनकी धाराओंके अनुसार केवल सम्राट्के पुरुष वंशजोंको ही रहेगा ।

३. सम्राट् परम पुनीत और अलवृनीय हैं ।

४. सम्राट् साम्राज्यके शीर्पस्थान हैं; उन्हींको साम्राज्य-सत्ताके सब अधिकार प्राप्त हैं और वे वर्तमान सम्बूद्धनके अनुसार उनका उपयोग करते हैं ।

५. सम्राट् राष्ट्रीय-परिपद्की सम्मतिसे व्यवस्थापनाधिकारको उपयोगमें लाते हैं ।

६. सम्राट् कानूनोंपर मंजूरी देते और उन्हें घोषित तथा कार्यमें लानेकी आव्वा देते हैं ।

७. सम्राट् राष्ट्रीय परिपद्को एकत्र सम्मिलित करते, उसे स्वीकृत, बन्द करते और स्थगित करते हैं, तथा प्रतिनिधि-सभाको भङ्ग करते हैं ।

## ३६८ जापानकी राजनीतिक प्रगति

८. सम्बाद, सार्वजनिक शान्ति-रक्षाकी अत्यन्त आवश्यकता से अथवा सार्वजनिक सङ्कट-निवारणार्थ राष्ट्रीय परिषद्के अधिवेशनसे अतिरिक्त कालमें, कानूनके बदले आशापत्र प्रचारित करते हैं।

ऐसे आशापत्र राष्ट्रीय-परिषद्के आगामी अधिवेशनमें उपस्थित किये जाते हैं और परिषद् इन आशापत्रोंके अनुकूल सम्भवति नहीं देती तो सरकार उन्हें भविष्यके लिए रद्द कर देती है।

९. सम्बाद् कानूनोंसे अनुसार कार्य करानेके निमित्त, अथवा सार्वजनिक शान्तिकी रक्षा तथा प्रजाजनोंकी सुख-समृद्धिके हेतु आशापत्र प्रचारित करते या कराते हैं। परन्तु कोई आशापत्र किसी प्रचलित कानूनको नहीं बदल सकता।

१०. सम्बाद् शाशनके भिन्न भिन्न विभागोंका सङ्कटन तथा समस्त फौजी और सुल्खी अधिकारियोंका वेतन स्वयं निश्चित करते हैं और उन अधिकारियोंको नियुक्त और पदच्युत भी करते हैं इस सम्बन्धमें जो अपवाद हैं सो वर्तमान सङ्कटन-विधानमें दिये गये हैं और अन्य कानूनोंमें उल्लिखित हैं, वे ( उनके सम्बन्धकी ) भिन्न भिन्न नियमधाराओंके अनुरूप होंगे।

११. सम्बाद् जलसेना और स्थलसेनाके प्रधान अधिनायक हैं।

१२. सम्बाद् जलसेना और स्थलसेनाका सङ्कटन और शान्तिकालिक सेस्थासङ्ग निश्चित करते हैं।

१३. सम्बाद् युद्धकी घोषणा, शान्तिका प्रवर्तन और सन्धिकी शर्तोंका निश्चय करते हैं।

१४. सम्बाद्को यह घोषणा देनेका अधिकार है कि क्षेत्र

शत्रुओंसे घिरा है या पिरावकी हालतमें है। घिरावकी हालत-  
के परिणाम और नियमादि कानूनसे तथा पावेंगे।

१५. सम्भाट्-सरदारी, बड़ाई, तथा प्रतिष्ठाकी उपाधियाँ  
और समाजके अन्यान्य चिह्न प्रदान करेंगे।

१६. सम्भाट्की आबासे केंद्री छूट सकते हैं, अपराधोंकी  
कम हो सकती है, दण्डकी कठोरता कम हो सकती है और  
पूर्वपद पुनः मिल सकता है।

१७. सम्भाट्-पर्वतनिधि के नियमानुसार राजप्रति-  
निधियों नियुक्त हो सकती है।

सम्भाट्-पर्वतनिधि सम्भाट्-के अधिकारोंका उपयोग सम्भाट्-  
के नामसे द्वारा सकते हैं।

### छिन्नीय परिच्छेद

प्रजाजनके कर्तव्य और अधिकार

१८. जापानी प्रजाजन होनेकी शर्तें कानूनसे तथकी जायेंगी।

१९. जापानी प्रजाजन, कानून अथवा सम्भाट्-के आकापन-  
द्वाना निर्दिष्ट लक्षणोंदे छनुसार, मुहकी या फौजी और किसी  
भी शास्त्रादिभागमें समानलपसे नियुक्त किये जा सकते हैं।

२०. जापानी प्रजाजन, कानूनकी धाराओंके अनुसार,  
स्थलसेना और जलसेनामें नौकरी पा सकते हैं।

२१. जापानी प्रजाजन, कानूनकी धाराओंके अनुसार,  
कर देनेका कर्तव्य पालन करेंगे।

२२. जापानी प्रजाजनको निवासस्थानकी तथा कानून-  
की सीमाओंके अन्दर उसे यद्दलनेकी स्वतन्त्रता रहेगी।

२३. कोई जापानी प्रजाजन, कानून की अनुमतिके बिना

## ३७० जापानकी राजनीतिक प्रगति

न पकड़ा जायगा, न हवालातमें रखा जायगा, न अदालतमें पेश किया जायगा और न दण्डित किया जायगा।

२४. कोई जापानी प्रजाजन कानूनके अनुसार जजों द्वारा विचार किये जानेके अधिकारोंसे विचित न होगा।

२५. कानूनमें गिरिंग्र अपवाहोंको छोड़कर, किसी जापानी प्रजाजनके घरमें जाकर उसकी सम्मतिके बिना तलाशी न ली जायगी।

२६. कानूनमें निर्दिष्ट अपवाहोंको छोड़कर, प्रत्येक जापानी प्रजाजनके गुपत्र खोले या पढ़े न जायेंगे।

२७. प्रत्येक जापानी प्रजाजन जा सम्पत्ति-अधिकार अलड्ड्य रहेगा। सार्वजनिक हितके निमित्त जो उपाय आवश्यक होंगे वे कानूनसे निश्चित किये जायेंगे।

२८. जापानी प्रजाजन, रान्ति और मर्यादाका उच्छ्वान न करते हुए तथा अपने प्रजाकर्त्तव्योंके पालनमें विरोध न ढालते हुए धार्मिक द्वाधीनता भोग सकेंगे।

२९. जापानी प्रजाजनोंको, कानूनकी सीमाके अन्दर, घोलने, लिखने, छापने और सभा समितियाँ स्थापन करनेकी स्वाधीनता रहेगी।

३०. जापानी प्रजाजन इरवासके शिष्टाचार और नियमोंके अनुसार प्रार्थनापत्र प्रेपित जर सकते हैं।

३१. इस परिच्छेदमें जो शारायं शक्ति हैं वे सम्बाद्के युद्ध-फालिक शथवा राष्ट्रसंघर्षान्वी अधिकारोंको न काट सकेंगी।

३२. इस परिच्छेदकी उब धाराओंके ऐसे नियम जो कि स्थलसेना और जलसेनाके कानूनों अथवा नियमोंके विरुद्ध नहीं हैं, जलसेना और स्थलसेनाके सब मनुष्यों और अफ़लरोंको पालन करने पड़ेंगे।

## तृतीय परिच्छेद

राष्ट्रीय परिपद

३३. राष्ट्रीय परिपदकी दो सभाएँ होंगी—सरदार-सभा और प्रतिनिष्ठभा।

३४. सरदार-सभामें सरदार-सभा-सम्बन्धी आद्वापत्रके मुख्यसार, लैट्-परिचारके लोग, अथवा सरदार-श्रेष्ठियोंके लोग तथा लोग होंगे जिन्हें सम्राट् मनोनीत करेंगे।

३५. निविधि-सभा में निर्वाचनके कानूनके अनुसार सर्वसाधारण छारा निर्वाचित सभासद होंगे।

३६. ही व्यक्ति एक ही समयमें दोनों सभाओंका समाल हो सकता।

इन्हेक कानूनको राष्ट्रीय परिपदकी स्वीकृति लेनी आवश्यक है।

दोनों सभाएँ सरकारद्वारा ऐपित प्रस्तावोंपर अपनी अपनी मति देंगी और स्वयं भी अलग अलग कानूनके प्रस्त॑श कर सकेंगी।

जो विल दोनों सभाओंमें से किसी सभाद्वारा अस्वीकृत हो वह फिर उसी अधिवेशनमें पेश न किया जा।

दोनों सभाएँ किसी कानूनके सम्बन्धमें अथवा किसी नि सम्बन्धमें निवेदनपत्र सरकारके पास भेज सकती ही निवेदनपत्र यदि स्वीकृत न हों तो फिर उसी अधिउन्हीं निवेदनपत्रोंको नहीं भेज सकते।

१. राष्ट्रीय परिपदका सम्मेलन प्रतिवर्ष छुआ करेगा।

२. राष्ट्रीय परिपदका अधिवेशन सीन महीनेतक होगा।

## ३७२ जापानकी राजनीतिक प्रगति

आवश्यकता पड़नेपर सम्राट्की आशासे अधिवेशन-काल  
बढ़ाया जा सकेगा ।

साधारण अधिवेशनका काल सम्राट्कीआशासे निश्चित  
किया जायगा ।

४४. दोनों सभाओंका खुलना, बन्द हो, उनके अधि-  
वेशनोंका बढ़ाया जाना एक साथ ही हुआ काम ।

यदि प्रतिनिधि-सभा भज्ञ कर दी गई है : सरदार-सभा  
भी स्थगित कर दी जायगी ।

४५. जब प्रतिनिधि-सभा भज्ञ कर दी जाय तब सम्राट्-  
की आशासे सभासदोंका बूतन निर्वाचन हो और सभा-  
भज्ञके दिनसे पाँच महीनेके अन्दर नवीन रका सम्मे-  
लन होगा ।

४६. राष्ट्रीय परिषद्की किसी सभाके अधिकेमें भी यदि  
दो तिहाई सभासद उपस्थित न हों तो उस स्में किसी  
विषयपर चर्चा नहीं हो सकती और किसी पिर मत  
भी नहीं लिया जा सकता ।

४७. दोनों सभाओंमें बहुमत ही स्वीकार कियायगा ।  
जब अनुकूल और प्रतिकूल दोनों मत वरावर हों अध्यक्ष-  
को निर्णयात्मक मत देनेका अधिकार होगा ।

४८. दोनों सभाओंके कार्य सार्वजनिक होंगे । कारको  
कहनेपर श्रथवा सभाके तदर्थक प्रस्ताव स्वीकार द्वारा  
पर शुस्त चर्चा भी की जासकेगी ।

४९. दोनों सभाएँ सम्राट्की सेवामें पृथक् पृथक् द्वन-  
पत्र भेज सकेंगी ।

५०. दोनों सभाएँ प्रजाजनोंके प्रार्थनापत्र स्व कर  
सकेंगी ।





५१. दोनों सभाएँ बर्तमान सहृदय तथा परिपद्म सम्बन्धी कानूनके अतिरिक्त भी अपने अपने प्रबन्धके लिये आवश्यक नियम बना सकती ।

५२. किसी सभासदने सभामें जो सम्मति दी है वा जो मत दिया है उसके लिए वह उस सभाके बाहर जिम्मेदार न समझा जायगा । यदि किसी सभासदने सभाके बाहर व्याख्यान देकर, लिखकर या छापकर अथवा ऐसे ही किसी उपायसे अपने विचार प्रकट किये हैं तो इस सम्बन्धका कानून उसपर भी लगाया जा सकता है ।

५३. भारी अपराध अथवा ऐसे अपराध कि जिनका अन्तिक्षेत्र है अथवा परन्तु उस सम्बन्ध हो—ऐसे अपराधोंकी हालतको छोड़कर, किसी सभाका कोई सभासद सभाकी सम्मतिके बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा ।

५४. राजमन्त्री तथा सरकारके प्रतिनिधि जब चाहें किसी सभामें वैठ सकते हैं और दोल सकते हैं ।

### चतुर्थ परिच्छेद

राजमन्त्री और मन्त्रपरिषद्

५५. मिश्न मिश्न राजमन्त्री लग्नाट्को सम्मति दिया करेंगे और उसके लिए किम्मेदार रहेंगे ।

जब कानूनों, सभाट्के आशापत्रों और सभाट्के हर तरह-के सूचनापत्रोंपर जिनका कि राज्य व्यवस्थासे सम्बन्ध है, एक राजमन्त्रीका भी हस्ताक्षर होना चाहिए ।

५६. मन्त्रपरिपद्मके सभासद लग्नाट्कारा पूछे जानेपर, मन्त्रपरिपद्मके सङ्गठनके नियमानुसार, राज्यव्यवस्थाकी प्रधान वातांपर विचार करेंगे ।

## ३७४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

### पञ्चम परिच्छेद

न्याय-व्यवस्था

५७. न्यायव्यवस्था न्यायालयोद्धारा सज्जाट्के नामसे कानूनके अनुसार की जायगी ।

न्यायालयोंके सज्जठनके नियम कानूनसे बनाये जायेंगे ।

५८. जज उन लोगोंमेंसे नियुक्त किये जायेंगे जो कि कानूनमें बतलाये हुए लक्षणोंसे युक्त हों ।

फोर्ड जज अपने स्थानसे पदच्युत नहीं किया जा सकता, जबतक कि उसे फौजदारी कानूनसे सज्जा न हुई हो और कर्तव्यपालनकी त्रुटिके सम्बन्धमें दण्ड न हुआ हो ।

कर्तव्यपालनकी त्रुटिके सम्बन्धका दण्डविधान कानूनसे किया जायगा ।

५९. अदालतमें अभियोग (मुकदमा) और निर्णय (फैसला) आदि सबके सामने होगा । जब इस बातका भय हो कि सबके सामने मुकदमा चलनेसे शान्ति भड़ होगी अथवा सर्वसाधारणमें बुरे मनोविकार फैलेंगे तो मुकदमेका कानूनके नियमों अथवा न्यायालयके निर्णयसे स्थगित किया जा सकता है ।

६०. जो मामले किसी विशेष न्यायालयोंमें ही चलाये जा सकते हैं, कानूनसे उनका निर्देश किया जायगा ।

६१. शासनाधिकारियोंके अवैध उपायोंसे किसीके स्वत्वोंकी हानि आदि होनेके सम्बन्धके अभियोग जो कि कानूनसे प्रस्थापित शासनव्यवहार-न्यायमन्दिरमें ही चल सकते हैं, साधारण न्यायालयमें विचारार्थ न लिये जायेंगे ।

---

## एष परिच्छेद

आदव्यव-प्रवन्ध

६२. नया कर लगाना या पुराना कर ही बढ़ाना कानूनसे निवित किया जायगा ।

परन्तु शासकस्मन्धी स्त्रीस या ऐसी आय जिसका स्वरूप कृति पूरण सा ही है, उक्त नियमकी कोटिमें नहीं आती ।

राष्ट्रीय झूल उगाहने तथा राष्ट्रीय धनभरडारके सम्बन्ध-के ऐसे व्यवहारोंके लिए जिनका उल्लेख बजटमें नहीं हुआ है, राष्ट्रीय परिषद्की सीकृति आवश्यक होगी ।

६३. जो कर इस समय मौजूद हैं और किसी नये कानून-से जिनमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है वे पुराने ढंगसे ही बद्दल किये जावेंगे ।

६४. वार्षिक अनुमानपत्र (बजेट) द्वारा वार्षिक आय-व्ययका लेजा राष्ट्रीय परिषद्से सीकृत होना आवश्यक होगा ।

जो जो खर्च अनुमान पत्रकी सीमाके बाहर हुआ हो या जिसका उल्लेख ही अनुमानपत्रमें हुआ न हो एर खर्च हो गया हो, उक्तके लिए राष्ट्रीय परिषद्की पश्चात्स्वीकृति ली जायगी ।

६५. बजेट प्रतिनिधि-सभाके सम्मुख उपस्थित किया जायगा ।

६६. स्प्रान्ट-परिवारका सब खर्च निश्चित रकम तक राष्ट्रीय धनभरडारसे किया जायगा और उसके लिए राष्ट्रीय परिषद्की सम्मति आवश्यक न होगी—जब खर्च बढ़ानेकी आवश्यकता प्रतीत होगी तब राष्ट्रीय परिषद्से सम्मति ली जायगी ।

६७. स्प्रान्टसे सम्बन्ध रखनेवाले अधिकारोंके सम्बन्धमें सहानुनसे जो जो व्यय निश्चित हो चुके हैं, और कानून

## ३७६ जापानकी राजनीतिक प्रगति

विशेषके कारण जो व्यय आवश्यक होंगे अथवा सरकारद्वारा लिए वैध-कर्तव्यवश जो व्यय आवश्यक होंगे, प्रतिनिधि-सभा सरकारकी अनुकूलताके बिना उन्हें स्वीकार न कर सकेगी और न घटा सकेगी।

६८. विशेष विशेष आवसरपर काम देनेके लिए 'अविस्त व्ययनिधि'के नामसे कुछ निश्चित वर्षोंके लिए सरकारशास्त्रीय परिषद्द्वारा कुछ रकम लेनेके निमित्त सम्भवति माँग सकती है।

६९. बजटकी अनिवार्य अनुमान त्रुटिके कारण जो कमी रुही हो उसे और बजटमें जिनका उल्लेख नहीं हुआ है पेसी आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिए बजटमें ऐवेन्यू फरड़के नामसे मह रहेगी।

७०. सार्वजनिक शान्तिकी रक्षा करनेकी अत्यन्त आवश्यकता पड़नेपर देशके अन्तःक्षोभ या वहिक्षोभके कारण जब राष्ट्रीय परिषद्द्वारा सम्मेलन न हो सकेगा, तब सरकार समाइद्वारा आशावश्यक सम्बन्धी सब प्रबन्ध कर सकेगी।

ऐसी आवश्यकामें उक्त प्रबन्ध राष्ट्रीय परिषद्वारे आगामी अधिकेशुनमें उपस्थित किया जायगा और उसकी स्वीकृति ली जायगी।

७१. जब राष्ट्रीय परिषद्वारा बजेटपर सम्भवति न हो या जब बजेट ही तैयार न हो तब सरकार पूर्व वर्षके बजेटसे काम ले सकेगी।

७२. देशके आवश्यका सब हिसाब जाँच कर्त्ताओंकी समितिद्वारा जाँचा और मंजूर किया जायगा, और सरकार-द्वारा वह राष्ट्रीय परिषद्में, जाँचकर्त्ताओंकी समितिकी जाँच और मंजूरीके साथ पेश किया जायगा।

जाँचकर्त्ताओंकी समितिके सङ्गठन और लक्षणोंकी नियमावली कानूनसे अलग बनायी जायगी।

## संस्कृत परिच्छेद

शांद नियम

६३. मध्यस्थमें जय कर्मी वर्तमान संज्ञानमें धारापरि-  
चर्चनकी आवश्यकता प्रतीत होगी, तथ सब्राद्यके आक्षापत्र-  
आरा तदिपयक प्रस्ताव राष्ट्रीयपरिषद्में उपस्थित किया  
जायगा।

जद ये लोग शब्दस्था होगी तो जबतक सभाके कम से कम  
दो तिहाई सभासद् उपस्थित न हों तबतक कोई सभा इसपर  
दिचाद् आरम्भ नहीं कर सकती, और लदतक उपस्थित  
सभासद्मेंने दो निहाई सभासदोंकी अनुकूल सम्मति न हो,  
तदनक यो ही संशोधन उसमें नहीं किया जा सकेगा।

६४. सब्राद्य-परिवार-कानूनके परिवर्तन-प्रस्तावको राष्ट्रीय  
परिषद्में उपस्थित करनेकी आवश्यकता न होगी।

वर्तमान संज्ञानकी किसी धाराको सब्राद्य-परिवार-  
कानून नहीं बदल सकता।

६५. सब्राद्य-प्रतिनिधिके सत्ताकालमें सब्राद्य-परिवार-  
कानून श्रथवा संज्ञानमें परिवर्तन करनेका कोई प्रस्ताव  
उपस्थित नहीं किया जा सकता।

६६. इस सभव जो कावद्, कानून, नियम, आक्षाएँ श्रथवा  
आदेशादि प्रचलित हैं वे जहाँतक वर्तमान संज्ञानके विरोधी  
हैं, वहाँतक प्रचलित रहेंगे।

संस्कृत जिन जिन कामोंको डडा चुकी है या जिन जिन  
कामोंका धरनेकी आदा दे चुकी है, और व्ययसे जिनका  
सम्बन्ध है, वे सब काम द७ वीं धाराके अन्तर्गत होंगे।

१९४५ चिं०से आगे नियुक्त दुप्र मन्त्रियोंके परिवर्त्तनोंकी /सूची

नियुक्तिका काल	मन्त्रि- समाप्ति	विदेश सम्बन्ध कारबाह के मन्त्री	आश्वस्तर नोतिके मन्त्री	अर्थ- मन्त्री	शुद्ध- मन्त्री	जलसेवा मन्त्री	न्यायवि- भागके मन्त्री	शिवाया विभागके मन्त्री	व्यवसाय और कृषि- मन्त्री के मन्त्री	पञ्चवक्त- हार्षके मन्त्री	सेवाका काल
											वर्ष-मास
मार्ग १९४५	इती	इनोची	यामागाता	श्रेयामा	सायगो	यामादा	मोरि	तानि	इनोमोतो	२—४	
फाल्गुन "	...	...	...	...	...	...	...	...	सायगो *	...	...
आषाढ १९४३	...	...	...	...	...	...	श्रेयामा*	...	यामागाता	...	...
जैष १९४४	...	...	...	...	...	...	...	...	तानि	...	...
श्रापाह॑	...	...	...	...	...	सायगो	...	...	हिंजिकाता	...	...
भाद्रपद	...	हरी	...	...	...	...	...	...	कुरोदा	...	...
माष	...	श्रीकुमा	...	...	...	...	श्रीयामा	...	...	...	...
चैत्र	कुरोदा	श्रीकुमा	यामागाता	मात्सु- काता	सायगो	यामादा	मोरि	इनोमोतो	इनो- मोतो *	१—६	

( २० )

आपाद १९४५	...	...	...	...	...	इनोयी	...
पार्ग० ११	...	...	मार्ट्सु- काता *	...	...	...	...
गम०	...	...	...	...	...	...	...
गम०	...	...	...	...	...	...	...
पत्तल्युन १९४५	...	...	...	...	शोयामा *	...	...
आधिन १९४६	...	...	...	...	इनोमोतो	...	...
आधिन „	कुछकाल- के लिए, सांजो	...	यामागाता	...	...	गोतो	...
मार्गरीप० „	यामागाता	आश्रेकि	यामागाता *	मार्ट्सु- काता	शोयामा	यामादा	मुसु
वैशाख १९५७	...	...	सायगो	...	कावायामा	...	गोतो
वैशाख १९५८	मार्ट्सु- काता	इनोमोतो	सायगो	मार्ट्सु- काता *	ताक्का- शिमा	यामादा	मुसु
ज्येष्ठ	„	...	शिता- गाचा	...	...	तानाका	ओकि

\* ऐसे तारा जिन्हें अंकित सज्जन अपने समयमें एकसे आधिक पहाँपर कार्य करते रहे हैं।

नियुक्तिका कार	मन्त्रि-सभापति	विदेश समरपणी के मन्त्री	आमदार नीतिके मन्त्री	श्रद्ध-मन्त्री	युद्ध-मन्त्री	उल्लेख-मन्त्री	न्याय-मन्त्री	शिवाय विभागके मन्त्री	व्यवसाय और कृषि के मन्त्री	पत्र व्यवहार के मन्त्री	सेवाका काल	वर्ष—मास	
फलगुन „	„	सोयेजीमा	...	...	...	...	...	कोलो	...	कोलो	...	...	...
ज्येष्ठ १९४६	„	माहु-काता	...	...	...	...	...	कोलो	...	कोलो	...	...	...
आषाढ़ „	„	कोलो*	...	...	...	...	...	कोलो	...	कोलो	...	...	...
श्रावण „	इतो	इनोयी*	वातावारी	ओयामा	नरे	वातावारी	ओयामा	कोलो	गोलो	गोलो	...	...	...
अश्विन „	„	मुख्य	...	...	...	...	सायो	योशि-कावा	इतोयो	इतोयो	इतोयो	इतोयो	...
कात्तिक „	„	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	सायोनजी	...
पैषेष १९५०	„	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
श्रावण १९५१	„	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
भाद्र	„	...	...	...	...	...	सारांगो*	...	...	...	...	...	...
कार्तिक „	„	...	...	...	...	...	नेमुरा	...	...	...	...	...	...

कालानुप्र.	०	... वैशाख १५५३	... कल्पना	यमगंगा यमगंगा	...	...	रातानांगी रातानांगी
ज्येष्ठा	"	... सायंचंडी	... सायंचंडी	योगमा योगमा	...	...	...
शावण	"	... शावण	... शावण	...	...	...	...
आष्टित्र	"	... आष्टित्र	... आष्टित्र	शतानामा शतानामा	...	...	प्रियानी प्रियानी
माघ	"	... माघ	... माघ	...	...	...	...
चैत्र	१,	... वैशाख १५५३	मुख्य चायोनजी	दत्तागंगी दत्तागंगी	...	...	...
शान्त	"	कुष्यकाल- कुष्यकाल-	कुष्यकाल- कुष्यकाल-	लिथे कुरोदा	...	...	सायो सायो
भाद्रपद	"	श्वेतकुमा मासु- काता	श्वेतकुमा मासु- काता	कावारभासा कावारभासा	मासु- काता	त ता- रिमा	नोभुरा नोभुरा

पैमाने तरा भिन्हसे अंकित सुनने प्रपने समयमें एकसे अधिक पदोपर कार्य करते रहे हैं।

नियुक्तिका काल	मन्त्र- समाप्ति	विदेश सम्बन्धी कारबार- के मन्त्री	आमयन्तर नीतिके मन्त्री	अर्थ- मन्त्री	जलसेना- मन्त्री	न्यायवि- भागके मन्त्री	शिवा- विभागके मन्त्री	व्यवसाय ओर कृषि के मन्त्री	पत्र व्यव- हारके मन्त्री	सेवाका काल	वर्ष-मास
फाल्गुन ।	...	...	...	...	...	...	...	...	श्रीकुमार	...	...
कार्तिक १८५४	...	निशा	...	इनोयी	करम्भुरा	सायगो	सोने	हमाओ	यामाद म.	...	...
पौष ,	इतो	निशा	योशि- कावा	...	करम्भुरा	सायगो	सायेनजी	इतो म.	सुधेमत्त्व	०—६	—८
चैत्र ।	...	...	...	...	करम्भुरा	सायगो	तोयाया	कनिको	...	...	—४
उद्योग १८५५	श्रीकुमार	श्रीकुमार	इतागांको	मरहुदा	करम्भुरा	सायगो	श्रीहि- गशी	श्रीहिं- गशी	एयाशी	...	—८
आश्विन ।	...	...	...	...	करम्भुरा	सायगो	...	इत्तकार्ह	...	...	—११
कार्तिक ।	यामानाता	आओको	सायगो	मात्चु- काता	करम्भुरा	यामानेतो	कियेरा	कावायामा	सोने	गोशि- कावा	—११
आश्विन १८५६	इतो	कातो	सुयपात्तु नातानावा	करम्भुरा	यामानेतो	करम्भुरा	मात्सदा	हयाशी	होशी	—८	—८

पेते तारा चिरदि से थंकिता मुझन प्रपने समयमें एकसे अधिक पढ़ोपर कार्य करते रहे हैं।

पीप	वायोनिकी	कामो	दारा	साकृती	तेरोंचो	सायतो	मसूरा	तादेन्तो <sup>a</sup>	गानिनो	मालतुरा	याम-गातो <sup>b</sup>	२—६
फल्ल्युन	"	...	नायेन्तो <sup>*</sup>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
देशावैदिक	"	...	दायाद्वि	...	...	...	...	...	...	...	...	...
पु.प	"	...	...	गहसूरा	...	...	...	...	...	दारा *	...	...
फल्ल्युन१९६५	"	...	...	...	...	...	सेन्के	...	...	...	...	...
आमात१९६२	कासुरा	कोमुरा	दिराता	कासूरा <sup>*</sup>	तेरोंचो	सायतो	ओकावे	कोमाल्लुवारा	ओकरा	गोतो स.	...	...

\* ऐसे तारा जिससे अंकित सज्जन अपने लगभग एक सत्र ऋषिक पद्मपर कार्य करते रहे हैं।

## शब्दानुक्रमणिका

—१५०५:—

संकेत—स० क० = सरकारी कर्मचारी, स० प० = समाचारपत्र, प्र० पु० = प्रसिद्ध पुस्तक, न० = नगर, ग्र० का० = ग्रन्थकार, द० = परिभाषा, ल० प्र० = लोकप्रतिनिधि, ध० प्र० = धर्मप्रवर्तक, प्र० रा० = प्रसिद्ध राजा, श० = शोगून, रा० न० = राज्यनंस्था, प्र० वि० = प्रसिद्ध विद्वान्, दे० = देश।

		आशीका ना-तकाऊर्जी,
		स० का०      ५५
अनन्दलक्ष्मी		आन्ध्रिया, दे०      २८५
जातानी जंगी जहाज़,		ह
	१२१ टिं०	
अनुष्टानपथ	८१	इतागाकीताइसू,
अस्तुनिगादा सदा इजिन		इतो, स० क०,
	मिन्त, १२६	इतो मन्त्रिमरडल,
अधिकारामिलापिणी		इनां उये, स० क०,
मिन्द, द.	१३४	इयेनागा, स० क०, ६०, ६४
		इया कुरा, स० क०, ६०
आकी.	८०	इशिन, आर्थर्य,
आकेची मिल्लु मिल्लुहिंदी,		इस्किमो, जाति,
	स० का०, ५७	इस्पहानी अर्मदा, वेडा,
आकेचोनी, स० प०, ११४,		ह
	१२२ टिं०	ईसपनीति,
		३३१

## ३८३ जापानकी राजनीतिक प्रगति

<p><b>उ</b></p> <p>उर्द्देन, शासकमण्डल, ११५ टि०</p> <p>एडमण्डवर्क अ० का०, २६३</p> <p>उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल, ३०७</p>	<p><b>ए</b></p> <p>एश्वरोहनो, देशभक्त दल, १०८</p> <p>एश्वर्जु, न०, ८५</p> <p>एचिज, न०, ८०</p> <p>एंजल वर्ट कैम्फर, अ० का०, ५६</p> <p>एता, नीच कौम, ८४, ८४ टि०</p>	<p><b>ओ</b></p> <p>ओकासोतो, प्र० पु०, ११२</p> <p>ओकुचो, स० क०, ८५</p> <p>ओक्लामा, एकछोटाराज्य, २८३</p> <p>ओजा-जी-यूकियो,</p> <p style="padding-left: 20px;">स० क०, १३२ टि०</p> <p>ओदानोवृनागा स० क०, ५६</p> <p>ओमीमाची, सम्राट्, ५७</p> <p>ओसाका, न०, ७३</p> <p>ओसाका सम्मेलन, १२०</p> <p>ओहारा, न०, १०१ टि०</p>	<p><b>क</b></p> <p>काइको झुतो, मुकद्वार-</p> <p>नीतिका पक्षपाती दल, ६७</p>	<p>काउरेटकाकुबा, स०क०, १००</p> <p>काउरेटइनोयी, स०क०, १००</p> <p>कागजी सिक्का प०, १३६</p> <p>कागोशिमा, न०, १३२</p> <p>कामा कुरावा कुफ़्ल, साहि-</p> <p style="padding-left: 20px;">तिक संस्था, ६२ टि०</p> <p>काताओका कैंकिची</p> <p style="padding-left: 20px;">ल० प्र०, १२३</p> <p>कानपूरियस, सम्प्र०, १०</p> <p>कानीको, अ० का०, ८६</p> <p>कालेन्सो, प्र० धि०, ३४</p> <p>कावायामावाला</p> <p style="padding-left: 20px;">मामला, १४५ टि०</p> <p>किओ आयशा, रा० सं०, १२४</p> <p>किदो, स० क०, ८७।८८</p> <p>कीनलज्ज, प्र० रा०, ६७ टि०</p> <p>कुदारा, कोरियाका</p> <p style="padding-left: 20px;">राजा, ११ टि०</p> <p>कुमीगार्शीरा, परिचारपञ्च-</p> <p style="padding-left: 20px;">काध्यक्त, १६, १७</p> <p>कुरोदा, स० का०, १२७</p> <p>कुवला खाँ, विजेता, ८</p> <p>कुवाना, न०, ८५</p> <p>कुशद्वीप,</p> <p style="padding-left: 20px;">४</p> <p>केकी, शो०,</p> <p style="padding-left: 20px;">७९</p> <p>केसी, जापानी,</p>
--	---	--	--	---

**पात्रकालुकारणिका**

३८७

संदर्भ,	७६,७७ टि०	कृतरका तार,	३६४
कैमान, न०,	६६ टि०	ख	
दीननीहान्तो दल, प्राग-		खड्हस्त-नीति, प०,	१७२
तिक, दल,	३३१-३४८	ग	
वेवानका सिहान्त, स्वतन्त्र		गिरु, न०,	१३८
मन्त्रमण्डल, ३९५-३१८		निजिओ, मन्त्रमण्डल, ७०	
कोष्ठवदन, न०,,	१२१	नीहनशिकाजिओ, प्रागतिक	
कोक्का, देश आँट घर,	२८	दल,	२३७
फोक्कुकार्द किसेई दोमी-		गेतपी,	६२
छाट, संयुक्त सनाज, १२४		गेनरीहन, प०, जापानकी	
कोगिनो, चा० च०, ८३-८६		सीनेट्, १२०-१६०	
कोच्ची,	१२३	गोकुमोनो चुसुमी, एक	
पोजिकी, प्राचीन गाथा, ३-६४		पुस्तक,	१०७
वानान्तुवारा वेइ-		गोतो,	११२
तारो, स० का, १३३ टि०		गोयीशिम्बून, सरकार-	
कोनियोतेओ,	५५	का दूत,	१३४
कोनुनो, ल०० प्र०,	११२	प्रिफिस, स० का०,	३०
कोमान मिन्सुकुनी, घंश,	६७	न	
कोनां विट्टन, स॒.का., १३३टि०		चार्लस छितीय, २९२ टि०	
कोरोन-पद्धपात रहित,		चिकओ को ओकाई,	
न्मनि	४६	पुनरान्दोलक दल,	२३७
कोनिवन, कोरियावासी,	३	चिशिमाइयो, खाडी;	२६०
क्योतो, न०,	५४०	चिहोचिओकां, काइगी,	
काइगी, मन्त्रणासभा,	५४	१२०, १६२	
कानसा दोपकी शिशोफाई,			
एक हेरस्तकारी कोठी, १२७			

## ३८८ जापानकी राजनीतिक प्रगति

चीनी, दे०,	६	डिसरायली, प्र० वि०, ३२५ टि०
चोपा, न०,	११६	हैडनाट, जंगीजहाज, २५
चोशिज, न०,	७०-८०	
<b>छ</b>		
चुपाखाना सम्बन्धी		
कानून,	१४३	
<b>ज</b>		
जिकेनशिन्सेत्सु, मनुष्योंके		
अधिकार,	१७०	
जिम्मू, सप्राट्,	४, ५३	
जे० वी० पेटन, वि०,	४८	
जोइको, असभ्य,	६९	
<b>ट</b>		
टाइम्स, पत्र,	४८, ३४०	
टोगो,	३६६	
स्थूटन, जाति,	५	
ट्रांसकौन्ट्रिनेन्ट रेलवे,	८८	
<b>ड</b>		
डर्वीशायर, न०,	१०३ टि०	
डायसी, प्र० का०,	१६१	
डांकलार, स० क०, १३३ टि०		
झर्विन, प्र० वि०,	१०३ टि०	
<b>त</b>		
ताइशिन-इन, न्यायमन्दिर,		
		१२०, १६४
ताईकून (शोगून),		५६
ताइयो सम्प्र०,		२४
ताकायामा, प्र० का०,	१०६	
तिनस्तीन की सन्धि,		१४६
तिब्बत, दे०,		४
तुर्किस्तान, दे०,		४
तोकियो, न०,		५६
तोकियो निनिचि शिम्बून,		११६
तोकुवीले, प्र० का०,	१४२	
तोकुगावा इयेयासू, स० क०, ५८		
तोकुदाइजी, स० क०,	१७३	
तोकुगावा वंश,		६२
तोयोतोमी स० क०,		२८
तोयोहितो,		५५
तोसा, न०,	७०, ८०	
<b>द</b>		
दलमूलकशासकमण्डल, ३१५		
दाइजो दाइजिन,		
प्रधान मन्त्री,	१४८	

द्रविड़संस्कृतोत्तम, एकल प्रकाश	निर्वाचन.	३४४-३६४	
दार्ढीदात, १५१	निर्वाचनपद्धति, २३४-२४६		
दार्ढनिहितर्थी, एक	निर्वाचनस्तुद्वारयिल, २४०		
द्रविड़संस्कृत प्रबन्ध,	द३	निहलगवाई-शी,	६८
दानिधारा,	१४,३८	निहौंगी, जाति,	३
दारनियो,	६२	नीओ, जाति,	८
देशिङ्ग दाष्टू,	६६	नीत्यो, प्र० विं०,	३४
देवराज्य,	२८	नेपोलियन बोनापार्ट,	
देवकान, नायव,	६१	प्र० पु०,	१३६
दोदो (जन्मदः दहन भाई), १८	नैथिलो, जाति,	८	
	नोगी, ज० का०,	२६४	
	न्यायसन्दृ..	६५० दिं०	
	न्यूयार्क,	१०१,२८२	

थ

थस्तिवातविभाग,	३८६
थानुनिर्मिनयन,	३३४

प

प	
पद्मर्यादाका शासन,	२८७
परामर्शदात्री सभा,	२६५
पापुअन, जाति,	९
पिण्डीशन आव राइट्स	४१
पुनः स्थापन तथा } ५१-२५५	
सह-टानान्दोलन }	
पेन्सुलचानिया, देश,	२८२
पेरी, सेनापति,	६६
प्रतिनिधिपरिषद्, २१३-२३१	
प्रतिनिधिकशासनंपद्धति, ११४	
प्रशिया, द०,	१४७ दिं०

३६० जापानकी राजनीतिक प्रगति

प्रिस व्यूलो,	२६३	ब्राइस,	३२४
प्रेस एक्टु,	२५०	ब्रिक्स, कसान, ३८ टि०, ६४, ६६	
फ़		म	
फार्मोजा, टापू,	१०१	मन्त्रपरिषद्,	२०७-२११,
फुकुआवा,	१०७	मन्त्रिमण्डल,	१४६, २०६
फुकुशिमा, प्रदेश०,	१४४		२८४-३४८
फ़्रॉनकाई, प्रादेशिक शासकों सभा,	१६०	मलयालीप,	४
फुजिमोता, वङ्क,	३४३	मत्सुरिगोतो, स० क०,	२८
फूजीवारा वंश,	५७	मात्सुकाता मन्त्रिमण्डल,	२९८
फू या फेन, नगर,	२३४	मायेजिमामित्सु, स०क०,	
फानिसस विलियम, फ्राक्सधन			१३३ टि०
फ्यूजन जिक्कोका सिच्छान्त,	३५७	मालयचीनी,	३
व		मांचूरिया, देश,	१०
वरगोस, प्र० का०,	१४१	मांटेस्क्यू, पु०,	१६४
वासोनाडू, एक		मिकादो तत्व,	२८
फरासीसी,	१५१	मिकादो भ्रसादू,	१०
विल आव राइट्स,	४१	मित्सुगीमोनो,	४२
विसार्क, प्र० पु०, १४६, १७२,		मित्सुई, मित्सुविशी,	
	२६३	जापान के कुवेर,	३२०
बुशिदो, धर्म,	१०	मित्सुओका, लो० प्र०,	११२
बैजहाट, प्र० का०,	२, २७४	मित्सुविशि, क०,	१४१
बैनजामिन कीडू,	२१	मित्तो, लोकपक्ष,	२६५
बैन्थम, प्र० वि०,	१०२, २३६	मियोजी, स० क०,	१७४
		मिल, लो०प्र०,	१०८

नीकोमोतो नो योरितोमो,	योरोन, सर्वसाधरणकी
सेनापति, ५४	सम्मति, ५४
मुरा या माचीयोरियाई,	इ
ग्राम नगर पञ्चायत, ६८	राजन (अध्यापक), १०१
मूलरी, लो० प्र०, ६४	राष्ट्रपति, २२५
सुद्राक्षणपञ्चति, १३४	राष्ट्रनिधि, २०४
सुक्ष्मीतो मेजी, ६२	राष्ट्रीयसभा, २१२-२३१
सुस्थु. मादाम, प०, १३६ दि०	रिकन-कैशिन-तो, सह-
मंगल, (संगोली), २	दना मुधारवादी, १३२
मेजी या मिजी कञ्चाट्, ६२	रिकनतहसेइतो, सहटना-
मेजीकाल, ६२ दि०	त्मक साम्राज्यवादी, १३४
मैकोले, प्र० का०, ३२५ दि०	रिपब्लिकन, ३६२
मैद्रा चार्टी, ४१-४९	रिस्त्रिशा, १०८-१०८
य	
यामागाता. मन्त्रिमण्डल, २७	रीग्स्ट्रक,
युरी, लो० का०, ११२	१०३, १०४ दि०
युविनहोची, ल० प०, ११४	रेक्स्मैंडकवां (सार्वजनिक
यूनियन फ्लैग, २७३	विशाल भवन), १५०
यात्रामियो, ल०क०, १३२ दि०	रेडिकल, ६३
यायोद्य, क्लृप्त, १३८	रेवोस्टिपरी, पु०, १५२
येतो, ल० क०, ११२, ११६	रोदस वैन्स्की, पडमिरल ८
येदो, ५४	रोनिन, ११८
योकोहामा, न०, ५४	ल
योकोहामा निक्कन	लन्दनग़ज़ट, २६०
शिम्बूग, ल० प०, १०१ दि०	लावेना, २६०

## १६२ जापानकी राजनीतिक प्रगति

ला० चेम्परसेन,	१०। टिं०	शिमादासावुरो,	१३२ टिं०
लार्ड थीड़माउथ,	१६४	शिमेई क्षाई,	
लिन,	६८ टिं०	राजनीतिक दल.	१७३
नीहज्ज चक्ष,	२६	शिमोदा, न०, .	७४ टिं०
लुई चौदहवाँ, प्र० पु०, १३६		शिप्रसभा,	२५४
लेक पासर्न पत्र,	१६७ टिं०	शुगुइन शुइन, M. P.	३६३
लैटिन, भाषा,	५	शोगून,	१४-३८

### व

वाई-शोक-होऊन, घृंस	
कानून,	३५५
वाक् फू, छावनी सरकार,	५४
वान कैप्रिवी,	२८३
वालपोल,	२९६
वालास, प्र० का०,	२२९
वाल्टेर,	१८७
वार्निक,	१५२
विकटोरिया रानी,	१८०
विशिष्टमुद्रण और प्रका-	
शन कानून,	२५४
विस्तियम आनसन,	
प्र० का०,	१९८
व्यक्ति प्राधान्यवाद,	१९

### श

शान्तिरक्षा कानून,	२५०
शिष्टो, धर्म,	६४

### स

सहाना	४६
सन्धिनगर,	७४ टिं०
सभासमिति कानून,	२५०
सभा द्रव्यपद्धति, प०, १३५ टिं०	
सम्राट्,	५३, १८०-२११
सरदारसभा,	२७४-२८७
सरदारपरिपद्,	२१२-२३१
सरपर्सी चिलियम वैनिङ्ग,	४८
सर्व खलिदं व्रह्मवादी,	३३
सन्चिहो सरकार,	१२६
सीइन धर्मयिभाग,	११५
सातसुमो, न०,	७०-८०
सानयो परामर्शदात्री	
सभा,	७८-७८ टिं०
सायगो, स० क०,	८७
सामुराई,	१४
सियोलका हत्याकारड,	३०९
सिओल की सन्धि,	१४६

शास्त्रानुक्रमणिका

३६३

सिंहनीसो,	३-२८९	हाड़स आफ़ कामन्स,	
सिंहानपंचकका शयथ-		लोकप्रतिनिधि सभा, प० १३७	
प्र.	८२	हाकादितो, न०, ७४ टि०	
सिमन्स. वि०,	४२	हाँड़काड़, न०, ६८ टि०	
दरदार,	११५	हालम, ग्र० का०, १४२	
सीली. इनिहास,	८४	हाराकिरी,	१०५
मुप्रजा जनन शास्त्र,	१५	हारीमान, सभापति,	८४
सुमन्तुद्वन्. मन्त्रपरिपद्,	१५५	हिंशोगो, न०,	७४
सेष्टनिका, चालनीनिम,	३५६	हिंजेन, न०,	७०-८०
सेष्टताई-योग्यत.	५४	हिसोहिरोबुमी, स० क०, १४६	
नेष्टीदाराचा.	६०	हिदेयोरी, स० क०,	५८
लेष्टुलाई दल,	३२९	हिन्दुस्थान, दे०,	४
सोइज्जीमा. छ० का०.	१११	हिराता, ल० प्र०,	८४
सोन्तर्द प्रधानमन्त्री, ७८ टि०		हिरोकू, बहु संख्यक,	८७
संयुक्तसंघ.	२१७	हिरोकी केतो, क्षेतो,	
संघटनात्म राज-		स० क०,	११७
सत्ता,	२५४-२७१	हिरो शिम्मा. नगर,	३०८
स्येन्सर.	१८, १०२, १०३ टि०	हिल, सभापति,	८४
स्विद्जरसेण,	२८५	हुक्काइदो, न०,	१२७
ह		होआन जोरेई, प०,	
हक्कले.	३४	शान्तिरक्षा कानून,	१५३



## पारिभाषिक शब्द-कोष ।

अंगरेजी से हिन्दी ।



### A

Absolutism or	स्वैरशासननीति या
Oriental Despotism	प्रजादमनमूलक नीति (एकमेवाधितीयाधिकार)
Admonition Act	आगाही कानून
Administrative Power	शासन सत्ता
Amity	मैत्री
Assembly of Preectural Governors	प्रान्तीय शासक सभा

### C

Cabinet	मन्त्रिमण्डल
Charter Oath	प्रतिशापन
Civil and Military Codes	दीचानी फौजदारी कानून
Conference	(कानफरेन्स) समा
Conservative	पुराणप्रिय
Consultative Assembly	परामर्श सभा
Constitution	संघटन, प्रातिनिधिक राज्य- पद्धति
Council	(कौन्सिल) परिषद्

## ३६६ जापानकी राजनीतिक प्रगति

Country	देश
Court	अदालत
Court of Administrative Litigation	न्यायमन्दिर

### D

Democracy	सर्वसाधारणसत्तावाद
Deputy governor	नायब
Development	प्रगति
Disciplinary Punishment	मर्यादारक्षा दण्ड
Divine Right	दैवी अधिकार
Duality of Govt.	राज्यकी युग्मरूपता

### E

Economics	आर्थविज्ञान
Electoral System	निर्वाचनपद्धति
Elector	निर्वाचक
Emperor	सम्राट्
Executive Powers	शासनाधिकार

### F

Feudal Chiefs	तालुकेश्वर
---------------	------------

### G

General	सेनानी, सेनापति
---------	-----------------

### H

Hard Money System	धातुनिर्मित धन
High Court of Justice	प्रधान न्यायमन्दिर

पार्लिमेंट का शब्द-कोष

३६७

House of Commons	लोकप्रतिनिधि सभा
House of Peers	सरदार परिषद्
House of Representatives	प्रतिनिधि परिषद्

I

Illegitimate, Illegitimately	अवैध
Imperial Court	राजसभा, दर्वार
Imperial Diet	राष्ट्रीय सभा
Imperial Ordinance	अमुग्यानपत्र
Individualism	व्यक्तिप्रधानवाद
Intrigues	पड़्यन्त्र

J

Judge	न्यायाधीश
-------	-----------

L

Law of State	राजकानून्
Laws	धर्मशास्त्र
Legislative Assembly	धर्मपरिषद्, कानून वनाने- वाली सभा
Legislative Powers	धर्मविधान अधिकार
Liberalism	उदारमत
Liberal	उदार
Local Autonomy	स्थानिक स्वराज्य

M

Memorial	आवेदनपत्र
Monarchical Form of Govt.	राजतन्त्र राज्य

## ३६८ जापानकी राजनीतिक प्रगति

Monetary System  
Morphological  
Observation

सुद्राङ्गणपद्धति  
देहरचनासम्बन्धी निरीक्षण

### N

National Treasury  
Natural Rights

राष्ट्रनिधि  
जन्मसिद्ध अधिकार

### O

Oligarchic Form of  
Govt.

अल्पसत्तात्मकशासन पद्धति

### P

Paper Money  
Party Govt.  
Public Opinion  
Press Law  
Privy Council

कागजी सिक्के  
दलवद्द सरकार  
लोकमत  
छापासम्बन्धी विधान  
मन्त्रपरिषद्

### R

Radical Politician  
Reactionist Party  
Representative Legisla-  
tive Assembly  
Republicanism  
Responsible and  
Non-Responsible  
Restoration

आमूलसुधारवादी  
पुनरान्दोलक दल  
प्रातिनिधिक धर्मसभा  
प्रतिनिधिसत्तावाद  
उत्तरदायी और  
अनुत्तरदायी  
पुनःस्थापना

पारिभाषिक-शब्द-कोष

३६६

Ruler

हाकिम

Rural community

नामसंस्था

S

Semi Independent

अर्धस्वाधीन

Senate

शिष्टसभा

Socialism

समाजसत्त्वाद

Social Out-casts

अन्त्यज जातियँ

Suffragist

प्रधिकाराभिलापी

Star-chamber

नक्षत्रभवन

System of Arbitration

पंचायत प्रथा

T

Tent-government

छावनी सरकार

Tow-chamber System

समान्वय पद्धति

U

Unification

एकीकरण

Union-in-larg Party

प्रबल-एकतावादी दल

United Association

संयुक्त संघ

United States

संयुक्तराष्ट्र

Utilitarianism

उपयोगितात्त्व

Utility

उपयोगिता



## पारिभाषिक शब्द-कोष ।

हिन्दी से अंग्रेजी ।



### अ

अधिकारामिला-		
दिली लिय	Sufferagists	सफरजिस्ट्स
अदालत	Court	कोर्ट
मनुष्यानन्द	Imperial Ordinance	इम्पोरियल आदि- नन्द
अन्तः कलह	Civil War	सिविलवार
अन्त्यज जातिएँ	Social Outcasts	सोशल आउट- कास्ट्स
अमात्यवद	Ministrial Office	मिनिस्ट्रियल आ- फिस
अमीर उमराव	Nobles	नोब्लेस
अर्थविज्ञान	Economics	इकोनोमिक्स
अर्धस्वाधीन दृष्टिः	Semi Iudependent	सेमी-इन्डिपेन्डेन्ट
अर्मेदा	Armeda	आर्मेडा
अरपजन सत्तात्मक	Oligarchic Form	ओलिगार्किक फार्म
शासनपद्धति	of Govt.	आवृ गवर्नमेंट
अहंभाव	Ego	एगो
अवैध सम्राट	Illegitimate Emperor	इलिजिटिमेट एम्परर

## ४०२ जापानकी राजनीतिक प्रगति

### आ

आगाही कानून	Admonition act	एडमोनिशन एक्ट
आपत्कालिक आशापत्र	Emergency ordinance	इमर्जेंसी आर्डिनेंस
आमूलसुधार-वादी	Radical Politicians	रेडिकल पालिट्री-शियन्स
आवेदन पत्र	Memorial	मेमोरियल

### इ

इंग्लिस्तान	England	इंग्लॅण्ड
-------------	---------	-----------

### उ

उत्तरदायी और अनुत्तरदायी सरकार	Responsible and Non-responsible Govt.	रिस्पोन्सिबल एन्ड नान-रिस्पोन्सिबल गवर्नमेंट
उदारमत	Liberalism	लिवरेलिज़म
उपयोगितासिद्धांत, उपयोगितात्त्व	Utilitarianism	यूटिलिटेरियनिज़म

### ए

एक और अनेक छैत-अछैत	One and many	एक एन्ड मेनी
एकीकरण	Unification	यूनिफिकेशन

### क

कागड़ी सिक्के कानफरेंस	Paper Money Conference,	पेपर मनी कानफरेंस
------------------------	-------------------------	-------------------

कॉन्सिल	Council	कौन्सिल
कानूनजी पोदी	Codes of Laws	फोड़स आफ लाज

ख

खड्हहत्तशालननीति Iron-hand Policy आयर्न हैन्ड पालिष

ग

प्रामपचायत,	{	Village or Town-	विलेज आर टौन
नगरपञ्चायत		meeting	मीटिंग
प्रामलंस्य	}	Rural Commu-	करल कम्युनिटी
		nity	

छ

छापाजम्बन्दीविधान	Press law	प्रेस ला
छावनी	Tent Governmet	टेन्ट गवर्नमेंट

ज

जगहुन	Spiritual Head	स्पिरिचुअल हैज
जन्मसिद्धयधिकार	Natural Rights	नेचुरल राइट्स

त

घालफेदार	Feudel Chifs	फ्यूडल चॉफ्स
----------	--------------	--------------

द

दलबद्द सरकार	Party Govt.	पार्टी गवर्नमेंट
दुनियादार	Materialist	मेटिरीयलिस्ट

## ४०४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

दीवानी, फौज-	Civil and Melli-	सिचिल पन्ड मि-
दारी कानून } दारी कानून } tary Codes		लिटरी कोड्स
देहरचनासम्ब-	Morphological observation	मार्फोलिजिफल आच्जावेशन
न्धी निरीक्षण } देश		कन्ट्री
दैवी अधिकार	Country Divine right	डिवाइन राइट

## ध

धर्म परिपद या	Legislative Assembly	लैजिस्लेटिव अ- सेम्बली
कानून बनाने- वाली सभा		
धर्मविधान- अधिकार	Legislative Power	लैजिस्लेटिव पावर
धर्मशाखा		
धर्मधियक्त	High Priest	लाज़
धातुनिर्मित धन } धातुनिर्मित धन	Hard Money System	हार्डमनी सिस्टम

## न

नक्षत्रभवन	Star-chamber	स्टार चेम्बर
नायब	Deputy Governor	डेप्यूटी गवर्नर
नायफत्व	Leadership	लीडरशिप
निधि और प्रति-	Question of Taxation and Representation	कोश्चन शाफटेक्से- शन पन्ड रिप्रे- ज़ेन्टेशन
निधिका प्रश्न		

नियंत्रक	Elector	इलेक्टर
नियंत्रणपद्धति	Electoral system	इलेक्ट्रल सिस्टम
न्यायिकभाग	Judiciary	जुदीशियरी
न्यायाधीश	Judge	जज
न्यायमन्दिर	Court of administrative Litigation	दोष आव पडमि- स्ट्रेट्रिच लि- टिगेशन

प

परामर्शदाता, कलाहकार	Adviser	परामर्शदाता
परामर्शसभा	Consultative Assembly	कान्सरटेटिव अ- सेंचनी
परिवार कानून	Law of Family	ला आफ फैमिली
पुनःन्यायना	Restoration	रिस्टोरेशन
नरान्दोलक दल	Reactionist Party	रिएक्शनिस्ट पार्टी
पुरालग्निय	Conservative	काल्वेंटिव
पंच	Arbitrators	आर्बिट्रेटर्स
पंचायत प्रथा	System of Arbitration	सिर्टम आव आ- र्बिट्रेशन
प्रगति	Development	डिवलपमेंट
प्रजातंत्रजन्य- पद्धति	Representative System of Govt.	रेप्रेजेंटेटिव सि- स्टम आफ ग- वर्नमेंट
प्रबल एकता- वादी दल	Union-in-large Party	यूनियन-इन-लार्ज पार्टी

## ४०६ जापानकी राजनीतिक प्रगति

प्रधान न्याय-	High court of justice	हाई कोर्ट आवृ
मन्दिर		जस्टिस
प्रतिनिधिसत्त्वाद्	Republicanism	रिपब्लिकेन्ज़िम
प्रतिनिधि- परिषद्	House of representative	हाउस ऑफ रिप्रे- जेंटिव
प्रतिक्षापत्र	Charter Oath	चार्टर ओथ
प्रातिनिधिक धर्मसभा	Representative Legislative Assembly	रिप्रेजेंटेटिव ले- जिस्लेटिव अ- सेम्बली
प्रातिनिधिक राज्य पद्धति	Constitution	कान्स्टिट्युशन
प्रान्तीयशासकसभा	Assembly of prefectural governors	असेम्बली आवृ- न्वर्स
		श्रीफेक्कुरल गव-

### ब

बलपूर्वक सत्राद्	Usurpation of Imperial Power	यूसरपेशन आवृ
सत्रापद्धति		इम्पीरियल पावर
बहुसंख्यकसभा	An assembly widely couoked	असेम्बली चाइडलि फान्वोक्ड

### म

मन्त्रपरिषद्	Privy Council	प्रीवी कौन्सिल
मन्त्रिमण्डल	Cabinet	कैबिनेट
मर्यादारकादेड	Disciplinary Punishment	डिसिप्लिनरी पनि- श्यूमेंट
महासभा	Magnum Concilium	माहम कान्सि- लियम

जालहानिका फानून	Law of Libel	ला आफ लाहयल
मिकादो तत्व	Mecadoism	मिकादोहड़म
मुद्राहर पद्धति	Monetary System	मोनेटरी सिस्टम
मूद्रामण	Origin	ओरिजिन
मैग्ना चार्टा	Magna-charta	
मैरी	Amity	एमिटी

र

राजा	Sovereign	सावरेन
राजनन्यतात्त्व	Monarchical	मोनार्कियल फार्म
	Form of Govt.	आवृ गवर्नर्मेंट
राजनीतिक मानसिक	Political mind	पोलिटिकल नाइन्य
राजनीतिक संस्था	Political Institu-	पोलिटिकल इंस्टि-
	tion	ट्यून्युन
राज्यमा	Imperial Court	इम्पीरियल कोर्ट
राज्यकी द्वुमन्दपता	Duality of Govt.	द्वुअलिटी आवृ गवर्नर्मेंट
राष्ट्र	Nation, People	नेशन, पीपल
राष्ट्रजनन्यत्वम्-	Constitutional	कन्स्टिट्यूशनल भू-
न्यी उद्योग	movement	वर्मेंट
राष्ट्रतंत्रि	National treasury	नेशनल ट्रेजरी
राष्ट्रान्तर	Law of State	ला आफ स्टेट
राष्ट्र क पक्षात्त	National Isolation	नेशनल आइसोलेशन
राष्ट्रीय अतित्त	National Existence	नेशनल प्रजिस्टेन्स
राष्ट्रीय सभा	Imperial Diet	इम्पीरियल डायट

४०८ जापानकी राजनीतिक प्रगति

ल

लश्करी जागीर-	Feudal Lord	फूडल लार्ड
दार तालुकेदार } दासत्व	Worship of dollar	बर्शिप आव डाल
लोकप्रतिनिधिसभा	House of commons	हाउस आव कामन
जोकमत	Public opinion	पब्लिक ओपिनिय

द

विशेषपत्रक-	Special Press and	स्पेशल प्रेस एन्ड
शार प्रकाशन	Publication act	पब्लिकेशन एट
विद्वान		
विदेशसमर्पक-	Anti-foreign	एन्टी-फोरेन से
विराग	sentiment	न्टिमेंट
विदेशियोंका निवासान्त	Expulsion of foreigners	एक्सप्लूशन आव फोरेनर्स
वंशवेत्ता	Ethnologist	एथ्नोलॉजिस्ट,
व्यवसायवाणिज्य	Trade and Industry	ट्रेड एण्ड इन्डस्ट्री
व्यक्तिगतान्वयनाद	Individualism	इन्डिविज्युअलिज्म
व्युहवद्ध राज्य	Consolidated State	कान्सोलिडेट्ड स्टेट

श

शान्ति	Peace	पीस
शान्तिरक्ता	Priservation Law	पीस प्रिसर्वेशनल
कानून		

V2

V 94

८९

पारिआधिक-शब्द-कोष

४०६

शासक	Civil Governor	सिविल गवर्नर
शासन अधिकार	Executive Powers	एकाज़क्यूटिव पावर्स
शासनपद्धति	Constitution	कानूनिक्यूशन
शासनसत्ता	Administrative Power	एडमिनिस्ट्रेटिव पावर
शासकवर्ग	Governing Class	गवर्निंग क्लास
शिष्टसभा	Senate	सीनेट

ष

षड्यज्ञ	Intrigue	इन्ट्रिग्
---------	----------	-----------

स

उभा	Assembly	असेम्बली
ज्ञानाज़स्वातन्त्र्य } का सिद्धांत } समाज्य पद्धति }	Theory of Social Contract Two-chamber Systum	थ्योरी आफ सो- शल कन्ट्रॉक्ट द्व-चैम्बर सिस्टम
समाजसत्तावाद	Socialism	सोशलिज्म
उम्भाट	Emperor	एम्परर
सरकार	Government	गवर्नमेंट
सरकारका दूत	Herald on Official Service	हेरल्ड आन आ- फिशल सर्विस
सरदार परिषद	House of Peers	हाउस आफ पीयर्स
संर्वसाधारण सत्ता	Democracy	डेमोक्रेसी
वाद		
नामरिक कर्मचारी	Military Men	मिलिटरी मेन

४१० जापानकी राजनीतिक प्रगति

सिद्धान्तपञ्चक-	Charter Oath of	चार्टर ओथ आब
का शपथपत्र } का शपथपत्र } का शपथपत्र }	Five Articles Reform Title of Genera- lism	फाइव आर्टिफल रिफोर्म टाइटल आब जन रेलिझ़म
सुधार	General	जनरल
लेनानीकी उपाधि	United States	युनाइटेड एटेंड्स
सुधार	United Association	युनाइटेड एसोसे- सियेशन
संयुक्तराज्य	United States	युनाइटेड स्टेट्स
संयुक्तसंघ	Constitutionalism	कान्स्टिट्यूशने- लिझ़म
संयुक्तराज्य	Local Autonomy	लोकल आटानोमी
संघटनात्मक	Individualism	इन्डिविजुअलिझ़म
राज्य प्रणाली } या एकतन्त्र- स्थानिक स्वराज्य	Absolutism or	अब्सोल्यूट्यूडिझ़म आर
स्वतन्त्र व्यक्तित्व	Oriental Despotism	ओरियन्टल डिस्पाटिझ़म
स्वैरशासननीति } धिकार प्रजा- धिकार प्रजा- } दमनमूलक } नीति, एका- मेवद्वितीया- } धिकार } दमनमूलक } नीति, एका- मेवद्वितीया- } धिकार } दमनमूलक } नीति, एका- मेवद्वितीया- } धिकार }		

गुरु रामानन्दी पुस्तकों की संस्कृति

लक्ष्मी लक्ष्मापन मुफ्त,

बड़ा लूकामच मुफ्त,  
हिन्दी साहित्य अम्बिर, जगदरह में।

